त्रयोदश माला, खंड 20, अंक 10

सोमवार, 3 दिसम्बर, 2001

12 अग्रहायण, 1923 (शक)

FOR REFERENCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 52
Date 12/4/2002

(खण्ड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

त्रयोदश माला खंड 20, आठवां सत्र, 2001/1923 (शक)

अंक 10, सोमवार, 3 दिसम्बर, 2001/12 अग्रहायण, 1923 (शक)

विषय *कॉलम*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

* तारांकित प्रश्न संख्या 181से 183 4–30

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 184 से 200 30–57

अतारांकित प्रश्न संख्या 2035 से 2264 57–361

सभा पटल पर रखे गए पत्र 362–364

राज्य सभा से संदेश 364–365

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

पांचवां प्रतिवेदन 365

कार्य मंत्रणा समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 365

आतंकवाद निवारण अध्यादेश के संबंध में प्रधान मंत्री के कथित वक्तव्य के बारे में 366–386

नियम 377 के अधीन मामले 387–393

(एक) गोंडा–आगरा फोर्ट गोकुल एक्सप्रेस का उत्तर प्रदेश के बिछिया रेलवे स्टेशन पर ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता

श्री पदमसेन चौधरी 387

(दो) गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा 387–388

(तीन) कोलकाता और दिल्ली के बीच बरास्ता रांची विमान सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी 388

(चार) मध्य प्रदेश को अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री रामानन्द सिंह 388

(पांच) देश में विशेष रूप से गुजरात में फसल बीमा योजना के कार्यकरण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी 388–389

(छह) बिहार में और अधिक स्थानों से विमान सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह 389

(सात) केन्द्र द्वारा कर्नाटक को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत आबंटित राशि की एक और किस्त जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी 389–390

(आठ) पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले का चहुंमुखी विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 390

(नौ) केरल के कॉयर उद्योग में लगे कामगारों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री वरकला राधाकृष्णन 390–391

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित+चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा के उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	*कॉलम*
(दस) तमिलनाडु के हथकरघा बुनकरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता डा. एस. जगतरक्षकन	391
(ग्यारह) बिहार के जहानाबाद जिले में कतिपय स्थानों पर पेट्रोल पंप खोले जाने की आवश्यकता श्री अरूण कुमार	391–392
(बारह) नदी स्वच्छीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कोल्हापुर के पंचनगंगा जल परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	392
(तेरह) बिहार में बार–बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता श्री नवल किशोर राय	392–393
(चौदह) भारत–नेपाल सीमा पर बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता श्री सुकदेव पासवान	393
(पन्द्रह) देश के प्रत्येक जिले में केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता श्री रामदास आठवले	393
नियम 193 के अधीन चर्चा	394–482
अयोध्या मुद्दा	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	394–405
श्री चिन्मयानन्द स्वामी	405–412
श्री मुलायम सिंह यादव	412–422
कुमारी ममता बनर्जी	422–425
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	425–429
प्रो. रासासिंह रावत	429–434
श्री सोमनाथ चटर्जी	434–442
श्री रघुनाथ झा	442–445
श्री राशिद अलवी	445–449
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	449–453
श्री जी. एम. बनातवाला	453–455
श्री के. येरननायडू	456–458
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	458–461
श्री मोहन रावले	461–464
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	464–467
डा. सुशील कुमार इन्दौरा	467–469
श्री प्रबोध पण्डा	469–472
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	472
श्री प्रकाश वी. पाटील	472–473
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	473–482

लोक सभा

सोमवार, 3 दिसम्बर 2001/12 अग्रहायण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। प्रधान मंत्री जी ने पोटो पर जो भाषण दिया, उसे लेकर हमारी बहुत सी आपत्तियां हैं। यह मामूली बात नहीं है। ....*(व्यवधान)* आप देखिए कि प्रधान मंत्री जी ने सीधे–सीधे आरोप लगा दिए हैं। पहला आरोप लगाया कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसे जीरो आवर में उठाएं।

श्री मुलायम सिंह यादव : दूसरा कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार जो कुछ काम कर रही है, उसमें विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को क्वश्चन आवर के बाद उठाएं।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी बैठ नहीं सकता क्योंकि यह मामूली बात नहीं है।

[अनुवाद]

'इंडियन एक्सप्रेस' के 3 दिसम्बर के अंक के अनुसार प्रधान मंत्री ने कहा है :

"केन्द्र पोटो विधेयक को संसद में पुरःस्थापित करने के संबंध में दृढ़ था क्योंकि कुछ लोग एक पडोसी देश की सहायता से भारत में अशांति पैदा करना चाहते थे।"

[हिन्दी]

यह सीधा–सीधा मुसलमानों पर हमला है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तान्त में माननीय सदस्य के अनुपूरक प्रश्न को छोड़कर कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इन बातों को 'शून्य काल' में उठा सकते हैं जो कि प्रश्न काल के तुरन्त बाद होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्वश्चन आवर के बाद इस मामले को उठाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्वश्चन आवर में रोज–रोज ऐसे कैसे चलेगा? क्वश्चन आवर के बाद जीरो आवर में रेज कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

* कार्यवाही– वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही– वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको क्वश्चन आवर नहीं चाहिए?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, इसे जीरो आवर में उठाएं।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सारी कार्यवाही रोक कर अभी पोटो पर बहस होनी चाहिए। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप इसे क्वश्चन आवर के बाद जीरो आवर में रेज कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : मुझे सबसे पहले मौका मिलना चाहिए। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दे देंगे। सबसे पहले मौका देना क्या कंडीशन है ?

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं। हम इस बारे में उनकी राय जानना चाहते हैं और वह इस बारे में सोच कर आए हैं। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको जीरो आवर में मौका देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आपको जीरो ऑवर में मौका मिलेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, अगर नियमावली है और आपने सजा देने के लिये नियम संशोधित किया है तो मुझे निकाल दीजिये। इससे ज्यादा महत्त्वपूर्ण मुद्दा और क्या हो सकता है। यह सब किसलिये है ?

अध्यक्ष महोदय : आपको जीरो आवर में मौका मिलेगा। आप बैठ जायें। क्वश्चन आवर में ऐसा करना ठीक नहीं।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, मुझे यह मुद्दा उठाने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, इस बात को हम आपसे कितनी बार कहेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, आप हमें मुद्दा बताइये, हमें निकाल दीजिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : प्रधान मंत्री जी, जीरो आवर तक बैठतें हैं। मुलायम सिंह जी, आप बोलिये ताकि सब सुन सकें।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग क्या–क्या बातें कर रहे हैं। आप सारे प्रोसीजर को चेंज कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, आप हमें बताइये, इससे ज्यादा महत्त्वपूर्ण मुद्दा और क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप सीनियर मैम्बर हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, ऐसा और कौन सा मुद्दा है जो हम लायें। इससे ज्यादा महत्त्वपूर्ण मुद्दा और कोई नहीं। प्रधान मंत्री जी बैठे हुये हैं, मेरा उन पर आरोप है ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें। आप बैठ जायें प्लीज। यह क्या है ? मैं बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : हम बैठ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ज़ीरो आवर में बोल सकते हैं।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वन्य जीवों के सरंक्षण हेतु जागरूकता अभियान

[हिन्दी]

***181. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वन्य जीवों के संरक्षण हेतु एक जागरूकता अभियान आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

* कार्यवाही– वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) और (ख) वन्य–जीवों की सुरक्षा के लिए शिक्षा और जागरूकता भारत सरकार द्वारा 1983 में अंगीकृत की गई राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का एक अभिन्न अंग है। वन्यजीव संरक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के भीतर प्रकृति को समझने संबंधी सुविधाओं के सृजन हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) चिड़ियाघरों को वन्यजीव संरक्षण के संबंध में आगन्तुकों में समानुभूति और जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जानवरों को उपयुक्त संकेत सहित प्रकृतिवादी वातावरण में दर्शाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में "वन्यजीव सप्ताह" मनाना।

(iv) दिल्ली, मैसूर और भोपाल में राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयों का एक नेटवर्क गठित करना।

(v) स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से देश के सभी जिलों को कवर करते हुए "नेशनल ग्रीन कार्प्स प्रोग्राम" की शुरुआत।

(vi) पर्यावरणीय शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद को एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में मान्यता देना तथा संस्थान को वन्यजीव सहित प्रकृति संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर उपयुक्त विस्तार सामग्री तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(vii) सेना के अधिकारियों, अर्ध–सैनिक बलों, विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों के लोगों के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान के माध्यम से लघु अवधि के पाठ्यक्रम तथा कार्यशालाएं आयोजित करना।

(viii) वन्यजीवों पर कार्यशालाएं आयोजित करने और लोकप्रिय साहित्य तैयार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(ix) "राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में और उनके आस–पास पारि–विकास" स्कीम के तहत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस–पास रहने वाले स्थानीय समुदायों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन।

(x) स्थानीय समुदायों द्वारा वन्यजीव सुरक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए "अमृता देवी बिशनोई पुरस्कार" की स्थापना।

(xi) वन्यजीव पर समय–समय पर विषयक डाक टिकटें निकालना।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने के लिये आमंत्रित किया, उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय मंत्री जी ने वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में अपने उत्तर में 1 से लेकर 11 तक सुझाव दिये हैं। सरकार भी वन्य जीवों के लिये चिन्तित है, यह जानकर मुझे खुशी हुई। लेकिन इतने कारगर उपाय करने के बावजूद पिछले एक साल में वन्य जीवों की मौत और हत्या का ग्राफ आश्चर्यजनक रूप से ऊपर गया है। 'नन्दन कानन के बाघों की मौत, मुरेना में मोरों की मौत, रणथम्भौर अभयारण्य में चीतलों तथा जिम कार्बेट पार्क में पांच हाथियों की हत्या' – ये सब दुर्घटनायें नहीं बल्कि मनुष्य की लापरवाही व विकृत चिन्तन के जीते–जागते नमूने हैं। जो नियम, कानून और पालिसी बनाई गई है, वे पूरी तरह से कारगर नहीं हैं। मै सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अच्छे और कड़े कानून या पालिसी बनाने जा रही है जिससे अच्छा काम किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : महोदय, माननीय सदस्य ने वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए किये गये उपायों से संबंधित अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न पूछा है।

केन्द्र सरकार ने इसी सदन में 1972 में वन्य–जीव संरक्षण अधिनियम बनाया था। 1972 से सरकार यह देखने के लिए संयुक्त प्रयास कर रही है कि वन्य जीवों का संरक्षण वन्य–जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुरूप उचित रूप से किया जा रहा है कि नहीं।

कहीं–कहीं कुछ छिटपुट घटनायें घटी हैं लेकिन राज्य सरकारों को इस मामले में बार–बार सलाह दी जाती रही है। वास्तव में

प्रधान मंत्री ने जो कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष हैं, हाल ही में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा है।

इसी के साथ–साथ मेरा विभाग बार–बार कार्यशालाओं का आयोजन करता है और राज्य सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बातचीत करता है।

गत वर्ष हमने कोयम्बटूर में विचार–गोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन किया। कोयम्बटूर घोषणा–पत्र में वन्य जीवों को उचित संरक्षण देने की बात स्पष्ट रूप से कही गई है। इसी के साथ राज्य सरकारों से भी बार–बार उनकी सुरक्षा करने का अनुरोध किया गया है। वास्तव में मैंने उन सभी मंत्रियों से बातचीत की है जिन्होंने कोयम्बटूर सम्मेलन में भाग लिया था। समस्या यह है कि विभाग के पास पर्याप्त संख्या में गार्ड नहीं हैं। गार्डों की उचित रूप से तैनाती नहीं की गई है। जितने भी रिक्त पद हैं उन्हें शीघ्र भरा जाना है। मैंने उनसे यही बात कही है। लेकिन मैं यह नहीं जानता कि इस संबंध में राज्य मंत्रियों से मुझे कितनी बार और अनुरोध करना पड़ेगा। मैंने अनेक राज्यों के साथ बातचीत की है। गार्डों की तैनाती उचित रूप से न किये जाने के कारण समस्या उत्पन्न होती है। इसी के साथ–साथ हम सी. बी. आई. और केन्द्रीय स्तर पर कानून लागू करने वाली एजेन्सियों से सम्पर्क साधे हुये हैं। मैं पुनः एक बार राज्यों को सलाह देता हूं कि वे देखें कि हर बात पर ध्यान दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गुजरात से आता हूं और गुजरात के जूनागढ़ के गिर क्षेत्र में शेरों के लिए अभयारण्य घोषित किया गया है। यह बहुत साल पहले घोषित किया गया था। फॉरेस्ट डिपार्टमैन्ट की ओर से हर साल वहां शेरों की गिनती होती है। हर साल होने वाली गिनती में वहां शेरों की संख्या कम होती जा रही है। ऐसा बताया जाता है कि उस अभयारण्य में न कोई प्रयोगशाला है, न कोई पशु चिकित्सक है और न दवाइयों की वहां अच्छी व्यवस्था है, जिसके कारण वहां शेरों की संख्या लगातार कम होती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, गोधरा क्षेत्र, पंचमाल डिस्ट्रिक्ट जाम्बूगोडा में भी यही स्थिति है, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं। वहां अभयारण्य घोषित किया गया है। अभयारण्य की घोषणा हो गई है लेकिन उसके लिए केन्द्र सरकार कोई धनराशि नहीं दे रही है और वहां कोई काम नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हू कि गिर तथा जाम्बूगोड़ा अभयारण्यों के लिए क्या केन्द्र सरकार कोई धनराशि देने जा रही है या उनके बारे में केन्द्र सरकार कोई अन्य कदम उठाने जा रही है।

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : महोदय, संभवतः माननीय सदस्य को गलत सूचना दी गई है। एशियाई शेर जिनकी संख्या 327 हो गई है गिर के जंगल में हैं। पहले उनकी संख्या 315 थी। अब उनकी संख्या बढ़कर 327 हो गई है। अतः उनमें 12 की बढ़ोत्तरी हुई है। यदि कोई संदेह या समस्या है तो मैं माननीय सदस्य से बात करूंगा। लेकिन राज्य सरकार ने इस पार्क में वन्य जीवों के लिए धनराशि की मांग नहीं की है। यदि उन्हें इसकी आवश्यकता है तो उन्हें प्रस्ताव भेजने दीजिए। हम उन्हें देने को तैयार हैं।

श्री कमलनाथ : महोदय, वन्यजीवों की संरक्षा और जागरूकता का प्रसार इसका केवल एक पहलू है। यह महत्त्वपूर्ण पहलू है लेकिन मुख्य नहीं। वन्यजीवों की सुरक्षा के मामले में उनके लिये आवास की सुरक्षा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं। पहली बात यह कि आवास, जनसंख्या और विकास की जो बड़ी समस्या है, उस विषय में वन्य जीवों के न केवल वर्तमान आवासों की सुरक्षा बल्कि आवासों की संख्या में वृद्धि के लिए भी क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? क्योंकि आवास के विना वन्यजीवन संभव नहीं है।

दूसरा भाग यह है कि हमने वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम बनाया है। इस सभा द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (संशोधन) विधेयक को पारित किये नौ वर्ष बीत गये हैं। गत नौ वर्षों में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को उसके मौजूदा स्वरूप में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय अन्य किये जाने वाले प्रयासों को शामिल करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कोई परिवर्तन या सुधार करने पर विचार करेंगे।

श्री टी. आर. बालू : वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। मंत्रिमण्डल की मंजूरी मिलने के बाद हम इस वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) अधिनियम को इस सम्माननीय सभा के समक्ष लाएंगे।

इसी के साथ भूतपूर्व पर्यावरण और वन मंत्री को यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारे पास सम्पूर्ण भू–क्षेत्र का अत्यन्त सीमित भू–भाग 2.4 प्रतिशत है और वन क्षेत्र का 1.8 प्रतिशत। शेष विश्व की तुलना में हमारे पास सीमित भू–क्षेत्र और वन क्षेत्र है जिससे हमारे जंगलों पर विशेषकर ईंधन की कमी, चारा, लकड़ी और

खाद्यान्न सुरक्षा संबंधी जैविक दबाव है। इन जैविक दबावों के बावजूद हमारे यहां 50 प्रतिशत चीता, 60 प्रतिशत एशियाई हाथी और 70 प्रतिशत गैंडे और साथ ही 327 एशियाई शेरों को संरक्षण प्राप्त है।

मैं विशेषकर अपने मित्र को जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, को यह बात बताना चाहता हूं। इसलिये हम शेष विश्व विशेषकर अफ्रीका और दक्षिण एशिया की तुलना में बेहतर स्थिति में है।

डॉ. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा : जागरूकता अभियान के संदर्भ में क्या यह बात सच है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में शार्क को सम्मिलित किये जाते समय मछुआरा समुदाय और आम लोगों से विचार–विमर्श नहीं किया गया ? विश्व वैज्ञानिक निकाय ने कहा है कि शार्क ऐसी प्रजाति नहीं है जिसके अस्तित्व को खतरा हो। इससे पूरे भारत में लगभग 600 मिलियन मछुआरे प्रभावित हुये हैं। क्या यह सच है कि यह प्रतिबन्ध कुछ गैर–सरकारी संगठनों के निहित स्वार्थ की वजह से है न कि शार्क के अस्तित्व को खतरे की वजह से ?

श्री टी. आर. बालू : महोदय, शार्क पर प्रतिबन्ध मई में एक अधिसूचना जारी कर लगाया गया और इसके बाद हमने 11 जुलाई को कुछ मोलस्कीय प्रजातियों पर प्रतिबन्ध लगाया है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा, किसी संगठन की तरफ से विशेष दबाव या ऐसी कोई बात नहीं है। इसी के साथ 'इन्टरनेशल यूनियन फार कनजरवेशन ऑफ नेचर' जैसे सलाहकार भी हैं। उनके अनुसार हमने कुछ मोलस्क प्रजातियों और शार्क पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

आज की तारीख में केवल तीन जिलों के अतिरिक्त पूरे भारत में इस संबंध में कहीं कोई शोरगुल नहीं है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि शार्क प्रजातियों के पकड़े जाने की दर चार प्रतिशत है। बहुत अधिक शार्क प्रजातियों का पालन किया जा रहा है। शार्क की कुछ प्रजातियां गुजरात, पांडिचेरी और अन्य स्थानों पर पाली जाती हैं। बहुत अधिक समस्या केवल कन्याकुमारी, रामनाथपुरम और तुतीकोरीन जिलों में सुनने को आ रही है। सरकार ने गत माह विशेषकर तमिलनाडु के समुद्र–तटीय क्षेत्र के डीएमके सदस्यों के प्रतिवेदन को खुले दिमाग से प्राप्त किया है। विशेषज्ञों और मेरे विभाग के अधिकारियों को मछुआरा समुदाय और विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने के लिए भेजा गया है।

गत सप्ताह तीस से अधिक विशेषज्ञ पूरे देश का भ्रमण करके आये हैं। हमने केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के अनेक संगठनों से इस पर बातचीत की है। मत्स्य निदेशालय से परामर्श किया गया है। हम कुछ ऐसे क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं जहां कि कुछ मदों पर से प्रतिबन्ध हटाया जा सकता है।

इसी के साथ मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि शार्क प्रजाति 30 वर्ष की आयु में ही परिपक्व होती है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए।

यदि पूरी शार्क प्रजाति को 30 वर्ष के अन्दर पकड़ लिया जाये तो निश्चित तौर पर, यह पूरी प्रजाति विलुप्त हो जायेगी। इसलिये सरकार ने सोच समझकर यह निर्णय लिया है कि ऐसी स्थिति आने पर पूरी शार्क प्रजाति को पकड़ने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा। परंतु बाद में कुछ आदानों को प्राप्त करने और कुछ मछुआरों की समस्याओं को समझने के बाद ऐसा किया गया था। उग्र होने वाले मछुवारे गरीब थे। यह कार्य उन धनी लोगों के इशारे पर किया गया था जिनके पास यंत्रीकृत नावें और जहाज हैं। लेकिन जो भी हो हमने खुले दिमाग से यह निर्णय लिया है कि शार्क प्रजाति पर विशेष प्रतिबन्ध मात्र 10 तक है और मोलस्कीय प्रजातियों पर 24 तक है। यह कार्य कानून और न्याय मंत्रालय के परामर्श से किया जायेगा और इसकी घोषणा शीघ्र ही कर दी जायेगी।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने यह प्रतिबन्ध पर्याप्त लोगों से सलाह किये बिना ही लगा दिया है। माननीय मंत्री जी आपने यह बात स्वयं कही है। मैं आपका इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां तक मछली पकड़ने का संबंध है, शार्क पर प्रतिबन्ध नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे वर्ग हैं जो भारत से इस व्यापार को समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि हम भी इस क्षेत्र में काफी अधिक प्रतिस्पर्धी हैं। दूसरे मैं माननीय मंत्री को यह बताना चाहती हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष प्रकार की मछली पकड़ने पर रोक लगी है और इस प्रकार की मछली सुदूर पूर्वी क्षेत्र में पकड़ी जाती है जहां पंखों को उनकी कीमत के कारण काट लिया जाता है। अपनी कीमत के कारण पंख को 'ब्लैक गोल्ड' कहा जाता है। वे पंख काटकर शार्क को वापस समुद्र में फैंक देते हैं। इस कार्य पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है क्योंकि इससे वे तैर नहीं पाती, डूब जाती हैं और बड़ी मछलियां उन्हें खा जाती हैं।

इसलिये, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगी कि वह कौन सा मूलभूत कारण है जिससे कि वे इस प्रकार के दबाव के आगे झुक गए जबकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह व्यापार अभी–भी चल रहा है। इस पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रों में मछली पकड़ने का कार्य चल रहा है। केवल एक विशेष प्रकार की मछली पकड़ने पर प्रतिबन्ध लगा है। आपने सभी प्रकार

की शार्क मछलियों के पकड़ने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। मैं तत्कालीन माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाये गए प्रतिबन्ध से भी आगे बढ़कर प्रतिबन्ध क्यों लगाये गये और भारत को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मछली पकड़ने वाली लॉबी से भी आगे ले जाया गया।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि न तो मैं, न माननीय प्रधानमंत्री और न ही सरकार गरीबों के मामलों के अतिरिक्त अन्य किसी मामले में कभी झुकी है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैंने 'इन्टरनेशनल यूनियन फार दी कनजरवेशन आफ नेचर' से मार्गदर्शन लिया है। मुझे आईयूसीएन से मार्ग–निर्देशन मिला है। साथ ही केन्द्रीय समुद्री मत्स्य उद्योग अनुसंधान (सीएमएफआरआई) ने भी अपने विशेष बैठक में स्पष्टतः कहा है कि उनके पास प्रजाति विशेष से संबंधित कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, मेरा प्रश्न यह था, क्या इस पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

श्री टी. आर. बालू : मैंने यह पहले ही बता दिया है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : क्या इस पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ? इस पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, शार्क प्रजाति 30 वर्षों बाद ही परिपक्व होती है। आपको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने पूछा है क्या प्रतिबन्ध अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा लगाया गया है।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, सरकार ने समझदारीपूर्वक निर्णय लिया है। मुझ पर दबाव नहीं डाला जा सकता। ...*(व्यवधान)* मुझे किसी पूर्वोदाहरण को देखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आईयूसीएन से मार्ग–निर्देशन लिया है। ....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, माननीय मंत्री महोदय उत्तर से बचना चाहते हैं और इस मुद्दे को उलझाना चाहते हैं ....*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : महोदय, इस मुद्दे पर निर्णय पर केवल आईयूसीएन के मूल्यांकन के आधार पर लिया गया है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, केवल भारतीय मछुआरों को ही हानि क्यों उठानी पड़े ? क्या इस पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

श्री टी. आर. बालू : महोदय, ऐसा गरीब मछुआरों के हित में किया गया था। हमारे पास कोई दूसरा स्रोत नहीं है। ....*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, कोई अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबन्ध नहीं है। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न सं. 182 पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, माननीय मंत्री उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं ? ... *(व्यवधान)* हाल ही में केन्द्रीय कक्ष में आयोजित सम्मेलन में हमने यह निर्णय लिया है कि सभी विशिष्ट मुद्दों का उत्तर मंत्रियों द्वारा दिया जाएगा। इस मुद्दे पर माननीय मंत्री ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। महोदय, आपको माननीय महिला सदस्यों को भी संरक्षण प्रदान करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, आपको हमारी बात भी सुननी चाहिए। माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। .... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, केन्द्रीय कक्ष में हमने निर्णय लिया था कि सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्री देंगे। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी आप बार–बार प्रश्न काल में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं प्रश्न काल में व्यवधान नहीं डाल रहा हूं ...*(व्यवधान)*। महोदय, मुझे उत्तर जानने का अधिकार है ....*(व्यवधान)* महोदय, यदि आप हमारी बातों को नहीं सुनते तो फिर प्रश्न पूछने से क्या फायदा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मंत्री जी को उचित उत्तर देना चाहिए ....*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : महोदय, मंत्री जी से एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया है ....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हम सिर्फ प्रश्न करते हैं और उनका उत्तर नहीं पाते.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, मैंने अगले प्रश्न को ले लिया है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मंत्री जी को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार होकर आना चाहिए.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, अब मैंने अगले प्रश्न को ले लिया है।

(व्यवधान)

कपास का आयात

*182 **श्री पी. एस. गढ़वी** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों और खरीद एजेंसियों के पास कपास का भंडार इकट्ठा होता जा रहा है जबकि कपास के मुक्त आयात की अनुमति दी जा रही है;

(ख) क्या कपास के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में 1.76 डालर प्रति किलोग्राम से 0.75 डालर प्रति किलोग्राम की गिरावट आने के फलस्वरूप आयात में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है जिसका प्रभाव भारतीय किसानों पर पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय किसानों को इस विनाशकारी स्थिति से बचाने के लिए किए जा रहे/किए जाने के लिए प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों का क्या ब्यौरा है ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं। किसानों के पास स्टॉक संग्रहित होने के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं है। यहां तक कि अधिप्राप्ति एजेंसियों आदि के पास उपलब्ध स्टॉक जो कि 1999-2000 में 40.50 लाख गांठें था, 2000-2001 में घटकर 30.90 लाख गांठें रह गया है। प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्यों पर अपेक्षित मानकों के कच्चे माल की अधिप्राप्ति के लिए घरेलू कपड़ा उद्योग को मदद करने के लिए कपास के आयात को मुक्त बना दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। कपास का आयात वर्ष 1999-2000 में 22.01 लाख गांठों से घटकर वर्ष 2000-2001 में 16.00 लाख गांठ हो गया है।

(ग) कपास उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार कपास (कपास बीज) का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। जब कभी कपास के बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर पर आ जाते हैं, भारतीय कपास निगम लि. समर्थन मूल्य संबंधी क्रियाकलाप करता है और सभी कपास उत्पादक राज्यों में (महाराष्ट्र को छोड़कर, जहां राज्य सरकार की कच्चा कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति स्कीम चल रही है।) बिना किसी मात्रात्मक सीमा के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की अधिप्राप्ति करता है। समर्थन मूल्य संबंधी क्रियाकलाप के कारण भारतीय कपास निगम को होने वाली हानि की, यदि कोई हो, प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है।

मैं उत्तर के भाग (ख) में संशोधन करना चाहता हूं। उत्तर के भाग (ख) में हमने आंकड़ों को अद्यतन किया है। उत्तर में बताया गया है कि वर्ष 2000-2001 में कपास की 16.00 लाख गांठों का आयात किया गया। अब हमारे पास सितम्बर माह के अंत तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। कपास का आयात बढ़कर 29 लाख गांठ हो गया है और यह करीब-करीब पिछले साल के आयात के बराबर है।

श्री पी. एस. गढ़वी : महोदय, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और अन्य कई राज्यों के कपास उत्पादक किसानों के लिए कपास व्हाइट गोल्ड के रूप में जाना जाता था, परन्तु वही अब प्रचुर पैदावार, अत्यंत कम आयात शुल्क पर आयात करने की स्वतंत्रता और विश्व स्तर पर कपास की कीमतों में आयी कमी उनके लिए विनाशकारी साबित हो रही है।

महोदय, क्षुब्ध किसान कपास भण्डार और सार्वजनिक सम्पत्तियों में आग लगा रहे हैं, रास्ता रोको आंदोलन कर रहे हैं तथा उनमें से कई एक आत्महत्या कर रहे हैं।

महोदय, कपास सलाहकार बोर्ड ने अनुमान लगाया है कि इस वर्ष कपास का उत्पादन पिछले वर्ष के 140 लाख गांठ की तुलना में लगभग 156 लाख गांठ होने की संभावना है। पिछले साल कपास का पूर्वावशिष्ट भण्डार 36 लाख गांठें था, इस वर्ष यह 50 लाख गांठ है तथा इस वर्ष कपास का आयात 25 लाख गांठ होने की संभावना है।

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि इस वर्ष के ठीक प्रारम्भ में कपास की कीमत 1700 रुपए प्रति क्विन्टल थी जो 1800 रुपए प्रति क्विन्टल समर्थन मूल्य से काफी कम है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कपास उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या :

(क) सरकार, चीन की तरह, कपास उत्पादक किसानों को उनके खेत से निर्यात स्थल तक कपास ढुलाई का खर्च देने पर विचार करेगी;

(ख) सरकार कपास उत्पादक किसानों को निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के माध्यम से अनुदान मुहैया कराने हेतु विचार करेगी, जैसा कि कई अन्य देशों में किया जा रहा है;

अध्यक्ष महोदय : श्री गढ़वी, प्रश्न काल के दौरान आप अपने नोट से नहीं पढ़ सकते। आपको अनुपूरक प्रश्न पूछना है।

श्री पी. एस. गढवी : महोदय, मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या सरकार एक कृषि उत्पाद होने के कारण कपास पर भी एक समान निश्चित शुल्क लगाने पर विचार करेगी जो मूंगफली तेल, नारियल तेल और गेहूं के मामले में 100 प्रतिशत निर्धारित है। यहां तक कि चीनी और चावल पर भी क्रमशः 60 प्रतिशत और 80 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया गया है। कपास पर पांच प्रतिशत शुल्क रखने के पीछे क्या तर्क है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा है। आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है ?

श्री पी. एस. गढ़वी : महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कपास उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या :

(ग) सरकार, चीन की तरह, कपास उत्पादक किसानों को उनके खेत से निर्यात स्थल तक कपास ढुलाई का खर्च देने पर विचार करेगी; और

(घ) सरकार कपास उत्पादक किसानों को निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के माध्यम से अनुदान मुहैया कराने हेतु विचार करेगी जैसा कि कई अन्य देशों में किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपको पूरी बात फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

मंत्री महोदय, क्या आप कपास उत्पादक किसानों को ढुलाई खर्च देने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री अजित सिंह : महोदय, जहां कहीं भी कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हुई हैं, भारतीय कपास निगम (कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया) ने कपास की खरीद की है। वर्तमान में, भारतीय कपास निगम आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में कपास की खरीद कर रहा है।

महोदय, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में ही इस बात का उल्लेख किया है कि कपास की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 1.76 डालर प्रति कि. ग्रा. से घटकर 0.75 डालर प्रति कि. ग्रा. हो गयी हैं। मैं नहीं समझता हूं कि ढुलाई खर्च में राजसहायता देकर हम अपने निर्यात कि बढ़ाने में सफल होंगे। सरकार इस बात पर विचार करेगी कि वह विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप कितनी निर्यात राजसहायता दे सकती है। वस्त्र मंत्रालय भी इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या इस मामले में शुल्क बढ़ाकर किसानों की मदद की जा सकती है। लेकिन, जैसा कि मैंने कहा, कपास का आयात इस वर्ष भी पिछले वर्ष के आयात के बराबर ही रहा है। पिछले साल की तुलना में इसमें वृद्धि नहीं हुई है।

श्री पी. एस. गढवी : क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि भारतीय कपास निगम के पास करीब पांच लाख गांठों का भण्डार है। अतः भा. क. नि. कपास की कीमत समर्थन मूल्य से कम होने के बावजूद गुजरात से पर्याप्त कपास की खरीद नहीं कर रहा है।

श्री अजित सिंह : मेरे पास जो सरकारी आंकड़े हैं, उनके अनुसार समर्थन मूल्य योजना के तहत करीब बीस हजार कपास की गांठें खरीदी जा चुकी हैं। खरीद की कोई मात्रात्मक सीमा नहीं है। भा. क. नि. बिक्री के लिए कपास की जो भी मात्रा होगी, उसकी खरीद करेगा। इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं है। खरीद शुरू की जा चुकी है और यह जारी रहेगी। यदि माननीय सदस्य के पास ऐसा कोई विशिष्ट मामला है या कोई समस्या है तो वे हमारे पास कभी भी आ सकते हैं।

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो कुछ भी सूचनाएं उनके पास उपलब्ध हैं उन्हीं के आधार पर प्रश्न का उत्तर दिया है। किन्तु वस्तुस्थिति कुछ और हैं और वही सच है। आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तथा देश के दूसरे भागों में भी कपास उत्पादन किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं पा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान कपास का कितना आयात किया गया तथा किन कारणों से बाद में यह बढ़कर 25 लाख गांठ हो गया। यह सिर्फ कपास का आयात है जिसके कारण भारत में कपास उत्पादक किसान अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य नहीं पा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें अनुरोध किया गया था कि कपास पर सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाए ताकि कपास उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके, वस्तुस्थिति यह है। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, मंत्री महोदय ने अभी जवाब दिया है कि सरकार आयात में वृद्धि नहीं करने जा रही है।

श्री के. येरननायडू : यहां तक कि पहले भी कपास की 25 लाख गांठों का आयात नहीं किया जा रहा था। पहले हम सिर्फ चार लाख गांठों का ही आयात कर रहे थे। मंत्री जी के पास वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के आंकड़े हैं। यही सच्चाई है। आंध्र प्रदेश में भी कपास उत्पादक किसान लाभकारी मूल्य नहीं पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे पूछ रहे हैं कि क्या आयात में कोई बढ़ोत्तरी हुई है।

श्री अजित सिंह : इस वर्ष सितंबर तक, जैसा कि मैंने बताया, करीब 22 लाख गांठ का आयात हुआ है। पिछले साल भी करीब 22 लाख गाठों का ही आयात हुआ था।

श्री के. येरननायडू : हमें पिछले सालों जैसे 1997-98 और 1998-99 के दौरान हुए आयात की मात्रा का विश्लेषण करना होगा। इन वर्षों के दौरान हमने कपास की सिर्फ चार लाख गांठों का आयात किया। यही कारण था कि उन वर्षों के दौरान किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। इस वर्ष, हमने 25 लाख गांठों का आयात किया। पिछले वर्ष हमने 21 लाख गांठों का आयात किया था। यही कारण है कि कपास उत्पादक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। संस्थाओं के पास इसके भण्डार बढ़ रहे हैं। यह वास्तविकता है। अन्यथा, सरकार आंध्र प्रदेश में कुछ अधिकारियों को भेज सकती है।

श्री अजित सिंह : अध्यक्ष महोदय, कपास उत्पादक किसान समस्या से जूझ रहे हैं क्योंकि कपड़ा मिलों की हालत खराब है। आयात पिछले सालों के बराबर ही रहा है। सूत व सूती वस्त्रों की अच्छी मांग नहीं है। इसलिए मिलें किसानों से कपास नहीं खरीद रही हैं। यही कारण है कि भा. क. नि. ने खरीद शुरू की है। कपास की जो भी मात्रा हो उसकी खरीद की जाएगी। जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में बताया कि सरकार आयात शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रही है बशर्ते कि इससे आयात में कमी हो। हम परिस्थिति के प्रति जागरूक हैं। हमें पता है कि कपास उत्पादक किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका संबंध सरकार द्वारा नीति बनाने तथा उसके अनुपालन से है। इसमें दो बातें सन्निहित हैं। कपास का विदेशों से आयात किया जा रहा है। दूसरे देशों में किसानों को दी जाने वाली राजसहायता काफी अधिक है। इसकी वजह से दूसरे देशों में कपास की कीमत काफी कम हैं।

इसलिए, बाहर से आने वाली कपास ही भारत में उद्योगों द्वारा किसानों से कपास न खरीदे जाने के लिए वास्तविक रूप से जिम्मेदार है। इसलिए, भारत सरकार को डब्ल्यू. टी. ओ. समझौते को इस प्रकार इस्तेमाल करने का निर्णय करना है कि अन्य देशों द्वारा कपास पर दी जाने वाली 10 प्रतिशत से अधिक की राजसहायता को कम करके 10 प्रतिशत किया जा सके।

यदि ऐसा नहीं किया गया तो हम पूर्व सरकार पर डब्ल्यू. टी. ओ. समझौते के संबंध में यह इल्जाम नहीं लगा सकते कि, "क्योंकि डब्ल्यू. टी. ओ. समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, इसलिए हम इसमें अधिक सहायता नहीं कर सकते। डब्ल्यू. समझौते में यह प्रावधान है कि कृषि उत्पादन पर राजसहायता को 10 प्रतिशत से भी कम करना है। हमें इस संबंध में कदम उठाने हैं।

दूसरी बात जो इस देश में यह सुनिश्चित करने के लिए लागू करनी है कि किसानों को दी जाने वाली राजसहायता इस प्रकार बढ़ाई जाए कि किसानों द्वारा उगाई गई कपास की खपत देश के कपड़ा उद्योगों में ही हो।

यदि सही नीति नहीं अपनाई जाएगी तो कृषकों द्वारा उत्पादित कपास प्रभावित होगी, उद्योग प्रभावित होंगे और उपभोक्ता भी प्रभावित होंगे। यदि ये कदम नहीं उठाए गये तो हम अन्य देशों या किसानों पर दोषारोपण नहीं कर सकते।

इसलिए, मैं भारत सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार डब्ल्यू. टी. ओ. समझौते के अनुरूप अन्य देशों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादों से संबंधित खरीद नीति पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाएगी और क्या सरकार किसानों की सहायता इस प्रकार करेगी कि वे अपना कृषि उत्पादन जारी रखे और साथ ही भविष्य में उपभोक्ता भी प्रभावित न हों।

श्री अजित सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डब्ल्यू. टी. ओ. और कृषि पर दी जाने वाली राजसहायता पर चर्चा करना चाहते हैं। ....*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, वे सरकार की ओर से उत्तर दे रहे हैं ....*(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : मैं इसका उत्तर दूंगा। ....*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : डब्ल्यूटीओ का संबंध उनके मंत्रालय से भी है ....*(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : माननीय, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कृषि पर राजसहायता और डब्ल्यूटीओ समझौते के संबंध में प्रश्न उठाए हैं। वे अपने बचाव में कह रहे हैं कि वे नहीं चाहते हैं कि उन्हें डब्ल्यूटीओ पर हस्ताक्षर करने के लिए दोषी ठहराया जाए। मैं उन पर कोई दोषारोपण नहीं करूंगा हालांकि उन्होंने अपने सत्ताकाल में

डब्ल्यूटीओ पर हस्ताक्षर किए। यह आज का मामला नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : क्या आपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं. ....*(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : महोदय, दोहा सम्मेलन में, विकसित देशों द्वारा दी जा रही राजसहायता समेत ये सभी प्रश्न उठाए गये थे। वहां इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गये थे कि इन पर विचार किया जाएगा।

वहां निर्यात पर राजसहायता और घरेलू राजसहायता से संबंधित प्रश्न भी उठाए गये थे और हम डब्ल्यूटीओ में इस बाबत बचनबद्धता हासिल करने में कामयाब रहे ....*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : आप इसमें सफल नहीं हुए हैं ....*(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : महोदय, जहां तक कपास का संबंध है, सरकार जानती है कि किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण भारत कपास निगम इस मामले में आगे आई है।

जैसा कि मैंने कहा है कि मात्रा संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं है, हम किसानों द्वारा दी जाने वाली पूरी कपास खरीदेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपकी नीति क्या है ?

श्री अजित सिंह : नीति यह है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। यदि बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से भाव गिर जाता है तो भारत कपास निगम कपास खरीदती है।

जहां तक महाराष्ट्र राज्य का संबंध है – माननीय सदस्य वहीं के हैं उनका अपना एकाधिकार खरीद समझौता है। उस समझौते के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ही कपास खरीदेगी। उनका तय मूल्य भारत कपास निगम द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक है.... *(व्यवधान)*

महाराष्ट्र के किसानों को समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार इस एकाधिकार योजना के तहत कपास नहीं खरीद रही है।

अध्यक्ष महोदय : अब, डा. सुशील कुमार इन्दौरा बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : महोदय, यह मामला बहुत महत्त्वपूर्ण है ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. सुशील कुमार इन्दौरा के अनुपूरक प्रश्न को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री माने, मैंने डा. इन्दौरा को बोलने के लिए बुलाया है। कृपया अब अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवाजी माने : महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है और आप हमें प्रश्न तक नहीं पूछने दे रहे हैं। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माने जी, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्य भी अपने अनुपूरक प्रश्न पूछने का इंतजार कर रहे हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, मेरे राज्य के किसानों से संबंधित उत्तर नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां का किसान कपास का उत्पादन काफी मात्रा में करता है। मंत्री जी ने स्वयं माना है कि कपड़ा उद्योग के लिए बाहर से कॉटन मंगाई जाती है। लेकिन आज के हालात में मेरे अपने हैलके राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का जो एडजैसेंट इलाका है, वहां अमेरिकन सुंडी की वजह से किसानों की कपास की फसल बर्बाद हो गई है। उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा है, इससे किसान काफी हतोस्ताहित है और भविष्य में कपास के बदले कुछ और फसल उगाने के बारे में वह सोच रहा है। इस बारे में हरियाणा के मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी से वहां के किसानों की सहायता के लिए 102 करोड़ रुपए की मांग की थी। एक तरफ तो हम कॉटन का आयात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे किसान जो कॉटन उगाकर देश का भला करना चाहते हैं, देश के भंडार भरना चाहते हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस अमरीकन सुंडी की वजह से जो फसल का नुकसान होता है, इस मामले में मंत्री जी क्या कदम उठाएंगे और किसान की सहायतार्थ 102 करोड़ रुपये की प्रधान मंत्री जी से

* कार्यवाही– वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गाया।

जो सहायता हरियाणा ने मांगी है और प्रधान मंत्री जी स्वयं बैठे हैं, इस मामले में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के सारे सांसद माननीय प्रधान मंत्री जी से मिलने के इच्छुक भी हैं और वे उन्हें इस समस्या को बताना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बारे में क्या कदम उठाएंगे ?

/अनुवाद/

श्री अजित सिंह : महोदय, माननीय सदस्य यह सच कह रहे हैं कि इस वर्ष पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास की फसल काफी हद तक बर्बाद हो गई है।

/हिन्दी/

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : मैंने सवाल हिन्दी में पूछा था। आप हिन्दी में उत्तर देंगे तो अच्छा होगा।....*(व्यवधान)*

/अनुवाद/

.अध्यक्ष महोदय : हिन्दी भाषान्तरण भी साथ–साथ हो रहा है।

/हिन्दी/

श्री अजित सिंह : अमरीकन सुंडी की वजह से फसल काफी हद तक बर्बाद हो गई और इस तरह की समस्याओं से किसानों को बचाने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम सरकार की है जिसे बीस स्टेट्स ने अपने राज्यों में लागू कर रखा है लेकिन हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ने इस स्कीम को अपनी स्टेट्स में लागू नहीं किया है। अगर ये स्टेट्स भी लागू कर लेते हैं तो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अनुसार कॉटन किसानों को जो मुआवजा देने का प्रावधान है,. ..*(व्यवधान)*

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : क्या सहायता दे दी गई है ? .. .*(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर जहां फसल बर्बाद होती है, उसमें सरकार सहायता देती है। इन तीनों स्टेट्स ने क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम अपने यहां लागू नहीं की है, फिर भी माननीय सदस्य ने कहा है कि उन्होंने प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, मेरा विश्वास है कि किसानों की मदद के लिए सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। माननीय प्रधान मंत्री जी स्वयं इस पर विचार करेंगे।

/अनुवाद/

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 183–श्री अजय सिंह चौटाला।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : महोदय, यह मामला किसानों से संबंधित है। कृपया इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : यह चर्चा चार दिन पहले हुई थी। उसका क्या हुआ ? दो दिन चर्चा हुई है। दो दिन चर्चा होने के बाद नतीजा क्या निकला ?...*(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : जब मंत्री जवाब देते हैं तो आप भाषण देकर चले गये थे। आठ घंटे की बहस हुई थी। नतीजा कहां से निकलना था ?

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं एक मीटिंग में चला गया था लेकिन आपने क्या जवाब दिया ? आप अभी क्या जवाब दे रहे हैं? आप हमें धमकाइए मत।...*(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : चार घंटे किसानों की समस्या पर बहस हुई है लेकिन कॉटन और जिस भी समस्या पर आप बहस कराना चाहते हैं तो सरकार इसके लिए तैयार है।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : बहस तो हो चुकी लेकिन नतीजा क्या निकला ?...*(व्यवधान)* अमरीका के समर्थक बन गये हैं।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्न संख्या 183— श्री अजय सिंह चौटाला।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, यह मामला हमारे देश के किसानों से संबंधित है। यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण मामला है। हम इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आप कृपा करके इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से पूछ रहा हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री माने, बहुत हो गया। अब कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, माननीय सदस्य इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा की मांग कर रहे हैं। क्या आप इससे सहमत हैं?

श्री अजित सिंह : निश्चित रूप से, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद

*183. **श्री अजय सिंह चौटाला** :

श्री रामदास रूपला गावीत :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के बीच चल रहे नदी जल विवादों के समाधान के लिए कोई बैठक बुलाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) उक्त विवादों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

केन्द्र सरकार ने अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, के उपबंधों के अंतर्गत गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा के जल संबंधी विवाद का निर्णय करने के लिए अधिकरणों का गठन किया है। इन जल विवाद अधिकरणों ने अपने निर्णय पहले ही दे दिए हैं।

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के बीच रावी और व्यास जल विवाद तथा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के बीच कावेरी जल विवाद को क्रमशः अप्रैल, 1986 और जून, 1990 में अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम – 1956 के उपबन्धों के अंतर्गत इन अधिकरणों को भेजा गया था। रावी और व्यास अधिकरण ने अपनी पहली रिपोर्ट जनवरी, 1987 में प्रस्तुत की है। केन्द्र सरकार और पक्षकार राज्यों ने आई॰ एस॰ डब्ल्यू॰ डी॰ अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के तहत अधिकरण से स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन मांगा है। कावेरी जल विवाद अधिकरण ने 25 जून, 1991 को एक अंतरिम आदेश पारित किया है। इस समय कावेरी जल विवाद के अधिनिर्णय के लिए कावेरी जल विवाद अधिकरण नियमित सुनवाइयां कर रहा है। किसी भी राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य विवाद केन्द्र सरकार को नहीं भेजा गया है।

कावेरी जल विवाद प्राधिकरण के अंतरिम आदेश के कार्यान्वयन की मानीटरी करने के लिए कावेरी नदी प्राधिकरण की तीन बैठकें तथा कावेरी मानीटरिंग समिति की नौ बैठकें की गईं।

यद्यपि इन राज्यों से संबंधित जल संबंधी विवादों पर विचार–विमर्श करने के लिए 2 फरवरी 2000, 11 सितम्बर 2000 तथा 27 जून, 2001 को पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें आयोजित करने के प्रयास किए गए। तथापि, ये बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं।

अंतर्राज्यीय जल विवादों का शीघ्र निर्णय करने के लिए अन्य बातों के साथ–साथ अधिकरणों का गठन तथा उनका निर्णय देने के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हुए मार्च, 2001 में लोक सभा में अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2001 प्रस्तुत किया गया था। यह संशोधन विधेयक अगस्त, 2001 को लोक सभा में पारित हो गया है तथा अब यह राज्य सभा में विचारार्थ है।

[हिन्दी]

श्री अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, जल विवाद कई प्रदेशों के सामने लम्बित है और जहां बाढ़ से बहुत नुकसान होता है, वहीं बहुत सारे इलाके सूखे से भी प्रभावित हैं। अन्तर्राज्यीय जल विवाद के निपटारे के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि इसके लिए क्या केन्द्रीय जल नीति बनाकर जहां एक तरफ बाढ़ की समस्या है, वहां सूखे की समस्या के निपटारे के लिए सरकार किस तरह का समाधान करने जा रही है जिससे इस समस्या का कोई स्थायी निपटारा हो सके ? जल विवाद के मामले में समय–समय पर जहां प्रदेशों के आपसी भाईचारे को खराब करने का काम होता है, वहीं किसान का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।

[अनुवाद]

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : यह एक प्रकार से बहुत बड़ा प्रश्न है और मैं इसकी प्रशंसा करती हूं। माननीय सदस्य ने एक ही प्रश्न में कई प्रश्न पूछे हैं। निःसंदेह जल हमारे जीवन का आधार है और यही जीविका है। हम जानते हैं कि देश में अनेक जल–विवाद चल रहे हैं और इसका कारण यह है कि नदियां अंतर्राज्यीय हैं। ऊपरी नदी तटीय राज्यों निचले नदी तटीय राज्यों के मध्य विवाद है।

जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, मैं यह बताना चाहती हूं कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान राज्यों से संबंधित विभिन्न जल विवादों को सुलझाने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। शायद, माननीय सदस्य इसके बारे में बेहतर

जानते हैं। वर्तमान समस्या के संबंध में मैं यह बताना चाहती हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर 9 जुलाई 2001 को सुनवाई करते हुए कहा था कि जल संसाधन मंत्रालय पंजाब और हरियाणा के मध्य आपसी समझौता न्यायालय के आदेश से चार हफ्तों के भीतर करने का प्रयत्न करेगा। जल–संसाधन मंत्रालय ने इसके लिए सारे प्रयास किए परन्तु उसे अभी तक सफलता नहीं मिली है। इसलिए आपसी समझौते के लिए सभी संबंधित राज्यों का सहयोग चाहिए। जब हम आपसी समझौते का अभी भी प्रयत्न कर रहे हैं तो हम न्यायालय के आदेश की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

उनके प्रश्न के दूसरे भाग, जो राष्ट्रीय नीति से संबंधित है के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि राष्ट्रीय नीति मार्गनिर्देश बनाए जा रहे हैं। यह बाढ़–नियंत्रण जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है – और देश में पड़ने वाला सूखा समेत जल प्रबंधन का विषय है।

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : सरकार एसवाईएल कब तक पूरा करेगी ?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठकर कैसे बात करेंगे ? आपका कोई नियम नहीं है। आप सीनियर मेम्बर हैं और पार्टी के लीडर भी हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : राष्ट्रीय जल बोर्ड की आठवीं बैठक में राष्ट्रीय नीति मार्गनिर्देशों के प्रारूप पर भी चर्चा हुई थी। यदि मैं विस्तृत उत्तर दूं तो, यह उत्तर लंबा हो जाएगा और इसलिए मैं चाहती हूं कि यदि वे चाहें तो मैं माननीय सदस्य को इसका उत्तर लिखित में देना चाहूंगी। परन्तु मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि हम राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसमें, बाढ़, सूखा और हरियाणा तथा देश के अन्य राज्यों के जल से संबंधित मामलों को विभिन्न राज्यों की सहमति से शामिल किया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, विभिन्न नदी जल विवादों के संदर्भ में अभी जैसा माननीय मंत्री महोदया जी ने उत्तर देते हुए कहा कि निकट भविष्य में सरकार राष्ट्रीय जल नीति का निर्धारण करने जा रही है तो सरकार जल को राष्ट्रीय सम्पदा मानकर राष्ट्रीय जल नीति का निर्धारण कब तक कर देगी ? इस संदर्भ में पिछला विधेयक लोक सभा में तो पास हो गया था और राज्य सभा में शायद अभी तक लम्बित है तो वह कब तक पास हो जाएगा और दूसरा सप्लीमेंट्री है कि राजस्थान में घोर अकाल पड़ता है, पानी का संकट रहता है और राजस्थान की नहर जो मरूगंगा कहलाती है, पंजाब से पानी कभी छोड़ा जाता है और कभी नहीं छोड़ा जाता है। एक तरफ तो पानी पाकिस्तान बहकर चला जाता है और दूसरी तरफ हरियाणा, राजस्थान प्यासे रहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आश्वासन लेना चाहूंगा कि क्या फसल के सीजन में जल संकट के रहते हुए भी राजस्थान को पर्याप्त जल उपलब्ध होता रहेगा ?

[अनुवाद]

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के संबंध में मैं यह कहना चाहती हूं कि 31 दिसम्बर, 1981 को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के बीच हुए समझौते के तहत हम रावी–व्यास जल की अधिकता होने पर राजस्थान को उसका हिस्सा देते हैं। यह हिस्सा करीब 8.6 मिलियन एकड़ फीट है। तथापि इस समझौते में यह भी कहा गया है कि यह करार राजस्थान की ऐसी स्थिति रहने तक रहेगा। इस प्रकार यह राज्यों के सद्भाव और परस्पर विश्वास पर निर्भर करता है... *(व्यवधान)*

इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि जल, राज्य का विषय है। मैं तो यह कहूंगी कि :

[हिन्दी]

"चिंगारी अगर भड़के, तो पानी आग बुझाए,

अगर पानी में आग लगाए, तो कौन बुझाए ?"

[अनुवाद]

तो, यदि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्री एक साथ बैठकर किसी समझौते पर पहुंचते हैं जो हम तक पहुंचता है तो हम उनकी सभी समस्याओं का हल करने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत : मैं केन्द्रीय सरकार से जानना चाहता हूं, रिपोर्ट 1987 में आ गई थी, लेकिन अब तक उसका क्या परिणाम निकला ?

[अनुवाद]

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, मैं यह कहना चाहूंगी कि रावी–व्यास

जल न्यायाधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की देखते हुए हाल ही में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच जल संबंधी मुद्दों का परस्पर बातचीत करके समाधान करने के प्रयास किए गए थे। विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने के प्रयास भी किए गए थे। हालांकि कई कारणों के चलते यह बैठक नहीं हो पाई। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बारे में जानते हैं।

नहरों के संबंध में, मैं यह कहना चाहूंगी कि यह पूरी तरह से राज्य का विषय है। मैं आशा करती हूं कि राजस्थान सरकार प्राथमिकता के आधार पर एक प्रस्ताव भेजेगी और हम इस मुद्दे पर अवश्य गौर करेंगे।

श्री सुरेश कुरूप : केरल और तमिलनाडु के बीच मुल्ला पेरियार बांध एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। इस संबंधित नदी अर्थात पेरियार नदी और इसके जल पर पूरी तरह से केरल राज्य का अधिकार है। मैं यह गर्वपूर्वक कहता हूं कि ब्रिटिश राज के दौरान भी और स्वतंत्रता के पश्चात् भी केरल ने इस मुद्दे को संकीर्णतापूर्वक तरीके से नहीं लिया। हमने सीमा पार के किसानों की दशा का भी ध्यान रखा है। हमने बांध को भी ध्यान में रखा है और हमारे इस कथन की पुष्टि समझौते करेंगे। अब समस्या यह है कि तमिलनाडु सरकार बांध में जल का स्तर बढ़ाना चाहती है। केरल सरकार इसका हमेशा विरोध करती आई है क्योंकि यह बांध बहुत पुराना है और हाल ही में इस क्षेत्र में भूकम्प भी आये हैं। केन्द्र सरकार ने बिना केरल राज्य से परामर्श लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर डाला जिसकी रिपोर्ट केरल सरकार ने खारिज कर दी है। रिपोर्टों में यह पढ़कर केरल की जनता में बहुत आक्रोश है, कि बांध वाले क्षेत्र में कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। इससे केन्द्र सरकार के उपेक्षापूर्ण व्यवहार का पता चलता है। इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार का व्यवहार बहुत कठोर है। कुछ मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़े हैं....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है ?

श्री सुरेश कुरूप : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस मुद्दे का समाधान ढूंढ निकालने के लिए संबंधित राज्यों का कोई सम्मेलन बुलाएगी या नहीं। यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामला है क्योंकि बांध का स्तर बढ़ने पर उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : महोदय, मुल्ला पेरियार बांध की स्थिति की मुझे जानकारी है और मैं इससे भी सहमत हूं कि पेरियार नदी पूरी तरह से केरल राज्य की ही है किंतु यह पूरा मामला न्यायालय के विचाराधीन है....*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, मैं चाहता हूं कि इस मामले में प्रधान मंत्री महोदय हस्तक्षेप करें....*(व्यवधान)* मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार सम्मेलन बुलाने का है या नहीं। ये मुद्दे न्यायालयों में निपटने वाले नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या भारत सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए संबंधित राज्यों का कोई सम्मेलन बुलाएगी या नहीं।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : बातचीत के माध्यम से हुए निपटारों के लिए हमारे हृदय सदा खुले रहे हैं। इस देश में बातचीत के माध्यम से अब तक जल विवादों के 130 निपटारे हो चुके हैं। मुल्ला पेरियार बांध के मामले में भी, यदि केरल व तमिलनाडु दोनों राज्य सहमत हो, हालांकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है, तो भी हम बातचीत के जरिए इसका हल निकालने को तैयार हैं।.... *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : यदि बांध की ऊंचाई बढ़ायी गयी तो इससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के उत्तर को छोड़कर कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें न कि सदस्य को। ऐसा करने से आप इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूं कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। निर्देशानुसार हम इसके समाधान का हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। केन्द्रीय जल आयोग ने इस बांध की मजबूती के लिए आपातकालीन, मध्यम और दीर्घकालीन उपाय नामक तीन उपायों का सुझाव दिया है। जब तक बांध की मजबूती का कार्य नहीं हो जाता तब तक केन्द्रीय जल आयोग ने बांध में जल स्तर 136 फीट रखने की सलाह दी है। केरल सरकार को बांध की मजबूती संबंधी उपाय किए जाने के बाद भी, उसकी सुरक्षा के प्रति कुछ आशंकाएं हैं और वह बांध में जल का स्तर 136 फीट से अधिक बढ़ाने लिए सहमत नहीं है।

मैं आशा करती हूं कि बातचीत और परस्पर विश्वास से इस समस्या का हल हो जाएगा और दोनों राज्य पेरियार नदी के जल का उपयोग कर सकेंगे।

श्री सिमरनजीत सिंह मान : मैं सभा का ध्यान इस ओर

* कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गाया।

दिलाना चाहता हूं कि पंजाब राज्य का जल मनमाने तरीके से हरियाणा और राजस्थान को दिया जा रहा है। यह विधि या संविधान के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस ठीक है या फिर पंजाब राज्य का जल राजस्थान और हरियाणा को विधि या सविधान के अनुसार ही दिया जाएगा। मेरा यही विनम्र निवेदन है। मैं भारत सरकार से उत्तर चाहता हूं।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : मेरे ख्याल से माननीय सदस्य रावी–व्यास जल के वितरण के बारे में बोल रहे हैं। जैसा कि गाननीय सदस्य जानते हैं कि यह मामला पहले ही न्यायालय के विचाराधीन है। माननीय सदस्य को मैं यह सूचित करना चाहूंगी कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू–कश्मीर राज्यों के बीच बातचीत के माध्यम से हुए समझौते के तहत पंजाब का हिस्सा है 4.22 मिलियन एकड़ फीट, हरियाणा का 3.15 मिलियन एकड़ फीट और राजस्थान 8.60 मिलियन एकड़ फीट नियत किया गया है। दिल्ली और जम्मू–कश्मीर का भी अपना–अपना हिस्सा है। समस्या सतलुज–यमुना लिंक (एस.एल.वाई.) नहर को लेकर है। मैं मामले के विस्तार में नहीं जाना चाहती। जहां तक मैं जानती हूं, हरियाणा का हिस्सा पूरा हो गया है। पंजाब का हिस्सा अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं आशा करती हूं कि दोनों राज्यों के बीच यह विवाद बातचीत के जरिए हल हो जाएगा ताकि हम जल को समुद्र में जाने देने के बजाए उसका उपयोग करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि जल एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। यह सच नहीं है कि हम पंजाब का पूरा जल दूसरे राज्यों को दे रहे हैं। पंजाब को अपना हिस्सा मिलता है। मेरे पास सभी आंकड़े हैं जो मैंने अभी उद्घृत किए हैं। मेरे ख्याल से मैंने माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई सभी शंकाओं का संतोषजनक रूप से उत्तर दे दिया है....*(व्यवधान)*

श्री सिमरनजीत सिंह मान : जल–वितरण संविधान के अनुरूप नहीं है। जब हम लोग उत्तेजित होते हैं तो भारत सरकार हमसे संविधान और विधि की बात करती है। इसलिए मैं सरकार से यह पूछता हूं कि क्या जल का वितरण विधि और संविधान और नदी तटीय सिद्धातों के अनुरूप किया जाएगा या इसे मनमाने तरीके से हरियाणा और राजस्थान को दे दिया जाएगा। मेरा यही प्रश्न है।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि भारत राज्यों का एक संघ है। जल वितरण से संबंधित दायित्व का संवैधानिक उपबंध, संविधान की सत्रहवीं प्रविष्टि में है। यह प्रविष्टि संघ सूची की प्रविष्टि 56 के उपबंध के अध्यधीन है। किन्तु चूंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। इसलिए, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहती। इसलिए मेरा सदस्यों से यही आग्रह है कि वे इसका कोई समाधान खोजें ताकि हम बातचीत के ज़रिए इन सभी मुद्दो को हल कर सकें। सरकार का भी यही संकल्प है।

श्री सिमरनजीत सिंह मान : हम इनका समाधान विधि और संविधान के अनुसार चाहते हैं।

श्री पी. डी. एलानगोवन : माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक सरकार, कावेरी जल न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अंतरिम पंचाट का कभी–कभी ही पालन करती है जिसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु के किसानों को कुरूवई फसल के मौसम में यानि जून से सितम्बर माह तक पूरी मात्रा में पानी नहीं मिल पाता। मैं यह जानना चाहूंगा कि कावेरी नदी जब न्यायाधिकरण के अंतरिम पंचाट का पालन न करने के लिए कर्नाटक सरकार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आप माननीय सदस्य को लिखित उत्तर भेज सकती हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर सुरक्षा संबंधी चूकें

***184. श्री चन्द्र भूषण सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाक 03 अक्तूबर, 2001 के दि हिन्दू में इन्ट्रूडर क्लाईम्ब्स, फ्लाइट लैडर शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी और गत तीन माह के दौरान अन्य विमानपत्तनों पर सुरक्षा संबंधी गंभीर चूकों की अन्य घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा संबंधी चूकों के लिए अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि भविष्य में ऐसी चूकों की पुनरावृत्ति न हो ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 2.10.2001 को सुबह 8 बजे चेन्नई हवाई अड्डे के ऐरोब्रिज पर भारतीय विमानपत्तन के ऐरोब्रिज ऑपरेटर ने

आंध्र प्रदेश के एक 28 वर्षीय गुंटूर निवासी को सऊदी एयरलाइस से रियाद की ओर जाने वाली उड़ान पर अनधिकृत रूप से चढ़ने की कोशिश करते हुए पकड़ा। इस व्यक्ति को मीनाम्बकम के हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया जहां उस घुसपैठिए के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड) की धारा 448 के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे रिमांड पर भेज दिया गया। इसकी जांच चल रही है।

पिछले 3 महीनों के दौरान सुरक्षा में बहुत ज्यादा लापरवाही की ऐसी 5 और घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें से चार घटनाओं में मुम्बई हवाई अड्डे पर जेट एयरवेज की, बाद की जांच के दौरान यात्रियों के सामान से एम्यूनेशन मिलने से संबंधित है। एक अन्य घटना, मुम्बई हवाई अड्डे पर दिनांक 28-09-2001 को घटी, जिसमें सुरक्षा स्टाफ द्वारा एक ऐसे अनधिकृत आदमी को पकड़ा गया जो जेट एयरवेज के एक हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सीढ़ी पर चढ़ रहा था।

(ग) और (घ) चेन्नई हवाई अड्डे पर, हवाई अड्डे की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी दिनांक 18.11.2001 तक राज्य पुलिस की थी। तमिलनाडु राज्य पुलिस के प्रधिकारियों से, सुरक्षा में लापरवाही की घटनाओं की जांच करने और इसके लिए जिम्मेदार सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार के जवाब का इंतजार किया जा रहा है । यहां यह बताना भी उपयुक्त है कि यूनिफाइड कमांड, बेहतर तालमेल, सुरक्षा निदेशों के पूरी तरह से पालन और पर्याप्त मात्रा में हथियार एवं एम्यूनेशन उपलब्ध करवाकर हवाई अड्डों पर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए हवाई अड्डों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात करने के रूप में दिनांक 18.11.2001 से हवाई अड्डों की सुरक्षा, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंप दी गई है।

मुम्बई हवाई अड्डे की चार घटनाओं के संबंध में मुम्बई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज किए गए हैं। चूंकि जहाज में चढ़ने से पहले की सुरक्षा जांच और एक्सेस कंट्रोल की जिम्मेवारी मुम्बई हवाई अड्डे पर तैनात राज्य पुलिस की होती है, इसलिए मामले की जांच करने और इस घटना के लिए जिम्मेदार सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाही करने के लिए राज्य पुलिस के प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है।

(ङ) ऐसी घटनाएं दोबारा न हों इसके लिए अन्य बातों के साथ–साथ नीचे दिए गए कदम उठाए गए हैं :

(i) सभी प्रचालन (ऑपरेशनल) हवाई अड्डों पर समयबद्ध तरीके से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सी.आई.एस.एफ. की तैनाती करना।

(ii) चौबीस घंटे क्षेत्र के आसपास गहन पेट्रोलिंग द्वारा निगरानी करना।

(iii) हवाई अड्डे में जाने के लिए कड़े प्रतिबंध।

(iv) हवाई अड्डों पर सभी एजेंसियों को सुरक्षा आवश्यकताओं के प्रति जागरूक (सेन्सिटाइज) बनाना।

पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग

*185. **श्री एच. जी. रामुलू :**

श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर कर्नाटक में, पशुओं और अन्य जानवरों में तेजी से खुरपका और मुंहपका रोग फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उक्त रोग के नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा विशेषकर कर्नाटक द्वारा उक्त रोग के नियंत्रण हेतु कितनी राशि मांगी गई और राज्य–वार अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त रोग के नियंत्रण और उन्मूलन हेतु ओर अधिक संख्या में अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) खुरपका और मुंहपका रोग कर्नाटक सहित भारत में स्थानिक है और यह पूरे वर्ष होता रहता है। रोग के फैलने की स्थिति में केन्द्रीय दल के विशेषज्ञों को भेजा जाता है और रोग नियंत्रण के लिए टीकाकरण सहित आवश्यक निरोधक उपायों को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है। सीमा पार से संक्रमण के संभावित प्रवेश को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य सीमा पर सतर्कता बढ़ा देते हैं।

खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार समाज के कमजोर वर्ग के उच्च उत्पादकता वाले स्वदेशी विदेशी और वर्ण संकरित गोपशुओं, के टीकाकरण के लिए 50:50 के आधार पर अनुदान सहायता प्रदान करती है। टीके की लागत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और लाभार्थी के बीच 25:25:50 के आधार पर वहन की जाती है।

(ग) खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण संबंधी योजना के तहत विभिन्न राज्य सरकारों ने वर्ष 2001-2002 के दौरान 407.71 लाख रुपए जारी करने का अनुरोध किया है जिसमें से 203.52 लाख रुपए की राशि अब तक जारी कर दी गई है। कर्नाटक सरकार को 2001-2002 में उनके 50 लाख रुपए के प्रस्ताव की तुलना में 40.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। वर्ष 2001-2002 के दौरान अब तक जारी की गई राशि और प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) इस समय देश में बंगलौर में एक क्षेत्रीय केन्द्र सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के खुरपका और मुंहपका रोग संबंधी परियोजना निदेशालय के तहत 21 केन्द्र हैं। दसवीं योजना के दौरान, रोग नियंत्रण के लिए और अधिक अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान "खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम" के तहत जारी की गई धनराशि और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्ताव

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	प्राप्त प्रस्ताव	जारी की गई धनराशि (15.11.01 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6.00	4.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.00	1.40
3.	असम	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	प्राप्त नहीं हुआ	0.00
6.	गोवा	2.50	2.00
7.	गुजरात	4.79	0.00
8.	हरियाणा	5.50	5.50
9.	हिमाचल प्रदेश	9.00	7.20
10.	जम्मू एवं कश्मीर	प्राप्त नहीं हुआ	0.00
11.	झारखंड	प्राप्त नहीं हुआ	0.00
12.	कर्नाटक	50.00	40.00
13.	केरल	3.00	2.50
14.	मध्य प्रदेश	7.91	7.91
15.	महाराष्ट्र	18.86	14.86
16.	मणिपुर	3.66	3.00
17.	मेघालय	4.00	3.00
18.	मिजोरम	14.65	10.00

1	2	3	4
19.	नागालैंड	प्राप्त नहीं हुआ	0.00
20.	उड़ीसा	प्राप्त नहीं हुआ	0.00
21.	पंजाब	23.96	6.00
22.	राजस्थान	0.85	0.85
23.	सिक्किम	प्राप्त नहीं हुआ	0.00
24.	तमिलनाडु	20.00	0.00
25.	त्रिपुरा	30.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	150.00	50.00
27.	उत्तरांचल	6.00	4.00
28.	पश्चिम बंगाल	30.00	30.00
	कुल राज्य	392.68	192.22
1.	अंड. एवं निको. द्वीप समूह	5.00	4.50
2.	चण्डीगढ़	0.80	0.80
3.	दादरा एवं नगर हवेली	प्राप्त नहीं हुआ	0.00
4.	दमन एवं दीव	प्राप्त नहीं हुआ	0.00
5.	दिल्ली	8.93	6.00
6.	लक्षद्वीप	प्राप्त नहीं हुआ	0.00
7.	पांडिचेरी	0.00	0.00
	कुल संघ शासित प्रदेश	14.73	11.30
	सकल योग	407.71	203.52

खाद्य सुरक्षा हेतु भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू. एन. डी. पी.) समझौता

*186. **श्री रामशेठ ठाकुर :**

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू. एन. डी. पी.) ने खाद्य सुरक्षा हेतु कार्यक्रम के वित्त पोषण के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समझौते के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके अंतर्गत सरकार द्वारा आरंभ किए गए विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 13.00 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि के लिए 13 फरवरी, 1998 को भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बीच "खाद्य सुरक्षा हेतु समर्थन कार्यक्रम" संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत–संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित सात उप–कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं :

क्रम. सं.	उप कार्यक्रम का नाम	कुल लागत*	क्रियान्वयन एजेंसी
1	2	3	4
1.	जनजातीय उड़ीसा में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संसाधन प्रबंध एवं सतत आजीविका का सुदृढ़ीकरण	1,975,385 अमेरिकी डालर (8.55 करोड़ रु.)	उड़ीसा राज्य सरकार, कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान भुवनेश्वर, उड़ीसा के माध्यम से।
1. (ख)	उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित जिलों को अतिरिक्त सहायता	3,45,265 अमेरिकी डालर (1.49 करोड़ रु.)	— तदैव —
2.	खाद्य सुरक्षा हेतु महिला किसानों को शक्ति प्रदान करना, उत्तर प्रदेश	1,626,542 अमेरिकी डालर (7.04 करोड़ रु.)	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, राजकीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, रहमान खेड़ा, लखनऊ, उ. प्र. के माध्यम से।
3.	महिला संघ द्वारा सतत वारानी खेती, आन्ध्र प्रदेश	3,130,373 अमेरिकी डालर (13.42 करोड़ रु.)	आ. प्र. राज्य सरकार, राजकीय कृषि प्रबंध एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद (समेटी) आन्ध्र प्रदेश के माध्यम से।
4.	भारत में बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए संकर चावल प्रौद्योगिकी विकास	2,550,000 अमेरिकी डालर (10.85 करोड़ रु.)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद के माध्यम से।
5.	खाद्य सुरक्षा हेतु आधारित फसल प्रणाली	8,14,000 अमेरिकी डालर (3.43 करोड़ रु.)	कृषि एवं सहकारिता विभाग, तिलहन, दलहन और मक्का प्रौद्योगिकी मिशन के माध्यम से।
6.	खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को प्रबंध समर्थन	73,000 अमेरिकी डालर (0.34 करोड़ रु.)	कृषि एवं सहकारिता विभाग, विस्तार निदेशालय के माध्यम से।

* रुपये में दिए गए आंकड़े हस्ताक्षर के समय प्रचलित विनिमय दर के आधार पर दिए गए हैं।

बाल श्रम का उन्मूलन

*187. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल श्रम का तेजी से उन्मूलन करने हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है तथा सरकार का बाल श्रम का किस प्रकार उन्मूलन करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) भारत सरकार कार्य से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए "राष्ट्रीय बल श्रम परियोजनाएं" और "स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान" नामक दो योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। अब तक, बाल श्रम की बहुलता वाले 13 राज्यों के 100 जिलों में कार्य से हटाए गए 2.11 लाख बच्चों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत प्रमुख कार्यकलाप, कार्य से हटाए गए बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, स्वास्थ्य देखरेख, छात्रवृत्ति इत्यादि के माध्यम से विशेष स्कूल/केन्द्र चलाना है। सहायता अनुदान योजना के

अंतर्गत, कार्य से हटाए गए बच्चों के लाभ के लिए कार्योन्मुख परियोजनाएं आरंभ करने के लिए संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर स्वयंसेवी संगठनों को निधियां जारी की जाती हैं। इस समय 50 से अधिक परियोजनाएं चल रही हैं।

बाल श्रम एक जटिल सामाजिक–आर्थिक समस्या है, जिसके उन्मूलन के लिए दीर्घकाल तक निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। इस समस्या की प्रकृति और व्यापकता को देखते हुए, बाल श्रम के पूरी तरह उन्मूलन के लिए, जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बच्चों से शुरुआत करते हुए एक क्रमिक और सतत दृष्टिकोण अपनाया गया है।

नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी

***188. श्री आर. एल. जालप्पा :**

क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) हिन्दालको की मूल्य वृद्धि नीति का अनुसरण कर रही है और मूल्यों में लगभग साथ–साथ और बार–बार वृद्धि कर रही है और इस प्रकार एक उत्पादक संघ बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) घरेलू लागत कम होने के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य न रखकर 'हिन्दालको' के बराबर ऊंचे मूल्य रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) उत्पादक संघ बनाने की प्रवृति को और ऐसी पद्धति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला और खान मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (घ) घरेलू बाजार में एल्यूमीनियम धातु की बिक्री के लिए नालको की अपनी मूल्य–निर्धारण, डिस्काउंट और क्रेडिट की नीति है। कम्पनी न तो हिन्डालको की मूल्य–निर्धारण नीति का अनुसरण करती है और न ही यह हिन्डालको के साथ किसी उत्पादक–संघ में सम्मिलित है।

एल्यूमिनियम धातु आयात/निर्यात के लिए खुले सामान्य लाइसेंस (ओ. जी. एल.) वर्ग में है, इसलिए नालको की मूल्य–निर्धारण नीति को लंदन धातु विनिमय (एल. एम. ई.) में धातु की कीमत, आयातित धातु की उतराई लागत (लैंडिड कॉस्ट) तथा घरेलू बाजार में मांग/आपूर्ति की स्थिति सहित कई कारकों को ध्यान में रखना पड़ता है। एल्यूमीनियम क्षेत्र विनियंत्रित है और धातु का मुक्त रूप से व्यापार किया जा सकता है। चूंकि कीमतों का निर्धारण बाजार करता है इसलिए नालको द्वारा ऊंचे विक्रय मूल्य रखे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयला खानों के लिए विनियामक प्राधिकरण का गठन

***189. श्री नवल किशोर राय :**

श्री जोरा सिंह मान :

क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कोयला खनन हेतु एक विनियामक प्राधिकरण गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) प्रस्तावित प्राधिकरण को दी जाने वाली शक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संसाधनों की कमी के कारण कोयला क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो इस क्षेत्र द्वारा आकर्षित किए जाने वाले विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या देश में कोयले की मांग और पूर्ति के बीच भारी अंतर है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस अंतर को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) सरकार के कोयला खनन क्षेत्र को निजी क्षेत्र के निवेश हेतु खोलने के निर्णय के संदर्भ में 1997 में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय कंपनियों को देश में कोयला तथा लिग्नाइट के अन्वेषण और नए कोयला तथा लिग्नाइट ब्लाकों के आबंटन हेतु प्रस्तावों का कार्यान्वयन तथा प्रबोधन के कार्यों को करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय गठित किया जा सकता है। निर्णय पर वर्तमान सरकार द्वारा विचार किया जाना होगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) हमारे पास कोयला क्षेत्र में होने वाले संभावित विदेशी निवेश के कोई अनुमान नहीं है।

(च) और (छ) मांग तथा आपूर्ति के मध्य अंतर वर्ष 2000-01 के अंत में 30.06 मिलियन टन (मि. ट.), वर्ष 2006-07 के अंत में 53.56 मि. ट. तथा वर्ष 2011-12 के अंत में 260.30 मि. ट. परिकलित किया गया है।

(ज) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 को भारतीय कंपनियों को गृहीत खनन के वर्तमान प्रतिबंध के बिना देश में कोयला तथा लिग्नाइट के खनन की अनुमति देने और कोयला तथा लिग्नाइट के अन्वेषण में लगाने हेतु संसद में पेश किया गया था।

कपास का मूल्य

*190. **श्री नंदकुमार सिंह चौहान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास के मूल्यों में गिरावट के कारण कपास उत्पादकों को भारी नुकसान हो रहा है; और

(ख) कपास के मूल्यों में वृद्धि करने और कपास उत्पादकों को वित्तीय हानि से बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2001-2002 मौसम में कपास के स्वदेशी मूल्यों में कमी का रुख दिखाई दिया है।

(ख) किसानों के हित की रक्षा के लिए, सरकार कपास की विभिन्न किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है और यदि मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर पर आ जाए तो भारतीय कपास निगम मूल्य समर्थन संबंधी कार्य करता है। गिरते हुए मूल्यों के परिणामस्वरूप, भारतीय कपास निगम ने खरीद कार्य शुरू कर दिए हैं और 23.11.2001 की स्थितिनुसार मूल्य समर्थन कार्यों के अंतर्गत कपास की 18735 गांठों की खरीद पहले ही कर ली है। खरीद कार्य जारी है। इस हस्तक्षेप से कपास के बाजार मूल्यों के स्थिर होने में मदद मिलने की संभावना है।

कोयले की रायल्टी से होने वाली आय

*191. **श्री रामानन्द सिंह** : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सहित प्रत्येक कोयला उत्पादक राज्य से कोयले की रायल्टी से कितनी आय अर्जित हो रही है;

(ख) प्रत्येक राज्य को रायल्टी की कितनी धनराशि दी जाती है; और

(ग) कोयला उत्पादक क्षेत्र के विकास और पर्यावरण संरक्षण हेतु राज्यों को कुल रायल्टी में से कितने प्रतिशत धनराशि दी जाती है ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) कोयले पर रायल्टी खनन पट्टेधारी द्वारा सीधे संबंधित राज्य सरकार को देय होती है।

(ख) कोल इंडिया लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को अदा की गई रायल्टी की राशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रु. में)

कोयला उत्पादक राज्य	1998-99	1999-00	2000-01 (अनंतिम)
1	2	3	4
बिहार	607.59	591.28	392.79
झारखंड*			194.24
उड़ीसा	227.40	226.58	253.95
महाराष्ट्र	184.62	183.13	220.79
मध्य प्रदेश	671.58	688.10	574.95
छत्तीसगढ़*			139.07
उत्तर प्रदेश	86.78	108.30	131.48
असम	11.75	13.27	7.80
आंध्र प्रदेश	200.16	223.07	227.34
पश्चिम बंगाल	9.53	10.26	10.17
कुल रायल्टी	1999.41	2043.99	1958.24

* झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन वर्ष 2000-2001 में हुआ था।

(ग) राज्य सरकारों को अदा की गई रायल्टी राज्य की समेकित निधि में जाती है। राज्य की समेकित निधि से व्यय राज्य विधान सभा के अनुमोदन से किया जाता है। राज्य सरकार रायल्टी के किसी भाग को कोयला उत्पादक क्षेत्रों के विकास पर या पर्यावरण के संरक्षण पर उपयोग करने के लिए बाध्य नहीं है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादनों का पाटन

*192. **श्री अम्बरीश** :

श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों द्वारा कृषि उत्पादों का बड़े पैमाने पर किए जा रहे पाटन के कारण देश के किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कृषि उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के किसानों के संरक्षण के लिए इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) एण्टी डम्पिंग और संबंध शुल्क महानिदेशालय ने अभी तक कृषि उत्पादों के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन कोई एण्टी–डम्पिंग अन्वेषण शुरू नहीं किया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के किसानों पर कृषि उत्पादों के बड़ी मात्रा में आने अथवा आयात में वृद्धि द्वारा कोई बुरा असर न पड़े, सरकार ने संवेदनशील मदों के आयात को मानिटर करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित कर दिया है। इसके अतिरिक्त सरकार विश्व व्यापार संगठन अनुकूली विभिन्न उपाय करके स्वदेशी उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण देने के लिए वचनबद्ध है। इन उपायों में सीमित स्तरों पर व्यावहारिक टैरिफ के भीतर उचित अंशाकन, एण्टी–डम्पिंग, समतुल्य शुल्क लगाना तथा सुरक्षात्मक कार्रवाई करना सम्मिलित है।

[हिन्दी]

देश में वनरोपण

***193. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**

श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश में वनरोपण के लिए राज्य–वार निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य पृथक–पृथक कितने हैं;

(ख) उक्त योजनावधि के दौरान राज्यवार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई और कितनी व्यय की गई; और

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें, जिनके अंतर्गत वनीकरण गतिविधियां आरम्भ की गई हैं, निम्नानुसार हैं :

(i) एकीकृत वनीकरण एवं पारि–विकास परियोजना स्कीम (आई.ए.ई.पी.एस.)

(ii) क्षेत्रोन्मुख ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम (ए.ओ.एफ.एफ.पी.)

(iii) औषधीय पादपों सहित गैर–इमारती लकड़ी वनोत्पाद का संरक्षण और विकास स्कीम (एन.टी.एफ.पी.)

(iv) भोगाधिकार हिस्सेदारी आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जातियों व ग्रामीण निर्धन लोगों की सहभागिता स्कीम (ए एस टी आर पी) कार्यक्रम के अंतर्गत हुई वित्तीय प्रगति व वास्तविक प्रगति का विवरण क्रमशः संलग्न विवरण–I और II में दिया गया है।

ए.एस.टी.आर.पी. के संबंध में 16.747 हैक्टेयर क्षेत्र के लक्ष्य की तुलना में 10639 हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।

उक्त स्कीमों के कार्य–निष्पादन की समीक्षा आवधिक आधार पर तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के जरिए की जाती है।

विवरण – I

वित्तीय–लाख रु. में

क्र सं	राज्य का नाम	एन टी एफ पी		आई ए ई पी एस		ए ओ एफ एफ पी		ए एस टी आर पी	
		स्वीकृत	जारी किया गया	स्वीकृत	जारी किया गया	स्वीकृत	जारी किया गया	स्वीकृत	जारी किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	567.43	370.38	642.08	539.71	695.87	593.74	123.96	47.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	106.81	45.00	214.12	200.01	40.12	25.02	85.40	30.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	241.22	136.50	369.78	224.75	858.31	355.53	0.00	0.00
4.	बिहार	188.58	88.00	282.12	190.80	737.98	275.52	151.61	66.95
5.	गोवा	63.76	63.28	0.00	0.00	37.93	24.18	0.00	0.00
6.	गुजरात	526.97	424.61	446.66	330.02	1036.94	811.80	99.45	61.80
7.	हरियाणा	149.34	148.34	343.35	330.82	1398.44	1340.30	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	142.53	99.81	230.18	169.11	744.62	537.32	0.00	0.00
9.	जम्मू व कश्मीर	772.08	569.25	1346.74	1148.97	797.81	162.64	98.51	75.24
10.	कर्नाटक	263.90	229.84	695.90	508.93	900.22	657.91	132.50	88.14
11.	केरल	132.07	72.95	1412.98	1166.73	467.66	368.34	0	0.00
12.	मध्य प्रदेश	712.41	405.80	1442.67	961.65	2772.60	1521.81	219.37	156.91
13.	महाराष्ट्र	432.43	214.17	967.79	398.60	378.41	296.66	142.13	63.03
14.	मणिपुर	261.06	237.55	1382.44	1178.86	975.23	404.27	89.21	60.69
15.	मेघालय	81.95	54.39	33.21	24.91	123.83	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	223.57	194.17	511.47	470.35	854.73	807.06	59.67	44.55
17.	नागालैंड	124.78	69.00	136.78	132.24	77.65	24.10	59.02	15.80
18.	उड़ीसा	517.04	399.16	2542.47	1145.26	565.47	395.00	0.00	9.00
19.	पंजाब	126.76	58.50	392.22	123.99	1204.13	190.12	0.00	0.00
20.	राजस्थान	555.25	444.62	1537.82	1304.88	970.01	755.14	112.32	72.97
21.	सिक्किम	401.05	401.05	671.09	598.52	346.66	292.23	64.43	0.00
22.	तमिलनाडु	117.68	87.75	278.59	102.57	595.97	483.21	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	77.88	60.71	341.59	252.85	314.51	217.49	48.73	21.80
24.	उत्तर प्रदेश	312.48	136.00	162.69	154.07	1062.55	854.06	0.00	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	275.86	231.91	587.23	433.48	894.61	792.93	0.00	21.61
26.	पांडिचेरी	0.00	0.00	41.62	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	324.86	229.13	0.00	0.00	40.00	0.00
28.	उत्तराचल	0.00	0.00	1535.96	1224.99	381.80	169.37	0.00	0.00
	योग	7374.89	5242.74	18874.41	13566.32	19234.06	12355.75	1526.31	837.44

विवरण - II

9 वीं पंचवर्षीय योजना (1997–98 से 2000–01) के दौरान वास्तविक प्रगति दर्शाने वाला विवरण

वास्तविक क्षेत्र–क्षेत्र हैक्टेयर में

क्र सं	राज्य का नाम	एन टी एफ पी		आई ए ई पी एस		ए ओ एफ एफ पी	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	9082	4653	9571	9233	15214	13071
2.	अरुणाचल प्रदेश	1820	490	2183	1860	1120	360
3.	असम	3595	1300	2750	2250	16800	10593
4.	विहार	3225	0	2700	1510	10609	2698
5.	गोवा	1160	520	0	0	500	465
6.	गुजरात	4795	1745	1840	1840	15365	13925
7.	हरियाणा	1250	705	2445	2445	13175	10606
8.	हिमाचल प्रदेश	1611	810	2460	1900	14015	11364
9.	जम्मू व कश्मीर	8275	4749	12122	10508	16110	4288
10.	कर्नाटक	2246	1539	5412	4858	15244	10444
11.	केरल	1440	274	11219	11309	4090	3203
12.	मध्य प्रदेश	8175	2836	13085	12013	61125	54341
13.	महाराष्ट्र	5975	1240	8350	3083	5474	4636
14.	मणिपुर	3660	940	9778	9808	14400	8270
15.	मेघालय	1400	400	250	250	3200	800
16.	मिजोरम	3300	1200	3400	3400	14000	14000
17.	नागालैंड	3247	405	1925	1925	2280	293
18.	उडीसा	9000	4725	25030	13125	16665	15926
19.	पंजाब	1075	595	2570	1170	16222	2912
20.	राजस्थान	5250	2700	9900	9150	13383	13000
21.	सिक्किम	4500	3000	6200	6000	5834	3858
22.	तमिलनाडु	1405	700	1500	100	14500	10500
23.	त्रिपुरा	1560	487	4385	3327	9461	7562

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	उत्तर प्रदेश	4270	1100	34	34	16879	14647
25.	पश्चिम बंगाल	2827	1452	4000	3168	14942	11942
26.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0
27.	छत्तीसगढ़	0	0	3105	2862	3057	975
28.	उत्तरांचल	0	0	11400	10744	8965	4600
	योग	94143	38565	157614	127872	342629	249279

ए एस टी आर पी रकीम के राज्यवार वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां इस समय उपलब्ध नहीं हैं। तथापि नौवीं योजना के दौरान 16,747 हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में 10639 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया।

चारा बैंकों के गठन हेतु सहायता

***194. श्री रामदास आठवले :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तिथि के अनुसार गुजरात सहित विभिन्न राज्यों को केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत पशुचारे और चरागाहों के विकास हेतु चारा बैंकों के गठन के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) ऐसी सहायता उपलब्ध कराने हेतु अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई;

(घ) क्या सरकार को कई राज्य सरकारों द्वारा उक्त धनराशि के कथित दुरुपयोग की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान केवल केरल, कर्नाटक, जम्मू एवं कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र तथा अरुणाचल प्रदेश राज्यों ने चारा बैंक स्थापित करने के लिए निधियों की मांग की है। उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता तथा लंबित बकाए से संबंधित सूचना नीचे दी गई है :

(लाख रुपए में)

राज्य	98-99	99-2000	2000-01	खर्च/लंबित धनराशि
1	2	3	4	5
केरल	38.85	–	–	–/38.85
कर्नाटक	21.00	–	10.50	21.0/10.50
जम्मू एवं कश्मीर	–	50.56	–	41.25/9.31
गुजरात	–	79.00	–	–/79.00
महाराष्ट्र	–	–	41.25	–/41.25
अरुणाचल प्रदेश	–	–	11.36	–/11.36

चारा बैंकों की स्थापना के लिए निधियों की निर्मुक्ति के लिए कोई और अनुरोध लंबित नहीं है।

यह सहायता राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों, उनकी व्यवहार्यता और राज्यों को जारी की गई निधियों के उपयोग के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है।

(घ) उक्त धनराशि के कथित दुरुपयोग के विषय में कोई जानकारी नहीं मिली है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बीड़ी कामगारों को ई एस आई सी की सुविधाएं

***195. श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बीड़ी कामगारों को ई एस आई सी की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या चिकित्सा प्रयोजनों के लिए ई एस आई सी सुविधाओं का अल्प उपयोग हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अन्तर्गत शामिल कारखाना परिसरों में काम कर रहे बीड़ी कर्मकारों को इस स्कीम के अन्तर्गत अनुमेय सभी लाभ प्राप्त होते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कुछ अस्पतालों का कम उपयोग हो रहा है। अस्पतालों का सर्वेक्षण/निरीक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और इनके इस्तेमाल से संबंधित रिपोर्ट वार्षिक रूप से दी जाती है। कुछ अस्पतालों में कम उपयोगिता का कारण विभिन्न उद्योगों/प्रतिष्ठानों के स्थानांतरित हो जाने अथवा उनकी बंदी के कारण कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कर्मकारों की संख्या में कमी होना है।

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर सुरक्षा-निगरानी

*196. **श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :**

श्री एन. टी. षणमुगम :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संभावित आतंकवादी हमलों को निष्फल करने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर स्वचालित हथियारों से सुसज्जित सुरक्षा निगरानी टावरों (सिक्योरिटी वॉच टावर) स्नाइपर टावरों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी;

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ङ) इससे विमानपत्तन प्राधिकारियों को सुरक्षा खतरों से निपटने में किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ङ) पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और अमृतसर पर और आठ, अंतर्देशीय हवाई अड्डों अर्थात् श्रीनगर, जम्मू, चण्डीगढ़, उदयपुर, कोयम्बटूर, बडोदरा, तिरूपति और सिल्चर पर पहले से ही सुरक्षा निगरानी टावर मौजूद हैं। इस समय और अधिक निगरानी टावर की व्यवस्था करने की योजना नहीं है। जहां तक स्नीपर टावरों पर स्वचालित हथियारों का संबंध है, इन्हें हवाई अड्डों के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया है।

पर्यटन उद्योग हेतु कार्यक्रम

*197. **श्री अधीर चौधरी :**

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटन उद्योग के सामने आ रही प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए एक सात सूत्रीय कार्यक्रम बनाने पर सक्रियता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) 11 सितम्बर, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों के बाद, पर्यटन की खराब स्थिति से निपटने के लिए पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक सात–सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया है। इस सात–सूत्रीय कार्यक्रम के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(i) अनावश्यक आतंकवादी न हों।

(ii) भारत का सुरक्षित तथा संरक्षित गंतव्य स्थल के रूप में प्रचार–प्रसार करना।

(iii) पश्चिमी तथा उत्तरी देशों में विपणन–प्रयास में तेजी लाना।

(iv) पूर्वी तथा दक्षिणी देशों विशेषकर चीन, कोरिया, जापान, ताइवान, सिंगापुर और आस्ट्रेलिया में नई शुरुआत करना।

(v) तीर्थ स्थलों से जुड़े पर्यटन के साथ–साथ घरेलू पर्यटन को विशेष बढ़ावा देना तथा इस संदर्भ में सृजित नई सुविधाओं एवं अवसंरचना का प्रयोग करना ताकि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का आधार सशक्त हो सके।

(vi) पर्यटन व्यवसाय तथा क्रियाकलाप में भारत की ख्याति प्रतिष्ठित करने के अनुकूल स्थितियों का निर्माण।

(vii) भारत में सुधारवादी आंदोलन शुरू करने में सहायता करना ताकि भारतीय कार्य संस्कृति में उत्कृष्टता लाई जा सके तथा भारत को अधिक सृजनात्मक एवं रचनात्मक बनाने के प्रति लोगों में जागरूकता और भौतिक, मानसिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि तथा विकास किया जा सके।

(ग) सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने और भारत में विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने की दिशा में उठाए गए कदमों में पर्यटक सुविधाओं का विकास और उनका सुधार, विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से विदेशों में प्रचार–प्रसार और विपणन प्रयास, मानव संसाधन विकास संस्थानों का सुदृढ़ीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग आदि शामिल हैं।

पर्यटन विभाग ने विश्वभर के देशों में इस बात के संकेत भेजने के प्रयास किए हैं कि भारत एक सुरक्षित गंतव्य स्थल है। दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों में पर्यटन विपणन को बल प्रदान कर पर्यटन विपणन का प्रयास तथा घरेलू पर्यटन को अधिक महत्त्व प्रदान किया जा रहा है।

[हिन्दी]

रोजगार के अवसरों का सृजन करने से संबंधित मोंटेक सिंह अहलूवालिया समिति

***198. श्री दिनेश चन्द्र यादव :**

डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन हेतु श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) क्या इसी प्रयोजनार्थ श्री एस. पी. गुप्ता की अध्यक्षता में भी एक और समिति है;

(ग) यदि हां, तो उसकी संरचना का ब्यौरा क्या है;

(घ) पहली समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद एक अन्य समिति गठित किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) अहलूवालिया समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई ?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां। श्री मोन्टेक सिंह अहलूवालिया सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में रोजगार अवसरों पर बने कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट उपाध्यक्ष योजना आयोग को 2 जुलाई 2001 को प्रस्तुत कर दी है।

(ख) से (घ) दसवीं योजना के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम सुझाने के लिए डा. एस. पी. गुप्ता सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा 10वीं योजनावधि के लिए प्रति वर्ष 10 मिलियन रोजगार के अवसरों के लक्ष्य पर एक विशेष समूह का गठन किया गया है। यह समूह डा. मोन्टेकसिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में गठित रोजगार अवसरों पर कार्यबल की रिपोर्ट सहित समस्त संगत अध्ययनों एवं सिफारिशों पर विचार करेगा। विशेष समूह का गठन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) कार्यबल की पूर्ण रिपोर्ट संसदीय पुस्तकालय (काल संख्या 331.1 आर/पी 1 तथा क्लास संख्या 331.1 आर) में रखी गई है। रिपोर्ट के अध्याय 8 में सिफारिशों का सार दिया गया है। कार्यबल द्वारा रोजगार सृजन पर संस्तुत्य नीति निम्न 5 प्रमुख क्षेत्रों में हस्तक्षेप पर आधारित है :

* विशेष रूप से श्रम बल के निम्न आय वर्गों में आय बढ़ाने की क्षमता रखने वाले क्षेत्रों के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में बढ़ोतरी सुनिश्चित करना।
* नए रोजगार सृजन के लिए प्रत्येक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में उपयुक्त नीतियों का अनुसरण करना। ये क्षेत्र स्तरीय नीतियां सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि करने के उद्देश्य के साथ व्यापक रूप से जुड़ी हुई होनी चाहिए।
* सामान्य विकास के संवर्धन की नीतियों से समुचित रूप से लाभान्वित न हो सकने वाले संवेदनशील समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए लक्षित विद्यमान गतिविधियों से आय सृजन में वृद्धि करने हेतु अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए विशेष कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।
* श्रम बल की गुणवत्ता को बढ़ाने वाली तथा उच्च कोटि के रोजगार सृजन में वृद्धि करने में सक्षम शिक्षा तथा कौशल विकास की उपयुक्त नीतियों का अनुसरण करना।
* श्रम बाजार को नियंत्रित करने वाली नीति एवं विधिक वातावरण, जोकि विशेष रूप से संगठित क्षेत्र में श्रम की खपत को प्रोत्साहित करते हैं, को सुनिश्चित करना।

रिपोर्ट परीक्षणाधीन हैं।

विवरण

"10वीं योजनावधि के लिए प्रति वर्ष 10 मिलियन रोजगार के अवसरों के लक्ष्य पर एक विशेष समूह" का गठन

1.	डा. एस. पी. गुप्ता, सदस्य (एल ई एम) व अध्यक्ष श्रम एवं रोजगार पर दसवीं योजना विषय निर्वाचन समिति के अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष (खादी ग्रामोद्योग)	सदस्य
3.	श्री आर. पी. सिन्हा, प्रधान सलाहकार (एल ई एम)	सदस्य
4.	सचिव (श्रम)	सदस्य
5.	सचिव (ग्रामीण विकास)	सदस्य
6.	सचिव (शहरी रोजगार व गरीबी उन्मूलन)	सदस्य
7.	सचिव (लघु उद्योग)	सदस्य
8.	सचिव (कृषि व ग्रामीण उद्योग)	सदस्य
9.	सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)	सदस्य
10.	महानिदेशक, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन	सदस्य
11.	सलाहकार (एल ई एम) योजना आयोग	सदस्य सचिव

[अनुवाद]

कृषि मजदूरों के लिए बीमा योजना

***199. श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कृषि मजदूरों के लिए एक बीमा योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के 50 जिलों के केवल 50 ब्लाकों में ही इस योजना के शुरू किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन ने इस योजना के कतिपय प्रावधानों पर आपत्ति की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 1974 के केरल पैटर्न के अनुरूप कृषि मजदूरों के लिए एक व्यापक बीमा योजना तैयार करने और उसे आरंभ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सरकार ने 1 जुलाई, 2001 से "कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना – 2001" शुरू की है जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में तीन वर्षों की अवधि में 10 लाख कृषि कर्मकारों के शामिल करने के लिए 50 चुने गए जिलों में से प्रत्येक के एक या दो ब्लॉक शामिल किए गए हैं। स्कीम का कार्यान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले लाभों में जीवन–सह–दुर्घटना बीमा, धन वापसी, पेंशन और अधिवर्षिता लाभ शामिल हैं। इस स्कीम में 18 से 50 वर्ष के आयुवर्ग के कृषि श्रमिक शामिल होने के पात्र हैं। कर्मकार 365/- रु. (1/- रु. प्रतिदिन) और सरकार 730/- रु. वार्षिक (2/- रु. प्रतिदिन) प्रति कर्मकार के हिसाब से अंशदान करेगी।

1999-2000 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 23.7 करोड़ कर्मकार कृषि और उससे जुड़े कार्यकलापों में लगे हुए हैं और इतने बड़े श्रमबल को एक बार में योजना के अंतर्गत शामिल करना संभव नहीं है। प्रथम चरण के दौरान स्कीम के निष्पादन और निधि की उपलब्धता के आधार पर योजना का विस्तार चरणबद्ध ढंग से अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) संबंधित विभागों के साथ विस्तार से विचार–विमर्श करके और केरल सहित अन्य राज्य सरकारों के अनुभवों को ध्यान में रखे जाने के पश्चात् इस योजना को लागू किया गया है।

फसल उत्पादन

***200. श्री चन्द्र विजय सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंग्लादेश में चलाए गए "नो पेस्ट" अभियान के कारण कीटनाशकों के प्रयोग में 76 प्रतिशत की कमी आई है और इसके फलस्वरूप फसल उत्पादन में ग्यारह प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कीटनाशकों के प्रयोग में कमी लाने और उत्पादन में वृद्धि करने हेतु समान नीति बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कौन सा वैकल्पिक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) सरकार को बंग्लादेश में "नो पेस्ट" (कोई कृमि नहीं) अभियान के बारे में

जानकारी नहीं है। वैसे, सरकार ने समग्र फसल उत्पादन कार्यक्रम में पौध संरक्षण के मूलभूत सिद्धान्त के रूप में पारिस्थितिकीय अनुकूल समेकित कृमि प्रबन्ध दृष्टिकोण अपनाया है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत परंपरागत, यांत्रिक, जैविक जैसी ज्ञात कृमि नियंत्रण विधियों तथा आवश्यकता पर आधारित रासायनिक कृमि नाशकों का न्यूनतम उपयोग करने की सलाह दी जाती है। क्षेत्रीय कर्मचारियों तथा किसानों को समेकित कृमि प्रबन्ध प्रशिक्षण देकर और समेकित कृमि प्रबंध प्रदर्शन आयोजित करके मानव संसाधन विकास पर जोर दिया जा रहा है तथा जैविक कृमि नाशियों एवं नीम पर आधारित पौध मूल की कृमिनाशी दवाओं के उपयोग पर जोर देते हुए जैविक नियंत्रण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

देश में कृमि नाशी दवाओं के उपयोग में कमी आई है जो 1994-95 के दौरान 61,357 मीटरी टन (तकनीकी ग्रेड) से कम होकर 2000-01 के दौरान 43,584 मीटरी टन रह गया है।

उत्पादन और उत्पादकता मौसम, मृदा, जल प्रबंध, बीजों, नई प्रौद्योगिकियों, कृमिनाशी दवाएं, किसानों द्वारा अपनाई गई विधियों आदि सहित आदान प्रबंध पर निर्भर करते हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति के अधीन उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। खाद्यान्नों की उपज में वृद्धि हुई है और ये 1994-95 में 1546 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर से बढ़कर 1999-2000 में 1697 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर हो गई तथा खाद्यान्न उत्पादन 1994-95 के 191.50 मिलियन मीटरी टन से बढ़कर 208.87 मिलियन मीटरी टन हो गया।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विद्यालयों को कम्प्यूटरों की आपूर्ति

2035. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संबंधित क्षेत्र के संसद सदस्य की सिफारिशों पर पांच विद्यालयों को एक–एक कम्प्यूटर प्रदान करने हेतु योजना के अंतर्गत अब तक राज्य–वार कितने विद्यालयों को कम्प्यूटर प्रदान किए गए हैं; और

(ख) शेष विद्यालयों को ऐसी सुविधा कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है ?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत केवल संबंधित सांसदों की अनुशंसाओं पर ही कार्यों को किया जा सकता है। योजना के अन्तर्गत संबंधित सांसद की अनुशंसाओं पर सरकारी तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं को कम्प्यूटर भी प्रदान किए जा सकते हैं। योजना के अंतर्गत अब तक जिन विद्यालयों को कम्प्यूटर प्रदान किए जा चुके हैं उनके नाम और पते के संबंध में ब्यौरे जिला स्तर पर उपलब्ध हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से इस्पात खरीदने वाली कंपनियां

2036. श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) से एच आर क्वायल्स और जी आई शीट्स खरीदने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(ख) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनका भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को बकाया राशि का निपटान किया जाना शेष है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) चूंकि सेल से अनेक ग्राहक सामग्री खरीदते हैं, अतः ग्राहकों का ब्यौरा देना कंपनी के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

सुपारी का मूल्य

2037. श्री विष्णु पद राय : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा सरकार ने हाल ही में एम.आई.एस. के अंतर्गत सुपारी के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने सुपारी के बिक्री मूल्य में कई बार वृद्धि की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा मूल्य में कमी लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार की एम.आई.एस. योजना के अंतर्गत 30 जुलाई, 2001 को सुपारी के मूल्यों को संशोधित किया गया था;

(च) यदि हां, तो क्या यह योजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लागू है;

(छ) क्या अंडमान निकोबार द्वीपसमूह ने एम.आई.एस. के अंतर्गत सुपारी संबंधी योजना को भारत सरकार के पास अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भेजा है; और

(ज) यदि हां, तो सुपारी की प्रति क्विंटल प्रस्तावित दर क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी नहीं, एम आई एस के अंतर्गत मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं न कि राज्य सरकार द्वारा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्पंज लौह संयंत्र

2038. श्री विकास चौधरी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने स्पंज लौह संयंत्र चालू हालत में हैं और उनके राज्य–वार नाम क्या हैं;

(ख) वर्ष 1994-95 और 2000-2001 के दौरान देश में स्पंज लौह का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या कुछ स्पंज लौह संयंत्र रुग्ण अथवा बंद हो रहे हैं क्योंकि घरेलू बाजार में उनके उत्पादों की बिक्री नहीं हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उन्हें चालू हालत में लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 32 स्पंज लोहा संयंत्र कार्यरत हैं। इन संयंत्रों का स्थान संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 1994-95 और 2000-2001 के दौरान देश में स्पंज लोहे का कुल उत्पादन निम्नानुसार है :

(हजार टन)

1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
3392.0	4441.6	5047.0	5325.0	5166.0	5328.4	5484.2

(ग) और (घ) विभिन्न कारणों जैसे वित्तीय अड़चनों, प्रतिकूल बाजार परिस्थिति, श्रम समस्याओं, तकनीकी समस्याओं आदि के कारण पांच स्पंज लोहा संयंत्रों के बंद होने की सूचना है।

(ङ) ये सभी बंद स्पंज लोहा संयंत्र निजी क्षेत्र में हैं इनका पुनरुद्धार करने की पहल उन्हें ही करनी है।

विवरण

चालू स्पंज लोहा इकाइयों की सूची

क्र.सं.	इकाई का नाम	स्थान	राज्य
1	2	3	4
1.	मैसर्स स्पंज आयरन इंडिया लि.	खम्मम	आंध्र प्रदेश
2.	मैसर्स बिहार स्पंज आयरन लि.	सिंहभूम	झारखण्ड
3.	मैसर्स आशीर्वाद स्टील एंड इंडस्ट्रीज लि.	जमशेदपुर	झारखण्ड
4.	मैसर्स बिस्को स्पंज आयरन प्रा. लि.	जमशेदपुर	झारखण्ड
5.	मैसर्स चांडील इंडस्ट्रीज लि.	सिंहभूम	झारखण्ड
6.	मैसर्स भा चित्रामस्तक स्पंज आयरन प्रा. लि.	हजारीबाग	झारखण्ड
7.	मैसर्स के वाई एस स्पंज आयरन प्रा. लि.	जमशेदपुर	झारखण्ड

1	2	3	4
8.	मैसर्स एस्सार स्टील लि.	हजीरा	गुजरात
9.	मैसस बल्लारी स्टील एंड एलायज लि.	बेल्लारी	कर्नाटक
10.	मैसर्स एच एफ जी लि.	दुर्ग	छतीसगढ़
11.	मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लि.	रायगढ़	छत्तीसगढ़
12.	मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	चंपा	छत्तीसगढ़
13.	मैसर्स रायपुर एलॉय एंड स्टील लि.	रायपुर	छत्तीसगढ़
14.	मैसर्स मोनेट इस्पात लि.	रायपुर	छत्तीसगढ़
15.	मैसर्स नोवा आयरन एंड स्टील लि.	विलासपुर	छत्तीसगढ़
16.	मैसर्स रायगढ़ इलैक्ट्रोड्स लि.	रायगढ़	छतीसगढ़
17.	मैसर्स सन फ्लैग आयरन एंड स्टील लि.	भंडारा	महाराष्ट्र
18.	मैसर्स विक्रम इस्पात	रायगढ़	महाराष्ट्र
19.	मैसर्स इस्पात इंडस्ट्रीज लि.	रायगढ़	महाराष्ट्र
20.	मैसर्स लॉयड मैटल्स एंड इंजीनियरिंग लि.	चंद्रपुर	महाराष्ट्र
21.	मैसर्स टाटा स्पंज आयरन लि.	क्योंझर	उड़ीसा
22.	मैसर्स उडीसा स्पंज आयरन लि.	क्योंझर	उड़ीसा
23.	मैसर्स रैक्सोन स्ट्रिप्स लि.	सुंदरगढ़	उड़ीसा
24.	मैसर्स श्री मेटालिक्स लि.	क्योंझर	उड़ीसा
25.	मैसर्स दीपक मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज लि.	क्योंझर	उड़ीसा
26.	मैसर्स स्कैन स्टील लि.	सुंदरगढ़	उड़ीसा
27.	मैसर्स सूर्या स्पंज आयरन लि.	जाजपुर	उड़ीसा
28.	मैसर्स स्कैन स्पंज आयरन लि.	सुंदरगढ़	उड़ीसा
29.	मैसर्स एम एस पी स्पंज आयरन लि.	हल्दियागुना	उड़ीसा
30.	मैसर्स कुसुम पावरमैट प्रा.लि.	क्योंझर	उड़ीसा
31.	मैसर्स जय बालाजी स्पंज इंडस्ट्रीज लि.	वर्धमान	प. बंगाल
32.	मैसर्स श्याम स्टील लि.	वर्धमान	प. बंगाल

भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण के कर्मचारियों की संख्या में कमी

2039. **श्रीमती मिनाती सेन :**

श्री सुबोध राय :

क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार भारतीय भू–गर्भ सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) में खनिज खोज, मानचित्रण और ड्रिलिंग से संबंधित कार्य को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में केवल भारतीय भू–गर्भ सर्वेक्षण ही आपदा प्रवण क्षेत्रों और खनिज भंडार का पता लगा सकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय भू–गर्भ सर्वेक्षण के कर्मचारियों की संख्या और इसकी गतिविधि के क्षेत्र को कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) वर्ष 1993 की राष्ट्रीय खनिज नीति में खनिजों के गवेषण एवं विदोहन, दोनों के लिए, खनिज क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित, निजी निवेश एवं अद्यतन प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को 1994 तथा 1999 में संशोधित किया गया जिसके परिणामस्वरूप, प्रक्रियाओं का सरलीकरण हुआ। व्यय सुधार आयोग ने भी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की भूमिका में बदलाव सिफारिश की है। भारत सरकार बदलते समय के साथ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का विचार कर रही है। तथापि, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कुछ उन खनिजों, जिनकी मालसूची कम है तथा जिनमें निजी क्षेत्र आगे नहीं आएगा, के मानचित्रण एवं गवेषण कार्य जारी रखेगा।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सीस्मोटैक्टोनिक, भूस्खलन, हिमनदों, ज्वालामुखी आदि के बारे में भूवैज्ञानिक मानचित्रण एवं अध्ययन करता है जिससे आपदा संभावी क्षेत्रों की पहचान में मदद मिलती है। भूविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जिओलाजी, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, अन्य केन्द्रीय एजेंसियां हैं जोकि सीमित स्तर पर ऐसे अध्ययन करती हैं।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण देश में, सभी प्रमुख खनिज निक्षेपों की खोज से जुड़ा हुआ है। तथापि, देश में, राज्यों के भूविज्ञान और खान विभाग, खनिज गवेषण निगम लि., राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, कोल इंडिया लि., हिन्दुस्तान जिंक लि. तथा अन्य एजेंसियां भी हैं जोकि खनिज गवेषण के कार्य में लगी हुई हैं।

(घ) और (ङ) व्यय सुधार आयोग ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से संबंधित अपनी सिफारिशों में, संगठन को छोटा करने (डाऊनसाइजिंग) तथा इसके चार्टर में संशोधन करने की सिफारिश की है। गठित की जाने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा उस पर विचार किया जाएगा तथा इसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, अनुवर्ती कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

कृषि उत्पाद की तस्करी

2040. श्री टी. गोविन्दन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पड़ोसी देशों से भारत में सुपारी, मसालों आदि की तस्करी के कारण घरेलू बाजार में ऐसे सभी कृषि उत्पादों की कीमतों में कमी आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उत्पादकों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय चीनी मिल सहकारी संघ

2041. श्री के. येरननायडू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय चीनी मिल सहकारी संघ ने केन्द्र सरकार से शीरा पर उत्पाद शुल्क कम करने और चीनी के लिए टाट के बोरे के बदले वैकल्पिक पैकिंग सामग्री की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। ऐसा एक अभ्यावेदन राष्ट्रीय चीनी मिल सहकारी संघ से सरकार को प्राप्त हुआ था। तथापि, सभी संबद्ध घटकों पर विचार करने के बाद, सरकार ने चीनी की अनिवार्य पैकेजिंग को 100% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है जिसमें यह प्रावधान है कि यदि पटसन पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति में कोई कमी हो जाती है, तो संबंधित उपयोगकर्ता मंत्रालय के परामर्श से वस्त्र मंत्रालय द्वारा 20% तक की छूट दी जाएगी।

शीरे पर उत्पाद शुल्क घटाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है।

कृषि सेवा केन्द्र

2042. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

श्री हरिभाई चौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर, उड़ीसा और गुजरात में स्थापित किसान कृषि सेवा केन्द्रों (ए.एस.सी.) का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन केन्द्रों के कार्यकलाप क्या है; और

(ग) अब तक किए गए इनके कार्य–निष्पादन का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सिंहभूम में नई खानों का खोला जाना

2043. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में नई खानों को खोलने हेतु सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) खान विभाग के अधीन एक अधीनस्थ संगठन, भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) ने खनिज संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में स्वर्ण, आधारधातु, निकिल और आयामी पत्थर के लिए प्रारंभिक खनिज सर्वेक्षण किए हैं। तथापि, इस विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, खनिज गवेषण निगम लि. (एम ई सी एल) ने भी झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले में तांबे और स्वर्ण के लिए विस्तृत गवेषण किया है।

खण्ड–वार निक्षेपों का अनुमान नीचे दिया गया है:

जिला	खनिज	खण्ड	निक्षेप (मिलियन टन)	ग्रेड
सिंहभूम	तांबा अयस्क	तुरामडिह बायानाबिल	3.61	0.92-1.49% तांबा
		सिंधेश्वर खण्ड–I और II	7.25	1.65-1.83% तांबा
		सुर्दा	20.73	1.20% तांबा
		पथारगोड़ा	9.65	1.51% तांबा
		धाडीकिडीह खण्ड–I और II	9.25	1.12% तांबा
	स्वर्ण अयस्क	कुंदारकोचा	0.01	13.11% स्वर्ण

[अनुवाद]

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) के मुख्यालय का छत्तीसगढ़ में स्थानांतरण

2044. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलासपुर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.ई.सी.एल.) के मुख्यालय का छत्तीसगढ़ में स्थानांतरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शहडोल में 42 कोयला खानें होने के कारण साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय वहां स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कोई स्वतंत्र कंपनी नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय

सीपत रोड, बिलासपुर में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर स्थित है।

(ख) जी, नहीं। एस.ई.सी.एल. के मुख्यालय को शहडोल स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) कोल इंडिया लि. की अनुषंगी कम्पनी नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल) का मुख्यालय मध्य प्रदेश राज्य में सिंगरौली में है और इसके अधिकार क्षेत्र में मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कोल फील्ड क्षेत्र आते हैं। डब्ल्यू.सी.एल. का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य में नागपुर में है। एस.ई.सी.एल. का मुख्यालय बिलासपुर में है, यह भी मध्य प्रदेश में कोयला खानें प्रचालित करता है।

जैव-पर्यटन/पारिस्थितिकी-पर्यटन को बढ़ावा

2045. श्री जी. एस. बसवराज :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में जैव–पर्यटन और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या जैव मंडल रिजर्व समेत कर्नाटक में मैसूर, कुर्ग, चिकमंगलूर और पश्चिमी घाट जैसे कुछ क्षेत्रों को पारिस्थितिकी/जैव–पर्यटन के रूप में विकसित करने की अपार संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन मंत्रालय ने पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए नीति एवं दिशा–निर्देश तैयार किए थे।

(ख) और (ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तावित पारिस्थितिकी पर्यटन परियोजनाओं के लिए उनकी परस्पर प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कर्नाटक राज्य में पारिस्थितिकी–पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पारिस्थितिकी–पर्यटन की निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए सहायता दी है :

* मैसूर जिला स्थित खारापुर में काबिनी रीवर लॉज
* यू.के. जिला के डंडेली में काली वालडरनैस कैम्प
* चामराजनगर जिला, के. गुडी में पारिस्थितिकी–पर्यटन सुविधा
* करवार के निकट देव बाग में पारिस्थितिकी समुद्रतट काटेज
* मांडया जिले के भीमेश्वरी और डोडामकाली में कावेरी फिशिंग कैम्प
* चिकमंगलूर जिले के कुद्रेमुख में पर्यटक परिसर
* बैंगलोर के निकट बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में पारिस्थितिकी–पर्यटन रिजार्टस
* हम्पी में पारिस्थितिकी–पर्यटन रिजार्टस

लिफ्ट सिंचाई परियोजना

2046. श्री पी. मोहन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने सूरत जिले के धामरो में चारा सिंचाई और चारा बीज फार्म के लिए लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर वर्ष 1992-96 के दौरान 58.69 लाख रुपए व्यय किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक परियोजना शुरू नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना को शीघ्र करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) परीक्षण पूरा करने तथा परियोजना को फार्म के सुपुर्द करने के लिए इस मामले को गुजरात जल संसाधान विकास निगम के साथ उठाया गया है।

कमजोर वर्गों का आर्थिक विकास

2047. श्री के.ई.कृष्णमूर्ति : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 46 में कमजोर वर्गों के लोगों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के आर्थिक हितों को ध्यानपूर्वक प्रोत्साहित करने हेतु राज्यों

को निर्देश दिया गया है ताकि सामाजिक अन्याय और शोषण एवं जड़ तक फैले सामाजिक पूर्वाग्रहों और ऐतिहासिक आर्थिक संकटों से जूझ रहे लोगों को बचाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो लकड़ी संग्रहण को पट्टे पर देने और परिवहन हेतु एजेंसी लाइसेंस/परमिट देने जैसे राज्य प्रायोजित योजना/कार्यक्रमों के माध्यम से वन सम्पदा का दोहन करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों को ध्यानपूर्वक प्रोत्साहित करने के लिए इस संवैधानिक निर्देश को लागू करने हेतु कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए "समान भोगाधिकार हिस्सेदारी आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जातियों और ग्रामीण निर्धनों की सहभागिता" नाम से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रही है। यह स्कीम सातवीं योजना में आरम्भ की गई थी और नवीं योजना में भी चालू रही। अब यह स्कीम 16 राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है।

उपर्युक्त स्कीम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :– 1. शिनाख्त किए गए समुदायों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवक्रमित वन भूमियों के वन आधारित बायोमास संसाधनों में सुधार करना और सतत आधार पर उनका प्रबंधन करना। 2. क्षेत्र की पारिस्थितिकी के रख–रखाव के लिए व स्थानीय समुदायों के जीवन–निर्वाह के लिए अवक्रमित वनों की सुरक्षा और उनके पुनरुद्धार के कार्यों में स्थानीय अनुसूचित जातियों और अन्य ग्रामीण निर्धन लोगों को शामिल करना। 3. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य ग्रामीण निर्धन वर्ग के लोगों को उनके आवास क्षेत्रों के समीप लाभकारी रोजगार के अवसर और सतत आर्थिक आधार प्रदान करना।

अन्य वनीकरण स्कीमों जैसे एकीकृत वनीकरण और पारि–विकास परियोजना, क्षेत्रोन्मुख ईंधन व चारा परियोजना, गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद परियोजना, आदि के अंतर्गत लगभग 60-70% धनराशियां श्रम घटक के लिए खर्च की जाती हैं जिससे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित ग्रामीण निर्धन लोगों को रोजगार प्राप्त होता है।

सरकार वनों के प्रबंधन में वनों में तथा वनों के आसपास रहने वाले लोगों को शामिल करने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन को बढ़ावा दे रही है। वनों के समीप रहने वाले लोगों की वनों के प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए एक लाभ हिस्सेदारी तंत्र बनाया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को संबंधित वन सुरक्षा समिति के नियंत्रणाधीन वनों में प्रवेश की खुली छूट दी गई है। संयुक्त वन प्रबंधन का उद्देश्य वनों में तथा उनके आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को ईंधन लकड़ी, चारा, गैर–काष्ठ वनोत्पाद मुहैया कराना है।

[हिन्दी]

खनन अधिनियम में संशोधन

2048. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को क्वार्ट्ज, फेल्सपार, मिट्टी, सिलिका रेत जैसे कम मूल्य के खनिजों हेतु खनन योजना की बाध्यता को हटाने के लिए खनन अधिनियम की धारा 5 (2) में संशोधन हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त 'क' के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता। तथापि क्वार्टज, फेल्सपार, क्ले और सिलिका सैण्ड जैसे कम मूल्य के खनिजों के संबंध में खुली मुहाना खानों के लिए खनन योजना अनुमोदित करने की शक्तियां, खनिज रियायत नियमावली, 1960 को संशोधित करके, 25 सितम्बर, 2001 से राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं।

गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित करना

2049. श्री सुरेश चन्देल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने बाघ को राष्ट्रीय पशु पहले ही घोषित कर दिया है।

प्राकृतिक आपदाओं हेतु सहायता

2050. श्री वाई.जी. महाजन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु राज्य सरकारों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन–किन राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान और माल की अधिकतम क्षति हुई; और

(ग) उन राज्यों को सहायता स्वरूप राज्य–वार कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) प्राकृतिक आपदाओं से जान और माल को भिन्न–भिन्न आकार की हानि अवश्य ही होती है जो आपदा की किस्म, तीव्रता और गंभीरता पर निर्भर करती है। उड़ीसा और गुजरात में क्रमशः महाचक्रवात और भूकम्प के कारण अधिकतम हानि हुई है। वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान आपदा राहत कोष के केन्द्रीय हिस्से की निर्मुक्ति और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से दी गई सहायता का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान आपदा राहत कोष के केन्द्रीय हिस्से से जारी राशि और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से दी गई सहायता का राज्य–वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सी आर एफ के केन्द्रीय हिस्से से निर्मुक्त राशि			एन एफ सी आर/एन सी सी एफ से प्रदान की गई सहायता		
		1998-99	1999-2000	2000-2001	1998-99 (एन एफ सी आर)	1999-2000 (एन एफ सी आर)	2000-2001 (एन सी सी एफ)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	103.30	107.69	148.54	26.50	75.36	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.86	6.10	9.02	13.47	–	2.00
3.	असम	41.60	43.37	76.12	59.90	–	–
4.	बिहार	43.22	33.79	50.22	11.45	38.18	29.67
5.	छत्तीसगढ़	–	–	20.60	–	–	40.00
6.	गोवा	0.89	0.93	0.47	–	–	–
7.	गुजरात	116.12	121.05	131.14	55.35	54.58	585.00
8.	हरियाणा	20.84	21.73	60.98	13.27	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	22.42	23.37	32.61	–	–	8.29
10.	जम्मू व कश्मीर	16.39	17.09	28.18	–	73.42	–
11.	झारखंड	–	–	42.52	–	–	–
12.	कर्नाटक	34.81	36.29	55.93	49.98	17.09	–

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	केरल	46.08	48.04	17.34	–	–	–
14.	मध्य प्रदेश	42.49	44.29	46.98	35.00	38.86	35.00
15.	महाराष्ट्र	56.73	44.36	117.90	–	–	–
16.	मणिपुर	2.06	1.61	1.56	–	4.93	–
17.	मेघालय	2.32	2.42	2.95	–	–	1.00
18.	मिजोरम	1.05	1.10	1.12	–	6.00	–
19.	नागालैंड	1.41	1.47	0.53	–	–	–
20.	उडीसा	40.77	42.50	103.65	–	828.15	35.00
21.	पंजाब	45.04	46.96	92.04	–	–	–
22.	राजस्थान	148.92	155.25	196.00	21.98	102.93	85.00
23.	सिक्किम	3.92	4.08	2.95	7.67	–	–
24.	तमिलनाडु	49.37	51.47	76.98	–	–	–
25.	त्रिपुरा	3.74	3.90	1.41	5.05	5.34	–
26.	उत्तरांचल	–	–	7.10	–	–	–
27.	उत्तर प्रदेश	104.07	108.50	32.08	131.15	16.68	–
28.	पश्चिम बंगाल	42.69	44.50	75.83	66.33	29.52	103.25

/अनुवाद/

विकलांगों के लिए आरक्षित पद

2051. श्री अमर राय प्रधान : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत सभी विभागों में अशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए पद–वार और श्रेणी–वार कितने पद आरक्षित किए गए हैं;

(ख) 31 अक्टूबर, 2001 तक वर्ष–वार/पद–वार/श्रेणी–वार ऐसे कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) ऐसे पदों पर वर्ष–वार/पद–वार/श्रेणीवार कितने अशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को रोजगार दिया गया; और

(घ) शेष रिक्त पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) कोयला विभाग में तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में अशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के पद–वार/वर्ग–वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	वर्ष	पद	वर्ग			कुल
			बी	सी	डी	
1.	1998-99	–	–	–	–	शून्य
2.	1999-2000	–	–	–	–	शून्य
3.	2000-2001	सहायक	1	–	–	1
		आशुलिपिक ग्रेड "डी"	–	1	–	1

समूह "क" के पदों पर नियुक्तियां कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से नामांकन प्राप्त होने पर की जाती हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में वर्ष 2000-01 में उल्लिखित सहायक तथा आशुलिपिक ग्रेड "डी" ये दोनों पद 31 अक्टूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार रिक्त हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कोई रोजगार नहीं दिया गया है।

(घ) रिक्त पदों को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से नामांकनों की प्राप्ति पर यथा समय भरे जाने की संभावना है।

पूर्वोक्त प्रश्न अर्थात (क) से (घ) हेतु खान विभाग से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कोयला और खान मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

2052. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय के श्रेणी–वार/पद–वार कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अंतर्गत आवेदन किया है;

(ख) ऐसे कर्मचारियों को क्या लाभ दिए गए;

(ग) आज की तिथि के अनुसार ऐसी सेवानिवृत्ति के लिए कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(घ) क्या ऐसी सेवानिवृत्ति से उनके मंत्रालय के सुचारु कार्यकरण पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(च) क्या सरकार का विचार ऐसी सभी रिक्तियों को भरने हेतु व्यवस्था करने का है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) कोयला विभाग के जिन कर्मचारियों ने विगत तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी है उनके वर्ग वार/पद–वार विवरण निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	वर्ष	वर्ग	पद	योग
1.	1998-99	–	–	शून्य
2.	1999-2000	सी	सहायक लेखाकार	1
3.	2000-2001	बी	अनुभाग अधिकारी	1

(ख) इन कर्मचारियों को लाभ, सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार प्रदान किए गए हैं।

(ग) आज तक, कोयला विभाग में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्तियों से होने वाली रिक्तियां सामान्य क्रम में नियमों के अनुसार भरी जाती हैं।

खान विभाग के सम्बन्ध में पूर्वोक्त प्रश्न अर्थात (क) से (छ) की बाबत सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि क्षेत्र में क्रांति

2053. श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए सरकार का कृषि क्षेत्र में उत्पादकता तथा गुणवत्ता–क्रांति लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि–उत्पादों की उत्पादकता को बढ़ाने तथा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं; और

(घ) क्या किसानों को मृदा–आरोग्य प्रबंधन, जल–प्रसंस्करण और स्रोत प्रबंधन जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'कृषि क्लीनिकों' की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि क्षेत्र के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय मानक कोडेक्स एलीमेन्टरियस कमीशन (सी.ए.सी.) और अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा निरूपित किए जाते हैं। भारत सरकार में मुख्य रूप से चार विभाग, नामतः कृषि तथा सहकारिता विभाग में विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, वाणिज्य मंत्रालय में निर्यात निरीक्षण परिषद और कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तथा उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में भारतीय मानक ब्यूरो,

विभिन्न कृषि जिंसों के लिए मानकों का निर्धारण करने में लगे हुए हैं। ये विभाग अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के साथ इन मानकों का सामंजस्य स्थापित करने के कार्य में भी लगे हुए हैं ताकि आयात का विनियमन और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों को निर्यात को कारगर बनाया जा सके। कृषि उत्पाद (ग्रेडिंग व मार्किंग) अधिनियम, 1937 के प्रावधानों के तहत विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कृषि जिंसों के मानकों का निर्धारण कर रहा है। अब तक विभिन्न 163 कृषि जिंसों के लिए श्रेणी मानकों का निर्धारण किया गया है। निर्यात निरीक्षण परिषद गुणवत्ता नियंत्रण और शिपमेन्ट पूर्व निरीक्षण के द्वारा भारत से निर्यात व्यापार का ठोस विकास करने के लिए निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 क्रियान्वित कर रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो ने कृषि मशीनरी सहित कृषि के क्षेत्र में 700 से अधिक भारतीय मानकों का निरूपण किया है जिसमें से 10 प्रतिशत का अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित किया गया है। अपेडा ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, नामतः पश्च सम्बद्धता, चयनित फलों और सब्जियों की उत्पादकता तथा गुणवत्ता प्राप्त उत्पादन के लिए समेकित कार्यक्रम, कटाई पश्चात प्रबंध सुविधाओं की स्थापना, आयात करने वाले देशों की गुणवत्ता और अन्य अपेक्षाओं के रूप में सूचना डाटा आधार को मजबूत बनाना, परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, कृषि–निर्यात की स्थापना।

(ग) कृषि क्षेत्र में उत्पादन को अधिकतम बनाने के लिए विभाग राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को उनके प्रयासों को पूरा करने की दृष्टि से समेकित फसल उत्पादन स्कीमों के तहत सहायता प्रदान कर रहा है। इन स्कीमों के तहत कुछ ऐसे घटक हैं जिनके तहत स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई जैसे जल की बचत करने वाले उपकरणों और शक्ति चालित जुताई के यंत्रों सहित अभिज्ञात उपकरणों के लिए सहायता दी जाती है।

कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विभिन्न राज्यों में कुल 1345 यूनिटें काम कर रही हैं जो अनाजों, कदन्न, दालों, तिलहनों, रेशे वाली फसलों, फलों और सब्जियों, जैगरी, तम्बाकू, अण्डे आदि का ग्रेडिंग करती हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान इन केंद्रों पर ग्रेडिंग की गई जिंसों का मूल्य 4389 करोड़ रु. रहा है। कृषि उत्पादन विपणन समितियों के स्टाफ के ग्रेडरों द्वारा दृष्य निरीक्षण के माध्यम से ग्रेडिंग की जाती है, जिनको विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में इसके प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत् नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है।

(घ) जी, हां। "कृषि–क्लिनिकों और कृषि व्यापार केन्द्रों के नेटवर्क की स्थापना" नामक एक नई स्कीम तैयार की गई है जिसमें सूचना खोखों, ऊतक संवर्धन प्रयोगशालाओं, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं कृषि क्लिनिकों, जल परीक्षण प्रयोगशालाओं, कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना करने तथा अन्य ऐसे संबंधित क्रियाकलाप शुरू करने के लिए, जिनके लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा मॉडल स्कीमें तैयार की जा रही हैं, एक तरफ बैंक वित्त और दूसरी तरफ उद्यम कुशलता के द्वारा इस उद्देश्य के लिए अत्यधिक अपेक्षित पूंजी प्रदान करके पणधारकों के रूप में आर्थिक रूप से व्यवहार्य उद्यमों के द्वारा कृषि विकास में सहायता देने के लिए सभी पात्र कृषि स्नातकों को अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

2054. श्री के. पी. सिंह देव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर उड़ीसा में पर्यावरणीय और वन स्वीकृति हेतु कुछ विद्युत परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य–वार इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन लंबित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) और (ख) 28 नवंबर, 2001 तक केवल 11 वैद्युत परियोजनाएं पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित हैं। इसी प्रकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केवल दो बड़ी वैद्युत परियोजनाएं (जिनमें 20 हैक्टेयर से अधिक वन भूमि शामिल है) वानिकी मंजूरी के लिए लम्बित है। उड़ीसा की कोई भी वैद्युत परियोजना पर्यावरणीय या वानिकी मंजूरी के लिए लंबित नहीं है। लंबित वैद्युत परियोजनाओं की राज्य–वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है जिसमें लंबित होने के कारण दिए गए हैं।

(ग) वैद्युत संयंत्रों सहित विकास परियोजनाओं की पर्यावरणीय एवं वानिकी मंजूरी देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ प्रक्रिया को सरल बनाना, विशेषज्ञ समितियों की जल्दी–जल्दी बैठकें कराना और पूरी सूचना प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर निर्णय लेना शामिल है।

विवरण

28 नवम्बर 2001 को लंबित विद्युत परियोजनाओं की सूची

(क) पर्यावरणीय मंजूरी

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1	2	3
	गुजरात	
1.	मैसर्स गुजरात पावर कारपोरेशन लि. का गांव जारपारा तालुका मुंद्रा, जिला कच्छ में 2 × 250 मेगावाट का इम्पोर्टेड कोल आधारित थर्मल पावर प्लांट	परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर प्रस्ताव पर थर्मल पावर परियोजनाओं की विशेषज्ञ समिति की अगली बैठक में विचार किया जाएगा।
	कर्नाटक	
2.	मैसर्स अम्बुथिर्था पावर प्राइवेट लि. का जिला शिमोगा में 20 मेगावाट महात्मा गांधी हाइड्रो इलैक्ट्रिक टेल रेस परियोजना	नदी घाटी परियोजनाओं की विशेषज्ञ समिति ने पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश की है।
	मध्य प्रदेश	
3.	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का बरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया में 500 मेगावाट संजय गांधी टी पी एस एक्सटेंशन	परियोजना प्राधिकारियों से मांगी गई अतिरिक्त ब्यौरों की अभी प्रतीक्षा है।
	महाराष्ट्र	
4.	सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार का रायगढ़ जिले में 10 मेगावाट कुम्भे हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना	परियोजना प्राधिकारियों से कुछ स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।
5.	सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार की, रायगढ़ जिला में 15 मेगावाट कल हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना	परियोजना प्राधिकारियों से पूरक सूचना की प्रतीक्षा है।
	तमिलनाडु	
6.	मैसर्स टी एन एल एन जी एण्ड पावर कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड के उत्तरी चेन्नई, एन्नोर में 1886 मेगावाट टी एन एल एन जी पावर प्लांट	परियोजना प्राधिकारियों से मांगे गए अतिरिक्त ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
7.	मैसर्स पायोनीअर एनर्जी कॉरपोरेशन लि. के चित्तूर जिला, कोथापलेम गांव में 35.5 मेगावाट डी जी पावर प्लांट	परियोजना प्राधिकारियों के अनुरोध पर परियोजना पर निर्णय अस्थगित रखा गया।
8.	तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वालाथुर, रामनाथपुरम जिले में 100 मेगावाट गैस आधारित वालाथुर पावर परियोजना	परियोजना प्राधिकारियों से संशोधित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
9.	मैसर्स बेंकटेश कोक एण्ड पावर लिमिटेड का एन्नोर, पोन्नेरी तालुका, थिरूवलुर जिले में 100 मेगावाट कोजेनेरेशन पावर प्लान्ट	परियोजना प्राधिकारियों से मांगे गए अतिरिक्त ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
10.	मैसर्स नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियवेली थर्मल पावर स्टेशन, कुड्डालोर में 500 मेगावाट लिग्नाइट थर्मल पावर प्लान्ट, चरण–II	परियोजना प्राधिकारियों से मांगी गयी पूरक सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3
	त्रिपुरा	
11.	मैसर्स नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का मोनाचक के निकट पश्चिम त्रिपुरा जिला में 500 मेगावाट गैस आधारित कम्बाइन्ड साइकल पावर प्लान्ट	परियोजना प्राधिकारियों से मांगी गयी पूरक सूचना की प्रतीक्षा है।
	(ख) वानिकी मंजूरी	
	हिमाचल प्रदेश	
1.	हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की 66 मेगावाट कसांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना	सक्रिय रूप से विचाराधीन।
	केरल	
2.	केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की 50 मेगावाट कक्वाडु हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना	राज्य सरकार से आवश्यक सूचना की प्रतीक्षा है।

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान

2055. श्री किरीट सोमैया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में झुग्गी निवासियों के पुनर्वास हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से हटाए गए अतिक्रमणकारियों के लिए एक पुनर्वास योजना तैयार करने के बारे में माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने उन अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास के लिए थाणे जिले में खोनी और शिरघोन नाम के दो स्थलों की शिनाख्त की है, जो 1.1.1995 से पूर्व अतिक्रमण किए गए क्षेत्रों में रह रहे थे और जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पुनर्वास योजना के संबंध में अपने–अपने अंशदान का भुगतान कर दिया था। राज्य सरकार ने पुनर्वास योजना को पूरा करने के लिए वर्ष 2000-2001 में 6.0 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2001-2002 में 0.88 करोड़ रु. प्रदान किए हैं।

विदेशी पर्यटकों को मार्ग निर्देश

2056. श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री शिवाजी माने :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 नवंबर, 2001 के "हिन्दू" समाचारपत्र के "स्पेशल पुलिस फार टूरिस्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटकों की ठगी/धोखा देने की कितनी घटनाएं प्रकाशित हुई हैं;

(ग) क्या सरकार का विदेशी/घरेलू पर्यटकों के मार्ग निर्देश हेतु दिल्ली टूरिस्ट्स पुलिस के गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से पर्यटन को संरक्षण प्रदान किए जाने वाले कानून बनाने तथा पर्यटकों की विशेष सुरक्षा तथा संरक्षा के लिए पर्यटक पुलिस (बल) गठित करने का अनुरोध किया है। जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों ने "पर्यटक पुलिस" का प्रावधान कर लिया है। कुछ दूसरे राज्य भी ऐसे कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं।

(ख) उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार गत 3 वर्षों के दौरान पर्यटकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1998	100
1999	103
2000	35

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों को सुरक्षा तथा संरक्षा प्रदान करने के लिए, दिल्ली पुलिस बल में एक इकाई बनाने के संदर्भ में दिल्ली पुलिस के आयुक्त के साथ चर्चा की है।

[हिन्दी]

नए हवाई अड्डों का निर्माण

2057. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में कुछ नए घरेलू हवाई अड्डों के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर व्यय होने वाली कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) देश में किसी नए घरेलू हवाई अड्डे के निर्माण की इस समय भारत सरकार की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

मदर डेयरी की फलों और सब्जियों की दुकानें

2058. श्री दिलीप संघाणी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्तमान में मदर डेयरी की फलों और सब्जियों की कितनी दुकानें चल रही हैं;

(ख) क्या **सी.पी.डब्ल्यू.डी.** परिसर, वसंत विहार, नई दिल्ली में मदर डेयरी की दुकान खोले जाने का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है;

(ग) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इसे कब तक खोले जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) इस समय दिल्ली और इसके आस–पास मदर डेयरी की फल और सब्जी की 263 दुकानें हैं।

(ख) से (घ) मदर डेयरी ने फल और सब्जी की दुकान का निर्माण करने के लिए सी पी डब्ल्यू डी परिसर, वसंत विहार में अपनी दूध की दुकान के पास भूमि का आबंटन करने के लिए भूमि और विकास कार्यालय, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के पास आवेदन किया है। किन्तु भूमि अभी तक आबंटित नहीं की गई है। भूमि आबंटित हो जाने के बाद, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सेवा कनेक्शन के प्रावधान के अधीन दुकान का निर्माण करने के लिए सामान्यतया लगभग 6 महीने लग जाते हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्लाईवुड उद्योगों को लाइसेंस

2059. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान किन–किन प्लाईवुड उद्योगों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्लाईवुड उद्योग स्थापित करने हेतु लाइसेंस दिए गए और उनमें से प्रत्येक कितने वर्षों से कार्यशील हैं;

(ख) क्या कुछ लाइसेंसों को वापस ले लिया गया है या उनका नवीनीकरण नहीं किया गया है और कुछ अभी भी मान्य हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) अपने कार्य प्रचालन की अवधि के दौरान प्रत्येक इमारती और प्लाईवुड कंपनी ने कितने मूल्य की लकड़ी काटी; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त वास्तविक उपलब्धियों और व्यय को बताते हुए वनों के नुकसान को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी

2060. श्री ए.के. मूर्ति : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत दो वर्षों के दौरान पर्यटकों की संख्या में आई कमी के कारण पर्यटन विभाग को भारी नुकसान हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं। पिछले दो वर्षों के दौरान, देश में विदेशी पर्यटक आगमन और विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि हुई है। विवरण नीचे दिए गए अनुसार हैं:

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगमन	% बदलाव	विदेशी मुद्रा आय	% बदलाव
1998	2358629	–	12150.00	–
1999	2481928	5.2	12951.00	6.6
2000	2641157	6.4	14238.00	9.9

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुरुषों और महिलाओं को रोजगार

2061. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कितने पुरुषों और महिलाओं को रोजगार दिया गया;

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. से संबंधित हैं; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार श्रेणी–वार कितने पुरुष और महिलाएं बेरोजगार हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के रोजगार कार्यालय द्वारा महिला पुरुष–वार किए गए नियोजनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

वर्ष	नियोजन (हजार में)		
	पुरुष	महिला	कुल
1998	61.7	5.7	67.4
1999	56.8	8.3	65.1
2000	62.1	7.3	69.4

(ख) वर्ष 1998, 1999 तथा 2000 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रोजगार चाहने वालों का नियोजन संबंधी ब्यौरा निम्न प्रकार था :

वर्ष	नियोजन (हजार में)		
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग
1998	2.9	3.5	0.1
1999	5.7	6.7	0.2
2000	6.9	4.7	0.2

(ग) दिसम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार गुजरात के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले महिला एवं पुरुषों की संख्या, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, क्रमशः 8.8 एवं 1.9 लाख थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के रोजगार चाहने वालों की संख्या क्रमशः 1.9 लाख, 1.1 लाख तथा 8.9 हजार थी।

[हिन्दी]

मंत्री के दौरे

2062. श्री उत्तमराव पाटील : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान मंत्री द्वारा कौन–कौन से देशों के दौरे किए गए और किन–किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए; और

(ख) उनके विदेशी दौरों पर कितनी धनराशि व्यय हुई और उससे देश को हुए लाभ का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान इस्पात मंत्री ने किसी देश का दौरा नहीं किया/किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

समुद्री उत्पादों में कमी

2063. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के अफगान युद्ध के कारण समुद्री उत्पादों जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उत्पादों के बाजार में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्योग की क्षतिपूर्ति करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) और (ख) जी, हां। निर्यातकों से प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्ट से पता चलता है कि 11.09.2001 को अमेरिका में हुई घटना के बाद समुद्री उत्पादों का निर्यात प्रभावित हुआ है। निर्यात किए जाने वाले सभी प्रकार के समुद्री खाद्यों की निर्यात कीमत 5 से 15% तक कम हुई है।

(ग) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (मपीडा) देश में स्थित विभिन्न केंद्रों में सेमिनारों का आयोजन कर रहा है ताकि वर्तमान संकटावस्था के दौरान भी निर्यात बढ़ाने की गुंजाइश के बारे में निर्यातकों को जानकारी दी जा सके। इसके अतिरिक्त विदेश स्थित उसके कार्यालय के जरिए बाजार आसूचना एकत्र की जाती है और उसका प्रसार समय-समय पर निर्यातकों में किया जाता है।

केन्द्रीय मवेशी प्रजनन फार्म

2064. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मवेशी प्रजनन फार्म राज्यों को देने के लिए उच्च स्वदेशी और विदेशी नस्लों वाले बछड़े प्रजनित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन फार्मों में ऐसे पशुओं का प्रजनन देश में मांग से अधिक हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या धन की कमी की वजह से राज्यों की मांग कम होने के कारण, ये फार्म व्यावसायिक संगठनों में बदल गए हैं और सरकार के मूल्यवान धन का उपयोग कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन प्रजनन फार्मों को धन के आबंटन की समीक्षा करने हेतु एक समिति का गठन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) मंत्रालय ने केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्मों तथा केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन तथा प्रशिक्षण संस्थान के कार्यकरण का अध्ययन करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति अपने गठन की तारीख से 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

[हिन्दी]

कृषि प्रशिक्षण केन्द्र

2065. श्री राजो सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार की ओर से राज्य में एक राज्य स्तरीय कृषि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा यह सहायता कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। विश्व बैंक की सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार को बिहार सरकार से राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर, बिहार में एक राज्य कृषि प्रबंध और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान स्थापति करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत 89.6 लाख रु. के प्रस्ताव की तुलना में राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के अधीन सक्षम प्राधिकरण अर्थात् प्रौद्योगिकी प्रसार प्रबंध समिति ने 4 मई, 2001 को राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर, बिहार में राज्य कृषि प्रबंध और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक को 25 लाख रु. की पहली किश्त स्वीकृत और निर्मुक्त की है।

[अनुवाद]

कर्नाटक की लंबित सिंचाई परियोजनाएं

2066. श्री विनय कुमार सोराके : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार के सिंचाई परियोजनाओं के बहुत से प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रस्तावों पर हाल ही में राज्य और केन्द्रीय मंत्री के बीच बंगलौर में चर्चा हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) कर्नाटक सरकार से तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्राप्त 4 वृहद (मार्कण्डेय, सिंगतलुर, ऊपरी तुंगा एवं हिप्पारगी) तथा एक मध्यम सिंचाई परियोजना (बासापुर) में से हिप्पारगी परियोजना सलाहकार समिति द्वारा कुछ टिप्पणियों के अधीन स्वीकार कर ली गई है इनकी राज्य सरकार द्वारा अभी अनुपालना की जानी है। अन्य 4 परियोजनाओं पर पत्राचार चल रहा है।

(ख) बंगलौर में हाल में हुई बैठक के दौरान केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री को कर्नाटक सरकार द्वारा लंबित परियोजनाओं संबंधी एक ज्ञापन दिया गया था।

(ग) इस ज्ञापन की जांच की गई और विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की बकाया टिप्पणियों की अनुपालना के लिए कर्नाटक सरकार को परियोजनावार स्थिति से अवगत कराया गया है। इन परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा बकाया टिप्पणियों की तत्काल अनुपालना करने पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

शीतगृहों का निर्माण

2067. श्री सुरेश पासी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इस समय देश में विशेष कर उत्तर प्रदेश में फलों और सब्जियों के भंडारण और विपणन हेतु राज्य–वार कितने शीतगृह कार्यरत हैं;

(ख) क्या देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में शीतगृहों की भारी कमी है;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में कितने शीतगृह निर्मित किए गए;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में नए शीतगृह निर्मित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (च) दिनांक 31.3.2001 की स्थिति अनुसार देश में शीत भंडारों की कुल संख्या 4199 है। राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा कठिनाइयों का पता लगाने तथा सुधारक उपाय सुझाने के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 लाख मीटरी टन शीत भण्डारण क्षमता के सृजन/विस्तार तथा 8 लाख मीटरी टन की बहाली/आधुनिकीकरण और प्याज की 4.5 लाख मीटरी टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता का पता लगाया है। शीत भंडार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग ने "बागवानी उत्पादों के लिए शीत भंडारों और भंडारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत निवेश राजसहायता स्कीम" के नाम से एक स्कीम आरंभ की है। इस स्कीम के तहत कृषि और सहकारिता विभाग के अधीन एक स्वशासी निकाय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से बागवानी उत्पादों के लिए शीत भंडारों और भंडारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजीनिवेश राजसहायता स्कीम नामक स्कीम के तहत सीमित (बैंक एण्डेड) पूंजी निवेश राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है जो परियोजना लागत के 25%, 50 लाख रुपये प्रति परियोजना से अनाधिक तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परियोजना लागत के 33.33, 60.00 लाख रुपए प्रति परियोजना की सीमा तक होती है। यह स्कीम मांग पर आधारित है और परियोजना के प्रस्ताव पात्र संगठनों से आने होते हैं। सरकार शीत भंडारों का निर्माण नहीं करती है। उक्त स्कीम देश भर में लागू है और किसी इलाका/क्षेत्र विशेष के लिए सीमित नहीं है।

इस स्कीम के अंतर्गत, वर्ष 2000-2001 के दौरान स्वीकृति शीत भण्डार परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

31.3.2001 को देश में शीत भंडारों का राज्य/संघ शासित प्रदेश–वार ब्यौरा

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	शीत भंडारों की संख्या
1	2
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (सं.शा.क्षे.)	02
आंध्र प्रदेश	202
अरुणाचल प्रदेश	00
असम	19
बिहार	200

1	2
चंडीगढ़ (सं. शा. क्षे.)	06
दिल्ली	96
गुजरात	314
गोवा	23
हरियाणा	201
हिमाचल प्रदेश	16
जम्मू व कश्मीर	18
केरल	156
कर्नाटक	110
लक्षद्वीप (सं. शा. क्षे.)	01
महाराष्ट्र	368
मध्य प्रदेश	174
मणिपुर	00
मेघालय	00
मिजोरम	00
नागालैंड	01
उड़ीसा	71
पांडिचेरी (सं. शा. क्षे.)	05
पंजाब	440
राजस्थान	85
सिक्किम	00
तमिलनाडु	94
त्रिपुरा	03
उत्तर प्रदेश	1233
पश्चिम बंगाल	361
कुल	4199

विवरण–II

"बागवानी उत्पाद के लिए शीत भंडारों और भंडागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजीनिवेश राजसहायता योजना" के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य–वार स्वीकृत शीत भंडार परियोजनाओं के ब्यौरे।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
1	2
गुजरात	27
उड़ीसा	3
मध्य प्रदेश	25
आंध्र प्रदेश	18
महाराष्ट्र	11
पंजाब	24
हरियाणा	7
तमिलनाडु	14
असम	2
राजस्थान	20
उत्तर प्रदेश	84
कर्नाटक	8
बिहार	2
पश्चिम बंगाल	7
दिल्ली	1
त्रिपुरा	1
कुल	254

[अनुवाद]

खनिजों की रायल्टी दर में संशोधन

2068. श्री शिवाजी माने :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से खनिजों की रायल्टी दर में संशोधन करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार को, विभिन्न खनिजों की रायल्टी की दरों में संशोधन के बारे में, राज्य सरकारों से, समय-समय पर, प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। पारंपरिक तौर पर, संबंधित विभाग/मंत्रालय में प्रमुख खनिजों की रायल्टी की दरों की समीक्षा हेतु एक अध्ययन दल गठित किया जाता है जिसमें राज्य सरकारों, उद्योग, तकनीकी संस्थानों तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अध्ययन दल, व्यापक विचार-विमर्श के बाद, रायल्टी की दरों के बारे में सिफारिश करता है जिन पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है तथा रायल्टी की दरों में अन्तिम संशोधन को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाता है। खान विभाग ने दिनांक 5.10.1998 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा एक अध्ययन दल गठित किया था। अध्ययन दल ने मार्च, 2000 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। उन सिफारिशों के आधार पर, प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट तथा भराव हेतु बालू को छोड़कर) की रायल्टी दरों को 12.9.2000 से अधिसूचित कर दिया गया है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 (3) के अनुसार, प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट एवं भराव हेतु बालू को छोड़कर) की रायल्टी दरों में बढ़ोत्तरी संबंधी संशोधन 12.9.2003 से पहले नहीं हो सकता है। लिग्नाइट की संशोधित रायल्टी दरें, 15 मार्च, 2001 की अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में अधिसूचित की गई थीं। अतः लिग्नाइट की रायल्टी दरों में बढ़ोत्तरी संबंधी संशोधन 15.3.2004 से पहले नहीं हो सकता है।

कोयले की रायल्टी दरों में संशोधन पर विचार करने के लिए अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

प्रदूषण के प्रभावों का सर्वेक्षण

2069. श्री जे. एस. बराड़ : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उन विभिन्न क्षेत्रों, जहां प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं, में उनके आस-पास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जहरीली गैसों के असर का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उससे क्या परिणाम निकले;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने हेतु ऐसे सर्वेक्षण कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) लोगों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण के प्रभावों संबंधी मूल्यांकन के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्रों सहित दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण दर्शाता है कि उद्योगों से होने वाला प्रदूषण स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों विशेषकर श्वसन संबंधी बीमारियों के कारणों में से एक है।

(ङ) प्रदूषण नियंत्रण हेतु उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक कार्य योजना तैयार की गई है तथा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ii) प्रदूषण उपशमन हेतु एक व्यापक नीति तैयार की गई है जो प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, दोनों ही पहलुओं पर जोर देती है।

(iii) देशभर में 290 परिवेशी वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(iv) प्रदूषण पर रोक के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(v) उद्योगों द्वारा उनके संयंत्रों को चालू करने से पहले आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाया जाना अपेक्षित है।

(vi) उद्योगों द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है।

(vii) कई सारे संकटापन्न उद्योगों की पहचान की गई है।

इनमें से कुछ उद्योग या तो बन्द कर दिए गए हैं या पुर्नस्थापित किए गए हैं।

प्राकृतिक आपदा प्रवण क्षेत्र

2070. **श्री प्रबोध पण्डा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अपने–अपने भू–भागीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने और ऐसी किसी आपदा स्थिति में उससे होने वाले संभावित नुकसान को न्यूनतम करने हेतु अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में लिखा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सुझावों पर किन–किन राज्यों ने अमल किया है और ये राज्य इस संबंध में क्या उपाय कर रहे हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा शेष राज्यों के साथ इस मामले पर आगे कार्यवाही करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) तैयारी संबंधी उपाय करने तथा प्राकृतिक आपदाएं आने पर लोगों को राहत सुलभ कराने के लिए मूल जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। केन्द्रीय सरकार वित्तीय और सामग्री रूपी सहायता देकर राज्यों के प्रयासों को पूरा करती है। यदि कोई आवश्यक सहायता की जरूरत हो तो उसे सुलभ कराने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्यीय प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखती है। राज्यों के राहत आयुक्तों की बैठक में तैयारी और राहत उपायों से जुडे मामलों पर विचार–विमर्श किया जाता है। गुजरात में आए भूकंप के बाद भूंकपीय क्षेत्र 4 और 5 में स्थित राज्यों से विशेष रूप से अनुरोध किया गया था कि वे आपदा संबंधी योजना और प्रतिक्रियात्मक तंत्र को अद्यतन बनाएं।

[हिन्दी]

पेट्रो उत्पादों से होने वाले प्रदूषण के प्रभाव

2071. **श्री मोहन रावले** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य प्रदूषण की तुलना में नकली पेट्रोलियम उत्पादों से होने वाले प्रदूषण का मानव जाति पर अधिक घातक प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस तथ्य की जानकारी लोगों को देने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थों द्वारा होने वाला प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए ज्यादा हानिकारक हो सकता है।

(ख) उठाए गए कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(i) विशिष्ट गुणवत्ता वाले ईंधन के प्रयोग हेतु लोक चेतना अभियान शुरू किया गया है तथा लोगों को ईंधन की गुणवत्ता जांचने के संबंध में खुदरा दुकानों में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में सूचित किया गया है।

(ii) तेल कम्पनियां खुदरा दुकानों पर पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट का पता लगाने/रोकने के लिए विभिन्न कदम उठा रही हैं।

(iii) सरकार ने राज्य और संघ शासित सरकारों को समय–समय पर यह सुनिश्चित किए जाने संबंधी सलाह दी है कि उत्पाद लक्षित लोगों तक पहुंचे तथा वितरण प्रणाली में कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाए।

(iv) मोटर स्प्रिट (एम.एस.)/हाई स्पीड डीजल (एच. एस. डी.) नियंत्रण संबंधी आदेश में डेनसिटी चेक्स, मोटर स्प्रिट में आक्टेन मात्रा तथा हाई स्पीड डीजल आदि में सीटेन मात्रा सहित विभिन्न पैरामीटरों के लिए नमूनों की जांच का प्रावधान करते हुए संशोधन किया गया है।

(v) राज्य और संघ शासित सरकारों को खुदरा दुकानों में जांच करने तथा अनाचार/ अनियमितताएं पाए जाने पर दोषी डीलरों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(vi) संपीड़ीत प्राकृतिक गैस (सी एन जी) और द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) से चलने वाले वाहनों के प्रचलन को बढ़ावा देना।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र के संसद सदस्यों को धनराशि

2072. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील** : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष महाराष्ट्र के प्रत्येक संसद सदस्य को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और आबंटित की गई; और

(ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा कराए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष में 28.11.2001 तक महाराष्ट्र राज्य के लिए लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र–वार तथा सांसद–वार जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण–I और II में दिया गया है।

(ख) कार्यों का ब्यौरा संबंधित जिला कलेक्टरों के पास उपलब्ध है।

विवरण-I

क्रम सं.	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	अवमोचित राशि (लाख रु.) 1999–2000	अवमोचित राशि (लाख रु.) 2000–2001	अवमोचित राशि (लाख रु.) 2001–2002 (28.11.2001 तक)
1	2	3	4	5
1.	अहमदनगर	100	400	200
2.	अकोला	50	350	300
3.	अमरावती	200	350	200
4.	औरगांबाद	300	200	200
5.	बारामती	200	300	250
6.	भंडारा	100	400	250
7.	बीड	250	200	200
8.	मुंबई उत्तरी	150	200	150
9.	मुंबई उत्तरी मध्य	200	300	200
10.	मुंबई उत्तर पूर्व	250	200	200
11.	मुंबई उत्तर पश्चिम	250	0	300
12.	मुंबई दक्षिण	200	350	100
13.	मुंबई दक्षिण मध्य	150	400	200
14.	बुलधाना (अनु. जाति)	100	450	200
15.	चंद्रापुर	100	100	250
16.	चिमूर	100	300	150
17.	दहानू (अनु. जाति)	100	350	200
18.	दुहले	150	300	300
19.	इरानडोल	50	400	300
20.	हिंगोली	150	350	200
21.	इचलकरंजी	150	350	200

1	2	3	4	5
22.	जलगांव	200	300	250
23.	जलना	150	100	150
24.	काराड	200	300	250
25.	खेड़	200	350	200
26.	कोलाबा	250	200	200
27.	कोहलापुर	150	300	200
28.	कोपरगांव	150	300	300
29.	लातूर	250	200	200
30.	मालेगांव (अनु.जन.जाति)	50	300	300
31.	नागपुर	0	100	200
32.	नानदेड़	300	200	200
33.	नानदुरबार (अनु.जन.जाति)	50	400	250
34.	नासिक	100	400	100
35.	उस्मानाबाद	150	350	200
36.	पंडारपुर	250	250	100
37	परभाणी	300	200	200
38.	पुणे	200	100	350
39.	राजापुर	100	100	450
40.	रामटेक	50	300	150
41.	रत्नागिरी	150	400	200
42.	संगली	150	350	200
43.	सातारा	100	350	200
44.	शोलापुर	300	200	200
45.	थाणे	300	200	200
46.	वर्धा	200	350	100
47.	वाशिम	200	0	550
48	यवतमाल	110	250	400
	कुल	7900	13100	10850

विवरण-II

क्रम सं.	राज्य सभा सांसद का नाम	अवमोचित राशि (लाख रु.) 1999–2000	अवमोचित राशि (लाख रु.) 2000–2001	अवमोचित राशि (लाख रु.) 2001–2002 28.11.2001 तक
1	2	3	4	5
1.	श्री अधीर नारायण शिरोडकर	50	300	0
2.	श्री बलवंत परशुराम आप्टे	0	100	200
3.	श्री केसवानी सुरेश अटलराय	50	100	0
4.	श्री मुकेश आर. पटेल	150	200	250
5.	श्री एन.के.पी. साल्वे	50	100	50
6.	डा. नजमा हेपतुल्ला	150	100	150
7.	श्री निरूपम संजय	200	350	0
8.	श्री प्रफुल्ल मनोहर भाई पाटिल	0	100	200
9.	श्री प्रमोद महाजन	250	200	200
10.	श्री प्रतीश नंदी	0	100	50
11.	श्री राम जेठमलानी	150	200	100
12.	श्री रामकृष्ण सूर्यमानजी गवई	0	200	200
13.	श्री एस.बी. चव्हाण	250	250	200
14.	श्री सतीश चन्द्र सीताराम प्रधान	300	200	200
15.	श्री सुरेश कलमाड़ी	0	300	250
16.	श्री सूर्यभान पाटिल वहाडने	200	300	150
17.	श्री वेदप्रकाश पी. गोयल	200	200	100
18.	श्री विजय दरदा	100	200	150
19.	श्री युसुफ सरवार खान (दिलीप कुमार)	0	100	100
	कुल	2100	3600	2550

[अनुवाद]

पाकिस्तान से आने वाले पर्यटक

2073. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी हमले के कारण विदेशी पर्यटक पाकिस्तान के रास्ते भारत आ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान ऐसे कितने पर्यटक भारत आए ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) विश्व व्यापार केन्द्र, संयुक्त राज्य अमरीका पर हुए आतंकवादी हमले और अमरीका द्वारा अफगानिस्तान पर किए गए आक्रमण से सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर (17.11.2001 तक) के दौरान अट्टारी चैक पोस्ट से भारत में क्रमशः 166, 65 और 33 विदेशी पर्यटक आए।

कर्नाटक में दुग्ध उत्पादन

2074. **श्री आर.एस. पाटिल :**

श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) :

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

श्री अम्बरीश :

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा :

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

श्री जी.एस. बसवराज :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में दूध का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या राज्य में दूध और डेयरी उत्पादों का उत्पादन तेजी से बढ़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या कर्नाटक ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अन्य एजेंसियों से अतिरिक्त दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री को सुविधाजनक बनाने हेतु अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कर्नाटक में मेगा–डेयरी या संबंधित उद्योग शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में दुग्ध उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	मात्रा (000 टन)
1998–99	4231
1999–2000	4925
2000–2001	5106 (अनन्तिम)

(ख) मौजूदा बहुलता वाले मौसम के दौरान दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों विशेषकर स्किम्ड दुग्ध चूर्ण एवं बटर का उत्पादन अधिक होता है।

(ग) कर्नाटक दुग्ध परिसंघ ने मदर डेयरी, दिल्ली से, जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक सहायक इकाई है, स्किम्ड दुग्ध चूर्ण एवं बटर खरीदने के लिए अनुरोध किया है। कर्नाटक दुग्ध परिसंघ ने चालू वर्ष के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना, पश्चिम बंगाल दुग्ध परिसंघ, पश्चिम बंगाल सरकार, केन्द्रीय डेयरी तथा मेट्रो डेयरी, कोलकाता को स्किम्ड दुग्ध चूर्ण की बिक्री करने की पेशकश की है।

(घ) और (ङ) बंगलौर शहरी तथा ग्रामीण जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ ने बंगलौर में 6 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाली एक मेगा डेयरी पहले ही स्थापित कर दी है। बंगलौर में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाला एक दुग्ध चूर्ण संयंत्र भी निर्माणाधीन है। इनके अलावा, कर्नाटक में दुग्ध संघों ने अपनी प्रसंस्करण क्षमता को 5 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।

सकार्मिक पट्टे के सौदे की सी.बी.आई. जांच

2075. **श्री राम प्रसाद सिंह :**

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.बी.आई. ने सकार्मिक पट्टे के सौदे में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम निकले और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच रिपोर्ट सरकार को कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने यह सूचित किया है कि बड़े–बड़े दस्तावेजों और अनगिनत गवाहों, जो कि भिन्न–भिन्न स्थानों पर रहते हैं, की वजह से जांच प्रक्रिया की गति धीमी रही है। समिति संयोजकों ने मैसर्स कैरीब जेट और बाद में तत्कालीन वाणिज्यिक प्रबंधक (विपणन) का चयन किया, अपनी

सेवा–निवृत्ति के बाद स्विटजरलैंड जाकर बस गये थे उनकी जांच पड़ताल की जानी थी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अभी भी इस मामले की सक्रियता से छानबीन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

कृषि अनुसंधान

2076. **श्री पी. आर. खूंटे :**

श्री पुन्नू लाल मोहले :

श्री के. येरननायडू :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि अनुसंधान को भारतीय किसानों के अनुकूल बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कृषि अनुसंधान के क्षेत्र की व्यापक उपलब्धियां क्या रही हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद योजना बनाने, क्रियान्वयन करने, बढ़ावा देने, सहायता देने तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा का समन्वय करने तथा अग्रपंक्ति प्रदर्शनों के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियों का प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कृषि की सर्वोच्च संस्था है। यह फसलों की उन्नत किस्मों और पशुधन, कुक्कुट पालन तथा मत्स्य जातियों का विकास करने और उनका उत्पादन करने तथा कृषक समुदाय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कृषि पारिस्थितिकियों के लिए फार्म उपकरणों और मशीनरी सहित फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकियों का विकास करने और उन्हें अग्रपंक्ति के प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों तथा पारस्परिक क्रिया के माध्यम से किसानों को मुहैया कराने के लिए अपने अनुसंधान प्रयासों को जारी रखेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

2000-2001

135 से अधिक उपज देने में सक्षम विभिन्न कृष्य बागवानी फसलों की रोगरोधी किस्मों/संकरों को देश के विभिन्न कृषि–पारिस्थितिकी क्षेत्रों और फसल प्रणालियों के लिए जारी किया गया। इनके साथ उपयुक्त कृषि तकनीकियों का विकास कर उन्हें किसानों तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई। कुल 2413 टन प्रजनक बीजों का भी उत्पादन किया गया जिसमें सब्जियों के 55 टन बीज शामिल हैं । संसाधन उपलब्धता और इसके दक्ष उपयोग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कृषि–पारिस्थितिकी क्षेत्रों में आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार मुख्य फसलों पर आधारित आशाजनक फसल पद्धतियों का विकास किया गया। कृषि उपकरणों के विकास एवं फसल कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी और कटाई से पूर्व व कटाई के बाद मूल्य संबर्द्धन, प्रसंस्करण तथा भंडारण आदि पर विशेष रूप से बल दिया गया। पशुधन एवं मुर्गीपालन में सुधार एवं प्रबंधन के लिए माइक्रो–सैटेलाइट डी एन ए मार्कर तथा मोनोक्लोनल एंटीबाडी किट नामक दस तकनीकों, आहार संपूरकों एवं 'सीमन' संरक्षण पर आधारित तकनीकों का विकास किया गया। मत्स्य सुधार एवं प्रबंधन के क्षेत्र में भारतीय कैटफिश का सफलतापूर्वक अफ्रीकी कैटफिश से संकरण कराया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न मत्स्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण की तकनीकें भी विकसित की गई।

राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन ए टी पी) के अन्तर्गत अधिकतर कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया और टीम ऑफ एक्सीलेन्स (टी ओ ई), मिशन मोड (एम एम), उत्पादन प्रणाली अनुसंधान (पी एस आर), संस्थान–ग्राम सम्पर्क कार्यक्रम (आई वी एल पी) और प्रतिस्पर्धी अनुदान कार्यक्रम (सी जी पी) के अंतर्गत मंजूरी दे दी गयी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पटना में पूर्वी क्षेत्र के लिए अनुसंधान कॉम्पलेक्स की स्थापना की जिससे नई दिल्ली के नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेन्ट माइक्रोब्स; और अजमेर के नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसीज पर बहु–विषयी अनुसंधान द्वारा कृषि प्रणाली के संदर्भ में उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि की जा सके। इसके अतिरिक्त बीकानेर के अर्ध–शुष्क बागवानी के एन आर सी को राष्ट्रीय संस्थान में परिवर्तित किया गया।

1999-2000

फसलों की अधिक उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधी 75 से अधिक किस्मों/संकरो को देश के विभिन्न कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों के लिए जारी किया गया था। जिनमें 51 कृष्य फसलें और 24 बागवानी फसलें शामिल थीं। 63 देशों से विविध जननद्रव्यों के कुल 61,015 नमूनों का एकत्रण किया गया। तिलहनों, दलहनों, रेशा और चारा फसलों का कुल 2,302.48 टन प्रजनक बीज का उत्पादन किया गया। आन्ध्र प्रदेश में किसानों के परम्परागत तरीकों की तुलना में जैव–सघन समन्वित नाशीकीट प्रबन्ध मोड्यूल ने बेहतर लाभ लागत अनुपात दर्शाया। सभी जारी की गई आलू की किस्मों के लिए डी एन ए आधारित फिंगर प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी विकसित की गई। आलू में हैलीकोवर्पा और आलू शलभ की रोग प्रतिरोधी पराजीनी किस्में विकसित की गईं। विभिन्न राज्यों की मृदा और भू–बनावट दशाओं का मानचित्र बनाया गया और उत्तर–पूर्वी भाग के लिए भू–संसाधन एटलस तैयार की गई। लिफ्ट सिंचाई विकल्प के रूप में बिना लागत की सर्ज सिंचाई मक्का, सूरजमुखी और ज्वार के लिए आशाजनक पाई गई। विभिन्न फसलों में जल उपयोग दक्षता सुधारने के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित की गईं। ट्रैक्टर चालित हाइड्रोलिक नियंत्रित 'वेट लैण्ड लेवलर' 'टिल प्लांटर, बहु फसली प्लांटर, मिर्च से बीज निकालने वाला यंत्र आदि सहित कृषि के अनेक उपकरणों और मशीनरी का विकास किया गया।

पशुधन गणना डेटावेस 1992 तक अद्यतन किया गया। पशु आनुवंशिकी ससाधनों पर क्रिया सूचना प्रणाली का विकास किया गया। भोपाल में उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला शुरू की गई। खरगोशों को सोयाफ्लैक्स खिलाने से ऊन के उत्पादन में सुधार हुआ। खरगोश के आहार में स्थानीय रूप से उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों को मिलाना सस्ता पाया गया। भैंस में एंजाइमी विधि से 'प्रीएन्टल फालिकल' पृथक्करण यांत्रिक विधि से अच्छा पाया गया। भारत मेरीनों में 'डबल पंक्चर' तकनीक द्वारा भ्रूण की पुनः प्राप्ति 100 प्रतिशत पायी गयी। कुक्कुट आहार में ब्रोमोक्रिप्टिन मिलाने से अंडा उत्पादन में सुधार हुआ। कोसी नदी का जी आई एस मानचित्र तैयार किया गया, जिससे संकटग्रस्त माहशीर की विभिन्न जीवन अवस्थाओं के आवास का ज्ञान हो सके।

मीठे जल, शीत जल और खारे जल में जीवजन्तु पालन के लिए मत्स्य सुधार एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी पर अध्ययन किए गए, जय जवान राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत दो परियोजनाएं शुरू की गई थी जिनमें पहली घरेलू आहार एवं पोषण सुरक्षा तथा दूसरी कृषि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित थी।

1998-1999

84 से अधिक उपज देने में सक्षम विभिन्न कृष्य बागवानी फसलों के रोगरोधी किस्मों/संकरों को देश के विभिन्न कृषि–पारिस्थितिकी क्षेत्रों और फराल प्रणालियों के लिए जारी किया गया। राष्ट्रीय जीन बैंक में 3738 प्रविष्टियों को जोड़ा गया, जबकि कृषि बागवानी फसलों के 280 नमूने 20 देशों को निर्यात किये गए। पशु और मछली आनुवंशिक के पृथक्करण में हमारी स्थानीय नस्लों और प्रभेदों के लक्षणन के विशेष प्रयास किए गए। कुल 2643.6 टन बीज तैयार किया गया इन बीजों में अनाजों, तिलहनों और दलहनों की प्रमुख मात्रा थी। नारियल के बागानों के अपशिष्ट से वर्मीकम्पोस्ट का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकी को मानकीकृत किया गया। सिंचाई जल की बचत करने के लिए ड्रीप सिंचाई, सिंचाई की बार्डर विधि, पलवार और सम्पूरक सिंचाई विकसित की गई। इनसे धान–गेहूं प्रणाली की तुलना में धान – आलू – गेहूं और गन्ना से अधिकतम शुद्ध लाभ मिला। किसानों के खेतों में धान–मटर असम में, मूंगफली–गेहूं बिहार में, सोयाबीन–चना और धान–टमाटर मध्य प्रदेश में, धान–प्याज हिमाचल प्रदेश में, ज्वार–सूरजमूखी, उड़द–चना आदि महाराष्ट्र में, ग्वार–गेहूं राजस्थान में और मक्का–मटर+गेहूं और उड़द–गेहूं उत्तर प्रदेश में, लाभकारी कृषि प्रणालियां पाई गईं। पशु आनुवंशिक संसाधन प्रणाली को पशुधन और कुक्कुट सुधार और प्रबंधन के लिए सुधारा गया। रोग भविष्यवाणी के लिए कम्प्यूटर आधारित मॉडलों का विकास किया गया। देश के विभिन्न भागों में रिन्डरपेस्ट विषाणु की अनुपस्थिति सुनिश्चित की गई। ऊंट का दूध तपेदिक के उपचार में लाभकारी पाया गया। पशुओं की रीनोट्रेकाइसिस, ब्रूसेलोसिस और नीली जीभ के लिए नैदानिक किट विकसित किए गए। मल्टी इम्लशन हीमरोज सेप्टीसीमिया के लिए टीका तैयार किया गया। गायों, भैंसों, भेड़ों, बकरियों आदि के लिए भ्रूण स्थानान्तरण प्रौद्योगिकी प्रोटोकॉलों को मानकीकृत किया जा रहा था। मछली प्रजनन कार्यक्रम के लिए एक नये हार्मोन संरूपण ओवेटाइड का विकास किया गया। एक छः पंक्तियों वाले ट्रैक्टर चालित इन्क्लाइंड प्लेट रोपक, हस्तचालित एक पंक्ति वाले लहसुन रोपक, शक्ति चालित बहुफसली रोपक, शक्ति–चालित आलू रोपक एवं उर्वरक यंत्र, फल एवं सब्जी और सुखावक, निम्न तापमान पर कठोर कृषि उत्पाद की पिसाई करने वाला 100 कि॰ ग्रा॰/ घंटे की क्षमता वाला पिन मिल तथा भिण्डी से सोया–सॉस (सोयादूध और सोया पनीर टोफू का उपोत्पाद) तैयार करने की प्रौद्योगिकी का विकास किया गया। 'राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना' नामक विश्व बैंक की एक प्रतिष्ठित परियोजना नवम्बर, 1998 से पूरी तरह कार्यशील हो गई।

कृषि लागत और मूल्य आयोग

2077. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य को ध्यान में रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार 2001-2002 के दौरान और उसके बाद आगे भी राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) सोयाबीन (काला तथा पीला) समेत विभिन्न कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में सिफारिश करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी ए सी पी) कई कारकों पर ध्यान देता है जैसे कि खेती पर आने वाली लागत, मांग और आपूर्ति, आदान और प्रतिफल के मूल्य, कृषि व्यापार की शर्तें, मूल्यों में अंतर–फसलन साम्यता अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य आदि। इसके अलावा उपर्युक्त विषयों से संबंधित अन्य मुद्दों पर राज्य सरकारों और विभिन्न हित समूहों से पूछे जाने वाले प्रश्नों से प्राप्त जानकारियों पर भी विचार किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के विचार पर भी ध्यान दिया गया।

(ख) और (ग) सरकार ने 2001-02 मौसम की खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा पहले ही कर दी है जिसमें सोयाबीन को भी शामिल किया गया है। सोयाबीन (काले) के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 795 रु. प्रति क्विंटल तथा सोयाबीन (पीले) के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 885 रु. प्रति क्विंटल है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकार के विचारों, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार का विचार भी शामिल है और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और अन्य ऐसे सुसंगत कारकों पर विचार करने के बाद किया जाता है जिन्हें समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए महत्त्वपूर्ण समझा जाता है।

[अनुवाद]

एल्युमिनियम की उत्पादन लागत

2078. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में एल्युमिनियम की सिल्लियों (स्क्रैप के अलावा) का आयात किया गया और निर्यात के मुकाबले कितना आयात किया गया तथा उससे सीमाशुल्क के रूप में कितनी धनराशि संग्रहित की गई;

(ख) एशियाई और "सार्क" देशों की तुलना में एल्युमिनियम की सिल्लियों पर सीमाशुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में एल्युमिनियम की उत्पादन लागत कितनी थी;

(घ) क्या यह विश्व में सबसे कम है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या एल्युमिनियम की सिल्लियों का घरेलू बिक्री मूल्य विश्व में सर्वाधिक है;

(छ) यदि हां, तो उत्पादक किस अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर एल्युमिनियम का निर्यात कर रहे हैं;

(ज) सीमाशुल्क की दर ऊंची बनाए रखने और उत्पादकों को जनता से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से अधिक मूल्य वसूल करने हेतु बढ़ावा देने के क्या कारण हैं; और

(झ) सीमाशुल्क की दर कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान आयातित एल्यूमिनियम सिल्लियों (इंगोट) के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

(मात्रा टन में)

	1998-99	1999-2000	2000-2001
एल्यूमिनियम इंगोट–अलांयड नहीं (एग्जिम कोड : 7611001)	48203	36353	34174
एल्यूमिनियम इंगोट–अलायड (एग्जिम कोड : 76012001)	20256	9434	7716

पिछले तीन वर्ष के दौरान आयातित "एल्यूमिनियम" बजट शीर्ष पर एकत्रित सीमा शुल्क की राशि प्रकार निम्न है :

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
1998-1999	265.23
1999-2000	203.03
2000-2001	226.78

(ख) सार्क और अन्य एशियाई देशों में मूल सीमा शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है :

(प्रतिशत में)

	प्राथमिक	स्क्रैप	गौण
1	2	3	4
डब्ल्यू टी ओ कोड	7601	7602	7603-16
देश			
जापान	0	0	5
इंडोनेशिया	5	0	20
मलेशिया	5	5	30
फिलिपींस	10	–	35
सिंगापुर	10	10	10
दक्षिणी कोरिया	5	3	13
थाइजलैंड	10	6	20
पाकिस्तान*	5	10	–
श्रीलंका*	10	10	–
बंगलादेश*	7.5*	7.5	–
भारत*	25	15	25

* सार्क देश

** (मूल्यवर्धित कर 15%)

(ग) से (ङ) देश में एल्यूमिनियम की लागत संयंत्र–दर–संयंत्र भिन्न–भिन्न है। तथापि देश में एल्यूमिनियम के दो प्रमुख उत्पादक नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) और हिंडालको इंडस्ट्रीज (हिन्डालको) हैं और ये विश्व की न्यूनतम लागत पर एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाली कंपनियों में शामिल हैं। उत्पादन की लागत बाक्साइट की क्वालिटी, अन्य इंपुटों की दर, जनशक्ति की लागत और विद्युत लागत आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।

(च) और (छ) किसी देश विशेष में घरेलू एल्यूमिनियम कीमतों को लंदन धातु विनिमय (एल एम ई) कीमतों और उस देश की अन्य बाजार शक्तियों से जोड़ा जाता है। पिछले तीन वर्ष के दौरान देश के प्रमुख निर्यातक नालको की सकल निर्यात उगाही (सकल बिक्री उगाही में) से माल–भाड़ा और बीमा कम करके और शुल्क छूट पास बुक स्कीम और आयकर के लाभों को जोड़कर निम्न प्रकार है:

(रु. प्रति टन)

वर्ष	1998-99	1999-2000	2000-2001
शुद्ध उगाही	60,379	80,049	84,856

(ज) और (झ) आयात शुल्क की दरें घरेलू अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, मांग–आपूर्ति स्थिति, स्वदेशी उत्पादक और उपयोगकर्त्ता उद्योग आदि को संरक्षण का स्तर जैसे सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। सरकार ने सभी प्रासंगिक कारकों जिसमें उद्योग जगत से प्राप्त अभ्यावेदन और कोयला और खान मंत्रालय की सिफारिशें शामिल हैं, को ध्यान में रखकर एल्यूमिनियम पर मौजूदा शुल्क को ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

पर्यटन क्षेत्र को सहायता

2079. श्री रामपाल सिंह : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन क्षेत्र को कोई सहायता प्रदान करने का है जो अमेरिकी हमलों के कारण भारी मंदी से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय ने, अमेरिका पर हाल ही में आतंकवादी हमले के पश्चात्, आई भारी गिरावट को रोकने के लिए यात्रा व्यवसाय, होटलों तथा एयरलाइनों से विचार–विमर्श किया है। भारत के एक सुरक्षित गंतव्य होने के बारे में समूचे विश्व में उपयुक्त संकेत भेजने के प्रयास भी किए गए हैं। कम प्रभावित मार्केटों पर अधिक ध्यान देकर और व्यापार एवं उद्योग द्वारा मार्केटिंग का नवीकरण करके घरेलू पर्यटन की संभावना के संवर्धनात्मक प्रयासों का नवीकरण भी किया जा रहा है।

[अनुवाद]

इस्पात कंपनियों द्वारा अर्जित मुनाफा

2080. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री जी. एस. बसवराज :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात कंपनियों ने अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले बेहतर कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारी मुनाफा दर्शाया है;

(ग) इन कंपनियों द्वारा कुल कितना मुनाफा अर्जित किया गया; और

(घ) इस मुनाफे में और अधिक वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (घ) विश्व इस्पात बाजार में विद्यमान मंदी की स्थिति तथा इस्पात के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सम्पूर्ण विश्व और भारतीय इस्पात कंपनियों के लाभ पर भारी दबाव है। भारत और अमेरिका की इस्पात कंपनियों के निष्पादन की तुलना करना कठिन है क्योंकि दोनों देशों में कुछ कंपनियां लाभ कमा रही हैं और अन्य घाटे में चल रही हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग 25 अमरीकी इस्पात निर्माताओं ने 1999 के बाद दिवालियापन का आवेदन किया है। भारत की चुनिंदा इस्पात कंपनियों का निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। इस्पात क्षेत्र के उदारीकरण के बाद इस्पात कंपनियां अपनी लाभप्रदता में वृद्धि करने के लिए अपनी रणनीतियां तैयार करती हैं।

विवरण

चुनिंदा इस्पात कम्पनियों का निष्पादन

कम्पनी का नाम	(+) निवल लाभ/हानि(–) 2000-01	(+) निवल लाभ/हानि (–) 1999-00
1	2	3
भूषण स्टील	+46	+45
एस्सार स्टील	–346	–581
जिंदल आयरन	–97	+9
जिंदल स्ट्रीप्स	+53	+63
लॉयड स्टील	–407	–265
मुकुन्द लिमिटेड	–32	–7
सेल	–729	–1720
टिस्को	+553	+423

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पर्यटन का विकास

2081. श्री शिवराजसिंह चौहान :

श्री जयभान सिंह पवैया :

श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने प्रस्ताव स्वीकृत हुए/अस्वीकृत हुए और इस समय कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं; और

(ग) जिन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया उन्हें अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) विवरण नीचे दिए गए अनुसार है :–

वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1999-2000	16
2000-2001	12
2001-2002	10

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए प्राथमिकता प्रदत्त 10 परियोजनाओं में से, 6 प्रस्ताव प्राप्त हुए और उन पर कार्रवाई की गई है। खजुराहो राष्ट्रीय लोक उत्सव के आयोजन की परियोजना के लिए 5.00 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं और 1.95 लाख रुपए की पहली किश्त जारी भी कर दी गई है। शेष पांच प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से मांगी गई सहायता

2082. श्री कालवा श्रीनिवासुलु :

राजकुमारी रत्ना सिंह :

श्री पी. सी. थामस :

श्री राम टहल चौधरी :

श्री एन. एन. कृष्णदास :

श्रीमती रेनु कुमारी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राष्ट्रीय आपदाओं के रूप में घोषित प्राकृतिक आपदा की स्थितियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से कितनी सहायता की मांग की गई है तथा राज्य–वार प्रत्येक प्रभावित राज्य को और कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष के संबंध में प्रचालन दिशा–निर्देश आबंटन, अवधि और वित्तपोषण का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार बिहार में आपदा राहत कोष के तहत किए गए कार्य की प्रगति से संतुष्ट है; और

(ङ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य द्वारा धनराशि के उचित उपयोग हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) किसी प्राकृतिक आपदा को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, कोई भी प्राकृतिक आपदा, जो राज्य सरकार के संसाधनों से परे हो और जिसके लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों और समर्थन की जरूरत हो, का निपटान राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है।

(ख) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अब तक) के दौरान आपदा राहत कोष के केन्द्रीय हिस्से के निर्मुक्ति का राज्य–वार ब्यौरा और इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से मांगी गई सहायता और निर्मुक्त की गई राशि संलग्न विवरण–I और II में दी गई है।

(ग) आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष के गठन और संचालन के बारे में क्रमशः दिनांक 24.11.2000 और 15.12.2000 को जारी की गई स्कीमों में आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष के प्रचालन और निधि व्यवस्था संबंधी दिशा–निर्देश दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) प्राकृतिक आपदाओं के आने पर आवश्यक उपाय करने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की है। जिसमें बिहार भी शामिल है। आधारीय स्तर पर राहत का वितरण भी संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

विवरण–I

1998-99 से 2001-02 के दौरान आपदा राहत कोष के केन्द्रीय हिस्से की निर्मुक्ति का राज्य–वार ब्यौरा को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10330.00	10769.00	14854.00	15597.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	586.00	610.00	902.00	947.00
3.	असम	4160.00	4337.00	7612.00	3996.00
4.	बिहार	4322.00	3379.00	5022.00	2636.50
5.	छत्तीसगढ़	–	–	2060.00	2163.00
6.	गोवा	89.00	93.00	46.50	–
7.	गुजरात	11612.00	12105.00	13113.51	11701.49

1	2	3	4	5	6
8.	हरियाणा	2084.00	2173.00	6098.00	3201.50
9.	हिमाचल प्रदेश	2242.00	2337.00	3261.00	3424.00
10.	जम्मू व कश्मीर	1639.00	1709.00	2618.00	–
11.	झारखंड	–	–	4252.00	–
12.	कर्नाटक	3481.00	3629.00	5593.00	5872.00
13.	केरल	4608.00	4804.00	1734.39	8603.61
14.	मध्य प्रदेश	4249.00	4429.00	4698.00	4932.00
15.	महाराष्ट्र	5673.00	4436.00	11790.00	12380.00
16.	मणिपुर	206.00	161.00	156.00	–
17.	मेघालय	232.00	242.00	295.00	155.00
18.	मिजोरम	105.00	110.00	111.50	–
19.	नागालैंड	141.00	147.00	53.08	–
20.	उड़ीसा	4077.00	4250.00	10365.25	6465.75
21.	पंजाब	4504.00	4696.00	9204.00	4832.00
22.	राजस्थान	14892.00	15525.00	19600.25	12225.75
23.	सिक्किम	392.00	408.00	294.66	495.34
24.	तमिलनाडु	4937.00	5147.00	7698.00	4041.50
25.	त्रिपुरा	374.00	390.00	140.83	–
26.	उत्तर प्रदेश	10407.00	10850.00	3208.44	13521.06
27.	उत्तरांचल	–	–	709.91	2992.59
28.	पश्चिम बंगाल	4269.00	4450.00	7583.00	3981.00

विवरण- II

1998-99 वर्ष 2001-02 के दौरान राष्ट्रीय आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से मांगी गई और निर्मुक्त की गई सहायता का राज्य–वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	1998-99		1999-2000		2000-01		2001-2002	
		सहायता (एन.एफ.सी.आर)		सहायता (एन.एफ.सी.आर)		सहायता (एन.सी.सी.एफ)		सहायता (एन.सी.सी.एफ)	
		मांगी गई	निर्मुक्त	मांगी गई	निर्मुक्त	मांगी गई	निर्मुक्त	मांगी गई	निर्मुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	600.00	26.50	760.36	75.36	777.71	10.00	950.57	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	200.23	13.47	शून्य	शून्य	139.10	2.00	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	1001.98	59.90	शून्य	शून्य	–	–	–	–
4.	बिहार	1003.75	11.45	701.26	38.18	975.87	29.67	735.45	शून्य
5.	छत्तीसगढ	–	–	–	–	495.64	58.94	158.25	23.94
6.	गुजरात	810.65	55.35	817.23	54.58	15110.46	1579.37	–	–
7.	हरियाणा	757.29	13.27	शून्य	शून्य	–	–	607.73	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	266.06	शून्य	259.42	शून्य	1874.45	52.27	83.33	$
9.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य	214.47	73.42	1880.95	23.20	–	–
10.	कर्नाटक	1352.13	39.78	249.95	17.09	435.83	शून्य	903.45	शून्य
11.	केरल	1499.63	शून्य	79.56	शून्य	200.00	शून्य	551.75	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	251.34	शून्य	556.88	38.86	*795.42	57.72	253.84	$
13.	महाराष्ट्र	152.26	शून्य	शून्य	शून्य	–	–	500.00	शून्य
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	24.00	4.93	–	–	–	–
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	22.13	1.00	–	–
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	35.08	6.00	–	–	–	–
17.	उड़ीसा	445.59	शून्य	7143.54	828.15	443.95	49.62	1530.88	100.00
18.	पंजाब	1140.60	शून्य	शून्य	शून्य	–	–	–	–
19.	राजस्थान	959.62	21.98	1144.40	102.93	2367.80	113.97	–	–
20.	सिक्किम	141.41	7.67	शून्य	शून्य	–	–	–	–
21.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	–	–	–	–
22.	त्रिपुरा	30.11	5.05	158.80	5.34	–	–	–	–
23.	उत्तर प्रदेश	2254.30	131.15	339.55	16.68	–	–	–	–
24.	पश्चिम बंगाल	804.43	66.33	750.38	29.52	1486.70	103.25	–	–

* इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मांग शामिल है।

$ विधाराधीन

टिप्पणी : भारी वर्षा/अचानक बाढ़ के कारण आंध्र प्रदेश, सूखे के कारण बिहार और सूखे के कारण महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त अनुरोध भी विधाराधीन हैं।

बागवानी फसलों संबंधी राज्य बीज उप-समिति का पुनर्गठन

2083. श्री कोलूर वसवनागौड :

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बागवानी फसलों के लिए राज्य बीज उप–समिति के पुनर्गठन हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रस्ताव के कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) केन्द्रीय बीज समिति ने नई दिल्ली में 19 नवम्बर, 2001 को आयोजित अपनी 29वीं बैठक में कर्नाटक की बागवानी फसलों के लिए राज्य बीज उप–समिति के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। बागवानी फसलों के लिए कर्नाटक राज्य बीज उप–समिति की संरचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

सं. 17-36/2001- एस. डी. iv

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

दिनांक 29 नवम्बर, 2001

आदेश

केन्द्रीय बीज समिति बीज अधिनियम, 1966 की धारा 3(5) के अंतर्गत कर्नाटक राज्य के लिए बागवानी फसलों के लिए राज्य बीज उप–समिति का पुनर्गठन करती है जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे :

क्र.स.	नाम	पदनाम
1	2	3
1.	सचिव (बागवानी) कृषि और बागवानी विभाग, बहुमंजलीय भवन, बगंलौर–560001	अध्यक्ष
2.	निदेशक बागवानी लालबाग, बंगलौर–560004	सदस्य
3.	निदेशक, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हैस्सरघट्टा, लेक पोस्ट बंगलौर–560089	सदस्य
4.	निदेशक, अनुसंधान, जी. के. वी. के., कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर–560065	सदस्य
5.	निदेशक, अनुसंधान, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड–580005	सदस्य
6.	क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, हैब्बल, बंगलौर–560024	सदस्य
7.	प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य बीज निगम, बीज भवन, हैब्बल, बंगलौर–560024	सदस्य

1	2	3
8.	निदेशक, कर्नाटक राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी, 43-1/बी, हंसा नर्सरी फार्म, हैब्बल, बंगलौर–560024	सदस्य
9.	संयुक्त निदेशक (बागवानी विकास) लालबाग, बंगलौर–560004	सदस्य
10.	श्री शवनगौडा आर॰ पाटिल, भूतपूर्व टी.एम.सी॰ अध्यक्ष बयाडोगी, हावेरी जिला	सदस्य
11.	श्री के॰ आर॰ श्रीधर भाट सुपुत्र श्री रामचन्द्र भाट, नाडाकलासी, सागर तालुका, शिमोगा जिला	सदस्य
12.	निदेशक, मैसर्स नामधारी बीज, बिडाडी, रामनगर तालुका, बंगलौर ग्रामीण जिला	सदस्य
13.	डा॰ मनमोहन अट्टावर, मैसर्स इन्डो–अमेरिकन संकर बीज, कर्नाटक रोड, बनशकरी, बंगलौर	सदस्य
14.	श्री एस॰ आर॰ बिदाराघट्टी, करजेगी, हावेरी तालुका और जिला	सदस्य
15.	सचिव, केन्द्रीय बीज समिति सह–उपायुक्त (क्यू.सी॰) नई दिल्ली।	सह–संयोजक
16.	उपनिदेशक बागवानी, (एस.टी.एल॰) लालबाग, बंगलौर 560004	सह–संयोजक

विचारार्थ विषय :

(i) बीज अधिनियम, 1966 (बागवानी फसलें) के कार्यान्वयन से संबधित सभी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना।

(ii) राज्य में बीज अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और राज्य सरकार/केन्द्रीय बीज समिति को आवधिक रिपोर्टें भेजना।

(iii) राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला (ओं) की जांच करना और राज्य सरकार को बीज अधिनियम के अंतर्गत राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला (बागवानी फसलें) के रूप में घोषित किए जाने के लिए उसकी (उनकी) उपयुक्तता के बारे में रिपोर्ट देना।

(iv) शैक्षिक संवर्धनात्मक उपायों की सलाह देना ताकि बीज अधिनियम का उचित प्रवर्तन हो सके और उसे समझा जा सके।

(v) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलों की विभिन्न किस्मों की योजना बनाना और बीज रोपण सामग्री विशेष रूप से प्रमाणित, आधारी और प्रजनक बीज/रोपण सामग्री की मांग संबंधी अनुमानन की समीक्षा करना।

(vi) राज्य के लिए फसलों की नई किस्मों की निर्मुक्ति पर विचार करना और राज्य में नई निर्मुक्त किस्मों के कार्यनिष्पादन की मानिटरिंग करना।

(vii) अन्य कोई कार्य जो इस बीज अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्रीय बीज समिति/राज्य सरकार द्वारा सौंपा जाए।

(viii) इस उप–समिति का मुख्यालय बंगलौर में होगा।

(ix) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(x) इस उप–समिति का कार्यकाल 20 जून, 2003 को समाप्त होगा।

ह./–
(सी. शनमुगम)
सचिव, केन्द्रीय बीज समिति व
उपायुक्त (क्यू.सी.)

प्रति प्रेषित :

1. राज्य बीज उप–समिति के सभी सदस्य
2. केन्द्रीय बीज समिति के सभी सदस्य
3. अध्यक्ष, केन्द्रीय बीज समिति
4. अपर सचिव (प्रभारी बीज)
5. संयुक्त सचिव (बीज)
6. सचिव, केन्द्रीय बीज समिति व उपायुक्त (क्यू.सी.)
7. उपायुक्त (बीज)
8. अवर सचिव (बीज)
9. अनुभाग अधिकारी (एस.डी. 1)
10. संबंधित सहायक (बीज विकास-1) को गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के मामलों पर कार्रवाई के लिए।
11. सचिव, कृषि/बागवानी, कर्नाटक सरकार, बंगलौर।

कर्नाटक सरकार को सलाह दी जाती है कि यदि इस अवधि के दौरान राज्य बीज उप–समिति की बैठक इस विचार से हुई है कि राज्य बीज उप–समिति का पुनर्गठन एक नेमी मामला है और पुनर्गठन संबधी निर्णय प्राप्त हो ही जाएंगे तो उक्त बैठक के लिए गए निर्णयों की नई राज्य बीज समिति से अभिपुष्टि करा ली जाए।

ह./-
(डी.एस.मिश्रा)
सहायक निदेशक (क्यू.सी.)

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सामुदायिक विकास योजना के तहत खर्च की गई धनराशि

2084. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड राज्य में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपनी स्थापना से लेकर सामुदायिक विकास योजना के तहत कितनी धनराशि खर्च की गई और स्वीकृत की गई है;

(ख) उक्तावधि के दौरान इस योजना के तहत किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में योजना को कार्यान्वित करने में किन्हीं वित्तीय अनियमितता की सूचना दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) झारखण्ड राज्य में प्रचालनरत बी. सी. सी. एल., सी.सी.एल. तथा ई.सी.एल. (झारखण्ड राज्य में आंशिक रूप से प्रचालनरत) द्वारा सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत 2000-01 के दौरान खर्च की गई और मंजूर की गई राशि नीचे दी गई है :

(लाख रुपये में)

कम्पनी	राज्य	बजट व्यवस्था	खर्च की गई राशि
बी.सी.सी.एल.	झारखण्ड	117.00	43.24
सी.सी.एल.	झारखण्ड	85.20	56.25
ई.सी.एल.	झारखण्ड	11.50	11.50

(ख) बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल. और ई.सी.एल. द्वारा उक्त अवधि में योजना के अन्तर्गत किए गए कार्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कोयला कम्पनियों द्वारा ऐसी किसी वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(घ) ऊपर (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल. तथा ई.सी.एल. द्वारा किये गये कार्य का ब्यौरा

भारत कोकिंग कोल लि.

क्र.सं.	कार्य का नाम
1.	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण/पुनरुद्धार/मरम्मत करना।
2.	हैण्ड पम्प लगाना।
3.	तालाबों/कुओं की खुदाई/पुनरुद्धार करना।
4.	शैक्षिक संस्थान भवनों का निर्माण/विस्तार, मरम्मत करना।
5.	सड़कों का निर्माण/मरम्मत करना।
6.	पाइपलाइन द्वारा पानी की आपूर्ति करना।
7.	सामुदायिक शौचालयों का निर्माण/मरम्मत करना।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.

क्र.सं.	कार्य का नाम
1.	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण/मरम्मत करना।
2.	हैण्डपम्प लगाना/कुओं/नलकूपों/बोरहोलों का शोधन करना।
3.	सड़कों/कलवर्टों का निर्माण/मरम्मत करना।
4.	शैक्षिक संस्थान भवनों का निर्माण/विस्तार/मरम्मत करना।
5.	चिकित्सा सेवाएं तथा स्थास्थ्य कैंप।
6.	स्व–नियोजित प्रशिक्षण।
7.	विद्यालयों में फलदार पौधे लगाना।
8.	खेलकूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियां।
9.	अन्य विविध कार्य (विद्युतीकरण सहित)

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

क्र.सं.	कार्य का नाम
1.	शैक्षिक संस्थानों का विकास करना।
2.	सड़कों का निर्माण करना।
3.	जलआपूर्ति योजना।
4.	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण।
5.	ग्रामीण विद्युतीकरण।
6.	वनीकरण।

पर्यटन वित्त निगम

2085. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन वित्त निगम के कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार पर्यटन वित्त निगम के कार्यकलापों को किस प्रकार बढ़ाने का है;

(ग) क्या पर्यटन वित्त निगम ने पर्यटन अवसंरचना में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों को ऋण दिया है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य–वार दिए गए ऐसे ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) आवास और आतिथ्य घटक में परम्परागत पर्यटन परियोजनाओं के अलावा, भारतीय पर्यटन वित्त निगम ने रेस्तरां, राजमार्ग सुविधाओं, यात्रा ऐजेंसियों, मनोरंजन पार्क, बहुमंजिलीय परिसरों, रज्जुमार्गों और कार किराया सेवाओं इत्यादि जैसी गैर–परम्परागत पर्यटन परियोजनाओं के लिए भी निधिकरण शुरू कर दिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व

2086. श्री रमेश सी. जीगाजीनागी :

श्री रामदास आठवले :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के तहत प्रथम श्रेणी (समूह क) की सेवाओं और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व उनके लिए निर्धारित 22.5% के मुकाबले बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं, के तहत (एक) प्रथम श्रेणी (समूह क) और (दो) द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) इन पदों पर (एक) सामान्य, (दो) अनुसूचित जाति, (तीन) अनुसूचित जनजाति (चार) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में उनका प्रतिशत कितना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रभावित वन प्रभागों में धनराशि का उपयोग

2087. श्री महेश्वर सिंह : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संबंधित विभागों से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के उपयोग हेतु अथवा अन्य विकासात्मक कार्यकलापों को पूरा करने के लिए उन्हें दी गई अनुमति के बदले पेड़ उगाने के लिए कुछ अनुमानित धनराशि जमा करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सरकार के पास राज्यवार जमा ऐसी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित राज्य के वन विभागों ने अधिनियम की भावना के अनुरूप प्रभावित वन प्रभागों में पेड़ उगाने के लिए ऐसी धनराशि का उपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा ऐसी धनराशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत बनाए गए नियमों और दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रभावित जिले में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाना होता है। तथापि जब प्रभावित जिलों में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होती है तो वनीकरण को अन्य जिलों में भी किया जा सकता है। प्रयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त राशि तथा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गई राशि का राज्य–वार विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे खर्च न की जा सकी राशि का तेजी से उपयोग करें।

विवरण

राशि लाख रुपयों में

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	1998-99 से 2000-01 के दौरान यूज़र एजेंसी से प्राप्त निधियां	इस अवधि के दौरान प्रतिपूरक वनीकरण के लिए प्रयोग की गई निधियां
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1845	3773
अरुणाचल प्रदेश	1238	184
असम	177	103
बिहार	0	0
गोवा	260	218
गुजरात	4054	3383
हरियाणा	278	98
हिमाचल प्रदेश	260	274
जम्मू व कश्मीर	0	0
कर्नाटक	2386	1745
केरल	4469	3847
मध्य प्रदेश	0	0
महाराष्ट्र	1203	5292
मणिपुर	0.05	–
मेघालय	1	–
मिजोरम	422	178
उड़ीसा	1502	448
पंजाब	1312	842
राजस्थान	1207	588
सिक्किम	363	310
तमिलनाडु	110	69
त्रिपुरा	22	10
उत्तर प्रदेश	550	57
पश्चिम बंगाल	177	227
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	59	52
दादरा और नगर हवेली	102	0
कुल	21997	21598

कोयला परियोजनाएं

2088. श्री रामजीलाल सुमन :

डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद 401 कोयला परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक उनमें से कितनी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं;

(ग) उन पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या निर्धारित समय–सीमा के भीतर इन परियोजनाओं पर मंजूर की गई धनराशि खर्च न करने के लिए वचनबद्धता शुल्क अदा किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकरण के पश्चात्, अक्तूबर 2001 तक कोल इंडिया लि. (सी आई एल) में 401 कोयला खनन परियोजनाएं तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. (एससीसीएल) के 84 कोयला खनन परियाजनाएं, जिनकी, प्रत्येक की लागत 2 करोड़ रुपये और उससे अधिक है, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् क्रियान्वयन के लिए ली गई है। इनमें से अभी तक सीआईएल में 318 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और एससीसीएल में 60 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं।

(ग) सीआईएल की अनुमोदित परियोजनाओं के संबंध में अगस्त 2001 तक खर्च की गई कुल राशि 15097.33 करोड़ रुपये (अनन्तिम) है। एससीसीएल की अनुमोदित परियोजनाओं के संबंध में अक्तूबर 2001 तक खर्च की गई कुल राशि 3520.71 करोड़ रुपये (अनंतिम) है।

(घ) और (ङ) सीआईएल की कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सीएसआरपी) के लिए ग्रुप पर वचनवद्धता प्रभार अदा किये गये हैं हालांकि निवेश कार्यक्रम समय पर चल रहा था। वचनबद्धता प्रभार आमतौर पर, किसी प्रमुख बैंक के साथ किए गए करार की अनुप्रयुक्त शेष राशि पर अदा किया जाना होता है। सीएसआरपी के अन्तर्गत आईबीआरडी और जे.बी.आई.सी. ऋण पर 15/11/2001 तक अदा किया गया वचन बद्धता प्रभार 12.95 करोड़ रुपये है।

एससीसीएल में किसी परियोजना के लिए स्वीकृत रकम को खर्च न किये जाने के लिए कोई वचनबद्धता प्रभार अदा नहीं किया गया है।

दलहनों की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता

2089. राजकुमारी रत्ना सिंह :

श्री ए. नरेन्द्र :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 की तुलना में वर्ष 2000-2001 में दलहनों की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता कितनी है;

(ख) क्या दलहनों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा दलहनों की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या दलहनों का उत्पादन गत वर्षों में नहीं बढ़ रहा है;

(ङ) क्या खुले बाजार में दलहनों के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो कमजोर वर्गों को उचित मूल्यों पर दलहन उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (च) दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में 1981 में 13.7 किग्रा. प्रति वर्ष/37.5 ग्राम प्रतिदिन से 2000 में 11.7 किग्रा प्रति वर्ष/32.0 ग्राम प्रति दिन तक की गिरावट दर्ज की गई है। दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में गिरावट का कारण आबादी में वृद्धि, दालों के उत्पादन में वृद्धि की निम्न दर आदि जैसे बहुत से कारक हैं। दालों का उत्पादन जो 1980-81 में.10.63 मिलियन मी. टन था, 1998-99 में बढ़कर 14.91 मिलियन मी. टन हो गया किन्तु 1999-2000 में घटकर 13.35 मिलियन मी. टन हो गया और वर्ष 2000-01 के लिए उत्पादन के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 11.06 मिलियन मी. टन होने की संभावना है। देश में दाल उत्पादन के समक्ष अभी भी बहुत सी कठिनाइयां हैं जैसे उनकी खेती का प्रमुख रूप से वर्षा सिंचित मार्जिनल तथा उप मार्जिनल भूमियों में सीमित होना, कीट, कृमि और रोगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता तथा आनुवांशिकीय सफलता का अभाव आदि। तथापि, सरकार दालों के उत्पादन और

उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है। दालों की आवश्यकता में कमी को जब कभी आवश्यक होता है, आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। 10 नवम्बर, 2001 को समाप्त होने वाले सप्ताह के लिए दालों का थोक मूल्य सूचकांक 0.5 प्रतिशत की साप्ताहिक गिरावट, 0.3 प्रतिशत की मासिक गिरावट और 8.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्रदर्शित करता है।

/अनुवाद/

होटलों की सम्पत्तियों का विलय न करना

2090. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम का विचार अपने नौ होटलों की सम्पत्तियों का विलय न करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनकी सम्पत्तियों का विलय कब तक न किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आई.टी.डी.सी.) में विनिवेश की प्रक्रिया विनिवेश विभाग द्वारा की जा रही है। विभाग ने अवगत कराया है कि भारत पर्यटन विकास निगम में विनिवेश, सरकार द्वारा विनिवेश आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लेने के पश्चात् किया गया है। भारत पर्यटन विकास निगम की होटल परिसम्पत्तियों/कारोबार के संबंध में सरकार की विनिवेश योजना निम्न प्रकार है:

चार होटल परिसम्पत्तियों, अर्थात् होटल अशोक दिल्ली, होटल सम्राट दिल्ली, होटल अशोक बेंगलौर और ललित महल पैलेस होटल, मैसूर को भारत पर्यटन विकास निगम के विद्यमान शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरह एक अलग कम्पनी बना दिया जाएगा और दीर्घावधि लीज–सह–प्रबंधन संविदा आधार पर दिया जाएगा। यह ध्यान रखा गया है कि इन प्रत्येक परिसम्पत्तियों को बोली लगाने वालों को अलग–अलग दिया जाए।

विनिवेश विभाग के अनुसार दिल्ली स्थित 6 होटलों सहित शेष 22 होटल परिसम्पत्तियों को 100% सरकारी इक्विटी के विनिवेश के सीमित प्रयोजन के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के अप्रत्यक्ष शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरह अलग कम्पनी बना दिया जाएगा। विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से परिसम्पत्ति विशेष के लिए चुने एक खरीददार को चुने जाने के पश्चात्, इन प्रत्येक परिसम्पत्तियों को अलग की गई क्रमिक कम्पनियों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह ध्यान रखा गया है कि 100% विनिवेश के लिए प्रस्तावित सभी परिसम्पत्तियों को भी एक–एक करके बेचा जाएगा।

लक्षद्वीप में द्वीपसमूहों का विकास

2091. प्रो. ए. के. प्रेमाजम : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्री ने लक्षद्वीप की अपनी यात्रा में इस बात पर जोर दिया है कि देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए कुछ द्वीप समूहों का विकास किए जाने और उन्हें खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बात पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) लक्षद्वीप में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। आबादी वाले बंगाराम, अगाती और कडामत द्वीप समूह को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए तथा अगाती, कावारत्ती तथा मिनिकाय को केवल घरेलू पर्यटकों के लिए खोला गया है। लक्षद्वीप प्रशासन ने थिन्नकारा और चेरियम नामक गैर आबादी वाले दो द्वीपसमूहों को भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए खोलने तथा वे स्थल, जो घरेलू पर्यटकों मात्र के लिए खुले हैं, उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए खोलने का प्रस्ताव किया है।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने लक्षद्वीप को प्रमुख पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में संवर्धित करने के उद्देश्य विस्तृत मास्टर प्लान की तैयारी हेतु वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया है। लक्षद्वीप प्रशासन भी इस द्वीपसमूह की महत्ता तथा एक विश्वस्तरीय जल क्रीड़ा और सावकाश पर्यटन गंतव्य स्थल के रूप में विकसित हो सकने की भारी संभावना के मद्देनजर नए द्वीपसमूहों को खोलने तथा पर्यटन अवसरंचना सृजित करने के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करने का विचार कर रहा है।

(ग) घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए पर्यटन का संवर्धन एवं विकास एक सतत् प्रक्रिया है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग अपने विदेश स्थित 18 कार्यालयों तथा देश स्थित 21 कार्यालयों के माध्यम से समाचार पत्रों और टेलीविजन पर विज्ञापन देकर, यात्रा मेलों में शामिल होकर, मीडिया और यात्रा एजेंटों को आमंत्रित कर तथा पर्यटन संवर्धन में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक प्रयोग के द्वारा लक्षद्वीप के पर्यटक स्थलों का प्रचार–प्रसार तथा

संवर्धन कर रहा है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा मानार्थ पास

2092. श्री वाई. वी. राव :

प्रो. आई. जी. सनदी :

श्रीमती कान्ति सिंह :

डा. डी. वी. जी. शंकर राव :

श्री साहिब सिंह :

श्री अजय सिंह चौटाला :

श्री नरेश पुगलिया :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स मानार्थ पास जारी करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में दोनों एयरलाइन्स द्वारा आज तक अलग-अलग ऐसे कितने पास जारी किए गए;

(घ) इन एयरलाइन्स द्वारा ऐसे पास जारी करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ङ) उक्तावधि के दौरान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को इन पासों को जारी करने के लिए कितना वित्तीय घाटा हुआ;

(च) क्या सरकार द्वारा ऐसे सभी मानार्थ पास बंद करने का निर्णय किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी धनराशि की बचत होने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (छ) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स ने मानार्थ पासों को जारी करना बंद कर दिया है। यद्यपि, यह सामान्य बिक्री संवर्धन के मामले में लागू नहीं है। प्रश्न संख्या (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) और (छ) के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन एयरलाइन्स और अन्य गैर-सरकारी एयरलाइंस में यात्रियों की संख्या

2093. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री त्रिलोचन कानूनगो :

श्री ए. ब्रह्मनैया :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिदिन चलने वाली इंडियन एयरलाइन्स और गैर-सरकारी एयरलाइन्स की सेवाओं के तहत कितनी एयर बसें हैं;

(ख) माह जून, 2001 में उड़ान के प्रत्येक दिन के दौरान *जे* और *वाई* श्रेणी दोनों में प्रारंभिक स्थल गंतव्य स्थल तक कितनी सीटें भरी हुई थीं;

(ग) दोनों श्रेणियों के यात्रियों की संख्या का प्रतिशत एअरक्राफ्ट के लिए ब्रेक ईवेन के समान माना गया;

(घ) एक एअरक्राफ्ट की सामान्य कार्यसाधक अवधि कितनी होती है और इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया के तहत चलने वाली प्रत्येक एअरक्राफ्ट, एअर बस और बोईंग दोनों की आयु कितनी होती है;

(ङ) क्या पिछले दो माह के दौरान इंडियन एयरलाइन्स द्वारा लाये ले जाये जा रहे यात्रियों की संख्या में कमी आई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या घरेलू क्षेत्र में गैर-सरकार एयरलाइन्स अधिक यात्रियों को लाते ले जाते हैं; और

(ज) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें यात्रियों के लिए और आकर्षक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) एयर बस विमान इंडियन एयरलाइंस द्वारा ही प्रचालित किये जाते हैं :

प्रकार	संख्या
ए-300	6+2 (पट्टे पर)
ए-320	30+2 (पट्टे पर)

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रतिदिन होने वाली अधिसूचित एअर बस विमानों की संख्या की वर्तमान में सूची इस प्रकार है :

ए–300	6
ए–320	28

(ख) जून, 2001 में विभिन्न एयरलाइनों द्वारा दैनिक आधार पर यात्रा किए गए कुल राजस्व यात्रियों की संख्या, जे तथा वाई श्रेणियों के अनुसार अलग–अलग (विवरण–I से III में) संलग्न है :

इंडियन एयरलाइन्स और एलायंस एयर	विवरण–I
जेट एयरवेज	विवरण–II
सहारा एयरलाइन्स	विवरण–III

(ग) विभिन्न एयरलाइनों का सीट फैक्टर में ब्रेक इस प्रकार है :

इंडियन एयरलाइन्स एवं एलायंस एयर	ए–300–65 प्रतिशत
	ए320–71 प्रतिशत
	बी737–70 प्रतिशत
जेट एयरवेज	73 प्रतिशत से 75 प्रतिशत
सहारा एयरलाइन्स	56 प्रतिशत

(घ) आधुनिक परिवहन विमान के विनिर्माताओं ने कोई उड़ान घंटे/प्रचालन के हटा लिए जाने की अवधि/इस प्रकार निर्धारित समय–सीमा पूरी हो जाने पर इन हवाई जहाजों को चरणबद्ध तरीके से हटा लिए जाने की अंतिम समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

विमान के प्रकार	उड़ान घंटे	उड़ान चक्कर/लैंडिग	प्रचालनावधि (वर्ष)
बोइंग 737–200	60,000	20,000	20
बोंइग 737	51,000	75,000	20
एयरबस ए300–बी 2	60,000	48,000	शून्य
एयरबस ए300–बी 4	60,000	34,000	शून्य
एयरबस ए 310	60,000	35,000	शून्य
एयरबस ए 320	60,000	48,000	शून्य

डिजाइन इक्नोमिक लाइफ निर्धारित करने का तात्पर्य यह है कि यदि विमान निर्धारण डिजाइन इक्नोमिक लाइफ से अधिक पुराना हो जाता है तो रख–रखाव और प्रचालन–लागत के किफायती नहीं होने की आशंका है और इसका यह मतलब नहीं है कि विमान उड़नयोग्य नहीं है या इसका आपरेशन सुरक्षित नहीं है। डिजाइन इक्नोमिक लाइफ पूरी होने के बाद भी विमान का आपरेशन उड़नयोग्य और सुरक्षित हो सकता है बशर्ते कि ऐसे विमानों के लिए डी. जी. सी. ए. और विनिर्माताओं द्वारा निर्धारित अनुरक्षण अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया हो।

इंडियन एयरलाइन्स और एलायंस एयर द्वारा प्रचालित की जाने वाली प्रत्येक विमान की प्रचालन–अवधि संलग्न विवरण–IV में दी गई है। एअर इंडिया के विमानों के बारे में भी इसी प्रकार के आंकड़े संलग्न विवरण–V में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। माह सितम्बर और अक्टूबर 2001 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के यात्रियों की संख्या में पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में कमी हुई है :–

	यात्रियों की संख्या (मिलियन में)
	कुल
सितम्बर 00	0.551
सितम्बर 01	0.543
प्रतिशत	–1.46
अक्टूबर 00	0.615
अक्टूबर 01	0.533
प्रतिशत	–13.33

इंडियन एयरलाइन्स के मूल्यांकन के अनुसार, 11 सितम्बर की घटना के बाद विमान यात्रा की मांग पर प्रतिकूल असर पड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि विमान–यात्रा मांग का असर समग्र आर्थिक गतिविधि पर भी पड़ा है। सितम्बर, 2001 के दौरान, वर्ष 2000 के संगत माह की तुलना में घरेलू यात्रियों की संख्या में लगभग 90,000 यात्रियों की गिरावट हुई है।

(छ) पिछले तीन महीने में घरेलू सैक्टरों में निजी एयरलाइनों के शेयर का प्रतिशत विवरण–VI में संलग्न है।

(ज) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा किए गए विभिन्न विपणन पहल और प्रोडक्ट अपग्रेडेशन का ब्यौरा संलग्न विवरण–VII में दिया गया है।

विवरण-I

दिनांक	राजस्व जे दर्जा	यात्री वाई दर्जा
1	2	3
1 जून 01	1455	21083
2 जून 01	1363	20500
3 जून 01	1313	20866
4 जून 01	1251	18478
5 जून 01	1324	18952
6 जून 01	1394	20138
7 जून 01	1426	20857
8 जून 01	1333	19967
9 जून 01	1370	20099
10 जून 01	1550	21720
11 जून 01	1209	18745
12 जून 01	1224	18193
13 जून 01	1244	19117
14 जून 01	1474	19116
15 जून 01	1285	19138
16 जून 01	1107	18311
17 जून 01	1285	19540
18 जून 01	1170	17197
19 जून 01	1203	17047
20 जून 01	1155	18054
21 जून 01	1206	17797
22 जून 01	1154	17756
23 जून 01	1038	17262
24 जून 01	1160	19100
25 जून 01	1140	17300
26 जून 01	1157	17187
27 जून 01	1253	18860
28 जून 01	1499	20175
29 जून 01	1263	19761
30 जून 01	1276	19773

विवरण-II

दिनांक	राजस्व जे दर्जा	यात्री वाई दर्जा
1	2	3
1 जून 01	1608	14879
2 जून 01	1325	14548
3 जून 01	1435	14832
4 जून 01	1449	14107
5 जून 01	1508	14538
6 जून 01	1643	15235
7 जून 01	1641	15975
8 जून 01	1828	15682
9 जून 01	1361	15001
10 जून 01	1487	15554
11 जून 01	1443	13907
12 जून 01	1623	13983
13 जून 01	1656	14156
14 जून 01	1585	15165
15 जून 01	1576	14796

1	2	3
16 जून 01	1199	13654
17 जून 01	1128	14150
18 जून 01	1345	12788
19 जून 01	1382	13056
20 जून 01	1515	14202
21 जून 01	1472	14174
22 जून 01	1543	14416
23 जून 01	1173	13526
24 जून 01	1201	13819
25 जून 01	1308	13280
26 जून 01	1477	13582
27 जून 01	1627	15010
28 जून 01	1704	15420
29 जून 01	1649	15074
30 जून 01	1276	14428

विवरण-III

दिनांक	राजस्व जे दर्जा	यात्री वाई दर्जा
1	2	3
1 जून 01	56	1688
2 जून 01	61	1564
3 जून 01	53	2127
4 जून 01	48	1097
5 जून 01	71	1525
6 जून 01	64	1481
7 जून 01	55	1423
8 जून 01	68	1514
9 जून 01	67	1902
10 जून 01	71	2387
11 जून 01	38	1640
12 जून 01	63	1595
13 जून 01	62	1403
14 जून 01	39	1643
15 जून 01	61	1351
16 जून 01	58	1520
17 जून 01	59	1673
18 जून 01	58	1344
19 जून 01	49	1464
20 जून 01	50	1633
21 जून 01	74	1506
22 जून 01	79	1495
23 जून 01	55	1682
24 जून 01	75	2077
25 जून 01	65	1509
26 जून 01	103	1585
27 जून 01	70	1872
28 जून 01	75	1940
29 जून 01	65	1756
30 जून 01	75	1966

विवरण-IV

इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्रचालित विमान

विमान का किस्म	पंजीकरण सं. (वर्ष में)	विनिर्माण का वर्ष	प्रचालनावधि
1	2	3	4
एयरबस ए300 बी2			
	1. वी.टी.– ई.एफ.एक्स.	1980	21
	2. वी.टी.– ई.एफ.डब्लू	1980	21
	3. वी.टी.– ई.एफ.वी.	1979	22
	4. वी.टी.– ई.डी.वाई.	1978	23
एयरबस ए300 बी4	1. वी.टी.– ई.वी.डी.	1983	18
	2. वी.टी.– ई.वी.सी.	1986	15
	3. वी.टी.– ई.एच.डी.	1981	19
	4. वी.टी.– ई.एच.सी.	1981	19
एयरबस ए320	1. वी.टी.– ई.पी.आर.	1990	11
	2. वी.टी.– ई.पी.सी.	1989	12
	3. वी.टी.– ई.पी.डी.	1989	12
	4. वी.टी.– ई.पी.इ.	1989	12
	5. वी.टी.– ई.पी.एफ.	1989	12
	6. वी.टी.– ई.पी.जी.	1989	12
	7. वी.टी.– ई.पी.एच.	1989	12
	8. वी.टी.– ई.पी.आई.	1989	12
	9. वी.टी.– ई.पी.जे.	1989	12
	10. वी.टी.– ई.पी.के.	1989	12
	11. वी.टी.– ई.पी.एल.	1990	11
	12. वी.टी.– ई.पी.एम.	1989	12
	13. वी.टी.– ई.पी.ओ.	1989	12
	14. वी.टी.– ई.पी.बी.	1989	12

1	2	3	4
	15. वी.टी.– ई.पी.क्यू.	1989	12
	16. वी.टी.– ई.एस.एल.	1994	7
	17. वी.टी.– ई.पी.एस.	1990	11
	18. वी.टी.– ई.पी.टी.	1990	11
	19. वी.टी.– ई.एस.ए.	1993	8
	20. वी.टी.– ई.एस.बी.	1993	8
	21. वी.टी.– ई.एस.सी.	1993	8
	22. वी.टी.– ई.एस.डी.	1993	8
	23. वी.टी.– ई.एस.ई.	1993	8
	24. वी.टी.– ई.एस.एफ.	1993	8
	25. वी.टी.– ई.एस.जी.	1993	8
	26. वी.टी.– ई.एस.एच.	1994	7
	27. वी.टी.– ई.एस.आई.	1994	7
	28. वी.टी.– ई.एस.जे.	1994	7
	29. वी.टी.– ई.एस.के.	1994	7
	30. वी.टी.– ई.पी.पी.	1989	12
	31. वी.टी.– ई.वी.ओ.	1991	10
	32. वी.टी.– ई.वी.पी.	1991	10

एलांयस एयर द्वारा प्रचालित विमान

विमान की किस्म	पंजीकरण सं.	विनिर्माण का वर्ष	प्रचालनावधि (वर्ष में)
1	2	3	4
बोइंग 737	1. वी.टी.– ई.जी.ई.	1980	21
	2. वी.टी.– ई.जी.एफ.	1980	21
	3. वी.टी.– ई.जी.जी.	1980	21
	4. वी.टी.– ई.जी.एच.	1981	20
	5. वी.टी.– ई.जी.एम.	1981	20
	6. वी.टी.– ई.जी.आई.	1981	20
	7. वी.टी.– ई.जी.जे.	1981	20

1	2	3	4
	8. वी.टी.– ई.एच.ई.	1982	19
	9. वी.टी.– ई.एच.एफ.	1982	19
	10. वी.टी.– ई.एच.जी.	1982	19
	11. वी.टी.– ई.एच.एच.	1982	19

विवरण-V

एअर इंडिया द्वारा प्रचालित एयरबस और बोइंग विमानों की सूची

विमान का किस्म	पंजीकरण सं.	विनिर्माण का वर्ष	प्रचालनावधि (वर्ष)
1	2	3	4
एयरबस ए300 बी4	1. वी.टी.– ई.एच.ओ.	1982	19
	2. वी.टी.– ई.एच.क्यू.	1982	19
	3. वी.टी.– ई.एच.एन.	1982	19
एयरबस ए310	1. वी.टी.– ई.जे.जे.	1986	15
	2. वी.टी.– ई.जे.एच.	1986	15
	3. वी.टी.– ई.क्यू.टी.	1990	11
	4. वी.टी.– ई.जे.जी.	1986	15
	5. वी.टी.– ई.जे.आई.	1986	15
	6. वी.टी.– ई.जे.के.	1986	15
	7. वी.टी.– ई.जे.एल.	1987	14
	8. वी.टी.– ई.क्यू.एस.	1990	11
एयरबस ए310–300	1. वी.टी.– ई.वी.ई.	1989	12
	2. वी.टी.– ई.वी.एफ.	1990	11
	3. वी.टी.– ई.वी.जी.	1988	13
	4. वी.टी.– ई.वी.एच.	1988	13
बोइंग 747–237	1. वी.टी.– ई.एफ.यू.	1979	22
	2. वी.टी.– ई.जी.बी.	1980	21
	3. वी.टी.– ई.जी.सी.	1980	21
	4. वी.टी.– ई.जी.ए.	1979	22

1	2	3	4
बोइंग 747–337	1. वी.टी. – ई.पी.डब्लू	1988	13
(कोम्बी)	2. वी.टी. – ई.पी.एक्स	1988	13
बोइंग 747–437	1. वी.टी.– ई.एस.एन.	1993	8
	2. वी.टी.– ई.एस.ओ.	1993	8
	3. वी.टी.– ई.एस.पी.	1993	8
	4. वी.टी.– ई.वी.ए.	1996	5
	5. वी.टी.– ई.वी.बी.	1996	5
	6. वी.टी.– ई.एस.एम.	1993	8

विवरण-VI

माह और वर्ष	प्रतिशत निजी विमान वाहक	शेयर इंडियन एयरलांइस
अगस्त, 2001	54.8	45.2
सितम्बर, 2001	52.7	47.3
अक्टूबर, 2001	52.0	48.0

विवरण-VII

इंडियन एयरलांइस का विपणन प्रयास और प्रोडक्ट का अपग्रेडेशन

समझौता ज्ञापन- पर्यटन संवर्धन तथा होलीडे/ अवकाश पैकेज और स्लीप ओवर पैकेज को बढ़ावा देने के लिए इंडियन एयरलाइन्स ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आर.टी.डी.सी.) तथा केरल राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

हाल ही में, इंडियन एयरलाइन्स ने निम्नांकित गंतव्य स्थलों के लिए आई.ए.फ्लाइ अवेज हालीडे पैकेजज लांच/(शुरू) किया है :–

गोवा फ्लाई अवेज

केरल फ्लाई अवेज

जम्मू फ्लाई अवेज

बोधगया फ्लाई अवेज

फिटनेस फ्लाई अवेज

श्रीनगर फ्लाई अवेज

उड़ीसा फ्लाई अवेज

जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन हाउस बोट पैकेज

राजस्थान फ्लाई अवेज

ये पैकेज 31 मार्च, 2002 तक वैध हैं।

इंडियन एयरलान्स, उपर्युक्त होलीडे पैकेज को टूर ऑपरेट और इंडियन एयरलाइन्स के अपने खुद के ऑफिस नेटवर्क के जरिए विदेश में बिक्री योग्य बनाने के लिए ऑफर करने की प्रोसेस में है।

स्लीप ओवर पैकेज : प्रमुख महानगरों में उपलब्ध यह ऐसी सुविधा है जिसके जरिए यात्री इंडियन एयरलाइन्स का बोर्डिंग पास दिवाकर प्रमुख महानगरों में होटल में ठहरने के क्रम में रियायत पा सकते हैं।

भारतीय टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन को विशेष छूट/ऑफर : पैकेज को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर औपरेटर्स के सदस्यों को 11 चुने हुए हेरिटेज और राजस्थान के पैलेस होटलों में ठहरने पर अलग दर और हवाई जहाज के अमेरिकी डॉली में 10% की छूट दी गई है। राजस्थान में पर्यटन/टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये डिस्काउंट/ऑफर 31 मार्च, 2002 में वैध हैं।

इंडियन एयरलाइन्स ने विपणन की दिशा में निम्नांकित पहल किया है :

सेल्स टीम

रीजनल सेल्स मैनेजर की अध्यक्षता में छः बड़े महानगरों में सेल्स टीम बनाया गया है। ये सेल्स टीम एजेंटों, निगमित कार्यालयों और हमारे प्रतिष्ठित/माननीय यात्रियों से प्रभावशाली ढंग से संपर्क बनाए रखते हैं।

कॉर्पोरेट हाउस स्कीम

बहुत अधिक ट्रैवेज बजट वाले निगमित कार्यालयों को टार्गेट बनाकर एक आकर्षक और संशोधित कॉर्पोरेट हाउस स्कीम शुरू किया गया है।

एजेंसी पैकेज

ट्रेवेल एजेंसी पैकेज में अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है जैसे–क्रेडिट एक्स्टेंशन, एजेंटो को कैश वैल्यू डकूमेंट डेलिवरी, लाइन रेंटल्स का आमेलन, अतिरिक्त एजेंसी का रियायती पास इत्यादि। ये सुविधाएं महानगरों में ऊपर के पचास प्रोडक्टिव एजेंटों को दी जा रही है। इसके अलावे, बैंक गांरटी, ओवर ट्रैडिंग, चैक पेमेंट सुविधा जैसे मुद्दों का निपटान भी उनके पक्ष में किया गया है।

इंडियन एयरलाइन्स ने एजेंटो को दी जाने वाली क्रेडिट कार्ड कमीशन को समाप्त करने का बड़ा कदम उठाया है।

अन्य संवर्धक उपाय

मेंटफंडू स्कीम शुरू की गई जिसमें बच्चों को छोटा–मोटा पुरस्कार, वैयक्तिक प्लास्टिक कार्ड और विजिटिंग कार्ड दिया जाता है।

अमेरिकी एक्सप्रेस के साथ टाई–अप किया गया है और हमारे प्रमुख यात्रियों के लिए आई.सी.एमेक्स को ब्रैंड कार्ड लांच किया गया।

देश-विदेश स्कीम : शुरू किया गया जिसमें ट्रैवल की वैल्यू के आधार पर बार–बार यात्रा करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार के रूप में इन्टरनेशनल टिकट/टिकटें दी जाती है। इस स्कीम के परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स के घरेलू नेटवर्क में यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है।

फ्लेक्सी-फेयर : फ्लेक्सी फेयर पॉलिसी से इंडियन एयरलाइन्स को सैक्टर–दर–सैक्टर और सीजन–दर–सीजन में मार्केट साइज सीजन, प्राइस सेंसीटीवीटी और मार्किट तथा सेवा से जुड़े दूसरे फैक्टर सहित विविध कारकों के आधार पर अलग–अलग किराया फिक्स करने में मदद मिलती है। फ्लेक्सी–फेयर पॉलिसी से, किराए लागत–दर आधारित होने की बजाय मार्किट वेस्ड होता है और बाजार की स्थिति को देखते हुए किराया फिक्स किया जाता है। इस तरह यात्रियों को आकर्षक किराए का लाभ मिलता है और इसके फलस्वरूप पर्यटन स्थलों सहित घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलता है।

छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) : एल.टी.सी. में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 30% की आकर्षक छूट ऑफर दी जाती है यह स्कीम उन कर्मचारियों को दी जाती है जो दूसरे तरह से विमान यात्रा के पात्र नहीं हैं। कर्मचारियों के बीच बहुत लोकप्रिय है और इससे घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलता है।

इंडियन एयरलाइन्स निम्नांकित विपणन-पहलों पर विचार कर रही है :

छः बड़े महानगरों में छः कौल सेन्टर बनाने की योजना है। इस सुविधा के लागू होने पर यात्री आसानी से इंडियन एयरलाइन्स के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं।

[हिन्दी]

पर्यटन विकास एजेंसी

2094. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव पर्यटन विकास एजेंसी की स्थापना का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में फसलों के विविधीकरण के लिए सहायता

2095. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने उभरती मांग को पूरा करने के लिए फसलों, पशुधन और मत्स्य उद्यमों का विविधीकरण करने के लिए अपने प्रयासों के समर्थन हेतु केन्द्र सरकार से समर्थन देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार से विविधीकरण प्रक्रिया के लिये सहायता हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव कृषि तथा सहकारिता विभाग को अभी तक नहीं मिला है।

भूकम्प जोनिंग प्रणाली

2096. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारतीय पट्टिका में पिछले एक दशक में असामान्य भूकम्पीय और विकर्तनिक बदलाव आ रहा है जैसा कि निरन्तर होने वाले भूकम्पों से प्रतिबिम्बित होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में भूकम्प जोनिंग प्रणाली में संशोधन करना आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) यह विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सम्बधित है और सूचना उस मंत्रालय से प्राप्त की जा रही है।

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन

2097. योगी आदित्यनाथ : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो देश में कोयले की वार्षिक मांग और खपत के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2001–02 के लिए योजना आयोग द्वारा आकलित कोयला उत्पादन का लक्ष्य तथा वर्तमान वर्ष हेतु सितम्बर 2001 तक वास्तविक उत्पादन (अनंतिम) नीचे दिया गया है :

मूल	मध्यावधि मूल्यांकन	वार्षिक योजना 2000–02	सितम्बर 2001 तक वास्तविक (अनंतिम)
370.60	328.86	322.73	141.823

(ग) वर्ष 2001 के दौरान, कोयले की मांग (जैसी कि योजना आयोग द्वारा आंकलित की गई है) तथा उपभोग के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं –

(मिलियन टन में)

मुद्दे	2000.01
मांग	333.85
उपभोग	*334.42

*अनंतिम

(घ) कोल सैक्टर को कोयला उत्पादन में स्वावलम्बी बन सकने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियां तैयारी की गई हैं :

1. नई खानें खोलना तथा मौजूदा खानों में आधुनिकीकरण, नई प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग द्वारा दक्षता तथा उत्पादकता में वृद्धि करना और आगतों तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना।

2. कोयला परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के लिए भूमि अधिग्रहण तथा वन भूमि के सम्बन्ध में अनुमति के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करने के उपाय करना।

3. कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के चूककर्त्ता राज्य विद्युत बोर्डों की ओर बकाया कोयला बिक्री की देय राशियों को प्रत्याभूत करने के उपाय करना।

4. वर्धित उत्पादन की संभावना वाले कोलफील्ड्स क्षेत्रों में परिवहन सम्बन्धी अड़चनों को दूर करने के लिए रेलवे के साथ समन्वय हेतु उपाय करना।

5. उपर्युक्त के अलावा, कोल इंडिया लिमिटेड श्रम शक्ति का युक्तियुक्त करना, क्षमता उपयोग में सुधार लाना, कोयला परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में पेश आने वाली अड़चनों को दूर करना, विवेकसम्मत आयोजना, व्यय में मितव्ययता, तथा अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखना इन विभिन्न उपायों का सहारा लेते हुए कोयले की उत्पादन लागत कम करने के सम्मिलित प्रयास कर रही है।

6. चुनिंदा खनन और परिष्करण के जरिए कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाने के उपाय करना।

7. नई परियोजनाओं में निवेश के लिए अपेक्षित संसाधनों में वृद्धि करना तथा ग्रीन फील्ड परियोजना के विकास के लिए संयुक्त उद्यम में प्रवेश द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्धन प्रणाली और पद्धतियां लागू करना।

8. खनन विकास योजनाओं के साथ पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रशमन उपायों को एकीकृत करना।

9. सरकार व्यावसायिक कोयला खनन में निजी क्षेत्र के प्रवेश को सुकर बनाने हेतु आवश्यक विधायी संशोधनों को करने की योजना भी बना रही है।

पशुओं की नस्ल का विकास

2098. श्री बीर सिंह महतो :

श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी संस्थान ने दुधारु पशुओं की नस्ल का विकास और सुधार किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी उन्नत नस्लें कौन–कौन सी हैं और उनकी दुग्ध क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इन पशुओं से हुए दूध उत्पादन की लागत के संबंध में कोई आकलन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में ऐसी पशुओं की अनुमानित वार्षिक उपलब्धता कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) उन्नत नस्लों के नाम सहित इनकी अनुमानित दुग्ध देने की क्षमता तथा गोपशु और भैंस का प्रति दुग्धस्त्रवण निम्नवत है

गोपशु

1.	करन स्विस	–	3595 कि. ग्रा.
2.	करन फ्राइज़	–	3685 कि. ग्रा.
3.	फ्राइज़वैल	–	3000 कि. ग्रा.
4.	सहीवाल	–	2262 कि. ग्रा.
5.	थारपरकर	–	1800 कि. ग्रा.
6.	गिर	–	1200 कि. ग्रा.
7.	हरिआना	–	1500 कि. ग्रा.
8.	रैड सिन्धी	–	1250 कि. ग्रा.
9.	ओंगोले	–	800 कि. ग्रा.

भैंस

1.	मुर्रा	–	2500 कि. ग्रा.
2.	नीली रावी	–	2300 कि. ग्रा.
3.	सुर्ती	–	1200 कि. ग्रा.

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल की प्रदर्शन यूनिट द्वारा गोपशु की संकर किस्म तथा मुर्रा भैंस के दुग्ध उत्पादन का मूल्यांकन वर्ष 1997–98 में किया गया तथा इससे यह पता चला कि इनके दुग्ध उत्पादन की लागत क्रमशः 7.34 रु. तथा 8.05 रु. प्रति लीटर थी।

(ङ) देश में इन पशुओं की वार्षिक मूल्यांकन उपलब्धता की जानकारी नहीं है क्योंकि पशुधन की गणना नस्लवार नहीं की जाती।

[अनुवाद]

भविष्य निधि विवरणी

2099. श्री ए. कृष्णास्वामी :

श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य निधि विवरणी के जमा करने की प्रणाली को सुकर बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे परिवर्तनों को कितने सम्भावित समय तक प्रभावी बनाए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने, भविष्य निधि सदस्यों को बेहतर सेवा सुनिश्चित करने हेतु सम्पूर्ण प्रक्रियाओं और कार्यविधियों में

सुधार लाने के लिए "रि–इन्वेन्टिग ई पी एफ इंन्डिया" नामक परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना के एक भाग के रूप में, नियोजकों द्वारा फाइल की जाने वाली रिटर्नों की संख्या को सरल करके उसे कम–से–कम किया जाएगा।

(ग) शुरू में कतिपय पायलट केन्द्रों पर इस परियोजना को चरणबद्ध रूप में लागू किया जाना है और तत्पश्चात् इसे अन्य केन्द्रों पर शुरू किया जाएगा।

ई.सी.एल. पर पश्चिम बंगाल की बकाया देश राशि

2100. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा रायल्टी और "डैडरेन्ट" के रूप में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई.सी.एल.) से प्रतिवर्ष मांगी गई और मांग पर दी गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पूर्वोक्त देय राशियों के निपटान में कोई कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार देयताओं के निपटान के लिए क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ङ) 29 सितम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल को इस शीर्ष के तहत कुल कितनी राशि देय है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए रायल्टी तथा डैड रैन्ट के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. से की गई मांग तथा इन मांगों के प्रति की गई राशि की अदायगी के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत किए गए हैं :

(लाख रुपयों में)

वर्ष	मांग		अदा की गई राशि	
	रायल्टी	डैड रैन्ट	रायल्टी	डैड रैन्ट
1998–99	939.85	33.71	928.81	शून्य
1999–00	979.19	40.64	976.43	शून्य
2000–01	979.19	40.47	976.67	शून्य
कुल	2898.23	114.82	2881.91	

(ख) और (ग) रायल्टी के मामले में, आकलित देय राशियों तथा रिटर्न में दर्शायी गयी देय राशियों में निम्नलिखित कारणों से अंतर है :

- आकलन आदेश में स्टाक में कमी पर भी रायल्टी का लगाया जाना।
- जो कर्मचारी कार्यरत खान से भिन्न उसी क्षेत्र की अन्य खान से कोयला ले रह हैं उन्हें कोयले के निःशुल्क निर्गम पर बुनियादी छूट की अनुमति न देना।

रिटर्न के अनुसार सभी देय राशियों का भुगतान समय पर किया जा चुका है। आकलित देय राशियों तथा रिटर्न में दर्शायी गई देय राशियों के बीच 16.32 लाख रुपये की राशि के अंतर को नहीं चुकाया गया है क्योंकि यह राशि विवादित है।

जहां तक डैड रैन्ट का मामला है, 114.82 लाख रुपये की कुल राशि की अदायगी नहीं की गई है क्योंकि यह माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय तथा जिले के संबंधित प्रमाण पत्र अधिकारियों के समक्ष न्यायनिर्णयाधीन है।

(घ) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) में, खनन पट्टाधारी या उसके एजेन्ट, प्रबंधक कर्मचारी, ठेकेदार या उप–पट्टाधारी से यह अपेक्षा की गई है कि वे पट्टे पर लिए क्षेत्र से निकाले गए या उपभोग किए गए किसी भी खनिज के संबंध में, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर रायल्टी का भुगतान करे। कोयले पर रायल्टी संबंधित राज्य सरकार को, जो पट्टादाता है देय होती है। न तो राज्य सरकार और न ही कोयला कंपनी ने केन्द्र सरकार के समक्ष पूर्वोक्त देय राशियों के संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए अभ्यावेदन किया है।

(ङ) जून, 2001 तक रायल्टी के कारण 4.68 करोड़ रुपये तथा डैड रैन्ट के कारण 3.255 करोड़ रुपये की राशि के संचित देय हैं। तथापित, इन दावों के संबंध में कोयला कंपनी द्वारा विवाद उठाया गया है।

मक्का उत्पादन

2101. श्री अरूण कुमार : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में लोग कुपोषण और खून की कमी से पीड़ित हैं और इस कमी को अच्छी गुणवत्ता वाली प्रोटीन युक्त मक्का द्वारा पूरा किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो देश में, विशेषतः बिहार में मक्का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग ब्यूरो द्वारा आयोजित सर्वेक्षणों (1999 की रिपोर्ट) के अनुसार व्याप्त कुपोषण इस प्रकार हैं :

बच्चे

कुपोषण का वर्ग	1–5 वर्ष	6–9 वर्ष	10–13 वर्ष	14–17 वर्ष
मामूली	40.6%	31.4%	16.6%	25.5%
मध्यम	44.3%	54.7%	52.0%	52.6%
गंभीर	6.2%	8.4%	28.7%	18.9%

वयस्क (शारीरिक परिमाण सूचकांक के रूप में मापा गया)

	पुरुष	महिलाएं
ऊर्जा की पुरानी कमी	45.5%	47.7%
अतिरिक्त वजन	4.1%	6.0%

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -II (1998-99) से पता चलता है कि महिलाओं में खून की कमी की व्याप्तता 51.8% और बच्चों (6–35 माह के) में 74.3% है।

अच्छे गुणस्तर के प्रोटीन वाला मक्का, अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन की आवश्यकता और मानव की पौषणिक स्थिति को बढ़ाने के लिए एक प्रभावी उपाय है। अच्छे गुणस्तर के प्रोटीन वाले संकर मक्का में अनिवार्य अमीनो ऐसिड्स (टिप्टोफैन और लाइसीन) के ऊंचे स्तर और प्रोटीन के निवल उपयोग दूध या अंडे के प्रोटीन की क्वालिटी के साथ तुलनीय है जिससे इसका जैविक मूल्य बेहतर होता है। अच्छे गुणस्तर के प्रोटीन वाले मक्का के विविध उपयोग करना स्वास्थ्य के स्तर पर एक महत्त्वपूर्ण अच्छा प्रभाव डालने और हमारे देश की कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक कारगर उपाय है।

(ख) कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा 1995–96 से देश में त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य मक्का का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है। बिहार सहित 26 राज्यों में मक्का की संभावना वाले सभी जिले इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है।

देश में अच्छे गुणस्तर के प्रोटीन वाले मक्का का उत्पादन बढ़ाने के लिए शक्तिमान–1 और शक्तिमान–2 नामक दो संकर किस्में, जो खरीफ में 7–8 मी. टन प्रति हैक्टेयर और रबी में 9–10 मी. टन प्रति हैक्टेयर की पैदावार देने की संभावना रखती हैं, बिहार में दोनों मौसम में खेती के लिए जारी की गई है। देश में उपयुक्त किस्मों और उत्पादन तथा संरक्षण प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के 28 केन्द्र देश भर में कार्य कर रहे हैं जिनमें से दो बिहार में धौली तथा आवानपुर में स्थित है । बिहार सहित पूरे देश की बीज की आवश्यकता पूरी करने के लिए कुशमाहत, बेगुसराय में मक्का अनुसंधान निदेशालय ने एक बीज उत्पादन यूनिट की स्थापना भी की है।

वन्यजीवों द्वारा खड़ी फसलों को नुकसान

2102. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई स्थानों पर ब्लैक बक करोड़ों रुपए की खेती में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वन विभाग इन्हें रोकने में असफल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ब्लैक बक और अन्य बन्यजीवों से खड़ी फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) काला हिरण अनिवार्यतः खुले झाड़ीदार वनों और उनके साथ सटे कृषि क्षेत्रों में वास करता है। किसानों ने इन प्रजातियों के साथ सामंजस्य–पूर्वक रहना सीख लिया है क्योंकि अधिकांशतया काले हिरणों द्वारा पहुंचाया गया नुकसान न्यूनतम होता है। स्थानीय लोगों द्वारा किए गए संरक्षण प्रयासों के फलस्वरूप, कतिपय क्षेत्रों में काले हिरणों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यहां तक कि इन क्षेत्रों में लोग काले हिरण को मारने में रुचि नहीं रखते परन्तु वे चाहते हैं कि उन्हें अन्य क्षेत्रों में ले जाकर छोड़ दिया जाए। जब कभी इस तरह के अनुरोध राज्य सरकारों से प्राप्त हुए हैं, केन्द्र सरकार ने ऐसे स्थान परिवर्तन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की अनुमति प्रदान की है। राज्य सरकारों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत फसलों पर आक्रमण करने वाले नीलगाय तथा जंगली सूअर जैसे जानवरों के शिकार की अनुमति देने संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं।

एअर इंडिया द्वारा उड़ानें रद्द किया जाना

2103. श्री वीरेन्द्र कुमार :

श्री राजो सिंह :

श्री कालवा श्रीनिवासुलु :

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न भवनों पर हुए आतंकवादी हमलों की घटनाओं और बीमा लागत में वृद्धि और ईंधन के बढ़े हुए मूल्य के कारण अमरीका की अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी उड़ानें रद्द की गई हैं और इसके कारण इन एयरलाइनों को कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) सरकार ने इन एयरलाइनों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) दिनांक 11 सितम्बर 2001 को हुए आतंकवादी हमले के पश्चात यू. एस. एयरस्पेस बंद होने के कारण एअर इंडिया ने 22 एकल उड़ानों को रद्द किया जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि 4 दिनों में इसे 8.50 करोड़ रु. का घाटा हुआ। बीमा लागत में वृद्धि होने तथा ईंधन की कीमत बढ़ने की वजह से किसी भी उड़ान को रद्द नहीं किया गया। इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें संयुक्त राज्य अमेरिका तक प्रचालित नहीं होती हैं।

(ग) घटी हुई मांग के अनुरूप एअर इंडिया ने अपनी वैमानिक क्षमता में कटौती कर दी है। भारत सरकार ने एअर इंडिया को क्षतिपूर्ति के रूप में 500 मिलियन अमेरिकी डालर प्रदान किया है जो तीसरे पक्ष की अपेक्षित कवर में हुई कमी के समतुल्य है और 30.11.2001 तक यह मार्केट में उपलब्ध है। यह कवर जो 12.10.2001 तक ही वैध था, को सरकार ने इसे अब 30.11.2001 तक बढा दिया है।

ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों की तस्करी

2104. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 अक्टूबर 2001 को "द हिन्दू" में कनसर्न ओवर स्मगलिंग आफ ओज़ोन डिप्लीटिंग सब्सटॉन्सेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पड़ोसी देशों से भारत में ओज़ोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों की तस्करी के कारण इन खतरनाक रसायनों का देश में चरणबद्ध तरीके से उत्पादन समाप्त करने के प्रयासों को धक्का लगा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने आज़ोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) एक गैर–सरकारी संगठन, पर्यावरणीय जांच एजेंसी ने भारत में ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ओ डी एस) की तस्करी की रिपोर्ट दी है। ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन चरणबद्ध तरीके से बंद करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय ओजोन क्षयकारी पदार्थों की तस्करी के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए सतर्क हैं।

पर्यटन क्षेत्र में नौकरियां

2105. श्रीमती डी. एम. विजया कुमारी :

डा. विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में आतंकवादी हमलों की घटना से भारतीय पर्यटन पर असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध कराई गई लाखों नौकरियों में इस कारण से कोई कटौती न हो;

(ग) क्या सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) जी, हां। कार्रवाई हेतु उपयुक्त कार्ययोजना पर विचार–विमर्श करने तथा सुझाव देने के लिए भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, यात्रा उद्योग और व्यापार के वरिष्ठ सदस्यों को शामिल करते हुए एक विशेष पर्यटन बल गठित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार में कमी न हो।

कार्यबल द्वारा सिफारिश किए गए कुछ उपाय नीचे दिए गए अनुसार हैं :

(i) विशेष मीडिया नीति और विश्वास पैदा करने वाले उपायों से भारत को सुरक्षित गंतव्य स्थल के रूप में संवर्धित करना।

(ii) दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर–पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, आस्ट्रेलेशिया और दक्षिण अफ्रीका के लिए विदेशी विपणन तथा संवर्धन नीति पर पुनः बल देना।

(iii) अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के नागरिकों को लक्ष्य करते हुए, उपर्युक्त मार्केटों में रोड शो आयोजित करना।

(iv) स्वदेशी बाजारों पर विशेष बल दियां जाना।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति और नौवीं पंचवर्षीय योजना में स्वदेशी पर्यटन पर विशेष बल दिया गया है।

छोटे विमानों की खरीद/रखरखाव की प्रक्रिया

2106. श्री बी. वेंकटेस्वरलु :

श्री सुबोध मोहिते :

श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे विमानों की खरीद, रखरखाव और उनके प्रचालन संबंधी प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) क्या निजी विमानों के आयात संबंधी मानदंडों की भी समीक्षा किए जाने की आवश्कता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) जी, हां। छोटे विमानों के प्रचालन, रख–रखाव और उन्हें प्राप्त करने संबंधी प्रणाली तथा कार्यविधि की बृहद समीक्षा करने हेतु सरकार ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2001 को एक समिति गठित की थी।

(घ) रिपोर्ट 3.11.2001 को प्राप्त हुई और इस पर इस समय नागर विमानन मंत्रालय में जांच चल रही है।

विमानपत्तनों हेतु सुरक्षा बल

2107. श्री चन्द्र भूषण सिंह :

श्रीमती जस कौर मीणा :

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व में घट रही घटनाओं के मद्देनजर देश के विमानपत्तनों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार देश में विमानपत्तनों और नागर विमानन की अन्य स्थापनाओं के रखरखाव के लिए एक अलग सुरक्षा बल गठित करने पर विचार कर रही है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) आई सी–814 विमान अपहरण की घटना के बाद विमानन सुरक्षा उपायों पर पुनर्विचार किया गया तथा सुरक्षा संबंधी महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए जैसे एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात किया जाना, इंडियन एयरलाइंस के अंतर्देशीय मार्गों पर स्काई मार्शल तैनात किया जाना, हवाई जहाज में चढ़ने से पहले सीढ़ी पर भी जांच प्रारंभ किया जाना, इत्यादि। विमानन सुरक्षा के संबंध में विश्वभर में सुरक्षा पर अभी हाल ही में हुए परिवर्तनों के बाद यह निर्णय लिया गया कि सभी परिचालन हवाई अड्डों पर चरणबद्ध रूप से सीआईएसएफ को तैनात किए जाने का कार्य पूरा किया जाए, अनुसूचित प्राइवेट एयरलाइनों सहित सभी अंतर्देशीय मार्गों पर, आवश्यकतानुसार और अधिक स्काई मार्शलों को लगाया जाए, पूरी तरह से कड़ा नियंत्रण तथा हवाई जहाज में चढ़ने से पूर्व जांच को सुनिश्चित किया जाए, परिधि–सुरक्षा के लिए अद्यतन तकनीक को प्रयोग में लाना, सुरक्षा कार्मिकों को और तेजी से प्रशिक्षण दिया जाए तथा यात्रियों सहित विमानन की हर प्रकार से सुरक्षा में जागरूकता लाने के लिए कार्यवाही की जाये।

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सभी प्रचालनरत हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा जा रहा है।

गिद्धों को बचाने के लिए ब्रिटेन से सहायता

2108. डॉ. मन्दा जगन्नाथ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने गिद्धों को बचाने के लिए भारत को सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक लागू कर दिये जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) भारत सरकार को गिद्धों के संरक्षण हेतु यू. के. सरकार से सहायता अनुदान संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। तथापि, डार्विन इनिसिएटिव ट्रस्ट, यू.के. बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी, मुम्बई के माध्यम से "भारत में अत्यधिक परिसंकटमय जिप्स प्रजाति गिद्धों का संरक्षण" नामक एक 3 वर्षीय परियाजना का वित्तपोषण कर रहा है। परियोजना का वित्तपोषण लगभग 21 लाख रुपये के अनुमानित बजट के साथ 1.4.2001 से किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य भारत में गिद्धों के लिए एक "रिकवरी प्लान" तैयार करना तथा प्लान के क्रियान्वयन हेतु क्षमता विकसित करना है।

छोटे किसानों के अनुकूल नीति

2109. श्री सुरेश कुरूप : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे किसानों के अनुकूल नीति बनाने का है ताकि वे गांवों में अधिक आय का अर्जन और रोजगार का सृजन कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) छोटे कृषकों सहित ग्रामीण समुदायों के लाभ हेतु गांवों में आय और रोजगार सृजन करने की नीति का सरकार पहले ही अनुसरण कर रही है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृषि, बागवानी, जलकृषि, पशु-पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, कुटीर और लघु उद्योग तथा अन्य विविध आर्थिक क्रियाकलापों के विकास के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वयन करने वाली विभिन्न एजेन्सियों/विभागों के जरिए विभिन्न केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

[हिन्दी]

बिजली गिरने से विमान दुर्घटना

2110. डॉ. अशोक पटेल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिजली गिरने के कारण कितनी विमान दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ख) बिजली गिरने के कारण उत्पन्न संकट से विमानों को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिजली गिरने से कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वन्य जीव संरक्षण हेतु विशेष समन्वय समितियां

2111. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री 31 जुलाई, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1276 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने इस संबंध में विशेषज्ञों का एक दल गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञ दल का गठन कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसका गठन कब तक कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को इस दल में कतिपय विशेषज्ञों को शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ङ) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघर प्रबन्धकों और चिड़ियाघर पशु-चिकित्सकों वाले एक बहु-विषयक दल का सृजन किया गया था। इस दल ने शीघ्र ही देश के बड़े, मध्यम और लघु चिड़ियाघरों के बारे में मूल्यांकन किया। इसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकारों को कमियों को दूर करने तथा चिड़ियाघर में रह रहे जानवरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कहा गया है। राज्य सरकारों को चिड़ियाघरों में पशु चिकित्सकों की नियुक्ति करने तथा स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाओं के स्तर को ऊपर उठाने के लिए भी अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

राजस्थान में श्रम कानूनों की अवहेलना

2112. श्री अबुल हसनत खां : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 सितम्बर, 2001 के "द हिन्दू" में "लेबर लॉज फ्लाउटिड विथ इम्प्युनिटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नियोक्ताओं द्वारा उद्योगों को बड़े पैमाने पर रुग्ण कराकर, इनमें तालाबंदी कराकर इन्हें बंद कर और श्रम विरोधी नीतियों को अपनाकर श्रमिकों को उत्पीड़ित किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संगोष्ठियां और कार्यशालाएं

2113. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान सरकार द्वारा आयोजित खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के आयोजन पर प्रतिवर्ष कितना व्यय किया गया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो.चमन लाल गुप्त): (क) गत तीन वर्षों के दौरान (1998-99 से 2000-2001) मंत्रालय द्वारा योजना स्कीमों के तहत प्रायोजित संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) मंत्रालय द्वारा प्रायोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं पर वर्ष-वार वचनबद्ध किए/उठाए गए खर्च नीचे दिए गए हैं-

वर्ष	व्यय (लाख रु. में)
1998-1999	31.75
1999-2000	29.20
2000-2001	35.87

(ग) उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जनता/उद्योग को अवसरों, संभावनाओं, प्रौद्योगिकियों, गुणवत्ता मानदंडों, निर्यात अवसरों, केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों से अवगत कराने के लिए मंत्रालय संगोष्ठियों/कार्यशालाओं को प्रयोजित करता है। यह संदेश बहुत अच्छी तरह पहुंचा है।

विवरण

राज्यवार सेमिनारों/कार्यशालाओं का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	मंत्रालय द्वारा प्रायोजित सेमिनारों/कार्यशालाओं की संख्या		
		1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1	2	2
2.	दिल्ली	2	4	1
3.	हरियाणा	1	–	–
4.	कर्नाटक	2	1	2
5.	राजस्थान	1	–	–
6.	उत्तर प्रदेश	1	–	2

1	2	3	4	5
7.	तमिलनाडु	–	1	–
8.	पंजाब	–	1	–
9.	बिहार	–	–	2
10.	गोआ	–	–	1
11.	मणिपुर	–	–	1
12.	संघ शासित क्षेत्र अंडमान–निकोबार द्वीप समूह	–	–	1
13.	महाराष्ट्र	–	–	2
14.	पश्चिम बंगाल	–	–	1
15.	मध्य प्रदेश	–	–	1

[अनुवाद]

राजस्थान में पर्यटक

2114. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने घरेलू/विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान की यात्रा की है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राजस्थान में पर्यटन के विकास पर प्रतिवर्ष परियोजना–वार कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या सरकार ने राज्य हेतु कोई समेकित पर्यटन विकास योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार वर्ष 1998, 1999 तथा 2000 के दौरान राजस्थान में घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के आगमनों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	पर्यटक आगमनों की संख्या	
	घरेलू	विदेशी
1998	6403310	591369
1999	6675528	562685
2000	7374391	623100

(ख) किसी राज्य/संघ शासित राज्य में पर्यटन का विकास मुख्यतया राज्य सरकार/संघ शासित राज्य प्रशासन द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार उनके परामर्श से प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं/योजनाओं के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के लिए राजस्थान की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) राजस्थान के लिए एकीकृत पर्यटन विकास योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पुष्कर घाटों, हाडोती क्षेत्र, अजमेर में व्यावर रोड़ पर विश्राम स्थली, रामदेवरा, जैसलमेर में घाट आदि के एकीकृत विकास हेतु राजस्थान सरकार को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

विवरण

वर्ष 1998–99 के लिए राजस्थान राज्य की स्वीकृत परियोजनाएं/योजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना/योजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1.	पुष्कर घाटों में तीर्थ स्थलों का एकीकृत विकास	51.65
2.	हाडोती क्षेत्र (बूंदी और कोटा के पास) में महत्त्वपूर्ण पर्यटक स्थालों का एकीकृत विकास	82.00
3	पुष्कर रोड़, अजमेर में विश्राम स्थली का एकीकृत विकास	46.70
4.	माउंट आबू में शिखर पर्यटक बंगले का उन्नयन	25.00
5.	सारिस्का में पर्यटक बंगले का उन्नयन	18.00
6.	गणगोर, जयपुर में पर्यटक बंगले का उन्नयन	15.00
7.	खादिम, अजमेर में पर्यटक बंगले का उन्नयन	5.00
8.	जोधपुर में पर्यटक बंगले का उन्नयन	25.00
9.	सिलिसरेह (जिला अलवर) में लेक पैलेस होटल का उन्नयन	17.65
10.	कजरी, उदयपुर में पर्यटक बंगले का उन्नयन	25.00
11.	बहरोर (जिला अलवर) में मिड–वे का उन्नयन	13.55
12.	जैसलमेर में मुम्मल में पर्यटक बंगले का उन्नयन	25.00
13.	पाली के संग्रहालय में सामान्य शौचालय तथा लॉन का विकास	3.20
14.	विराटनगर के मुगल गेट में शौचालय सुविधाएं तथा जल–आपूर्ति सहित भू–दृश्यांकन व्यवस्था	3.20
15.	चन्द्रावती, जयपुर में सामान्य शौचालयों की परियोजना तथा जल–आपूर्ति व्यवस्था सहित विकास कार्य	3.20
16.	जैसलमेर के संग्रहालय में जल–आपूर्ति व्यवस्था सहित सामान्य शौचालय तथा लॉन का विकास	3.20
17.	कोटा के संग्रहालय में सामान्य शौचालय तथा लॉन का विकास	3.20
18.	भरतपुर के संग्रहालय में सामान्य शौचालय तथा भू–दृश्यांकन कार्य	7.72
19.	मंडोर के संग्रहालय में सामान्य शौचालयों की परियोजना तथा विकास कार्य	3.20
20.	आम्बेर (जयपुर जिले) में ध्वनि एवं प्रकाश–प्रदर्शन	54.00
21.	शिल्पग्राम उत्सव	2.50
22.	अकबर का किला, अजमेर में सामान्य शौचालय तथा लॉन का विकास	3.31
	कुल	436.28

वर्ष 1999–2000 के लिए राजस्थान राज्य की स्वीकृत परियोजनाएं/योजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना/योजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1	नागोर में अमरसिंह राठोर की छतरियों का निर्माण एवं विकास कार्य	13.33
2.	जयपुर में महारानी की छतरियों का सुन्दरीकरण	5.37
3.	धोलपुर में तालाब शाही बाड़ी में शौचालय सुविधाओं का निर्माण	1.25
4.	चित्तौड़गढ़ के सरकारी संग्रहालयों में शौचालय सुविधाओं एवं जल–आपूर्ति का निर्माण	1.88
5.	जयपुर में गटोर की छतरियों का सुन्दरीकरण	1.97
6.	जयपुर के हवामहल का सुन्दरीकरण	18.00
7.	मंडोर में स्मारकों का संरक्षण	20.00
8.	जयपुर के जन्तर मन्तर का सुन्दरीकरण	13.30
9	सागर, अलवर में मौसी रानी स्मारक का विकास एवं सुविधाओं का विकास	13.30
10.	तारागढ़, अजमेर में सीढ़ियों का विकास	9.33
11.	सालासर, धाम (जिला चुरू) में तीर्थ केन्द्र का विकास	12.79
12.	अतिशाया में श्री दिगम्बर जैन के तीर्थ केन्द्र का विकास	20.70
	कुल	131.22

वर्ष 2000–2001 के लिए राजस्थान राज्य की स्वीकृत परियोजनाएं/योजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना/योजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1.	जयपुर में अल्बर्ट हाल का सुन्दरीकरण	43.33
2.	अलवर में फतेह गुम्बज का सुन्दरीकरण	8.00
3.	अकबर के कोस मिनार, राजस्थान का संरक्षण/पुनरुद्धार/मरम्मत कार्य	6.67
4.	जयपुर, राजस्थान में अम्बेर पैलेस का सुन्दरीकरण	53.33
5.	रनकपुर, पाली में सूर्य मन्दिर का संरक्षण/पुनरुद्धार/मरम्मत कार्य	6.67
6.	फतेह प्रकाश, चित्तौडगढ़ में संरक्षण/पुनरुद्धार/विकास कार्य	33.33
7.	मंडोर में संरक्षण/पुनरुद्धार कार्य	33.33
8.	कमरा खास, भरतपुर में संरक्षण/पुनरुद्धार/विकास कार्य	33.33

1	2	3
9.	उदयपुर में चवांद–का–महल का संरक्षण/पुनरुद्धार/विकास कार्य	16.67
10.	किराडू मन्दिरों का संरक्षण/पुनरुद्धार/विकास कार्य	33.33
11.	विराटनगर में स्मारकों का संरक्षण/पुनरुद्धार/विकास कार्य	16.67
12.	जैसलमेर में पटवों–की–हवेली का पुनरुद्धार कार्य	40.00
13.	जयपुर में गटोर की छतरियों का संरक्षण/पुनरुद्धार कार्य	16.67
14.	भरतपुर के किशोरी महल का सुन्दीकरण एवं संरक्षण	16.67
15.	जैसलमेर में रामदेवड़ा के घाट का एकीकृत विकास	24.99
16.	अजमेर के पुष्कर स्थित पर्यटक ग्राम में शिल्पग्राम	13.74
17.	सवाई माधोपुर में विनायक पर्यटक बंगले का उन्नयन/विस्तार	15.00
18.	झालावाड़ के गढ़ पैलेस में कैमिकल संरक्षण कार्य	08.33
19.	जयपुर के आम्बेर पैलेस में हार्क प्रणाली की स्थापना	03.00
20.	पर्यटन विभाग एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम इकाइयों का वैबसाइट उन्नयन और जीएसए (आईटी) के साथ इन्टरनेट (आईटी) बुकिंग	25.00
21.	पुष्कर उत्सव	3.45
22.	मरुस्थल उत्सव	3.45
	कुल	454.96

उडीसा में पीएफएल में हड़ताल

2115. श्री प्रभात सामंतराय : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पारादीप के फास्फेटिक फर्टिलाइजर लिमिटेड (पीएफएल) संयंत्र में अक्सर हड़ताल होती रहती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पीएफएल के कामगारों की मांगों पर विचार करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, संयंत्र पर विभिन्न ठेकेदारों के अधीन कार्य कर रहे ठेका श्रमिक अपनी सेवा को स्थायी करने की मांग पर जोर देने के लिए 26 अक्टूबर 2001 से 9 नवम्बर 2001 तक हड़ताल पर थे।

(ग) ठेकेदारों तथा प्रबन्धन ने जिला श्रम अधिकारी–सह –संराधन अधिकारी की उपस्थिति में संराधन में भाग लिया। संराधन के दौरान कम्पनी प्रबन्धन ने स्पष्ट किया कि ठेका श्रमिकों को स्थायी हैसियत प्रदान करने की मांग पर विचार नहीं किया जा सकता चूंकि मामला उड़ीसा उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है। तथापि, ठेका श्रमिकों की मज़दूरी में संशोधन से संबंधित मामले का सौहार्दपूर्ण निपटान हो गया था।

कपास उत्पादन

2116. श्री शीश राम सिंह रवि : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1998, 1999, 2000 और 2001 के लिए कपास उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कपास की कितनी गांठों का उत्पादन हुआ और इनमें से कितनी गाठों का निर्यात किया गया और कितनी गांठों का घरेलू उपयोग किया गया; और

(ङ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसानों/निर्यातकों को अधिकतम मूल्य दिलाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। कपास की प्रत्येक 170 कि. ग्रा. की लाख गाठों के उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और 1998, 1999, 2000 और 2001 में संगत उपलब्धियां निम्न प्रकार से है :

वर्ष	लक्ष्य	उत्पादन
1998–99	148.00	122.90
1999–2000	150.00	116.40
2000–2001	145.00	93.90*
2001–2002	145.00	123.00*

* अग्रिम अनुमान

(ग) इन वर्षों में प्रतिकूल कृषि जलवायवीय स्थितियों के कारण कृमियों और कीट से आक्रान्त फसल को काफी अधिक नुकसान हुआ है।

(घ) सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	निर्यातित प्रमात्रा (लाख गांठें प्रत्येक 170 कि.ग्रा.)
1998–99	1.01
1999–2000	0.65
2000–2001	0.60
2001–2002	ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए क्योंकि मौसम अभी–अभी शुरू हुआ है।

(ङ) अर्जित विदेशी मुद्रा के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1998–99	86.72
1999–2000	50.09
2000–2001	47.73
2001–2002	कोई ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए क्योंकि मौसम अभी शुरू हुआ है।

कपास का निर्यात मुक्त सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत कवर किया गया है। तथापि कपास उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार भी प्रति वर्ष कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है और यदि मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर जाते हैं तो महाराष्ट्र को छोड़कर सभी राज्यों में भारतीय कपास निगम के माध्यम से इसके अधिप्रापण की गारंटी देता है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार अपनी एकाधिकार अधिप्रापण स्कीम के अंतर्गत कपास की खरीद करती है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विमानयात्रा पैकेज

2117. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन–कौन से विमानयात्रा पैकेज शुरू किए हैं; और

(ख) इनके तहत क्या–क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स ने घरेलू पर्यटन को महत्त्व देते हुए "आई ए फलाइवेज" नामक 7 हॉलिडे पैकेजों को कार्यरूप दिया है, जिनका लाभ उठाया जा सकता है। ये पैकेज इस प्रकार हैं :

गोवा फलाईवेज

केरल फलाईवेज

राजस्थान फलाईवेज

जम्मू फलाईवेज

श्रीनगर फलाईवेज

बोधगया फलाईवेज और

कैराली हैल्थ रिजॉर्ट फिटनेस फलाईवेज

ये पैकेज 31 अक्टूबर, 2001 तक ही मान्य थे किन्तु इन पैकेजों की मान्यता अवधि 1 नवम्बर, 2001 से 21 अक्टूबर 2002 तक के लिए बढ़ाई जा रही है।

बागवानी विकास

2118. श्री जी. जे. जावीया :

श्री अनन्त नायक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000–2001 के दौरान आज तक ऊष्ण कटिबंध,

शीतोष्ण कटिबंध और शुष्क क्षेत्रों के विकास और बागवानी विकास के लिए राज्यवार प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) 'टिश्यू कल्चर' के लिए कौन–कौन सी फसलों की पहचान की गई है;

(ग) बागवानी फसलों के उत्पादन में 'टिश्यू कल्चर' की क्या भूमिका है; और

(घ) सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य–वार विशेषतः उड़ीसा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 2000–01 के दौरान और अब तक फलों के एकीकृत विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस स्कीम को अक्टूबर, 2000 से कृषि में बृहत प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम–कार्ययोजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों का संपूर्ण/अनुपूरण में समाहित कर लिया गया था।

(ख) केला और रसभरी टिशु कल्चर को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित की गई प्रमुख फलीय फसलें हैं। पपीता, अंगूर, नींबू वर्गीय और अनन्नास में टिशु कल्चर को बढ़ावा देने के लिए संलेख उपलब्ध हैं।

(ग) टिशु कल्चर का उपयोग सच्ची, रोग मुक्त रोपण सामग्री के बड़े पैमाने पर तेजी से बहुलीकरण के लिए किया जाता है।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फलों के एकीकृत विकास संबंधी स्कीम के अंतर्गत फलों के विकास के लिए उड़ीसा सरकार को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	प्रदान की गई सहायता पूरे देश के लिए	(लाख रुपए) उड़ीसा सरकार को
1997–98	1671.62	299.00
1998–99	1984.29	500.00
1999–2000	2149.59	635.11
2000–01	515.00	30.44 (सितम्बर, 2000 तक)

स्कीम में सहायता के घटक नर्सरियों की स्थापना के माध्यम से रोपण सामग्री के उत्पादन, टिशु कल्चर इकाइयां, उन्नत किस्मों से क्षेत्र विस्तार, प्रौद्योगिकी अंतरण, पौध–स्वास्थ्य क्लिनिकों की स्थापना रोग पूर्वसूचना इकाइयां, पत्ती विश्लेषण प्रयोगशालाएं और यंत्रीकरण हैं। उड़ीसा के लिए कार्ययोजना के अनुसार, 2001–02 के दौरान फलों के विकास के लिए 134.60 लाख रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

विवरण

फलों के विकास के लिए प्रदान की गई सहायता

(लाख रुपए में)

राज्य	प्रदान की गई सहायता	
	2000–01	नौवीं योजना के दौरान 2000–01 तक
1	2	3
आंध्र प्रदेश	33.72	267.70
अरुणाचल प्रदेश	11.68	128.39
असम	8.66	33.66
बिहार	8.00	99.72
गोवा	4.92	4.92
गुजरात	12.03	72.03
हरियाणा	17.32	167.12
हिमाचल प्रदेश	18.21	84.90
जम्मू व कश्मीर	24.26	256.26
कर्नाटक	38.85	458.79
केरल	23.70	408.39
मध्य प्रदेश	16.57	367.57
महाराष्ट्र	43.58	557.58
मणिपुर	20.28	277.28
मेघालय	12.94	54.44
मिजोरम	15.57	92.70
नागालैंड	15.49	238.19

1	2	3
उड़ीसा	30.44	1464.55
पंजाब	29.45	93.53
राजस्थान	18.87	209.57
सिक्किम	11.96	73.45
तमिलनाडु	31.11	442.14
त्रिपुरा	14.09	87.19
उत्तर प्रदेश	33.66	176.10
पश्चिम बंगाल	4.64	74.64
उप योग (राज्य)	500.00	6190.81
अंडमान व निकोबार द्वीप	2.57	32.56
चंडीगढ़	0.68	13.68
दादरा व नगर हवेली	1.99	13.70
दिल्ली	0.95	0.95
दमन व दीव	2.23	17.73
लक्षद्वीप	2.53	36.52
पांडिचेरी	4.05	14.55
उप योग संघ शासित प्रदेश	15.00	129.69
कुल	515.00	6320.50

गोसीखुर्द दक्षिणी तट नहर परियोजना

2119. श्री नरेश पुगलिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई, 2001 में उनके मंत्रालय से गोसीखुर्द दक्षिणी तट नहर के निर्माण के लिए उसकी सीध में आने वाली वनभूमि को परिवर्तित करने के संबंध में अनुमति देने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में अनुमति प्रदान कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) जी, हां। जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में 28 से 50 कि. मी. तक गोसीखुर्द नहर के दाएं किनारे के निर्माण के लिए 105.605 हेक्टेयर वन भूमि के प्रयोग के लिए संशोधित प्रस्ताव को 1.10.2001 को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में नए विमानपत्तनों के प्रस्ताव

2120. प्रो. रासासिंह रावत :

श्री निहाल चन्द चौहान :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य के कौन–कौन से स्थानों पर विमानपत्तन बनाने के प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) कुछ संगठनों और जन प्रतिनिधियों ने भी अजमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जैसे कुछ स्थानों पर विमानपत्तन बनाने संबंधी अभ्यावेदन दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल अजमेर में विमानपत्तन नहीं बनाए जाने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ङ) राजस्थान के विमानपत्तनों के उन्नयन संबंधी चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन कार्यों पर गत तीन वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष विमानपत्तन–वार कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) अजमेर में हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार, कुछ अन्य संगठनों तथा जन प्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों की जांच की गई तथा यह पाया कि यदि राज्य सरकार निःशुल्क जमीन भी उपलब्ध करवाती है तब भी यह प्रस्ताव वाणिज्यिक दृष्टि से साध्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, अजमेर

जयपुर से केवल 136 किलोमीटर की दूरी पर है और मौजूदा नीति के अनुसार साधारणतः मौजूदा एयरपोर्ट से 150 कि.मी. की दूरी के अन्दर किसी भी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की अनुमति नहीं होती। बीकानेर स्थित सिविल एन्क्लेव का रख–रखाव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण करता है चूंकि यह डिफेंस का हवाई अड्डा है। तथापि यातायात की मांग की कमी के कारण इस सिविल एन्क्लेव का विकास करने की कोई योजना नहीं है। श्री गंगानगर में हवाई अड्डे के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) जयपुर हवाई अड्डे पर एबी–300 किस्म के विमानों के प्रचालन को प्रारंभ कर सकने के लिए रनवे का 7500 फुट से 9000 फुट तक विस्तार, रनवे रीसरफेसिंग मौजूदा एप्रन का विस्तार। रीसरफेसिंग आइसोलेशन बे का निर्माण, नये एटीसी ब्लॉक और फायर स्टेशन इत्यादि का निर्माण कार्य 32 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। उदयपुर स्थित हवाई अड्डे के रनवे के छोरों पर साधारण तथा केटेगिरी–I एप्रोच विद्युत व्यवस्था संस्थापित करने हेतु 8.13 एकड़ अतिरिक्त भूमि अर्जित करने की कार्रवाई की जा रही है।

(च) जयपुर हवाई अड्डे पर एटीसी ब्लॉक के निर्माण तथा रनवे का 9000 फुट तक विस्तार करने के लिए वर्ष 1998–99 में 22 लाख रुपए, वर्ष 1999–2000 में 84 लाख रुपए और वर्ष 2000–2001 में 185 लाख रुपए व्यय किए गए।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा नई विपणन नीति की शुरुआत

2121. श्री सुबोध मोहिते : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) ने नई विपणन नीति बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गौण क्षेत्र ने नई नीति को उनके प्रति "भेदभावपूर्ण" बताते हुए कथित तौर पर शिकायत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सरकार नई विपणन नीति की समीक्षा करने का प्रस्ताव कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) 1 जनवरी, 2000 से कोयले की कीमत तथा वितरण के पूर्ण विनियंत्रण के परिणामस्वरूप, कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने जून, 2001 को, लिंकेज/प्रायोजन की शर्त के बिना नॉन–कोर क्षेत्र को कोयले की बिक्री हेतु अपने संबद्ध नीतियां तैयार करने के लिए सहायक कंपनियों को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) अधिसूचित कीमत की तुलना में उच्चकीमत/प्रीमियम का प्रावधान, धरोहर जमा राशि आदि जैसी नई नीतियों के कुछ पहलुओं के बारे में नॉन–कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं तथा संस्थाओं से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) से (छ) नॉन–कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति तथा सीआईएल/सहायक कंपनियों द्वारा विकसित नीतियों के मुद्दे पर सरकार ने कोयला कंपनियों से विचार–विमर्श किया था। सी.आई.एल. और इसकी सहायक कंपनियों को नॉन–कोर क्षेत्र के संयोजित उपभोक्ताओं के अस्तित्व, कार्य स्थिति आदि के सत्यापन हेतु राज्य सरकारों तथा अन्य प्रायोजन प्राधिकरणों को लिखने की सलाह दी गई है। कीमत निर्धारण, धरोहर जमा राशि तथा मात्रा संबंधी प्रतिबंधों के संबंध में नई विक्रय नीतियों के प्रावधान, सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक, अस्थायी रूप से रोक लिए गए हैं।

[हिन्दी]

रायपुर हवाई अड्डे का उन्नयन

2122. डा. चरणदास महंत : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सुविधाओं के कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) ने वर्ष 1998 में एक बार में 300 यात्रियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए 8.55

करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं सहित एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया है। इस समय रनवे की लम्बाई 6400 फुट है और रनवे का 7500 फुट तक विस्तार कर इसे ए–320 दर्जे के विमानों के प्रचालन हेतु उपयुक्त बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से 48 एकड़ भूमि अर्जन करने का अनुरोध किया है। इस हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया जाना यातायात संभाव्यता और अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के प्रचालन हेतु एयरलाइनों की मांग पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा

2123. डा. डी.वी.जी. शंकर राव : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या संयुक्त प्रयासों के माध्यम से विकास करने और पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने हेतु आंध्र प्रदेश द्वारा पहचान किए गए विशेष पर्यटन क्षेत्रों को शामिल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। पर्यटक स्थलों/केन्द्रों के संवर्धन एवं विकास का उत्तरदायित्व मुख्यतया संबंधित राज्य सरकार का है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग उनके परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के आधार पर धनराशि प्रदान करता है।

(ख) वर्ष 2001–2002 में केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु 661.65 लाख रुपयों की कुल राशि की 21 परियोजनाओं को केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु प्राथमिकता प्रदान की गई है।

(ग) आंध्र प्रदेश द्वारा संयुक्त प्रयासों के माध्यम से विकास हेतु अभिनिर्धारित विशेष पर्यटन क्षेत्रों को शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 27.11.1986 से "पर्यटन" को एक उद्योग के रूप में घोषित किया है।

आरक्षित श्रेणियों का योग्यता के आधार पर चयन

2124. श्री भान सिंह भौरा : क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96 स्था. (आरक्षण) के व्याख्यात्मक विवरण के पैरा 11 के अन्तर्गत योग्यता के आधार पर चयनित अ.जा./अ.ज.जा. और पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में दर्शाना अपेक्षित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अन्तर्गत अ.जा./अ.ज.जा. और पिछड़ा वर्ग से संबंधित ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो विभिन्न सेवा–श्रेणियों में योग्यता के आधार पर चयनित भर्ती/पदोन्नत हुए और उनकी गणना उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में नहीं की गई; और

(ग) ऐसे कितने उदाहरण हैं जिनमें उक्त अवधि के दौरान, उक्त श्रेणियों से संबंधित प्रत्याशियों का चयन तो योग्यता के आधार पर किया गया, किन्तु जिनके नाम का उल्लेख/समायोजन उनके समुदाय के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के लिए कर दिया गया और इसके क्या कारण हैं ?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां। जैसाकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96 स्था. (आरक्षण) के व्याख्यात्मक विवरण के पैरा 11 के अंतर्गत प्रावधान है कि योग्यता पर चुने गए अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे के सामने दर्शाना अपेक्षित नहीं है।

(ख) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्यन मंत्रालय के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में योग्यता पर चुने गए/भर्ती किए/पदोन्नत किए गए अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्तियों की कुल संख्या 82 है। इन व्यक्तियों को उनके समुदाय के लिए आरक्षित कोटा की रिक्तियों/पदों के सामने नहीं दर्शाया गया है।

(ग) ऐसे उदाहरणों की संख्या जहां अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रत्याशियों जो योग्यता पर चुने गए हों किन्तु उन्हें उनके समुदाय के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के सामने दर्शाया/समायोजित किया हो, शून्य है।

[हिन्दी]

बिहार और झारखंड में कोयला खानों में दुर्घटनाएं

2125. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो माह के दौरान बिहार और झारखंड की कोयला खानों में बहुत सी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी खान–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्व में हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने हेतु उचित व्यवस्था करने के लिए कोई निर्णय लिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) पिछले 2 महीनों, अर्थात, सितम्बर तथा अक्टूबर 2001 में झारखंड राज्य में कोल इंडिया लि. की खानों में एक सांघातिकता सहित केवल एक घातक दुर्घटना हुई थी।

(ख) यह दुर्घटना दिनांक 01.09.2001 की बीसीसीएल की नार्थ तिसरा कोलियरी में हुई थी जहां एक ट्रिपमैन, स्वर्गीय श्री प्रभात बैनर्जी ऊपरी मलबे पर एक डम्पर द्वारा कुचले गए थे।

(ग) और (घ) कोयला खानों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोल इंडिया लि. द्वारा निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

पूर्व में हुई दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोल इंडिया लि. द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(क) भूमिगत खानों के लिए :

1. जलाप्लावन से बचने के लिए जलाप्लावन के खतरे वाली सभी निर्दिष्ट खानों में जांच सहसंबंध सर्वेक्षण किया जाना।
2. सभी खान योजनाओं को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने का कार्य लगभग पूरा हो गया है।
3. जहां भी आवश्यक हो, समीपवर्ती खानों के बीच अवरोधकों की मोटाई को ड्रिलिंग जैसी सकारात्मक पद्धतियों से सिद्ध किया जा चुका है।
4. लकड़ी के सपोर्ट को चरणबद्ध रूप में इस्पात सपोर्ट द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना।
5. रॉक मास रेटिंग (आर.एम.आर.) अध्ययन के आधार पर सपोर्ट प्लान तैयार किए गए हैं।
6. खान पर्यावरण के नियमित प्रबोधन के लिए ज्वलनशील तथा जहरीली गैसों हेतु फ्लेम सेफ्टी लैम्पों के अतिरिक्त हाथ में पकड़े जाने वाले डिजिटल गैस डिटेक्टरों का उपयोग किया जा रहा है।
7. निरन्तर कम्प्यूटरीकृत पर्यावरणीय दूर प्रबोधन व्यवस्था (ई.टी.एम.एस.) उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस प्रयोजनार्थ 36 खानों को निर्दिष्ट किया गया है, ऐसी 7 व्यवस्थाएं प्रचालन में हैं और 6 अन्य अधिप्राप्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत हैं।
8. श्रमिकों के खतरे को कम करने के लिए पी.एस.एल. डब्ल्यू. उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं तथा और एसडीएल/एलएचडी की तैनाती की जा रही है।
9. प्रत्येक मानसून के पहले, प्रत्येक खान हेतु सतह और भूमिगत खानों, दोनों से जलाप्लावन के खतरों की जांच की जाती है और कार्रवाई योजना तैयार और कार्यान्वित की जाती है।
10. सपोर्ट कार्मिकों तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्मिकों, जैसे पर्यवेक्षक स्टाफ को गहन कार्य विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ख) ओपन कास्ट खानों हेतु :

1. ओपन कास्ट खानों तथा सतह पर दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए एक विस्तृत कार्रवाई योजना तैयार की गई।
2. ऊपरी मलबे के जमाव तथा कोयला बैंचों और ओ.बी.डम्प ढलान स्थिरता को नियंत्रित करने के लिए विशेष अभियान।
3. प्रकाश व्यवस्था में सुधार।

4. वाहनों की सड़क उपयुक्तता की पूर्व जांच करने तथा हाल रोड्स के प्रबोधन पर बल दिया गया।

5. यातायात नियम बनाए गए तथा ओपनकास्ट खानों में लागू किए गए।

6. सुप्रकट स्थलों पर विश्राम स्थल स्थापित किए गए।

7. हैम आपरेटर्स इत्यादि कार्मिकों को गहन विशिष्ट कार्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ग) सामान्य :

1. नियमित रूप से सुरक्षा आडिट किए जा रहे हैं।

2. निरीक्षणों की गुणवत्ता पर बल दिया गया है। आई॰एस॰ओ॰ द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों को भी बढ़ा दिया गया है।

3 विभिन्न मंचों में भागीदारी, तथा प्रशिक्षण, प्रचार तथा प्रोपेगण्डा और विशेष सुरक्षा अभियान चलाए जाने के माध्यम से सुरक्षा में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है।

4. सी॰आई॰एल॰ ने – सहायक कंपनी तथा सी॰आई॰एल॰ मुख्यालय, दोनों स्तरों पर सुरक्षा स्थिति के प्रबोधन के लिए ढांचागत बहुशाखीय आंतरिक सुरक्षा संगठन (आई॰एस॰ओ॰) स्थापित किए हैं।

5. निजी सुरक्षा उपकरणों जैसे जूतों, हैलमेट आदि के अलावा सभी श्रमिकों को फिल्टर सेल्फ रेस्क्यूर्स (एफ॰एस॰आर॰) उपलब्ध कराने का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में हीरातल्ला सिंचाई परियोजना

2126. **श्री एस॰डी॰एन॰आर॰ वाडियार** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में हीरातल्ला सिंचाई परियोजना के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) यह संदर्भ सम्भवतः कर्नाटक में हीरेहल्ला सिंचाई परियोजना के विषय में है। इसकी नवीनतम लागत 120.52 करोड़ रुपये है और मार्च, 2001 तक इस पर 110.59 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। बांध का 98% कार्य और नहरों का 78% कार्य पूरा हो गया है। यदि राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में वांछित बजट परिव्यय मुहैया कराती है तो यह परियोजना वर्ष 2002–03 में पूरी की जा सकती है।

इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए वर्ष 1996–97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए॰आई॰बी॰पी॰) के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता (सी॰एल॰ए॰) मिल रही है और आज तक इस परियोजना को 35.75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

भारतीय आटोमोबाइल के संबंध में सी॰एस॰ई॰ का प्रतिवेदन

2127. **श्री सईदुज्जमा :**

श्री किरीट सोमैया :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन ऑटोमोबाइल क्षमता उत्सर्जन और डिजाइन आदि के संदर्भ में विश्व मानकों से नीचे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अधिकतर विनिर्माताओं ने भारतीय आटो उद्योग की रेटिंग के प्रयोजनार्थ सी॰एस॰ई॰ द्वारा अपनाई गई पद्धति की आलोचना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या अधिकतर भारतीय वाहन अधिक प्रदूषण फैलाते हैं और विश्व के अन्य भागों में "ग्रेन व्हील्स रोलिंग" की तुलना में अधिक ईंधन की खपत करते हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(छ) भारतीय आटोमोबाइल्स को सभी क्षेत्रों में विश्व के समतुल्य लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र (सी एस ई) नई दिल्ली ने हाल ही में भारतीय आटोमोबाइल्स की रेटिंग जारी की है। उनके अनुसार भारतीय आटोमोबाइल्स मुख्यतः पैसेंजर कारें, उपयोगिता वाहन और व्यापक स्तर पर प्रयोग होने वाले परिवहन वाहन प्रौद्योगिकी और उत्सर्जनों के संदर्भ में पश्चिमी देशों (यूरोप और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका) के मानकों से निम्न स्तर के हैं। सरकार को विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति पर निर्माताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र ने सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है।

(ङ) से (छ) वाहन प्रदूषण के संबंध में हाल ही में कोई विश्वसनीय अध्ययन नहीं हुआ है जिसमें भारतीय वाहनों की विश्व के अन्य भागों में निर्मित वाहनों से तुलना का संकेत मिलता हो। प्रौद्योगिकी एवं वाहनों के उत्सर्जनों में सुधार के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- 1.4.2000 को और उसके बाद निर्मित सभी तरह के वाहनों के लिए यूरो–I मानकों के समतुल्य इंडिया–2000 मानकों को सारे देश में लागू किया गया है।
- चारों महानगरों में चार पहिया वाहनों के मामलें में चरणबद्ध ढंग से यूरो-II के समतुल्य भारत स्टेज-II मानकों को लागू कर दिया गया है।
- 9.2.2000 से सी एन जी गैस चलित वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं।
- एल पी जी से चलित वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों को 24.4.2001 को अधिसूचित किया गया है।
- सी एन जी और एल पी जी से चलित वाहनों को बढावा।

खान अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालयों की स्थापना

2128. डा. वी. सरोजा : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान सुरक्षा महानिदेशालय ने खान अधिनियम के अतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) श्री गुरूदास दास गुप्ता की अध्यक्षता में श्रम मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की उप समिति ने "खानों में सुरक्षा की स्थिति" के संबंध में 1996 में सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष न्यायालय या नामोदिष्ट न्यायालय गठित किए जाएं। श्रम मंत्रालय द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों के महापंजीयकों के साथ जिलों के न्यायिक मैजिस्ट्रेट/मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट को केवल खान अधिनियम, के अंतर्गत आने वाले मामलों को निपटाने के लिए नामोदिष्ट करने हेतु मामला उठाया है जहां खान अधिनियम के अंतर्गत मामले लम्बित है। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालयों ने न्यायिक मैजिस्ट्रेट /मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट को खान अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों को देखने के लिए नामोदिष्ट करने के आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं। उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के उच्च न्यायालयों ने नामोदिष्ट न्यायालय गठित करने के लिए इन्कार कर दिया है क्योंकि अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लम्बित मामलों की तुलना में खान अधिनियम के अंतर्गत लम्बित मामलों की संख्या कम है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु उच्च न्यायालयों ने संबंधित न्यायालयों को दैनिक सुनवाई के आधार पर लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए निदेश जारी किए हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

अ.जा./अ.ज.जा. का आर्थिक विकास

2129. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए 1978 से विशेष संघटक योजना (एस सी पी) और टी एस पी के अंतर्गत विभिन्न योजनओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती रही है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही आय सृजित करने वाली योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा कितनी निधियां आबंटित और अधिप्राप्त की गई हैं;

(घ) इस संबंध में कितनी मात्रा में लाभ और लक्ष्य हासिल हुए; और

(ङ) अ.जा. और अ.ज.जा. को आर्थिक शक्तियां प्रदान करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जनजाति उप योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) से (ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए जनजाति उप योजना के अन्तर्गत स्कीमों तथा इनके लिए आबंटित राशियां/दी गई राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	स्कीम का नाम	सांतवी से नौवीं योजना के दौरान आबंटित/दी गई राशियां (लाख रुपये)	सातवीं से नौवीं योजना के दौरान मात्रात्मक लाभ	
			लक्ष्य	प्राप्त किया गया*
1.	बाघ परियोजना	12865.42	146.4 लाख श्रम दिवस	174.64 लाख श्रम दिवस
2	जनजाति विकास के लिए लाभोन्मुख स्कीम	2188.53	1714 परिवार	1532 परिवार
3.	बाघ रिजर्वों सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस–पास पारि विकास	5940.40	359 लाख श्रम दिवस	381.93 लाख श्रम दिवस
4.	अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण निर्धन का सहयोग	2235.00	239.77 लाख श्रम दिवस	225.72 लाख श्रम दिवस
5	जलावन लकड़ी/चारा परियोजनाएं	134.28	1.59 लाख हैक्टेयर	1.89 लाख हैक्टेयर
6.	एकीकृत परती भूमि विकास परियोजनाएं/ एकीकृत वनीकरण और पारि विकास परियोजनाएं	896.52	1.64 लाख हैक्टेयर	1.32 लाख हैक्टेयर
7.	औषधीय पौधों सहित इमारती लकड़ी से इतर वन उत्पाद	460.98	1.4 लाख हैक्टेयर	2.16 लाख हैक्टेयर

* नौवीं योजना के दौरान सम्भावित लाभ इसमें शामिल है।

एससीपी और टीएसपी के अन्तर्गत निधियों का आबंटन

2130. **श्री दलित इजिलमलाई** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिकांश रूप से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए विशेष संघटक योजना (एससीपी) और टी एस पी के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए कोई निधियां आबंटित की हैं;

(ख) यदि हां, तो विमानन के क्षेत्र में अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण तथा रोजगार के

अवसर प्रदान करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा बनाई गई/बनाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा उसकी प्रकृति, क्षेत्र और लक्षित समूह क्या हैं;

(ग) ऐसे प्रयोजनार्थ छठी, सातवीं, आठवीं तथा नौंवी योजनाओं के दौरान कितनी निधियां आबंटित की गईं तथा उपयोग की गईं; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या लाभ और लक्ष्य हासिल किए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, नहीं। नागर विमानन मंत्रालय में कार्यक्रम का आयोजन मुख्य रूप से विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से किया जाता है जो स्वायत्त संस्थान हैं और जिन्हें सरकार की ओर से कोई बजटीय सहायता नहीं दी जाती है। जबकि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उपाय किये जा रहे हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित सभी कार्यक्रमों का आयोजन पिछड़े वर्गों के लिए किया जाता है, इन्हें वास्तविक रूप से कार्यान्वित किया जाये। नागर विमानन मंत्रालय के पास कोई विशेष कम्पोनेंट प्लान (एससीपी) और ट्राइबल सब प्लान (टीएसपी) नहीं है जो प्रत्येक रूप से इसके अधीन हो।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

रबर और कॉयर का कृषि उत्पाद के रूप में वर्गीकरण

2131. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रबर और कॉयर को कृषि उत्पाद के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर कब तक विचार किए जाने और अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) कृषि संबंधी विश्व व्यापार संगठन के करार के अनुसार, रबर और कॉयर को कृषि उत्पादों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में जनवरी, 2001 में दायर किए गए अपने संधिवार्ता संबंधी प्रस्तावों में कृषि संबंधी करार की उत्पाद कवरेज के यौक्तिकीकरण का प्रस्ताव किया है ताकि रबर और कॉयर जैसे कृषि उत्पादों को इसमें शामिल किया जा सके।

[हिन्दी]

सेल और इस्को द्वारा स्क्रैप की बिक्री

2132. श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्रीमती रेनु कुमारी :

श्री सुबोध मोहिते :

श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल और इस्को ने वर्ष 2000–2001 के दौरान अपने पांच संयंत्रों (समेकित) से 679001 टन स्क्रैप की बिक्री की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप सेल और इस्को को कितना वित्तीय घाटा हुआ ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) वर्ष 2000–2001 के दौरान सेल और इस्को ने अपने पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों से लगभग 8 लाख टन लोहे तथा इस्पात स्क्रैप की बिक्री की।

(ख) और (ग) इस्पात निर्माण के दौरान लोहा तथा इस्पात स्क्रैप का सृजन होता है। आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् अधिशेष स्क्रैप को बेचा जाता है। अतः यह राजस्व का एक अतिरिक्त स्रोत है तथा बिक्री के कारण कोई वित्तीय हानि नहीं हो सकती।

जैव कृषि का विस्तार

2133. श्री राम शकल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े पैमाने पर जैव कृषि के विस्तार की कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों को जैव कृषि के लिए राज्यवार उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें पोषण स्रोत के रूप में उर्वरकों तथा पौध रक्षण उपायों के रूप में कृमिनाशी/कीटनाशी दवाओं जैसे किसी भी प्रकार के रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता उसे जैविक/कार्बनिक कृषि कहा जाता है। सरकार समेकित

पोषण और समेकित कृमि प्रबंध प्रणाली को प्रोत्साहित करके उसे बढ़ावा देती है। इसमें फसलों के लिए पोषण के स्रोत के रूप में रसायनिक उर्वरकों के साथ जैविक उर्वरकों, कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट, हरी खादों का उपयोग होता है। समेकित कृमि प्रबंध में पौध संरक्षण के प्रभावी उपायों के रूप में रासायनिक कृमिनाशी दवाओं के साथ-साथ जैविक और यांत्रिक उपाय सम्मिलित होते हैं। कार्बनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय ने कार्बनिक खेती पर एक कृतक बल गठित किया था जिसका उद्देश्य देश में कार्बनिक खेती की गुंजाइश, क्षमता और सीमा का जायजा लेना था। इस समय केवल कार्बनिक खेती/जैविक खेती के लिए कोई स्कीम नहीं है।

/अनुवाद/

खान मजदूरों के लिए उच्च विशेषज्ञता वाले अस्पताल

2134. **श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कोयला खान मजदूरों के लिए कार्यरत उच्च विशेषज्ञता वाले अस्पतालों के स्थान सहित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार नाम क्या हैं;

(ख) क्या मरीजों ने कुछ अस्पतालों में कतिपय अनियमितताओं की शिकायत की है;

(ग) यदि हां, तो अस्पताल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस मामले को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से उपाय किए जाने का प्रस्ताव है कि जब मरीजों की उच्च विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाये तो किसी भी मरीज को उपचार के लिए निजी अस्पतालों में न भेजा जाए ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) कोल इंडिया लि. के अधीन कोई उच्च विशेषज्ञता वाला अस्पताल कार्य नहीं कर रहा है। तथापि, झारखण्ड राज्य में बी.सी.सी.एल. धनबाद के सेन्ट्रल अस्पताल में न्यूरो-सर्जरी के लिए एक उच्च विशेषज्ञता विंग है।

(ख) उच्च विशेषज्ञता विंग के कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) और (घ) ऊपर भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) पेचीदा मामलों के लिए जिसका उपचार इस उच्च विशेषज्ञता विंग में नहीं हो सकता है रोगियों को अधिकतर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अस्पतालों जैसे कि नई दिल्ली, में एस.जी.पी.जी.आई.एम.एस., लखनऊ, पी.जी.आई., चंडीगढ़, एस.एस.के.एम. अस्पताल, कोलकाता आदि में रैफर किया जाता है। तथापि, कभी-कभी कतिपय मामले सी.एम.सी.एच. वेल्लौर आदि जैसे प्रतिष्ठित निजी उच्च विशेषज्ञता संस्थानों को भी रैफर किये जाते हैं।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए रिक्तियों का बैकलाग

2135. **श्री बृजलाल खाबरी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4)ख के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित "पिछली बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों" को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में मानना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त 1997 की स्थिति के अनुसार अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान आदि की समाप्ति पर उनके मंत्रालय में डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96- स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में पता लगायी गयी बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान, पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित नई रिक्तियों/बने पदों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समेकित जलाशय मछलीपालन विकास परियोजना

2136. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में अकोला और भंडारा के लिए मार्च 1992 में स्वीकृत समेकित जलाशय मछलीपालन विकास परियोजना पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस परियोजना की उपलब्धियों में भारी कमी आई थी और यह मामला नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा उनके मंत्रालय को भेजा गया था;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में मछलीपालन परियोजनाओं के विकास के लिये आगे क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस विभाग के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने मार्च 1992 में महाराष्ट्र के अकोला और भंडारा जिले के लिए एक समन्वित जलाशय मात्स्यिकी विकास परियोजना स्वीकृत की जिसकी ब्लाक लागत 565.85 लाख रुपये है। राज्य सरकार को अभी तक केवल 319.44 लाख रुपये (302.94 लाख रुपये ऋण तथा 16.50 लाख रुपये सब्सीडी) की प्रतिपूर्ति की गयी है। शेष 246.41 लाख रुपये की सहायता राशि का दावा अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

परियोजना के क्रियान्वयन की धीमी गति को देखते हुए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने वृहद समीक्षा की है जिसमें महाराष्ट्र के मात्स्यिकी आयुक्त के प्रतिनिधि को भी शामिल किया है। समीक्षा दल ने धीमी प्रगति के निम्नलिखित कारणों का पता लगाया है :

- वांछित आकार के गुणवत्ताप्रद मत्स्य डिंब का उपलब्ध न होना।
- मत्स्य डिंब के पालन के लिए पिंजड़े/दर्बों का कम उपयोग;
- जिला संघों द्वारा शहरी बाजारों में मत्स्य की आपूर्ति करने में आने वाली कठिनाइयां।

(ग) अकोला में लगभग 25% और भंडारा जिले में 30% की कमी आयी है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है।

(घ) सीएजी की रिपोर्ट को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास उसकी टिप्पणी के लिए भेज दिया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 1974 में हुए अपने अधिनियम में संशोधन के बाद से मत्स्य सहकारी समितियों को बढ़ावा देने और उनका विकास करने का काम शुरू कर दिया था ताकि मात्स्यिकी को इसके परिदृश्य में लाया जा सके। निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए मत्स्य सहकारी समितियों को सहायता दी जा रही है :

- फिशिंग बोअर्स, नेट्स और इजन्स जैसे प्रचालन आदानों की खरीद;
- विपणन, परिवहन वाहनों, वर्फ संयन्त्रों, शीत भण्डारों, खुदरा बिक्री केन्द्रों, प्रसंस्करण इकाइयों आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं का सृजन;
- अंतर्देशीय मात्स्यिकी, बीज प्रकार, हैचरियों आदि का विकास;
- संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करना;
- समेकित मात्स्यिकी परियोजना (समुद्री, अन्तर्देशीय तथा खारा पानी)।

31.3.2001 तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 651.52 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है जिसमें से 405.91 करोड़ रुपये जारी कर दिये गये हैं।

[हिन्दी]

मुम्बई हवाई अड्डे पर सुरक्षा

2137. श्री अनंत गुढे :

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

श्री अनंत गंगाराम गीते :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में मुम्बई स्थित छत्रपति शिवाजी घरेलू हवाई अड्डे पर कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) हवाई अड्डे पर सुरक्षा बन्दोबस्त बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) जी, हां। मुम्बई हवाई अड्डे पर दिनांक 26.8.2001, 18.9.2001, 9.10.2001 तथा 29.10.2001 को क्रमशः चार घटनाएं घटीं जिनमें जेट एयर वेज द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों के हैंड बैगेज से हथियार और एम्यूनीशन्स पकड़े गए। महाराष्ट्र पुलिस इन मामलों की छानबीन कर रही है।

(घ) सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ हवाई अड्डों की सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) रैंडम आधार पर अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों के सभी मार्गों पर स्काई मार्शलों की तैनाती;

(ii) समयबद्ध ढंग से सभी आपरेशनल हवाई अड्डों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के जवानों की तैनाती;

(iii) प्रमुख हवाई अड्डों पर त्वरित कार्रवाई टीमों (क्यूआरटी) की तैनाती; और

(iv) एक्सेस कंट्रोल को कड़ा करना और लैडर प्वाइंट सहित यात्रियों और उसके बैगेज की स्क्रीनिंग।

/अनुवाद/

लेह विमानपत्तन पर आई.एल.एस. की संस्थापना

2138. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेह विमानपत्तन पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिग सिस्टम की स्थापना कर दी गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) लेह विमानपत्तन पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिग सिस्टम की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभवाना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) लेह में विमान यातायात नियंत्रण का प्रबंध भारतीय वायु सेना द्वारा किया जाता है। उन्हें लेह हवाई अड्डे पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की आवश्यकता को सुनिश्चित करना है।

/हिन्दी/

गुजरात में ड्रिप सिंचाई परियोजना

2139. श्री हरिभाई चौधरी :

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य–वार वर्षवार विशेषकर, गुजरात और कर्नाटक में मेहसाना और बनासकांठा जिलों में ड्रिप सिंचाई परियोजना हेतु कितनी निधियां आबंटित की गईं;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने उक्त परियोजना के लिए निधियों में वृद्धि करने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सराकर को उक्त डी.आई.पी. हेतु आबंटित निधियों के उपयोग के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने उपर्युक्त जिलों में विद्यमान सूखे की स्थिति के बारे में सरकार को सूचना दी है;

(च) इसके लिए राज्य सरकार को कितनी निधियां आबंटित की गईं; और

(छ) विशेषकर गुजरात तथा कर्नाटक में डी.आई.पी. को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सितम्बर, 2000 तक प्लास्टिकल्चर हस्तक्षेप के माध्यम से बागवानी विकास पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत जारी किए गए धन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस स्कीम को अक्टूबर 2000 से कृषि में वृहत प्रबंध कार्ययोजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों के संपूरण/अनुपूरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना में शामिल किया गया है। धन राज्य सरकारों को जारी किया जाता है जो उसे आगे जिलों को आबंटित करते हैं।

(ख) और (ग) वृहत् प्रबंध स्कीम के अनुसार राज्य सरकारें महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं तथा राज्य की जरूरतों के अनुसार कार्य योजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) जी, हां। जारी किए गए धन के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है।

(ङ) वर्ष 2001 की दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान गुजरात सरकार से राज्य के किसी भी भाग में सूखे की स्थिति होने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(च) और (छ) वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान वृहद् प्रबंध स्कीम के अंतर्गत गुजरात और कर्नाटक सरकार को जारी किए गए धन का ब्यौरा इस प्रकार है :

राज्य	जारी किया गया धन (रुपये लाखों में)		
	2000–01	2001–02	
		आबंटन	निर्मुक्ति
गुजरात	1511.43	4000.00	1800.00
कर्नाटक	4222.00	6500.00	2925.00

इस स्कीम के अंतर्गत छोटे, सीमांत, अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति तथा महिला किसानों को कुल लागत के 50% की दर से और अन्य वर्ग के किसानों को कुल लागत के 35% की दर से ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए सहायता दी जा रही है। वर्ष 2001–02 के दौरान गुजरात में 1600 हैक्टेयर क्षेत्र को ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत लाने का और कर्नाटक में 9090 है. क्षेत्र को इसके तहत लाने का प्रस्ताव है।

विवरण

प्लास्टिकल्चर स्कीम के अंतर्गत दी गयी राज्यवार सहायता

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य	1998–99	1999–2000	2000–01 (सितम्बर, 2000 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1410.75	1277.50	125.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	46.00	34.62	10.21
3.	असम	0.00	0.00	4.84
4.	बिहार	0.00	0.00	5.36
5.	गोवा	19.00	7.00	7.24
6.	गुजरात	141.49	230.20	182.76
7.	हरियाणा	155.42	61.00	45.13
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	17.72
9.	जम्मू व कश्मीर	262.00	236.07	100.02
10.	कर्नाटक	2995.00	2372.45	248.98
11.	केरल	415.65	364 12	84.06
12.	मध्य प्रदेश	183.10	221.10	100.77
13.	महाराष्ट्र	3194.13	2704.75	309.23
14.	मणिपुर	63.00	30.00	21.39
15.	मेघालय	45.00	0.00	17.83
16.	मिजोरम	88.00	38.00	18.04
17.	नागालैंड	96.60	41.80	19.47
18.	उड़ीसा	0.00	214.80	6.37
19.	पंजाब	93.00	30.00	36.12
20.	राजस्थान	270.00	310.77	163.29
21.	सिक्किम	45.32	43.00	24.31
22	तमिलनाडु	1095.00	1052.25	121.13

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	16.61
24.	उत्तर प्रदेश	115.59	234.57	106.53
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	6.94
26.	दादरा व नगर हवेली	0.00	3.00	4.11
27.	दमन व दीव	5.00	0.00	2.84
28.	दिल्ली	0.00	0.00	0.43
29.	लक्षद्वीप	5.00	3.00	2.48
30	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.2
31	अंडमान व निकोबार	0.00	0.00	0.37
32.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	9.57
	योग	10744.05	9510.00	1820.00

[अनुवाद]

औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन

2140. श्री महबूब जहेदी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1000 और उससे अधिक, 100 से 999 तक और 1 से 99 तक कामगारों वाली कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक कम्पनी में कामगारों का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन से उद्योगपतियों को कार्य बल की छंटनी करने के ज्यादा अधिकार होंगे क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए सरकार से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) रोजगार के आकार, कारखानों की संख्या और कामगारों की संख्या के संबंध में उपलब्ध विवरण निम्नवत् है :

आंकड़े प्रतिशत में

क्रम सं.	रोजगार की रेंज	कारखाने	कामगार
1	99 तक	86.06	29.44
2	100 से 999	13.04	44.27
3.	1000 से अधिक	00.9	26.29
		100.00	100.00

स्रोत उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 1995--96। कारखाना क्षेत्र के लिए अनंतिम निष्कर्ष; केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

(ख) और (ग) कामगारों और कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है और ये संशोधन सामाजिक भागीदारों की आवश्यकताओं पर आधारित हैं तथा आर्थिक सुधारों के अनुरूप हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम में कोई भी संशोधन करने के लिए सभी संबंधित बातों पर विचार करने के बाद एक सजग नीति अपनायी जाती है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाना

2141. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी कृषि उत्पादों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जी, नहीं। कृषि उत्पादों के निर्यात संबंधी सरकार की नीति मुख्य रूप से देश की खाद्य सुरक्षा, फार्म आय और अर्जित आय को अधिकाधिक करने के उद्देश्य पर निर्भर करती है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा भारत सरकार की एक प्रमुख चिंता का विषय है। कृषि उत्पादों के निर्यात की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है और जब भी तथा जहां भी जरूरत होती है नीतिगत हस्तक्षेप किये जाते हैं ताकि कृषि निर्यात को ज्यादा से ज्यादा व्यवहारपरक बनाया जा सके। अधिकांश कृषि उत्पादों का निर्यात स्वतंत्र रूप से होता

है केवल कुछ उत्पादों के लिए ही लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, या उन पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाये जाते हैं या उनके निर्यात को केवल कुछ नामित राज्य व्यापार उद्यमों के माध्यम से ही किये जाने की अनुमति दी जाती है।

[अनुवाद]

विशेष जमा खाते में कर्मचारी निधि

2142. श्री रामजी मांझी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी) को राष्ट्रीयकृत बैंकों में, जहां ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक से अधिक थी, निवेश की बजाय भारतीय रिजर्व बैंक में विशेष जमा खाते में निवेश करके करोडों रुपयों की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के उत्तर में उनको कुछ स्पष्टीकरण दिया था; और

(ग) इस संबंध में उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम मूलतः एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है। इसकी निधियों का निवेश करते समय "ब्याज की दर" एकमात्र मानदंड नहीं रहा है अपितु सुरक्षा पहलू को भी उचित महत्त्व दिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इस बारे में उपयुक्त सूचना दे दी गई है।

[हिन्दी]

आई.सी.ए.आर. की नेशनल प्रोफेसरशिप योजना

2143. डा. बलिराम : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में पांच वर्षों की अवधि की नेशनल प्रोफेसरशिप योजना पर धन खर्च कर देश कृषि क्षेत्र के विकास के संदर्भ में किस सीमा तक लाभान्वित हुआ है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत खर्च हुई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इससे परिषद को कितना लाभ हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार आई.सी.ए.आर. के हित में इस योजना की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) इस योजना से देश को बहुत लाभ हुआ है तथा इस योजना के द्वारा भारतीय कृषि के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान किया गया है। लाभकारी तथा कार्यकुशल कृषि के लिए महत्त्वपूर्ण उच्च योग्यता की तकनीकों, सामग्री तथा मानव शक्ति को सृजित कर इस परियोजना ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय विज्ञान की पारदर्शिता तथा प्रभाव को बढ़ाया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान नेशनल प्रोफेसर योजना पर कुल 481 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इस योजना से प्राप्त लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं : पूसा नीम गोल्डन यूरिया का विकास जिससे चावल की पैदावार में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई; पराजीवी रोहू मछली जो 6 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ती है; मछलियों में लिंग–विपर्यय के लिए तकनीक; चावल में तापमान संवेदी जीन नर–बंध्यता के देशी स्रोतों की पहचान तथा लक्षण–वर्णन; गेहूं में शुष्क सहिष्णुता का लक्षण–वर्णन; पशुओं के रोटावाइरस रोग के तुरन्त निदान के लिए डाट इम्यूनोबाइडिंग एस्से (डी.एन.ए.) तथा महत्त्वपूर्ण फसलों के कीट प्रबंध के लिए समेकित कीट प्रबंध तकनीकें।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की यह एक प्रतिष्ठित योजना है जिससे वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा इस स्तर पर इसकी समीक्षा करने की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

सामाजिक सुरक्षा-मूल अधिकार

2144. श्री सुन्दर लाल तिवारी :

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा गठित सामाजिक सुरक्षा समूह ने सिफारिश की है कि सामाजिक सुरक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम फैसला कब तक ले लिये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पर गठित अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत कर दी है। आयोग को इस अध्ययन दल की रिपोर्ट पर अपनी सिफारिशों के संबंध में अपना

मत निर्धारित करना है। आयोग की अन्तिम रिपोर्ट 15.02.2002 तथा आने की संभावना है।

चयन समितियों में अ.जा./अ.ज. जातियों का प्रतिनिधित्व

2145. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विश्वविद्यालयों और इसके समान संस्थानों, जो केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, के उप कुलपतियों के रूप में नियुक्ति हेतु व्यक्तियों का चयन करने के लिए चयन समितियों/बोर्डों में अ.जा./अ.ज. जातियों के व्यक्तियों को शामिल करने हेतु चयन बोर्डों/समितियों के गठन के बारे में विद्यमान निर्देशों/प्रणालियों में किए गए संरचनात्मक/संवैधानिक परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष–वार उपर्युक्त पदों पर कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई; और

(ग) इनमें से अ.जा./अ.ज. जाति श्रेणी से संबंधित कुल कितने व्यक्ति हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) कुलपतियों के लिए चयन (खोज) समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा लागू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

परिषद ने कृषि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के रूप में नियुक्ति हेतु व्यक्तियों का चयन करने के लिए चयन समितियों/बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को शामिल करने हेतु चयन बोर्डों/समितियों के गठन के बारे में विद्यमान निदेशों/प्रणालियों में किए गए संरचनात्मक/संवैधानिक परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल 40 व्यक्तियों को कुलपति नियुक्त किया गया है। वर्ष–वार ब्यौरे निम्न हैं :–

1997	12
1998	6
1999	10
2000	8
2001	4

(ग) एक।

अप्रयुक्त भूमि

2146. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अप्रयुक्त भूमि/बंजर भूमि में तब्दील हुई भूमि की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) भू–संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी, हैदराबाद के सहयोग से 1:50,000 के पैमाने पर सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुये "भारत का बंजर भूमि एटलस–2000" प्रकाशित किया है। राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कृषि मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय पनधारा के आधार पर बंजरभूमि/निम्नीकृत भूमि के विकास के लिये विशेष रूप से, ईंधन काष्ठ और चारा, जैव–समूह की उपलब्धता में वृद्धि करने, इन भूमियों का उत्पादक उपयोग करने और भूमि निम्नीकरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से बहुत सी स्कीमें क्रियान्वित करते रहे हैं, जैसे :

I. **कृषि मंत्रालय**

(1) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।

(2) क्षारीय मृदा के सुधार के लिये केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम।

(3) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश में क्षारीय भूमि सुधार परियोजना।

(4) बिहार तथा उत्तर प्रदेश में क्षारीय भूमि के सुधार के लिये यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त परियोजना।

(5) पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती वाले क्षेत्रों के लिये पनधारा विकास परियोजना।

(6) नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में निम्नीकृत भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये मृदा संरक्षण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम।

II. **ग्रामीण विकास मंत्रालय**

(1) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू. डी. पी.)

(2) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)

(3) मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)

विवरण

भारत में राज्य–वार और वर्ग–वार बंजरभूमि का ब्यौरा

(क्षेत्र वर्ग किमी. में)

राज्य	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. आंध्र प्रदेश	692.68	20256.64	1035.02	603.26	13.80	22237.78	709.29	52.91	464.70	98.88	5196.27	388.96	0.00	51750.19	275068.00	18.81
2. अरुणाचल प्रदेश	0.00	3326.73	41.47	0.00	3088.08	1416.67	2134.99	5.07	309.43	0.30	1262.36	7.93	6732.17	18326.25	83743.00	21.88
3. असम	0.00	843.72	1633.56	0.00	8391.48	3112.71	2217.85	0.00	3764.54	0.43	54.88	0.00	0.00	20019.17	78438.00	25.52
4. बिहार	559.17	4689.93	1198.87	0.51	45.45	13066.53	164.97	79.80	222.08	184.23	688.91	97.10	0.00	20997.55	173877.00	12.08
5. गोवा	0.00	292.83	41.02	0.00	0.00	71.99	2.47	32.19	0.00	110.73	58.55	3.49	0.00	613.27	3702.00	16.57
6. गुजरात	1013.39	21786.72	2656.26	7637.34	0.00	5443.02	387.45	78.32	188.42	49.66	3293.39	487.31	0.00	43021.28	196024.00	21.95
7. हरियाणा	49.50	988.42	238.30	285.63	0.00	732.52	721.65	134.12	465.01	13.72	105.12	0.00	0.00	3733.98	44212.00	8.45
8. हिमाचल प्रदेश	121.89	2056.50	15.69	1.36	0.00	4589.98	4278.17	2457.59	105.04	85.66	3858.04	1529.67	12559.42	31659.00	55673.00	56.87
9. जम्मू व कश्मीर	21.25	4495.30	246.50	0.00	0.00	2491.66	267.51	640.58	869.26	0.31	32821.50	1685.42	21904.97	65444.24	101387.00	64.55
10. कर्नाटक	301.52	9087.68	32.78	125.11	0.00	8299.41	97.46	104.74	43.96	77.78	2627.89	40.97	0.00	20839.28	191791.00	10.87
11. केरल	0.00	357.93	136.00	0.00	0.00	609.30	3.99	25.65	27.87	0.49	146.46	140.49	0.00	1448.18	38863.00	3.73
12. मध्य प्रदेश	7569.11	36977.87	51.72	162.81	0.00	20437.77	302.44	910.40	24.57	141.44	2950.97	184.65	0.00	69713.75	443446.00	15.72
13. महाराष्ट्र	1700.37	31386.91	527.57	251.66	0.00	13430.67	1349.40	687.43	77.63	100.45	2587.42	1389.57	0.00	53489.08	307690.00	17.38
14. मणिपुर	0.00	1.32	324.60	0.00	12014.06	608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12948.62	22327.00	58.00
15. मेघालय	0.00	4190.63	14.87	0.00	2086.77	3612.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9904.38	22429.00	44.16
16. मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	3761.23	310.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4071.58	21081.00	19.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.	नागालैंड	0.00	1596.46	0.00	0.00	5224.65	1582.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8404.10	16579.00	50.69
18.	उड़ीसा	185.82	8358.68	379.10	51.49	115.28	10014.07	13.43	193.93	212.49	35.45	1574.09	207.88	0.00	21341.71	155707.00	13.71
19.	पंजाब	168.52	339.44	352.01	173.29	0.00	353.29	113.71	81.58	619.67	26.89	0.00	0.00	0.00	2228.40	50362.00	4.42
20.	राजस्थान	4952.77	27152.76	289.66	2722.99	0.00	12541.89	12208.44	21.14	40639.51	128.65	4799.02	182.28	0.00	105639.11	342239.00	30.87
21.	सिक्किम	0.00	1073.11	0.00	0.00	0.00	1060.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34	0.00	1425.56	3569.58	7096.00	50.30
22.	त्रिपुरा	0.00	286.87	0.11	0.00	400.88	588.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1276.03	10486.00	12.17
23.	तमिलनाडु	226.12	7697.91	415.80	2479.73	0.53	9634.25	168.94	221.96	590.80	120.46	1155.92	301.50	0.00	23013.90	130058.00	17.70
24.	उत्तर प्रदेश	2806.52	5498.99	4981.43	5811.94	0.00	3338.32	446.36	50.44	470.21	29.26	1180.13	992.83	13166.37	38772.80	294411.00	13.17
25.	पश्चिम बंगाल	171.90	1245.16	1931.54	131.25	0.00	777.58	384.97	2.93	879.13	47.34	130.46	16.24	0.00	5718.48	88752.00	6.44
26.	संघ शासित क्षेत्र	12.83	25.74	24.60	39.01	0.00	289.97	5.43	46.34	47.33	0.00	83.05	0.00	0.00	574.30	10973.00	5.23
	योग	20553.35	194014.29	16568.45	20477.38	35142.20	140652.31	25978.91	5828.09	50021.65	1252.13	64584.77	7656.29	55788.49	638518.31	3166414.00	20.17

1. नालीदार/बीहड़ भूमि
2. झाड़ी सहित/बिना भूमि
3. जलभराव/दलदल भूमि
4. लवणीय/क्षारीय भूमि
5. झूम खेती क्षेत्र
6. निम्नीकृत अधिसूचित वन भूमि
7. निम्नीकृत घास के मैदान/चराई वाली भूमि
8. रोपणी फसल के तहत निम्नीकृत भूमि
9. बालू–अंतर्देशीय/तटवर्ती
10. खनन/औद्योगिक बंजरभूमि
11. बंजर शैलीय क्षेत्र
12. तेज ढलान वाला क्षेत्र
13. बर्फ/हिमानी क्षेत्र
14. कुल बंजर भूमि
15. कुल भौगोलिक क्षेत्र
16. कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत

स्रोत: लैंडसेट थिमैटिक मैपर/एल.आई.एस.एस. II/III डाटा से तैयार किया गया 1 : 50,000 पैमाने पर बंजर भूमि मानचित्र।

नोट: जम्मू व कश्मीर में 1,20,849,00 वर्ग कि.मी. का मानचित्रण नहीं किया गया है और इस प्रकार, इस पर प्रतिशत के परिकलन में विचार नहीं किया गया है।

पुष्प कृषि अनुसंधान प्रणाली

2147. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुष्प कृषि अनुसंधान प्रणाली तकरीबन चार दशक पुरानी है और निर्यातोन्मुखी उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी अब भी निम्न दर्जे की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पुष्प कृषि अनुसंधान में सुधार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितना धन आबंटित किया गया है; और

(च) जिले–वार पुष्प कृषि करने वाले राज्य कौन–कौन से हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) भारत में निर्यातोन्मुख पुष्पोत्पादन हाल ही में आरम्भ हुआ है तथा आर्थिक उदारीकरण के उपरांत ही पुष्पोत्पादन में वृद्धि का रुख देखा गया है। निर्यातोन्मुख पुष्पोत्पादन से संबंधित सुव्यवस्थित अनुसंधान कार्य इसलिए पहले आरम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि इसके लिए बड़ी मात्रा में निवेश तथा आधुनिकतम आधारभूत ढांचे की आवश्यकता होती है।

(ग) जी, हां।

(घ) पुष्पोत्पादन से संबंधित सुव्यवस्थित अनुसंधान कार्य केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर तथा उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान काम्पलैक्स, शिलांग के अतिरिक्त भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर; भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली तथा अखिल भारतीय समन्वित पुष्पोत्पादन सुधार परियोजना के अंतर्गत 22 केन्द्रों में चल रहा है। इन संस्थानों/केन्द्रों के अंतर्गत अनुसंधान कार्यक्रमों का पुनः नवीकरण किया जा रहा है ताकि निर्यातोन्मुख पुष्पोत्पादन पर अधिक बल दिया जा सके। देश में आर्किड अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम में नए राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है। नौवीं योजना के दौरान सजावटी फसलों की संरक्षित खेती पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नेटवर्क परियोजना तथा राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के अंतर्गत मैदानी तथा पर्वतीय तथा क्षेत्रों में सब्जियों और फूलों की संरक्षित खेती पर मिशन मोड परियोजना को मंजूरी दी गई है तथा देश के विभिन्न केन्द्रों में इन्हें कार्यान्वित किया गया है। महत्त्वपूर्ण अनुसंधान अंतरालों को भरने के लिए विभिन्न संस्थानों में तदर्थ योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(ङ) राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केन्द्र, अखिल भारतीय समन्वित पुष्पोत्पादन सुधार परियोजना तथा नेटवर्क परियोजनाओं पर नौवीं योजना के दौरान 13.51 करोड़ रु. की राशि का आबंटन किया गया है।

(च) पुष्पोत्पादन करने वाले विभिन्न राज्य हैं :

कर्नाटक– कूर्ग, बंगलौर, मैसूर, तटीय कर्नाटक

तमिलनाडु– कोयम्बटूर, ऊटकमंड, हौसुर, कोडैकनाल तथा तटीय जिले।

महाराष्ट्र– पुणे, नासिक, मुम्बई, सांगली, थाने

आंध्र प्रदेश– हैदराबाद, पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी जिला, रंगा रेड्डी जिला

केरल– त्रिवन्तपुरम, त्रिसूर, इरनाकुलम

पश्चिमी बंगाल– सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कालीम्पोंग, कोलकाता, मिदनापुर, 24 परगना तथा नाडिया

हिमाचल प्रदेश– सोलन, कुल्लू, कांगड़ा और राज्य जैसे सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्य।

देवनहल्ली में हवाई अड्डे के निर्माण में निजी भागीदारी

2148. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवनहल्ली में निजी भागीदारी से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या इस परियोजना की मंजूरी लेने में जर्मनी के एकमात्र चयनित बोलीदाता सीमन्स एजी को सरकारी स्तर पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना को सरकार द्वारा कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी से संयुक्त उद्यम के अंतर्गत देवनहाली, बेंगलूर में नए ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल हवाई अड्डे के

निर्माण हेतु कर्नाटक राज्य सरकार के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया है।

(ख) से (घ) संयुक्त उद्यम भागीदार (जेवीपी) की चयन प्रक्रिया में पर्याप्त प्रगति हुई है। प्रस्तावित संयुक्त उद्यम भागीदार के साथ शेयरधारक करार और हवाई अड्डा विकास करार होने के बाद कर्नाटक राज्य सरकार इस परियोजना को क्लियर करेगी।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवकों को ठेका दिया जाना

2149. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. की अनुषंगी कंपनियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवकों की स्थानीय सहकारी समितियों के बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर परिवहन और खनन का ठेका देने को कोई प्रस्ताव है; जैसा कि भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समितियों के मामले में होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.जा. के स्थानीय बेरोजगार युवकों की सहकारी समितियों को वरीयता आधार पर परिवहन तथा खनन के ठेके दिए जाने हेतु पृथक प्रस्ताव नहीं है। तथापि बीसीसीएल में जिला प्रशासन द्वारा प्रायोजित "बेरोजगार समिति" तथा "आदिवासी समिति" कोयले तथा रेत के परिवहन में नियोजित हैं। इन समितियों को निविदा में भाग लिए बिना सूचीबद्ध किया गया है और परिवहन ठेके आबंटित किए गए हैं। उन्हें रेत के परिवहन के लिए असैनिक ट्रांसपोर्टरों की प्रचलित दर तथा कोयले के परिवहन हेतु भूतपूर्व सैनिकों की कंपनियों के समान दर प्रदान की जाती है।

भूतपूर्व सैनिकों की कंपनियों के अलावा, जिन्हें सामान्यतः डीजीआर, रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कोयले के परिवहन हेतु नियोजित किया जाता है, ठेके संबंधी कार्य खुली निविदा के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.जा. के बेरोजगार युवकों की सहकारी समितियां, यदि कोई हों, तो विभिन्न कंपनियों हेतु ठेका संबंधी कार्यों के लिए खुली निविदा में भाग ले सकती हैं। असैनिक अनुबंधकर्त्ताओं को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.जा. सहित स्थानीय युवकों को काम पर रखने को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

फार्म राजसहायता में कटौती

2150. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फार्म राजसहायता में कटौती करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकसित देश किसानों को अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के 10 प्रतिशत तक की राजसहायता दे रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत में किसानों को सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत की भी राजसहायता नहीं मिल रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) विकसित देशों में वर्ष 1997 के लिए कृषि नीतियों से संबद्ध कुल हस्तांतरणों (टी.टी.ए.पी.) का सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

क्र.सं.	देश	1997 में सकल घरेलू उत्पाद की % के रूप में टी.टी.ए.पी.
1.	आस्ट्रेलिया	0.4%
2.	कनाडा	0.7%
3.	जापान	1.6%
4.	नार्वे	2.0%
5.	स्विटजरलैंड	2.2%
6.	संयुक्त राज्य अमेरिका	0.9%

स्रोत : ओ ई सी डी

(ङ) और (च) वर्ष 1997-98 में भारतीय किसानों को दी गयी राजसहायताएं सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 1.9% थीं। कृषि नीतियों से सबद्ध कुल हस्तांतरण (टी टी ए पी) कृषि नीति से जुड़े हस्तांतरण का आकलन करता है जिसमें से अधिकांश मूल उत्पादकों को जाता है लेकिन कुछ अंश अन्य क्षेत्रों को भी जाता है। भारत

और अन्य विकसित देशों के बीच राजसहायताओं संबंधी उचित रूप से तुलनीय जानकारी का ब्यौरा नहीं रखा जाता।

/हिन्दी/

सूअर के गोश्त का निर्यात

2151. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने सूअर गोश्त का निर्यात किया गया और इससे कितनी आय प्राप्त हुई;

(ख) इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सूअर प्रजनन संबंधी विशेष योजना के अंतर्गत क्या प्रयास किए गए और इस पर कितना धन खर्च किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए सूअर गोश्त की मात्रा तथा उससे अर्जित आय संबंधी सूचना इस प्रकार है :—

	1998-99	1999-2000	2000-2001
मात्रा (टन)	107.40	283.49	2.63
मूल्य (लाख रुपए में)	50.33	127.43	0.94

(ख) देश में सूअर गोश्त के निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) "एकीकृत सूअर विकास के लिए राज्यों को सहायता नामक योजना" के तहत्, राज्य सूअर फार्मों के सुदृढ़ीकरण तथा उनके प्रजनन स्टॉक के आनुवंशिक उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान योजना के तहत खर्च संबंधी सूचना इस प्रकार है :

	1998-99	1999-2000	2000-2001
व्यय (करोड रुपए में)	4.00	2.50	2.07

/अनुवाद/

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भांडागार

2152. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :

श्री अम्बरीश :

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार हैदराबाद हवाई अड्डे सहित अन्य सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर खराब होने वाली वस्तुओं के लिए भांडागार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, तिरुवनन्तपुरम, बंगलौर और गुवाहाटी स्थित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर नष्ट होने योग्य कार्गो के निर्यात के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा सहित समेकित कार्गो टर्मिनल स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद हवाई अड्डों पर फुलवारी और बागवानी उत्पादों के लिए एक आधुनिक पेरिशेबल कार्गो सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है। मुंबई हवाई अड्डे पर पेरिशेबल कार्गो सुविधा केन्द्र के निर्माण के शीघ्र पूरा होने की आशा है और यह अगस्त, 2002 तक शुरू हो जाएगा।

(ग) अन्य हवाई अड्डों पर पेरिशेबल कार्गो के निर्यात के लिए कोई पर्याप्त मांग नहीं है जिससे आधुनिक कार्गो केन्द्र की स्थापना की जा सके।

विदेशी सहयोग से पर्यटन नेटवर्क के लिए योजना

2153. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी सहयोग से पर्यटन नेटवर्क के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय ने 29 देशों के साथ द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करार किया है। विश्व पर्यटन संगठन, ई एस सी ए पी, ए एस ई ए एन, बी आई एम एस टी ई सी, एम जी सी (मीकोंग गंगा कोऑपरेशन) और पर्यटन पर सार्क तकनीकी समिति जैसे बहुपक्षी फोरमों में भी, पर्यटन में सहयोग पर विचार–विमर्श किया गया है।

उत्पादन की लागत

2154. श्री पी.सी. थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अनेक कृषि उपजों से किसानों को पर्याप्त प्रतिफल नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या किसान अत्यधिक उत्पादन लागत और कम प्रतिफल के कारण अपना काम जारी रखने में असमर्थ हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या अनेक व्यापार समझौतों से लाभदायक परिणाम नहीं निकले हैं और किसानों को भारी नुकसान हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो मद-वार धान, गेहूं, गन्ना, नारियल, सुपारी, अनन्नास और आम की खेती करने वाले किसानों को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान कुछ कृषि जिंसों के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति पाई गई है। इससे किसानों को मिलने वाले लाभ के स्तर पर प्रभाव पड़ा है।

किसानों के हितो की सुरक्षा के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी स्कीम के तहत 25 प्रमुख कृषि जिंसों को शामिल किया गया है। जब कभी मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर के नीचे आ जाते हैं, सार्वजनिक तथा सहकारी एजेंसियों के माध्यम से इन जिंसों के लिये खरीद संबंधी क्रियाकलाप न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर पर करने की अपेक्षा होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार निर्धारित किये जाते हैं कि किसानों को उनके उत्पाद के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो सकें। सरकार बागवानी जिंसों और अन्य छोटे कृषि उत्पादों के लिये जिनकी प्रकृति नाशवान है, मण्डी हस्तक्षेप स्कीम भी क्रियान्वित कर रही है।

(घ) से (च) विश्व व्यापार संगठन के कृषि विषयक करार का दीर्घकालीन उद्देश्य सहायता और संरक्षण संबंधी प्रतिबद्धताओं के संबंध में विचार-विमर्श के द्वारा सुधारात्मक प्रक्रिया शुरू करना और एक उचित तथा बाजारोन्मुख कृषि व्यापार प्रणाली की स्थापना करना है। उद्देश्य एक सहमत अवधि में कुछ प्रकार की कृषि सहायता और संरक्षण में पर्याप्त प्रगामी कटौती सुनिश्चित करना है जिससे विश्व कृषि बाजार में प्रतिबंधों और विसंगतियों में सुधार लाने और रोक लगाने का काम होगा।

कृषि विषयक करार के तहत भारत से अनुसंधान, कीट व रोग नियंत्रण, विपणन एवं प्रोत्साहन सेवाओं तथा विभिन्न अवसंरचनात्मक सहायता सेवाओं के लिये इसकी मौजूदा सब्सिडियों में कटौती करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। भारत किसानों के हितों की सुरक्षा के लिये कृषि नीतियों और विभिन्न घरेलू सहायता कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है और संसाधनहीन किसानों को सहायता दे रहा है तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है। भारत से कृषि जिंसों के निर्यात का मूल्य देश में कृषि आयात के मूल्य से अधिक रहा है। इसके अलावा, वर्ष 2000-2001 के दौरान कृषि निर्यात का मूल्य 1999-2000 के मूल्य की तुलना में अधिक रहा जबकि कृषि आयात का मूल्य संगत अवधि के दौरान घट गया।

किसानों को होने वाली हानि के बारे में सूचना दर्ज नहीं की जाती है। तथापि, किसानों की आय जो कृषि, पशुपालन, वानिकी और मात्स्यिकी में सकल मूल्य परिवर्धन के रूप में परिलक्षित होती है, नियत मूल्यों पर 1997-98 में 269383 करोड़ रु. से बढ़कर 2000-2001 में 290895 करोड़ रुपये हो गई है।

नदियों से गाद निकालना

2155. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की बड़ी-बड़ी नदियों से गाद निकालने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष बड़ी नदियों से गाद निकालने के लिए कुल कितना धन आबंटित किया गया/कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और इसमें कितनी राशि का उपयोग किया गया; और

(घ) वर्ष 2001-2002 के लिए तमिलनाडु को नदियों से गाद निकालने के लिए कितना धन आबंटित किया गया ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) भारत सरकार ने देश में प्रमुख नदियों की गाद हटाने के लिए अब तक कोई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों का उत्पादन

2156. श्री दिन्शा पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान खाद्यान उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नौवीं योजना के अंतिम दो वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन का ब्यौरा क्या है और नौवीं योजनावधि के दौरान खाद्यान्न का औसतन उत्पादन कितना रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

(मिलियन मी.टन)

वर्ष	लक्ष्य	उत्पादन
1997-98	202.00	192.26
1998-99	210.00	203.61
1999-2000	210.00	208.87
2000-01	212.00	196.07
2001-02	218.00	210.00*

* प्रत्याशित

उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान खाद्यान्नों का औसत वार्षिक उत्पादन 202.16 मिलियन मीटरी टन बैठता है।

लक्ष्यों की प्राप्ति अनेक पहलुओं पर निर्भर करती है जैसे कि मानसून की स्थिति, प्रौद्योगिकीय विकास, कृषि प्रबंधन क्षमता आदानों का सही समय पर उपयोग, कृषि उत्पादों की मांग आदि। विशेष रूप से देश में कृषि उत्पादन वर्षा की मात्रा और विस्तार द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होता है क्योंकि बोया गया लगभग 62% क्षेत्र पानी हेतु वर्षा पर निर्भर करता है। कम वर्षा, सिंचाई क्षमता पर बुरा प्रभाव डालती है।

पर्यटन का संवर्धन

2157. श्री पी.आर. किन्डिया : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग को संकट से उबारने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है;

(ख) क्या सरकार ने क्षेत्रीय और घरेलू पर्यटन दोनों ही को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन के संवर्धन के लिए उपयुक्त कार्य योजना पर विचार-विमर्श करने तथा सुझाव देने के लिए भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, यात्रा उद्योग और व्यापार के वरिष्ठ सदस्यों को शामिल करते हुए एक विशेष पर्यटन बल गठित किया गया है।

कार्यबल द्वारा सिफारिश किए गए कुछ उपाय नीचे दिए गए अनुसार हैं :

(i) विशेष मीडिया नीति और विश्वास उत्पन्न करने वाले उपायों से भारत को सुरक्षित गंतव्य स्थल के रूप में संवर्धित करना।

(ii) दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, आस्ट्रेलेशिया और दक्षिण अफ्रीका के लिए विदेशी विपणन तथा संवर्धन नीति पर पुनः बल देना।

(iii) अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के नागरिकों को लक्ष्य करते हुए, उपर्युक्त मार्केटों में रोड़ शो आयोजित करना।

(iv) स्वदेशी बाजारों पर विशेष बल दिया जाना।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय पर्यटन नीति और नौवीं पंचवर्षीय योजना में स्वदेशी पर्यटन पर विशेष बल दिया गया है।

कैद कर रखे गए जानवर

2158. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मुम्बई के निकट निजी चिड़ियाघरों में बड़ी संख्या में कैद कर रखे गए हिंसक जानवरों को छुड़ाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना अनुसार मुम्बई के निकट रिकवर किए गए वन्यजीवों का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	तारीख	स्थान	जीवों का विवरण	परित्याग
1998	26.10.1998	अशोका फार्म हाऊस,	जीवित तेंदुआ	04
		गोरेगांव (ई), मुम्बई	पारियाह काइट	03
1999	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2000	06.11.2000	आयूष रिसोर्ट,	इंडियन	04
		पेनवेल जिला,	गैजेले (चिंकारा)	
		रायगढ़	शीश विहीन हंस	09
			स्पॉट बिल्ड डक	05
			सारस क्रेन	05
			फ्लैमिंगोस	04
			डेमोसाईल क्रेन	02
2001	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

महाराष्ट्र राज्य वन विभाग द्वारा दोनों मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं।

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

2159. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :**

श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति न होने के कारण देश के कई विद्युत संयंत्र/परियोजनाएं बुरी तरह से प्रभावित रही हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संयंत्रों/परियोजनाओं को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार विद्युत क्षेत्र को लिंकेज देने तथा कोयले की आपूर्ति करने में प्राथमिकता देती है। सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियां अर्थात कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. देश में विभिन्न विद्युत संयंत्रों/विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की आपूर्ति करने के लिए पूरी तैयार हैं। गत दो वर्षों के लिए विद्युत क्षेत्र की मांग तथा वास्तविक आपूर्तियां नीचे दी गई हैं :

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	मांग (जैसाकि योजना आयोग ने आकलित की है)	आपूर्तियां
1999-2000	217	224.96
2000-2001	227	236.82

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत उपयोगिताएं कोयले के कारण प्रभावित न हों, सरकार ने विभिन्न कोलफील्डों से विद्युत उपयोगिताओं को कोयले के संचलन में समन्वय को सुकर बनाने के लिए अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक स्थायी लिंकेज समिति (अल्प अवधि) गठित की है। समिति सभी शेयर होल्डरों (स्टोक होल्डरों) सहित लगातार बैठक करती है और यह सुनिश्चित करती है कि विद्युत उपयोगिताओं को, उनके लिए निर्धारित, कोयले की आपूर्ति नियमित रूप से होती रहे।

भर्ती एजेन्सियों के विरुद्ध शिकायतें

2160. **श्री टी. गोविन्दन :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भर्ती एजेन्सियां आकर्षक नौकरियों और वेतन का वचन देकर बिना सेवा दिए जनता से भारी धनराशि वसूल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में लोगों अथवा राज्य सरकारों से कोई शिकायत प्राप्त हुई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक चूककर्ता के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) भर्ती एजेंटों द्वारा विभिन्न अनाचार अपनाए जाने के आरोप संबंधी छुटपुट शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। स्थानीय एजेंटों को निदेश देते हुए कामगारों की शिकायतों का निराकरण करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है। जब भी आवश्यक हो, भारतीय मिशनों से भी विदेशी प्रयोजक/सरकार की सहायता से कामगारों की समस्याओं का समाधान करने का अनुरोध भी किया जाता है। स्थानीय एजेंटों के कामगारों की समस्याओं का समाधान करने में असफल रहने पर, उनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलम्बित/रद्द करने के लिए कार्रवाई आरम्भ की जाती है।

बड़े बांधों का निर्माण

2161. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बांध आयोग ने पर्यावरण और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रसार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के कारण बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ वकालत् की है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय कितने बांध निर्माणाधीन हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बड़े बांधों के निर्माण के संबंध में अपनी नीति की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा वित्तपोषित एक गैर-सरकारी संगठन विश्व बांध आयोग (डब्ल्यू. सी. डी.) ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया कि बड़े बांधों के प्रभाव सकारात्मक होने के बजाय अधिक ऋणात्मक रहे हैं और इनसे लाखों लोग दरिद्रता और दुःख झेल रहे हैं।

(ख) देश में निर्माणाधीन बड़े बांधों (केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 1994 में प्रकाशित बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुसार) की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) विश्व बांध आयोग की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप देश में बड़े बांधों के निर्माण की नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत के पास पर्यावरण और परियोजनाओं से प्रभावित लोगों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त नीति और विधिक फ्रेमवर्क है। भारत ने अपने संविधान में पर्यावरणीय सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की है और इन उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए सुस्पष्ट विधायी और संस्थागत तंत्र है। देश में सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय जल नीति पहले से ही तैयार कर अपनाई है। जिसमें जल संसाधनों के विकास के विभिन्न पहलुओं के वास्ते दिशानिर्देशों की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, भारत बड़ी परियोजनाओं के लिए अपनी नीतियों को तैयार करने और कार्य नीतियों के क्रियान्वयन का निरंतर सुधार और उन्नयन कर रहा है ताकि उन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मांगों के अनुरूप तथा सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से दीर्घकालिक बनाया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए, स्वदेशी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए वर्षा जल संचयन सहित सतत भूजल दोहन को सम्मिलित करते हुए वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना दृष्टिकोण सभी को समेकित किया जाता है। भारत में बांधों की भूमिका का विकल्प नहीं हो सकता है परन्तु इसे अन्य जल संरक्षण प्रयासों और प्रौद्योगिकियों के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने तथा हमारी बढ़ती जनसंख्या की ऊर्जा और पेय जल जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने अगले 25 वर्षों में 200 बिलियन घन मीटर और अधिक भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए बांध निर्माण कार्यक्रम जारी रखने का प्रस्ताव किया है। विश्व बांध आयोग द्वारा उनकी अंतिम रिपोर्ट में सुझाए गए विकासात्मक दिशानिर्देश भारत के लिए अनिवार्य नहीं है क्योंकि ये अव्यवहारिक प्रकृति के हैं और हमारी राष्ट्रीय विकास आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है।

विवरण

देश में निर्माणाधीन बड़े बांधों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य	बांधों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	26
2.	बिहार	33
3.	गुजरात	71
4.	कर्नाटक	28

1	2	3
5.	केरल	16
6.	मध्य प्रदेश	147
7.	महाराष्ट्र	300
8.	उड़ीसा	18
9.	राजस्थान	4
10.	तमिलनाडु	13
11.	उत्तर प्रदेश	22
12.	पश्चिम बंगाल	5
13.	अन्य राज्य	12
	कुल	695

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

2162. श्री अमर राय प्रधान : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में श्रेणीवार/पदवार ऐसे कितने अधिकारी हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की है;

(ख) ऐसे अधिकारियों को क्या लाभ दिये गये हैं;

(ग) आज की तारीख में ऐसे कितने आवेदन निपटान हेतु लम्बित पड़े हुए हैं;

(घ) क्या ऐसी सेवानिवृत्ति से उनके मंत्रालय के समुचित कार्यकरण पर असर पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो किस सीमा तक असर पड़ा है; और

(च) सरकार का विचार ऐसी सभी रिक्तियों को भरने के लिए किस तरह का प्रबंध करने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) उप सचिव (समूह 'क' स्तर का अधिकारी) ने अक्टूबर, 2001 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी।

(ख) ऐसे अधिकारियों को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत यथा स्वीकार्य सेवा निवृत्ति के बाद के लाभ दिए जाते हैं जिनमें शेष जमा अर्जित छुट्टियों के नकदीकरण के अलावा, पेंशन और ग्रेच्युटी भी शामिल हैं।

(ग) आज की तारीख तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) उप सचिव का पद मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा भरा जाता है।

व्यय सुधार आयोग

2163. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय और उसके विभागों में मौजूदा अपव्यय को कम करने हेतु सिफारिशें देने के लिए मंत्रालय में कोई व्यय सुधार आयोग स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन–कौन से हैं;

(ग) इस आयोग द्वारा अब तक की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) मंत्रालय अथवा विभागों द्वारा अभी जिन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना शेष है, उनका ब्यौरा क्या है इन सिफारिशों को आज की तिथि तक कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों हेतु सिफारिशें देने के लिए श्री के.पी.गीताकृष्णन की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय में व्यय सुधार आयोग का गठन किया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के कार्यकलापों, गतिविधियों तथा इसके ढांचे को तर्कसंगत बनाने के संबंध में व्यय सुधार आयोग की सिफारिशें हाल ही में इस मंत्रालय में प्राप्त हुई हैं तथा मंत्रालय इनकी जांच कर रहा है।

अभयारण्यों के विकास हेतु पर्यावरणीय विकास योजनाएं

2164. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पापीकोन्डा अभयारण्य में इस समय कितनी जंगली भैंसें हैं;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के विभिन्न अभयारण्यों के विकास के लिए पर्यावरणीय विकास योजनाएं विकसित करने की मांग है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश में ऐसे अभयारण्यों के पर्यावरणीय विकास संबंधी योजना बनाने अथवा सुझाव देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए अभयारण्य–वार कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी;

(ङ) क्या इस धनराशि के उपयोग के लिए कोई निगरानी की जा रही है और यदि हां, तो इस धनराशि के उपयोग की वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) क्या वन्यजीवन के संरक्षण के लिए गैर–सरकारी संगठनों और अन्य कार्यकर्त्ताओं को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है; और

(छ) यदि हां, तो पर्यावरण के विकास की योजनाओं के माध्यम से ऐसे अभयारण्यों का विकास करने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) इस समय पापीकोन्डा वन्यजीव अभयारण्य में कोई जंगली भैंसें नहीं हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बायोमास पुनरुद्धार, पशु एवं मानव स्वास्थ्य देख–रेख, मृदा नमी संरक्षण, पेयजल सुविधा सहित जल विकास आय के वैकल्पिक स्रोत, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत तथा प्रचार एवं जागरूकता कार्यक्रम जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय विकास हेतु पारिस्थितिकीय विकास के अंतर्गत प्रस्तावों की वित्त व्यवस्था की है।

(घ) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दी गई धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) किसी विशेष वर्ष में धनराशियां रिलीज करते समय किए गए कार्य के ब्यौरों सहित पहले से रिलीज की गई धनराशियों की देख–रेख हेतु राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किए जाते हैं। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि फील्ड कार्य, फील्ड निरीक्षणों के माध्यम से प्रबंधन योजना और वार्षिक संचालन योजना के अनुसार हों। इसके अलावा, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारी तथा बाघ परियोजना की संचालन समिति भी कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा करती है।

(च) और (छ) राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार गैर–सरकारी संगठनों को अभयारण्य विकास और पारि–विकास गतिविधियों में शामिल किया जाता है। वे पारि–विकास समितियों के माध्यम से सूक्ष्म योजनाएं तैयार करने और कार्यों के कार्यान्वयन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं।

विवरण

बाघ रिजर्व सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के चारों ओर पारि–विकास

1999-2000 (लाख रुपए)

राज्य	राष्ट्रीय उद्यान/ अभयारण्य	स्वीकृत धनराशि	दी गई धनराशि	प्रयुक्त
आंध्र प्रदेश	1. कृष्णा	4.824	3.523	3.22
	2. कोलेरू	2.28	1.68	–
	3. सिवाराम	9.824	8.524	7.25
	4. मंजीरा	4.05	4.05	4.05
	5. नेलापटु	3.50	2.96	3.50
	6. पापीकोन्डा	3.80	3.80	3.79
	7. श्री वेंकटेश्वर रा.उ.	6.00	6.00	6.00
				2.21
	8.	34.278	30.537	30.122

2000-01

राज्य	राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य/ बाघ रिजर्व	स्वीकृत धनराशि	दी गई धनराशि	प्रयुक्त
आन्ध्र प्रदेश	नागार्जुनसागर	33.80	33.548	33.80

2001–2002

राज्य	राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य बाघ रिजर्व	स्वीकृत धनराशि	दी गई धनराशि
आन्ध्र प्रदेश	1. पापीकोन्डा	6.30	3.995
	2. मंजीरा	5.30	5.30
	3. वेंकटेश्वर रा.उ.	7.00	4.00
	4. नेलापटु	7.00	4.00
	5. कावल	8.00	4.00
	6. कृष्णा	3.50	2.00
	7. श्री वेंकटेश्वर	7.00	4.00
	8. प्रहिंता	6.30	4.30
	9. महावीर हरिना रा.उ.	8.00	8.00
	10. नागार्जुनसागर	23.50	15.00
			8.50
	11. पुलीकट	6.50	6.50
	योग	88.40	69.595

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पहाडी क्षेत्रों का विकास

2165. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए महाराष्ट्र में नुंदवार जिले के मोल्गा के पहाड़ी क्षेत्रों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटक केन्द्रों/स्थलों का विकास और संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग उनसे विचार–विमर्श करके प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के आधार पर निधियां मुहैया कराता है। वर्ष 2001-2002 के दौरान पर्यटक स्थल के रूप में महाराष्ट्र में नुंदवार जिले के मोल्गा के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए किसी भी परियोजना को प्राथमिकता प्रदान नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल-संपदा संसाधनों के जल की गुणवत्ता

2166. श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय जल–संपदा संसाधनों के जल की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सी पी सी बी ने एक अध्ययन में यह बात उजागर की है कि नगरपालिकाओं के पास अपने जल–मल व्ययन के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का समाधान करने के लिए इस अध्ययन में कौन–कौन से सुधारात्मक उपाय सुझाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश के विभिन्न राज्यों के 507 स्थानों पर नदियों और झीलों की जल गुणवत्ता को मानीटर करता है। अधिकतर मामलों में नगर निगम के पास अपशिष्ट जल के शोधन के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।

(ग) भारत सरकार ने बहुत से कस्बों में गंगा कार्य योजना/यमुना कार्य योजना और तदुपरांत राष्ट्रीय नदी योजना के अंतर्गत अपशिष्ट जल के शोधन के लिए कई स्कीमों को चलाना शुरू किया है।

नाल्को में अनियमितताएं

2167. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) में बड़े पैमाने पर अनियमिताएं और भ्रष्टाचार के मामले आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनकी जांच चल रही है; और

(घ) इस जांच कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (घ) सरकार को समय–समय पर नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें प्राप्त होती हैं। सभी शिकायतों की अविलंब जांच की जाती है और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी) के साथ परामर्श करके जहां आवश्यक हो आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में सूचना प्रौद्योगिकी

2168. श्री जी.एस. बसवराज :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिनांक 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी मात्रात्मक प्रतिबन्धों के हटने के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर बहुत प्रभाव पड़ा है;

(ग) कर्नाटक सरकार किस सीमा तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अधिक विदेशी निवेश जुटाने में सफल रही है; और

(घ) केंद्र सरकार ने कर्नाटक राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए कितनी सहायता प्रदान करने पर सहमति दी है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि "राज्य के कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु नई औद्योगिक संवर्धन नीति में जैव सूचनात्मक उद्योगों को शामिल करने का प्रस्ताव है, जो विचाराधीन है।"

(ख) अप्रैल–सितंबर 2001 की अवधि के दौरान प्रमुख प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के आयात के आंकड़े अप्रैल–सितंबर 2000 की अवधि की तुलना में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाते।

(ग) जुलाई 1991 से जुलाई, 2001 तक 98.19 करोड़ रु. के कुल निवेश वाले 91 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव, कर्नाटक के लिए अनुमोदित किए गए हैं।

(घ) इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 1998-99 से 2000-2001 की अवधि के दौरान कर्नाटक राज्य में खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केंद्रों सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए 328.69 लाख रु. वित्तीय सहायता के तौर पर दिए गए हैं।

आंध्र प्रदेश को पानी छोड़ना

2169. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने कर्नाटक सरकार से कृष्णा नदी के ऊपरी क्षेत्रों अल्माटी और नारायणपुर पर अपनी परियोजनाओं से अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से भी अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में हस्तक्षेप करने और मामले का समाधान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार को ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

फूलों की खेती का विकास

2170. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के दक्षिणी जिले निर्यात गुणवत्ता वाले फूल उगा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो फूलों की खेती को विकसित करने के लिए राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार बंगलौर में एक पुष्प नीलामी केन्द्र स्थापित करने का है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसके निर्यात को बढाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना और नौवीं पंचवर्षीय योजना में अक्तूबर, 2000 तक के दौरान एक केन्द्र क्षेत्रीय वाणिज्यिक पुष्प कृषि योजना क्रियान्वित की है। इस योजना के अंतर्गत मॉडल पुष्प कृषि केन्द्रों और नर्सरियों के माध्यम से गुणवत्ताप्रद रोपण सामग्री उपलब्ध कराने, उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण, ग्रीन हाउस, फार्म पर ही काम निपटाने वाली इकाइयों, उन्नत कल्टीवार्स के माध्यम से क्षेत्र विस्तार करने की व्यवस्था की गई है। इस योजना को अब "कार्य योजना के माध्यम से राज्य के प्रयासों के अनुपूरण/सम्पूरण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित वृहद् कृषि प्रबंधन योजना" में शामिल किया गया है। इस योजना को राज्यों को जरूरत के मुताबिक अपनी–अपनी प्राथमिकता निर्धारित करने की स्वतंत्रता है।

इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक राज्य के लिए 2000-01 और 2001-02 के दौरान क्रमशः 65.00 करोड़ रुपये और 80.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गयी है।

(ग) और (घ) जी, हां। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) को दो चरणों में पुष्प नीलामी केन्द्र की स्थापना करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अपेडा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है और 3.57 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादन की दर

2171. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए कृषि उत्पादन की क्या दर निर्धारित की गयी तथा इसे किस सीमा तक हासिल कर लिया गया है और इस संबंध में क्या ब्यौरा है;

(ख) किन कारणों से निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका; और

(ग) वर्ष 2001-02 के लिए कृषि उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) वर्ष 1998-99 से 2001-02 के दौरान प्रमुख फसलों/फसल समूहों के लिए निर्धारित लक्ष्य और 1998-99 से 2000-01 के दौरान हासिल उपलब्धियों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

लक्ष्यों को हासिल करना कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि मानसून की स्थिति, प्रौद्योगिकी विकास, फार्म प्रबंधन क्षमता, आदानों का समय पर प्रयोग, कृषि उत्पादों की मांग आदि। विशेष तौर से, देश में कृषि उत्पादन ज्यादातर वर्षा की सीमा और उसके विस्तार पर निर्भर करता है क्योंकि बुआई वाले क्षेत्र का लगभग 62% हिस्सा पानी के लिए वर्षा पर निर्भर होता है। वर्षा कम होने से सिंचाई–क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। बहरहाल, देश में उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ नवम्बर, 2000 से राज्यों को सहायता देने के लिए परम्परागत योजना दृष्टिकोण के बदले "मैक्रो मैनेजमेण्ट मोड" को अपनाने का

निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत 27 स्कीमों को कार्य योजनाओं के माध्यम से सरकारों के प्रयासों के अनुपूरण/सम्पूरण नामक एक मैक्रो मैनेजमेंट स्कीम में समाहित कर दिया गया है जिससे राज्यों को अपनी विशिष्ट समस्याओं के समाधान में, विभिन्न योजनाओं के विषयों की परस्पर व्याप्तता को दूर करने में और कृषि के चहुंमुखी विकास में अधिक लचीलापन मिल सकेगा।

विवरण

वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-01 के दौरान प्रमुख फसलों के उत्पादन का लक्ष्य और उपलब्धि

(मिलियन टन)

		1998-99		1999-2000		2000-01		2001-02
क्र.सं.	फसल/फसल समूह	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन*	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	चावल	86.00	86.08	86.00	89.48	90.00	86.30	92.00
2.	गेहूं	74.00	71.29	74.00	75.57	74.00	68.46	78.00
3.	मोटे अनाज	34.50	31.33	34.50	30.47	33.00	30.25	33.00
4.	दलहन	15.50	14.91	15.50	13.35	15.00	11.06	15.00
5.	खाद्यान्न	210.00	203.61	210.00	208.87	212.00	196.07	218.00
6.	तिलहन	27.00	24.75	27.00	20.87	28.00	18.20	28.00
7.	गन्ना	300.00	288.72	305.00	299.23	325.00	300.32	325.00
8.	कपास#	14.80	12.29	15.00	11.64	14.50	9.39	14.50
9.	जूट एवं मेस्ता@	10.25	9.81	11.00	10.53	10.00	10.37	11.00

\# प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की मिलियन गांठें

@ प्रत्येक 180 कि.ग्रा. की मिलियन गांठें

* 29.6.2001 को जारी अग्रिम अनुमान के अनुसार

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर इन्स्ट्रूमेंट लैडिंग सिस्टम

2172. श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विशेषज्ञ दल ने इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर अत्याधुनिक इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए भारत की यात्रा की थी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुहरे से हुए विलंब को कम करने के लिए दो वर्ष पूर्व संस्थापित इन्स्ट्रूमेंट लैडिंग सिस्टम पूर्ण रूप से चालू नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विदेशी विशेषज्ञ ने पाया कि यह सिस्टम अपेक्षित अंतर्राष्ट्रीय मानक को पूरा नहीं कर रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) जी हां, आई.जी.आई. हवाई अड्डा दिल्ली पर फरवरी, 1999 में इन्स्ट्रूमेंट लैडिंग सिस्टम (आई.एल.एस.) लगाया गया था और इस कैटेगरी–II के रूप में ऑपरेशनल घोषित किया गया। कैटेगरी–III के लिए भू–प्रकाश व्यवस्था पूरी होने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के दो विशेषज्ञ दलों ने इसकी जांच की थी। मैसर्स सीफर म्यूलर इन्टरनेशनल आईएनसी के दो प्रतिनिधियों ने क्रमशः दिसम्बर, 2000 और अप्रैल, 2001 में दो बार दौरा करके भू–प्रबंध तथा व्यवस्था का निर्माण किया और इसे कैटेगरी–III ए के रूप में उपयोग में लेने के लिए क्लियरेंस दी। कैटेगरी–III ए प्रचालनों के लिए दिसम्बर, 2000 में फ्लाइट इन्सपेक्शन इन्टरनेशनल जर्मनी (एफ.आई.आई.) ने इस प्रणाली का अंशांकन किया। तत्पश्चात् ग्रू.एस.ए., ए.एस. II के विनिर्माता के एक प्रतिनिधि ने आई.जी.आई. हवाई अड्डे की भौगोलिक स्थित का अध्ययन किया और कैटेगरी–III ए प्रचालनों के लिए इसे क्लियर किया। पिछले महीने एफ.आई.आई., जर्मनी की एक सहायक कंपनी मैसर्स एयरोपर्ल प्राइवेट लि., आस्ट्रेलिया ने इस प्रणाली का अंशांकन किया और अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह कैटेगरी–III ए प्रचालन के लिए उपयुक्त है।

(ग) और (घ) फरवरी, 1999 में संस्थापित किए जाने के तुरंत बाद इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को कैटेगरी–II के रूप में प्रचालन में लाया गया।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) चूंकि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के विशेषज्ञों ने आई.जी.आई. हवाई अड्डे के सभी मापदण्डों का कैटेगेरी–III ए के ऑपरेशन के लिए उपयुक्त पाया है, इसे अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। नागर विमानन महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किए जाने और नोटम जारी किए जाने के बाद इस प्रणाली को कैटेगरी–III ए के लिए आपरेशनल घोषित किए जाने की संभावना है।

सूखा निगरानी प्रकोष्ठ का उन्नयन

2173. **श्री एच.जी रामुलू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मौजूदा सूखा निगरानी प्रकोष्ठ का उन्नयन नैचुरल डिजास्टर मिटिगेशन सेन्टर के रूप में करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है ताकि बाढ़, भूकंप, सूखा, भूस्खलन आदि जैसे सभी प्राकृतिक और राष्ट्रीय आपदाओं से निबटा जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाई की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) राज्य सरकार का प्रस्ताव प्राकृतिक आपदा प्रबंध कार्यक्रमों की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के प्रावधानों के अधीन नहीं आता।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन

2174. **श्री सवशीभाई मकवाना** : क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के संबंध में अपनाये जा रहे मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार का मूल्यांकन कर रहे संगठनों और एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में किये गये मूल्यांकन का क्या निष्कर्ष रहा ?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वयनाधीन विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) को एक स्वतंत्र अभिकरण के रूप में स्थापित किया गया है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यान्वयनाधीन चयनित कार्यक्रमों/योजनाओं का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन अध्ययन को, निष्पादन कार्यान्वयन की कार्यविधि, सुपुर्दगी प्रणाली की प्रभावपूर्णता तथा कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने के लिए तैयार किया गया है। यह अध्ययन निदानकारी है तथा इसका लक्ष्य विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता और असफलता में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करना एवं मध्य–मार्गी सुधारों तथा भावी कार्यक्रमों के बेहतर निष्पादन के द्वारा विद्यमान योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीख लेना है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने 7 योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन किया है। जिनमें केन्द्र द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित तीन योजनाएं शामिल हैं :

(क) गैर–औपचारिक शिक्षा

(ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(ग) रोजगार आश्वासन योजना

खरगोश से प्राप्त होने वाली अंगोरा ऊन का उत्पादन

2175. श्री एन. टी. षणमुगम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर तमिलनाडु में वेल्लोर जिले में मांस और अंगोरा खरगोश की ऊन के अधिक उत्पादन के लिए विशिष्ट प्रजनन कार्यक्रम चलाकर इसका लाभ बैकयार्ड खरगोश पालने वाले किसानों को देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बैकयार्ड खरगोश पालने वाले किसानों को शिक्षित करने की योजना है ताकि वे अंगोरा खरगोश की ऊन उपलब्ध कराकर बेहतर जीवन यापन कर सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर कपड़ा मंत्रालय, जोधपुर, राजस्थान के अधीन केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड ने इस परियोजना के तहत् 3.90 लाख रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 1999-2000 में निदेशक, पशुपालन विभाग, तमिलनाडु सरकार को एकीकृत अंगोरा खरगोश विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक परियोजना की स्वीकृति दी थी ताकि ऊन उत्पादन के लिए उन्हें अंगोरा खरगोश प्रदान करने के उद्देश्य से नीलगीरी क्षेत्र के 50 परिवारों को शामिल किया जा सके। तथापि, बाद में, अंगोरा ऊन की विपणन समस्या के कारण तमिलनाडु सरकार द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत नहीं की जा सकी।

(ग) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड अपने खर्च पर उन किसानों को प्रशिक्षण दे रहा है जो ऊन उत्पादन के लिए खरगोश पालन में रुचि रखते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निजी एयरलाइनों की बीमा सुरक्षा

2176. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निजी एयरलाइनों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) आमतौर पर सरकार निजी एयरलाइनों के वित्तीय मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है।

[अनुवाद]

अहमदाबाद विमानपत्तन पर बुनियादी सुविधाएं

2177. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य महानगरों में स्थित विमानपत्तनों की तुलना में अहमदाबाद विमानपत्तन पर बुनायादी सुविधाएं घटिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सुविधाओं को आधुनिक बनाया जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या घरेलू उड़ानों के प्रस्थान के लिए नवनिर्मित भवन में अमानती सामान घर और ठहरने की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी; और

(ङ) यदि हां, तो इन सुविधाओं को कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) हवाई अड्डा और शहर दोनों ही ओर से अहमदाबाद हवाई अड्डे पर दी गई मूलभूत बुनियादी ढांचा कुल मिलाकर देश के दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दी गई उपलब्ध सुविधाओं के समरूप हैं। यद्यपि एक नए घरेलू प्रस्थान खंड बनाए जाने की योजना है जिसका निर्माण शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। तत्पश्चात् मौजूदा घरेलू टर्मिनल में आशोधन और विस्तार कर, केवल आने वाले यात्रियों की जरूरत को पूरा करने के लिए ही बनाया जाएगा। इसके अलावा, यात्रियों की बढ़ी हुई संख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए अंन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल के विस्तार हेतु भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। समानान्तर टैक्सी पथ और आइसोलेशन वे निर्माणाधीन है।

(घ) और (ङ) नए प्रस्थान खंड में छः दो बिस्तर वाले कमरे और अमानती घर बनाए जाने का प्रस्ताव है जिसकी व्यवस्था दिसम्बर, 2003 तक किए जाने की संभावना है।

वन्यजीवों का अवैध व्यापार

2178. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 13 अक्टूबर, 2001 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की जानकारी है जिसमें विभिन्न राज्यों से टूरिस्ट बसों में पशुओं की खालें और हड्डियां राजधानी में देश भर में और विदेशों में वितरण हेतु लाने की जानकारी प्रकाशित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार वन्यजीवों और वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार को प्रतिबन्धित करने के लिए कोई कानून बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) कुछ वर्ष पहले दिल्ली प्रशासन ने एक अपराधी को जंगली जानवरों की खालों सहित बस से उतरते हुए पकड़ा था। अपराधी को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। टूरिस्ट बसों के माध्यम से जंगली जानवरों की खाल दिल्ली लाए जाने संबंधी कोई विशिष्ट मामला केन्द्र सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) अवैध तरीके से प्राप्त किए गए वन्यजीव उत्पादों के परिवहन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 48(क) में एक प्रावधान किया गया है।

(घ) और (ङ) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत वन्यजीवों की संकटापन्न प्रजातियों और उनके उत्पादों के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध है।

इस्पात उद्योग का पुनरुद्धार

2179. श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री टी.एम.सेल्वागनपति :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने केन्द्र सरकार से अवसंरचना क्षेत्र में अपने व्यय में वृद्धि करने का अनुरोध किया है ताकि इस्पात उद्योग का पुनरुद्धार किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के इस्पात उद्योग प्रभाग ने देश में इस्पात की मांग में वृद्धि करने के लिए 2002–2003 के अपने बजट प्रस्तावों में सरकार से अवसंरचना और विद्युत, सिंचाई/बाढ़ नियंत्रण, रेलवे, पेयजल आपूर्ति और गृह निर्माण आदि के लिए सरकारी व्यय और योजना परिव्यय में वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

(ग) सी आई आई के सुझावों पर यथोचित ध्यान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

इंटीग्रेटिड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स" योजना (आई.डी.एफ.) के अंतर्गत बड़ी और छोटी पौधशालाओं की स्थापना

2180. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "इंटीग्रेटिड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूटस" (आई.डी.एफ.) योजना के अंतर्गत बड़ी और छोटी पौधशालाओं की स्थापना की लक्ष्य प्राप्ति/हासिल नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 54 बड़ी और 421 छोटी नर्सरियां स्थापित की गई थीं जबकि लक्ष्य क्रमशः 85 बड़ी और 350 छोटी नर्सरियों का था। बड़ी नर्सरियों के लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी का मुख्य कारण सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य सरकार के माध्यम से इनकी स्थापना में निहित अधिक लागत था।

(ग) नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान, निजी क्षेत्र में बड़ी और छोटी नर्सरियों की स्थापना को "कृषि में बृहत प्रबन्धन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम–कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण" के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जा रहा

है। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकारों को अपनी महसूस की गई जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार घटकों को शामिल करने की स्वतंत्रता है। नर्सरियों के लिए सहायता संस्थागत वित्तपोषण से जुड़ी बैक–एन्डेड राजसहायता के रूप में प्रदान की जा रही है जो कुल लागत के 25% की दर पर है बशर्ते यह बड़ी नर्सरियों के लिए 8.00 लाख रुपए और छोटी नर्सरियों के लिए 2.00 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक हो। आठवीं योजना के दौरान बड़ी नर्सरियों के लिए अधिकतम सहायता 18.00 लाख रुपए थी जबकि छोटी नर्सरियों के लिए यह प्रति नर्सरी 0.20 लाख रुपये तक सीमित थी।

[अनुवाद]

कृषि निर्यात जोन

2181. श्री आर.एल.जालप्पा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर खीरे के लिए कर्नाटक में कृषि निर्यात जोन (ए.ई.जैड) स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन जोनों में केन्द्र सरकार की भागीदारी का ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) सरकार ने 8 अक्टूबर, 2001 को कर्नाटक में खीरों के लिए एक कृषि निर्यात क्षेत्र के सृजन को अधिसूचित किया है जिसमें टुमकूर, बंगलौर–शहरी, बंगलौर–ग्रामीण, हासन, कोलार, चित्रदुर्ग, धारवाड़ तथा बागलकोट जिले सम्मिलित हैं।

(ख) कृषि निर्यात क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सरकार की ओर से धन व्यवस्था संगत कार्यकलापों में जुटे विभिन्न केन्द्रीय सरकारी विभागों और एजेन्सियों की मौजूदा स्कीमों के समेकन के जरिए की जाएगी। कर्नाटक सरकार न इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन की स्कीम के लिए शीर्ष समन्वयन एजेन्सी "कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण" के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना की कार्य अवधि 3 वर्ष की होगी।

[हिन्दी]

होटल व्यय कर वापस लेना

2182. श्री नवल किशोर राय :

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के होटल उद्योग को राहत प्रदान करने के लिए होटल व्यय कर को वापस लेने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कर के माध्यम से होटलों से कितनी वार्षिक औसत धनराशि वसूल नहीं की जा रही थी ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) मामले की जांच चल रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों में व्यय कर से औसत वसूली 321.64 करोड़ रुपए की है।

मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

2183. श्री रामानन्द सिंह : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्र सरकार की सहायता से चल रही आम का जूस (फ्रूटी), च्यवनप्राश, आचार, मुरब्बा (जैम) और आंवला का उत्पादन करने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य के कुछ अन्य जिलों में ऐसी इकाइयों की स्थापना के लिए गरीब किसानों और जनजातियों को ऋण/अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन इकाइयों को कहां–कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में फल उत्पाद आदेश (एफ.पी.ओ.) के तहत लाइसेंस प्राप्त 112 यूनिटें हैं, जिनमें से 34 यूनिटें आम रस, आचार, आंवले के मुरब्बे आदि समेत विभिन्न फल उत्पादों का उत्पादन कर रही हैं। अनुमोदित योजना स्कीम तथा प्राप्त अनुरोध के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सहायता दी जाती है। 9 वीं योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में ऐसी यूनिटों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

(ख) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना तथा विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, मानव संसाधन विकास और अनुसंधान तथा विकास संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्रों समेत "दुर्गम क्षेत्र" में स्थित यूनिटों को अधिक मात्रा में सहायता प्रदान की जाती है। सहायता परियोजना विशेष होती है न कि राज्य विशेष। मंत्रालय स्वयं किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता।

[अनुवाद]

कावेरी जल-विवाद

2184. श्री अम्बरीश :

श्री सी. श्रीनिवासन :

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी जल–विवाद को सुलझाने के लिए प्रधान मंत्री ने हाल ही में कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक को मिलने वाले कावेरी जल की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त राज्यों के बीच कावेरी जल के बंटवारे संबंधी विवाद को शीघ्र सुलझाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 25.6.91 के अंतरिम आदेश तथा कावेरी जल विवाद अधिकरण के सभी संबंधित अनुवर्ती आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम की धारा 6–क के तहत गठित कावेरी नदी प्राधिकरण की तीसरी बैठक 10 अक्टूबर, 2001 को नई दिल्ली में हुई थी और इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, पांडिचेरी और केरल के सिंचाई मंत्रियों ने भाग लिया था। इस प्राधिकरण ने अभावग्रस्त राज्यों को समानुपातिक जल बंटवारा करने के लिए एक स्वीकार्य और न्यायोचित प्रक्रिया तैयार करने का निर्णय लिया और तदनुसार बेसिन राज्यों से प्राधिकरण द्वारा विचार करने के लिए अपने विशिष्ट सुझावों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

(ग) और (घ) तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के बीच कावेरी जल विवाद, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम (आई एस डब्ल्यू डी) 1956 के उपबन्धों के अधीन अधिकरण को जून, 1990 में भेजा गया था। कावेरी जल विवाद अधिकरण ने 25 जून, 1991 को एक अंतरिम आदेश पारित किया है। इस समय इस विवाद का निर्णय करने के लिए कावेरी जल विवाद अधिकरण नियमित सुनवाइयां कर रहा है। राज्य सरकारें अपनी मांगें अधिकरण के सम्मुख रखने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

रावी और व्यास नदियों के जल का बंटवारा

2185. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से रावी और व्यास नदियों के जल के बंटवारे संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को यह जानकारी है कि राजस्थान को दिसम्बर, 1991 में हुए एक अंतर्राज्य–समझौते के तहत रावी और व्यास नदियों के अतिशेष बाढ़ जल से 8.6 एम.ए.एफ. जल राशि आबंटित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त समझौते के अनुसार राजस्थान को 8.6 एम.ए.एफ. (अर्थात 52.7 प्रतिशत मात्रा) जलराशि प्रदान करने के लिए भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड को निदेशित किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां। राजस्थान एवं पंजाब के बीच जल के अंतराज्यीय बंटवारे से संबंधित कुछ मामलों का उल्लेख करते हुए राजस्थान सरकार ने इसमें शामिल सभी राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय जल संबंधी मुद्दों पर विचार करने के वास्ते केन्द्र सरकार को सुझाव दिया है।

(ख) से (घ) पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों द्वारा 31 दिसम्बर, 1981 को हस्ताक्षर किए गए समझौते में राजस्थान को रावी एवं व्यास के अधिशेष जल का 8.6 एम.ए.एफ. जल आबंटित किया है। दिसम्बर, 1981 के समझौते पर आधारित तदर्थ अंतरिम व्यवस्था के अनुसार राज्यों की जल की मांग तथा बांधों में जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पक्षकार राज्यों को जल छोड़ने का निर्णय भाखड़ा–व्यास प्रबंधन बोर्ड की तकनीकी सलाहकार समिति की मासिक बैठक में किया जाता है जिसमें सभी तीन राज्य भाग लेते हैं।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति

2186. श्री रामदास आठवले : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र सहित देश के रोजगार कार्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के राज्यवार कितने निःशक्त व्यक्ति पंजीकृत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन श्रेणियों के कितने व्यक्यिों को रोजगार प्रदान किया गया;

(ग) क्या इन श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटे को नियमित रूप से भरा जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन श्रेणियों के आरक्षित कोटे को भरने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जून, 2000 को महाराष्ट्र सहित देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर निःशक्त व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उपर्युक्त में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का श्रेणीवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) देश में 1998, 1999 एवं 2000 (जनवरी से जून) के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा नियोजित निःशक्त व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 3.6, 4.2 एवं 1.8 हजार थी।

(ग) से (ङ) रोजगार कार्यालय विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण की नीति लागू नहीं करते हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय निःशक्त व्यक्तियों के कोटे को भरना सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जून 2000 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर पर विकलांगों की संख्या (हजार में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	64.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	@
3.	असम	4.6
4	बिहार	19.1
5	गोवा	1.1
6	गुजरात	19.6
7	हरियाणा	10.9
8	हिमाचल प्रदेश	8.1
9	जम्मू और कश्मीर	0.8
10	कर्नाटक	27.0
11	केरल	36.1
12	मध्य प्रदेश	29.6
13	महाराष्ट्र	34.1
14	मणिपुर	1.6
15	मेघालय	0.1
16	मिजोरम	0.3
17	नागालैण्ड	0.2
18	उड़ीसा	10.1
19	पंजाब	10.5
20	राजस्थान	21.8
21	सिक्किम*	
22	तमिलनाडु	62.5
23	त्रिपुरा	2.3
24	उत्तर प्रदेश	28.5
25	पश्चिम बंगाल	62.2
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.4
27	चंडीगढ़	1.1
28	दादरा व नगर हवेली	@
29	दिल्ली	7.0
30	दमन व दीव	0.1

1	2	3
31	लक्षद्वीप	0.1
32	पांडिचेरी	1.3
	योग	466.2

टिप्पणी * इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

केन्द्रीय खान आयोजना और अभिकल्प संस्थान

2187. **श्री जोरा सिंह मान :**

श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खान आयोजना और अभिकल्प संस्थान (नेशनल माइंस प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट) उनके मंत्रालय के अधिकार–क्षेत्र में आता है;

(ख) यदि हां, तो उसे सौंपे गए कार्य के विषय में ब्यौरा क्या है;

(ग) मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार इस संस्थान में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे थे;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस संस्थान पर औसतन कितना वार्षिक व्यय किया गया; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस संस्थान की उपलब्धियां क्या रहीं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां। केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजाईन संस्थान (सीएमपीडीआईएल) कोल इंडिया लि. की एक सहायक कंपनी है।

(ख) सीएमपीडीआईएल का मुख्य कार्य कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कोयला उत्पादक कंपनियों को भूगर्भीय अन्वेषण तथा ड्रिलिंग, परियोजना आयोजन तथा डिजाईन, परिष्करण, कोयले के उपयोग तथा फील्ड सेवाओं आदि क्षेत्रों में समुचित तथा अद्यतन आयोजन, डिजाईन तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना है। सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों को पूरा करने के अलावा, सीएमपीडीआईएल कोयला विभाग द्वारा वित्त–पोषित सभी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी योजनाओं तथा सीआईएल के अनुसंधान एवं विकास बोर्ड द्वारा वित्त पोषित सभी अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य करती है।

(ग) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार, सीएमपीडी आईएल में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या 3600 है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजाईन संस्थान लि. का राजस्व व्यय नीचे दिया गया है

वर्ष	राशि लाख में
2000–2001	16170.52
1999–2000	9288.99
1998–1999	9933.00

(ङ) सीएमपीडीआईएल ने सीआईएल तथा इसकी अनुषंगियों को निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों में परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं :

- भू–वैज्ञानिक अन्वेषण तथा ड्रिलिंग;
- परियोजना आयोजना तथा डिजाइन;
- कोयला परिष्करण तथा उपयोग;
- अनुसंधान एवं विकास (एस एण्ड टी/आर एण्ड डी परियोजनाएं);
- क्षेत्र सेवाएं जैसे पर्यावरणीय प्रबोधन;
- प्रयोगशाला परीक्षण, विस्फोटक उपयोग, आदि।

स्वयं को कोयला खान डिजाईन तथा आयोजना के क्षेत्रों में एक उत्कृष्ट संस्थान बनाने के उद्देश्य से सीएमपीडीआईएल ने सीआईएल तथा इसकी कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों की आंतरिक (इन–हाउस) परामर्शी आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा कोल इंडिया से इतर सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्रों के अन्य संगठनों को भी परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड का कार्यकरण

2188. **श्री अधीर चौधरी :**

श्री नरेश पुगलिया :

क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत अनेक वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. के प्रबंधन ने विधिक व्यय के नाम पर कई करोड़ रु. खर्च किये हैं और अपने लेखे में इस खर्च को "प्रकीर्ण व्यय" के रूप में प्रदर्शित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों से कोल इंडिया लि. और उसकी सहायक कपनियों में वित्तीय घोटाले बढ़े हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के वित्तीय घोटाले को रोकने के लिए कोई अभितंत्र है; और

(ङ) यदि नहीं, तो कोल इण्डिया में इस प्रकार के वित्तीय घोटाले को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) 1990–91 से 31.3.2000 तक पिछले 10 वर्षों के दौरान केवल सीआईएल में विधिक मुद्दों पर हुआ व्यय 206.02 लाख रु. का है। यदि उक्त अवधि के दौरान सीआईएल की अनुषंगियों में हुए विधिक को भी ध्यान में रखा जाए तो, यह राशि जुड़कर 3059.92 लाख रु. हो जाएगी। केवल सीआईएल में हुए व्यय तथा सीआईएल की अन्य अनुषंगियों में हुए व्यय की अलग से वार्षिक औसत क्रमशः 20.60 लाख रु. तथा 305.99 लाख रु. होगी।

यह सही नहीं है कि विधिक मुद्दों पर हुए व्यय को प्रकीर्ण व्यय के अंतर्गत दर्शाया गया है। उन्हें अन्य व्ययों की अनुसूची में पृथक रूप से दर्शाया गया है जो लाभ और हानि के खातों का एक भाग है।

(ग) सीआईएल और उसकी अनुषंगियों की सुपरिभाषित लेखा नितियां हैं जो लेखा मानकों तथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन पद्धति के अनुपालन में हैं और जिसके आधार पर सीआईएल और इसकी अनुषंगियों के वित्तीय विवरण–पत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है।

(घ) और (ङ) सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों के वार्षिक लेखों के भाग के रूप में वित्तीय विवरण–पत्रों को कंपनी अधिनियम के अनुसार नियमित रूप से लेखा–परीक्षित किया जाता है, और जैसाकि कंपनी अधिनियम, 1958 की धारा 619 के अंतर्गत अपेक्षित है, उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा इसकी पूरक लेखा परीक्षा भी की जाती है। अतः किसी भी प्रकार के वित्तीय घोटाले को रोकने के लिए पर्याप्त पूर्वोपाय पहले से ही उपलब्ध हैं।

बाघ परियोजना

2189. श्री दिनेश चन्द्र यादव :

श्री रामजीवन सिंह :

श्री राम नायडू दग्गुबाटि :

श्री के. येरननायडू :

डा. मन्दा जगन्नाथ :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों से विभिन्न बाघ अभयारण्यों विशेषकर बाल्मीकि, पलामू और सिमलीपाल क्षेत्रों के बाघों की वहा के कर्मचारियों द्वारा पर्याप्त रूप से देखभाल नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अभयारण्यों के इन कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन प्राप्त हो रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बाघ परियोजना का संरक्षण करने तथा सम्बन्धित कर्मचारियों को यथासमय वेतनादि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ङ) राज्य सरकारों की अर्थोपाय स्थिति ठीक न होने के कारण वाल्मीकि, पलामू और सिमलीपाल बाघ रिजर्वों में कुछ मामलों में वेतन के भुगतान में विलम्ब हुआ है। हाल ही में वाल्मीकि बाघ रिजर्व में वेतन का भुगतान न किए जाने का मामला केन्द्र सरकार के ध्यान में लाया गया है और इसे राज्य सरकार के साथ उठाया गया है। समस्या का समाधान कर दिया गया है और कर्मचारी पुनः ड्यूटी पर आ गए हैं।

भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी का पुनरुद्धार

2190. श्री विकास चौधरी : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बुरूपुर (पश्चिम बंगाल) स्थित भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी तथा "कठ वर्क्स" कोयला खानों का नये सिरे से पुनरुद्धार करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस अवधि में संवर्धक/प्रचालक एजेंसी ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई. एफ. आर.) के समक्ष अपना पुनरुद्धार पैकेज पेश किया है अथवा नहीं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तों और निबन्धनों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) सेल ने इस्को के लिए 1081 करोड़ रुपए की राशि का एक पुनरुद्धार प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव में इसकी नकद हानि को पूरा करने के प्रावधानों के अलावा स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति योजना (वी आर एस) तथा बर्नपुर कारखाने और इसकी खानों तथा कोयला खानों में पूंजी निवेश के लिए धन भी शामिल है। चूंकि कुल्टी कारखाने का पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता, अतः इसे बंद करने का प्रस्ताव किया गया है। इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए पुनर्वास-पैकेज

2191. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :**

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

श्री ए. के. मूर्ति :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पाया है कि प्रवासी बंधुआ मजदूरों की पहचान हो जाने के बावजूद भी, उन्हें मुआवजे के भुगतान तथा पुनर्वास–पैकेज के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उच्चतम न्यायालय के निदेशों का पालन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) कुछ मामलों में, दोनों राज्य अर्थात् जिस राज्य से बंधुआ श्रमिक का प्रवास हुआ है और जिस राज्य में उन्हें चिह्नित किया गया है, चिन्हित बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास का उत्तरदायित्व इस आधार पर स्वीकार नहीं करते कि इसका उत्तदायित्व दूसरे संबंधित राज्य का है।

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना स्कीम के तहत, बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में प्रवासी बंधुआ श्रमिकों के संबंध में कहा गया है कि यदि बंधुआ मजदूर अपने मूल निवास स्थान लौटना चाहता/चाहती है तो उसे बंधुआ मजदूर के रूप में चिन्हित करने वाला राज्य इसकी व्यवस्था करेगा और इसकी सूचना श्रम मंत्रालय को देगा। तब उन्हें पुनर्वास–पैकेज देने का उत्तरदायित्व उनके मूल राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र का होगा। अन्यथा, चिन्हित करने वाले राज्य को ही उनका पुनर्वास करना होगा।

साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने तथा कानून की अपेक्षानुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय की जानकारी में लाने का निर्णय लिया है ताकि उसके निर्देश प्राप्त किए जा सकें।

विवरण

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल याचिका (दीवानी) संख्या 3922/5 तथा लिखित याचिका (फौजदारी) संख्या 153/82 के संबंध में दिनांक 13.05.1994 को राज्य सरकारों को निम्नांकित निदेशों का सख्ती से अनुपालन करने के लिए आदेश जारी किए :

1. बंधुआ श्रमिकों की पहचान करना और ऐसे बंधुआ श्रमिकों की मौजूदा सूची को अद्यतन करना तथा उन गांवों को चिन्हित करना जिनमें यह प्रथा जारी है।
2. बंधुआ श्रमिकों का शोषण करने वाले नियोक्ताओं की पहचान करना और ऐसे नियोक्ताओं के विरुद्ध समुचित फौजदारी कार्यवाही शुरू करना।
3. हर प्रकार के मौजूदा कर्जों और बंधित उत्तरदायित्वों से मुक्त करना तथा उनके जीवनयापन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
4. निम्नलिखित के संबंध में अलग से सूचना तथा ब्यौरा एकत्रित करने हेतु किसी स्वतंत्र निकाय को स्थानीय गैर–राजनीतिक सामाजिक कार्यदल के रूप में नियुक्त करना :

   (क) बंधुआ श्रम की शोषणकारी प्रवृत्ति की मौजूदगी तथा

   (ख) बंधुआ श्रम प्रणाली को प्रोत्साहित कर, कानून का जान–बूझकर उल्लंघन करने वाले अपराधी नियोक्ता या उनके एजेंट।

5. ऐसे बंधुआ श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर रोजगार उपलब्ध कराना और/या भूमिहीन बंधुआ श्रमिकों को खेती योग्य भूमि देना ताकि उनके लिए जीवन यापन का वैकल्पिक साधन सुनिश्चित हो सके।

6. पुनर्वास पैकेज के एक अंग के रूप में, बंधुआ श्रमिकों के बच्चों को उपयुक्त आश्रय, भोजन व शिक्षा उपलब्ध कराना तथा बंधुआ श्रमिकों और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं देना।

7. सुनिश्चित करना :

(क) पूर्व में बंधुआ श्रमिकों को नियोजित करने वाले ठेकेदारों पर नजर रखने के लिए संबंधित श्रमायुक्त द्वारा नियमित निरीक्षण;

(ख) प्रत्येक जिले में सतर्कता समितियों की स्थापना;

(ग) संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति को या न्यायालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किसी आयुक्त को त्रैमासिक रिपोर्ट का प्रेषण; तथा

(घ) ग्रामीण ऋण सुविधा की व्यवस्था, जैसे ग्रामीण बैंक, सहकारिता आदि, जिनसे प्रतिभूति के बिना ही ब्याज मुक्त अल्पावधि ऋण प्राप्त हो सके क्योंकि बंधुआ श्रम की मुख्य वजह धन का अभाव ही प्रतीत होती है (सांस्थानिक नेटवर्क के माध्यम से ऋण)।

8. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी दर से कम मजदूरी का भुगतान कर बंधुआ मजदूरों को काम पर रखने वाले तथा समुचित आर्थिक मुआवजा दिए बिना 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित करने वाले ठेकेदारों/नियोक्ताओं या उनके एजेंटों के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही शुरू करना।

9. नियोक्ताओं, ठेकेदारों या उनके एजेंटों के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही शुरू करना जो खेसारी दाल (जोकि लैथिराइट्स जैसी स्थायी अपंगता के कारक के रूप में जाना जाता है) देकर मजदूरी का आंशिक भुगतान करते हैं।

मध्य प्रदेश के संदर्भ में, विशेष रूप से अलग से निम्नांकित निदेश दिए गए थे :

(i) हरवाहा प्रणाली के संदर्भ में बंधुआ श्रमिकों को नियोजित करने वाले पहले ही चिह्नित किए जा चुके विभिन्न नियोक्ताओं के विरुद्ध शुरू किए गए अभियोजनों के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आंकड़े उपलब्ध कराना;

(ii) चिन्हित तथा हरवाहा प्रणाली से जबरन मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के भविष्य के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आंकड़े प्रस्तुत करना;

(iii) रीवा तथा सतना जिलों में खेसारी दाल की खेती के मौजूदा विस्तार तथा जिन अन्य जिलों में इसकी खेती हो सकती हो उनके संबंध में रिपोर्ट करना;

(iv) खेसरी दाल की खेती और उसके उपयोग के निषेध हेतु राज्य सरकार के प्रयासों के संबंध में रिपोर्ट;

(v) लैथिराइट्स से पीड़ित व्यक्ति के रूप में चिन्हित लोगों के भविष्य तथा ऐसे लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा और सहायता देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में रिपोर्ट; तथा

(vi) मध्य प्रदेश में हरवाहा प्रणाली से मुक्त कराए गए तथा लैथिराइट्स से पीड़ित लोगों के पुनर्वास हेतु यदि कोई उपाय किया गया है तो उसकी जानकारी देना।

"सेल" द्वारा बोकारो विद्युत-संयंत्र का विक्रय

2192. श्री शिवाजी माने :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री टी.एम. सेल्वागनपति :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) अपने अधीनवर्ती बोकारो विद्युत संयंत्र को बेचने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संयंत्र को बेचने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या "सेल" अपने अन्य विद्युत–संयंत्रों को भी बेचने का विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी, नहीं। सेल बोकारो के अपने विद्युत संयंत्र को नहीं बेच रहा है। तथापि, चल रहे अपने वित्तीय कारोबार पुनर्संरचना के एक भाग के रूप में सेल ने बोकारो में अपने निजी विद्युत संयंत्रों को चलाने और उनका प्रबंध करने के लिए अपने भागीदार के रूप में दामोदर घाटी निगम (डी वी सी) के साथ एक संयुक्त उद्यम

कंपनी बनाने की कार्रवाई शुरू की है। संयुक्त उद्यम कंपनी में सेल और डी वी सी की, प्रत्येक की, साम्या 50% होगी।

(ग) और (घ) सेल अपने अन्य विद्युत संयंत्रों को बेचने पर विचार नहीं कर रहा है। सेल ने राउरकेला और दुर्गापुर स्थित अपने निजी विद्युत संयंत्रों के प्रचालन और प्रबंध के लिए अपने भागीदार के रूप में नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एन. टी. पी. सी.) के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है। इसी प्रकार, भिलाई के निजी विद्युत संयंत्र को भी इसके भागीदार के रूप में एन. टी. पी. सी. के साथ बनाई गई संयुक्त उद्यम कंपनी को स्थानांतरित किया जाएगा। संयुक्त उद्यम कंपनी में सेल और एन. टी. पी. सी. की साम्या 50-50% होगी।

पशु-पक्षियों की मौतें

2193. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु :**

श्री अरूण कुमार :

श्री उत्तमराव पाटील :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्रीमती रेणूका चौधरी :

श्री ए. नरेन्द्र :

श्रीमती रेनु कुमारी :

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

श्री ए. कृष्णास्वामी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिंहों/एशियाई सिंहों, बाघों, बाघिनों, भालुओं, गैंडों, हाथियों इत्यादि महत्त्वपूर्ण वन्य पशुओं तथा पक्षियों की राज्यवार/ अभयारण्यवार संख्या नवीनतम रिकार्ड के अनुसार कितनी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनकी संख्या में कितनी वृद्धि/कमी दर्ज की गई;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में इन पशु–पक्षियों को मारा गया है; अथवा उनकी मौत हो गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार/राष्ट्रीय प्राणी उद्यानवार/अभयारण्यवार/आरक्षी वन्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इनमें से प्रत्येक घटना का यदि उनकी जांच की गई हो तो, क्या परिणाम निकला और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(च) पशु–पक्षियों के परिरक्षण तथा सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) वन्य जानवरों और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या का आंकलन वर्षवार नहीं किया जाता है। ये सामान्यतः चार या पांच वर्षों के एक आवर्तन पर किया जाता है। जंगली जानवरों की महत्त्वपूर्ण प्रजातियों का पिछले दो प्रचालनों संबंधी नवीनतम आंकलन संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) अभयारण्यवार/रिजर्ववार मारे गए जानवरों के आधार पर सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, पिछले 3 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मारे गए या मरे जानवरों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। भालू के अवैध शिकार और उसके अंगों की जब्तियों के संबंध में रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या नगण्य है। पक्षियों की मृत्यु संबंधी आंकड़ों का भारत सरकार के स्तर पर मिलान और संकलन नहीं किया जाता है। तथापि, पिछले 3 वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में 338 मोरों तथा 12 सारसों की मृत्यु होने संबंधी सूचना मिली है।

(ङ) अवैध शिकार के मामलों का पता लगाने, जांच करने और दोषियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। कुछ महत्त्वपूर्ण मामले जांच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे गए हैं। इन मामलों और इनमें की गई कार्यवाही संबंधी ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र. सं.	पता लगाए गए मामले	तारीख	की गई कार्यवाही
1	2	3	4
1.	साहिबाबाद उत्तर प्रदेश में बाघ की 3 खालें, तेंदुए की 50 खालें तथा ऊदबिलाव की 5 खालें जब्त किया जाना	18.12.1999	न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई।
2.	खागा में बाघ की 4 खालें, तेंदुए की 70 खालें, तेंदुए के 18000 पंजे, बाघ के 132 पंजे, काले हिरण की 221 खालें जब्त किया जाना	12.1.2000	न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई।

1	2	3	4
3.	हल्द्वानी में तेंदुए की 50 खालें जब्त किया जाना	6.5.2000	सी.बी.आई. द्वारा कानूनी कार्यवाही शुरू की गई
4.	हल्द्वानी में तेंदुए की 30 खालें जब्त किया जाना	21.5.2000	सी.बी.आई. द्वारा कानूनी कार्यवाही शुरू की गई
5.	दिल्ली में 70 शॉल जिसमें 26 शुद्ध शाहतूस और 44 संभवतः शाहतूस के जब्त किया जाना	2.2.2001	सी.बी. आई. द्वारा कानूनी कार्यवाही शुरू की गई
6.	नागपुर में बाघ की एक खाल, बाघ की 5 खोपड़ियां, बाघ के 10 पंजे, बाघ की 23 कि.ग्रा. हड्डियां, बाघ के 3 दांत और तेंदुए की 4 खालें जब्त किया जाना	21.3.2001	सी.बी. आई. द्वारा कानूनी कार्यवाही शुरू की गई

(च) अभयारण्यों और आरक्षित क्षेत्रों में जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

महत्त्वपूर्ण जंगली जानवरों की संख्या की गणना–राज्य–वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	बाघ		तेंदुआ		शेर		हाथी		गैंडा	
		1993	1997	1993	1997	1995	2000	1993	1997	1993	1998/99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	197	171	152	138	शून्य	शून्य	46	57	शून्य	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश*	180	180	98	98*	शून्य	शून्य	2500	2102		शून्य
3.	असम	325	458	246	246*		शून्य	5500	5312	1440	1684
4.	बिहार/झारखण्ड	137	103	203	203*		शन्य	550	618		शून्य
5.	गोवा/दमन व दीव	3	6	31	25		शून्य		शून्य		शून्य
6.	गुजरात	5	1	772	832	304	310–320		शून्य		शून्य
7.	हरियाणा*	शून्य	शून्य	25	25*		शून्य		शून्य		शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश*	शून्य	शून्य	821	821*		शून्य		शून्य		शून्य
9.	कर्नाटक*	305	350	455	620		शून्य	5500	6088		शून्य
10.	केरल	57	73	16	उपलब्ध नहीं	शून्य	3500	5737			शून्य
11.	म.प्र./छत्तीसगढ़	912	927	1700	1851		शून्य		शून्य		शून्य
12.	महाराष्ट्र	276	257	417	431		शून्य		शून्य		शून्य
13.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य		शून्य		शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	मेघालय	53	63	शून्य	शून्य		शून्य	2750	1840		शून्य
15.	मिजोरम	28	12	49	28		शून्य		शून्य		शून्य
16.	नागालैंड*	83	83		शून्य		शून्य		147		शून्य
17.	उड़ीसा	226	194	378	422		शून्य	1750	1827		शून्य
18.	राजस्थान	64	58	475	474		शून्य		शून्य		शून्य
19.	सिक्किम*	2	2		शून्य		शून्य		शून्य		शून्य
20.	तमिलनाडु	97	62	138	110		शून्य	2400	2971		शून्य
21.	त्रिपुरा*	शून्य	शून्य	18	18*		शून्य		शून्य		शून्य
22.	यू.पी./उत्तरांचल	465	475	711	1412		शून्य	845	1984	12	13
23.	पश्चिम बंगाल	335	361	108	108*		शून्य	200	327	44	120
24.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	15		शून्य		शून्य		शून्य
	कुल	3750	3836	6828	7273		310-320	25541	29010	1496	1817

* अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में संख्या की गणना नहीं की गई है।

इन राज्यों द्वारा 1993 के दौरान दी गई गणना संबंधी आंकड़े 1997 में भी शामिल किए गए हैं।

विवरण-II

बाघ के अवैध शिकार के संबंध में रिपोर्ट किए गए मामले

राज्य	1998	1999	2000	2001
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	–	2(केवल वन्य जीव अभयारण्य में 1)	4(नागार्जुन सागर बाघ रिजर्व में 1 खाल जब्त किया गया)	1(नागार्जुन सागर सरीसाइलम बाघ रिजर्व में 1)
असम	–	शून्य	4(1 ओरंग वन्यजीव अभयारण्य में)	शून्य
दिल्ली	2(खालें)	1	2	
मध्य प्रदेश	1(खालें)	9(बांधवगढ़ बाघ रिजर्व में 2)	4(1 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और 1 बान्धवगढ़ बाघ रिजर्व में)	2(पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 1)
उड़ीसा	–	1(सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य में 1)		
महाराष्ट्र	1(खाल)	3(मेलघाट बाघ रिजर्व में 2 और अंधेरी बाघ रिजर्व में 1)	4	11(ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान में 2)

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	–	2		
उत्तर प्रदेश	3(खालें)	14(राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में 1)	12(कतरनियाघाट वन्यजीव अभयारण्य में 2)	18 (कतरनियाघाट वन्यजीव अभयारण्य में 1 और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में 1)
पश्चिम बंगाल	2(खालें)	6(2 सुन्दरवन बाघ रिजर्व में 2)	7 (सुन्दरवन बाघ रिजर्व में 4)	
केरल	–			3
राजस्थान	–		2	
कर्नाटक	5 (खालें)	–	–	–
कुल	14	38	39	35

शेर के अवैध शिकार के संबंध में रिपोर्ट किए गए मामले

राज्य	1998–99	1999–00	2000–01
गुजरात (गिर वन)	शून्य	2	1

तेंदुए के अवैध शिकार के संबंध में रिपोर्ट किए गए मामले

राज्य	1998	1999	2000	2001
1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	13 (खालें)	56	166	28(राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में 1)
आन्ध्र प्रदेश	–	1(केवल वन्यजीव अभयारण्य में)	5(पोचारम वन्यजीव अभयारण्य में 1)	
गोवा	–		1	
राजस्थान	–	4	1	2
मध्य प्रदेश	1 (खाल)	15 (3 अचनाकमर वन्यजीव अभयारण्य में, 1 बोरी वन्यजीव अभयारण्य में और 1 सीतानन्दी वन्यजीव अभयारण्य में)	9	
महाराष्ट्र	3(खालें)	2	5	6
हिमाचल प्रदेश	8(खालें)		1	1 (1चैल वन्यजीव अभयारण्य में)

1	2	3	4	5
जम्मू व कश्मीर	–		1	
असम	–		2	
गुजरात	–	1 (गिर राष्ट्रीय उद्यान/ वन्यजीव अभयारण्य)		
दिल्ली	3 (खालें)		2	6
पंजाब	–		8	
तमिलनाडु	–	1		26
कुल	28	80	201	69

हाथी के अवैध शिकार के संबंध में रिपोर्ट किए गए मामले

राज्य	1998–99	1999–2000	2000–2001
असम	2	2 (1 पोबितरा वन्यजीव अभयारण्य में)	3(3 मानस वन्यजीव अभयारण्य में)
बिहार	1 (पलामू राष्ट्रीय उद्यान में)	1 (पलामू राष्ट्रीय उद्यान में)	0
कर्नाटक	27	16	19
केरल	4	1	1
मेघालय	2	2	0
उड़ीसा	14 (1 कुलडिहा वन्यजीव अभयारण्य में, 1 सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य में)	4	3
तमिलनाडु	12	5	7
उत्तर प्रदेश	1	0	5 (कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में)
पश्चिम बंगाल	4(3 जलदापाड़ा वन्यजीव अभयारण्य में	9(4 बक्सा बाघ रिजर्व और 1 महानन्दा वन्यजीव अभयारण्य में	3(2 बक्सा बाघ रिजर्व में)
कुल	66	41	41

गैंडे के अवैध शिकार के संबंध में रिपोर्ट किए गए मामले

वर्ष	अवैध शिकार किए गए गैंडों की संख्या	राष्ट्रीय उद्यान/ वन्य जीव अभयारण्य	राज्य
1	2	3	4
1998–99	0	जलदापरा वन्यजीव अभयारण्य	पश्चिम बंगाल

1	2	3	4
1999–00	1	जलदापरा वन्यजीव अभयारण्य	पश्चिम बंगाल
2000–01	1	जलदापरा वन्यजीव अभयरण्य	पश्चिम बंगाल
1998	8	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	असम
1998	12	ओरंग राष्ट्रीय उद्यान	असम
1998	4	पवित्र वन्यजीव अभयारण्य	असम
1998	4	अन्य क्षेत्र	असम
1999	4	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	असम
1999	7	ओरंग राष्ट्रीय उद्यान	असम
1999	6	पवित्र वन्यजीव अभयारण्य	असम
1999	2	अन्य क्षेत्र	असम
2000	4	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	असम
2000	8	ओरंग राष्ट्रीय उद्यान	असम
2000	2	पवित्र वन्यजीव अभयारण्य	असम
2000	3	अन्य क्षेत्र	असम

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में जानवरों की मौत

क्र. सं.	वर्ष	बाघ	भालू	गैंडा	पक्षी	कुल
1	1998–99	शून्य	शून्य	01	36	37
2.	1999–2000	शून्य	02	शून्य	36	38
3	2000–01	07	01	02	35	45

विवरण-III

अभयारण्यों और आरक्षित क्षेत्रों में पशुओं और पक्षियों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :

1. **राज्य स्तर पर उठाए गए कदम :**

(i) वन्य प्राणियों को उनके शिकार और वाणिज्यिक प्रयोग से बचाने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को

रोकने के लिए अनेक राज्यों में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर समन्वय समितियां स्थापित की गई हैं।

2. राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात और व्यापार केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण हेतु क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(ii) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। इंटरपोल की मदद से अवैध शिकार विरोधी प्रयासों का समन्वय किया जा रहा है।

(iii) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास और वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा देने के लिए राज्यों की क्षमता और ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि के प्रयोजन से संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि–विकास आदि स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है, विशेषकर संगठित अवैध शिकारियों का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक फोर्स तैयार करने और सुरक्षा कर्मियों को हथियार आदि मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। अवैध शिकारियों और तस्करों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने के लिए भी सहायता दी जाती है।

(iv) अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सचिव, पर्यावरण एवं वन, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय समिति गठित की गई है।

(v) निर्यात–आयात नीति के अंतर्गत वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के निर्यात पर प्रतिबंध है।

(vi) राज्य सरकारों के पर्यावरण एवं वन मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 29 और 30 जनवरी, 2001 को आयोजित किया गया था। अवैध शिकार को प्रभावी ढंग से रोकने और संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर, दोनों स्थानों पर प्रवर्तन संबंधी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इस सम्मेलन में मौजूदा सुरक्षा–कर्मियों को व्यावहारिक स्वरूप में संगठित करने का संकल्प लिया गया।

(vii) गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए फील्ड फारमेशन्स की मदद करें।

3. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) भारत सरकार वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज़ आफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना (साइट्स) के प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करती है।

(ii) सीमापार व्यापार को नियंत्रित करने के लिए चीन गणतंत्र के साथ एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार करने के लिए टाइगर रेंज देशों का एक विश्व स्तरीय मंच तैयार किया गया है।

इस्पात की मांग/उत्पादन और आयात/निर्यात

2194. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**

श्री वी. वेत्रिसेलवन :

श्री पी. डी. एलानगोवन :

श्री उत्तमराव पाटील :

श्री तिरूनावक्करसू :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस्पात की कुल मांग और उत्पादन कंपनीवार कितना है;

(ख) क्या जापान और अन्य देशों से बड़ी मात्रा में उच्च दर्जे का इस्पात आयात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कंपनीवार और देशवार कितनी मात्रा और मूल्य का इस्पात आयात/निर्यात किया गया;

(घ) इस्पात के आयात/निर्यात के लिए अन्य देशों के साथ जिन समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये, उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या स्वदेश निर्मित इस्पात की उपलब्धता और उसकी वार्षिक उपयोगिता के संबंध में सरकार के पास कोई जानकारी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या देश में इस्पात की खपत बढ़ रही है; और

(ज) यदि हां, तो यह कहां तक बढ़ी है और इस्पात की मांग पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आधुनिकीकरण

2195. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आधुनिकीकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों और निजी उद्यमों के लिए क्या प्रोत्साहक–उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना और विकास जिसमें यूनिटों का आधुनिकीकरण शामिल है के लिए वित्तीय सहायता देता है। यह सहायता गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी उद्योगों, मानव संसाधन विकास और अनुसंधान तथा विकास संगठनों आदि को दी जाती है। दी जाने वाली सहायता परियोजना विशेष होती है न कि राज्य अथवा क्षेत्र विशेष। वित्तीय सहायता संबंधी स्कीम के अलावा, मंत्रालय ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के वास्ते अनेक पहल की हैं। हाल ही के बजट में, प्रसंस्कृत फलों तथा सब्जियों पर लगने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मौजूदा 16 प्रतिशत के स्तर को घटाकर 0% किया गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित अधिकतर क्षेत्रों को स्वतः अनुमोदन के अंतर्गत लाया गया है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति प्रारूप को अंतिम रूप दिया है जिसमें अनुकूल वातावरण का सृजन, पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं का विकास, अनुसंधान और विकास सुविधाओं का विकास, प्रयोगशालाओं की नेटवर्किंग आदि शामिल हैं। इन सुविधाओं से निजी पक्षों और राज्य सरकारों दोनों के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र अथवा सहायता प्राप्त क्षेत्र में, प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में यूनिटों की स्थापना करने को बढ़ावा मिलेगा।

[अनुवाद]

बकाया आरक्षित पद

2196. श्री रामजीलाल सुमन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16 (4) ख के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अंग्रेनीत रिक्त पदों को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माना जाना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार, अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान आदि की समाप्ति पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में समूह "क", "ख", "ग" और "घ" सेवा श्रेणियों में (1) अ.जा. (2) अ.ज.जा. और अ.पि.व. के संदर्भ में भरे गए बकाया/अग्रेनीत पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान वर्षवार ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भर गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान "पद आधारित रोस्टर" के अनुसार सभी पद श्रेणियों में सृजित नई रिक्तियों/आरक्षित वर्गों को प्रदत्त पदों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) कृपया ब्यौरा संलग्न विवरण-I में देखें।

(ग) कृपया ब्यौरा संलग्न विवरण-II में देखें।

(घ) कृपया ब्यौरा संलग्न विवरण-III में देखें।

विवरण-I

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग
समूह "क"	–	–	–
समूह "ख"	–	–	–
समूह "ग"	1	–	–
समूह "घ"	–	–	–

विवरण-II

वर्ष	श्रेणी	भरे गए पदों की संख्या			रिक्त बचे पदों की संख्या		
		अनु. जा.	अनु.ज.जा.	अन्य पिछडे वर्ग	अनु.जा.	अनु. ज.जा.	अन्य पिछड़े वर्ग
1997	समूह "क"	–	–	–	–	–	–
	समूह "ख"	–	1	–	3	3	–
	समूह "ग"	–	–	–	1	7	–
	समूह "घ"	–	–	–	–	–	–
1998	समूह "क"	–	–	–	–	–	–
	समूह "ख"	–	–	–	–	–	–
	समूह "ग"	–	–	–	–	–	–
	समूह "घ"	–	–	–	–	–	–
1999	समूह "क"	–	–	–	–	–	–
	समूह "ख"	–	–	–	–	–	–
	समूह "ग"	1	–	–	–	–	–
	समूह "घ"	–	–	–	–	–	–
2000	समूह "क"	–	–	–	–	–	–
	समूह "ख"	–	–	–	–	–	–
	समूह "ग"	–	–	–	–	–	–
	समूह "घ"	–	–	–	–	–	–

विवरण-III

श्रेणी	आरक्षित रिक्तियों की सं.		
	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अन्य पिछड़े वर्ग
समूह "क"	–	–	–
समूह "ख"	6	4	7
समूह "ग"	2	3	7
समूह "घ"	–	–	–

विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी

2197. श्री ए. के. प्रेमाजम : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में भारत पिछड़ रहा है जबकि छोटे–छोटे देश तक इस विषय में हमसे कहीं आगे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष दौरान पर्यटकों के आगम–संबंधी राज्यवार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) घरेलू/विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) वर्ष 2000 के दौरान जापान, कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों की तुलना में भारत में कम विदेशी पर्यटक आए। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के मुख्य प्रवेश स्थलों (हवाई अड्डों) से देश में विदेशी पर्यटक आगमन निम्न प्रकार हैं :

पोर्ट	1998	1999	2000
दिल्ली	806001	799099	842204
मुम्बई	677400	696299	748574
चैन्नई	251566	276380	297751
कोलकाता	127537	128336	132711
अन्य	496125	581814	619907
जोड	2358629	2481928	2641157

(ग) पर्यटन को बढ़ावा देने और विदेशी पर्यटकों/घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में, पर्यटक सुविधाओं का विकास एवं सुधार, विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से विदेशों में प्रचार एवं विपणन प्रयास, मानव संसाधन विकास के संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग एवं होटलों सहित पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना शामिल हैं।

भारत के एक सुरक्षित गंतव्य होने के बारे में समूचे विश्व के देशों में उपयुक्त संकेत भेजने के प्रयास भी किए गए हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के पर्यटक बाजारों पर अधिक ध्यान देकर और घरेलू पर्यटन के महत्त्व पर बल देकर मार्केटिंग प्रयासों का नवीकरण भी किया जा रहा है।

विमान सेवाओं के लिए उद्धार-पैकेज

2198. श्री वाई. वी. राव :

श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अमरीका में आतंकवादी हमलों के बाद से वहां तथा यूरोप की विमान सेवा कंपनियों के लिए चलाई गई उद्धार–योजनाओं से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स और जेट एयरवेज ने सरकार से उद्धार–पैकेज की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) विमानन क्षेत्र में उत्पन्न हो रही परिस्थितियों और गंभीर आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए केवल जेट एयरवेज ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें कई राहत उपायों की मांग की गई है। कुछ महत्त्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं :–

(i) बीमा कंपनियों से अपेक्षित अनुपलब्ध बीमा कवरेज में

से जिस हिस्से को कवर नहीं किया गया है उसे पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति किया जाना,

(ii) अंतर्देशीय विमान यात्रा कर (आई. ए.टी.टी.) का 50 प्रतिशत एयरलाइनों को दिया जाना,

(iii) श्रेणी-II और II ए प्रचालनों में 30 प्रतिशत की राहत,

(iv) विमान और इंजिनों के आयात पर सीमाशुल्क से छूट,

(v) सभी वैमानिक प्रचालनों के लिए विमानन टरबाईन ईंधन पर प्रभारित 40 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर की सीमा को बढ़ाना।

(vi) ईंधन मूल्य बढ़ाने की अनुमति,

(vii) अवतरण, मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभार (आर.एन.एफ. सी.) और पार्किंग प्रभारों में 50 प्रतिशत की कटौती।

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव जो जेट एयरवेज से प्राप्त हुए हैं उनमें से (ख) (1) जो कि सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है को छोड़कर अन्य प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

ताडोबा बाघ अभयारण्य को खतरा

2199. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनों की कटाई की प्रक्रिया से महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में स्थित ताडोबा बाघ अभयारण्य को भारी खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वन्यप्राणी संरक्षण विभाग ने इस पर गहरी आशंका जाहिर की है कि इससे ताडोबा बाघ अभयारण्य को भारी नुकसान पहुंच सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ताड़ोबा अन्धेरी का हिस्सा बनने वाले वन क्षेत्रों में हाल ही में कोई वन कटाई नहीं की गई है।

[हिन्दी]

सिंचाई क्षमता

2200. डा. चरणदास महंत : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने के लिए छत्तीसगढ़ से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावाना है; और

(ग) त्वरित सिंचाई लाभकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि प्रदान किये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) केन्द्रीय जल आयोग में 572 करोड़ रुपये की लागत से एक संशोधित महानदी जलाशय परियोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार से जुलाई, 2001 में प्राप्त हुआ और इस पर पत्राचार चल रहा है।

(ख) वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की बकाया टिप्पणियों की अनुपालना करने पर निर्भर करती है।

(ग) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता (सी एल ए) एक वर्ष में दो किस्तों में जारी की जाती है बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों तथा राज्य की वार्षिक योजना में ऐसी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट परिव्यय मुहैया कराया गया हो। चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय ऋण सहायता की पहली किश्त के रूप में छत्तीसगढ़ की तीन परियोजनाओं अर्थात हसदेव बांगो, शिवनाथ व्यपवर्तन और जोंक व्यपवर्तन के लिए 16.60 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना

2201. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय निर्माणाधीन अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावाना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय देश में निर्माणाधीन अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	श्रेणी	शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	किस योजना में शुरू की गई	पूरा होने का लक्ष्य	नवीनतम अनु– मानित लागत	3/2000 तक संचयी व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर	ई.आर.एम.	आंध्र प्रदेश	III	नौवीं योजना से आगे	467.26	201.88
			कर्नाटक	II	IX	79.48	51.83
2.	सुवर्णरेखा	वृहद	बिहार	V	नौवीं योजना से आगे	2376.16	917.73
			उड़ीसा	VII	IX	1270.60	469.93
			पश्चिम बंगाल	वा.यों. 90-92	नौवीं योजना से आगे	696.00	28.19
3.	नाणसागर	वृहद	बिहार	V	IX	234.00	104.34
			मध्य प्रदेश	V	नौवीं योजना से आगे	344.66	158.18
			उत्तर प्रदेश	V	IX	234.00	107.00
4.	तिल्लारी	वृहद	गोवा	V	नौवीं योजना से आगे	320.63	219.67
			महाराष्ट्र	वा.यो. 78.80	–	167.70	179.77
5.	दमनगगा	वृहद	गुजरात	IV	पूर्ण	235.06	246.45
			दादरा व नगर हवेली	–	–	–	–
			दमन य दीव	–	–	–	–
6.	गाही बजाज सागर	वृहद	गुजरात	–	–	–	–
			राजस्थान	IV	नौवीं योजना से आगे	1016.98	626.81
7.	सरदार सरोवर	वृहद	गुजरात	VII	नौवीं योजना से आगे	22176.95	6631.07
			मध्य प्रदेश	–	–	–	–
			महाराष्ट्र	–	–	–	–
			राजस्थान	–	–	–	–
8.	गुड़गांव नहर	मध्यम	हरियाणा	III	IX	65.00	33.56
			राजस्थान	III	नौवीं योजना से आगे	35.40	26.68
			उत्तर प्रदेश	–	–	–	–
9.	सतलज यमुना संपर्क नहर	वृहद	हरियाणा	V	IX	601.00	504.62
			पंजाब	VII	नौवीं योजना से आगे	3379.53	2713.66
10.	नया ताजे वाला बैराज (हथनी कुंड)	ई आर एम	हरियाणा	VIII	नौवीं योजना से आगे	1448.36	908.80
			उत्तर प्रदेश	IX	–	28.00	0.06
11.	नया ओखला बैराज	ई आर एम	हरियाणा	–	–	–	–
			राजस्थान	–	–	–	–
			उत्तर प्रदेश	V	पूर्ण	–	–
12.	शाहनहर	वृहद	हिमाचल प्रदेश	VIII	नौवीं योजना से आगे	150.78	–
			पंजाब	VI	IX	148.48	–

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	दूध गंगा	वृहद	कर्नाटक	VI	नौवीं योजना से आगे	110.00	12.82
			महाराष्ट्र	V	नौवीं योजना से आगे	798.66	243.70
14.	राजघाट	वृहद	मध्यप्रदेश	V	IX	133.60	127.28
	(रानी लक्ष्मी बाई सागर)		उत्तर प्रदेश	V	पूर्ण	150.80	133.08
15.	उर्मिल	वृहद	मध्य प्रदेश	V	IX	32.01	19.89
			उत्तर प्रदेश	–	–	–	–
16.	भगनथाडी	वृहद	मध्य प्रदेश	VI	नौवीं योजना से आगे	52.75	0.00
	(राजीव सागर)		महाराष्ट्र	बा. यो. 78–80	नौवीं योजना से आगे	124.17	53.03
17.	लेंदी	वृहद	आंध्र प्रदेश	–	–	–	–
			महाराष्ट्र	VI	नौवीं योजना से आगे	204.60	17.08

[अनुवाद]

नवीन वृहत् एल्युमिनियम परियोजना का स्थापन

2202. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के कच्छ जिले में अमरीका की 'एम्बेरडर ग्रुप इनवेरटमेन्ट लिमिटेड' कम्पनी के साथ संयुक्त रूप से एक नवीन वृहत् एल्युमिनियम परियोजना स्थापित करने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब से काम करने की सम्भावना है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने मै. गुजरात एल्यूमिना एण्ड बॉक्साइट लि. को गुजरात के कच्छ जिले में एक एल्यूमिना (न कि एल्यूमीनियम) परियोजना स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। यह कम्पनी गुजरात खनिज विकास निगम, गुजरात एल्कलीज़ एण्ड केमिकल्स लि., एम्बेस्डर ग्रुप इंटरनेशनल लिमिटेड, यू.एस.ए. और जेफफरीज़ एण्ड कम्पनी, यू.एस.ए. के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यह संयुक्त उद्यम कम्पनी 700 मिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित परियोजना लागत से गुजरात के कच्छ जिले में एक एल्यूमिना परियोजना स्थापित करेगी। विदेशी इक्विटी सहभागिता 45% होगी और भारतीय प्रवर्तकों का 6% इक्विटी साझा (स्टेक) होगा और 49% इक्विटी जनता तथा अन्य के अधिकार में होगी। इस संयंत्र की 7,50,000 एम टी ए एल्यूमिना, 11,50,000 एम टी ए मेट कोक, 100 एम डब्ल्यू विद्युत और 6 एम जी डी डिसेलीनेशन की उत्पादन क्षमता होगी।

(ग) मेट कोक और विद्युत संयंत्र के पूरा होने का लक्ष्य सितम्बर, 2004 है और एल्यूमिना संयंत्र के पूरा होने का लक्ष्य मार्च, 2006 है।

असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन-सुविधा

2203. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेंशन–सुविधा का विस्तार करके मुख्यतः असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उसका लाभ देने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, सरकार की प्रमुख चिंताओं में से एक है। अतः कृषि कामगारों के लिए, जो असंगठित क्षेत्र के कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा है, एक जुलाई, 2001 से एक सामाजिक सुरक्षा योजना आरम्भ की गयी है। योजना के अन्तर्गत, अन्य लाभों के साथ–साथ इन कामगारों को पेंशन कवर भी दिया गया है। इसके अलावा, द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के विचारार्थ विषयों में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को संरक्षण का एक न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए एक "व्यापक" विधान का सुझाव देना भी शामिल है।

[हिन्दी]

पर्यावरण विकास में लगे संगठन

2204. श्री बीर सिंह महतो :

प्रो. दुखा भगत :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वैच्छिक संगठनों के नाम क्या हैं जो सरकार से प्राप्त अनुदान–सहायता से पर्यावरण–संरक्षण का कार्य कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ इन स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई, और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस सहायता से संचालित गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

निजी कंपनियों द्वारा विमानों को किराये पर देना

2205. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी निजी विमानन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों को किराये पर दिया है;

(ख) व्यापारिक उद्देश्य के लिए अपने बेड़े को किराए पर देने का प्रस्ताव करने वाली विमानन कंपनियों (व्यापारिक घरानों) की संख्या और नाम क्या हैं और हेलीकॉप्टर सीटों की संख्या कितनी है; और

(ग) उस एजेंसी का नाम क्या है जो दिशा–निर्देश जारी करती है, जांच करती है और विमान के सुरक्षा कार्यों की देखरेख करती है ताकि इन विमानों का रखरखाव और संचालन उचित तरीके से हो सके ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) छोटे विमान/हेलीकॉप्टर हायर करने के लिए 34 निजी विमानन कंपनियों को लगाया गया है। उनके नाम तथा उनके बेड़ों की संख्या संलग्न विवरण में है।

(ग) इन विमानों का रखरखाव तथा उनके उचित रूप से कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए विमान के प्रचालन की जांच तथा सुरक्षा हेतु नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) दिशा–निर्देश जारी करता है।

विवरण

क्र. सं.	नाम	विमानों के प्रकार	विमान की संख्या	बैठने की क्षमता
1	2	3	4	5
1.	ऐस एयरवेज प्रा. लि.	ए एस 350 बी(एच)	1	5
2.	एरियल सर्विसेज प्रा. लि.	बीच जेट–400	1	8
3.	अहमदाबाद एविएशन अकादमी	सेसना 172	1	3
		पाइपर एजटेक	1	5
		सेसना 172 पी	1	3
4.	एयर वर्क्स इंडिया (प्रा.) लि.	किंग एयर सी–90	1	7
5.	एशिया एविएशन लि.	सेसना सीट II	1	8
6.	अजल इंडिया प्रा. लि.	बेल 412 एचपी (एच)	6	13
7.	ब्लू डार्ट	बी–737–200	3	कार्गो
8.	सेन्चूरी टेक्सटाइल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि.	सेसना कारवान-II	1	7
9.	दिल्ली फ्लांइग क्लब	सेसना 152	1	1
		किंग एयर सी 90		6

1	2	3	4	5
10.	डक्कन एविएशन	बेल 206 एल 3 (एच)	2	6
		बेल 206 बी 3 (एच)		
		बेल 212 (एच)	2	4
		बेल 407 (एच)		
		एक्रुएल एएस 355 (एच)	1	13
		पिलाटस पीसी–12	1	6
			1	5
			2	9
11.	द्वारका एयर टैक्सी	सेसना 404 टाइटन	1	8
12.	एस्कॉर्ट्स लि.	बेल 407 (एच)	1	6
13.	ईस्ट इंडिया होटल्स	एचएस–125–700	1	9
		सी–90 ए	1	6
14.	ग्रेट इस्टर्न शिपिंग कं. लि.	बेल 212 (एच)	2	13
15.	हिंदुस्तान इंस्टीच्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नॉलोजी	सेसना 172 एल	1	2
16.	इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज	बेल 222 यू टी (एच)	1	6
		एच एस–125 बी	1	
				7
17.	इण्डो पैसिफिक एविएशन	बेल 206 एल 4 (एच)	1	6
18.	जैक्सन एयर लाइन्स	डीओ–228	2	18
19.	जे.के. कॉरपोरेशन	किंग एयर बी–200	1	8
20.	जिन्दल स्ट्रिप्स लि.	किंग एयर सी–90	1	6
21.	कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि.	एलोयूटे III (एच)	1	5
22.	मल्होत्रा हेलीकॉप्टर्स	बेल–47 जी 5 (एच)	1	2
23.	मेगापोड एयरलाइन्स	एचएस–125–700 बी	1	7
		फाल्कन 2000	1	8
24.	ओरिएण्ट फ्लाइंग स्कूल	सेशना–152	3	1
		सेनेका III	1	5
25.	राजपूताना एविएशन अकादमी (प्रा.) लि.	सेशना 172 पी	1	2
		सेशना 152	2	2

1	2	3	4	5
26.	रेमण्ड लि.	ए एस–355 एन (एच)	1	5
		बेल 206 एल 3 (एच)	2	6
		सेशना साईटेशन II		
			1	8
27.	रिलायंस ट्रांसपोर्ट ट्रेवल्स लि.	गल्फ स्ट्रीम–IV	1	13
28.	सारया एविएशन (प्रा.) लि.	बीच बी–58	1	4
29.	स्पैन एयर प्राइवेट लि.	बेल 206 एल 4 (एच)	1	6
		बेल 407 (एच)		
		सुपर किंग 200	1	6
			1	8
30.	तनेजा एयरोस्पेश एण्ड	पी सी 68 – टी सी	1	6
	एविएशन लि.	पी 68 सी	4	6
31.	टाटा टी लि.	एम डी 600 एन	1	5
32.	ट्रांस भारत एविएशन	बीच 99	2	15
		बेल–206 बी 3 (एच)	2	4
		बेल 407 (एच)	1	5
		पाइपर सेनेका	1	4
33.	यू. बी. एयर	चेतक (एच)	1	5
		बेल – 112 (एच)	3	13
34.	विद्युत ट्रेवल सर्विसेज	किंग एयर सी – 90	1	6
	कुल विमान		78	

नोट :

1. बैठने की क्षमता का तात्पर्य यात्रियों के बैठने की क्षमता जिसमें पायलट की सीट शामिल है।
2. एच का तात्पर्य हेलीकॉप्टर से है।

कोयला खान कामगारों के लंबित मामले

2206. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्बहाली के न्यायाधिकरण निर्णय के बावजूद विभिन्न कोयला खानों में सहायक कंपनीवार कितने कोयला मजदूरों को मुआवजे के साथ अथवा बिना मुआवजे के काम पर वापस आने दिया गया;

(ख) निपटान के लिये कितने मामले लंबित हैं; और

(ग) इन मामलों में कब तक अंतिम फैसला लिया जायेगा और मजदूरों को काम पर लिया जायेगा ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग)

सहायक कंपनी का नाम	अधिकरण के पंचाट के अनुसार पुनर्बहाल किए गए श्रमिकों की संख्या	फैसले के लिए लंबित मामलों की संख्या	इन्हें कब तक निपटा लिया जाएगा
ईसीएल	56	जहां तक 17 संदर्भ मामलों का संबंध है, मामला उच्च न्यायालय में न्याय निर्णयाधीन है। 141 मामले निर्णय हेतु सीजीआईटी में लंबित हैं।	चूंकि मामला क्रमशः उच्च न्यायालय तथा अधिकरण में न्याय निर्णयाधीन है सही समय, जब तक इनका निपटान हो जाएगा ज्ञात नहीं है।
बीसीसीएल	26	03	इन्हें शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा।
सीसीएल	06	शून्य	–
डब्ल्यूसीएल	04	शून्य	–
एसईसीएल	04	शून्य	–
एमसीएल	03	शून्य	–
एनसीएल	शून्य	शून्य	–

आयातित फलों पर पाटनरोधी शुल्क

2207. श्री अरूण कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था के अंतर्गत आयातित फल घरेलू उत्पादकों के लिए खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या घरेलू फल उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिये आयातित फलों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जहां तक भारतीय बाजारों में फलों के ढेर लगने का संबंध है, घरेलू उद्योग से घरेलू उत्पादकों को किसी तरह के ढेर अथवा नुकसान होने की कोई विशिष्ट सूचना अथवा पूर्णतया लिखित प्रमाणित याचिका प्राप्त नहीं हुई है।

उन फलों को छोड़कर जिनकी दरें न्यूनतर होती हैं, अधिकांश फलों पर उनकी अधिकतम दर 35% या इससे अधिक की समान दर पर आयात शुल्क लगाया जाता है। जहां तक पाटनरोधी शुल्क लगाने का संबंध है, केन्द्रीय सरकार पाटनरोधी और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय से सिफारिश प्राप्त होने पर ही पाटनरोधी शुल्क लगा सकती है। अभी तक किसी फल पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए उसके द्वारा कोई भी सिफारिश नहीं की गई है।

कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र

2208. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में राज्यवार कितने कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र (ए. टी. आई. सी.) स्थापित किये गये;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में से ऐसे अन्य केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश भर में 40 कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों की स्थापना को मंजूरी दी है, जिनमें आंध्र प्रदेश में एन. जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय के तहत एक केन्द्र की स्थापना भी शामिल है। इन केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस प्रकार के और केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. आचार्य एन. जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद
2.	असम	2. असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट
3.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	3. केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर
4.	बिहार	4. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर
5.	छत्तीसगढ़	5. इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर
6.	दिल्ली	6. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
7.	गुज़रात	7. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, दन्तीवाडा
8.	हरियाणा	8. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल
		9. चौ. चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
9.	हिमाचल प्रदेश	10. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर
		11. डा. यशवन्त सिंह परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन
		12. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला
10.	जम्मू तथा कश्मीर	13. शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर
11.	झारखण्ड	14. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची
12.	केरल	15. केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशुर
		16. भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट
		17. केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि
		18. केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगौड
13.	कर्नाटक	19. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर
		20. कृषि विज्ञान विश्वविद्यलाय, धारवाड़
		21. भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर
14.	मध्य प्रदेश	22. जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
15.	महाराष्ट्र	23. मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी
		24. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, अहमदनगर
		25. डा. पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला
		26. केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर
		27. कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली रत्नागिरी

1	2	3	
16.	उड़ीसा	28.	केन्द्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान, भुवनेश्वर
		29.	उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
17.	पंजाब	30.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
18.	राजस्थान	31.	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
		32.	महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर
		33.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
19.	तमिलनाडु	34.	तमिलनाडु पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चैन्नई
		35.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
20.	उत्तर प्रदेश	36.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर
		37.	नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद
		38.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर
21.	उत्तरांचल	39.	गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर
22.	पश्चिम बंगाल	40.	विधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, नाडिया

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में खनिज नमक में आयोडीन की मात्रा

2209. श्री सुरेश चन्देल : क्या कोयला और खान मंत्री 20.11.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर के सम्बध में यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश से मंडी जिले के दांग क्षेत्र में खनिज नमक की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता के कारण लवणीय घोल पर आधारित कॉस्टिक सोडा फैक्ट्री स्थापित करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) भारत सरकार को, पिछले कुछ समय में, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के द्रांग में लवणीय घोल (साल्ट सोल्यूशन) पर आधारित कॉस्टिक सोडा फैक्ट्री स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कॉस्टिक सोडा उद्योग को लाइसेंस–मुक्त कर दिया गया है।

[अनुवाद]

पर्यटन स्थलों का प्रचार

2210. डा. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कई स्थानों को उनकी संस्कृति और विरासत के संबंध में पर्याप्त प्रचार नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) भारत तथा विदेशों में सांस्कृतिक और हेरिटेज स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) प्रमुख पर्यटक स्थलों की सूचनाओं से युक्त ब्रोशरों तथा अन्य पर्यटक साहित्य का मुद्रण,

(ii) भारत तथा विदेशों के प्रमुख समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में विज्ञापन देना,

(iii) पोस्टर, वीडियो फिल्म, सी डी रॉम्स, स्मृति चिन्ह आदि तैयार करना,

(iv) पर्यटन विभाग के वेबसाइट पर भारत के पर्यटक स्थलों की जानकारी देने के साथ–साथ उसका रख–रखाव,

(v) भारत तथा विदेश स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों द्वारा सूचना का प्रसार।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें/संघ शासित राज्य भी अपने–अपने राज्यों के पर्यटक स्थलों के प्रचार–प्रसार हेतु ब्रोशरों के मुद्रण, पर्यटक सामग्री, वीडियो फिल्म तथा सी डी रॉम्स आदि तैयार करते हैं।

[हिन्दी]

सेल के लिये पुनर्गठन पैकेज

2211. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेल के लिए वित्तीय और व्यापारिक पुनर्गठन पैकेज को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार और सेल के बीच इस संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस समझौते से सेल के कार्यसंचालन में आने वाले सुधारों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) सरकार ने फरवरी, 2000 में सेल के लिए एक वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना पैकेज मंजूर किया था जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) इस्पात विकास निधि (एस डी एफ) से लिए गए 5073 करोड़ रुपए और भारत सरकार से लिए गए 381 करोड़ रुपए के ऋण को माफ करके सेल की वित्तीय पुनर्संरचना।

(ii) स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति योजना के जरिए जनशक्ति में कमी करने हेतु धन की व्यवस्था करने के लिए सेल द्वारा बाजार से जुटाए जाने वाले 1500 करोड़ रुपए के ऋण और उस पर ब्याज हेतु 50% ब्याज सहायता सहित भारत सरकार की गारंटी का प्रावधान।

(iii) 1999–2000 के विगत ऋण की अदायगी के लिए सेल द्वारा जुटाए जाने वाले 1500 करोड़ रुपए के ऋण और उस पर ब्याज के लिए भारत सरकार की गारंटी का प्रावधान।

(iv) मौजूदा कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित रखते हुए निम्नलिखित गैर–महत्त्वपूर्ण परिसंपत्तियों के स्वत्वहरण की प्रक्रिया शुरू करना :

(क) बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला के विद्युत संयंत्र

– राउरकेला इस्पात संयंत्र का 2 × 60 मेगावाट का निजी विद्युत संयंत्र-II और राउरकेला में केन्द्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान,

– दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में 2 × 50 मेगावाट का निजी विद्युत संयंत्र-II,

– बोकारो इस्पात संयंत्र में 122 मेगावाट (2 × 55 मेगावाट + 12 मेगावाट बैक प्रैशर टरबाइन) का निजी विद्युत संयंत्र-I, 3 × 60 मेगावाट का निजी विद्युत संयंत्र-II और 660 एम टी/घंटे की वाष्प सृजन क्षमता।

(ख) भिलाई इस्पात संयंत्र का आक्सीजन संयंत्र-II

(ग) सेलम इस्पात संयंत्र (एस एस पी), सेलम,

(घ) मिश्र इस्पात संयंत्र (ए एस पी), दुर्गापुर,

(ङ) विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील प्लांट (वी आई एस पी), भद्रावती,

(च) राउरकेला का उर्वरक संयंत्र।

(v) इस्को के पुनरुद्धार हेतु किसी भी संयुक्त उद्यम में सेल को न्यूनतम शेयरधारिता की अनुमति देना।

(vi) बाद में सरकार ने सेल के स्वत्वहरण कार्यक्रम में भिलाई इस्पात संयंत्र (बी एस पी) के 74 मेगावाट क्षमता के निजी विद्युत संयंत्र-II को भी शामिल करने की स्वीकृति दे दी है।

(ग) सेल और इस्पात मंत्रालय के बीच 13.3.2000 को एक विस्तृत समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था। समझौता ज्ञापन में कार्यान्वयन हेतु विभिन्न कार्यों और विस्तृत लक्ष्यों का उल्लेख है। इन कार्यों को पूरा करने के लिए समयबद्ध तरीके की आवश्यकता है।

(घ) भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करते समय प्रक्षेपित सेल के कार्यकरण में संभावित सुधारों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

लक्ष्य	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04
उत्पादन (हजार टन)	9943	10263	10603	10753
बिक्री मात्रा (हजार टन)	9874	10132	10445	10633
बिक्री कारोबार (करोड़ रुपए)	18584	18624	20153	21541
सकल मार्जिन (करोड़ रुपए)	2510	2711	3706	4231
कर पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए)	–700	–139	810	1376

/अनुवाद/

कोयला खानों में बाढ़ और आग

2212. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोयला खानों में बाढ और आग की कुल कितनी त्रासदीपूर्ण घटनायें घटीं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन दुर्घटनाओं में खानवार कितने लोगों की मौत हुई;

(ग) इन त्रासदीपूर्ण घटनाओं के मुख्य कारण क्या हैं और प्रत्येक घटना की जांच का क्या परिणाम रहा; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं/किये जाने का प्रस्ताव है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. की कोयला खानों में बाढ़ तथा आग के कारण हुई दुःखद घटनाओं, और प्रत्येक अन्तर्गस्त सांघातिकता, निम्नानुसार है :

वर्ष	1998	1999	2000
बाढ़ की घटना	शून्य	1	शून्य
आग की घटना	शून्य	1	1

(ख) इन घटनाओं में गत तीन वर्षों के दौरान अपनी जानें गंवाने वाले श्रमिकों की संख्या खान–वार नीचे दी गई है :

वर्ष	1998	1999	2000
बाढ़ की घटना	शून्य	गोंडुडीह कोलियरी, बीसीसीएल–1	शून्य
आग की घटना	शून्य	अरगदा कोलियरी, सीसीएल–1	अमलोहरी ओसीपी, एनसीएल–1

(ग) इनमें से प्रत्येक दुःखद घटना का मुख्य कारण नीचे दिया गया है :

वर्ष	1998	1999	2000
1	2	3	4
बाढ़ की घटना	शून्य	**गोंडूडीह कोलियरी, बीसीसीएल** विस्फोट (ब्लासटिंग) के 3–4 घंटे पश्चात् अधिक ऊँचाई वाली गैलरी से सतही गैलरी में पानी का अर्न्तवाह।	शून्य

1	2	3	4
आग की घटना	शून्य	**अरगदा कोलियरी, सीसीएल** एक केबल में आग लगने के पश्चात् एक पम्प खलासी बच निकलते समय गिर गया तथा जहरीली गैस में फंस गया। जब उसे बचाव दल द्वारा निकाला गया तथा अस्पताल में लाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया।	**अमलोहरी ओसीपी, एनसीएल** ओपनकास्ट खदानों में अग्निशमन प्रचालनों के दौरान जब जलते हुए कोयले के कण गिरे तो एक खनन सरदार गर्म कणों में फंस गया।

(घ) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए जा रहे सुधारात्मक उपाय निम्नवत् है :

1. डिप गैलरियों से पानी को पहले से निकालना।
2. मानसून से पूर्व प्रत्येक खान में जलभराव के खतरे का आकलन करना और वार्षिक कार्य योजना बनाना तथा क्रियान्वित करना।
3. जल भराव के खतरे से सुरक्षा हेतु जांच–सह संबंध सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।
4. सभी खान प्लानों को नेशनल ग्रिड से जोड़ने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है।
5. जहां कहीं आवश्यक हों समीपस्थ खानों के बीच के बैरीयर की मोटाई को ड्रिलिंग जैसी सुनिश्चित पद्धतियों द्वारा सुदृढ़ किया गया है।
6. पर्यवेक्षीय स्टाफ तथा अधिकारियों द्वारा कार्य स्थलों, पुरानी खदानों, अग्निरोधकों/पृथकीकरण रोधकों का तापन के लक्षणों का पता लगाने हेतु आवधिक (पालीवार/दैनिक/साप्ताहिक/मासिक) कठोर निरीक्षण करना।
7. भूमिगत खानों में तापन का पूर्व में पता लगाने के लिए "को–डिटैक्टरों" हाथ वाले डिजिटल मानीटरों, आईग्रोमीटरों आदि द्वारा पर्यावरणीय परिस्थितियों का प्रबोधन करना।
8. सीआईएल ने कम्प्यूटरीकृत सतत पर्यावरणीय दूरप्रबोधन (टेलीमानिटरिंग) प्रणाली के संस्थापन हेतु 36 खानों की पहचान की है। इसमें से ऐसी सात प्रणालियां पहले से ही कार्य कर रही हैं तथा 6 अतिरिक्त प्रणालियों हेतु आदेश दिया गया है।
9. सभी श्रमिकों को फिल्टर सेल्फ रेस्क्यूलर्स (एफएसआर) मुहैया करने हेतु कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।
10. खानों की सुरक्षा आडिट करना तथा उसकी सिफारिशें कार्यान्वित करना।
11. श्रमिकों के प्रशिक्षण पर जोर देना।

एम.सी.एल. में भ्रष्टाचार और अनियमिततायें

2213. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी कोलफील्ड्स लि. द्वारा अपने कोयला क्षेत्रों में आपूर्ति कार्य के लिये स्थानीय लोगों को ठेका नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एम. सी. एल. की इन कोयला खानों में विभिन्न कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितता व्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या है; और

(ङ) ऐसी अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जैसा कि सीआईएल ने सूचित किया है, स्थानीय लोगों को एनसीएल में स्थापित कार्यविधि के अनुसार सप्लाई आर्डर दिये जा रहे हैं।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी, नहीं। कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार अथवा अनियमितताओं के बारे में किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(घ) और (ङ) ऊपर (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

/हिन्दी/

सी.सी.एल. के अन्तर्गत महुआ पठारी कोयला खान में दुर्घटना

2214. श्री किरीट सोमैया : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 सितम्बर, 2001 को सेण्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी सी एल) के अन्तर्गत बनियाडिह में स्थित महुआ पठारी कोयला खान में अवैध खनन में कुछ लोगों की मौत हो गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या निकला और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) स्थानीय पुलिस स्टेशन से तथा क्षेत्र की रिपोर्ट के किये गये सत्यापन करने पर, 7 नवम्बर, 2001 को बनियाडिह में अवैध खनन स्थल में किसी के मरने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) ऊपर भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) खान सुरक्षा महानिदेशक (डीजीएमएस) और जिला कलक्टर ने स्थल का दौरा किया और प्रारंभिक जांच की थी आमतौर पर इस प्रकार की जांच में समय लगता है और हमेशा जांच पूरी होने पर ही समुचित कार्रवाई की जाती है।

/अनुवाद/

भूकंप पीडितों के लिये विदेशी सहायता का उपयोग न होना

2215. श्री जे.एस. बराड़ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात भूंकप पीड़ितों के पुनर्वास के लिये प्राप्त समूची विदेशी सहायता का अब तक उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं;

(ग) धन और सामग्री के रूप में अलग–अलग कुल कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई और भारतीय स्रोतों से कितनी सहायता प्राप्त हुई और इनमें से अब तक कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(घ) क्या प्राप्त हुई कुल सहायता गुजरात में पूर्ण पुनर्वास और राहत उपायों के लिये पर्याप्त है;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इसके लिये कुल कितनी धनराशि मुहैया कराई गई है; और

(च) समूचा राहत और पुनर्वास कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (च) पुनर्वास और पुनर्निर्माण चल रही एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार को आशा है कि अंजार, भचाऊ, भुज और रापेड़ नामक चार कस्बों को छोड़कर पुनर्निर्माण कार्य आगामी मानसून आरंभ होने से पहले पूरा हो जाएगा। गुजरात सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार विदेशी स्रोतों से प्राप्त/अनुमोदित सहायता इस प्रकार है :

(i)	नीदरलैंड सरकार	300 करोड़ रुपए
(ii)	यूरोपीय संघ	170 करोड़ रुपए
(iii)	अन्य विदेशी स्रोत	100 करोड रुपए
(iv)	ऋण सहायता (ए.डी.बी.)	300 मिलियन अमेरिकी डालर
(v)	ऋण सहायता (विश्व बैंक)	700 मिलियन अमेरिकी डालर

आपदा राहत कोष में केन्द्रीय अंश जारी करने के अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से 1467.37 करोड़ रुपए की सहायता जारी की गयी। 220.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की गयी है। राज्य सरकार के मूल्यांकन के अनुसार, अनुमोदित/वचनबद्ध सहायता भूकंप आने पर पुनर्वास और पुनर्निर्माण उपायों की लागत वहन करने के लिए पर्याप्त होगी।

/हिन्दी/

बिहार की नागर विमानन परियोजनाएं

2216. श्री राजो सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं को समय पर और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) आज की तिथि तक प्रत्येक परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी; और

(ङ) सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ङ) गया हवाई अड्डे पर 33.51 करोड़ रु. के लागत से रनवे का सुदृढ़ीकरण, एप्रन, चार दीवारी तथा एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण; पटना हवाई अड्डे पर 7.00 करोड रु. की लागत से रनवे स्ट्रिप के सुधार और भूमि के अधिग्रहण संबंधी कार्य बिहार में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयनाधीन हैं। ये परियोजनाएं शैड्यूल आधार पर कार्यान्वित की जा रही हैं।

/अनुवाद/

उडीसा में महानदी पर बैराज का निर्माण

2217. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध और नारज बैराज के बीच बैराज निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिये किस स्थल का चयन किया गया है;

(ग) क्या प्रस्तावित बैराज से किन्हीं रिहायशी इलाकों के जलप्लावित होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैराज की अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) क्या महानदी के अतिरिक्त जल को इस प्रस्तावित बैराज से ऊंची नहर के द्वारा रूशिकुल्या की ओर मोड़ने का है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) महानदी पर हीराकुंड एवं नारज बैराज के बीच एक बैराज बनाने के वास्ते तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए उड़ीसा सरकार से कोई भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

आई.टी.डी.सी. द्वारा चलाई जा रही शुल्क मुक्त दुकानें

2218. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई.टी.डी.सी. द्वारा होटलों और बाहर चलायी जा रही शुल्क मुक्त दुकानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या आई.टी.डी.सी. ने शराब की बिक्री हेतु नियमों में छूट दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) इस समय, भारत पर्यटन विकास निगम 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, और अशोक होटल नई दिल्ली में एक शुल्क मुक्त दुकान सहित 36 शुल्क मुक्त दुकानें चला रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लुप्तप्रायः प्रजातियों के संहार में वृद्धि

2219. **श्री शीशराम सिंह रवि** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 मई, 2001 को 'द टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से लुप्तप्रायः प्रजातियों/वन्यजीवों के संहार की घटनाओं के काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों की प्रत्येक तिमाही और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(घ) लुप्तप्रायः प्रजातियों/वन्यजीवन की सुरक्षा हेतु क्या विशेष उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किए गए समन्वित प्रयासों तथा वन्यजीव अपराध की समस्या से निपटने पर विशेष जोर दिए जाने के परिणामस्वरूप हाल ही के वर्षों में वन्यजीव उत्पादों का पता लगने और उनकी जब्ती संबंधी मामलों में वृद्धि हुई है।

(ग) अवैध शिकार संबंधी मामलों का पता लगाने, जांच करने तथा अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। कुछ महत्त्वपूर्ण मामले जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गए हैं। इन मामलों तथा की गई कार्रवाई का विवरण निम्नलिखित है :

(i) बाघों की 3 खालें, तेंदुओं की 50 खालें और साहिबाबाद में ओटर की 5 खालें 18.12.1999 को जब्त की गईं। शिकायत दर्ज करा दी गई है।

(ii) बाघ की 4 खालें, तेंदुओं की 70 खालें, तेंदुओं के 18000 पंजे, बाघों के 132 पंजे, काले हिरण की 221 खालें, खागा में 12.1.2000 को जब्त की गई। न्यायालय में शिकायत दर्ज करा दी गई है।

(iii) तेंदुए की 50 खालें हल्द्वानी में 6.5.2000 को जब्त की गईं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

(iv) तेंदुए की 30 खालें हल्द्वानी में 21.5.2000 को जब्त की गईं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

(v) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 2.2.2001 को दिल्ली में 70 शालें जब्त कीं। इनमें से 26 शुद्ध रूप से शाहतूश की शलें हैं और 44 के बारे में शंका है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कानूनी जांच शुरू की गई।

(vi) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बाघ की एक खाल, बाघ की 5 खोपड़ियां, बाघ के 10 पंजे, बाघ की 23 कि. ग्रा. हड्डियां, बाघ के 3 दांत तथा 4 तेंदुआ खालें 21.3.2001 को नागपुर में जब्त की हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

(घ) वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण संलग्न है।

विवरण

1. राज्य स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) वन्यप्राणियों को उनके शिकार और वाणिज्यिक प्रयोग से बचाने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए अनेक राज्यों में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर समन्वय समितियां स्थापित की गई हैं।

2. राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) भारत सरकार ने वन्य जीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात और व्यापार केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण हेतु क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(ii) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। इंटरपोल की मदद से अवैध शिकार विरोधी प्रयासों का समन्वय किया जा रहा है।

(iii) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास और वन्य जीवों को प्रभावी सुरक्षा देने के लिए राज्यों की क्षमता और ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि के प्रयोजन से संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि–विकास आदि स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है, विशेषकर संगठित अवैध शिकारियों का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक फोर्स तैयार करने और सुरक्षा कर्मियों को हथियार आदि मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। अवैध शिकारियों और तस्करों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने के लिए भी सहायता दी जाती है।

(iv) अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सचिव, पर्यावरण एवं वन, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय समिति गठित की गई है।

(v) निर्यात–आयात नीति के अंतर्गत वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के निर्यात पर प्रतिबंध है।

(vi) राज्य सरकारों के पर्यावरण एवं वन मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 29 और 30 जनवरी, 2001 को आयोजित किया गया था। अवैध शिकार को प्रभावी ढंग से रोकने और संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर, दोनों स्थानों पर प्रवर्तन संबंधी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इस सम्मेलन में मौजूदा सुरक्षा कर्मियों को व्यावहारिक स्वरूप में संगठित करने का संकल्प लिया गया।

(vii) गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए फील्ड फारमेशन्स की मदद करें।

3. **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :**

(i) भारत सरकार वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज़ आफ वाइल्ड फलोरा एंड फाउना (साइट्स) के प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करती है।

(ii) सीमापार व्यापार को नियंत्रित करने के लिए चीन गणतंत्र के साथ एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार करने के लिए टाइगर रेंज देशों का एक विश्व स्तरीय मंच तैयार किया गया है।

बीड़ी कामगार कल्याण कोष

2220. डा. पी. सरोजा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में बीड़ी कामगारों के कल्याण के लिए बीड़ी कामगार कल्याण कोष से कोई अस्पताल खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) तमिलनाडु में तिरूनेलवेली जिले के मुक्कुदल में बीड़ी कामगारों हेतु एक 30 बिस्तरों वाले अस्पताल की मंजूरी प्रदान की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले का निर्यात

2221. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक देश को कितनी मात्रा में कोयले का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे देशवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001–2002 के दौरान कुछ अन्य देशों को कोयले के निर्यात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. ने विगत तीन वर्षों में नेपाल तथा भूटान को कोयला निर्यात किया है। यह निर्यात, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहमति के अनुसार भारतीय मुद्रा में किया जाता है। सीआईएल द्वारा विगत तीन वर्षों में इन दोनों देशों को निर्यात किए गए कोयले की प्रमात्रा नीचे दी गयी है :

(आंकड़े हजार टन में)

वर्ष	नेपाल	भूटान	कुल
1998–1999	30.00	14.06	44.06
1999–2000	55.95	9.51	65.46
2000–2001	35.55	7.17	42.72

(ग) और (घ) वर्तमान में, सीआईएल किसी अन्य देश को 2001–2002 के दौरान कोयले के निर्यात के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

समूह "क" और समूह "ख" सेवाओं में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां

2222. श्री बृजलाल खाबरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के अंतर्गत 1, जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह "क") सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मियों का प्रतिनिधित्व केवल 13.59% है (अनुसूचित जातियां –10.38% और अनुसूचित जनजातियां – 3.21% है) और द्वितीय श्रेणी (समूह "ख") में यह प्रतिनिधित्व केवल 14.41% है (अनुसूचित जातियां–11.73% और अनुसूचित जनजातियां–2.68%) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अंतर्गत (i) प्रथम श्रेणी (समूह "क") और (ii) द्वितीय श्रेणी (समूह "ख") और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96 स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार इन पदों पर (i) सामान्य, (ii) अनुसूचित जातियों, (iii) अनुसूचित जनजातियों और (iv) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खनिजों की खोज करना

2223. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान खनिज खोज के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसके अंतर्गत क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने, पिछले तीन वर्षों के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले हेतु 11 अन्वेषण, स्वर्ण हेतु 6 अन्वेषण, हीरे हेतु 7 अन्वेषण तथा मध्य प्रदेश राज्य में कोयले हेतु 14 अन्वेषण, स्वर्ण हेतु 5 अन्वेषण तथा आधार धातुओं हेतु 5 अन्वेषण किए हैं। मदवार लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नवत् हैं :

मद	लक्ष्य	उपलब्धि
1. विशिष्ट विषयक मानचित्रण (1:25,000)	3025 वर्ग कि.मी.	3073 वर्ग कि.मी.
2. विस्तृत मानचित्रण (1:500/2,000)	8.22 वर्ग कि.मी.	8.80 वर्ग कि.मी.
3. वृहद पैमाना मानचित्रण (1:10,000)	79 वर्ग कि.मी.	63.50 वर्ग कि.मी.
4. टोही सर्वेक्षण (1:25,000)	14760 वर्ग कि.मी.	14278 वर्ग कि.मी.
5. गड्ढे एवं खाई खोदना	3133 घन मी.	2523.63 घन मी.
6. वेधन	19200 मी.	16942.10 मी.

अन्वेषणों से उपरोक्त क्षेत्रों में स्वर्ण अयस्क एवं आधार धातु अयस्क तथा कोयले के निक्षेपों के अतिरिक्त संसाधन होने का अनुमान लगा है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति

2224. श्री अनंत गुढे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रतिवर्ष घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु समिति की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बहुराज्यीय सहकारी समितियां

2225. **श्री रामजी मांझी :**

श्री रघुनाथ झा :

श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं जो सहकारी समितियां, दिल्ली के पंजीयक से पंजीकृत था;

(ख) यदि हां, तो शेयरधारकों में से अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक/सदस्यगणों का नया चुनाव न करने के क्या कारण हैं क्योंकि ऐसा ही मामला राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एन.सी.सी.एफ.) और सुपर बाजार का है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भंडार अथवा एन.सी.सी.एफ. के कार्यकरण की कोई जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या कुछ संसद सदस्यों ने भी केन्द्रीय भंडार/एन.सी.सी.एफ. में होने वाली अनियमितताओं से उन्हें अवगत कराया है, और

(च) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय भंडार की उप विधियों के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाता है। केन्द्रीय भंडार के प्रबंध निदेशक का पद चयनित पद नहीं है। प्रतिनिधियों का चुनाव केन्द्रीय भंडार के उप नियमों के अनुसार किया जाता है।

(ग) से (च) कुछ शिकायतों के आने के कारण केन्द्रीय पंजीकार ने केन्द्रीय भंडार और एन.सी.सी.एफ. का निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं और दोनों निरीक्षण अधिकारियों ने सामग्री को अपने कब्जे में ले लिया है।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा रियायती टिकटें देना

2226. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :**

श्री राम मोहन गाडे :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस विद्यार्थियों और सशस्त्र बलों के कर्मियों को दी जाने वाली टिकटों में थोड़ी रियायत प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी सेवकों को भी थोड़ी रियायत देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस छात्रों तथा सशस्त्र बल के कर्मचारियों को अन्तर्देशीय सैक्टरों पर साधारण श्रेणी में यात्रा करने के लिए 50% की छूट प्रदान करती है।

किरायों में रियायतें निम्नलिखित को भी प्रदान की जाती हैं :–

- जनरल रिजर्व इंजीनियरी फोर्स के सदस्यों तथा उनके परिवार के सदस्यों को।
- युद्ध में अपंग हुए व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को।
- युद्ध विधवाओं को।
- भूतपूर्व सशस्त्र बल कार्मिक जिन्हें वीरता पुरस्कार (लेवल I एवं II) अर्थात परमवीर चक्र/अशोक चक्र तथा महावीर चक्र/कीर्ति चक्र मिला हो।
- अर्ध सैन्यबलों के सदस्य, जो वर्तमान में सेवारत हैं तथा उनके परिवार के सदस्यो को।

- पुलिस कार्मिक जिन्हें शौर्य के लिए राष्ट्रपति की ओर से पदक तथा शौर्य के लिए पुलिस पदक मिला है।
- अशोक तथा कीर्ति चक्र जैसे शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले सिविलियन को।

(ग) से (ङ) इंडियन एयरलाइन्स 30% की छुट्टी यात्रा रियायती छूट प्रदान कर रही है जो इस समय मार्च, 2002 तक उपलब्ध है। केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य सरकारी संगठनों/संस्थानों के कर्मचारी इस छूट को प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। यह छूट अन्तर्देशीय नेटवर्क पर उपलब्ध है लेकिन कुछ चयनित मार्गों पर सीजन एवं यात्रियों की संख्या के स्तर को ध्यान में रखते हुए यह छूट लागू नहीं होती है।

[हिन्दी]

ग्वार की खरीद

2227. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार से समर्थन मूल्य की दर से किसानों से ग्वार की खरीद करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राजस्थान के किसानों को राहत पहुंचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। ग्वार की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है।

(ग) ग्वार की फसल को 2000-01 से राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन.पी.डी.पी.) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। स्कीम के अंतर्गत किसानों को उत्पादन और प्रमाणित बीजों, बीज मिनीकिटों, राइजोबियम कल्चर, छिडकाव सैटों और उन्नत खेती उपस्करों आदि के लिए वितरण के लिए वित्तीय सहायता राज्य सरकार के माध्यम से दी जाती है। इसके अतिरिक्त देश में ग्वार सहित दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों के खेतों में ही पौध संरक्षण प्रौद्योगिकियों और उन्नत उत्पादन के अंतरण के लिए किसानों को प्रशिक्षण और क्षेत्र प्रदर्शन भी आयोजित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

नागर विमानन क्षेत्र के लिए महाविपत्ति आरक्षित कोष

2228. श्री सुबोध मोहिते : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव घरेलू नागर विमानन क्षेत्र के लिए एक अलग महाविपत्ति आरक्षित कोष गन्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागर विमानन क्षेत्र में बीमा कंपनियों द्वारा बीमा प्रीमियम में हाल में की गई बढ़ोत्तरी के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र की नागर विमानन कंपनियों को हो रहे नुकसान की पूर्ति करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय अपनाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यू.एस.ए. में 11 सितम्बर, 2001 को हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप बीमा कंपनियों ने युद्ध, आतंकवाद और इससे संबद्ध अन्य गतिविधियां होने की स्थिति में तीसरे पक्ष की देयता कवर को एक बिलियन अमेरिकी डॉलर तक सीमित कर दिया है और प्रति यात्री 1.25 अमेरिकी डॉलर की दर से अतिरिक्त युद्ध जोखिम बीमा प्रभार लगाया है। हाल ही में बीमा प्रीमियम के भुगतान में हुई वृद्धि एयरलाइनों के पट्टे/वित्तीय समझौते के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षाओं और एयरलाइनों द्वारा वहन किए गए यात्रियों की संख्या के आधार पर अलग-अलग होती है।

(ङ) भारत सरकार ने एअर इंडिया को क्षतिपूर्ति के रूप में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराए हैं जो तीसरे पक्ष की अपेक्षित कवर में हुई कमी के समतुल्य है और यह 30.11.2001 तक बाजार में उपलब्ध है।

[हिन्दी]

पर्यटन को उद्योग का दर्जा

2229. प्रो. रासासिंह रावत : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गई सहायता परियोजना वार कितनी है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने का अनुरोध किया है।

(ख) नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके 309.43 करोड़ रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से 1359 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

(ग) मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अपेक्षा की जाती है कि 30 महीनों की अनुबद्ध समयावधि के भीतर परियोजनाएं पूरी कर लें।

मंत्री द्वारा विदेशी दौरे

2230. श्री उत्तमराव पाटील : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उनके द्वारा दौरा किए गए देशों तथा हस्ताक्षर किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन दौरों पर कितनी राशि खर्च की गई तथा उनसे देश को हुए लाभ का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) नागर विमानन मंत्री ने नागर विमानन में द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए 18-20 मई, 2000 को सिंगापुर की यात्रा की तथापि किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए। इस यात्रा पर 1,73,002/- रु. खर्च हुये।

/अनुवाद/

भविष्य निधि चूक संबंधी मामलों के लिए विशेष न्यायालय

2231. श्रीमती मिनाती सेन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोजक 'अप्रयोज्य' के नाम पर विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों की भविष्य निधि के बकाया भुगतान को रद्द करना जारी रख रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में देश के भविष्य निधि चूककर्त्ताओं के लंबित पड़े मामलों की संख्या कितनी है, और कितने मामलों में अभियोजन कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या भविष्य निधि चूक मामलों के निपटान हेतु विशेष न्यायालय का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कितना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) बकाया राशि को अवसूलनीय मानकर बट्टेखाते में डालने की अनुमति नहीं दी जाती है।

31.3.2001 की स्थिति के अनुसार, 26,207 प्रतिष्ठानों ने बकायों के भुगतान में चूक की है। कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के तहत 74,838 अभियोजन मामले अदालतों में लंबित हैं और भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के तहत 7,723 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के तहत चूककर्ताओं के विरुद्ध विधिक व दांडिक कार्रवाई की जाती है।

भविष्य निधि में चूक संबंधी मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए विशिष्ट न्यायालयों के गठन का प्रावधान नहीं है। किंतु, कार्य की मात्रा के आधार पर कतिपय राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भविष्य निधि में चूक संबंधी मामलों के लिए विशिष्ट न्यायालयों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

आई. सी. ए. आर. में आरक्षित पद

2232. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई.सी.ए.आर., डी.ए.आर.ई. और इसके मुख्यालय तथा देश में चल रहे क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के स्थान-वार तथा केन्द्र-वार क्रमशः कितने-कितने पद हैं;

(ख) यह पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ग) रिक्तियों को अभी तक न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के क्रमशः 6051, 1441 तथा 1886 अधिकारी तथा कर्मचारी हैं जो परिषद की विभिन्न एककों में कार्य कर रहे हैं जैसाकि संलग्न विवरण में दिया गया है। मौजूदा कर्मचारियों में प्रवेश के स्तर पर भर्ती पाने वाले वैज्ञानिकों के मामले के सिवाय अनुसूचित जाति की श्रेणी के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित कोटा प्राप्त कर लिया गया है।

(ख) आरक्षित श्रेणी के रिक्त पद सीधी भर्ती कोटा के अन्तर्गत आते हैं तथा अगस्त, 1999 से ये पद खाली पड़े हैं।

(ग) उपयुक्त उम्मीदवार न मिल पाने के कारण आरक्षित श्रेणी के पद भर पाना संभव नहीं हो पाया है।

(घ) आरक्षित श्रेणी में खाली पदों/पिछले इकट्ठे पड़े रिक्त पदों (बैकलॉग) को भरने के लिए परिषद भारत सरकार के अनुदेशों का पालन करती है। वैज्ञानिक श्रेणी के संबंध में पिछले इकट्ठे रिक्त पड़े पदों (बैकलॉग) को भरने के लिए वर्ष 1997, 1998 तथा 1999 में तीन विशेष भर्ती अभियान चलाए गए।

विवरण

क्रम सं.	संस्थान का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की कुल संख्या		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग
1	2	3	4	5
1.	सी.आर.आई.डी.ए, हैदराबाद	61	12	5
2.	आई.आई.एस.आर., लखनऊ	83	8	100
3.	सी.एस.एस.आर.आई., करनाल	103	16	12
4.	आई.आई.पी.आर., कानपुर	54	7	2
5.	एन.सी.आई.पी.एम., पूसा, नई दिल्ली	13	2	9
6.	एन.बी.ए.जी.आर., करनाल	13	1	3
7.	सी.आर.आर.आई., कटक	133	90	33
8.	एन.आई.ए.एन.पी., बंगलौर	3	0	0
9.	आई.ए.एस.आर.आई., नई दिल्ली	95	12	21
10.	सी.टी.सी.आर.आई., तिरुअन्नतपुरम	46	14	44
11.	एन.बी.पी.जी.आर, पूसा, नई दिल्ली	90	19	12
12.	सी.ए.जैड.आर.आई., जोधपुर	169	78	42
13.	डी.एम.आर., नई दिल्ली	6	1	1
14.	सी.पी.आर.आई., शिमला	164	30	22
15.	पी.डी.बी.सी., बंगलौर	13	4	6
16.	सी.एम.एफ.आर.आई., कोचीन	225	54	146
17.	पी.डी. ऑन पोल्ट्री, हैदराबाद	9	1	0
18.	आई.सी.ए.आर. रिसर्च कॉम्पलैक्स, गोवा	12	0	5

1	2	3	4	5
19.	सी.पी.सी.आर.आई., कासरगोड	126	44	77
20.	सी.आई.ए.ई., भोपाल	91	66	7
21.	सी.टी.आर.आई.	110	17	49
22.	आई.ए.आर.आई., नई दिल्ली	803	123	162
23.	एन.आर.सी.सी., पुत्तूर	8	11	8
24.	एन.आर.सी.एम., सोलन	16	3	3
25.	एन.आर.सी.ए.एच., बीकानेर	9	5	2
26.	एन.आर.सी.ई., हिसार	20	1	6
27.	एन.आर.सी.सी.एफ., भीमताल	9	2	4
28.	एन.आर.सी.ओ.पी., इलूरू	13	3	4
29.	एन.डी.आर.आई., करनाल	445	50	89
30.	आई.आई.एस.एस., भोपाल	7	6	1
31.	पी.डी.सी., मोदीपुरम, मेरठ	8	3	3
32.	डी.डब्ल्यू.आर., करनाल	35	4	6
33.	सी.एस.डब्ल्यू.आर.आई., अविकानगर	124	48	5
34.	सी.आई.टी.एच., श्रीनगर	11	6	3
35.	एन.सी.ए.पी., नई दिल्ली	1	1	1
36.	सी.आई.एफ.टी., कोच्चि	81	29	111
37.	पी.डी.वी.आर., वाराणसी	27	3	11
38.	डी.ओ.आर., हैदराबाद	34	6	36
39.	सी.आर.जे.ए.एफ, बैरकपुर	92	16	1
40.	सी.आई.बी.ए., चेन्नई	43	7	52
41.	सी.आई.आर.बी., हिसार	45	1	0
42.	वी.पी.के.ए.एस., अल्मोड़ा	41	4	7
43.	डी.डब्ल्यू.एम.आर., पटना	6	2	8
44.	पी.डी.सी.एस.आर., मोदीपुरम	12	0	1
45.	आई.आई.एस.आर., कालिकट	35	2	7
46.	सी.ए.आर.आई., इज्जतनगर	45	9	25
47.	सी.एस.डब्ल्यू.सी.आर.टी. एंड आई, देहरादून	144	40	43

1	2	3	4	5
48.	एन.आर.सी.ओ.जी., पूना	3	3	5
49.	आई.एल.आर.आई., रांची	28	74	56
50.	एन.आर.सी.सी., नागपुर	16	7	15
51.	एन.आर.सी.जी., जूनागढ़	22	6	12
52.	एन.बी.एफ.जी.आर., लखनऊ	14	7	15
53.	एस.बी.आई., कोयम्बटूर	60	13	41
54.	एन.आर.सी.एम.ए.पी., आनन्द, गुजरात	6	1	6
55.	डी.आर.आर., हैदराबाद	28	9	9
56.	एन.आर.सी.जी., पूना	7	1	3
57.	एन.आर.सी.सी., बीकानेर	16	4	4
58.	एन.आर.सी.आर.एम., भरतपुर	4	3	7
59.	एन.आर.सी.ए.एफ., झांसी	10	5	8
60.	एन.आर.सी.वाई., दिरांग	4	17	2
61.	महिलाओं पर एन.आर.सी., भुवनेश्वर	1	1	0
62.	एन.आर.सी.बी., त्रिची	12	2	19
63.	सी.ए.आर.आई., पोर्ट ब्लेयर	20	24	6
64.	सी.एफ.एफ.ए., भुवनेश्वर	86	17	13
65.	एन.आर.सी., सोयाबीन, इंदौर	8	14	5
66.	डब्ल्यू.टी.सी.ई.आर., भुवनेश्वर	6	10	2
67.	एन.आर.सी.ओ., पाकियंग, सिक्किम	4	5	3
68.	एन.आर.सी.डब्ल्यू.एस., जबलपुर	12	11	3
69.	आई.आई.एच.आर., बंगलौर	141	77	17
70.	सी.आई.सी.आर., नागपुर	106	34	18
71.	एन.आई.आर.जे.ए.एफ.टी., कलकत्ता	56	2	3
72.	ज्वार पर एन.आर.सी., हैदराबाद	45	4	35
73.	एन.आर.सी.ए., झरनापानी	1	10	2
74.	आई.वी.आर.आई., इज्जतनगर	739	58	236
75.	सी.आई.पी.एच.ई.टी., लुधियाना	18	0	11
76.	आई.जी.एफ.आर.आई., झांसी	137	13	27

1	2	3	4	5
77.	एन.बी.एस.एस. एंड एल.यू.पी., नागपुर	106	30	19
78.	सी.आई.आर.सी.ओ.टी., मुम्बई	66	18	4
79.	सी.आई.सी.एफ.आर.आई., बैरकपुर	126	22	9
80.	सी.आई.एफ.ई., मुम्बई	52	22	1
81.	सी.आई.आर.जी., मथुरा	44	4	24
82.	एन.आर.सी., ऑन मीट, इज्जतनगर	29	10	3
83.	आई.सी.ए.आर., मुख्यालय	173	41	28
84.	क्षेत्रीय समन्वयन एकक	111	1	20
		6051	1441	1886

अनुसूचित जाति – 6051. अनसूचित जनजाति – 1441
अन्य पिछड़े वर्ग – 1886, कुल योग – 9378

[हिन्दी]

मछली के अण्डों का उत्पादन

2233. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अपक्षारीय जल में मछली के अंडों का उत्पादन करने के लिए महाराष्ट्र को कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) इस संबंध में चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना अहमदनगर जिले में शुरू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान अलवणीय जल में मत्स्य अंडों के उत्पादन के लिए महाराष्ट्र सरकार को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

2234. श्री पी.आर. खूंटे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबंधित कानूनों का पुनर्निर्माण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) सरकार का कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का पुनर्निर्माण करने का इरादा नहीं है। तथापि, कार्यचालन कठिनाइयों तथा कमजोरियों के साथ–साथ कुछेक हितलाभों के प्रशासन में कतिपय शर्तों को उदार बनाने के लिए कुछ संशोधन प्रक्रियाधीन हैं।

खनन गतिविधि से पर्यावरण को क्षति

2235. श्री रामशकल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में खनन कार्यों से गत कई वर्षों से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां ऐसा खनन कार्य चल रहा है और कौन–सी कम्पनियां खनन कार्य कर रही हैं जिससे पर्यावरण नष्ट हो रहा है; और

(ग) ऐसी प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

/अनुवाद/

पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना

2236. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत इएसआई में कार्यरत डॉक्टरों और नर्सों को स्वास्थ्य सेवा महा–निदेशक के दिशा–निर्देशों के समतुल्य लाने के लिए ई.एस.आई. में पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ई.एस.आई. के अंतर्गत कार्यरत डायटिशियन के मामले में उक्त मानदंड अपनाया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ङ) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित वेतनमान 01.01.96 से कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों पर पहले ही लागू कर दिए गए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में डायटिशियन की पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा यथा सिफारिश किए गए पूर्व संशोधित वेतनमान के आधार पर सामान्य एवजी वेतनमान प्रदान कर दिया गया है।

मक्का अनुसंधान निदेशालय, पूसा

2237. डा. रमेश चंद तोमर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत मक्का अनुसंधान निदेशालय पूसा द्वारा इसके स्थापना काल से वास्तविक और वित्तीय संदर्भ में वर्षवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और इसमें इसने कितनी उपलब्धि प्राप्त की;

(ख) परियोजना को पूरा करने के लिए मूलतः क्या समय–सीमा निर्धारित की गई और अब इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ग) परियोजना के पूरा होने के बाद नैमित्तिक/ठेके के आधार पर इसमें लगाए गए कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) मक्का अनुसंधान निदेशालय (डी एम आर) की स्थापना 1994 में हुई थी। मक्का अनुसंधान निदेशालय के उद्देश्य और भौतिक और वित्तीय शर्तों के अधीन इस निदेशालय के आरम्भ से हुई उपलब्धियों के वर्षवार ब्यौरे विवरण–I और विवरण–II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) मक्का अनुसंधान निदेशालय (डी एम आर) एक समयबद्ध परियोजना नहीं है बल्कि एक नियमित 'प्लान' स्कीम है और इसके अनुसंधान कार्यक्रमों को इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजना–वार आधार पर स्वीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, निदेशालय अनेक समयबद्ध अनुसंधान परियोजनाओं को भी कार्यान्वित करता है और इसमें ठेके पर लगाया गया स्टाफ पूरी तरह से अस्थायी आधार पर, और रोजगार की आवश्यकताओं या ठेके की निर्धारित शर्तों के अनुसार है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/मक्का अनुसंधान निदेशालय का इस प्रकार ठेके पर रखे गए मजदूरों के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

विवरण-I

मक्का अनुसंधान निदेशालय (डी आर एम के उद्देश्य)

(क) जननद्रव्य वृद्धि से संबंधित आधारभूत तथा योजनाबद्ध अनुसंधान कार्य शुरू करना जैसे अजैविक तथा जैविक दबावों के प्रति सहिष्णु, गुणवत्ता सुधार, विशिष्ट उपयोग आदि।

(ख) अंतःविषय अनुसंधान क्रियाकलापों को निम्नानुसार समन्वित करना।

(i) अधिक पैदावार के लिए आनुवंशिक सुधार, गुणवत्ता और जैविक और अजैविक दबावों की सहनशीलता के लिए योजनाबद्ध अनुसंधान शुरू करना।

(ii) उत्पादकता को बढ़ाने के लिए दक्ष कृषि क्रियाओं का विकास।

(iii) उद्योग और अन्य क्षेत्रों के लिए विविध उपयोग हेतु मक्के की 'टेलरिंग'।

(ग) मक्के के समग्र विकास के लिए इससे संबंधित क्रियाकलाप आयोजित करना, जैसेकि प्रशिक्षण कार्यक्रम खेत पर अनुसंधान, अग्रिम पंक्ति के प्रदर्शन आदि।

(घ) भारत या विदेशों में जरूरतमंद एजेन्सियों/संगठनों को मक्का अनुसंधान और विकास से संबंधित कार्यक्रम और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना और इनको हाथ में लेना।

(ङ) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों/संगठनों के साथ

मक्का अनुसंधान और विकास पर प्रभावकारी सहयोगी कार्यक्रम विकसित करना।

उपलब्धियां

1994 में अपने प्रारम्भ होने के वर्ष से मक्का अनुसंधान निदेशालय ने देश की विभिन्न कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों में खेती के लिए 16 संकरों और 6 सम्मिश्रों को रिलीज किया है। इन कल्टीवरों की खेती से उत्पादन वर्ष 1994 में 1493 कि.ग्रा./प्रति है. से बढ़कर वर्ष 2001 से 1806 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर हो गया है। कुल उत्पादन में भी वृद्धि हुई है जो वर्ष 1994 में 9.1 मिलियन टन थी वह बढ़कर वर्ष 2001 में 11.9 मिलियन टन हो गया है, जो कि उल्लेखनीय है। पोषकीय दृष्टि से बढ़िया गुणवत्ता वाली प्रोटीनयुक्त संकर मक्का के विकास पर विशेष बल दिया गया। तदनुसार इकहरे संकरित संकर शक्तिमान–I और शक्तिमान–II जारी किए गए। जारी की गई किस्मों/संकरों का विवरण अनुबंध–II में दिया गया है।

वित्तीय आबंटन और व्यय

आठवीं योजना की अवधि के दौरान मक्का अनुसंधान निदेशालय के लिए अलग से आबंटन स्वीकृत नहीं किया गया था क्योंकि इस निदेशालय का बजट भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के लिए आबंटित कुल बजट में से ही पूरा किया गया। मक्का अनुसंधान निदेशालय के लिए परिषद से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान भेजी गई वर्षवार राशि तथा निदेशालय द्वारा आठवीं योजना अवधि के दौरान भेजी गई राशि में से खर्च की गई राशि का ब्यौरा तालिका–I में दिया गया है। नौवीं योजना के दौरान आबंटन और वर्षवार खर्च नीचे दी गई तालिका–2 में दिया गया है :

आबंटन और खर्च (रुपये करोड़ में)

आठवीं योजना (तालिका-1)

वर्ष	परिषद से भेजी गई राशि	खर्च
1994-95	0.40	0.30
1995-96	1.44	0.76
1996-97	2.90*	2.85*

* अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना शामिल है

नौवीं योजना (तालिका-2)

वर्ष	आबंटन	खर्च
1997-98	1.57	1.57
1998-99	1.07	1.07
1999-2000	1.17	0.96
2000-2001	1.26	1.26
2001-02	2.06 (ब.आ.)	

विवरण-II

मक्के की जारी/अधिसूचित संकर किस्में (1994-2001)

क्र.सं.	संकर किस्म का नाम (पैतृक वंश सहित)	दाने का रंग एवं आकार	जारी करने का वर्ष	मौसम	औसत पैदावार कि./है.	अंगीकरण के क्षेत्र	बीज उपलब्धता के स्रोत
1	2	3	4	5	6	7	8
पूरे मौसम में उगाई जाने वाली संकर किस्म							
1.	राजेन्द्र संकर मक्का–1	चमकदार सफेद	1994	रबी	4500–5000	बिहार	धोली/आर. ए.यू.
2.	राजेन्द्र संकर मक्का–2	चमकदार सफेद	1996	रबी	4500–5000	बिहार	धोली/आर. ए.यू.
3.	पारस	हल्का चमकीला संतरी	1996	खरीफ	4500–5000	पहली संकर किस्म पंजाब, दिल्ली हरियाणा के लिए जारी की गई	पी.ए.यू. लुधियाना

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	धारवाड़ मक्का–1	चमकदार संतरी पीला	1996	खरीफ	4500–5000	कर्नाटक के लिए संस्तुति की गई	यू.ए.एस. धारवाड़
अगेती संकर किस्में							
5.	डी एच एम 109	हल्की चमकीली पीली	1994	खरीफ	2500–3500	1, 111, V सिंचित आंध्र प्रदेश, असम, बिहार गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक	एन एस ,सी/ए पी एस एस डी सी/ के एस एस डी सी
6.	हिम 129	पीला चमकदार	1997	खरीफ	2500–3500	जोन I से V (असम, गुजरात, हि.प्र., जम्मू व कश्मीर, म.प्र., राजस्थान, उ.प्र., उ.पू. राज्य	अल्मोड़ा / एन एस सी
7.	प्रकाश	पीला चमकदार	1997	खरीफ	2500–3500	बारानी परिस्थितियों के अंतर्गत बेबीकॉर्न के लिए उपयुक्त, पूरे देश में उगाने के लिए संस्तुति की गई	पी ए यू, लुधियाना
8.	पूसा अगेती संकर मक्का–1	चमकदार पीला	1997	खरीफ	2500–3500	जोन IV (आं.प्र. तमिलनाडु, कर्नाटक), जोन V (राजस्थान, म.प्र., गुजरात) कम उर्वरक स्तर पर अच्छा निष्पादन	महाराष्ट्र बीज निगम/एन एस सी
9.	पूसा अगेती संकर मक्का–2	चमकदार संतरी पीला	1997	खरीफ	2500–3500	जोन IV (आं.प्र.तमिलनाडु, कर्नाटक), जोन V (राजस्थान, म.प्र., गुजरात) कम उर्वरक स्तर पर अच्छा निष्पादन	महाराष्ट्र बीज निगम/एन एस सी
10.	विवेक संकर–4	हल्का पीला	1999	खरीफ	2500–3000	राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश	वी. लैब. अल्मोड़ा / एन एस सी
11.	प्रकाश	हल्का पीला	1997	खरीफ	2500–3500	खरीफ मौसम के लिए पूरे देश में	पी. ए. यू.
मक्का कम्पोजिट/ क्यू. पी. एम. संकर किस्में जारी / अधिसूचित (1994–2001)							
कम्पोजिट							
12.	माही कंचन	चमकदार पीला	1995	खरीफ	2500–3500	राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश	एन एस सी/ आर. ए. यू.

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	मेघा	चमकदार पीला	1994	खरीफ	2500–3500	पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा	पी. ए. यू. लुधियाना
14.	सी 6	चमकदार पीला	1994	खरीफ		जम्मू एवं कश्मीर	
15.	सी 8	चमकदार पीला	1994	खरीफ		जम्मू एव कश्मीर	
16.	सी 15	चमकदार पीला	1994	खरीफ		जम्मू एवं कश्मीर	
	गुणवत्ता प्रोटीन युक्त मक्का	(क्यू. पी. एम.)					
1.	शक्ति–1	चल्की आधारित चमकदार संतरी	1997	रबी तथा खरीफ के लिए		देश भर में । उच्च लाइसिन और ट्रिप्टोनफेन वाले सामान्य आकार के सख्त इंडोस्पर्म वाले होने के कारण बच्चों/ अनुसूचित जनजातियों आदि को पोषकीय आहार देने के साथ–साथ बाल आहार जैसे औद्योगिक उत्पाद तैयार करने में सहायता करते हैं।	डी एम आर/ एन एस सी
2.	शक्तिमान–1		2001			बिहार एवं उत्तर प्रदेश	
3.	शक्तिमान–2		2001			उत्तर प्रदेश	

[हिन्दी]

बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदला जाना

2238. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में अलवर जिले के किसानों ने खेतों में छोटी–छोटी क्यारियां बनाकर उनमें वर्षा जल संचयन की विधि से बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलने का काम किया है;

(ख) पूरे देश में इस विधि को लोकप्रिय बनाने में केन्द्र सरकार का कितना योगदान है;

(ग) क्या वर्षा जल संचयन की विकसित तकनीक के अभाव में देश में प्रतिवर्ष भारी मात्रा में वर्षा जल बर्बाद होता है; और

(घ) राजस्थान में जल संसाधन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा कितनी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) वर्षा जल संरक्षण और संचयन पनधारा विकास कार्यक्रमों का एक अनिवार्य घटक है जिसे समग्र देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। विभिन्न कृषि–पारिस्थितिकीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पनधारा विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्षा जल संचयन के लिए स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) राजस्थान में जल संसाधन बढ़ाने के लिये भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित स्कीमें निम्न प्रकार से हैं :

1. वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.)।
2. नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ संभावित नदियों (आर.वी.पी. और एफ.पी.आर.) के अपवाहों में अवनत भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण।

3. रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)।

4. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)।

5. समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)।

6. समेकित वनरोपण और पारिस्थितिकीय विकास परियोजना स्कीम (आई.ए.ई.पी.एस.)।

7. रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.)।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण

2239. श्री ए.के.एस. विजयन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभाग/अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालय, सरकारी क्षेत्र और स्वायत्तशासी संगठन/निगम सरकार के निर्देशों का उचित पालन सुनिश्चित करने हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के संपर्क अधिकारियों का नामांकन नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उन संगठनों/कार्यालयों की कुल संख्या कितनी है जो "प्रशासनिक इकाई" के रूप में कार्य करते हैं और उनके मंत्रालय के अंतर्गत प्रतिष्ठान और कर्मचारियों संबंधी मामले को निपटाते हैं; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार उक्त उल्लिखित संदर्भ के लिए कुल कितने संपर्क अधिकारी नामांकित किए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए संपर्क अधिकारियों का नामांकन इस मंत्रालय (मुख्यालय), इसके अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन में किया गया है।

(ख) उपरोक्त 'क' के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तीन यानि मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालय के लिए एक प्रशासनिक यूनिट तथा मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्वायत्तशासी संगठन के लिए एक-एक।

(घ) तीन।

नवी मुम्बई के लिए हवाई अड्डा परियोजना

2240. श्रीमती निवेदिता माने : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के नवी मुम्बई में कोपार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना का प्रस्ताव जिसकी अनुमानित लागत 11,000 करोड़ रु. है, स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ख) परियोजना की वास्तविक स्थिति क्या है और इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की आशा है;

(ग) क्या उनका मंत्रालय महाराष्ट्र के नागपुर में एयर कार्गो केन्द्र परियोजना स्थापित करने के बारे में विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार का नवी मुम्बई में एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने की योजना है। महाराष्ट्र सिटी और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीआईडीसीओ) ने इस संबंध में तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है जिसकी जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में कार्गो और यात्रियों के लिए मल्टी-मॉडल अंतर्राष्ट्रीय हब हवाई अड्डा (मल्टी मोडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट) की योजना तथा उसका विकास करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) ने प्रस्तावित केन्द्र के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन करने हेतु मैसर्स रैमबोल इंजीनियर्स लिमिटेड को नियुक्त किया है जिसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी है। प्रस्ताव इस समय प्रारंभिक अवस्था में है।

टोही विमानों से इंडियन एयरलाइंस को खतरा

2241. श्री कमलनाथ : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अक्टूबर, 2001 के हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली में *आई. ए. फेसेज स्पाई प्लेन हजर्ड* शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा मुम्बई वायु यातायात नियंत्रक प्राधिकारियों को निकटस्थ *एयर मिस* की औपचारिक रिपोर्ट स्वीकार

न करने का निर्देश दिया गया था और विमान चालक ने भारतीय एयरलाइंस उड़ान सुरक्षा विभाग में केवल मौखिक शिकायत ही दर्ज की थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निरोधात्मक कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 19 सितम्बर, 2001 को मस्कट से कोचीन जा रही इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या आईसी–974 ने एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें बताया गया था कि उड़ान के दौरान यातायात टक्कर परिहार्य प्रणाली सक्रिय हो गई और ज्यादा ऊपर जाने की सलाह दी गई। पायलट ने इसका पालन किया। इसका मतलब था कि पास में ही कोई और विमान हो सकता है। उड़ान के कमान्डर से रिपोर्ट मिली कि विमान टक्कर होते–होते बच गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

/हिन्दी/

राष्ट्रीय वेतन नीति

2242. श्री चिंतामन वनगा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के क्रम में एक राष्ट्रीय वेतन नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पुरुषों और महिलाओं के लिए एक समान वेतन नीति बनाए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) मूल्य, रोजगार उत्पादकता, सामाजिक न्याय और पूंजी निर्माण जैसे मुद्दों के साथ–साथ अर्थ–व्यवस्था की ढांचागत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय वेतन नीति के निर्धारण पर विचार नहीं किया गया है। इसके कारण कार्य के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, संशोधन और प्रवर्तन की व्यवस्था है और नियोजन में पुरुष व महिला कर्मकारों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

सरकार द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 नामक विधान अधिनियम किया गया है जिसमें महिला कर्मकारों को वही कार्य या उसी प्रकृति के कार्य के लिए समान मजदूरी का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। अधिनियम में पुरुष व महिला कर्मकारों में भेदभाव किए जाने पर अधिनियम के सांविधिक उपबंधों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/कैद का प्रावधान है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आबंटित निधि

2243. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आबंटित की गई निधियों का वर्ष–वार (वित्तीय वर्ष–वार) ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने में विफल रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विभाग को जनोन्मुखी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को आबंटित योजना निधि नीचे दी गई हैं :

वर्ष	(राशि करोड़ रुपये में)
1998-99	30.00
1999-2000	40.00
2000-2001	50.00

(ख) से (घ) जी, नहीं। सरकार ने देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहल की हैं। उनमें से कुछ निम्न हैं जिनसे स्पष्ट संकेत मिलता है कि मंत्रालय जनोन्मुखी है।

(i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत निजी उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, मानव संसाधन विकास संस्थानों आदि को प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ii) बैंक उधार हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्राथमिकता क्षेत्र की सूची में शामिल किया गया है।

(iii) अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को, उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के दायरे से बाहर रखा गया है।

(iv) अल्कोहल और बीयर एवं घरेलू उद्योग क्षेत्र में आरक्षित पदार्थों को छोड़कर, अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए ऑटोमैटिक रूट में विदेशी इक्विटी हेतु अनुमोदन प्राप्त हैं।

(v) बजट 2001-2002 में प्रसंस्कृत फलों एवं सब्जियों के उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

(vi) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति तैयार करने के लिए कार्यवाही शुरू की है और इस उद्देश्य से नीति का प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुकूल माहौल तैयार करना, बुनियादी सुविधाओं का विकास, खेत स्तर पर लिंकेज की स्थापना आदि शामिल हैं।

तिलहनों की खरीद

2244. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 5 लाख टन तिलहनों की खरीद का निर्णय लिया है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान तिलहनों का कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ग) क्या अधिक उत्पादन होने की दशा में सरकार का विचार अधिक मात्रा में तिलहनों की खरीद करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने तिलहनों के खरीद मूल्य की घोषणा कर दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो तिलहनों के खरीद मूल्य की घोषणा कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान तिलहनों का लक्षित अनुमानित उत्पादन लगभग 280 लाख मी. टन है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, यदि तिलहनों का प्रचलित बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आ जाता है तो सरकारी एजेंसियां मूल्य समर्थन स्कीम के तहत अधिप्राप्ति का कार्य करेंगी।

(ङ) जी, हां।

(च) भारत सरकार ने वर्तमान वर्ष के दौरान मूल्य समर्थन स्कीम के तहत विभिन्न तिलहनों के लिये निम्नलिखित न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है; ब्यौरा निम्नवत है :

क्रम सं.	जिंस	एम.एस.पी. (रु. प्रति क्विंटल)
1.	तोरिया/सरसों	1200
2.	कुसुम बीज	1200
3.	मूंगफली (छिलका सहित)	1340
4.	सोयाबीन (पीली)	885
	(काली)	795
5.	सूरजमुखी बीज	1185
6.	तिल बीज	1400
7.	रामतिल	1100
8.	कोपरा (मिलिंग)	3300
	(बॉल)	3550

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास

2245. श्रीमती शीला गौतम :

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त पर्यटन विकास संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) नौवीं योजना के दौरान राज्य की स्वीकृत परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ग) सरकार ने कौन–कौन से प्रस्तावों को स्वीकृत/अस्वीकृत किया और परियोजना–वार कितनी निधियां आबंटित की गई हैं; और

(घ) लम्बित पड़े प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासनों को उनके साथ प्रतिवर्ष विचार–विमर्श कर प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। नौवी योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए 92 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत प्रस्तावों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
1997-98	13	221.10
1998-99	33	789.55
1999-2000	30	749.58
2000-2001	16	149.21

कुल मिलाकर किसी वर्ष विशेष के दौरान जिन परियोजनाओं को मंजूरी नहीं मिल पाती है उन परियोजनाओं पर अगले वित्तीय वर्ष के दौरान प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी हेतु पुनः विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

मुम्बई हवाई अड्डे पर पक्षियों के टकराने से दुर्घटना

2246. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई हवाई अड्डे पर विमानों से पक्षियों के टकराने के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) पक्षी टकराने की वजह से मुम्बई हवाई अड्डे पर कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई है। तथापि, पिछले वर्ष 2000 में पक्षी टकराने की 28 घटनाओं की तुलना में चालू वर्ष (आज की तारीख तक) के दौरान विमान से 23 पक्षी टकराने की घटनाएं दर्ज की गई हैं।

(ख) हवाई क्षेत्रों के चारों ओर सर्वेक्षण किए जाते हैं और पक्षियों को आकृष्ट करने वाले स्रोतों की रोक थाम के लिए हवाई क्षेत्र पर्यावरण प्रबंधन समिति द्वारा उचित कदम उठाए जाते हैं। इसके अलावा, पक्षियों को भगाने और हवाई क्षेत्रों के भीतर पक्षियों को आकृष्ट करने वाले स्रोतों को हटाने संबंधी सतत् प्रयास किए जाते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण

2247. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अपनी शैक्षणिक प्रबंधकीय, तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं में सुधार लाने के लिए अधिकारियों को प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु चयनित/प्रायोजित/नामनिर्दिष्ट/तैनात करती है जबकि कुछ मामलों में ऐसे प्रशिक्षण की लागत प्रायोजक देशों/एजेंसियों द्वारा द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत वहन की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उनके मंत्रालय के कितने व्यक्तियों को लघु/दीर्घ अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए भेजा गया;

(ग) इनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित थे और उनका प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या विदेशों में प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों के चयन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) सरकार, प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों का चयन/प्रायोजन/नामनिर्देशन/प्रतिनियुक्ति करती है जिनका खर्च द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत आने वाले देशों/एजेंसियों द्वारा वहन किया जाता है।

(ख) गत तीन वर्षों में केवल एक अधिकारी ने वर्ष 1999 में अल्पावधि प्रशिक्षण किया है।

(ग) एक (अनुसूचित जाति), 100%।

(घ) जी, हां।

(ङ) संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित "लघु उद्योग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण" नामक–टी.सी.डी.सी. कार्यक्रम में भाग लेने के वास्ते नवम्बर, 1999 में अनुसूचित जाति के एक अधिकारी को श्रीलंका भेजा गया।

[हिन्दी]

नैफेड द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य

2248. श्रीमती हेमा गमांग : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को उनके कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने हेतु नैफेड को सक्रिय भूमिका निभाने के निदेश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या नैफेड का विचार इस वर्ष विभिन्न राज्यों विशेषकर उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किसानों की रबी की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत सरकार मुख्य कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। मूल्य समर्थन योजना के अधीन तिलहनों और दलहनों की खरीद के लिए नैफेड एक शीर्ष एजेन्सी है। यदि उनके मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर जाएं और क्वालिटी इस प्रयोजन के लिये निर्धारित अच्छी औसत किस्म की हो तो नैफेड उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश राज्यों सहित देश में इन जिंसों की खरीद करेगा।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

समुद्र तटों पर भूमि का कटाव

2249. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : क्या जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समुद्र तटों पर भूमि के कटाव को नियंत्रित करने हेतु 1275 करोड़ रुपये व्यय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य हेतु कर्नाटक सरकार को अभी तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) केन्द्रीय जल आयोग ने तटवर्ती राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 1275.74 करोड़ रुपए की लागत वाली एक समेकित राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना (एन.सी.पी.पी.) तैयार की है। तटवर्ती राज्यों के प्रस्तावों में संशोधन के कारण इन प्रस्तावों में संशोधन किया जा रहा है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा संशोधित समेकित राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना (एन.सी.पी.पी.) को अंतिम रूप देने के वास्ते सभी प्रकार से पूर्ण संशोधित प्रस्ताव भागीदार तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए जाने हैं। ये अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) चूंकि राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना तैयारी की प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए इस कार्य के वास्ते कर्नाटक सरकार को किसी राशि के आबंटन का प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अधिकारियों की विदेशों में तैनाती

2250. श्रीमती रीना चौधरी :

श्री राजो सिंह :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उनके मंत्रालय के कुछ अधिकारियों को विदेश भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अधिकारियों को नियमों और निदेशों का उल्लंघन करके तैनात किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेश स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

पद	1998	1999	2000
क्षेत्रीय निदेशक	02	00	01
निदेशक	04	01	01
सहायक निदेशक	04	01	04
सूचना सहायक	00	00	02

(ग) जी, नहीं। विदेश स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती विभाग द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के आधार पर ही की जाती है। जो अधिकारी और कर्मचारी दिशा–निर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदण्ड को पूरा करते हैं, उन्हें ही विदेश स्थित कार्यालयों में तैनात किया जाता है। तथापि, स्थिति के अनुसार माननीय मंत्री महोदय की स्वीकृति से निर्धारित दिशा–निर्देशों में छूट देते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को विदेशों में तैनात किया जाता है। किन्तु ऐसा अपवादस्वरूप में ही किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तिलहन का उत्पादन

2251. डा. सी. कृष्णन :

श्री वैको :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नैफेड तथा अन्य एजेन्सियों को कोई धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बाजार में तिलहनों की आपूर्ति तथा मांग के बीच अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या किसानों का अन्य नकदी फसलों की तरफ ध्यान जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) लि. न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर तिलहनों की खरीद करने के लिये केन्द्रीय नोडल एजेंसी है। राज्यों के कृषि विभाग तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये क्रियान्वयनकारी एजेंसियां हैं, जिनको तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत धनराशि सीधे निर्मुक्त की जाती है। राज्यों को अन्य एजेन्सियों जैसे राज्य तिलहन उत्पादक संघों, राज्य बीज निगमों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य सहकारी संगठनों को शामिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रजनक बीजों के उत्पादन और अग्रणी प्रदर्शन आयोजित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भी निधियां प्रदान की जाती हैं।

(ग) तिलहनों/खाद्य तेलों के उत्पादन के देश आत्म निर्भर नहीं है और मांग तथा आपूर्ति के बीच अन्तर रहता है जिसे खाद्य तेलों के आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। देश में तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, 28 राज्यों में 408 चुनिन्दा जिलों को कवर करते हुए एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को राजसहायता के रूप में विभिन्न प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ताकि वे बड़े पैमाने पर तिलहनों की खेती के लिए प्रोत्साहित हों। हाल ही में, विभिन्न तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की गई है ताकि किसान इन फसलों का बडे पैमाने पर उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित हों।

(घ) तिलहनों के स्थान पर अन्य नकदी फसलें उगाए जाने के बारे में किसी राज्य से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है परन्तु मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण तिलहन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र में कमी का रुख दिखाई दिया है।

(ङ) तिलहन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र को और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्ष 2000-2001 से तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत राजसहायता के जरिए वित्तीय सहायता बढ़ाई गई है और बाजार में मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर से नीचे गिरने पर नैफेड द्वारा मूल्य समर्थन कार्य के अंतर्गत तिलहनों की खरीद की जाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में वित्तीय अनियमितता

2252. श्री रघुनाथ झा :

श्री महबूब जहेदी :

श्री अनिल बसु :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कार्यालय भवन/कर्मचारी आवास के निर्माण तथा भूमि के अधिग्रहण के मामले में कई करोड़ों रुपयों की वित्तीय अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में पाम की खेती

2253. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में पाम की खेती की अपार संभावनाओं को देखते हुए वहां विद्यमान पाम खेती में विस्तार करने का है;

(ख) इस समय अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में कुल कितने क्षेत्र में पाम की खेती होती है;

(ग) क्या संघ सरकार के पास पाम की खेती के लिए एक प्रमुख परियोजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव लम्बित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। 1986 में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा लगाई गई रोक को दृष्टिगत रखते हुए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विद्यमान पाम की खेती का विस्तार अभी संभव नहीं है।

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पाम की खेती के अंतर्गत वर्तमान में कुल क्षेत्र 1593 हैक्टेयर है।

(ग) जी, नही।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिमी राजस्थान में जल स्रोत

2254. श्री वैको : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वैज्ञानिकों ने थार मरुस्थल में पश्चिमी राजस्थान में 107 कि.मी. लंबी जल स्रोत पट्टी का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जल के इस स्रोत का सदुपयोग करने के कोई प्रयास किये गये हैं;

(ग) इससे किस सीमा तक राज्य को लाभ होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार थार मरुस्थल के सूखा प्रवण क्षेत्रों में जल दोहन सहित इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय अध्ययन दल गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) आज तक किए गए भू–जल अन्वेषण से थार मरुस्थल के भागों में अत्यधिक ताजा भू–जल होने का पता चला है।

(ख) भू–जल का उपयोग जल आपूर्ति एवं सिंचाई उद्देश्यों के लिए भी किया जा रहा है। दिनांक 01.01.2001 को भूजल का अनुमानित उपयोग सिंचाई उद्देश्यों के लिए 3997.23 मिलियन क्यूबिक मीटर तथा घरेलू उद्देश्यों के लिए 548.45 मिलियन क्यूबिक मीटर है।

(ग) से (ङ) सरकार ने राजस्थान राज्य में जल की कमी वाले तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों में त्वरित भूजल अन्वेषण करने के वास्ते विशिष्ट आकस्मिक योजना शुरू की है। सूखे के दौरान, भूजल संसाधन, पेय जल एवं घरेलू उद्देश्यों के वास्ते जल आपूर्ति के एक विश्वसनीय संसाधन होते हैं।

कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (ए.एस.आर.बी.) द्वारा नियुक्ति

2255. श्री प्यारे लाल संखवार :

श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (ए.एस.आर.बी.) की सिफारिश पर विभिन्न अनुसंधान प्रबंधकीय पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे कितने अधिकारियों की नियुक्ति की गई; और

(ग) ऐसी नियुक्तियों की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख)

1998-99	–	20
1999-2000	–	31
2000-2001	–	10

(ग) अनुसंधान प्रबंध पदों पर नियुक्तियां 5 वर्ष की अवधि के आधार पर की जाती हैं किन्तु भविष्य में पुनः इस कार्यकाल को पांच वर्ष की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। 5 वर्ष की अवधि के पूरा होने के बाद पदधारियों को परिषद की कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के

किसी संस्थान में तुल्य पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसी नियुक्तियां कृषि अनुसंधान सेवा के नियमों एवं अधिनियमों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसाइटी के अन्य विनियमन के अनुसार की जाती है।

अतिरिक्त भंडार

2256. श्री अनन्त नायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अतिरिक्त भंडार के निपटान के लिए प्याज का निर्यात करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्यात हेतु कुल कितने टन प्याज जारी की गई; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) सरकार ने चालू वर्ष 2001-02 में अधिकतम 5 लाख मीटरी टन की सीमा तक प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है।

(ख) और (ग) सरकार ने अब तक निर्यात के लिए कुल 3 लाख मीटरी टन प्याज की निर्मुक्ति की है। उपर्युक्त मात्रा में प्याज को निर्यात के लिए नामित कैनलाइजिंग एजेन्सियों को सौंप दिया है जिसका वे प्रत्यक्ष या पंजीकृत निर्यातकों के माध्यम से निर्यात कर सकती हैं।

आंध्र प्रदेश में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम

2257. श्री के. येरननायडू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जो केन्द्र सरकार के तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.) के अंतर्गत शामिल हैं ;

(ख) सरकार द्वारा राज्य में तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या सहायता उपलब्ध कराई जा रही है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान क्या उपलब्धियां रही हैं;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिये राज्य के और जिलों की पहचान की जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में कवर किए गए जिले हैं– आदिलाबाद, अनन्तपुर, चित्तूर, कुडप्पा, पूर्वी गोदावरी, गुन्टूर, करीमनगर, खमाम, कृष्णा, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, नैलोर, निजामाबाद, प्रकासम, रंगारेड्डी, सरिकाकुलम, विशाखापटनम, विजियानगरम, वारंगल और पश्चिमी गोदावरी।

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य को अपने राज्य में तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए चालू वर्ष में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.) के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 805.00 लाख रुपए की राशि आबंटित की है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश में तिलहनों के उत्पादन की उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं :

वर्ष	उपलब्धि ('000 मीटरी टन)
1997-98	1424.1
1998-99	2465.8
1999-2000	1470.4

(घ) और (ङ) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.) के अंतर्गत राज्य को तिलहन खेती बढ़ाने के लिए अधिक जिलों को अभिज्ञात करने के लिए ढील दी गयी है।

कर्मचारी भविष्य निधि का अन्यत्र उपयोग

2258. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से 18.61 लाख रुपये की धनराशि का विधायिका द्वारा अधिकृत उद्देश्य के अलावा अन्यत्र अनधिकृत उपयोग किया गया;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) भविष्य निधि, पेंशन संबंधी कार्यक्रमों और इस क्षेत्र की उपलब्धियों तथा भविष्य निधि अंशदाताओं के लाभ के लिए सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में लिए गए अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयों/कार्यकलापों के बारे में और जन सामान्य की जानकारी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सामान्य तौर पर समय-समय पर विज्ञापनों का प्रकाशन

कराता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक सांविधिक निकाय है और इसकी प्रत्येक स्कीम के तहत प्रसारण खर्च पूरा करने के लिए आवश्यक व्यवस्था शामिल होती है। संगठन की उपलब्धियां श्रम मंत्रालय की उपलब्धियों का हिस्सा हैं। कई बार श्रम मंत्रालय की कुछ अन्य उपलब्धियों को संगठन के विज्ञापन में शामिल करने के अवसर का लाभ उठाया जाता है।

/हिन्दी/

अंडमान और निकोबार में बाढ़ नियंत्रण योजना

2259. श्री विष्णु पद राय : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बाढ़ नियंत्रण योजना के लिये आबंटित 2 करोड़ रुपये की धनराशि का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि राज्य में तट कटाव प्रतिवर्ष बढ रहा है;

(ग) क्या उक्त धनराशि का अन्य उद्देश्यों के लिये उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(च) क्या तट कटाव पर कोई सर्वेक्षण कराया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (च) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण एवं उनका निष्पादन राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके अपने संसाधनों एवं उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक एवं प्रोत्साहनात्मक प्रकृति की सहायता प्रदान की जाती है।

प्राप्त सूचना के अनुसार, 200 करोड़ रुपए की लागत वाली कोई भी बाढ़ नियंत्रण स्कीम संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह से प्राप्त नहीं हुई है। इसके साथ ही तट कटाव से संबंधित कोई सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है।

/अनुवाद/

वर्षा जल संचयन

2260. श्री अबुल हसनत खां : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 सितंबर, 2001 को "हिन्दू" में "वाटर हारवेस्टिंग बिड हेल्ड" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) ने राजस्थान सरकार द्वारा जल संचयन प्रयासों और वर्षा जल संचयन के पारंपरिक तरीकों को पुनर्जीवित करने के तरीकों की प्रशंसा की है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा जल संचयन की समस्या से निपटने में राज्य सरकार को कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) जी, हां। दिनांक 2 सितम्बर, 2001 के दैनिक समाचार पत्र हिन्दू के राजस्थान अंक में "वाटर हारवेस्टिंग बिड होल्ड" नामक समाचार प्रकाशित हुआ था। इन समाचार में यह उल्लेख किया गया कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) ने जल को संरक्षित करने और वर्षा जल संचयन के परम्परागत तरीकों को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्थान द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है और भूमि उपयोग तथा जल प्रबंधन, सूखे को दूर करने, इससे निपटने की तैयारी करने तथा खतरे को कम करने जैसे – क्षेत्रों में राजस्थान के साथ कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है।

(घ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने भूंजल के कृत्रिम पुनभरण संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की प्रायोगिक स्कीम के तहत 71.41 लाख रुपये की लागत से छत पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन के लिए राजस्थान राज्य में 13 स्कीमें अनुमोदित और स्वीकृत की हैं।

आई.सी.ए.आर. को दो भागों में विभाजित किया जाना

2261. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आई.सी.ए.आर. को खाद्य और गैर खाद्य फसलों में विभाजित करने का है;

(ख) क्या आई.सी.ए.आर. वाणिज्यिक फसलों पर ध्यान देने में असमर्थ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आई.सी.ए.आर. के वर्तमान कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या आई.सी.ए.आर. के क्षेत्रीय कार्यालयों को पूर्ण स्वायत्तता दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) आई.सी.ए.आर. को अधिक उत्पादक और इसका अनुसंधान तथा अन्य गतिविधियों में परिणामोन्मुखी बनाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व्यावसायिक फसलों पर ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम है। फसल विज्ञान के लिए अलग से एक प्रभाग है। फसल विज्ञान प्रभाग अन्य फसलों के अतिरिक्त कपास, गन्ना, तम्बाकू, पटसन तथा सम्बद्ध रेशों पर अनुसंधान का आयोजन करता है। कपास, गन्ना, पटसन पर राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान तथा अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं और तम्बाकू पर नेटवर्क परियोजना देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए हैं।

(ग) लागू नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) अनुसंधान कार्य को अधिक कारगर तथा परिणामोन्मुख बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आठ विषय–वस्तु प्रभाग हैं, जिनके नाम हैं : फसल विज्ञान, बागवानी, अभियांत्रिकी, प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंध, पशु विज्ञान, कृषि विस्तार, शिक्षा एवं मात्स्यिकी प्रभाग। विषय–वस्तु प्रभाग प्राथमिकता वाले विभिन्न क्षेत्रों की पहचान करते हैं तथा विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य अनेक फसलों का उत्पादन/पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है।

अनुसंधान कार्य चार राष्ट्रीय संस्थानों, 45 केन्द्रीय संस्थानों, 30 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, 10 परियोजना निदेशालयों, 4 परियोजना ब्यूरों तथा 80 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं में किया जाता है।

अनुसंधान की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए अनेक प्रबंध किए गए हैं। पंचवर्षीय समीक्षा दलों का गठन किया गया है, जोकि राष्ट्रीय संस्थानों केन्द्रीय संस्थानों तथा राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों के कार्य की समीक्षा करते हैं। इनके अतिरिक्त, संस्थानों की अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए अनुसंधान परामर्शदात्री समितियों तथा वैज्ञानिक अनुसंधान समितियों और संस्थान प्रबंध समितियों की स्थापना की गई है। अतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अधिक कारगर और परिणामोन्मुख बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण

2262. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल से संबंधित मुद्दों का पर्यवेक्षण करने के लिए जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी संरचना क्या है और ऐसा प्राधिकरण किन दिशा–निर्देशों के अंतर्गत कार्य करेगा; और

(ग) इससे जल से संबंधित मुद्दों का किस सीमा तक समाधान किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 22.6.2001 के "भारत के राजपत्र" में प्रकाशित असाधारण अधिसूचना के अनुसार प्राधिकरण के सदस्यों का गठन नीचे दिया गया है :

1. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय —अध्यक्ष
2. अपर सचिव और परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय —सदस्य
3. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग —सदस्य
4. अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य
5. सलाहकार राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय —सदस्य
6. संयुक्त सचिव, कृषि और सहकारिता मंत्रालय —सदस्य
7. संयुक्त सचिव, शहरी कार्य और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय —सदस्य
8. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण —सदस्य
9. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड —सदस्य
10. निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली —सदस्य
11. निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर। —सदस्य
12. आयुक्त (जल प्रबंधन), जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य–सचिव

यह प्राधिकरण, निर्देशों को जारी करने और इस अधिनियम की

धारा–3 की उप धारा–2 के खंड (ix), (xi), (xii) और (xiii) में उल्लिखित मामलों के संबंध में उपायों को करने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(ग) यह प्राधिकरण निम्नलिखित कार्यों के वास्ते अभिकरणों (सरकारी/स्थानीय निकायों/गैर–सरकारी) को निर्देश देगा :

(1) जल गुणवत्ता मानीटरी के लिए प्रणाली (लियों) को मानकीकृत करना और उनके उपयोग के लिए सृजित आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना;

(2) निर्दिष्ट बेहतर उपयोगों को पूरा करने के लिए नदी/जल निकायों की जल गुणवत्ता के पुनः भंडारण को ध्यान में रखकर ऐसे उपाय करना ताकि खराब जल के उचित सुधार को सुनिश्चित किया जा सके;

(3) जल गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों को शुरू करना;

(4) कृषि के विकास में सिंचाई के लिए संसाधित मल–जल कारखानों का बहिःस्राव का पुनः चक्रण/पुनः उपयोग को बढ़ावा देना;

(5) जल स्रोतों में गुणवत्ता सुधार के लिए कार्रवाई योजनाएं तैयार करना, और इस प्रकार से शुरू किए गए/शुरू किए जाने वाली स्कीमों के क्रियान्वयन की मानीटर करना तथा समीक्षा/आकलन करना;

(6) जल गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उसके सम्मुख आने वाले खतरों को कम करने की दृष्टि से भूमि, नदी और अन्य जल निकायों पर जल की निकासी करने और सुधार किए गए मल जल कारखाना/बहिःस्राव को भूमि पर छोड़े जाने में प्रतिबंध लगाने के लिए स्कीम (में) तैयार करना;

(7) नदी–प्रणाली में जलीय जीवन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम प्रवाह जल को बनाए रखना;

(8) वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना;

(9) बहिस्राव सुधार लागत को कम करने के लिए संकटपूर्ण नदी खंडों में स्वयं समावेशनीय (सेल्फ–एसीमिलेशन) क्षमताओं का इस्तेमाल करना;

(10) अत्यधिक कचड़े के निपटान के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकारियों को सूचना मुहैया करना;

(11) राष्ट्रीय जल संसाधनों (सतही जल तथा भूमि जल दोनों) की गुणवत्ता की स्थित की समीक्षा करना तथा जल गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई के वास्ते "हाट स्पार्टों" की पहचान करना;

(12) जल संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित मामलों के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित अथवा गठित किए जाने वाले प्राधिकरणों/समितियों के साथ बातचीत करना;

(13) ऐसी समितियों को सौंपे जाने वाले कार्य का समन्वय करने के लिए राज्य स्तरीय जल गुणवत्ता समीक्षा समितियों का गठन करना/स्थापना करना; और

(14) निर्दिष्ट बेहतर उपयोगों को बनाये रखने के लिए रखरखाव तथा/अथवा गुणवत्ता के सुधार के लिए संबंधित क्षेत्रों के संबंध में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को भेजे जाने वाले सतही तथा भूमि जल गुणवत्ता से संबंधित किसी भी पर्यावरणीय मुद्दे का समाधान करना।

[हिन्दी]

पोटेशियम की कमी

2263. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों की कमी के कारण सम्पूर्ण देश में कृषि भूमि की मृदा में पोटेशियम की कमी का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कृषि भूमि की मृदा में पोटेशियम की कमी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) कृषि में उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए किसानों को कितनी सहायता कराए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) पोटासिक उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। मृदा के विश्लेषणों के आधार पर यह देखा गया है कि हमारी कुछेक मृदा में फसल के लिए उपलब्ध पोटाशियम कम मात्रा में है। ऐसी मृदा में पोटाशिक उर्वरकों के उपयोग किए जाने की सिफारिश की जाती है।

(घ) सरकार उर्वरकों पर राजसहायता/रियायतें देती है ताकि उनके मूल्य किसानों के सामर्थ्य के भीतर रखे जा सकें। वर्ष

2001-2002 के दौरान उर्वरकों की बिक्री पर राजसहायता/रियायत के भुगतान के लिए 14170 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

राष्ट्रीय दाल और तिलहन उत्पादन परियोजना

2264. श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय दाल और तिलहन उत्पादन परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को पूर्व वर्षों की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कम निधियां स्वीकृत की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को उक्त निधियों को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त राज्य को अपेक्षित धनराशि कब तक दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष समेत विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य को केन्द्रीय हिस्से के रूप में निम्नवत् आबंटन किया गया है :

रु. लाख में

वर्ष	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत आबंटन	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन
1999-2000	630.00	1290.00
2000-2001	398.00	960.00
2001-2002	200.00	840.00

(ग) से (ङ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत 1020.50 लाख रुपये और तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 1997.00 लाख रुपये के बढ़े आबंटन के लिए अनुरोध किया है लेकिन धनराशि के आबंटन में वृद्धि करना संभव नहीं है। आबंटन कम होने का कारण धन के अभाव के कारण वार्षिक योजना में तिलहन और दलहन के परिव्यय में कमी रहना है और इससे सभी राज्य प्रभावित हुए हैं। मध्य प्रदेश राज्य को इस स्थिति से पहले ही अवगत करा दिया गया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 737(अ) जो 1 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 27 जनवरी, 1994 की अधिसूचना संख्या का.आ. 60(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 4511/2001]

(2) (एक) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 4512/2001]

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2001 जो 21 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 382 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी।

(2) वायुयान (पांचवां संशोधन) नियम, 2001 जो 28 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 399 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(3) वायुयान (छठा संशोधन) नियम, 2001 जो 4 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4513/2001]

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

1. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4514/2001]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (i) नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ii) नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(iii) नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4515/2001]

(2) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4516/2001]

(3) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव सुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव सुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4517/2001]

(4) (एक) नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4518/2001]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) मध्य प्रदेश स्टेट डेरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मध्य प्रदेश स्टेट डेरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 4519/2001]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :

मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 28 नवम्बर, 2001 को हुई अपनी बैठक में पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 के संबंध में दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में निम्न प्रस्ताव स्वीकार किया :

"कि पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 के संबंध में दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय राज्य सभा के 194वें सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ाया जाए।"

अपराह्न : 12.03 बजे

[अनुवाद]

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : महोदय, मैं महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का "कुटुम्ब न्यायालयों का कार्यकरण" के बारे में पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्यमंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 29 नवम्बर, 2001 को सभा में प्रस्तुत किए गए उनतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 29 नवम्बर, 2001 को सभा में प्रस्तुत किए गए उनतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में शून्य काल शुरू होगा। श्री रामजीलाल सुमन बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में नौ हजार बसें निकाली गई हैं।....*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ (छिन्दवाड़ा) : आप पूरी बात कहिए, अधूरी बात मत कहिए।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रथम सूचना श्री रामजीलाल सुमन ने दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने रामजीलाल सुमन का नाम पुकारा है, मेरे पास उनका नोटिस है।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। ....*(व्यवधान)* महोदय, तीन बार ऐसा हो चुका है, हमने आपको कभी कहा नहीं।....*(व्यवधान)* आप सदन में कहते हैं कि आपका नोटिस नहीं है और जब हम देखने जाते हैं तो होता है। . ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम सब को बुलाएंगे, हमारे पास लिस्ट है।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आपने प्रश्न–काल में किस के लिए कहा था।....*(व्यवधान)* महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। आपने मुझे एक गंभीर और महत्त्वपूर्ण सवाल उठाने का मौका दिया।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न–काल को डिस्टर्ब मत करना।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, नौ हजार बसें निकाली गई हैं।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको भी बुलाएंगे।

श्री मदन लाल खुराना : यह तो लम्बा चलने वाला है।

अध्यक्ष महोदय : आपको बुलाएंगे।

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

आतंकवाद निवारण अध्यादेश के संबंध में प्रधानमंत्री के कथित वक्तव्य के बारे में

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन

प्रस्ताव तो कभी भी दे सकते हैं। आपने कहा कि नहीं बोलिये तो मैं नहीं बोलूगा। असलियत यही है कि आप खड़े होंगे तो हम बैठ जाएंगे। हम आपको पूरा आदर देते हैं।

मैं जो पूछने जा रहा हूं वह गंभीर और महत्त्वपूर्ण सवाल है। कल हैदराबाद में एक बड़ी सभा में माननीय प्रधान मंत्री जी ने तीन बातें कही। देश की एकता के लिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खतरे हैं उनसे लड़ने के लिए सभी को विश्वास में लेकर और पूरे देश को एक होकर लड़ना चाहिए। लेकिन प्रधान मंत्री जी ने स्वयं ऐसा वक्तव्य दिया है जिससे ऐसा आभास होता है और हम ऐसा महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों पर और विशेषकर मुसलमानों पर और विपक्षी दलों पर आरोप आता है।....*(व्यवधान)*

पहली बात तो उन्होंने यह कही कि आतंकवाद से लड़ने के लिए पोटो पर जो विपक्ष है वह सरकार से सहयोग नहीं कर रहा है।....*(व्यवधान)* हमें पता है कि मेरे खड़े होने पर बीजेपी को परेशानी होती है और होती रहेगी।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : मुलायम सिंह जी, आप सहयोग कीजिए तो कोई परेशानी नहीं होगी।....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरा देश और विपक्ष खड़ा है। लेकिन सरकार इतनी कमजोर और इतनी अक्षम है कि आंतकवाद के खिलाफ लड़ ही नहीं सकती।....*(व्यवधान)* इन्होंने पहली बात यह कही है कि पोटो के सवाल पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि सरकार आंतकवाद से लड़ रही है और विपक्ष सहयोग नहीं दे रहा है और तीसरी बात जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है वह यह है कि :

[अनुवाद]

"श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने कहा कि केन्द्र पोटो विधेयक को संसद में पुरःस्थापित करने को दृढ़ है क्योंकि कुछ लोग पडोसी देश की मदद से भारत में अशांति पैदा करना चाहते हैं।"

[हिन्दी]

इससे साफ है कि पड़ोसी देश के इशारे पर या विदेशी सहायता से एक वर्ग आतंकवादियों को मदद कर रहा है। यह माननीय प्रधान मंत्री जी का आरोप है। इससे पूरे के पूरे मुसलमानों को शक की दृष्टि से देखा गया है।....*(व्यवधान)* मेरी राय में तो यही इसका मतलब है।....*(व्यवधान)*

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली) : चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हुई। हमने तो ऐसा नहीं कहा।

श्री मुलायम सिंह यादव : जब–जब देश पर संकट आया है तो देश के मुसलमानों ने देश की रक्षा हेतु लड़ाई में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया है। हमारी सेना में दो प्रतिशत से अधिक मुसलमान नहीं हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के हिसाब से कारगिल की लड़ाई में 14 से 16 प्रतिशत मुसलमान शहीद हुए हैं। इससे पहले भी सभी जानते हैं कि अब्दुल हमीद जैसे और अशफाक–उल्ला खां जैसे देशभक्त लोग रहे हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। इसलिए मुसलमानों पर शक करने से मामला खतरनाक हो जायेगा। प्यार–मौहब्बत से उनको आप देखेंगे और कश्मीर की जनता को विश्वास में ले लेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि कश्मीर की जनता ही आतंकवाद को खत्म कर देगी।

दूसरा, आपका यह कहना कि हम राजनीति कर रहे हैं। मेरा कहना है कि राजनीति सरकार कर रही है, राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है।

अभी अमृतसर में एक बैठक हुई। उसमें भारत में गृह मंत्री यह कहते हैं कि पोटो कानून पास हो गया तो हमें राजनीतिक लाभ मिलेगा और अगर पास नहीं होगा तो भी हमें राजनीतिक लाभ होगा। राजनीति कौन कर रहा है ? जब अयोध्या में मस्जिद शहीद हो गई तो उसके बाद चीनी कौन बांट रहा था ? जब पत्रकारों ने कहा कि हमारी रक्षा करो, हिफाजत करो, तब चीनी कौन बांट रहा था ? उस समय आप कह रहे थे कि इससे बड़ा खुशी का दिन कोई नहीं हो सकता, चीनी खाइए, सवाल छोड़िए। राजनीति कौन कर रहा है ? भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, यह जीरो आवर है।

श्री मुलायम सिंह यादव : यह एक कमजोर सरकार है। पोटो की कोई आवश्यकता नहीं है। दासमुंशी जी, पोटो सबसे ज्यादा खतरनाक कानून है। इससे ज्यादा खतरनाक कानून हिन्दुस्तान में कभी नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने हमें और आपको 20–20 महीने जेल में रखा। हमें उससे सबक लेना चाहिए। कांग्रेस को गाली देने से काम नहीं चलेगा। हमें और आपको उससे सबक लेना चाहिए। यह कहना कि रिव्यू होगा। रिव्यू बोर्ड वही था जिस ने कहा कि मुलायम सिंह जी इटावा के एक बड़े डाकघर में आग लगाने की तैयारी कर रहे थे। रेल की पटरियां उखाड़ने जा रहे थे। गृहमंत्री जी यह वही रिव्यू करने वाला बोर्ड है जिसने हमें और आपको 20–20 महीने जेल में रखा। अगर कांग्रेस ने गलती की है तो वही गलती आप मत करिए। आप बहुत जल्दी इधर विपक्ष में बैठने आ जाएंगे। आप राजनीति मत करो। आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते। मौलाना अजहर महमूद को जहाज में बिठाकर कंधार कौन ले गया ? मैं मानता हूं कि उस समय नागरिकों को

बचाना था लेकिन प्रधान मंत्री जी, विदेश मंत्री को उनके साथ जाने की क्या जरूरत थी ? यह कमजोर सरकार प्रचलित कानूनों को दोषी कह कर खतरनाक और फासिस्ट कानून ला रही है। वह इस तरह के फासिस्ट कानूनों को लाकर यह सरकार अपनी कमजोरी के खिलाफ हमारी आवाज बंद नहीं कर सकती।

जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हम आतंकवाद के सबसे ज्यादा खिलाफ हैं। आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ नहीं रहे हैं। आतंकवाद को खत्म करना है तो मैंने डेढ़ साल पहले कहा था कि आप मुसलमानों पर हमला करते हो, अत्याचार करते हैं, जाइए और देखिए जिन प्रशिक्षण शिविरों में आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर हिम्मत है तो वहां हमला करिए। आप बार–बार पाकिस्तान से कहते हैं कि हमारा धीरज समाप्त हो रहा है। आप धीरज समाप्त क्यों कर रहे हैं ? यदि पूर्वी दक्षिण एशिया में शांति और खुशहाली चाहते हैं तो अवैध रूप से 40 प्रतिशत जिस कश्मीर पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है, वह वापस लीजिए।....*(व्यवधान)* और पाक के राष्ट्रपति मुशर्रफ साहब से कहिए वह कश्मीर का वह भाग वापस करे। आप इसका मजबूती से विरोध करिए।....*(व्यवधान)* यह मामूली बात नहीं है। क्या हमारी देशभक्ति पर यह सवाल उठाएंगे ? आपको आजादी की लड़ाई में लड़ने का मौका नहीं मिला। आप हमारी देशभक्ति पर उंगली उठाते हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी के इस बयान की निन्दा करते हैं और उसका विरोध करते हैं। प्रधान मंत्री जी का बयान पूरी दुनिया में जाता है और घर–घर में पढ़ा जाता है। प्रधान मंत्री इस तरह का संदेश देकर देश की एकता को खतरा पहुंचा रहे हैं।....*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अगर ऐसे डिबेट हो रही है तो चार लोगों को उधर से बुलाएंगे तो चार इधर से भी बुलाएं।

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, आपको बोलने के लिए बुलाएंगे।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, मेरा स्पष्ट मानना है कि यदि प्रधान मंत्री ने पोटो कानून के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की है तो उन्होंने मर्यादा तोड़ने का गंभीर अपराध किया है। मैं गलती को सुधारना चाहता हूं। पोटो को शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी करने के कुछ घंटे पहले ही प्रख्यापित किया गया था।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी के भाषण को छोड़कर कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

*(व्यवधान)**

* कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, आचार–संहिता केवल एक पक्ष पर नहीं लागू की जानी चाहिए। इसे दोनों पक्षों पर लागू किया जाए। इसे दोनों पक्षों पर लागू किया जाए। ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सबको बुलायेंगे। रघुनाथ झा जी, आपको बुलायेंगे। आप बैठ जायें, प्लीज।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको दूसरे सदस्यों की चिन्ता भी समझनी चाहिए। वे 10 बजे आ रहे हैं और सूचनायें दे रहे हैं। लेकिन उनका नाम नहीं पुकारा जा रहा है। अतः आपको उनकी चिन्ता भी समझनी चाहिए। श्री रघुनाथ झा, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबे, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब को बुलायेंगे। इतनी गड़बड़ी क्यों हो रही है ?

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, यह स्पष्ट है कि सरकार ने अध्यादेश को संकुचित राजनीतिक उद्देश्यों से प्रख्यापित किया है। मैं यह भी कहता हूं कि अध्यादेश को प्रख्यापित करने से पहले स्वयं राजग में भी विचार–विमर्श नहीं किया गया। हमने, एक राजनीतिक दल के रूप में पोटो की निरंकुश विशेषताओं पर गम्भीर आपत्तियां उठायीं। इसके बावजूद सरकार अध्यादेश लायी। वास्तव में हमने सरकार को अध्यादेश न लाने हेतु सार्वजनिक सलाह दी। सरकार चाहती थी कि देश के सामने इसके अलावा और कोई विकल्प ही न रहे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार राजनीति से प्रेरित थी। राजग से विचार–विमर्श अध्यादेश को प्रख्यापित करने के बाद किया गया। वह भी तब जब प्रधान मंत्री ने विपक्षी दलों से सलाह लेने के बारे में सोचा। प्रधान मंत्री को ये टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह उस पद की गरिमा के विपरीत है ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, क्या हम लोगों को नहीं बुलायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आपको श्री सोमनाथ चटर्जी के बाद बुलायेंगे।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि श्री मुलायम सिंह यादव के बाद बुलायेंगे और अब आप कह रहे हैं कि श्री सोमनाथ जी के बाद बुलायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपको भी बुलायेंगे।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, आप तीन आदमी यहां से भी बुलाइये।....*(व्यवधान)*

श्री नागमणि (चतरा) : अध्यक्ष जी, हमारा महत्त्वपूर्ण मामला है। झारखण्ड के पुलिस महानिदेशक को बिहार पुलिस परेशान कर रही है....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। आपको भी बुलायेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, निःसन्देह सभा में विपक्ष के सदस्य देश में चल रही आतंकवादी गतिविधियों से बहुत अधिक चिन्तित हैं लेकिन प्रधानमंत्री इसे पक्षपातपूर्ण मुद्दा बनाना चाहते हैं। इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने का आज तक कोई औचित्य नहीं बताया गया है और इसका प्रयोग अब तक मात्र एक बार कश्मीर में किया गया है और वह आदेश भी 12 घंटे के भीतर वापस ले लिया गया। इसकी क्या अत्यावश्यकता थी ? ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप कुछ पढ़ो, सीखो, तब बोलो।

[अनुवाद]

दूसरों के बीच में व्यवधान मत डालिये। आपको ऐसी बातों का अनुभव नहीं है।

[हिन्दी]

आपको मंत्री बना दिया, माथा गर्म हो गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, यह अध्यादेश राजग के घटक दलों से विचार–विमर्श किये बगैर ही पारित कर दिया गया। ऐसा लगता है कि उनके अनेक सहयोगी दलों में पहले से ही असन्तोष है। मुझे नहीं पता वे क्यों उनका सहयोग कर रहे हैं।

जहां तक विपक्ष का संबंध है, हमें ज्ञात है कि गृहमंत्री ने विपक्षी दलों पर यह आरोप लगाया है कि वे आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं और उन्हें खुश करने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बाद परामर्शदात्री समिति में दो दिन तक इस पर बहस हुई। हमें निश्चित रूप से बताया गया कि प्रधान मंत्री एक बैठक बुलायेंगे और उसके पहले कुछ नहीं किया जायेगा। प्रधान मंत्री के पास बैठक बुलाने का भी धैर्य नहीं है। हम उसकी प्रतीक्षा करते रहे। अब वे हैदराबाद जा रहे हैं। 29 संसद सदस्य जो इसका समर्थन कर रहे हैं, के साथ श्री चन्द्रबाबू नायडू की उपस्थिति में वे अचानक इतना उत्साहित हो गये कि वे विपक्ष को बुरा–भला कहने लगे और अल्पसंख्यकों के ऊपर दोषारोपण करने लगे। यह क्या है ? इस देश में क्या हो रहा है ? हम इस पर कड़ी आपत्ति करते हैं। वस्तुतः इसका क्या अर्थ है ? यह समाचार पत्रों में उद्धृत हुआ है। मैं उद्धृत करता हूं :

> "वे किस वर्ग के लोग हैं जो भारत में अशांति पैदा करना चाहते हैं ?"

वे किस वर्ग के लोग हैं जो कि उनके दिमाग में हैं ? ....*(व्यवधान)* केवल इतना ही नहीं, उनका कहना है कि कुछ लोग पड़ोसी देश की सहायता से अशांति पैदा कर रहे हैं। क्या वे विपक्षी दलों के बारे में कह रहे हैं, कि हम पड़ोसी देश की सहायता से अशांति पैदा कर रहे हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि वे किस वर्ग के लोग हैं जिनका उन्होंने उल्लेख किया है। वे जिस वर्ग की बात कर रहे हैं, वे अल्पसंख्यक तो नहीं हैं ? भारत के प्रधानमंत्री बिना किसी प्रमाण के और विपक्षी दलों के साथ इस पर बातचीत के लिए दिए गए आश्वासन को पूरा किये बगैर कुछ लोगों पर इस प्रकार का आक्षेप लगा रहे हैं। गृह मंत्री ने इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता जतायी है। हम उनके द्वारा जान बूझकर इस देश में इस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास करेंगे कि वे ही केवल देशभक्त हैं और हम देशभक्त नहीं हैं; का कड़ा विरोध करने के लिए विवश हैं। हम इस स्थिति को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हमें इस पर कड़ी आपत्ति है। यह बात सभी लोगा जान जाएं कि पोटो का हमेशा विरोध किया जायेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है।....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, बहुत दिनों से यह परम्परा बन गई है कि जीरो ऑवर में बिना नोटिस दिये किसी भी सवाल को खड़ा करें तो सब अपोजीशन के लोग खड़े हो जाएं। पोटो के सवाल पर ....*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : पिछले दिनों बंगलादेश के सवाल पर जब आप चर्चा कर रहे थे तो सदन का 50

मिनट का समय बरबाद हो गया था। उस दिन आपने यह ऑब्जेक्शन नहीं किया। आज आप इतने गम्भीर सवाल पर यह ऑब्जेक्शन कर रहे हैं।....*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने नोटिस दिया था, उस पर परमीशन ली थी और परमीशन लेने के बाद मैं बोला था....*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, पोटो के मामले पर इस सदन में पूरी बहस होने वाली है। पोटो के आर्डीनेन्स को पास किया जायेगा उसके लिए पोटो बिल यहां रखा जायेगा....*(व्यवधान)* उस समय उस पर पूरी बहस के अंदर सब बातें पूरी तरह से यहां रखी जायेंगी। पहले दो कन्सल्टेटिव कमेटीज की मीटिंग्स हुईं, प्रधानमंत्री जी मीटिंग बुलाने वाले हैं, उसमें यह सारी बातचीत होने वाली है....*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : हम इंतजार कर रहे हैं.. ..*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : परन्तु इस बीच में आज क्या बातें कही जा रही हैं....*(व्यवधान)* अगर उनका जिक्र हो, मुलायम सिंह जी के भाषण बाहर क्या, सोनिया गांधी जी के भाषण बाहर क्या, सोनिया गांधी जी ने यह कहा कि पोटो पर कोई मीटिंग हो जाए या कुछ भी हो जाए, यह ड्रेकोनियन बिल है, हम इसका विरोध करते चले जायेंगे। ये यह सब करेंगे....*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी ने क्या बात कही....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : क्या गलत किया, क्या हम लोग नहीं बोलेंगे ? हमारी जिम्मेदारी और प्रधान मंत्री जी की जिम्मेदारी में फर्क है....*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : आपकी जिम्मेदारी और प्रधान मंत्री जी की जिम्मेदारी में बहुत फर्क है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. विजय कुमार मल्होत्रा के भाषण को छोड़कर कार्यवाही–वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी ने ये जो बात कही....*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : प्रधान मंत्री जी को जिम्मेदार होना चाहिए, आपके लिए जरूरी नहीं है।....*(व्यवधान)*

* कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : कोई जरूरी नहीं है, वह यही बात कह रहे हैं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. विजय कुमार मल्होत्रा के भाषण को छोड़कर कार्यवाही–वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, जो समाचार–पत्र में लिखा है कि जो हमारा पड़ोसी देश है, उसके आई.एस.आई. के कितने एजेन्ट हिन्दुस्तान में पकड़े गए हैं। सैकड़ों की तादाद में रोज़ आई.एस.आई. के एजेन्ट पकड़े जा रहे हैं। उन सबके पकड़े जाने पर वे लोग मिलकर देश में अनरैस्ट कर रहे हैं। क्या आई.एस.आई. के एजेन्ट के लिए भी आप लोग खड़े होंगे कि उनको न पकड़ें और आई.एस.आई. देश में अनरैस्ट फैला रहे हैं, यह बात क्या प्रधान मंत्री को नहीं कहनी चाहिए।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाये।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : आज प्रधान मंत्री जी को जो बात कहनी है, वे आपसे राय करेंगे और उन क्लॉज़ेज में क्या है जिससे उनको निकालने की बात की जा रही है, वह देखेंगे। पर कल ऊधमपुर में एक बारात पर हमला करके सात आदमियों को गोली से मार दिया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम उसकी घोर निन्दा करते हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : ऊधमपुर में पिछले 50 दिनों में 50 आदमी मारे गए। दो लोग जो सरकार के साथ चल रहे थे, मुस्लिम थे, उनके मां–बाप को मार डाला गया। आंध्र प्रदेश में मिनिस्टरों के घर उड़ाए जा रहे हैं। क्या देश में आतंकवाद को रोकने की जरूरत नहीं है ? और आपको उनके मानवाधिकारों का ध्यान है, उनके ह्यूमन राइट्स आप देख रहे हैं ?.....*(व्यवधान)*

* कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं सोमनाथ जी से कम समय लूंगा और मुलायम सिंह जी ने जितना समय लिया, उसका एक तिहाई समय ही लूंगा। जब अमेरिका में यह बिल आया तो किसी अपोजीशन के आदमी ने उसका विरोध नहीं किया, जब इंग्लैंड में इस पर बिल आया तो किसी ने उसका विरोध नहीं किया। जब ये आतंकवाद का बिल लाए तो हमने अपोजीशन में रहकर पूरा साथ दिया। हमें आशा नहीं थी कि जब हम इधर आएंगे तो अपोजीशन उन हत्यारों और आतंकवाद फैलाने वालों के ह्यूमन राइट्स का सवाल खड़ा करेगा। .....*(व्यवधान)* अपोजीशन राजनीति कर रही है और यूपी का इलेक्शन जब तक रहेगा, ये राजनीति करते रहेंगे। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी जब बैठक बुलाएं तो अपोजीशन जो कंस्ट्रक्टिव सुझाव देना चाहती है, वह दे परंतु सुझाव देना नहीं है, कुछ भी हो जाए, आपने विरोध ही करना है। अगर ये कहेंगे कि हमें बिल का अपोज़ करना है तो भी बात समझ में आती है। .....*(व्यवधान)* सोमनाथ जी ने बहुत बात कही है क्यों वहां आर्डिनेन्स तैयार किया हुआ था, क्यों वहां पर भट्टाचार्य ने ऑर्डिनेन्स बनाया हुआ था, क्यों कर्नाटक में बिल बनाया हुआ था, क्यों महाराष्ट्र में बिल बनाया हुआ है। उससे कहीं नरम बिल यह है और उससे भी कम करने को हम तैयार हैं। यह दो तरह की नीति नहीं चलेगी। एक तरफ अपने यहां बिल बनाएंगे और दूसरी तरफ यहां विरोध करेंगे, यह नहीं चलेगा। हम आपसे आशा करते हैं कि सरकार को सहयोग दें कि आतंकवाद को रोकें। .... *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष जी, हैदराबाद में प्रधान मंत्री जी के भाषण पर मुलायम सिंह जी ने सवाल उठाए और मुख्यतः दो सवाल पूछे जिनमें से एक का संबंध पोटो से है जो आतंकवाद को रोकने से संबंधित कानून बनाने की बात चल रही है और दूसरा पड़ोसी देश से जो घटनाएं घटवाई जा रही हैं, उनसे है। लेकिन मेरे मन में एक संदेह है और जिस तरह से विपक्ष हल्ला कर रहा है और चिल्ला रहा था, उससे मेरे मन के संदेह की पुष्टि होती जा रही है। पुष्टि इस बात की होती जा रही है कि पोटो कानून बनाने की जो बात चल रही है और जिस तरह से देश के हर प्रान्त में आतंकवाद की घटनाएं घटी हैं,**

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप समाप्त करिए।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इतना शोर हो रहा है, मैं अपनी बात कैसे बोलूं ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। इस प्रकार से यह सदन नहीं चलेगा। माननीय सदस्य अपने आरोप को सिद्ध करें या माफी मांगें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, आप बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, आप बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप समाप्त करिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, आप बैठिए।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : नहीं, मान्यवर, इस प्रकार से सदन नहीं चल सकता। प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं और प्रधान मंत्री जी मूकदर्शक बन कर देख रहे हैं। यह बहुत गंभीर आरोप है। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, उनकी पुष्टि करें। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया अपने स्थान पर जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि यह आपत्तिजनक है तो इसे वापस ले लिया जायेगा।

(व्यवधान)

* कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया गया।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : मान्यवर, यह बिलकुल गलत आरोप है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप बैठिए।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : ये माफी मांगें। इस प्रकार से गलत आरोप नहीं लगा सकते। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह आपको अत्यन्त सावधानी से बोलना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह से कहा है कि वह सावधानीपूर्वक बोलें। यह एक आरोप है। यदि यह आपत्तिजनक है, तो इसे वापस ले लिया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, आपको अत्यधिक सावधानीपूर्वक बोलना है। आप क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

* कार्यवाही–वृत्तान्त मे सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : प्रधान मंत्री जी बैठे हुए हैं। यह हमें बताएं। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह जी आप जो कुछ भी बोलें बहुत सावधानीपूर्वक बोलें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी (देवरिया) : प्रधान मंत्री देश का विभाजन कर रहे हैं, यह आपने कहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि यह आपत्तिजनक है, तो इसे वापस ले लिया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बृजभूषण शरण सिंह (गोंडा) : इन्होंने कहा है कि प्रधान मंत्री देश का विभाजन करना चाहते हैं। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, उन्होंने आरोप लगाया है। यदि यह आपत्तिजनक है, तो इसे कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा। यह क्या है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी बातों से लोगों को काफी तकलीफ हुई है। ....*(व्यवधान)* इसी सदन में कहा गया कि प्रधान मंत्री जी देश का विभाजन करना चाहते हैं। क्या यह कोई

आपत्तिजनक बात नहीं थी? जब हमने कहा तो आपत्तिजनक बात हो गई।** .....*(व्यवधान)* इसकी जांच करवा ली जाए। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत से आरोपों को हटाया जा सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुमारी मायावती।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभा में यह कहा जा रहा है कि हम आतंकवादी हैं। सदन के नेता सदन में उपस्थित हैं। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कहा है कि कार्यवाही–वृत्तांत से आरोपों को हटाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, आप गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। मैंने पहले ही कहा है कि कार्यवाही–वृत्तांत से शब्दों को हटाया जा सकता है। अब कुमारी मायावती बोलें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद का मामला बहुत गंभीर है और यह देश के हित में ठीक नहीं है। ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें उत्तर भी नहीं देने दे रहे हैं।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया गया।

* कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर देने के लिए तैयार हैं। आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला अध्यक्षपीठ ने माननीय सदस्य से कहा है कि वह उन शब्दों को वापस लें। अब कुमारी मायावती बोलें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : हमें दो मिनट बोलने दीजिए। हमारी पार्टी आतंकवाद के खिलाफ है। एन.डी.ए. की सरकार को आतंकवाद के खिलाफ यदि कोई कानून बनाना है, जैसे पोटो के नाम से नया कानून बनाया गया है, हालांकि आतंकवाद से निपटने के लिए पहले ही बहुत से कानून बने हुए हैं।, इस कानून की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी एन.डी.ए. की सरकार ने पोटो के नाम से एक नया कानून बनाया है। इस कानून को बनाने से पहले ऑल पार्टीज को कॉन्फीडेंस फेथ में लेना बहुत जरूरी था, लेकिन ऑल पार्टीज के लीडर्स को कॉन्फीडेंस में नहीं लिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि इस अध्यादेश के पीछे हमें एन.डी.ए. की राजनीति नजर आती है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि आज से कुछ दिन पहले इस देश के गृह मंत्री श्री एल.के. आडवाणी ने कहा कि पोटो के नाम से जो अध्यादेश जारी किया गया है, यह पार्लियामेंट के अन्दर पास हो या न हो, हमारी पार्टी को इसका जो लाभ मिलना था, वह मिल गया है। इसका मतलब यह है कि इस अध्यादेश के पीछे हमें एन.डी.ए. की राजनीति नजर आती है। मैं समझती हूं कि आतंकवाद से निपटने के लिए आप यदि कोई कानून बनायें और उसमें भी राजनीति करें तो बहुजन समाज पार्टी इसमें राजनीति नहीं करने देगी। इसकी आड़ में यदि आप राजनीति करें तो यह अच्छी बात नहीं है। हम लोग यह चाहते हैं कि आतंकवाद से निपटने के लिए आप कानून बनायें, लेकिन ऑल पार्टीज को गुड फेथ में लेकर बनायें, हम हर मामले में आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप लोग इसकी आड़ में कोई राजनैतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो मैं समझती हूं कि यह ठीक नहीं है। यह जो पोटो कानून बनाया गया

* कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

है, यह जो अध्यादेश लाया गया है, यह जल्दबाजी में लाया गया है, हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन हम आतंकवाद के समर्थक नहीं हैं, हम इसके विरोधी हैं। आतंकवाद की आड़ में यदि कोई राजनीति की जाती है या इसकी आड़ में यदि सरकारी आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है या इसकी आड़ में साम्प्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दिया जाता है तो मैं समझती हूं कि यह इस देश के हित में नहीं है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से रिक्वैस्ट करती हूं कि आपको जो भी कानून बनाना है, ऑल पार्टीज को कॉन्फीडेंस में लेकर बनाना चाहिए।

एन.डी.ए. के जो विभिन्न घटक दल हैं, उन पर भी थोड़ी ब्रेक लगाने की जरूरत है। वे भी कहते हैं कि सारे विपक्षी दल जो पोटो का विरोध कर रहे हैं, यह देशहित में नहीं है। यदि सारे विरोधी दल इसका विरोध करते हैं तो इसका मतलब है कि हम सब देशद्रोही हो गए ? इसी किस्म की बात उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भी कही है कि जो पोटो का विरोध करेगा, वह राष्ट्रद्रोही है, जबकि वहां पर कोई आतंकवाद नहीं है, सरकारी आतंकवाद है। आतंकवाद है तो वह जम्मू–कश्मीर के अंदर है। हमारी पार्टी हर मामले में सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी आड़ में कोई राजनीति की जाएगी, हमें देशद्रोही कहा जाएगा, तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए सरकार को कोई भी फैसला सोच–समझकर लेना चाहिए।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी ने टीडीपी के सांसदों और हमारे मुख्यमंत्री का उल्लेख किया है। मैं कुछ कहना चाहता हूं।

महोदय, हर कोई जानता है कि हमारे देश के समक्ष आतंकवाद एक प्रमुख चुनौती है। पिछले 50 वर्षों से भारत इस चुनौती का सामना कर रहा है। विश्व ने आतंकवाद को अब समझ लिया है। मेरे दल और मैंने इस 'पोटो' और 'मकोका' महाराष्ट्र सरकार के कानून का अध्ययन किया है। कर्नाटक सरकार भी कुछ कानून बनाना चाहती है और सब कुछ करना चाहती है। इसलिए मेरे दल का रुख बहुत स्पष्ट है। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हम पोटो का समर्थन कर रहे हैं परंतु हमारी कुछ आपत्तियां हैं। सरकारी अधिकारियों ने पहले के कानूनों का दुरुपयोग किया था। हमें कुछ सुरक्षा उपाय करने होंगे। हमें इस देश में आतंकवाद का मुकाबला करना है। इसलिए यह हमारा मुख्य ध्येय है।

हमें संसद में इस पर चर्चा करनी होगी। यदि कोई सुरक्षा उपाय अपेक्षित है, तो हमें उनका सुझाव देना होगा। साथ ही सरकार भी इच्छुक है। गृह राज्य मंत्री ने भी स्पष्ट कहा है कि हम इसे बदलने के लिए तैयार हैं, हम इसमें किसी भी संशोधन के लिए तैयार हैं। इसलिए देश हित में यदि हम लोगों में से किसी पक्ष को सुरक्षोपाय की आवश्यकता है, तो हम इसका सुझाव देंगे। परंतु मैं यह पूछता हूं कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा, जिनके दल यहां विपक्ष में हैं, भी तो कुछ अधिनियम अधिनियमित किए जा रहे हैं। मैं आपके मुख्यमंत्री का वक्तव्य पढ़ता हूं। हाल ही में उनकी राज्य सरकार भी कोलकात्ता में संगठित अपराधों को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम का अधिनियमन करना चाहती है। ....*(व्यवधान)* इसलिए, इस संदर्भ में, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया है। पहले ही, हमारे मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस पोटो का समर्थन कुछ आपत्तियों के साथ किया है। चर्चा के समय हमें कुछ उपाय सुझाने होंगे।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : कई बार सुना कि प्रधान मंत्री जी सभी दलों की बैठक बुला रहे हैं, लेकिन वह स्थगित ही होती रही ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा का समय नहीं है। यह 'शून्य काल' है। कृपया यह समझें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रधान मंत्री जी को बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रधान मंत्री जी को बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मामले उठा रहे हैं परंतु आप प्रधान मंत्री जी की भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : मैं प्रधान मंत्री जी को सहमत होने तथा मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, यह वाद–विवाद नहीं है। यह 'शून्यकाल' है। मैं 'शून्य काल' में सभी सदस्यों का नाम कैसे पुकार सकता हूं ?

श्री शिवराज वि. पाटील : सरकार की तरफ से दिए गए वक्तव्य पर हमारी पार्टी आपत्ति करती है। ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नागमणि : अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका झारखंड के बारे में नोटिस है। आपको चांस मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : वक्तव्य से यह व्यक्त होता है कि हम आतंकवादी आंदोलन के विरुद्ध की गई कार्रवाई के खिलाफ हैं। आतंकवाद के कारण हमारे दल जितना कोई भी पीड़ित नहीं हुआ है। यह नहीं भूला जाना चाहिए। यदि कोई सदस्य यह कहता है कि हम अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं तथा हम आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं तो यह एक गलत व्याख्या है। इस प्रकार की व्याख्या से कोई फायदा नहीं हो सकता है। यदि कोई सदस्य सभा में खड़े होकर यह कहता है कि आप आतंकवादियों के साथ हैं, तो महोदय कार्यवाही–वृत्तांत से केवल उसकी टिप्पणी को निकाल देना ही पर्याप्त नहीं है। उसे यह बताया जाना चाहिए कि इस प्रकार का कथन यहां नहीं दिया जाना चाहिए। पोटो के संबंध में केवल राजनीति की जा रही है और राजनीति ही हुई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदस्य से पहले ही कह दिया है कि वह सावधानीपूर्वक बोलें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज वि. पाटील माननीय प्रधान मंत्री जी आपसे सहमत हुए हैं। कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, मैं प्रधान मंत्री को तथा आपको भी धन्यवाद देता हूं।

मैं यह कह रहा हूं कि यदि हम यह विचार करें कि पोटो के संबंध में जो हुआ है उससे एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि इस पोटो से काफी राजनीति हुड़ी हुई है तथा इसी कारण लोगों के मन में आशंकाएं हैं।

यदि कोई यह कह रहा है कि यहां दोहरी बात की जा रही है तो मैं टाडा का विरोध करने वाले सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा दिए गए भाषण का उद्धरण दे सकता हूं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह के मामले पर अत्यधिक सावधानी–पूर्वक विचार किया जाए।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, चर्चा स्थगन प्रस्ताव को लेकर आरम्भ हुई थी। उसमें यह आरोप लगाया गया था कि मैंने कल हैदराबाद में अपने भाषण में एक वर्ग की भावनाओं को आहत किया है। चर्चा में इस बात को और साफ तौर से कहने की कोशिश की गई है। यह कहा गया है कि मैंने मुसलमानों की देशभक्ति पर संदेह व्यक्त किया है। यह गलत है। इस तरह की भाषा सदन में बोलना देश की स्थिति में कोई समरसता पैदा करने वाली बात नहीं है। किसी वर्ग की देशभक्ति पर संदेह करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कल हैदराबाद में अपने भाषण में यह कहा था कि इस संदर्भ में अल्पसंख्यकों के मन में कोई आशंका है तो वह नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह उनके खिलाफ नहीं है, यह उनके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं होगा। उसका निशाना वे नहीं हैं, आतंक करने वाले हैं। क्या यह कहना आपत्तिजनक है ? ....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हां है। इस पोटो कानून की व्याख्या दरोगा करेंगे। ....*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने अपने भाषण में यह कहा कि सरकार इस सवाल पर सबको साथ लेकर चलना चाहती है और मैंने प्रतिपक्ष से अपील की, आग्रह किया कि वह अपने रवैये पर विचार करे, पुनर्विचार करे और सरकार को सहयोग दे – क्या यह करना भी गलत है? क्या यह सही नहीं है कि अभी भी प्रतिपक्ष सहयोग नहीं दे रहा है? ....*(व्यवधान)* प्रतिपक्ष को क्या आपत्तियां हैं, प्रतिपक्ष ने अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, यह आप क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लोक तंत्र में बहस होगी। बहुमत अपनी बात कहेगा। जो अल्पमत में हैं, वे जरा जोरदार तरीके से अपनी बात कहना चाहेंगे। यह आरोप मेरी समझ में नहीं आता कि राजनीति की जा रही है। यह कहना क्या गलत है? हम यहां राजनीति करने के लिए आए हैं।.....*(व्यवधान)* किसलिए आए हैं ? ....*(व्यवधान)* इसमें राजनीति नहीं की जानी चाहिए। इसके पीछे भाव यह है कि देश हित को ताक पर रखकर दलगत राजनीति के अनुसार नहीं चलना चाहिए। क्या पोटो राजनीतिक उद्देश्य के लिए लाया गया है? आप कह सकते हैं कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। आप जब सरकार में थे और हम जब प्रतिपक्ष में थे, तो हम भी यही बात कहा करते थे। लेकिन उसके कारण हमने कभी देश में ऐसा वातावरण पैदा नहीं किया कि पोटो जैसे प्रस्तावित कानून का विरोध इस सीमा तक चला जाएगा, यह देखा नहीं जाएगा। लेकिन विरोध हो रहा है, उसका उत्तर दिया जा रहा है। ....*(व्यवधान)* अब अगर सदन मेरे ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहता है मैं भाषण न करूं ....*(व्यवधान)* अगर प्रतिपक्ष बोल सकता है, प्रतिपक्ष की नेत्री बोल सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। लेकिन मैं बोलूं, तो आपत्ति है। मैं अगर बोलूं, तो प्रोप्रायटी का सवाल खड़ा किया जाता है ....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप जब भड़काते हैं, तो आपत्ति है। ....*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लोग मेरा भाषण सुनते हैं, भड़काने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। कल जब मैं भाषण कर रहा था, तो मैंने उल्लेख किया था कि तेलगू देशम के नेता ने, मुख्यमंत्रियों की बैठक में, यह बात कही कि हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं, लेकिन इसमें संदेह है, हमारी कुछ शंकायें हैं, जिन्हें हम चाहेंगे कि देखा जाए और आवश्यक संशोधन लाए जायें। सरकार इसके लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह से क्या आपत्तियां हैं, उनको स्पष्ट करे। विधेयक में क्या कमियां हैं ? अगर कोई कमी है, तो बताएं। देश में ऐसा कहने वाले भी लोग हैं, अनुभव करने वाले देश में लोग हैं, जो कहते हैं कि विधेयक जितना तगड़ा होना चाहिए था, मजबूत होना चाहिए था, उतना नहीं है। क्या इस राय को कहने का इस देश में अधिकार नहीं होगा। लोग ईमानदारी से विश्वास करते हैं। आज जिस तरह के आतंकवाद ने हमें घेरा है, वैसी परिस्थिति स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी पैदा नहीं हुई। इसलिए यह कहने से बात नहीं बनेगी कि पहले भी हुआ था। ऐसी परिस्थिति तो नहीं हुई। अच्छा होता, अगर सरकार आर्डिनेंस निकालने से पहले प्रतिपक्ष से बातचीत कर लेती, लेकिन आर्डिनेंस निकालने के अधिकार को चुनौती तो नहीं दी जा सकती है। वह विरोध का मुद्दा हो सकता है। भाषण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, मगर उसके आधार पर पूरे विधेयक का विरोध किया जाए – क्या देश में आतंकवाद के खिलाफ कोई कानून नहीं होना चाहिए ? कानून किस तरह का होना चाहिए, आप बताइए.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बहस को हम जरा उच्च स्तर पर रखें। आज सवेरे प्रश्नकाल में राजनीति नहीं की गई, तो क्या किया गया। आपने सभी सांसदों से मिलकर मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर यह फैसला किया था कि प्रश्नकाल में कोई आपत्ति नहीं की जाएगी, प्रश्नकाल में कोई संकट पैदा नहीं किया जाएगा – क्या मुलायम सिंह जी उस निर्णय से बंधे हैं या नहीं हैं? अगर 11 बजे के बजाए 12 बजे यह सवाल खड़ा करते, तो कोई आसमान टूटने वाला नहीं था। क्योंकि उनको राजनीति करनी है और वे यह दिखाना चाहते हैं कि प्रतिपक्ष में भी सबसे ज्यादा अगर कोई विरोधी है, तो हम हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : यह सही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर यह राजनीति नहीं है, तो क्या समाज–सेवा है।

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, मुझे सवेरे अच्छा नहीं लगा। ...*(व्यवधान)*

आपने बड़ी मुश्किल से प्रयास करके, सब के सहयोग से एक आचार संहिता बनाने की कोशिश की है – "प्रथमग्रासे मक्षिकापातः।" प्रश्न–काल न हो – क्यों न हो? यहां हमारे पूर्व लोक सभा अध्यक्ष बैठे हुए हैं। हम जब प्रतिपक्ष में थे तब भी इस बात पर बल देते थे कि प्रश्न–काल को विपत्ति में नहीं डाला जाना चाहिए, प्रश्न–काल में बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए, लेकिन राजनीति है। लेकिन अगर राजनीति एकतरफा होगी तो फिर वह दोतरफा हो जाएगी। ....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपने पहले एकतरफा चालू की थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हम पहले से विचार–विमर्श करने के पक्ष में रहे हैं। हम प्रतिपक्ष के नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं, यह सुझाव आया था। कल शाम का साढ़े छः बजे बैठक होने वाली है और वह बैठक प्रतिपक्षी नेताओं की होगी। उसमें हम पूरी तरह से विचार–विनिमय करेंगे। मुझे विश्वास है कि एक आम राय प्रकट होगी और उस आम राय के अंतर्गत व्यक्ति की स्वाधीनता भी सुरक्षित होगी। हर वर्ग को कष्ट न हो, उनके मन में आशंका भी उत्पन्न न हो और आतंकवादियों से निबटने का हमारा जो राष्ट्रीय संकल्प है वह भी पूरा हो सके।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.01 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.04 बजे पुनः समवेत हुई।

[अनुवाद]

(श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुईं*)

सभापति महोदय : आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे क्योंकि कार्य सूची में सूचीबद्ध नियम 193 के अधीन चर्चा अपराह्न 2.00 बजे शुरू की जाएगी। इसलिए नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

अपराह्न 2.04½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[हिन्दी]

(एक) गोंडा-आगरा फोर्ट गोकुल एक्सप्रेस का उत्तर प्रदेश के बिछिया रेलवे स्टेशन पर ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता

श्री पदमसेन चौधरी (बहराइच) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर चलने वाली रेलगाड़ी 5315/5316 गोंडा–आगरा फोर्ट गोकुल एक्सप्रेस का ठहराव मिहिनपुरवा से तिकोनिया स्टेशन के बीच 70 किलोमीटर की दूरी में कही नहीं है। बिछिया स्टेशन एक महत्त्वपूर्ण स्टेशन है। यहां पर सेन्ट्रल स्टेट फार्म, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन ऑफिस, पुलिस स्टेशन आदि सरकारी कार्यालय हैं। यहां से बड़ी संख्या में यात्रियों का आना–जाना लगा रहता है। यह गाड़ी मीटर गेज पर चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी है। इस गाड़ी का ठहराव मध्य में स्थित बिछिया स्टेशन पर करने से गति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि छोटी लाइन पर चलने वाली गाड़ियों की गति अधिक नहीं है। बिछिया के यात्रियों के लिये तिकोनिया स्टेशन पर जाकर गाड़ी पकड़ना तथा आना–जाना न तो सुरक्षा की दृष्टि से निरापद है और न ही सड़क का यातायात ऐसा है कि सुविधापूर्वक आवागमन हो सके।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनहित में बिछिया स्टेशन पर गोकुल एक्सप्रेस का ठहराव (बिछिया स्टेशन पर करने के संबंध में) हर आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

(दो) गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात के कई गांवों में आज भी लोगों के घरों तक बिजली नहीं पहुंच सकी है, परिणामस्वरूप इस इक्कीसवीं सदी में भी उन्हें अंधेरे में रहना पड़ रहा है। हालांकि गुजरात विद्युत बोर्ड घर–घर तक बिजली पहुंचाने का प्रयास कर रहा है लेकिन उसका घाटा इतना ज्यादा है कि इच्छा होते हुए भी वह पर्याप्त बिजली देने में असमर्थ है। किसानों ने अपनी खेती की सिंचाई के लिए ट्यूब वैल बना रखे हैं। प्रत्येक ट्यूब वैल की लागत 1.50 लाख से तीन लाख रुपये तक की होती है। इतना खर्चा करने के बाजजूद भी उन्हें विद्युत कनैक्शन के लिए तरसना पड़ता है। बने बनाये ट्यूब वैल बेकार पड़े हैं, फसलें सूख रही हैं और किसान कर्ज के तले कराह रहा है।

मेरी सरकार से प्रार्थना है कि गुजरात विद्युत बोर्ड को विशेष आर्थिक सहायता दी जाये। उसे कम भाव में कोयला तथा विद्युत केन्द्रों को कार्यान्वित रखने के लिए गैस की आपूर्ति दी जाये ताकि किसानों, उद्योगों व वंचितों तक बिजली पहुंचाई जा सके।

(तीन) कोलकाता और दिल्ली के बीच बरास्ता रांची विमान सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : अध्यक्ष महोदय, झारखंड प्रदेश के गठन के बाद रांची इस प्रदेश की राजधानी बनी है। राजधानी बनने के बाद यहां पर स्थित व्यावसायिक केन्द्र और राज्य सरकार की गतिविधियां बड़ी तेजी के साथ चली हैं, जिसके कारण हवाई यातायात की मांग भी बढ़ी है। पूर्व में रांची कोलकाता के बीच हवाई सेवा कार्यरत थी, परन्तु न जाने क्यों बंद कर दिया गया। कई कारणों से कोलकाता एंव रांची का चौली दामन का साथ है। व्यापारिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए कोलकाता–रांची–दिल्ली और दिल्ली–रांची–कोलकाता के बीच हवाई सेवा शुरू किये जाने की अति आवश्यकता है।

अतः सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि लोकहित में रोजना कोलकाता–रांची दिल्ली और दिल्ली रांची–कोलकाता के बीच हवाई सेवा आरम्भ की जाये।

(चार) मध्य प्रदेश को अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात एवं मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के बीच विद्युत बंटवारे के पश्चात विद्युत उत्पादन की अधिकांश इकाइयां छत्तीसगढ़ में चली गई जिससे मध्य प्रदेश के समक्ष गंभीर विद्युत संकट पैदा हो गया है। राज्य अपनी आवश्कयता की आधी बिजली की भी आपूर्ति नहीं कर रहा है, जिससे ग्रामीण अंचलों की विद्युत सप्लाई प्रायः नगण्य है व किसान रबी फसल की सिंचाई हेतु बिजली नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, बिजली संकट से मध्य प्रदेश की जनता व किसान त्रस्त हैं।

अतः भारत सरकार मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ व पड़ोसी राज्यों से बिजली दिलवाने में मदद करे व मध्य प्रदेश में भविष्य की योजना बनाकर विद्युत उत्पादन हेतु आर्थिक मदद करें।

(पांच) देश में विशेष रूप से गुजरात में फसल बीमा योजना के कार्यकरण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान किसानों के लिए चल रही फसल बीमा योजना की तरफ तरफ दिलाना चाहता हूं। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है

---

* सभा पटल पर रखे माने गए।

जबकि यह फसल बीमा योजना इसलिए लागू की गई है कि प्राकृतिक रूप से आपदा आने के बाद किसानों को राहत दी जाये। मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में सूखे की अवस्था में फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए दस–दस हजार रुपये का बीमा करवाया था। परन्तु उनको बीमा का लाभ केवल 2000 या इससे कम मिला। जबकि इसको एक्सीडेंट में किये जाने वाले बीमा के रूप में लागू किया जाना चाहिए। बीमा कम्पनी सर्वे नहीं करती हैं और प्राकृतिक आपदा जैसी घटनाओं की जानकारी भी नहीं है।

मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसकी जांच की जाये और इस बीमा फसल योजना को पूरी तरह से बदला जाये और प्राकृतिक आपदा में सही मायने में किसानों को सहायता दिये जाने वाली फसल बीमा योजना बनाई जाये।

(छह) बिहार में और अधिक स्थानों से विमान सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगुसराय) : अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के गठन के पश्चात बिहार राज्य में सिर्फ पटना हवाई अड्डा रह गया है। यह विचारणीय है कि कई दशक पहले मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा चालू था और इस हवाई अड्डे से इंडियन एयर लाइन्स तथा वायुदूत के विमान उड़ान भरते थे। इसी प्रकार से वायुदूत की सेवा उपलब्ध हुआ करती थी। इन दोनों हवाई अड्डों से पुनः नियमित हवाई सेवा चालू करने की आवश्यकता है। अगर गया और राजगीर दोनों स्थानों से वायु सेवा उपलब्ध हो जाए तो बुद्धिस्ट सर्किट से जुड़े पर्यटन को तत्काल बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि राजगीर में भी हवाई अड्डा का निर्माण कराया जाये। भारत, नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल में भी वायुदूत की सेवा, जो वर्षों पहले उपलब्ध थी, को दोबारा शुरू करने की आवश्यकता है। यह सेवा नेपाल से जुड़े हुए पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी। वायु मार्ग से सामान भेजने के लिए पहले पटना हवाई अड्डे पर और बाद में गया एवं मुजफ्फरपुर में भी कार्गो हैंडलिंग की सुविधा स्थापित करने की आवश्यकता है।

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर, अनुरोध करना चाहता हूं कि शीघ्रतिशीघ्र उपरोक्त मामलों को निष्पादित करवाने की कृपा की जाये।

[अनुवाद]

(सात) केन्द्र द्वारा कर्नाटक को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत आबंटित राशि की एक और किस्त जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : महोदय, कर्नाटक सरकार ने भारत सरकार से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत गुलबर्गा जिले के लिए इस वर्ष की आबंटित राशि 292.25 लाख रुपए की दूसरी किश्त जारी करने का अनुरोध किया था जो अभी तक जारी नहीं की गई है। 31 मार्च 2000 को कर्नाटक सरकार ने 217.50 लाख रुपए का अपना हिस्सा जारी कर दिया है जबकि 72.50 लाख रुपए का भारत सरकार का हिस्सा अभी भी लंबित है।

कर्नाटक सरकार ने 24 अप्रैल, 2000 को भारत सरकार से जारी की गई धनराशि के भुगतान का अनुरोध किया है लेकिन भारत सरकार ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तत्काल कर्नाटक सरकार को धनराशि जारी करे।

(आठ) पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले का चहुंमुखी विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : उत्तर दीनाजपुर जिला पश्चिम बंगाल का एक नवगठित जिला है जिसके पास उद्योग के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है। पिछली जनगणना के अनुसार वहां साक्षरता दर बहुत कम है। इस्लामपुर उपमंडल की मूल समस्या उर्दू माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा से संबंधित है। उर्दू बोलने वाले विद्यार्थियों के लिए गोरखपुर, चाकुलीमा, इस्लामपुर, पांजीपारा आदि के कालेज तथा माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम की दृष्टि से समुचित अवसर उपलब्ध नहीं है। गोलपोखर तथा चाकुलीमा में इस माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा के लिए न तो कोई कालेज है और न ही पृथक उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय है। यह मामला अल्पसंख्यकों को होने वाली असुविधा से जुड़ा है। अतः भारत सरकार को अल्पसंख्यक आयोग और गृह मंत्रालय के माध्यम से दसवीं योजना तैयार होने से पूर्व इस पर समुचित ध्यान देना चाहिए। उत्तर दीनाजपुर को दसवीं योजना में अवश्य ही विशेष क्षेत्र विकास का दर्जा दिया जाना चाहिए। उत्तर दीनाजपुर के बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा बिहार की नदियों तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश के संदर्भ में की जानी चाहिए।

(नौ) केरल के कॉयर उद्योग में लगे कामगारों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : केरल में जूट (कॉयर) उद्योग भंयकर संकट का सामना कर रहा है। वर्तमान शुल्क नीति इस कुटीर उद्योग के लिए काफी हानिकारक है जो केरल के तटीय क्षेत्र के करीब 5 लाख महिला कामगारों को रोजगार प्रदान करती है। केन्द्र सरकार ने इस उद्योग को दी जाने वाली राजसहायता तथा कल्याण निधि में दिया जाने वाला अंशदान बंद कर दिया है। भुखमरी के कारण कामगारों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। मैं

केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि इस प्राचीन कुटीर उद्योग को नष्ट होने से बचाने के लिए शीघ्र ही आवश्यक कदम उठायें।

(दस) तमिलनाडु के हथकरघा बुनकरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डा. एस. जगतरक्षकन (अर्कोनम) : महोदय, तमिलनाडु राज्य में विशेषकर कांचीपुरम अराक्कोरम, चेय्यार, बालाजी जिन्हें सिल्क टाउन कहते हैं में लाखों हथकरघा बुनकर कार्यरत हैं जहां हथकरघा बुनकर संघ तथा ठेकेदारों के बीच हुए समझौते के बावजूद उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। ठेकेदारों द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी का भुगतान न किए जाने के कारण एक लाख से अधिक हथकरघा बुनकरों के परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। उनकी दशा दयनीय है अतः केन्द्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। किसानों की तरह उन्हें भी निःशुल्क बिजली दी जानी चाहिए।

अतः मैं केन्द्र सरकार, विशेष रूप से माननीय वस्त्र मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले पर ध्यान दें और हथकरघा बुनकर के परिवारों को भुखमरी से बचाने के लिए तथा उन्हें न्यूनतम मजदूरी दिलाने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

(ग्यारह) बिहार के जहानाबाद जिले में कतिपय स्थानों पर पेट्रोल पंप खोले जाने की आवश्यकता

श्री अरूण कुमार (जहानाबाद) : महोदय, मैं जहानाबाद (बिहार) संसदीय क्षेत्र के निम्नलिखित क्षेत्रों/स्थानों पर पैट्रोल–पंपों के न होने के कारण लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्या की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं :

1. कुर्था बाजार, कुर्था प्रखंड,
2. शकुराबाद बाजार
3. करपी प्रखंड में करपी बाजार
4. काको प्रखंड में काको बाजार
5. घोसी प्रखंड में घोसी बाजार
6. अताउल्लाह बाजार, करपी प्रखंड
7. मखदुमपुर बाजार, मखदुमपुर प्रखंड
8. इमामगंज, करपी प्रखंड
9. टेहटा, मखदुमपुर प्रखंड

जहानाबाद एक अतिसंवेदनशील जिला है। यह क्षेत्र लगातार आतंकवादी गुटों के बीच अकसर होने वाली झड़पों से ग्रस्त रहा है, जिसके कारण आम नागरिक प्रभावित हुए हैं। अतः इन लोगों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनके निकटस्थ स्थानों पर पैट्रोल पंपों का होना अति आवश्यक है ताकि उन्हें समाज विरोधी तत्त्वों की किसी प्रकार की धमकी से बचाया जा सके। हालात को मद्देनजर रखते हुए हम आशा करते हैं कि सरकार जल्दी ही इन स्थानों पर पैट्रोल पम्प खोलने की स्वीकृति प्रदान करेगी।

(बारह) नदी स्वच्छीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कोल्हापुर के पंचनगंगा जल परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र कोल्हापुर पंचगंगा जल परियोजना के अंतर्गत आता है, जिसके जल का प्रयोग सिंचाई तथा घरेलू कामों के लिए किया जाता है। निधियों के अभाव के कारण जल संग्रह, इसे साफ करने तथा इसकी आपूर्ति करने की समुचित व्यवस्था नहीं है तथा पंचगंगा प्रदूषित हो रही है और इस नदी के जल की गुणवत्ता दिन–प्रतिदिन गिरती जा रही है। इससे लोगों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है। नदी सफाई कार्यक्रम के अतंर्गत और अधिक निधियां प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस विषय पर केन्द्र सरकार से चर्चा की है। सक्षम परामर्शदाताओं द्वारा इस परियोजना की समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन यह मामला अभी भी लंबित पड़ा है।

महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि 10 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना हेतु धन–राशि उपलब्ध करायें ताकि पंचगंगा तट के किनारे बसे कई गांवों के लोगों को शुद्ध पेय–जल उपलब्ध हो सके।

[हिन्दी]

(तेरह) बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति जी, बिहार राज्य गत अनेक दशकों से नियमित बाढ़ की चपेट में आकर अपार जन–धन की हानि झेलता चला आ रहा है। इस वर्ष भी 200 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 188 करोड़ रुपये की खड़ी फसल भी नष्ट हो चुकी है। बाढ़ के कारण बिहार को तीन प्रकार से नुकसान झेलना पड़ता है। प्रथम, बाढ़ से सीधी हानि, दूसरा हानि के कारण पीड़ित लोगों को राहत देने की आवश्यकता, और तीसरा विकास की दर में कमी होने से क्षेत्र में स्थायी तौर पर पिछड़ापन है। गत दशकों में राज्यों में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए काम हुआ है। इस पर 728 करोड़ रुपया भी व्यय हुआ। 3,454 किलोमीटर नदियों के किनारे पुस्ता बनवाए। 336 किलोमीटर नालों का निर्माण

हुआ, परन्तु ये सब समस्या समाधान के लिए पर्याप्त नहीं। नेपाल से आने वाली नदियों के पानी को नियंत्रित करने के लिए ठोस कार्रवाई राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उसके लिए केन्द्र सरकार को आगे आना होगा। जल संसाधन मंत्रालय से सचिव के नेतृत्व में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है। जिसने नेपाल जाकर एक बार संपर्क भी किया है, किंतु यह कार्य की गति इस विनाशकारी समस्या के हल के लिए प्रभावी नहीं दिख रही है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इस समिति के कार्य में गति लाने के लिए कारगर कदम उठाए।

(चौदह) भारत-नेपाल सीमा पर बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान भारत–नेपाल सीमा पर अवस्थित सड़क मार्ग, जो कि पी.डब्ल्यू.डी. बिहार सरकार के अधीनस्थ है, की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस अति पिछड़े इलाके के सुपौल जिला मुख्यालय से पिपरा, त्रिवेणीगंज, जदिया, मरगामा, रानीगंज, अररिया, एन.एच.–57 से जोकीहाट, बहादुरगंज ठाकुरगंज होते गलगलीया, बागडोगरा 31–एन.एच. तक राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने से तीन अति पिछड़े जिले को जोड़ते हुए पश्चिम बंगाल प्रदेश के बागडोगरा तक करोड़ों लोगों को यातायात का मुख्य मार्ग से लाभ मिल सकेगा।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इसे राष्ट्रीय राजमार्ग में सम्मिलित करने का कष्ट करेंगे।

[अनुवाद]

(पन्द्रह) देश के प्रत्येक जिले में केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : देश के प्रत्येक जिले में विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है, जिसमें कम्प्यूटर शिक्षा तथा अन्य सभी आधुनिक सुविधाएं हों।

प्रतिष्ठित तथा जानी–मानी गैर–सरकारी संस्थाएं जो इन समुदाय के बच्चों को शिक्षा। आवासीय विद्यालय तथा अन्य गतिविधियों जैसे संबंधित कार्यक्रमों में संलग्न हों, को सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया करायी जानी चाहिए।

इन समुदायों के लड़के/लड़कियों के लिए पर्याप्त होस्टल सुविधा मुहैया करायी जानी चाहिए जो शिक्षण संस्थानों से जुड़ी होनी चाहिए।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें।

अपराह्न 2.05 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

अयोध्या मुद्दा

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अयोध्या मुद्दा न्यायालय के विचाराधीन है। अतः मैं सभा से निवेदन करूंगी कि वाद–विवाद के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं कहा जाए जो किसी भी रूप में न्याय की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाले।

मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करूंगी कि जहां तक संभव हो चर्चा अनुशासित ढंग से हो और वाद–विवाद का स्तर उच्च कोटि का होना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सभापति महोदया, इस टिप्पणी के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके निर्देशों का मैं पालन करूंगा। लेकिन कुछ कहने से पहले आपकी टिप्पणी के बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि सदन के बाहर व सदन के अंदर आधिकारिक रूप से उसका उल्लंघन हो रहा है, विशेषकर सत्तापक्ष द्वारा दिए गए अनेक वक्तव्यों तथा अन्य बातों से जिन्हें मैं उद्धृत कर सकता हूं। लेकिन यह उन पर निर्भर करता है। इस मुद्दे पर तथा वहां की वर्तमान स्थिति को ही ध्यान में रखकर मैं बोलने की कोशिश करूंगा।

महोदया, यह मुद्दा एक वर्ग विशेष की विशेष राय के बारे में ही नहीं है अपितु, मैं मानता हूं कि इस देश के सभी विवेकशील लोग ईमानदारी–पूर्वक चाहते हैं कि भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था अर्थात उच्चतम न्यायालय इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र कोई निर्णय दे। हम सभी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उच्चतम–न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए जाने वाले निर्णय और निर्देशों को पालन करने के प्रति वचनबद्ध हैं।

महोदया, न ही मैं और नही आप तथा न ही इस सदन का कोई सदस्य इतिहास की नये सिरे से व्याख्या कर सकते हैं न ही प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं और न ही चुनौती दे सकते हैं कि 2000 वर्ष पहले 3000 वर्ष पहले या 4000 वर्ष पहले क्या घटित हुआ था। विशेषकर हम तीन बातों पर निर्भर रहते हैं, नामतः (क) इतिहास के लिखे हुए दस्तावेज यदि कोई उपलब्ध हैं। (ख) पुरातत्व खोज यदि कोई की गई हो तो (ग) किसी मुद्दे को समझने के लिए उस विषय से संबंधित उपलब्ध संग्रहीत ज्ञान।

महोदया, इससे पहले मैं कुछ कहूं मैं गंगा सागर मेला, जो पश्चिम बंगाल के तट पर आयोजित होता है, से अपनी बात आरंभ करता हूं। ऐसी धारणा है और हिन्दू अभी भी मानते हैं कि गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम था। कपिल मुनि के सभी लड़कों ने बलिदान दिया, वे डूब गए लेकिन बाद में सभी वापस आ गए। अतः हिन्दू दर्शन के अनुसार कपिल मुनि को महान संतों में से एक माना जाता है। लेकिन यदि कपिल मुनि की याद में, मैं मंदिर का निर्माण करवाना चाहूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि प्रकृति ने इसे 1000 वर्ष पहले बंगाल की खाडी के कुछ ऐसे भागों में पंहुचा दिया है, जहां इसे ढूंढ़ पाना कठिन है। इसी प्रकार अच्छी सोच वाले लोग जो तर्कसंगत आवधारणा रखते हों वे भगवान राम को तथा हम जिन्हें पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं और साहित्यकारों ने जिन्हें महान् अनुकंपा का नायक माना है तथा गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जिन्हें रामायण महाकाव्य का नायक माना है। कुछ लोगों के लिए यह महाकाव्य हो सकता है तो कुछ के लिए साहित्य और कुछ के लिए यह एक धार्मिक संदेश है जो रामचन्द्र जी एक विशेष समुदाय और एक विशेष सभ्यता को देना चाहते हैं।

जिन दिनों रामायण की रचना की गयी थी न तो 'हिन्दू' शब्द था और न ही 'सिन्धु' शब्द तथा न ही 'विंध्या पर्वत' शब्द वहां था। रामायण शीर्षक के महाकाव्य में भगवान रामचन्द्र सभ्यता, मानवता, कृपा तथा सभी प्रकार के नैतिक मूल्य जो एक आदर्श मनुष्य में होने चाहिए वाले नायक के रूप में उभरे। हम ऐसे नायक को जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए हजारों वर्ष पहले जन्म लिया था बुराई से लड़ने वाला एक प्रतीक मानते हैं। बाद में, हम धर्म को मानने लगे। मैं नहीं जानता यह सब किस तिथि को शुरू हुआ। मैं धर्म का पंडित नहीं हूं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि इतिहास में लोगों का विश्वास किसी भी व्यक्ति को भगवान का प्रतिनिधि तक बना सकता है। भगवान ईसा (लार्ड जीसस) का जन्म भगवान रामचन्द्र के जन्म के काफी दिनों बाद हुआ इस से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। पश्चिम के एक बहुत बड़े समुदाय द्वारा उन्हें भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। वे कहते हैं कि ईसा मसीह ईश्वर के अवतार हैं। ठीक इसी तरह की भावना विश्व के विभिन्न भागों, विभिन्न समुदायों में विकसित हुई।

महोदया, अब इस बात पर कोई विवाद नहीं कर सकता कि भगवान श्रीराम और उनके संदेश पर प्रश्न उठाया जा सकता है। धर्म विशेष में उनकी श्रेष्ठता पर कोई विवाद नहीं है। मेरा अभिप्राय हिन्दू धर्म से है। भारत में, कई अन्य धर्मों में भी यह अतिविशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण है।

महोदया, आपको याद होगा कि जब साप्ताहिक धारावाहिक रामायण दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा था तब उस समय लोग, इसे कितनी तन्मयता से देखते थे। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अथवा कोई अन्य धर्मावलम्बी क्यों न हो, भगवान राम और महाकाव्य रामायण में प्रदर्शित उनमें महान चरित्र में प्रति अपने पूरे प्रेम व श्रद्धा के साथ इस धारावाहिक को देखते थे। मैंने पढ़ा था कि यहां तक कि फैजाबाद में भी अपनी जीविका एवं एक वक्त की रोटी का जुगाड़ करने हेतु रिक्शा चलाने वाले मुस्लिम रिक्शाचालक कम से कम 30 से 40 मिनट तक के लिए अपना काम बंद कर देते थे ताकि वे किसी चाय की दुकान या किसी की खिड़की से रामायण धारावाहिक देख सकें क्योंकि उनके घरों पर टी.वी. सेट नहीं होता था। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि 'जय श्री राम' सिर्फ आश्रयदाता भगवान का नाम नहीं है जो सभ्यता को संरक्षित रखेगा बल्कि यह दूसरे समुदाय जिनका जीवन दांव पर लगा हुआ है, के लिए एक धमकी है, तब भगवान श्री राम चन्द्र और उनके मौलिक संदेश का अभिप्राय पूर्णतः बदल गया तथा हिन्दू धर्म की सहिष्णुता पर उन लोगों के द्वारा प्रश्न उठाया गया जो आज अपने को हिन्दुत्व और हिन्दू धर्म का ठेकेदार होने का दावा करते हैं।

महोदय, मैं अब पृष्ठभमि में और अधिक नहीं जाना चाहता। दुर्भाग्यवश, यदि मैं ऐसा कहूं, तो इस संसद में सभी राजनीतिक दलों के पास उनके अतीत से संबंधित रेकार्ड हैं। समाजवादी आंदोलन से जुड़े हमारे मित्र, चाहे वे हमारे पक्ष में हों अथवा उस पक्ष के, कहेंगे कि वे राम मनोहर लोहिया में महान उपदेशों के बदौलत राजनीति में आए हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हम राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत, गांधीजी और नेहरूजी के संदेशों का अनुकरण कर कांग्रेस आंदोलन में शरीक हुए। कम्यूनिस्ट पार्टी के कुछ मित्र कहते हैं कि वे मार्क्सवाद और लेनिनवाद–के अनुकरण में यहां आए। किन्तु, महोदया, मुझे यह कहते हुए – अफसोस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी पृष्ठभूमि का दावा नहीं कर सकती जिसके आधार पर वह यहां आयी है।

हाल ही में सम्पन्न हुए जन संघ के स्वर्ण जयंती समारोह में माननीय गृह मंत्री की इस स्वीकारोक्ति पर कि वे राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण ही आज इस कुर्सी पर हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। यदि कोई दल यह दावा करता है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उनके शासन में आने का कारण राष्ट्रीय संघर्ष, किसानों व कामगारों का संघर्ष या मेहनतकश जनता का संघर्ष न होकर रामजन्मभूमि आंदोलन है जिसके कारण मस्जिद ढहायी गई, तो यह समझा जा सकता है कि ऐसे लोग भारत के संविधान में उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता की नीति के पालन में कितने उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगे।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

मैं नहीं समझ पाता हूं कि आखिर किस कल्पना के आधार पर गृह मंत्री श्री आडवानी और पूर्व अध्यक्ष श्री कुशाभाऊ ठाकरे सभा में यह कहते हैं कि वे राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण ही आज सत्ता में हैं। यदि ऐसा है तो, क्या गृह मंत्री यह महसूस करते हैं कि वे दोहरी नीति अपना रहे हैं ?

वर्ष 1996 के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था, "कुछ भी क्यों न हो, हम मंदिर बनाने के बीच आने वाले हर अवरोध व अड़चनों को दूर करेंगे।" किन्तु बाद में उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाया और राजग के घटकों के कड़े विरोध के कारण उन्होंने अपने एजेण्डे से इस मुद्दे को हटा दिया। अब, वे निर्णयात्मक रूप से कह रहे हैं : "हम इस मुद्दे को भूल चुके हैं, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। संविधान या उच्चतम न्यायालय जो भी कहता है उसका हम पालन करेंगे।" इसलिए, लोगों को सच्ची आशंका है। यदि हम कुछ कहते हैं तो श्री आडवानी इसे अन्यथा लेंगे। व्यक्तिगत रूप से उनसे हमें कोई विरोध नहीं है। यह व्यक्तिगत रूप से उनके लिए नहीं है हम उन्हें देश के महत्त्वपूर्ण नेताओं में से एक मानते हैं। हमें उनकी देशभक्ति में भी कोई संदेह नहीं है। परन्तु कृपया वे हमें राय दें कि किस प्रकार से उनके अधिकारी, पुलिस बल या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल या राजनाथ सिंह की राज्य सरकार उनके अनुदेशों का पालन करेगी जबकि दायर किए गए एक मुकदमें से जिसमें उनका नाम है, उन्हें अभी भी दोषमुक्त नहीं किया गया है।

श्री आडवाणी, मैं सिर्फ व्यक्तिगत आपसे नहीं कह रहा हूं। यह सरकार के कार्य–कलाप और औचित्य की मौलिक समझ है। 1993 में मस्जिद के ढहाये जाने के पश्चात् इसी संसद में एक अधिनियम पारित किया गया था। उस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार को पूर्ण अधिकार दिया गया था और उसी अधिकार के तहत विवादित स्थल सरकार में नियंत्रण के है।

– सरकार ने 17 अक्टूबर की घटना को गम्भीरता से नहीं लिया। श्री आडवाणी उस दिन अपने कार्यालय में विदेशी मीडिया से मिलने में व्यस्त थे। उन्होंने दूसरे सदन में दिए गए अपने वक्तव्य में स्वीकार किया कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वे हैरान हो गए। बाद में उन्होंने छानबीन करने की कोशिश की। वह छानबीन या जांच क्या है ? यह उच्चतम न्यायालय के निर्देशों तथा सुरक्षा आदेशों का उल्लंघन है कि दो नेता श्री अशोक सिंघल और श्री दीक्षित अपने समर्थकों के साथ जबरदस्ती प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए – प्रयुक्त शब्द 'जबरदस्ती' था; और आपने भारत की सारी जनता, चाहे वह मुस्लिम, हिन्दू, सिख या किसी सम्प्रदाय का हो, की नजर में यह दिखाने की कोशिश की कि उनके विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज करके उन्हें दण्डित किया है। क्या आप इस सभा को बताएंगे कि श्री सिंघल और श्री दीक्षित के विरुद्ध एक असंज्ञेय मामला वर्ज़ किया गया था? अयोध्या का संवेदनशील विवादित स्थल भारत सरकार के अधिकार और नियंत्रण में है। 1993 के अधिनियम के बाद से इसका सुरक्षा कमान केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास सम्मिलित रूप से है तथा वहां इनके अपने मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सरकार चलायी जा रही है और श्री अशोक सिंघल द्वारा किए गए इतने बड़े अपराध के लिए एक एफ. आई. आर. दर्ज किया गया तथा असंज्ञेय अपराध के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। श्री आडवाणी क्या आप इसे एक संज्ञेय अपराध नहीं मानते जो विनाश अथवा कई अन्य समस्याओं का कारण हो सकता था। अब मैं मंदिर मुद्दे पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं बल्कि यहां के कानून के संबंध में पूछ रहा हूं। श्री आडवाणी विरक्त भाव से संसद को बताते हैं – मैं अखबार में छपी रिपोर्ट को उद्धृत करूंगा, यदि यह रिपोर्ट सही है – और वे कहते हैं, यह गलत हुआ। किन्तु वे यह स्वीकार नहीं करते कि कानून का उल्लंघन हुआ है; वे राज्य सरकार को जांच करने के लिए कहते हैं। लखनऊ और नार्थ ब्लाक के बीच क्या दूरी है ? यह एक बार फिर अयोध्या जैसे संवेदनशील मुद्दे से निपटने की बात है।

प्रधान मंत्री ने राष्ट्र को एक वचन दिया। मैं प्रधान मंत्री के जादू को नहीं जानता। मैं कामना करता हूं कि वे इसमें सफल हों। प्रधान मंत्री उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता, फिर भी उन्होंने कहा कि वे 12 मार्च तक इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। संभवतः प्रधान मंत्री ने कहा होगा कि वे समुदायों के बीच आपसी समझौते के माध्यम से मतैक्य लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक अच्छा विचार तथा अच्छा प्रयास है। हम, विपक्ष के लोग यह कभी नहीं कहते कि धार्मिक नेताओं और अन्य लोगों के साथ प्रधान मंत्री द्वारा बातचीत करने का प्रयास गलत है। किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि विश्व हिन्दू परिषद् यह कहकर धमकी दे रहा है कि वे 12 मार्च के बाद इंतजार नहीं करेंगे। सरकार बहुत कमजोर है; राजग के कुछ घटकों जो अपने को धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं; का साथ होने के बावजूद वह अपने को बहुत कमजोर मान रही है। किन्तु विहिप की धमकी और दबाव के तहत प्रधान मंत्री 12 मार्च तक कोई समाधान खोज निकालेंगे। मान लीजिए 12 मार्च तक वे कोई समाधान नहीं निकाल पाते हैं तो क्या वे त्यागपत्र देंगे अथवा अपना पद छोड़ देंगे ? क्या वे कहेंगे कि उन्होंने एक समाधान निकालने का प्रयास किया पर विफल रहे और इसलिए वे पद छोड़ रहे हैं ? हम ऐसा नहीं चाहते और न ही हमने कभी ऐसी मांग की थी। किन्तु प्रधान मंत्री ने ऐसा वचन दिया है वह भी ऐसे अति विवादास्पद मुद्दे पर जिसके बारे में फैसला उच्चतम न्यायालय करेगा या जहां बजरंग दल और

विहिप बार–बार भड़काऊ वक्तव्य दे रहे हैं। इसके बावजूद प्रधान मंत्री ने वचन दिया कि वे 12 मार्च तक इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे।

यह आप पर है, किन्तु संसद में लोक प्रतिनिधि होने के नाते आपके उद्देश्यों को जानने का हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। यह 17 अक्टूबर को ही क्यों किया गया ? श्री अशोक सिंघल ने कोई भी काम भावनाओं में आकार या सनकीपन में नहीं किया। यह एक स्पष्ट कार्यक्रम था। एक एजेण्डा तैयार किया गया था। कुम्भ मेला के दौरान धर्म संसद द्वारा यह कार्यक्रम बनाया गया था जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया था कि 16 अक्टूबर को जलाभिषेक कर दिया जाएगा। 17 अक्टूबर को श्री अशोक सिंघल उस पावन स्थल में दर्शन के नाम पर पहुंच गए मानो दस वर्ष के अंदर उस खास स्थान पर राम को देखे बगैर वे भगवान राम से साक्षात्कार नहीं कर सकते।

इन दिनों मैं अपने भाजपा मित्रों को विवेकानंद का प्रचार करते हुए पा रहा हूं। इस संबंध में मैं उनके लिए शुभ कामना करता हूं। वे विवेकानन्द के विचारों से प्रभावित रहे। उन्होंने कहा था : 'भगवान सिर्फ यहां–वहां मूर्तियों में ही नहीं बसता है। लोगों की सेवा एवं उनसे प्रेम करो। जो लोगों की सेवा और उनसे प्रेम करते हैं, वे अपनी ही आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं।' श्री आडवाणी ने अपनी रथयात्रा में जिसे श्री लालू प्रसाद यादव ने पटना में रोक दिया, विवेकानंद का फोटोग्राफ भी लगाया था। विवेकानन्द का संदेश क्या है ? गुरु रविन्द्र नाथ टैगोर का संदेश क्या है ? टैगोर ने अपने प्रसिद्ध काव्य में कहा था कि भगवान राम का जन्म किसी खास अलग स्थान पर नहीं हुआ था। भगवान राम का जन्म प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हुआ है। उन्होंने कहा था कि जो लोग राम को किसी खास स्थान में देखना चाहते हैं, वे उनके संदेश का सत्यतः अनुसरण नहीं करते। विवेकानंद और रवीन्द्र नाथ टैगोर के इन योगदानों के बावजूद कुछ लोग महसूस करते हैं कि अगर वे इस इतिहास को पुर्नस्थापित करने का अधिकार नहीं पाते कि उस खास स्थान पर जहां पहले मस्जिद खड़ी थी। सिर्फ राम ने जन्म लिया था तथा अगर उस स्थान पर फिर से मंदिर नहीं बन जाता, रामचन्द्र का महत्त्व समाप्त हो जाएगा। मैं उन्हें हिन्दू धर्म का अनुयायी नहीं मानता। सहिष्णुता के उनके बड़े–बड़े दावे भी सत्य नहीं हैं।

इन दिनों हम बहुत सारी व्याख्याएं सुन रहे हैं। कभी–कभी मैं बहुत दुःखी महसूस करता हूं। बजरंग दल के कुछ कट्टरपंथियों ने मुझसे पूछा, तुम क्या दासमुंशी हिन्दू नहीं हो ? मैं उन कट्टरपंथियों से गीता से लेकर रामायण तक किसी भी विषय पर बहस कर सकता हूं। हमारे माता–पिता हमें हिन्दुत्व की शिक्षा देते हैं। हम दुर्गा काली की पूजा करते हैं और अपने पिता का अंतिम संस्कार भी करते हैं। हम ये सारे कार्य करते हैं। किन्तु हमने कभी भी किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा है कि डरा–धमका करके या भय अथवा आतंक के माध्यम से कोई हिन्दुत्व की पुनर्स्थापना अथवा उसका महिमा–मंडन कर सकता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। फिर भी ऐसा किया जा रहा हैं। खतरा क्या है ? मैं कलकत्ते से आ रहा था। आज के स्टेट्समैन में मैंने श्री गिरिराज किशोर का वक्तव्य पाया। इसके बावजूद श्री आडवाणी इन बातों को असंज्ञेय मान रहे हैं। उपाध्यक्ष, श्री गिरिराज किशोर ने स्टेट्समैन को बताया :

"सरकार का निर्णय कुछ भी हो हम वही करेंगे जो मंदिर निर्माण के लिए उचित होगा।"

[हिन्दी]

गवर्नमेंट जाती है तो जाए।

[अनुवाद]

"यदि इस मुद्दे पर सरकार जाती है, तो हमें परवाह नहीं है।" उन्होंने इस बात पर बल दिया है, "चाहे जो हो, हम कार्यक्रम जारी रखेंगे।" क्या कार्यक्रम है ? श्री गिरीराज किशोर कौन है ? लादेन समर्थित अलकायदा के कुछ आंतकवादियों ने 11 सितंम्बर को अमरीका में विश्व–व्यापार केन्द्र पर हमला किया। आंतकवाद के विरुद्ध लड़ाई में संपूर्ण विश्व एकजुट हो गया। हमारे प्रिय प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी पिछले कुछ माह से अपने अनेक वक्तव्यों में यह कह रहे हैं कि हमें धार्मिक आतंकवाद का मुकाबला करना है। धार्मिक आतंकवाद की शुरूआत किसने की ? क्या इसकी शरुआत महात्मा गांधी ने की थी, जिनका नाम आप हर रोज दलगत भावना से परे होकर लेते हैं। जिनकी 30 जनवरी, 1948 को यह प्रार्थना करते हुए मृत्यु हो गई

[हिन्दी]

ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान।"

[अनुवाद]

क्या महात्मा गांधी की मृत्यु के उपरांत, मुसलमानों ने हिन्दुओं पर यह आरोप लगाया था कि वे धार्मिक आतंक फैला रहे हैं ? एक हिन्दू नाथू राम गोडसे ने यह गलत काम किया होगा परन्तु हिन्दू सभ्यता की उसमें कोई गलती नहीं थी। उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। यदि 11 सितंबर को किया गया हमला आतंक है तो 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद का जो हुआ, वह भी धार्मिक आतंक था। सरल शब्दों में, वह आतंक था। हताशपूर्ण और जानबूझकर

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

किए गए प्रयासों से इस आतंक की शुरुआत हुई जबकि श्री कल्याण सिंह न्यायालय के समक्ष यह शपथ–पत्र दर्ज करने के उपरांत भी यह भूल गये और उन्होंने उस ढांचे को गिराने दिया।

महोदया, उसके तत्काल बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस दिन दिल्ली की केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से भी हम खुश नहीं हैं। हम उससे असहमत हैं। अपने दल की ओर से मुझे यह कहने का अधिकार प्राप्त है कि इस घटना को हमारे दल में बहुत आक्रोशपूर्ण ढंग से लिया गया। हमने अपने नेता को यह बताया कि उस दिन समय पर दिल्ली की सरकार द्वारा हस्तक्षेप न करने की कार्यवाही की वजह से विरासत में प्राप्त महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और कांग्रेस के धर्म निरपेक्षता में विश्वास पर प्रश्न चिह्न लग गया है। हमने श्री नरसिंह राव को बताया था कि आप विद्वान व्यक्ति हैं परन्तु हम समझते हैं कि आप हमारी पार्टी का नेतृत्व छोड़ देंगे। हमने यह कहा था। हम मानते हैं कि हमें और अधिक तत्परता से कार्यवाही करनी चाहिये थी।

परन्तु 17 अक्टूबर को श्री सिंघल ने क्या किया ? श्री आडवाणी, आपको प्रचार माध्यमों से, जहां आप साक्षात्कार देते हैं इसकी जानकारी मिल गई होगी । आपके पास इस घटना को रोकने के लिए पर्याप्त समय था। श्री राजनाथ सिंह की सरकार ने आपसे परामर्श किया था। इसकी लीपापोती करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को दंडित भी किया गया था। श्री आडवाणी, मैं आपको बता सकता हूं कि उस रात आपकी सरकार ने श्री अशोक सिंघल को 24 घंटे के लिए भी गिरफ्तार करने का साहस नहीं था। यदि उस रात आप अशोक सिंघल को गिरफ्तार कर लेते तो आपकी सरकार गिर जाती। क्या इसी बूते पर आपका मंत्रालय काम कर रहा है ? क्या आप इसी बूते पर भारत के लोगों को यह विश्वास दिला रहे हैं कि सब कुछ ठीक–ठाक है ? उस दिन सरकार की निष्क्रियता से देश के लोगों में एक तर्कसंगत आशंका को जन्म दिया कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। यदि मैं व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा वक्तव्य जारी करूं जिससे सांप्रदायिक झगड़ा हो अथवा उससे किसी समुदाय विशेष की भावनाओं को चोट पहुंचे तो मेरे विचार से इस सरकार को मुझे गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है। श्री गिरिराज किशोर और अशोक सिंघल दिन–प्रतिदिन वक्तव्य पर वक्तव्य जारी कर रहे हैं। परन्तु आप मौन साधे हुए हैं। वे प्रतिबन्ध आदेश का उल्लंघन करके पवित्र स्थान तक गए और आप बेचारे सुरक्षा कर्मियों को दंडित कर रहे हैं। प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था।

[हिन्दी]

कि अशोक सिंघल ने गलती नहीं की है। यह प्राइम मिनिस्टर बोले। प्राइम मिनिस्टर यह नहीं बोले कि अशोक सिंघल जी ने गलती की। वे बोले कि सिक्योरिटी का लैप्स है। सिक्योरिटी ने गलती की है। गलती अशोक सिंघल की नहीं है। इसलिए अशोक सिंघल को कुछ नहीं कहो। सिक्योरिटी को पकड़ो।

[अनुवाद]

आप की कार्यशैली यही है। आपके मुख्य मंत्री, श्री राजनाथ सिंह, जो लखनऊ में आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, में भी संज्ञेय प्राथमिकी दर्ज़ करने का साहस नहीं था। उन्होंने गैर–संज्ञेय प्राथमिकी दर्ज़ कराई है। महोदया, मैं आपको बता सकता हूं – मैं कोई तनाव उत्पन्न नहीं कर रहा हूं – कि यदि मुलायम सिंह यादव अथवा श्री बनातवाला अथवा कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने यह कहा होता कि चाहे जो हो, वे उस स्थल का दौरा जरूर करेंगे जहां मस्जिद गिराई गई है तो सरकार अयोध्या–अधिनियम के अंतर्गत उनकी संपत्ति जब्त कर लेती और उन्हें अपराध के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाता। क्या वह अकेले ही भारत के हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं?

[हिन्दी]

कागनीजेबल केस फाइल होता, लेकिन इसमें नॉन कागनीजेबल हुआ क्योंकि अशोक सिंघल घुसे थे। क्या अशोक सिंघल हिन्दुओं के ठेकेदार बन गए हैं ?

[अनुवाद]

क्या हम भारत में हिन्दू धर्म को नहीं मानते हैं ? वह हिन्दू धर्म के आका कब से बन गये ?

मैं भारत सरकार और विशेष रूप से गृह मंत्रालय और स्वयं श्री आडवाणी की निष्क्रियता, उदासीनता और दोहरे मानदंडों की आलोचना करता हूं क्योंकि वह 17 अक्टूबर की घटना से निपटने में असफल रहे। 18 और 19 अक्टूबर को भी उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि उनमें अपराधबोध था। हो सकता है उनके पास इस प्रकार का कोई टेलीफोन आया हो।

[हिन्दी]

आडवाणी जी, आपने सच कहा, हम लोग जो सत्ता में आए हैं, राम जन्मभूमि आन्दोलन के लिए। इसलिए जरा सोच कर कीजिए।

[अनुवाद]

मैं उन्हें दोष नहीं देता। वह मनुष्य हैं। वह हमेशा यह महसूस

करते होंगे कि उन्होंने राम रथ–यात्रा का नेतृत्व किया; वह मंदिर परिसर में भी गये; उन्हें खुद गिरफ्तार किया गया और अब वह गृह मंत्री बन गए हैं, इसलिए अब वह अशोक सिंघल को गिरफ्तार किस प्रकार कर सकते हैं ? यदि ऐसा है तो वह मंत्री के रूप में इस स्थिति को संभालने में अथवा सभा को विश्वास में लेने में समर्थ नहीं हैं।

12 मार्च से पहले उनका एक अन्य कार्यक्रम है। श्री अशोक सिंघल ने कहा है कि फरवरी तक

[हिन्दी]

फरवरी में उनका एक फंक्शन है।

[अनुवाद]

वहां लाखों लोग एकत्रित होंगे, भविष्य की योजनाएं बनायेंगे और यदि तब तक स्थिति में सुधार नहीं होता तो वे स्वयं प्रवेश करेंगे। ये सब बातें कही जा रही हैं। क्या कभी भारत–सरकार ने यह कहा है कि उन्हें उस व्यक्ति की जरूरत है और वे उसे गिरफ्तार करेंगे ?

मैं श्री आडवाणी से तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या वह गृह मंत्री के रूप में श्री अशोक सिंघल के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश को संज्ञेय अपराध मानते हैं ? वह न्यायालय नहीं हैं और इसलिए उन्हें अपनी राय नहीं देनी है। यह केवल प्रशासनिक कार्यवाही है। यदि यह इसे संज्ञेय अपराध समझते हैं, तो फिर उन्हें अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया ?

मेरा दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। 12 मार्च की तारीख प्रधान मंत्री के लिए अंतिम समय–सीमा है। यदि किसी प्रकार 12 मार्च से पहले उच्चतम न्यायालय आदेश नहीं देता और माननीय प्रधान मंत्री सभी दलों से परामर्श करने के उपरांत इस मामले पर कथित निर्णय देने में भी असमर्थ रहते हैं और यदि विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग–दल की तरह अपने तरीके से काम करती है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले को निपटाये जाने तक उस स्थल की यथास्थिति के सुरक्षार्थ वह आज संसद को क्या आश्वासन देंगे।

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 अक्टूबर की घटना के उपरांत कभी किसी समय केन्द्र सरकार को यह बताया है कि यह विश्व हिन्दू परिषद या अन्य लोगों की गलती नहीं बल्कि केवल एक सुरक्षा संबंधी चूक थी।

बजरंग–दल भारत का एक नया फासीवादी बल है। यह हिन्दुत्व को वेदों, उपनिषदों, रामायण और महाभारत को पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जिनका उसे आरंभिक ज्ञान भी नहीं है। वे केवल लाठी चलाने का प्रशिक्षण और जय बजरंग–दल जैसे नारे लगाना जानते हैं। वे अर्ध फासिस्टवादी हैं। ये नई फासिस्टवादी ताकतें, हिन्दू अल–कायदा है, जो हिन्दुत्व के मूल तत्त्व अर्थात् सहिष्णुता को समाप्त कर देना चाहते हैं। यदि अल–कायदा पर रोक लगाई गई है तो फिर बजरंग दल पर भी उसके कृत्यों और अभद्र बातों के लिए प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता-दक्षिण) : 'अल–कायदा' शब्द कार्यवाही वृत्तांत में नहीं आना चाहिए। इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जाना चाहिए....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य अलकायदा, तालिबान का जिक्र बार–बार कर रहे हैं। हिन्दुस्तान के सर्वोच्च सदन के अंदर यहां के मूवमैंट को अलकायदा से जोड़ना ठीक नहीं है।....*(व्यवधान)* क्या दासमुंशी जी यहां अलकायदा की वकालत करने के लिए खड़े हैं ?....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कोई भी व्यक्ति जो धर्म के नाम पर अपने विरोधी को धमकी देता है, वह भी वैसा ही है .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्होंने कोई भी बात असंसदीय नहीं कही है। यदि कुछ असंसदीय है, तो उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा। जो असंसदीय है, उसे हम निकाल देंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मुझे खेद है संभवतः उन्होंने मेरी बात को गलत समझा....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप उत्तर दे दीजिएगा। आप भी बोलने वाले हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए। कृपया चर्चा खराब न करें।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सबसे पहले भाषा का मतलब समझना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी, अब आपको अपनी बात खत्म करनी होगी। आप 30 मिनट ले चुके हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं नमस्ते कह सकता हूं और कोई प्रणाम कह सकता है। तालिबान का तात्पर्य है – तालिब और इल्म।

[हिन्दी]

रिलीजन की जो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेते हैं, उनको तालिबान कहते हैं – यह कोई गलत शब्द नहीं है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : आप हिन्दू अल कायदा कह रहे हैं।

सभापति महोदय : आप क्यों इण्टरप्ट कर रहे हैं, आप बैठिये।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मेरा कहना यह है कि चाहे कोई मुसलमान हो या हिन्दू, यदि वह फासीवाद और आतंक फैलाने के उद्देश्य से धर्म की व्याख्या करता है तो उसकी भी इसी प्रकार निंदा की जानी चाहिए। हमारा तात्पर्य किसी का बचाव करना अथवा किसी का विरोध करना नहीं है।....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आपने पढ़ा ही नहीं तो हम क्या करें। पहले आप पढ़िए....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

इस प्रकार, मैंने उपरोक्त जो तीन प्रश्न उठाये हैं, उसके लिए गृह मंत्री इस सभा और इस देश के प्रति जवाबदेह हैं। उन्हें यह बताना चाहिए कि यह सरकार धर्मान्धों के साथ कब और कैसे निपटेगी। वे झूठी सांप्रदायिक अफवाहें फैला रहे हैं जो हमारे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के लिए खतरा हैं और सरकार को चुनौती दे रहे हैं "हम आपकी परवाह नहीं करते। हम जो चाहेंगे वही करेंगे।" आप इससे कैसे निपटेंगे। ये कुछेक प्रश्न मैंने माननीय गृह मंत्री के समक्ष रखे थे। वह स्थिति से निपटने में पूर्ण रूप से असफल रहे हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं यह अनुरोध करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं कि प्रधान मंत्री 12 मार्च को क्या करेंगे, इसके बारे में सभा को विश्वास में अवश्य लें। यदि वह इसमें असफल हो जाते हैं तो वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आने तक सभी प्रकार के सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए इस देश के धर्मनिरपेक्ष लोगों की सुरक्षा का आश्वासन किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे?

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर) : सभापति महोदय, वर्ष 1989 से लेकर 2001 तक इस सदन का शायद ही कोई सत्र हो, जब अयोध्या की चर्चा न हुई हो। लगता है, यह चर्चा आगे भी चलती रहेगी। अच्छा है कि इस सत्र के प्रारम्भ में ही यह चर्चा माननीय दासमुंशी जी ले आये, अन्यथा इनको चार या पांच दिसम्बर को तो चर्चा करनी ही थी।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि दासमुंशी जी ने कपिल मुनि से अपना भाषण शुरू किया था। दासमुंशी जी हमें कह रहे थे कि इनको धर्म का 'क' 'ख' 'ग' भी नहीं आता है, मैं समझता हूं कि उन्होंने धर्म का व्यापक अध्ययन किया है, इसीलिए वे निराकार और साकार की इस देश की जो अवधारणा है, उसे साफ नहीं कर पाये हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह देश राम को हर हृदय में देखता है, श्री राम को हर जर्रे में भी देखता है, श्रीराम को कण–कण में देखता है, वहीं यह देश राम को अयोध्या में भी देखता है, एक मंदिर में भी देखता है, एक मूर्ति में भी देखता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बनारस के नजीर साहब थे, उन्होंने एक शेर लिखा था :

"जिन्हें आंखें खुदा ने दीं, वे मंदिर में खुदा देखें,

जिनका दिल हो पत्थर सा, वे भला पत्थर में क्या देखें।"

आंखों की बात होती है, कभी–कभी हमारी आखें पथरा जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं तो हमें यथार्थ दिखाई नहीं पड़ता और यही दिक्कत शुरू से रही है कि हम मसले को हल करने की नीयत से मसले को नहीं देखते, बल्कि मसले को इस्तेमाल करने की दृष्टि से ही मसले को देखते हैं और उन्होंने यह बात बहुत साफ कर दी है। एक बात जो मैं शुरू में कहना चाहता था, वह भूल गया, क्षमा करें। आपने एक व्यवस्था दी थी, मैं उस व्यवस्था का अनुपालन करूंगा। कहा गया था कि बहस की ऊंचाइयां कायम की जाएंगी और बहस का स्तर कायम रखा जायेगा। हिन्दू अल कायदा शब्द कहकर दासमुंशी ने जो स्तर कायम किया है, वह मैं कतई कायम नहीं करना चाहूंगा। ईश्वर को कृपा से हमें भाषा का सामर्थ्य प्राप्त है, इसलिए मैं कोई गलती नहीं करूंगा, लेकिन उनसे उम्मीद करूंगा कि वे भी मुझे वैसे ही शान्ति से सुनेंगे, जैसा मैंने उनको सुना है।

मैं निवेदन कर रहा था कि इन्होंने कपिल मुनि की बात कही है कि कपिल मुनि का मंदिर समुद्र में डूब गया। कपिल मुनि का मंदिर ही समुद्र में नहीं डूबा है, द्वारिका पूरी समुद्र में डूब गई, लेकिन द्वारिका की तलाश अब भी जारी है।

हम द्वारिका को नहीं भूले हैं। इसीलिए समुद्र तट पर ही हमने द्वारिका बना ली है और वहीं बैठकर पूजा कर रहे हैं। जब कभी समुद्र जगह देगा, हम वहां तक पहुंच जाएंगे, वहीं द्वारिका का मंदिर बनाएंगे और पूजा करेंगे। अयोध्या का राम मंदिर किसी समुद्र में नहीं डूबा था, किसी प्राकृतिक हादसे में नहीं डूबा था और न ही वहां कोई तूफान आया था। यह एक ऐतिहासिक साक्ष्य है कि वह तोड़ा गया था। उसका ऐतिहासिक साक्ष्य ही नहीं है, बल्कि उसके

स्थापत्य के 256 साक्ष्य न्यायालय की देखरेख में सुरक्षित हैं। आज न्यायालय में उस पर चर्चा चल रही है।

माननीय सदस्य ने बार–बार सुप्रीम कोर्ट की बात कही है। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यह वाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा है। यह मामला उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच में चल रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बार–बार इसमें खींचना ठीक नहीं है। न्यायालय इस समय 14वें इश्यू जिसमें 1528 के पहले क्या वहां कोई स्ट्रक्चर था, क्या वहां कोई मंदिर था या मस्जिद थी, उस पर मुकदमे के गवाह ले रहा है। हमारे मुस्लिम भाई जानते हैं कि साक्ष्यों से, खासकर स्थापत्य के साक्ष्यों को इनकार नहीं किया जा सकता। मुस्लिम भाई मानते हैं कि मस्जिद हमेशा खाली जगह पर बनाई जाती हैं, तोड़कर नहीं बनाते हैं। जो खाली जगह पर मस्जिद बनाई जाती है, उसी में नमाज कबूल होती है, ऐसी उनकी मान्यता है।

आज बहस केवल इसी इश्यू पर केन्द्रित हो गयी है कि 1528 से पहले वहां क्या था। इसलिए जो बहस चले, वह साक्ष्यों के संदर्भ में चलनी चाहिए। 265 साक्ष्य न्यायालय ने जो सुरक्षित रखे हैं, वे साक्ष्य हैं, जिसे उसने साक्ष्य के लायक माना है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह एक विशेषज्ञ समिति बनाए और वह उन साक्ष्यों का अध्ययन कर ले कि वे स्थापत्य के योग्य हैं या नहीं, उनको स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। न्यायालय भी उन पर विचार करे, जहां तक मसले को हल करने का सवाल है, पहली बार इस देश की संसद में देश के प्रधान मंत्री ने कहा है कि मसले को हल करेंगे और एक समयबद्ध तिथि दी है। यह बहुत बड़ा आश्वासन है। हमें उस आश्वासन की मर्यादा को समझना चाहिए। वह तिथि जब तक बीत न जाए, उससे पहले ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अभी मार्च आने में काफी समय है। मैं इसी तरह की एक घटना बताना चाहता हूं। जब एक अल्टीमेटम दिया गया था 19 जनवरी, 1986 को, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी थे। तब यह कहा गया था कि अगर राम जन्म भूमि में लगा हुआ ताला शिवरात्रि के दिन तक नहीं खोला गया तो साधु–संत उसको हटाएंगे और दर्शन करने के लिए अंदर जाएंगे। सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि जो ताला वहां लगा था, वह किसी न्यायालय के आदेश से नहीं लगा था। वह कैसे लगा था, यह समझ में नहीं आया। न्यायालय ने ही तय किया। उस समय वहां न बीजेपी की सरकार थी, न राजनाथ सिंह की सरकार थी। उस समय श्री वीर बहादुर सिंह की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस समय मुकदमा चला और हफ्ते भर में ही फैसला आ गया। इस देश में दीवानी के मुकदमे तय करने में कितना समय लगता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन उस वक्त केवल हफ्ते में ही फैसला आ गया कि ताले की कोई न्यायिक हैसियत नहीं है और शिवरात्रि के पहले ताला खुल गया। 19 जनवरी 1986 को यह चेतावनी दी गई थी और 8 फरवरी को ताला खुल गया। इसी तरह प्रधान मंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन में और दूसरे वर्ष मार्च तक का समय अभी है। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि वे इस मसले को न्यायालय में होने के बावजूद बाहर भी हल करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने नियमों के तहत पी.एम.ओ. में एक अयोध्या सैल की स्थापना भी की है और एक आई.ए.एस. की नियुक्ति हो गई है। वे उसकी मानेटरिंग कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। मेरी मान्यता है कि न्यायालय ने कई बार मसलों का हल किया है, लेकिन फिर भी वह समस्या हल नहीं हुई उसको बातचीत के द्वारा ही हल करना पड़ा है। कावेरी का हल इसी का एक उदाहरण है। न्यायालय ने उस पर पहले भी कई बार फैसला दिया था, लेकिन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अगर हस्तक्षेप नहीं करते तो वह मसला हल नहीं होता, अब जाकर वह मसला हल हुआ है। इसी तरह का मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। बनारस में मजारों का, कब्रों का मामला था। कोर्ट ने कहा कि इन्हें हटाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं हटा पाई। बातचीत की जरूरत इसमें भी है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक बार न्यायालय निर्णय दे दे कि यह यहां होना चाहिए, वह वहां होना चाहिए, तो क्या आप दोनों के बीच सद्भाव कायम किए बिना किसी चीज को हटा देंगे, आक्रोश के आवेश में कुछ हटाया तो जा सकता है। लेकिन निर्माण आवेश में नहीं होता, निर्माण श्रद्धा, सद्भावना और विचार से होता है। कोई भीड़ जाकर निर्माण कर दे, इसकी संभावना नहीं है। जिस 17 अक्टूबर की तुलना आपने डब्ल्यूटीसी के 11 सितम्बर से की है, मुझे आश्चर्य है कि इस तरह यदि हम भावनाओं की दृष्टि से अगर घटनाओं को देखेंगे तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। कहां 11 सितम्बर का न्यूयार्क में हमला और कहां 17 अक्टूबर का दर्शन करने के लिए अशोक सिंघल का अयोध्या जाना, दोनों की क्या तुलना हो सकती है ये अजीब बात है।....*(व्यवधान)* मैंने आपसे आश्वासन लिया था कि आप बीच में नहीं बोलेंगे। ....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ठीक है लेकिन गलत मत बताइए।. ..*(व्यवधान)*

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप कुछ देर तक चुप नहीं बैठ सकते।....*(व्यवधान)* ऐसी स्थिति में हमें भावनाओं की दृष्टि से घटनाओं को नहीं देखना चाहिए, विचार और यथार्थ की दृष्टि से घटनाओं को नहीं देखना

[श्री चिन्मयानन्द स्वामी]

चाहिए। अगर हम भावनाओं की दृष्टि से देखते हैं तो छोटी चीज बड़ी दिखाई पड़ती है और बड़ी चीज छोटी दिखाई पड़ती है। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें घटनाओं को सही परिप्रेक्षय में देखना चाहिए। जहां तक 17 सितम्बर को उनके दर्शन का सवाल है, माननीय मित्र ने दो बार कहा है कि कोर्ट और कानून। कोर्ट और कानून की बात....*(व्यवधान)* अगर उन्होंने कुछ कोट किया होता कि कौन सा कानून और कौन सा कोर्ट तो अच्छा होता क्योंकि हमारे पास कोर्ट का निर्णय है। जस्टिस तिलहरी ने एक निर्णय दिया था और उस पर दर्शन करने वालों ने एक पैटीशन दायर की थी कि हमें दर्शन करने की इजाजत दी जाये। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूं। वह स्थान विवादित था। तब भी वहां विवादित स्थिति में भी कोर्ट ने दर्शन करने की इजाजत दे रखी थी और विवादित स्थिति में भारत के गृह मंत्री श्री एस.बी.चव्हाण साहब ने वहां जाकर पूजा, अर्चना की थी और उस डेलीगेशन में मैं भी उस समय उनके साथ था। किसी विवादित क्षेत्र में जाकर पूजा करने का निर्देश कोर्ट देती है। जस्टिस तिलहरी का एक जनवरी, 1993 का जजमेंट है, वह मैं पढ़ना चाहता हूं :

[अनुवाद]

"अतः इस बात पर विचार करते हुए रिट याचिकाओं को केवल इस सीमा तक अनुमति दी जाती है कि विपक्षी पार्टी को परमादेश द्वारा निदेश दिया जाता है कि उन्हें याचिकादाताओं, हिन्दुओं और श्री राम के भक्तों को इतनी दूरी से अयोध्या में राम जन्मभूमि का सार्थक ढंग से दर्शन करने दें जो अननुपातिक और बहुत दूर न हो...."

[हिन्दी]

महोदय, मैं इससे समझ सकता हूं कि दर्शन करने की एक दूरी होती है। हम जितनी दूर से देखेंगे, वह प्रतिमा केवल 9 इंच की है और 9 इंच को अगर हम 51 फुट से देखेंगे तो 70 वर्ष का आदमी 51 फुट की दूरी से, 15 मीटर की दूरी से उस 9 इंच की प्रतिमा को देख सके, यह मानवीय दृष्टि अनुमति नहीं देती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोर्ट ने कोई दूरी अपनी ओर से तय नहीं की है। कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि मीनिंगफुल दर्शन और प्रपोर्शनेट ढंग से एक दूरी तय की जाये जिससे सभी दर्शन कर सकें और इतना ही नहीं, इसके आगे भी कहा है :

[अनुवाद]

"भक्तजनों और तीर्थयात्रियों द्वारा दर्शन करने और बाहर से दर्शन करने के संबंध में लेकिन इसके साथ ही प्रतिमा की सुरक्षा तथा आस-पास की विद्यमान परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा।"

[हिन्दी]

हम मानते हैं कि यहां विजन और व्यू ये दो बातें कही गई और इनको समझने की जरूरत है कि एक सत्तर वर्ष का जो व्यक्ति है, महोदय, अयोध्या में ऐसे कितने साधु-संत हैं जिनकी आयु 70-80 साल की हो चुकी है। सरयू में स्नान और राम जन्मभूमि दर्शन करने का उनका नित्य का नियम है। जब वे दर्शन करने के लिए आते हैं तो उनको पांच कि.मी. का जिग-जैग रास्ता चलना पड़ता है और एक कि.मी. का वह रास्ता जहां दोनों ओर दो फुट की चौड़ाई में दस-दस फुट पाइप लगे हुए हैं। एक आदमी मुड़ नहीं सकता, इतनी चौड़ाई वाले रास्ते में वे चलते और 70 वर्ष की आयु का आदमी जब पांच कि.मी. चलेगा तो उसको बीच में रुकने की जरूरत यदि होगी तो वहां रुकने की इजाजत नहीं है। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों की एक मर्यादा होती है कि वहां जूता-चप्पल पहन कर नहीं जाते हैं। जूता-चप्पल उतारने के बाद और दर्शन के बाद वापस जूता-चप्पल पहनने की वहां कोई व्यवस्था नहीं है। सीधे-सीधे वहां लोग जूता-चप्पल पहनकर पहुंचते हैं।

पहले जब ढांचा कायम था, तब दर्शन की दूरी सात फीट थी और अब जबकि ढांचा नहीं है, तो दर्शन की दूरी 51 फीट कर दी गई है। यह अन्तर है, जिसके कारण जो व्यक्ति वहां दर्शन करने के लिए जाता है, उसको दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। इसके अलावा वहां मंदिर नहीं, दफ्तर बना दिया गया है। वहां दर्शन सवेरे सात बजे से दस बजे और शाम तीन बजे से पांच बजे होते हैं। मंगला-आरती सवेरे चार बजे होती थी, हमको अच्छी तरह याद है, आयोग के आफिसर ने चार्ज लिया था। उन्होंने बैल्ट और जूता चमड़े का होने के कारण पीछे छोड़ दिया था। रात की आरती नौ बजे होती थी। सब खत्म कर दिया गया है। इसके खिलाफ भी लोग कोर्ट में गए, क्योंकि उस निर्णय को ठीक नहीं माना। 1996 में फिर श्री एपी वशिष्ट का जजमेंट आया। जिसमें कहा गया है -

[अनुवाद]

"हम साफ शब्दों में यह कहना चाहते हैं कि इन कार्यवाहियों के तहत, हम प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक मामले जो समय-समय पर बदल सकते हैं, की न तो जांच कर रहे हैं और न ही निदेश दे रहे हैं लेकिन मानवीय गरिमा को कायम रखने की वांछनीयता, सार्थक दर्शन करने की अनुमति देने, धार्मिक-अनुष्ठान संबंधी सुविधाएं प्रदान करने और इसी तरह के अन्य मामलों के संबंध में, हमने विचार किया है और इस याचिका में आदेश पारित कर रहे हैं।"

[हिन्दी]

हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि दर्शन करने का अधिकार, वहां जाने का अधिकार हर राम भक्त को है। दासमुंशी जी ने कहा कि मैं हिन्दू हूं। उन्होंने हिन्दुत्व की जड़ में मट्ठा डालते हुए कहा कि इसका इतिहास नहीं है। जब उसका इतिहास नहीं है, तो ये कैसे हिन्दू हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैंने ये सब बाते नहीं कही थी। वह सिर्फ अपनी बात मेरे मुंह से कहलाने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया रिकार्डों की जांच करके यह पता लगाइये कि वह जो कुछ कहना चाहते हैं, क्या वह सही है ? हिन्दू धर्म के बारे में वह जो शिक्षा दे रहे हैं, उसके बारे में मैं उन्हें उनसे बेहतर शिक्षा दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : महोदया, आप उसको पढ़ लेंगी। मैं निवेदन कर रहा था। राम भक्त दर्शन करने के लिए जा सकता है, लेकिन दर्शन करने की दूरी की कोर्ट ने व्यवस्था नहीं की है। इस संबंध में एक पत्र कांग्रेस ने भी जारी किया था, जिसमें दूरी तय नहीं की गई थी कि दर्शन की क्या दूरी होनी चाहिए। दर्शन की एक मर्यादा है, उसका पालन नहीं होता है, ऐसी स्थिति में किसी भी आस्थावान व्यक्ति को क्षोभ होना स्वाभाविक है, अप्रसन्न होना स्वाभाविक है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 17 अक्टूबर को जब अशोक सिंघल जी वहां गए तो वहां उस समय अधिकारी उपस्थित नहीं थे, जिनकी अनुमति से वहां दर्शन करने जाया जाता है। कान्स्टेबल उनको आदेश नहीं दे सकते हैं। वे अधिकारी की प्रतीक्षा करते रहे। काफी देर तक जब कोई भी नहीं आया, पट बन्द होने का जब समय आ गया, तब मजबूरन घुसकर दर्शन करने का अधिकार प्राप्त करना पड़ा और वे गए। लेकिन न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ हो, यह कहना कठिन है।

दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि अयोध्या का सम्बन्ध राम के इतिहास से है, राम के साहित्य से है, राम की संस्कृति से है और राम से अयोध्या का संबंध इस देश की आस्था से जुड़ा हुआ है। जैसा इन्होंने कहा – "ईश्वर–अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान।" इससे पहले महात्मा गांधी ने कहा था – "रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम।" आज भी महात्मा गांधी की समाधि पर अगर कोई शब्द अंकित हैं, तो केवल "हे ! राम" अंकित हैं। इसके अलावा कोई और शब्द अंकित नहीं है। उनकी जिंदगी के ये अंतिम शब्द थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि राम जहां से हैं, वहीं से हम आए हैं। जहां राम रहेंगे, वहां तक हम जायेंगे, बीच में हम रुकने वाले नहीं हैं।

अंत में, इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी का जो आश्वासन हमको और देश को प्राप्त है, उसके आलोक में हमें किसी भी प्रकार की उत्तेजना का निर्माण करना न उचित है, न आवश्यक है।

हम उम्मीद करते हैं कि विश्व हिन्दू परिषद ने जो भी कार्यक्रम घोषित किए हैं वे शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं और चलेंगे क्योंकि उनके जल अभिषेक के कार्यक्रम में किसी प्रदेश से कोई आपत्तिजनक सूचना नहीं आई। इसी तरह उनका राम–नाम यज्ञ 26 नवम्बर से चल रहा है, उसमें भी कोई आपत्तिजनक सूचना नहीं आई है। हम नियमों और कानून का पालन करने के लिए भी उनसे आग्रह करेंगे और स्वयं प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं, लेकिन साथ ही यह निवेदन भी करना चाहते हैं कि कम से कम ऐसे शब्द जैसे राज्य सभा में नियम 193 के अंतर्गत उठाया गया – शिक्षा के तालिबानीकरण का मामला हिन्दू अलकायदा, इन शब्दों का अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि उसका अर्थ कुछ हो सकता है, लेकिन अपनी मां को बाप की बीबी नहीं कहा जा सकता, उसे मां ही कहते हैं। अगर अपनी मां को कोई बाप की बीबी कहेगा, वह अनुवाद तो ठीक होगा। लेकिन अर्थ ठीक नहीं होगा। इसलिए यह अर्थ माननीय मुंशी जी को समझना चाहिए और वह मां को मां कहना सीखें, बाप की बीबी कहने की आदत छोड़ दें।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सभापति जी, माननीय प्रियरंजन दासमुंशी जी ने जो कहा है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धित क्षेत्र एवं विवादित स्थल पर, विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं का प्रवेश सर्वथा निन्दनीय है, उसकी निन्दा करनी चाहिए। इस सवाल को राजनैतिक दल या राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, यह सवाल हिन्दुस्तान के सभी सम्प्रदाय के लोगों की भावनाओं का आदर करने का है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं ने प्रवेश किया है, लेकिन इसे भी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार विवादित बना रही है।

अपराह्न 2.59 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*)

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री खुल कर कहते हैं कि विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं ने गर्भ–गृह तक प्रवेश ही नहीं किया, एक बार नहीं अनेक बार मुख्य मंत्री ने ऐसा बयान दिया कि विश्व हिन्दू परिषद नेताओं ने कानून नहीं तोड़ा। प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि

[श्री मुलायम सिंह यादव]

विश्व हिन्दू परिषद के लोगों का प्रवेश करना गलत था, उन्हें प्रवेश नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब भी मुख्य मंत्री कहते हैं कि प्रवेश किया ही नहीं। जब प्रवेश ही नहीं किया तो छोटे–छोटे अधिकारियों को मुअत्तिल क्यों किया गया तथा स्थानान्तरित क्यों किया गया। उन पर क्या आरोप है, गृह मंत्री जी बताएं। गृह मंत्री जी या प्रधान मंत्री जी जब उत्तर दें तो बताएं कि आखिर आपके मुख्यमंत्री का वक्तव्य सही है या प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य सही है आप क्या कहना चाहते हैं। इसे पूरी तरह से विवादित बनाया जा रहा है, जबकि कानून तोड़ने के आरोप में उन्हें तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए था। हम जानना चाहते हैं कि क्यों भाषण में कुछ कहेंगे, लेकिन अयोध्या में कुछ और कहेंगे। मुंशी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विश्व हिन्दू परिषद और बीजेपी को अलग–अलग कब से माना जा रहा है, ये एक हैं। इसमे कई सांसद हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो लोक सभा के अंदर हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोक सभा के मेम्बर हैं, जो बाहर जाकर विश्व हिन्दू परिषद के नेता हो जाते हैं। यहां आकर वे लोक सभा के सदस्य हो जाते हैं, लेकिन हैं वे अयोध्या के कटियार साहब। बाहर वह बजरंग दल के नेता हो जाते हैं। इनका एक चेहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सिर कई हैं, रावण के तो दस ही सिर थे लेकिन भाजपा के पता नहीं एक दर्जन हैं या और अधिक हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

कहीं शक्ति–वाहिनी है, कहीं विद्यार्थी परिषद है, कहीं बीजेपी है, कहीं बजरंग दल है, कहीं संघ परिवार है। न जाने इनके कितने सिर है। लेकिन इनके दिल के अंदर न राम है न देश है, न देश की एकता है, न देशभक्ति है। इनको केवल कुर्सी और सत्ता चाहिए। विश्व हिंदू परिषद कहिये या बीजेपी कहिये, जब उसने संगम पर ऐलान कर दिया कि 12 मार्च से मंन्दिर निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा....*(व्यवधान)* ये लोग धार्मिक नहीं हैं। धार्मिक व्यक्ति कभी साम्प्रदायिक नहीं हो सकता है और साम्प्रदायिक व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकता है। किसी धर्म को गाली देना, पूजा–स्थलों को तोड़ना धार्मिकता नहीं हो सकती है। जब उन्होंने मंदिर निर्माण का ऐलान किया तब प्रधान मंत्री जी या गृह मंत्री जी कहते कि अगर मंदिर बनेगा तो हमारी लाश पर मंदिर बनेगा, तब हम आपकी बात में सच्चाई मानते। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। हम जानते हैं कि पहले जब मस्जिद गिराई गयी थी तो आप चीनी बांट रहे थे। प्रधान मंत्री जी कह रहे थे कि यह देश की भावनाओं का, राष्ट्रीय भावनाओं का प्रकटीकरण है। वे अमरीका में जाकर सच बोल सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सच नहीं बोल सकते।.... *(व्यवधान)* यहां तो माननीय रघुनाथ झा बोल पड़ेंगे।....*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : ताला किसने खुलवाया, उस मामले में भी तो बोलिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : कांग्रेस की उसी गलती के कारण तो आप यहां हैं नहीं तो यहां नहीं होते।....*(व्यवधान)* हमारे दृष्टिकोण से तो दोनों ही ने गलत किया था आप पहले भी कहते थे, आज भी कहते थे कांग्रेस को। इनको तो इनकी गलती की सजा मिल गयी है लेकिन रघुनाथ जी आप तो बचिये। आप तो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। इसलिए हम आप से कहना चाहते हैं कि आप भाजपा से बचिए।....*(व्यवधान)* मेरा गृह मंत्री जी से कहना है कि उस वक्त आपको इस वारदात को होने देने से लोगों को रोकना चाहिए था और अब भी जो प्रवेश हुआ, उसे भी रोकना चाहिए था। आप गृह मंत्री पद से हट जाइये, फिर कुछ भी बोलिये कुछ भी करिए। लिब्राहन कमीशन के सामने आपने कहा कि मंदिर निर्माण चल रहा है या जो कुछ हो रहा है, उस पर मुझे गर्व है। आप अब तो नहीं कहेंगे कि मुलायम सिंह राजनीति कर रहा है।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : वोटों का मामला है।

श्री मुलायम सिंह यादव : यही मैं कहना चाहता हूं, लेकिन हम आपसे इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आपने खुद कहा है और मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। मैंने सुबह ही कहा है कि आपने कहा कि अगर पोटो पास होता है तो हमें उसका भी राजनीतिक लाभ मिलेगा और अगर पास नहीं होता है तो भी राजनीतिक लाभ मिलेगा। हम जानते हैं कि आपका राजनीतिक निशाना कहां है ? आप इस बात को समझते होंगे।

हमारी सभ्यता मिली–जुली है। आपने जिस तरह मस्जिद को ढहाया उसके परिणाम जो निकले, उसके लिए मैं देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उसने आने वाले चुनाव में आपको हराया। जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं आज एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता के बल पर, या साम्प्रदायिकता की कीमत पर या उच्चतम न्यायालय या किसी भी न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर, उसकी लाश पर अगर कोई मंदिर जबर्दस्ती बहुमत के बल पर, ताकत के बल पर बनाएगा तो हिन्दुस्तान की जनता उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती और हम पूरी शक्ति के साथ उसका डटकर मुकाबला करेंगे। आज भी हमारी इस बारे में एक नीति है। आप कहते हैं कि बातचीत के माध्यम से अगर कोई फैसला होता है तो उसे करेंगे। फैसला कर दीजिए। दोनों सम्प्रदायों के साथ बातचीत करने से उसका कोई समाधान निकलता है तो इस राय का अगर कोई व्यक्ति पहले भी था तो वह मुलायम सिंह था। मैंने कहा था कि लोकतंत्र में बातचीत से अगर इस समस्या का कोई हल निकलता है तो अच्छी बात है। यदि ऐसा

नहीं हो पाता तो न्यायालय के आदेश के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। आपको न्यायालय के आदेश का आदर करना चाहिए लेकिन आप कहते हैं कि हमारी भावना का सवाल है, आस्था का सवाल है। आपने ऐसा कह कर हमें चुनौती दी है। हमने कह दिया था कि हम सरकार कुर्बान कर सकते हैं लेकिन जब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तब तक अपनी लाश पर भी मस्जिद गिराने नहीं दूंगा। मैंने उसे गिराने नहीं दिया। यह देश की एकता का सवाल था। हमने मुसलमानों को खुश करके कोई बात नहीं कही थी। मुसलमानों को खुश करके राजपाट नहीं ले सकते हैं। हम जानते हैं कि सारे मुसलमान, सिख एक हो जाएं और एक होकर हमे वोट दे दें लेकिन जब तक हिन्दू हमें वोट नहीं देंगे तो सरकार में आना दूर रहा, हम लोक सभा में नहीं आ सकते हैं।....*(व्यवधान)* आपकी जमानतें जब्त हो गईं। जहां से हमारे आठ बार एम.एल.ए. जीते वहां तीन परसैंट ही मुसलमान हैं। हिन्दुओं ने आपकी जमानतें कई बार जब्त कराईं। जब 1991 में आपकी सरकार थी हर तरह से कोशिश की गई। उसके बाद हिन्दुओं ने आपकी जमानतें जब्त करवाईं। मैं अभी इसमें नहीं जाना चाहता हूं लेकिन आपको सबक सीखना चाहिए। 6 दिसम्बर 1992 को मस्जिद गिरा कर आपकी हार हुई। आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हारे और कई दूसरी जगहों में हारे जबकि आपने उसी के बल पर चुनाव लड़ा था। आपको सबक सीखना चाहिए। यदि सबक नहीं सीखा तो संख्या घटते–घटते कहीं दो पर न पहुंच जाए जो 1980 और 1985 में थी। उस समय हम भी हारे थे और आप भी हारे थे। वही हाल हो जाएगा। इसलिए आपको सबक सीख लेना चाहिए। इन सारे सवालों पर सरकार चुप्पी साधे है। मैं इस बारे में दोबारा नहीं कहना चाहता लेकिन हम यह मान कर चलते हैं कि यह कहना कि हम न न्यायालय का आदेश मानेंगे, न संविधान मानेंगे और न ही कानून मानेंगे, क्या यह आतंकवाद नहीं है ? अगर आतंकवाद नहीं है तो गृह मंत्री बताएंगे कि यह क्या है ? आंतकवाद यही नहीं है, अमेरिका में मुसलमानों की दाढ़ी के बहाने, सिखों की दाढ़ी देखकर उन पर जो जुल्म किया गया, हम उसे भी आतंकवाद मानते हैं। मंदिर–मस्जिद के विवाद पर इस तरह बहुमत के बल पर, ताकत के बल पर, न्यायालय की उपेक्षा करके, उसके आदेश को न मानना यह भी आतंकवाद है। आप बार–बार कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लडेंगे। जो स्वयं आतंकवाद फैलाता है, वह आतंकवाद के खिलाफ कभी लड़ नहीं सकता और न ही आतंकवाद का खात्मा किया जा सकता है। इसलिए आप क्या लड़ेंगे क्योंकि आप खुद आंतकवाद फैला रहे हैं। क्या यह आतंकवाद नहीं है ? आप संविधान को नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे और कहेंगे कि यह आस्था का सवाल है, हमारी भावना का सवाल है, चाहे जो हो जाए। फिर मुख्यमंत्री को जाकर यह कहते हैं कि आप दुबारा चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिये आपको दुबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिये विश्व हिन्दू परिषद नेताओं ने प्रतिबन्धित एवं विवादित क्षेत्र में प्रवेश किया है। मुख्यमंत्री जो बयान देते हैं, इसका मतलब यह है कि आपका सीधा निशाना उत्तर प्रदेश का चुनाव है और इसलिये आप लोगों की भावनायें भड़का रहे हैं। आप हर स्तर पर असफल हो गये हैं। आपने किसानों को बर्बाद किया। दुकानदार और व्यापारी आपके खिलाफ हो गये हैं। छात्र और नौजवान सारे पीड़ित हैं। जिस तरह से वकीलों की पिटाई की गई, कोई वर्ग आपके साथ नहीं है। आप केवल सहारा ढूंढ रहे हैं। अफगानिस्तान में लड़ाई हुई लेकिन उसके बाद आप लगातार कोई न कोई इस तरह का काम करना चाहते हैं जिससे साम्प्रदायिक भावना भड़के। इसका नतीजा हुआ कि आगरा में ताजमहल परिसर में जबर्दस्ती आप लोग प्रवेश कर गये। वहां 24–25 हजार लोगों ने ताजमहल को गंदा किया। माननीय गृह मंत्री उस सम्मेलन का उद्घाटन करने जाते हैं और प्रधान मंत्री जी उसका समापन करते हैं। समापन करने के बाद वे दिल्ली लौट आते हैं और इतने में वे लोग ताजमहल परिसर में प्रवेश कर जाते हैं। ताजमहल को गंदा कर देते हैं। क्या ताजमहल मुसलमानों का है ? यह राष्ट्रीय सम्पति है। 300 साल से भारत की पहचान ताजमहल से भी क्योंकि दुनिया का यह एक आश्चर्य है। कभी कहा गया कि निशानी मिटा देंगे क्या यह अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ है कि इसे मिटा देंगे। क्या यही करते रहेंगे ?

सभापति महोदय, हमें नियम का पालन करने के लिये कहा जाता है। हमारी स्पष्ट मांग है कि हमें न उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा है और न ही केन्द्र की सरकार पर भरोसा है। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक बुलाई जाये। इस बैठक में यह सवाल आना चाहिये कि अगर उन्होंने जबरदस्ती मंदिर बनाने की कोशिश की तो सरकार क्या करेगी। राष्ट्रीय एकता परिषद् में इस बात पर फैसला होना चाहिये। इसके लिये एक ही रास्ता है – या तो बातचीत के माध्यम से करा दीजिये लेकिन प्रधान मंत्री जी द्वारा यह कह देना कि 12 मार्च तक समाधान निकल आयेगा, आप बताइये कि वह समाधान क्या है ?

श्री मनोज सिन्हा (गाजीपुर) : अगर बता देंगे तो कैसे होगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, हम जानते हैं कि निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है केवल खड़ा करके जोड़ने का काम रह गया है। यह बात मुझे मालूम है जब आप कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी बता देंगे तो पता चल जायगा। समाजवादी पार्टी जबर्दस्ती मन्दिर निर्माण करने वालों का डटकर मुकाबला करेगी। यदि आपकी पुलिस और फौज होगी तो उसे हटा दीजिये, सुरक्षा बल हटा दीजिये। हमें पता है कि जनता इसका विरोध करेगी और आपकी गाड़ी निकल नहीं पायेगी। मैं इस मामले पर आपको चुनौती

[श्री मुलायम सिंह यादव]

नहीं देना चाहता। यदि आप लोग कह रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं। आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। 12 मार्च की तारीख क्यों रखी गई है, क्योंकि 12 मार्च तक 3.50 में चुनाव होना है। आप कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के आप सरकार बनायेंगे तो मंदिर बनायेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई लेकिन मंदिर नहीं बना सके। फिर कहा कि जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो मंदिर का निर्माण किया जायेगा लेकिन अब जनता समझ गई है कि मंदिर और मस्जिद गिराने से उनको महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और गरीबी मिली है, न बिजली मिली और न पानी मिल रहा है। लोग त्राहि–त्राहि कर रहे हैं। लोगों को बिजली, पानी, सड़कें और विकास चाहिये। इसलिये मंदिर के मुद्दे पर भजपा को वोट मिलने वाला नहीं है। जनता समझ गई है कि आपने जगह–जगह साम्प्रदायिकता भड़काई है। गोंडा में यही किया गया। आगरा में जूते पहन कर ताजमहल को गंदा किया गया, थूका, घास तोड़ी, पत्ते तोड़े और सिगरेट जलाकर माचिस वहीं डाली है और फिर बुझा–बुझाकर गंदा किया है। किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। यह बयान पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ कि ताजमहल में समाजवादी पार्टी के समर्थक प्रवेश कर गये। अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रवेश किया होता तो लाठी–डंडा चलता। फिर बनारस में किसानों की लड़ाई लड़ते हुये सतीश फौजी को बंद कर दिया गया। उसका क्या अपराधा था–मैं माननीय गृह मंत्री और प्रधान मंत्री जी से कह चुका हूं।

केवल उसके प्रति बदले की भावना से कार्य किया गया क्योंकि उसने फूलन देवी की हत्या के विरोध में वहां प्रदर्शन कर दिया, रास्ता रोक दिया। असली गुस्सा यह था कि उसने बनारस के अंदर लड़कर एक बार नहीं दो बार किसानों की जमीन बचाई। सतीश समाजवादी पार्टी का नेता बनारस जेल में रासुका के अन्तर्गत सड़ रहा है। वह किसका लड़का है ? आपको ताज्जुब होगा उसके बाप बहुत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जब उसके पिता जी की हालत मग्भीर हुई तो कई वकीलों ने, कई राजनीतिक पार्टियों ने समाजवादी पार्टी के समस्त नेताओं ने भी मांग की कि सतीश फौजी स्वतंत्रता संग्राम संनानी का बेटा है, सतीश फौजी को अपने पिता के अंतिम दर्शन करने दिया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की इतनी संवेदनहीन सरकार है कि उसे दर्शन नहीं करने दिए गए। जब उनका निधन हो गया तो उधर से सारे के सारे दल, हम यह भी कहेंगे कि उसमें आपके भाजपा के कुछ अच्छे लोगों को उचित लगा तो केवल चार घंटे के लिए उनका दाह–संस्कार करने दिया गया।

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, अब आप वाइंड अप करिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, मुझे थोड़ा समय और दीजिए, मैं समझ गया था कि आपका इशारा हो रहा है इसलिए मैं बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बेटा अपने बाप के अंतिम दर्शन नहीं कर सका। क्या उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने सोचा होगा कि उसका बेटा आजाद देश के अंदर इन खतरनाक धाराओं में पुलिस की गिरफ्त में होगा और उसे उसका अंतिम दर्शन करने का भी मौका नहीं मिलेगा – ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या इसीलिए उसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी।

मैंने प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी से सर्वदलीय बैठक में कहा, कि मंदिर निर्माण हेतु पांच करोड़ लोगों को जमा करने की धमकी दी जा रही है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं ? तभी मैं कहना चाहता हूं कि आपको सरकार ज्यादा दिखाई दे रही है कुर्सी ज्यादा दिखाई दे रही है, देश दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन प्रधान मंत्री जी और इनके सहयोगी दल कभी–कभी खड़े हो जाते हैं तो आप भी बदल जाते हैं। हम आपको यह नहीं कहते कि जब आप कहते हो तो बदल जाते हैं। लेकिन अब आप भी बदलने लगे हो, कई ऐसे बयान दिये हैं, आप कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। लेकिन बड़ी चतुराई से बचाकर कहते हो। पूरी बात आपके दिल में है इसलिए मिली–जुली सभ्यता और संस्कृति आपको बचाकर रखनी पड़ेगी। केवल सत्ता के लालच के कुछ कह कर और धमकाकर, आप बड़ी–बड़ी धमकियां दे देते हो। हमें कहते हो कि हम आतंकवादियों के समर्थक और सहयोगी हैं। यहां तक आपने कह दिया, प्रभुनाथ सिंह जी कहते हैं कि हम सब बैठे हुए लोग आतंकवादियों के समर्थक ही नहीं, आतंकवादियों से मिले हैं, क्योंकि कश्मीर की विधान सभा पर जो हमला हुआ है, वह हम ही लोगों ने करवाया है, उनसे हमारा मिला–जुला रिश्ता है, इसलिए वहां हमला हुआ है। बेचारे वहां के मुख्य मंत्री पूरी विधान सभा के सामने रो पड़े और सारे के सारे विधायकों को रुला दिया। अब कुछ भी कहते रहो, बेचारे फारूख अब्दुला के सामने रोने के अलावा बचा क्या है। प्रधान मंत्री जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, गृहमंत्री जी उसे बचा नहीं रहे हैं, जब कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है तो फारूख अब्दुल्ला के सामने रोने के अलावा क्या बचा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप आतंकवादियों को रोक नहीं पा रहे हैं। आतंकवाद इस तरह से रुक नहीं सकता है, चूंकि आतंकवाद को रोकने की आपकी न इच्छाशक्ति है, न राजनीतिक शक्ति है और न राजनीतिक इच्छा है। केन्द्र सरकार कितनी कमजोर है। ऐरा–गैरा कानून लाकर केवल आतंकित करने और धमकाने का अपका काम हो गया है। हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि प्रभुनाथ सिंह जी आप आतंकवाद के ऊपर बढ़कर मत बोला करो, बहुत बातें मत कहो, इस देश के अंदर

आतंकवाद की नींव उसी दिन इसी संघ परिवार ने रखी थी जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया। उसी दिन आतंकवाद की नींव पड़ी। सच्चाई यही है और इसीलिए आतंकवादी की बुनियाद पर प्रभुनाथ सिंह जी को जाना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं ये तो हमारी सुनेंगे नहीं, यह इसे राजनीति समझेंगे और हम बुनियादी बात करना चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि गांधी जी की हत्या से ही इस देश के अंदर आतंकवाद की नींव पड़ी थी। उसके बाद मस्जिद गिराई गई, उस दिन भी इस देश के अंदर जश्न मनाया गया। उसी तरह से गांधी जी की हत्या पर संघ परिवार द्वारा जश्न मनाया गया था। पूरे देश के अंदर भाजपा के लोगों ने जश्न मनाया।

महोदय, इस देश में आतंकवाद की नींव उसी दिन पड़ गई जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जनतंत्र के प्रबल समर्थक थे। उनकी हत्या वाले दिन से ही इस देश में आतंकवाद की जड़ जमनी शुरू हुई। इसलिए जब हम आपको अमरीका का पिछलग्गू कहते हैं तो आप हम पर नाराज होते हैं लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी के नेता जनेश्वर मिश्र के लिए कहते हैं कि वह कैसा मूर्खतापूर्ण भाषण देते हैं। अगर आप अमरीका के पिछलग्गू नहीं हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी से कि जब तालिबान के साथ अफगानिस्तान में अमरीकी सैनिकों से पाकिस्तानी अफसर और जवान तालिबान के साथ मिलकर लड़ रहे थे और इस बात की खबर आपको थी, फिर मजारे शरीफ एवं दूसरे शहरों में हुई लड़ाई के समय पाकिस्तान ने हवाई जहाज भेजकर अपने सैनिकों को सुरक्षित निकाल लिया – उस समय आप क्या कर रहे थे ? आपने अमरीका के खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठाई या कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई– इसलिए कि आप अमरीका के दबाव में हैं, अमरीका के पिछलग्गू हैं और जब हम सच्चाई बताते हैं, तो आपको बुरा लगता है तथा आप हमारे नेता जनेश्वर मिश्र जी को कहते हैं वे मूर्खतापूर्ण भाषण करते हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि आप पूरी तरह से विदेशी सरकारों, धनी देशों के दबाव में हैं और उनसे पूछ–पूछ कर काम कर रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान सरकार ने देश की सम्प्रभुता, देश के स्वाभिमान, देश के सम्मान को पूरी तरह गिराया है।

सभापति महोदय, यह सारे टी.वी. चैनल में आया है कि तालिबान के साथ जब अमरीकी सेना का युद्ध चल रहा था और पाकिस्तान के सैनिक तालिबान के साथ लड़ रहे थे लेकिन जब तालिबानियों ने समर्पण किया, तो पाकिस्तान ने एक जहाज अफगानिस्तान भेजकर अपने सैनिकों को सुरक्षित निकाल लिया – लेकिन इस घटना के बारे में अभी तक न तो प्रधान मंत्री, न विदेश मंत्री और न गृह मंत्री ने अमरीका से कोई भी विरोध प्रकट नहीं किया है – क्यों नहीं किया, क्या वजह है। क्या इसी प्रकार विदेशों के दबाव में आकर आप देश को चलाना चाहते हैं ?

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आपने बयान दे दिया कि अफगानिस्तान की लड़ाई खत्म हो गई है, इसलिए सारे तालिबान आतंकवादी अब कश्मीर में प्रवेश कर जाएंगे और आतंकवाद के रूप में देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। जब आतंकवाद का खतरा पैदा हो गया है और आपको पता है, तो आपको हम सब लोगों को मिलाकर चलना पड़ेगा। फिर आपको पोटो जैसे कानून को टोकरी में रखकर आग लगानी पड़ेगी। आप कहते हैं कि पोटो जैसा कानून अमरीका और इंगलैंड ने भी पास किया है और वह भी प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जैसे योग्य माने जाने वाले कहते हैं, तब बड़ा आश्चर्य होता है। मैं बताना चाहता हूं कि अमरीका ने पोटो पास किया है, उसमें क्या कहा है, उसने कहा है कि पोटो किसी भी अमेरिकन पर लागू नहीं होगा। सात दिन में अंदर जांच पूरी करेंगे और यदि सात दिन के जांच पूरी नहीं होगी, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। क्या आप ऐसा करेंगे और ऐसी घोषणा करेंगे कि किसी भी हिन्दुस्तानी पर पोटो लागू नहीं होगा। यह पोटो सारे के सारे आतंकवादी, जो पाकिस्तान द्वारा भेजे जा रहे हैं, उन पर लागू होगा, जो अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही थी और जो आतंकवादी वहां लड़ाई खत्म होने के बाद कश्मीर में आ गए हैं, उन पर पोटो लागू होगा – क्या ऐसा ऐलान आप कर सकते हैं ?

सभापति महोदय, आतंकवादियों पर पोटो लगाना तो बहुत दूर की बात, आतंकवादियों को हथकड़ी तक नहीं पहनाई गई, बल्कि उन्हें मेहमान बनाकर भेजा गया और वह भी अकेले जहाज में भेज दिया जाता तो भी कोई बात नहीं थी बल्कि हमारे विदेश मंत्री आतंकवादियों के साथ जहाज में गए। इससे बड़ा आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का कौन सा तरीका हो सकता है जो किसी भी तरह देश हित में नहीं है।

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, जब पोटो पर बहस हो, ये बातें आप तब बोलें। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। सिर्फ दो मिनट और लूंगा। यहां मिली–जुली संस्कृति और सभ्यता है। गृह मंत्री जी जब पूरे देश पर संकट है, अन्तर्राष्ट्रीय संकट है और हिन्दुस्तान उसकी चपेट में है, तो हम सबकी भावनाओं का आदर करते हुए, मिल–जुल कर इस देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने और इस देश को बचाने का काम कीजिए। केवल सत्ता पर नजरें मत रखिए। सत्ता में आकर आप न आतंकवाद का मुकाबला कर सकते हैं, न पाकिस्तान का मुकाबला

[श्री मुलायम सिंह यादव]

कर सकते हैं और न अफगानिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं।

सभापति महोदय, हम जानते हैं कि पाकिस्तान को रोजाना धमकी दी जाती है। प्रधान मंत्री बार–बार पाकिस्तान से कहते हैं कि मेरे संयम की बहुत परीक्षा हो चुकी, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब मेरा धीरज टूटने वाला है। इस प्रकार की आप बन्दर घुड़की पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है? इस पर मुझे गांव की एक कहावत याद आती है। एक लड़की शादी के बाद जब अपनी ससुराल गई, तो पति बार–बार डांटता और कहता कि ऐसा करो वरना, ऐसा करके लाओ वरना....। रोज धमकी देता। ऐसा करके लाओ, वरना – ऐसी बातें सुन–सुनकर वह बेचारी रोजाना दुखी होती कि उसे कभी गाली खानी पड़ती है और कभी धमकाया जाता है। जब वह अपने मायके लौटी तो वहां अपनी सहेली से अपना दुखड़ा रोया। उससे उसने सारी बातें कहीं और कहा कि इस तरह मुझे रोजाना धमकाया जाता है। इस पर उसकी सहेली ने कहा कि जब तुम वापस ससुराल जाओगी, तुम्हारे पति तुम्हें ऐसा कहें तो तुम कहना कि वरना क्या कर लोगे? जब लड़की अपने पति के घर गई, तो वहां पति के वही तेवर एक दिन पति बोला मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओ वरना पत्नी भी अकड़ गयी, उसने कहा कि वरना क्या कर लोगे ? पत्नी को गुस्सा देख पति सहम गया और बोला वरना क्या मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा। बिल्कुल इसी तरह का हाल हमारे प्रधान मंत्री का है और इस सरकार का है।

सभापति महोदय, कट्टरवाद ही असली आतंकवाद है। हमारा आरोप है कि यह कट्टरवाद जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़का कर फैलाया जा रहा है, यह बंद होना चाहिए। आप हमें हिन्दू की व्याख्या न समझाएं। हमने बड़े–बड़े शंकराचार्यों से पूछा है, आज सभी हिन्दू हो गए हैं। हमारे किसी भी वेद में, गीता में या रामायण में कहीं भी हिन्दू शब्द नहीं है। चिन्मयानंद जी शब्दों के धनी हैं, लेकिन वे भी जानते हैं कि यह बात सही है। पूर्व में सिंधु नदी के पास जो लोग रहते थे वे हिन्दू हो गए, जबकि कहीं भी हिन्दू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है।

अयोध्या का विवाद बातचीत के द्वारा या न्यायालय के द्वारा हल हो सकता है। हमारी मिली–जुली संस्कृति है। इसलिए हम इसका हल केवल मुसलमानों के खिलाफ उनको भड़का कर नहीं कर सकते। मुझे पता है कि यह क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा हार रही है इसलिए ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है। 6 दिसम्बर, 1992 में मस्जिद गिराकर हिन्दुओं की भावनाओं को आप इकट्ठा नहीं कर सके इसलिए आप बातचीत से या अदालत के माध्यम से इसका समाधान करने की ओर बढ़ें। अगर दोनों समुदायों में मिल–जुल कर आप ऐसा कर सकते हैं तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा रास्ता है। हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर बहुमत के बल पर जबर्दस्ती करेंगे तो समाजवादी पार्टी की ओर से डट कर मुकाबला किया जाएगा।

कुमारी ममता बनर्जी : सभापति महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे इस बहस में बोलने के लिए मौका प्रदान किया। मैंने श्री दासमुंशी, स्वामी चिन्मयानंद जी और मुलायम सिंह जी की बातों को बड़े गौर से सुना है। हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, इस सरकार का एक घटक दल है। हम लोग धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। धर्मनिरपेक्षता इस देश की मजबूत नींव है और बहुत बड़ा पिलर भी है। इसकी हम हर बार इज्जत करते हैं। लेकिन हम लोग एक बात को लेकर बार–बार उस पर राजनीति करते हैं। मैं लोक सभा में पांचवीं बार सदस्य चुनकर आई हूं। यह सब अपने क्षेत्र की जनता के विश्वास से हुआ है। जब 6 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद गिराई गई, तो मैंने रास्ते में दंगों का भयानक रूप भी देखा है। मैं जनता के आशीर्वाद से जीतकर यहां आती हूं। सभापति जी, आपको याद होगा कि जहां से मैं चुनकार आती हूं, वहीं से कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब आते थे। उस क्षेत्र से मेरे से पहले कोई दुबारा चुनाव नहीं जीत सका। लेकिन मैं जनता के विश्वास से वहां से जीतती रही हूं। मैं यहां नहीं कहना चाहती थी, लेकिन कहना पड़ता है कि मैंने देखा है जब भी छः दिसम्बर आती है, यहां पर कभी न कभी उस घटना के बारे में जरूर चर्चा होती है। एक दिसम्बर और छः दिसम्बर के बीच सदन में इस पर जरूर चर्चा होती है।

जब छः दिसम्बर को बाबरी मस्जिद गिराई गई, मैं तब काग्रेस पार्टी की सांसद थी। हमने भी तब त्यागपत्र दिया था। मैं उस समय मिनिस्टर थी। मेरा त्याग पत्र 18 जनवरी, 1992 में स्वीकार किया गया था। मैंने देखा है, उस समय जब नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री थे और आज के प्रधान मंत्री वाजपेयीजी उस समय सांसद थे, उनकी भी हमने स्पीच सुनी थी। उन्होंने भी इस घटना की निंदा की थी। विश्व हिन्दू परिषद के कुछ नेता वहां गए, इस बारे में प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी की बात को हमने सुना है।

प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने इसको कंडैम किया है और केवल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने ही नहीं इस देश का हर आदमी चाहता है कि हमारे देश के कानून के मुताबिक कार्रवाही हो तो इसके लिए हम लोग भी चाहते हैं कि अगर कोई कानून वायलेट करते हैं तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाही होनी जरूरी है, इससे हम लोग सहमत हैं। लेकिन यह बात भी मेरे मन में आई और अभी 15 वर्ष से मैं भी हाउस में हूं और मैं देख रही हूं कि एक–एक वर्ष में गवर्नमेंट गिर गई। हम लोगों ने देखा कि

हाउस के अंदर इकॉनोमिक इश्यू पर डिसकशन के लिए टाइम नहीं मिलता है और न ही सोशल इश्यू पर टाइम मिलता है लेकिन हर बार हाउस में काम्युनैलिज्म के इश्यू पर एक डिबेट हो जाती है। कोई हिन्दू का झंडा पकड़ते हैं तो कोई मुस्लिम का झंडा पकड़ते हैं लेकिन हम देश का झंडा पकड़ते हैं।

/अनुवाद/

महोदय, हम सदैव राजनैतिक कारणों से ही सांप्रदायिकता का लाभ उठाते हैं। लेकिन हम मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाते और कल्याणकारी कार्य नहीं करते जिससे कि देश की समस्त जनता, चाहे वे हिन्दू हों, मुस्लिम हों, सिक्ख, ईसाई अथवा पारसी अथवा कोई भी हों, एक हो सके। वे सब इन्द्रधनुष रंगों के समान इकट्ठे होने चाहिए। यह इस देश की राष्ट्रीय अखंडता है।

/हिन्दी/

राजनीति क्या हम लोग ऐसी ही कर देंगे। राजनीति का कलर यह है कि हमारे चुनाव आ रहे हैं तो हमें हिन्दू कार्ड खेलना है। राजनीति का कलर यह है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो हमें मुस्लिम का कार्ड खेलना है। अगर राजनीति की ताकत है तो कोई कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। हिम्मत से काम लेना ही जरूरी काम होता है। लेकिन हमने कभी यह बात नहीं की। मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहती लेकिन एक–दो बातें कहकर अपनी बात खत्म करूंगी। महात्मा गांधी जी जो हमारे देश के लीडर थे, उनको कभी हिन्दू के लीडर या मुस्लिम के लीडर के माफिक नहीं देखा लेकिन उनको देश के लीडर के माफिक देखा। लेकिन नेता जी सुभाष चन्द्र बोस और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में कोई नहीं पूछता कि हिन्दू हैं या मुस्लिम हैं। इसी तरह से डा. बाबासाहेब अम्बेडकर, लाल, बाल, पाल, भगत सिंह इत्यादि जो हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए सम्पूर्ण विश्व में सम्मान अर्जित किया, इसके लिए हम उनके आभारी हैं, उनके लिए कभी कोई प्रश्न पैदा नहीं हुआ लेकिन आज प्रश्न पैदा हुआ है। क्यों? इसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि बीमारी कैसे हुई ? हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ, उस समय हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बंग्लादेश एक साथ थे लेकिन जब उसका भाग हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम देश हो गया, बंग्लादेश भी मुस्लिम देश हो गया लेकिन मैजोरिटी हिन्दूज को लेकर भी हिन्दुस्तान हिन्दू कंट्री नहीं हुआ लेकिन एक सैकुलर कंट्री हुआ है।

हमारे देश की तीन परम्पराएं इतिहास की रही हैं। एक तो अतीत इतिहास, दूसरा मैडीवल हिस्टरी और तीसरी मॉडर्न हिस्टरी है। मॉडर्न हिस्टरी के भी दो पार्ट में से एक पार्ट में आज़ादी की लड़ाई के लिए कुर्बानी की गई है और जो दूसरा पार्ट है, उसमें देश की रक्षा करने के लिए कुर्बानी की गई है। ये दोनों पार्ट हम देखें तो सबसे ज्यादा खतरनाक पार्ट है देश की रक्षा करना और आज़ादी के बारे में आप मेरे से पूछें कि सबसे बड़ा इंडिया का अचीवमेंट क्या है तो मैं कहूंगी कि सबसे बड़ा अचीवमेंट यह है कि हम लोग सब एक हैं। हमारी एकता बनी रही है जिसको हम कहते हैं कि त्याग का नाम हिन्दू है, ईमान का नाम मुस्लिम है, प्यार का नाम ईसाई है और सिखों का नाम बलिदान है। यह हमारा प्यारा हिन्दुस्तान है। इसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। जिन लोगों ने देश के लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, कभी जम्मू–कश्मीर के बार्डर में तो कभी यू.पी. के बॉर्डर में तो कभी नेपाल के बॉर्डर में, कभी सिक्किम, कभी आसाम, कभी नॉर्थ–ईस्ट के बॉर्डर में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और जो लोग लड़ाई लड़ते हैं, वे न हिन्दू हैं, न मुस्लिम हैं न सिख हैं और न ईसाई हैं तो हम लोग कहते हैं कि :

"प्यासी जमीं थी, लहू सड़ा दिया,

जिस्म वतन का कर्ज था, उन्होंने चुका दिया।"

मातृभूमि के लिए चुका दिया। लेकिन राजनीति ऐसी भी होती है जो मैंने कई राज्यों में देखी है।

हमने खुद देखा है, चुनाव क्षेत्र में अपोनेंट पार्टी कहती थी कि ममता को वोट नहीं देना। वोट देंगे, तो कुरान को तोड़ देगी और बिन्दिया लगा देगी। मैंने जाकर कहा, क्या आप विश्वास कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। मैंने यह बात कभी नहीं कही। एक बार 1990 में एक मुसलमान लड़के ने मुझ पर प्रहार किया। मैं जिन्दगी और मौत से लड़ी। उस वक्त बहुत सारे आदमियों ने कहा कि एक हिन्दू महिला को मुसलमान ने मारा। मैंने कहा – ऐसा मत सोचो। यह हिन्दू–मुसलमान का लड़ाई नहीं है। यह पोलिटिकल लड़ाई है। हम माइनोरिटी और मैजोरिटी की बात कहते हैं। माइनोरिटी को प्रोटैक्शन देना हमारा काम है। क्या यह बात सच नहीं है, बीजेपी को गाली दी जाती थी, हमने भी बाबरी–मस्जिद के बारे में कन्डैम किया और उस वक्त बीजेपी के दो सदस्य थे, उनको हिन्दू का लीडर बनाकर सत्ता में लेकर आए। उस समय नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री थे और बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ। इसके बाद किसी ने नहीं कहा कि कोई हिन्दुओं का लीडर नहीं है, मुसलमान का लीडर नहीं है, हम देश के लीडर हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ना जरूरी है। यह बात सच है कि माइनोरिटी और मैजोरिटी में डिवीजन हो रहा है। हमारी बात गलत भी हो सकती है। ऐसी स्थिति पहले बंगाल में नहीं थी कि हिन्दू है और कौन मुसलमान है। हमने देखा है, यह देश के लिए अच्छा नहीं है। माइनोरिटी को प्रोजैक्शन देना हमारा कर्तव्य है, तो मैजोरिटी के बारे में हमें सोचना कर्तव्य है। बंगलादेश में लिग्विस्टिक पर एट्रोसीटिज होती है, तब

[कुमारी ममता बनर्जी]

कोई नहीं कहता है कि हिन्दू–मुसलमान ऐसा नहीं करना चाहिए। माइनोरिटी को प्रोटैक्शन देना हमारा कर्तव्य है, साथ ही साथ मैजोरिटी को, चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिक्ख हो या ईसाई हो, प्रोटैक्शन देना हमारा कर्तव्य बनता है।

मैं निवेदन करना चहती हूं कि होम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा ब्यान दिया है। लेकिन असल बात यह है कि जो सरकार में रहता है, पार्टी और सरकार में थोड़ा अन्तर होता है। सरकार में रहकर सरकार की इज्जत बनाकर रखना सबसे जरूरी बात है। आडवाणी जी ने कन्डैम किया और प्राइम मिनिस्टर ने कन्डैम किया, लेकिन इसके साथ–साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एफ.आई.आर. जो लाज हुई है, अगर उसमें कोई त्रुटि है, तो उसको देखना चाहिए। हमारे हाथ में उंगली छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन देश का नेता वही महीन होता है, जो देश की उन्नति के बारे में सोचता है। आप हिम्मत से काम कीजिए। आपके ऊपर जनता का आशीर्वाद है, शुभकामनायें हैं। मैं कहना चाहती हूं – "फानुस बनकर जिनकी हिफाजत खुदा करे, वह शमा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे।" आप एक्शन लीजिए।

अंत में, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि दोनों कम्युनिटी मिलकर सहमत हों, तो ठीक है, वरना कोर्ट का वर्डिक्ट दोनों कम्युनिटी मानने के लिए तैयार हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : सभापति महोदय, 17 अक्टूबर को अयोध्या में विवादित ढांचे पर, इस समय जो मंदिर निर्मित है, कुछ लोगों की जबरदस्ती घुसपैठ से उत्पन्न स्थिति पर सदन में चर्चा हो रही है।

महोदय, इस घटना को पृथकता में नहीं देखा जा सकता है। दरअसल में इस घटना को एक व्यापक संदर्भ में देखना होगा। इस घटना को इस क्रम में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान सुनियोजित योजना के तहत इस देश में राजनीति की जा रही है।

सभापति महोदय, यह इस देश के इतिहास की विडम्बना है कि 1947 में हमने धर्म के आधार पर जब देश को विभाजित करते हुए देखा, उसके जो परिणाम हमारे सामने आए वे शायद पिछली सदी के सबसे भीषण और भयंकर परिणाम थे। किसी भी सभ्य समाज में इतना व्यापक नरसंहार, इतना लहू कहीं नहीं बहा, जितना उस घटना में विभाजन के समय हुआ था और वह इसलिए हुआ था कि धर्म के आधार पर हमने देश को बांटा। जब भी सम्प्रदाय के आधार पर समाज के अंदर विभाजन होता है तो समाज का सारा ताना–बाना प्रभावित होता है। आज हम फिर से देख रहे हैं, हमारे देश के इतिहास की विडम्बना यही है कि आज फिर उन्हीं सांप्रदायिक आधारों पर इस देश के ताने–बाने को विभाजित करने का एक सुनियोजित प्रयास चल रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि मंदिर में घुसने की इस घटना को अलग नहीं देखा जा सकता है, इसे दो संदर्भों से जोड़ कर देखना होगा। पहला संदर्भ यह है, आपको याद होगा जब प्रथम सत्र 13वीं लोक सभा का शुरू हुआ था और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हम चर्चा कर रहे थे तो हम में से प्रतिपक्ष के अनेक सदस्यों ने इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि इस सरकार का छिपा हुआ एजेंडा है और उस एजेंडे को लागू करने के लिए यह सरकार कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस एजेंडे को लागू करना चाहते हैं, उनकी एक मजबूरी है और मजबूरी यह थी कि 24 दलों की मिली–जुली यह सरकार बनी। जिसमें बहुत से ऐसे दल थे जो अपने आपको सेक्युलरिस्ट या गैर साम्प्रदायिक दल कहते हैं, उन विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये उस एजेंडे को लागू नहीं कर सकते थे, लिहाज़ा इन्होंने पीछे के रास्ते से उस एजेंडे को लागू करने की शुरूआत की।

महोदय, मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं जो सारी चीजों के क्रम को जोड़ कर बताएंगे, फिर इस घटना पर हम आएंगे। पहले तो आईसीएचआर में इतिहास की पुस्तकों के साथ छेड़–छाड़ करना। गुजरात में बच्चों की पाठ्य पुस्तकों को विकृत रूप से पाठ्यक्रम में जोड़ना, जिस पर संसद की एचआरडी की स्टैंडिंग कमेटी ने आपत्ति उठाई थी, तब जाकर उसे बदलने की कार्यवाही की गई। दूसरा, वेलेनटाइन डे के ऊपर हुड़दंग और उत्पात मचाना, यह भी कई जगह देश में हुआ। विश्व हिन्दू परिषद द्वारा स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी गई थी कि हमें न्यायालय की कोई परवाह नहीं है, हम मंदिर बनाने का काम करेंगे। ताजमहल में घुस कर उत्पात और हुड़दंग करेंगे और उसे क्षति पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी के द्वारा सीबीएसई को निर्देशित करके अभी हाल में पिछले दिनों सदन में चर्चा हुई है। फिर पाठ्य पुस्तकों और इतिहास के साथ छेड़–छाड़ करना और उसके भगवाकरण के प्रयास करने के क्रम में चले आए। अब मंदिर के अंदर घुसपैठ करने की घटना है। दरअसल सही बात यह है कि 18 से 21 जनवरी, 2001 को महाकुंभ के समय पर एक धर्म संसद का आयोजन इलाहाबाद में हुआ। उस मेले में बकायदा पूरे समयबद्ध तरीके से योजना घोषित की गई।....*(व्यवधान)* बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल का सम्मेलन था। अब इन सारे नामों को लेने का क्या फायदा है, सब एक ही हैं। इसमें कहीं भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है।....*(व्यवधान)* उसके अंदर बाकायदा कार्यक्रम घोषित किया गया। मेरे पास डाकुमेंट हैं, लेकिन मैं समय बर्बाद करना नहीं चाहता, इसलिए मैं पढ़ कर सुनाना नहीं चाहता। अगर किसी को शक हो तो मैं उसे पढ़ कर भी सुना सकता हूं। उसके अंदर जो

पहली चीज तय की गई, वह यह थी कि 17 सितम्बर से लेकर 16 अक्टूबर तक शिवोच्चारण और जलाभिषेक कार्यक्रम संचालित किया जाएगा।

दूसरा, धर्म–जागरण और यज्ञ का काम 26 नवम्बर से आरम्भ किया जाएगा, जो शुरू भी हो चुका है। तीसरा, मंदिर निर्माण का काम 12 मार्च 2002 को शुरू कर दिया जाएगा – ये उनकी घोषणाएं हैं।

यह सभी को पता है और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल कह ही चुके हैं कि चेतावनी यात्रा 22 दिसम्बर से शुरू होने वाली है। जप–यज्ञ और धर्म–जागरण का कार्य शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जो हो रहा है और जिसको लेकर मध्य प्रदेश विधान सभा में भी काफी तनाव की स्थिति पैदा हुई। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के घर–घर जाकर भगवा–झंडा लगाने की कोशिशें हो रही हैं, मूर्ति रखने और उनको तावीज पहनाने आदि के कार्य वहां इनके द्वारा शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के साथ–साथ अन्य प्रदेशों में भी इनके कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। यह जो कुछ हो रहा है, यह उसी कड़ी का हिस्सा है और मैं इस बात को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि विश्व हिन्दू परिषद के अशोक सिंघल जी 100–200 लोगों की फौज लेकर मंदिर के अंदर घुस गये हों और उसकी जानकारी उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकार को नहीं थी। क्या यह स्वीकार करने योग्य बात है ? फैजाबाद में उसी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री कलराज मिश्र वहीं मौजूद थे और वहां घुसपैठ की कार्यवाही हो गयी। वे इसलिए वहां थे कि अगर केन्द्रीय बल कुछ करने लग जाए तो सहायता के लिए भी वे पहुंच सकते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपका गोपनीय तंत्र कहां गया था ? उत्तर प्रदेश और केन्द्र की सरकार या तो यह स्वीकार करे कि उनका खुफिया तंत्र पूरी तरह से नेस्तानाबूद हो चुका था या यह स्वीकार करे कि उनके पास जानकारी थी लेकिन यह उन्हीं की योजना का अंग था और समाज को भड़काने का कार्यक्रम करने दिया गया।

मैं इसकी दूसरी पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं। आप अगर देखें तो पिछले कुछ महीनों में कुछ राज्यों में चुनाव हुए और उन राज्यों के चुनावों में एक बात उभरकर सामने आयी है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े–बड़े दावों के बावजूद भी, चाहे असम हो या तमिलनाडु, भाजपा और उनके सहयोगी बुरी तरह से पराजित हुए हैं। केरल और पश्चिम बंगाल में इनका खाता भी नहीं खुला और मणिपुर में इनके सहयोगी दल समता पार्टी की सरकार को उनके ही लोगों ने 26 में से 19 लोगों द्वारा डिफैक्शन कराकर गिरा दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर नये समीकरण उभरने शुरू हुए। इससे भी उनकी असुरक्षा की भावना का पता चलता है।

गुजरात में सरकार जिस तरह से बदनाम हुई और अब गुजरात भाजपा के दिन गिने–चुने हैं। जिस दिन भी चुनाव हुआ, भाजपा की सरकार वहां से साफ हो जाएगी और वहां कांग्रेस की सरकार आयेगी, यह निश्चित है।....*(व्यवधान)* यह सब उसी परिदृश्य में आपको देखना होगा। अब आने वाले समय में दो जगह पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। पंजाब में तो इनके हाथ में क्या है, वहां तो अकालियों के हाथ में सरकार है। आने वाले समय में वहां भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और अगर उत्तर प्रदेश के चुनावों में भाजपा चली गयी तो पूरे हिन्दुस्तान में इनको खड़ा रहने की जगह कहां बाकी बचेगी ?....*(व्यवधान)*

मैं इस बहस में उलझना नहीं चाहता। हर दल को पूरा अधिकार है अपने लिए क्लेम करने का। हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसी साम्प्रदायिक पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश में किसी कीमत पर जीत कर वापस नहीं आनी चाहिए। जितने धर्मनिरपेक्ष दल हैं उन सब को इस दिशा में काम करना चाहिए....*(व्यवधान)* मैं कुछ तथ्यों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। सबसे बड़ा कारण यही था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। उस दिशा में वापस आने के लिए उन्होंने एक उच्च स्तरीय दल का गठन किया। उसने एक असैसमैंट किया। यही कारण था इन्होंने वहां अपना मुख्यमंत्री बदला, उत्तरांचल में भी बदला। उसी एक्सरसाइज का एक हिस्सा यह भी था कि एक बार फिर से हिन्दू सैंटिमैंट्स को भड़काया जाए, हिन्दुत्व को फिर से पैदा किया गया, फिर से धार्मिक और साम्प्रदायिक आधार पर वोटों के समीकरण की चाल को फैलाया जाए। उसी कारण 12 मार्च की तारीख तय की गई। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कहना चाहता हूं कि दूसरी कोई बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं प्रधान मंत्री जी से लेकर गृह मंत्री तक के बयानों को उद्धृत कर सकता हूं। आचार्य गिरिराज किशोर का स्टेटमैंट है कि, "18 साल के लड़के, लड़कियों को स्वैच्छिक ट्रेनिंग देंगे और आगामी 12 मार्च के पूर्व देश को राममय बना दिया जाएगा ताकि राम जन्म भूमि में भव्य मंदिर का निर्माण किया जा सके।" विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी कहते हैं कि "12 मार्च 2002 तक सभी बाधाएं या तो सरकार दूर करे वरना संघर्ष के लिए तैयार रहें" ऐसी धमकियां दी जा रही हैं। विश्व हिन्दू परिषद साफ कह रही है कि हमारे ऊपर कार्रवाई करके देखो, आपकी सरकार टिक नहीं पाएगी। वह चैलेंज कर रही है। सच यह है कि ये सब केवल एक दिखावा है, एक भ्रममात्र है।. ....*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में एक पार्टी के प्रवक्ता हैं हृदय नारायण

[श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी]

दीक्षित, उन्होंने स्टेटमेंट दिया।....(व्यवधान) ऐसे तमाम लोगों ने स्टेटमैंट दिए। आचार्य गिरिराज किशोर के साथ आडवाणी जी का स्टेटमैंट आया। उन्होंने लिब्राहन आयोग में साफ तौर पर कहा कि वहां मंदिर ऑलरेडी है, केवल एक भव्य मंदिर बनाना शेष रह गया है। अगर सरकार के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की यह सोच है, अगर आरएसएस के साथ थोड़ा विवाद था उसका तुष्टिकरण करना है, अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में अपने लिए जीतना है, इन सब को देखते हुए इन को यह लगा कि फिर से उन्हीं साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काना पड़ेगा। उस दिन उस पूरी योजना को अंजाम देना, उसका एक हिस्सा था। मैं गम्भीरता के साथ एक चेतावनी देना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री जी, आप यह महज धमकी मत समझें, वहां जो महाकुम्भ का कार्यक्रम विश्व हिन्दू परिषद ने तय किया, अगर आप कहते हैं कि आपका उससे सीधा संबंध नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि 12 मार्च के पहले अगर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुकम्मिल नहीं की तो इसके बहुत गम्भीर परिणाम निकलेंगे। वहां अचानक हजारों लोग पहुंचेंगे। जगह-जगह से लोगों को इकट्ठे करने का काम शुरू हो चुका है, फिर वही कहानी होगी जो पिछली बार हुई थी। आपका स्टेटमैंट आएगा, प्रधान मंत्री जी का आएगा कि अचानक हम कंट्रोल नहीं कर पाए, इतना ज्यादा मौब हो गया, इतने ज्यादा लोग गए, इतनी भीड़ हो गई कि जनाक्रोश पर हम लोग नियंत्रण नहीं कर सके। इतना कहकर आप इस बात से बरी नहीं हो सकते मैं आपको तो चेतावनी देना चाहता हूं कि 12 मार्च से पहले-पहले वहां सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। जिन लोगों ने यह घटना की है, उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। आपने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर दी और इस सरकार ने तहलका कांड से जुड़े अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर देगी लेकिन राजनीतिक लोग ऐश करेंगे। अयोध्या-बाबरी डिमोलीशन प्रकारण से जुड़े तीन-तीन मंत्री आज सरकार में बैठे हुये हैं। आज सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जारी करना पड़ा और उत्तर प्रदेश सरकार से कहा गया कि नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया। यह इस बात को जाहिर करता है कि यह सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक एक विशिष्ट योजना के तहत इस देश को फिर से साम्प्रदायिक आधार पर अपने अशुभ मंसूबों को पूरा करने के लिये विभाजित करना चाहती है। यह गंभीर प्रश्न है। मैं सरकार को चेतावनी देते हुये इस सदन में जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि वक्त कभी आप लोगों को माफ नहीं करेगा यदि आपने इस तरह से गफलत की।

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त विपक्षी दल पर बीपीजी का भूत सवार हो गया है। इस अयोध्या प्रकरण में केवल बीजेपी और पोटो नजर आ रहा है। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में माननीय श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की स्थिति इतनी सबल हो गई है और देश में वातावरण बदल रहा है कि उसका इतना प्रभाव आ गया है कि माननीय मुलायम सिंह जी जैसे नेता को, और अन्य विपक्षी सदस्यों को एक स्वर में बीजेपी और चुनाव नजर आ रहा है। इस प्रकार से अयोध्या प्रकरण का राजनीतिकरण करके उसे अधिक योगदान प्राप्त हो रहा है।

सभापति जी, अयोध्या प्रकारण का प्रश्न मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उसकी भावना और आस्था से जुड़ा हुआ है। केवल तर्क या न्यायालय के निर्णय के आधार पर या किसी और कारण से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हमारे देश में कहा जाता है कि व्यक्ति आसमान के तारों की गणना करने में समर्थ हो सकता है, रेगिस्तान के बालू को गिनने, मूसलाधार वर्षा की बूंदें गिनने में समर्थ हो सकता है लेकिन भारत माता की कोख में पैदा होने वाले इतिहास पुरुष, महापुरुष, अवतारी पुरुष, ऋषि-मुनियों की गाथा का बखान करने में समर्थ नहीं हो सकता। ऐसा महापुरुष, जो उस काल में पैदा हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे आदर्श हुये हैं। भारत के अंदर सोते, जागते, उठते, बैठते भगवान राम, जय श्री राम, राम-राम गांव का व्यक्ति कहता रहता है, वे सब राम की आस्था से जुड़े हुये हैं। मैं बाल्मीकि के राम या भवभूति के राम या कालीदास के राम या तुलसीदास के राम या शबरी के राम या केवट के राम निषाद के राम, ऐसा कोई वर्ग नहीं जो राम से न जुड़ा हुआ हो। हमारे हृदय के कण-कण में राम समाया हुआ है। दशरथ नंदन राम जो आपका मार्गदर्शन करने वाला राम है, उनकी आस्था और उनके विश्वास से अलग कोई नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन सब लोगों को बीजेपी या वीएचपी का नाम याद रहता है लेकिन जमायतुलविदा, जमायतुल हिन्द, जमायते इस्लामी या जमायते मुशवरात्त जैसे अल्पसंख्यक संगठनों के वे कार्य जो ओसामा बिन लादेन से जुड़े हुये हैं या शाही इमाम ने जो कहा, वे बातें याद नहीं। ये तथ्य वोटों की राजनीति करने वाले और अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण और बहुसंख्यकों की अवहेलना करते आ रहे हैं जबकि होना यह चाहिए कि सब को न्याय मिले, तुष्टीकरण की नीति न हो।

अपराह्न 4.00 बजे

बहुसंख्यक/अल्पसंख्यक का भेद पैदा करने की, देश में खाई को और बढ़ाने की, यानी विभेद की खाई को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार के प्रयासों की हम आपके माध्यम से निन्दा करना चाहते हैं। आज एकता का सवाल है। जब भाजपा

एन.डी.ए. में शामिल हुई, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम तीन चीजों को अपने एजेंडे से एक तरफ रखते हैं जिसमें राम जन्मभूमि का मसला, समान आचार संहिता का मसला या धारा 370, ये तीनों मसले शामिल हैं। लेकिन बार–बार जब छः दिसम्बर आता है या प्रधान मंत्री जी अमरीका में जाकर, जब राम पर राष्ट्रीय भावना के प्रकटीकरण की बात कहते हैं, हर छः दिसम्बर और उसके आसपास

अपराह्न 4.01 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*)

ऐसा वातावरण पैदा कर देते हैं कि हम राम को भूले हुए लोगों को पुनः राम का स्मरण करा देते हैं। मैं इसके लिए विपक्षी बंधुओं को धन्यवाद दूंगा। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाजपा एनडीए में शामिल होकर इस राम जन्म भूमि वाले मामले को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर अथवा बातचीत के आधार पर सुलझाना चाहती है। लेकिन विपक्षी लोग बार–बार उस गंदे घाव को कुरेदते रहते हैं, इसे मैं संस्कृत के शब्दों में यह कहूं तो अतिश्योक्ति नहीं होगी – भ्रमरा मधुमिच्छन्ति, व्रणं इच्छन्ति मक्षिका– अर्थात भंवरा हमेशा मधु का पान करता है, लेकिन जो लोग मक्खी की प्रवृत्ति के होते हैं वे हमेशा घाव पर बैठना पसंद करते हैं। इसीलिए जहां पीप या मवाद होगा, विकृति होगी, उसे उजागर करने का प्रयास करते हैं, जो वास्तव में शोभा नहीं देता है। एक तरफ राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता के मामले पर हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नागालैण्ड तक हम सब भारतवासी हैं, यह भारत भूमि हमारी भारत माता है, हम इसके बेटे हैं। जब हम में राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत हो जायेगी, राष्ट्रवाद आ जायेगा तो फिर कौन सा ऐसा बेटा होगा जो अपनी मां की पीठ में छुरा भोंकना चाहेगा। कौन सा ऐसा बेटा होगा जो मां के साथ विश्वासघात करना चाहेगा। ऐसे राम बेटे ने कहा था – जननी जन्म–भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमें जन्म देने वाली मां, जिस मातृभूमि की गोद में हमने जन्म लिया है, वह स्वर्ग से भी बढ़कर है। वेद कहता है – "माता भूमि पुत्रोऽहः पृथिव्या" यह भूमि मेरी माता है और मैं इसका बेटा हूं। काश इस प्रकार की भावना हम सबके अंदर पैदा हो जाए और हम मातृभूमि के प्रति स्नेह करने वाले बनें।

इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर हजारों पक्षी रहा करते थे। एक दिन हमारे विपक्षी बंधुओं जैसा कोई अज्ञानी व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था। उसके पास मिट्टी के तेल का भरा हुआ कनस्तर था। उसने वह मिट्टी का तेल उस पेड़ पर छिड़क दिया और आग लगा दी। जिससे हजारों पक्षी जलने लगे, लेकिन कोई उड़ा नहीं। कोई अन्य व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था उसने कहा –

"आग लगी इस पेड़ को जलने लगे पात,

तुम क्यों जलते पखेरुओं पंख तुम्हारे साथ।"

"उन्होंने उसकी बात का उत्तर दिया –

फल खाये इस पेड़ के गंदे कीन्हें पात,

यही हमारा धर्म है जलें इसी के साथ।"

एन.डी.ए. की सरकार के रूप में बुद्धिमान और सज्जन व्यक्ति ने उत्तर दिया कि फल खाये हैं और इस पेड़ पर रहे हैं तो हमारा धर्म है कि हम इसके साथ जल जाएं। जब इस पेड़ पर मुसीबत आई तो हमारा धर्म है कि हम इसके साथ कुर्बान हो जाएं। इसलिए यह हमारी मातृभूमि है और राम हमारी राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय भावना से जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, हमारी आस्था के प्रतीक हैं। राम हमारे विश्वास के प्रतीक हैं।

सभापति महोदय, अभी कोई निर्गुण और सगुण की बात कह रहा था। मैं अजमेर से आता हूं। वहां शेर, शायरी बहुत होती है। वहां शायर लोग कहते हैं :–

माना कि खुदा तू ढूंढने वालों को आलम में मिलता है,

मगर इतना बता दे तू कौन से मौसम में मिलता है,

तेरा पता पूछें किसी बामन से या किसी मोमिन से,

न तू गंगा में मिलता है न जमजम में मिलता है।

इसका उत्तर यह आया :

है हवा आकाश में, यह यह नजर आती नहीं,

है लाली मेंहदी के पत्ते में, पर वो नजर आती नहीं,

हर रंग में मौजूद है, पर यह नजर आता नहीं,

योग साधना के बिना, उसे कोई पा सकता नहीं।

यही इस देश की संस्कृति है। वह कण–कण के अंदर विद्यमान है। हर कंकड के अन्दर शंकर देखा है। मातृभूमि को पवित्र मानते हुए मूर्ति के अंदर, पत्थर के अंदर ईश्वर के दर्शन किये हैं। रामलला की जन्मभूमि अयोध्या करोड़ों लोगों की आस्था का केन्द्र है। इसलिए राम जन्मभूमि में रामलला का मंदिर बने, जिसे ये लोग विवादित कहते हैं। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि राम का जन्म भी हुआ या नहीं, हमारे वामपंथी बंधु बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि राम और सीता भाई–बहन थे। मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग इस देश की आस्था को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के आदर्शों को और इस देश के इतिहास पुरुषों को झुठलाना चाहते हैं।

[प्रो. रासासिंह रावत]

मान्यवर, ऐसी प्रवृत्तियों का विरोध होना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मंदिर बनाना या मंदिर के प्रति आस्था रखना, अगर ठीक नहीं होता, तो डा. राजेन्द्र प्रसाद के जन्म दिवस के अवसर पर, आज उनके चित्र पर पुष्पार्पण किया गया, उन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, देश की आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। वह इसीलिए कि वह मंदिर हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। इसलिए देश आजाद होने के बाद सबसे पहले सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद वहां गए। वहां एक विशाल समारोह हुआ। मंदिर इस राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। देश की आस्थाओं को और भावनाओं को न्यायालयों के निर्णयों द्वारा बदला नहीं जा सकता है।

मान्यवर, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष द्वारा न्यायालय के निर्णय की बहुत दुहाई दी जाती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि शाहबानो के प्रकरण में इन्होंने न्यायालय के निर्णय को क्यों नहीं माना ? जो बात इनकी वोट की राजनीति के अनुकूल हो, उसे ये मानते हैं और जो अनुकूल नहीं हो, उसे नहीं। आप सबको मालूम होगा कि कैसे उस निर्णय को संसद के अंदर कानून लाकर बदल दिया गया। यदि न्यायालय का निर्णय सही था, तो उसे क्यों नहीं माना गया ?

मान्यवार, निर्णय यह था कि राम लला के दर्शन करने दिए जाएं, लेकिन सार्थक दर्शन होने चाहिए। 51 फीट की दूरी पर, वह भी जूते पहने हुए और पांच किलोमीटर के घेरे में हों, यह सार्थक दर्शन की परिभाषा में नहीं आता। मैं बताना चाहता हूं कि वे गर्भ गृह में नहीं गए। गर्भ में सिर्फ पुजारी जाता है, वह भी बिना कपड़ों के और वह भी तब, जब मूर्तियों की सफाई करनी होती है। इस बात पर यहां वितंडावाद खड़ा किया जा रहा है। विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल व जो अन्य संगठन हैं उनके आपने कार्यक्रम हैं। आपके अपने कार्यक्रम चल सकते हैं तो, क्या राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत संगठनों के कार्यक्रम नहीं चल सकते ? वे संगठन आतंकवाद नहीं बल्कि देश की एकता और राष्ट्रीयता की भावना के प्रतीक हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अन्त में सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में हम लोग अपने आदर्शों, भावनाओं और आस्थाओं को भूल चुके हैं। वोट बैंक की राजनीति से दूर रह कर हमें याद रखना चाहिए कि जब तक इस देश में हिन्दू बहुमत में हैं तभी तक धर्मनिर्पेक्षता है। क्या हम पाकिरतान से धर्मनिर्पेक्षता की आशा कर सकते हैं – कभी नहीं। आपको मालूम है कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जो गांधीवादी और बहुत बड़े धर्मनिर्पेक्षवादी थे, जब पाकिस्तान गए, तो कैसे–कैसे अनुभव उन्हें हुए। जितने भी साहित्यकार, कलाकार, संगीतकार हिन्दुस्तान से पाकिस्तान गए, वे सभी महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में धर्मनिर्पेक्षता नाम को भी नहीं है। हिन्दू स्वभाव से धर्मनिर्पेक्ष हैं। धर्मनिर्पेक्षता वही है जहां लोग सब धर्मों, सभी आस्थाओं और सबकी भावनाओं का सम्मान करने वाले हों।

मान्यवर, आज भी इंडोनेशिया सबसे बड़ा इस्लामी राष्ट्र है, लेकिन वहां के राष्ट्र प्रतीक गरुड़, राम और हनुमान हैं। वहां की राष्ट्रपति मेघावती सुकर्णो पुत्री हैं। वहां के आराध्य देव राम, हनुमान आदि देवता हैं, लेकिन वहां के मुसलमान कभी ऐसा नहीं कहते कि राम हिन्दू हैं। वे कहते हैं कि वे हमारे राष्ट्र के संस्कृति पुरुष थे। इसी प्रकार राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं और अयोध्या हमारे विवाद का विषय नहीं है। इसलिए जो भी सरकार ने आदेश दिया है, वह यदि कानून का उल्लंघन है, तो हम उसका समर्थन करते हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभापति महोदय, यह सच है कि इस सभा में प्रायः प्रत्येक सत्र में अयोध्या मुद्दे पर चर्चा होती है। इससे इस मुद्दे के महत्त्व का पता चलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश के संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि इस मुद्दे को किस तरह से लिया जाता है। मैं मामले की गंभीरता को दर्शाने के लिए यह कह सकता हूं कि इस वर्ष हाल ही में 17 अक्टूबर को हुई घटना उत्तेजक या भड़काने वाली घटना थी। इसे मात्र एक अलग घटना के रूप में नहीं लिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि विश्व हिन्दू परिषद के कुछ सदस्यों को अचानक ही यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वे वहां श्री राम चन्द्र जी की मूर्ति के दर्शन करके अपने सभी पापों को धो डालें, तो वह व्यक्ति गलत है। यह इस देश में सांप्रदायिक आवेग को बढ़ाने के लिए पूर्वनियोजित योजना का ही एक हिस्सा था और निःसंदेह, उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही होने वाले चुनाव ने भाजपा और इसके सहयोगियों यथा विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल तथा अन्य दलों द्वारा इस मुद्दे पर बल देने का प्रयास करने हेतु सक्रिय बनाया है ताकि आगामी चुनावों में हिन्दुत्व को मुख्य मुद्दा बनाया जा सके। मैं नहीं जानता कि इस संबंध में भाजपा के कई सहयोगी दलों की आत्मा क्या कहती है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस देश के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द मात्र एक शब्द जाल है अथवा क्या यह हमारे संविधान की मूल शर्त है। बहुवादी समाज में क्या शासन संबंधी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार धर्म को होना चाहिए अथवा धर्म एक निजी मामला होना चाहिए जिसमें किसी भी व्यक्ति को अपने विश्वास और

प्रतिबद्धता के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने का पूरा अधिकार हो ? कोई भी व्यक्ति उस अधिकार पर आपत्ति नहीं कर सकता। हम हमेशा से यही बात कहते आ रहे हैं। आप राज्यतंत्र के और शासन के मामलों में धर्म को बीच में क्यों लाते हैं ? ऐसा करके आप इस देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं।

ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो इस देश के लाखों लोगों की दिन–प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। एक तरह से यह बड़े दुःख और चिंता की बात है कि इस देश का सर्वोच्च मंच आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, विनिवेश, नौकरियों से निकाले जाने आदि जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने के बजाय अपने संविधान के धर्म निरपेक्ष ढांचे को कायम रखने पर ध्यान दे रहा है क्योंकि इस पर प्रहार किया जा रहा है। वैश्वीकरण और उदारीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है और इससे इस देश को किस प्रकार लाभ हुआ है, ऐसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। यह मामले हमारे देश की लाखों जनता के लिए रोजमर्रा के महत्त्वपूर्ण मामले हैं। लेकिन हम इस मुद्दे की भी उपेक्षा नहीं कर सकते। इस देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों के रूप में, हमें इस मुद्दे पर भी विचार करना होगा। इस मुद्दे को उठाना हमारा परम कर्त्तव्य है क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं– वस्तुतः, मुझे इस बात पर तनिक संदेह नहीं है कि इस देश की अधिकांश जनता इस देश और संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बनाये रखने के प्रति वचनबद्ध है। हम समझते हैं कि विपक्ष ऐसे लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके विचारों को सभा में स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है जो धर्मनिरपेक्ष ढांचे के रखरखाव के लिए और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं।

अयोध्या का मुद्दा मात्र एक धर्म का मुद्दा नहीं है। यह एक राजनैतिक मुद्दा बन गया है। जितने प्रभावशाली ढंग से हमारे गृह मंत्री, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसे स्पष्ट किया है, उतना किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया। उन्होंने खुले रूप से यह स्वीकार किया है कि वह राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण ही सत्ता में हैं। उन्होंने कई बार यह बात स्वीकार की है कि भाजपा सत्ता में है, भाजपा की लोकसभा में पहले सिर्फ दो सीटें थी, जो कि अब कई गुणा बढ़ चुकी है, इसका कारण यही है कि उन्होंने राम रथ यात्रा निकाली थी और राम जन्मभूमि यहां तक कि चुनाव संबंधी राजनीति का विषय बन गयी थी। इसने हिन्दुत्व की भावनाओं को जगाया था।

हम नहीं जानते कि इस देश में हिन्दुत्व किस प्रकार खतरे में था और हिन्दुत्व पर कैसे हमला किया जा रहा था। इसे सिर्फ एक भावनात्मक मुद्दा बनाने के लिए अयोध्या मंदिर का प्रश्न उठाया गया कि यह एक मंदिर था, न कि मस्जिद। हमने कांग्रेस की भी केवल इसीलिए आलोचना की है क्योंकि वे उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों के षडयंत्र का शिकार हो गये थे।

मंदिर अथवा मस्जिद खुलने के बाद से सभी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। उन्होंने इसे समझा है और इसलिए वे अब यहां बैठे हुए हैं। हमने उसका विरोध किया है। हमारी आलोचना की गई थी लेकिन हमने इसका विरोध किया और हमने यह बात उस इरादे से कभी नहीं कही। लेकिन आज हम इसे पूर्वनियोजित हमला मानते हैं। यह एक भलीभांति तैयार की गई छद्म नीति है। राजग के सहयोगी दल इस बात से बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि उनके एजेंडे में अयोध्या मंदिर के बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन वे ऐसा कर रहे हैं और जब संभवतः कोई व्यक्ति यह प्रश्न पूछने का दुस्साहस करता है, तो वे कहते हैं, "आप क्यों परेशान हो रहे हैं ? मेरे एजेंडे में अनुच्छेद 370 का कोई उल्लेख नहीं है, मंदिर का कोई उल्लेख नहीं है। आप क्यों चिंता करते हैं ? मैं आपके शहर में आऊंगा और आपके नेताओं के बारे में कुछ अच्छी बात कहूंगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं ?" इस देश की भी यही त्रासदी है। वास्तविक मुद्दे को गुप्त मुद्दे के रूप में रखा गया है और अपनी सत्ता को, भाजपा की सत्ता को बनाये रखने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है न कि राजग की सत्ता को बनाये रखने के लिए। यह बात समझ में नहीं आ रही है। हम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

गृह मंत्री के रूप में, आडवाणी जी ने निःसंदेह राज्य सभा में इसकी निंदा की है लेकिन हमने किसी और के मुंह से इस बारे में एक शब्द भी नहीं सुना। उन्हें इसकी निंदा करनी पड़ी क्योंकि वह गृह मंत्री हैं, यद्यपि इस देश की विशेषता है कि यहां पर गृह मंत्री ऐसे हैं, जिन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है और रक्षा मंत्री, जिनके द्वारा रक्षा मंत्रालय में किए गए सौदों की जांच चल रही है। हमारे देश में यह एक विलक्षण स्थिति है....*(व्यवधान)*

महोदय, गृह मंत्री जी अभियोग चलाने के बारे में निर्णय लेते हैं और रक्षा मंत्री रक्षा सौदों के बारे में निर्णय लेते हैं। स्थिति यह है ऐसा नहीं है कि ये मंत्रालय किसी और के अधीन हैं। रक्षा मंत्रालय के सौदों की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को आयोग की मांगों अथवा जो कुछ भी प्रमाण देना पड़े, के संबंध में प्रतिक्रिया अथवा प्रत्युत्तर देना होगा। दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ेंगे। क्या हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय का कोई भी अधिकारी अपने मंत्री के खिलाफ कोई सबूत पेश करेगा ? इस बात का निर्णय मंत्री महोदय लेगें कि क्या दस्तावेज प्रस्तुत किया जाये और क्या नहीं। यह हमारी विडम्बना है कि यहां दिखावे का न्याय किया जाता है।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

मैं नहीं जानता कि दूसरी ओर बैठे किसी भी सदस्य की अन्तरात्मा उसे कचोट रही है अथवा नहीं। गृह मंत्री जी यह निर्णय लेंगे कि उनके खिलाफ अभियोग जारी रखा जाए अथवा नहीं।....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : सभापति जी, क्या यह अयोध्या मामले से जुड़ा है ?....*(व्यवधान)* सभापति जी, माननीय सदस्य वकील भी हैं और वरिष्ठ सदस्य भी हैं। अयोध्या पर भाषण चल रहा है और उसे कहां से कहां ले जा रहे हैं ?....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभापति महोदय, मैं इन सब चीजों का उल्लेख क्यों कर रहा हूं। ऐसा मैं यह दिखाने के लिए कर रहा हूं कि इस देश में किस प्रकार की सरकार है और इसीलिए न्याय की संपूर्ण व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ गया है।

महोदय, मैं चाहता हूं कि कोई भी ऐसा उदाहरण दिया जाए जब माननीय प्रधान मंत्री ने किसी अपराध के लिए लंबित जांच के मामले में अथवा अन्यथा किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में अपना निर्णय दिया हो, जिसके विरुद्ध जांच चल रही हो। यह एक अनोखा अवसर है गठबन्धन बनाये रखने की अपनी मजबूरी से सरकार किसी मामले के गुण या दोष और उस मामले के औचित्य या अन्यथा किसी प्रकार से उस पर निर्णय नहीं कर सकती। आपकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। परंतु आपके दलगत हितों से ऊंचा कुछ और है और वह है सत्यनिष्ठा अथवा औचित्य संबंधी उद्देश्य। महोदय, इसीलिए मैंने कहा कि इसे कोई छिटपुट घटना नहीं माना जा सकता अथवा यह नहीं कहा जा सकता कि 17 अक्टूबर को विश्व हिन्दू परिषद द्वारा अचानक प्रेरित किए जाने से हुआ। हम सभी जानते हैं कि इसकी भली–भांति घोषणा की गई थी और कुछ सदस्य यह पहले ही बता चुके हैं कि कुम्भ मेले में विहिप की धर्म संसद द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 17 सितम्बर से 16 अक्टूबर तक शिवचरण और जलाभिषेक अनुष्ठान न किए जाएंगे और 26 नवम्बर से जप–यज्ञ होंगे। यह घोषणा की गई है– अभी तक इसके विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया है – कि राम मंदिर निर्माण के तीसरे चरण को पूरा करने का काम 12 मार्च, 2002 के पश्चात् किया जायेगा। विहिप ने 24 फरवरी, 2001 को स्पष्ट रूप से मंदिर की भूमि लौटाने की मांग की थी। 27 मार्च, 2001 को राम मंदिर निर्माण समिति ने अपनी तीसरी चरण योजना और धमकी को दोहराया। यह बात प्रधान मंत्री के ध्यान में लाई गई जिन्होंने उस पर जानबूझ कर मौन–साधे रखा। विहिप के नेताओं ने क्या कहा ? उन्होंने कहा, मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि जहां वे चाहेंगे, वहां वे मंदिर बनायेंगे और उन्हें इस कार्य में बाजपेयी सरकार की सहभागिता और समर्थन तथा राज्य की सैनिक शक्ति की सुरक्षा भी मिलेगी। इस घटना से यही पता चलता है। श्री गिरिराज किशोर को यह कहते सुना गया कि कानून जनता के लिए है और यदि वे लोगों के अनुरूप न हों तो वे उन्हें तोड़ सकते हैं। विहिप के उपाध्यक्ष, वही महान पुरूष यह कहते हैं कि वे सरकार के दृष्टिकोण की परवाह किए बिना मंदिर निर्माण के लिए जो ठीक है, वही करेंगे। सरकार जाती है तो जाये। निम्नलिखित वक्तव्य कारसेवकपुरम के प्रचार–माध्यम प्रभारी श्री शरद शर्मा के हैं.... *(व्यवधान)* जी हां, उसे दोहराना आवश्यक है। यदि आप इतने ही परेशान हैं, तो आप और कुछ सोच सकते हैं।

उन्होंने कहा था :

> "भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू करने से पूर्व हमारे पास व्यापक योजनाएं है, जिनमें जनआन्दोलन भी शामिल है।"

उनका कहना है कि पहली मंजिल के आधार स्तंभ 15 दिनों में पूरे हो जाने की संभावना है।

संभवतः कुछ समय पूर्व यह कार्य पूर्ण भी हो गया है। हम इसका उल्लेख क्यों कर रहे हैं? क्या यह उस बड़े षडयंत्र का हिस्सा है ? प्रश्न यह है कि न्यायालय का आदेश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता; हम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए तैयार हैं। यदि सरकार आती–जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा था कि मंदिर निर्माण के लिए दस लाख लोग एकत्रित हो जायेंगे।....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : कृपा कर अखबार का नाम बता दें, मुझे खरीदना है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं सभी नाम बता दूंगा। इनके नाम हैं, इकॉनामिक टाइम्स, पीपल्स डेमोक्रेसी, स्टेट्समैन, नेशनल हेराल्ड और संभवतः एक पांचजन्य के नाम से है, जिसे मैं पढ़ता नहीं। श्री प्रभुनाथ सिंह, आप पांचजन्य के बारे में अधिक जानते हैं। मैं जानता हूं कि .....*(व्यवधान)* अब सीमा से अधिक हो चुका है।

मैं यह कहने का प्रयास कर रहा था कि माननीय प्रधान मंत्री ने अचानक ही एक प्रकोष्ठ पुनः स्थापित करने की घोषणा की थी। उसके तुरंत बाद यह घटना हो गई। इस प्रकोष्ठ के सदस्य कौन

हैं ? इस प्रकोष्ठ को कौन–कौन से कार्य सौंपे जाते हैं ? सभा को विश्वास में नहीं लिया जाता। हमने बार–बार यहां यह प्रश्न पूछा था कि "प्रकोष्ठ किस उद्देश्य से स्थापित किया है।" इस देश के प्रत्येक नागरिक ने यह कहा है और स्थिति को स्वीकार किया है। माननीय गृह मंत्री भी इसे दोहराएंगे। मैं इसके बारे में जानता हूं। प्रश्न यह है कि इसका निर्णय न्यायालय में होगा अथवा इस दौरान आपसी सहमति के द्वारा दल निर्णय करेंगे। यह निर्णय किया गया था कि यदि इस दौरान पार्टियां सभी को स्वीकार्य निर्णय पर नहीं पहुंचती तो न्यायालय निर्णय करेगा। परंतु यह प्रश्न हमेशा रहेगा। "ये पार्टियां कौन सी हैं ? उनके पास हिन्दुओं के स्वयं नियुक्त लोग प्रतिनिधि हैं। कुछ लोग मुसलमानों द्वारा नियुक्त भी हो सकते हैं। इस प्रश्न का निर्णय कौन करेगा ?"

तारीख घोषित कर दी गई है। यह 12 मार्च 2002 है। उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि बजरंग दल किसी गैर–कानूनी कार्यकलाप के लिए जिम्मेदार है। यही बात उन्होंने श्री ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बच्चों की कायरतापूर्ण हत्या होने पर कही थी। यही बात उन्होंने फिर कही है। निर्णय के आने से पहले गृह मंत्री ने उन्हें दोषमुक्त भी करार दे दिया। इस देश में कौन ऐसा व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या जाच अधिकारी है, जो भारत के गृह मंत्री के विरुद्ध प्रथम–दृष्टया निर्णय करने का साहस करेगा ? इस मामले में भी क्या हुआ ? उन्होंने इसकी निंदा की है। वह यहां भी इसकी आलोचना करेंगे। मुझे इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि सभी को मालूम है कि यह गैर कानूनी और उच्चतम न्यायालय के आदेश के विरुद्ध है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है :

"अतः विवादित क्षेत्र में केन्द्र सरकार की स्थिति सांविधिक प्राप्तकर्ता की है, जिसमें अयोध्या स्थित विवादित ढांचे से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर अंतिम निर्णय आने तक यथा–स्थिति बनाये रखते हुए उसके प्रबन्ध और प्रशासन संबंधी कर्त्तव्य शामिल हैं।"

यह उच्चतम न्यायालय का आदेश है। इसमें कुछ विवाद हैं। वे यह कहते हुए विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की तिथि के अनुसार स्थिति क्या है हालांकि उन्होंने 6 दिसम्बर, 1992 नहीं अपितु 6 जनवरी, 1993 संगत तिथि बतायी। उस आधार पर भी यह कहा गया था :

"पूजा–स्थल पर स्थापित प्राण प्रतिमा संबंधी कुछ धार्मिक कृत्यों के निष्पादन करने के लिए केवल पुजारी ही वहां जा सकता था और इस निषिद्ध क्षेत्र में भक्तों को प्रार्थना करने अथवा दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी।"

उच्चतम न्यायालय के इस आदेश को न तो चुनौती दी जा सकती है और न ही इस पर विवाद किया जा सकता है। अतः, यह उच्चतम न्यायालय के आदेश का जानबूझ कर उल्लंघन करने का स्पष्ट मामला है।

उसमें कितने लोग हैं ? वहां कितनी बटालियनें हैं ? पी.ए.सी. इत्यादि की कितनी बटालियनें हैं ?

450 सुरक्षा–कर्मियों वाली के.रि.पु.ब. और पी.ए.सी. की अन्य 13 बटालियनें इन लोगों को रोक नहीं पाई। जब तक उन्हें हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा जाता, क्या तब तक ऐसा करना संभव था अथवा वहां सत्तासीन भाजपा के निकट सहयोगी विहिप का प्रतिनिधित्व करने वाले तथाकथित उच्च पदाधिकारियों की तजह से क्या उनमें हस्तक्षेप करने का साहस नहीं था।

इस सभा का एक माननीय भूतपूर्व सदस्य सबसे पहले गया था और धरने पर बैठ गया क्योंकि उसे नजदीक जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। उसके पश्चात् वह वैसे ही बैठा रहा। निषिद्ध क्षेत्र में जानबूझ कर किए गए प्रवेश को रोकने के लिए इन दो घंटों में कुछ भी नहीं किया जा सका। क्या सत्ताधारी लोगों की उसमें साझीदारी के इससे अधिक स्पष्ट प्रमाण हो सकते हैं ? उस क्षेत्र में सत्ताधारी लोग कोई सुरक्षा अधिकारी या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री नहीं अपितु स्वयं प्रधान मंत्री और गृह मंत्री हैं क्योंकि केन्द्र सरकार सांविधिक प्राप्तकर्त्ता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है : "वे किस प्रकार जा सकते हैं ?" दो घंटे के अंदर कोई सूचना अथवा समाचार नहीं मिल सकता था। वह वहां बैठे रहते हैं, दो सौ से अधिक लोग घेरे को तोड़कर जबर्दस्ती अंदर घुस जाते हैं। मुझे उससे लगता है कि वे आतंकियों से निपट सकते थे। वे आतंकियों से निपटने में समर्थ नहीं थे। क्या यह विश्वसनीय है कि यह अनभिप्रेत अतिक्रमण था ? अब किसे दोषी ठहराया गया है ? सुरक्षाकर्मियों को दोषी पाया गया है....*(व्यवधान)* जब बहुत अधिक शोर मचाया गया तो औपचारिकतावश एक प्राथमिकी दर्ज की गई। यह प्राथमिकी क्या कहती है ? इस घटना को सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्त्तव्य–निर्वहण में ली गयी बाधा के रूप में देखा गया है। यह ऐसी स्थिति है जिससे यह लगता है कि उन्होंने मात्र हस्तक्षेप किया है। यही उनका सबूत है। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अफगानिस्तान में निर्दोष लोगों पर बमबारी करने के विरुद्ध पर्चे बांटने वाले गिरफ्तार विद्यार्थियों पर राजद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द्रता भंग करने का आरोप लगाया गया है। क्या यह इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द्र को भंग करने के लिए जानबूझकर की गई कार्यवाही है, जबकि वह ऐसा संवेदनशील मामला हो जो उच्च

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के अधिकारान्तर्गत आता हो ? इसका उत्तर नहीं में दिया गया है। हमने उच्चतम न्यायालय के कार्यक्षेत्र का उल्लेख किया है। वास्तव में, यह उच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन का ही मामला है, जिस पर अभी इस मामले पर सुनवाई हो रही है। क्या वह उन्हें दोषमुक्त करेगा ? कहने को यह एक प्राथमिकी है। इस देश में इस प्रकार चयनात्मक आधार पर कायदे कानून लागू किए जाते हैं। जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है, यह यही दर्शाता है कि किस प्रकार से दोहरे मानदंड अपनाए जाते हैं। एक कानून उनके अपने लिए है और दूसरा कानून दूसरे लोगों के लिए है जो उनके मन–मुताबिक काम नहीं करते इस प्रकार की सभ्य शासन प्रणाली का स्वरूप कहीं भी नहीं है। आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दूसरी ओर वे धमकी दे रहे हैं और उनका कहना है कि हम न्यायालय की परवाह नहीं करते; हम सरकार की परवाह नहीं करते; और यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसाकि ठीक ही बताया गया है, मार्च 2002 में बहुत से लोग एकत्रित होंगे। अब चुनाव नजदीक है और इसलिए आवेश उत्पन्न किया जायेगा। उनका एकमात्र उद्देश्य किसी न किसी ढंग से फायदा उठाना है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के लोग उनके विरुद्ध ठीक ही निर्णय देंगे।

महोदय, हमें इस जानबूझकर उत्प्रेरित और पूरी समझबूझ से किए गए अपराध, जो केवल अपराध ही नहीं है बल्कि इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के प्रति किया गया अपराध है, का विरोध करना है।

उन्होंने भारत के संविधान के विरुद्ध अपराध किया है। हम इसी का विरोध करने जा रहे हैं और भविष्य में भी इसका विरोध करते रहेंगे।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि अब भी यदि इस सरकार में किसी प्रकार की गंम्भीरता शेष है, जिस पर मुझे संदेह है और यदि वह इस घटना का उपयोग चुनावी राजनीति के लिए नहीं करना चाहती, तो कठोरतम कार्यवाही करना, इस सरकार का अनिवार्य कर्त्तव्य है।

प्रधान मंत्री जी को यहां आना चाहिए। उन्हें देश की जनता को विश्वास में लेना चाहिए। वह देश के समक्ष यह कैसे कह रहे हैं कि मार्च, 2002 तक इस मामले को सुलझा लिया जायेगा ? वह यह कैसे कहते हैं ? वह कैसे इस बात का आश्वासन देते हैं ? क्या इसका कोई मंत्र है ? इसे कैसे पूरा किया जायेगा ? इसलिए, जो कुछ भी हुआ है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। उन्होंने यह सब जानबूझ कर किया है। यह उच्चतम न्यायाल के आदेश का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। मैं तो यह मानता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने उनके द्वारा न्यायालय के इस आदेश का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ स्वतः कोई कार्यवाही नहीं की है। यह सब खुले आम किया गया है और वे इसे युक्तिसंगत ठहरा रहे हैं। मुझे यह आशा थी कि उच्चतम न्यायालय इस आदेश की अवमानना और जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए स्वतः कार्यवाही करेगा।

मैं अंत में यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि चाहे वे किसी भी प्रकार का उकसावा करें, वे धर्म के आधार पर देश का विभाजन करने और चुनावों में इसका फायदा उठाने का प्रयास करने के लिए चाहे कोई भी योजना बनायें, इस देश की आम जनता इस संविधान, जिस पर हमें अत्यधिक गर्व है और जिस पर हमारा स्वामित्व है, के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को कंलकित करने और उसका संहार करने की बात कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए, हम इसका विरोध करते रहेंगे। हम उनका भंडाफोड़ करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता इस सांप्रदायिक गुट को अच्छा सबक सिखायेगी जो आज देश को कई तरह से बर्बाद कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि इस विवाद पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जब सोमनाथ दा बोल रहे थे तो उन्होंने आरम्भ में देश की गरीबी, भूख, प्यास, बेरोजगारी, अशिक्षा और बीमारी की चर्चा की। उन्होंने कहा कि साम्प्रदायिक सवालों को न उठा कर इन समस्याओं को उठाएं लेकिन बेताल घूमते–घूमते उसी डाल पर आ गए जिस पर आज बहस हो रही है। जब बाबरी मस्जिद का 1992 में डैमोल्यूशन हुआ तो पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने बंद का आह्वान किया और कांग्रेस को इस काम में एक्यूस्ड बनाया। अब सोमनाथ दा के घर में चाय का प्याला उन्हीं लोगों के साथ छलकता और सटता है तो हमें आश्चर्य होता है। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। मैं मुलायम सिंह जी को समझ सकता हूं। शुरू से उनका एक स्टैंड रहा है। वह हमारे नेता हैं। हम उसका आदर भी करते हैं। वह ईमानदारी से इस इशू पर बहस करते हैं। जब वह इस पर बात करते हैं तो हमें उसकी वास्तविकता पर जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या कारण है, कौन सी परिस्थिति पैदा हुई कि बाबरी मस्जिद का डैमोल्यूशन हुआ ? मुलायम सिंह जी हम से ज्यादा जानते हैं क्योंकि वह उत्तर प्रदेश की सरकार में रहे हैं और वहां की स्थिति से बिल्कुल वाकिफ हैं।

सभापति महोदय, 22 दिसम्बर, 1949 को इस स्थान पर मूर्ति रखी गई। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पं. गोविन्द बल्लभ पंत और भारत के प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू थे। जब वहां

मूर्ति रखी गई तब मन्दिर बनाया गया। उस सब के लिये कौन सरकार जवाबदेह है। उधर विपक्ष में बैठे हुये लोगों की उस समय की सरकार जवाबदेह है। आज श्री दासमुंशी ब्रीफलेस भाषण कर रहे थे...

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं इसका जवाब दूंगा।

श्री रघुनाथ झा : सभापति महोदय, आज उस पाप का प्रायश्चित करने की जवाबदेही इस सरकार पर आई है। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि 9.11.1989 को उस मंदिर का शिलान्यास किया गया। उस समय इस सदन के वरिष्ठ सांसद श्री नारायण दत्त तिवारी, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी थे जिन्होंने शिलान्यास किया था। उन्होंने अयोध्या में उस मन्दिर में दर्शन करने के बाद चुनाव प्रचार का कार्य शुरू किया था। उस समय श्री मुलायम सिंह जी ने विरोध किया था और आज उनके साथ जा रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उन्हें कांग्रेस के साथ रहने से बड़ा नुकसान होगा। हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि....

श्री मुलायम सिंह यादव : हम एंटी बीजेपी और एंटी कांग्रेस दोनों हैं।

श्री रघुनाथ झा : अभी कुछ–कुछ लगता है, लेकिन मैं विनतीपूर्वक कहना चाहूंगा कि 6 दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद का डिमोलीशन हो गया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव थे। उन्होंने सी.आर.पी.एफ. को अयोध्या से 9 किलोमीटर दूर बैठाया हुआ था। जब मस्जिद गिरी तो उन्हें खबर तक नहीं थी लेकिन जब उन्हें पता चला कि मस्जिद ढह गई है तो उन्होंने बीजेपी द्वारा शासित पांच राज्यों की सरकारें डिसमिस कर दीं। बीजेपी को तो सज़ा मिली और उत्तर प्रदेश के साथ उन सभी राज्यों में राष्ट्रपति राज कायम हो गया। राष्ट्रपति राज कायम होने के बाद भी 6 से 8 दिसम्बर तक कार सेवकों की सेवा चलती रही और वे मन्दिर का निर्माण करते रहे। तब ये लोग कहां बैठे हुये थे ? राष्ट्रपति राज में कौन काम कर रहा था ? आप लोगों ने 6 तारीख की शाम से 8 तारीख तक मंदिर बनने दिया। श्री नरसिंह राव की सरकार ने एक कानून बनाया कि 15 अगस्त, 1947 से पहले के जितने देवस्थान हैं, उनमें स्टेटस को रहेगा लेकिन उसमें आयोध्या को क्यों छोड़ दिया गया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब अयोध्या में इतने दिनों से लड़ाई चल रही थी, झगड़ा चल रहा था, सरकार ने उस स्थान को छोड़ने का काम क्यों किया ? मैं कहना चाहता हूं कि यदि 1947 से पहले का स्टेटस को बरकारार रखा होता तो आज यह मौका शायद नहीं मिलता। लेकिन आपने उस मौके को अपने हाथ से गंवा दिया। सारे पापों की जड़ में आप हैं। आप लोगों को यह शोभा नहीं देता है। मुलायम सिंह जी बोलें तो इनकी बात हम समझते हैं, लेकिन आप किसी हैसियत से बोलते हैं....*(व्यवधान)*

पोटो के संबंध में, शून्यकाल में, माननीय मुलायम सिंह जी ने प्रधान मंत्री के वक्तव्य को लेकर सवाल उठाया, जिसका जवाब प्रधान मंत्री जी ने दे दिया। मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा कि अगर उस अध्यादेश में कोई खामी है, उसे दूर करने के लिए जब सरकार तैयार है तो आपको उसे स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करके देश की अस्मिता की रक्षा के लिए हम सब लोगों को एक साथ आगे आना चाहिए। एन.डी.ए. में इस बात पर चर्चा के बाद यह बात सामने आई कि हम उसमें सुधार के लिए तैयार हैं।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रघुनाथ झा : मैं दो मिनट में समाप्त करूंगा। हम इतनी अच्छी–अच्छी बातें बोल रहे हैं जो आपको सभी सूट कर रही हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो आज पोटो के विरोधी हैं, जब 1950 में इसी तरह का कानून प्रीवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट बना था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। 1954 में डिफैन्स ऑफ इंडियन रूल बना था।....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : यह भी बता दो कि इनका विरोध किसने किया, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इनका सबसे बड़ा विरोध किया और कहा था कि यह नाजीवाद की एक पहचान बन रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : आप बनाने वालों को कहने दीजिए। उसके बाद 1962 में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट बना, जिसमें जम्मू–कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस को, बिना मजिस्ट्रेट की परमीशन लिए, किसी को भी डिटेन करने का, बंद करने का अधिकार दिया गया। आप सब लोग उसमें से गुजरे हैं। माननीय मुलायम सिंह जी केन्द्र में रहे हैं, होम मिनिस्टर भी रहे हैं, रामविलास जी भी जेल में रहे हैं, उस समय सोमनाथ दादा, प्रियदा और हम भी एन्टी फासिस्ट सम्मेलन कर रहे थे।....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सी.पी.एम. के लोग जेल में नहीं गए थे।

श्री रघुनाथ झा : सी.पी.एम. का कोई जेल में नहीं था। 1977 में जब आपकी सरकार बनी तो मीसा को हटा दिया गया, जिसके आप लोग भी भुक्तभोगी थे और फिर श्रीमती इन्दिरा गांधी जब 1980 में सत्ता में आई तो मीसा के स्थान पर नेशनल सिक्युरिटी एक्ट बनाया गया। स्वर्गीय राजीव गांधी की सरकार में 1984 में

[श्री रघुनाथ झा]

आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र अधिनियम बना, जिसमें दोषी व्यक्तियों को तत्काल सजा दिलाने का प्रावधान दिया गया था।

सभापति महोदय : ये सब बातें आप पोटो बिल पर बोलिये।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : सभापति महोदय, पोटो के पैटर्न पर 1985 में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा आतंकवाद विध्वंसकारी गतिविधि अधिनियम बनाया गया था। यह सारा कानून कांग्रेस के शासन में था जो पोटो का चाचा था और जिसे देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। हम मानते हैं कि उसका कहीं–कहीं मिसयूज हुआ। जिस समय मिसयूज हुआ, उस समय आपने सुधार नहीं किया। गृह मंत्री जी ने कहा है, प्रधान मंत्री जी ने आज सदन में भी बार–बार कहने की कोशिश की है कि हम इसमें सुधार करने के लिए तैयार हैं – लेकिन आप सुधार क्यों नहीं करना चाहते हैं। आपके नेता हैं, उनमें से कुछ लोगों ने जो बोल दिया, कि समझदारी से काम करती है। कुछ भी बोल देने से काम थोड़े ही चलता है। अगर देश को चलाना है, राष्ट्र को चलाना है तो उसे राष्ट्र को पहले समझना पड़ेगा। आप अपने सारे पापों को इनके ऊपर मत लादिये। हम लोग एन.डी.ए. के चुनाव घोषणा पत्र और सैक्युलरिज्म से बंधे हुए हैं, चाहे कुछ भी हो – हम दावे के साथ इस बात को कहते हैं। लेकिन आपकी तरफ से कोई कह सकता है कि हम लोग जब प्रधान मंत्री कहते हैं तो हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, गृह मंत्री कहते हैं, उस पर विश्वास नहीं करेंगे। हम लोग उनकी बातों का आदर करते हैं, हम उनकी बातों का विश्वास करते हैं। जब प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं कि 12 मार्च तक, आपके उत्तर प्रदेश के चुनाव फरवरी में हो रहे हैं, 12 मार्च के बाद चुनाव कहां हो रहे हैं, जिससे आपको परेशानी हो रही है। इसलिए आप लोग कम बोलिये। ज्यादा कहते हैं तो आप लोग खुद ही चित हो जाते हैं। इस तरह के सवालों को उठाने का कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सर, रघुनाथ झा साहब, हमारे जगन्नाथ जी के मंत्रिमडल में थे। ये बहुत दिन तक हमारे साथ रहे थे, लेकिन आज उनके भाषण को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे सारी बातें भूल गए हैं।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : सभापति जी, पार्लियामेंट का कोई सैशन ऐसा नहीं जाता, जिसमें अयोध्या प्रकरण पर चर्चा न की जाती हो। अयोध्या की चर्चा की जाती है तब, जब जख्म पर खुरंट जमने लगता है। खुरंट को उघाड़ा जाता है। शायद बहता हुआ खून और बहती हुई पीव इन्हें ज्यादा अच्छी महसूस होती है।

उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत नजदीक है। चुनाव जितना नजदीक है, भगवान के दर्शन की जरूरत उतनी ज्यादा पैदा होती जा रही है। चुनाव नजदीक हैं, इसलिए दर्शन और ज्यादा नजदीक से करने की कोशिश की जा रही है। मुझे इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है कि चुनाव के नजदीक होने से भगवान के दर्शन और नजदीक से हों। यह जरूरत महसूस नहीं की गई है। संत कबीर ने साफ कहा है –

"सुख में सुमिरन सब करे दुख में करे न कोय,

जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय।"

सभापति महोदय, अगर पांच साल के अंदर बीजेपी की सरकार ने सही काम किए होते, तो शायद भगवान के ज्यादा नजदीक से दर्शन करने की जरूरत नहीं होती। आज अयोध्या को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। बाबरी मस्जिद का इश्यू पिछले 10 साल से लगातार एक बड़ा इश्यू बना रहा है। उसके लिए कांग्रेस और बी.जे.पी. दोनों पार्टियां जिम्मेदार रही हैं। बाबरी मस्जिद के इश्यू को बनाने में कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है, जितनी बी.जे.पी.। जो बात कांग्रेस के बारे में अभी श्री रघुनाथ झा जी ने कही, वह एक–एक लफ्ज ठीक है और कांग्रेस वाले भाजपा के बारे में जो कह रहे हैं, वह भी एक–एक लफ्ज ठीक है लेकिन किन लोगों के ऊपर यकीन किया जाए, यह समझ नहीं आता।

सभापति जी, जिनके पास सत्ता होती है, वे एक अलग भाषा बोलते हैं। उनकी दिलचस्पी मंदिर या मस्जिद में नहीं होती। उनकी दिलचस्पी देश की सत्ता में होती है। जिसे यह महसूस होता है कि मंदिर के नाम पर सत्ता मिल सकती है, तो वह मंदिर की बात करता है, जिसे यह महसूस होता है कि मस्जिद के नाम पर सत्ता मिल सकती है, तो वह मस्जिद का नाम लेता है। उनका न भगवान से वास्ता है न खुदा से।

सभापति जी, हिन्दुस्तान के होम मिनिस्टर आडवाणी जी का एक बयान 21 तारीख के अखबार में छपा है, जिसे मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय का बयान 21 अक्टूबर, 2001 के 'दि इकोनामिक टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है। इसमें कहा गया है :

"यद्यपि सरकार और पार्टी, दोनों ने ही विश्व हिन्दू परिषद की कार्यवाही को गलत ठहराया है, तथापि मंदिर आंदोलन के कर्णधार श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यह स्पष्ट किया कि

इस आंदोलन को शुरू करने पर पार्टी को कोई खेद नहीं है। राष्ट्रीय परिषद को संबोधित करते हुए, आडवाणी जी ने दावे के साथ कहा कि "पार्टी सही परिप्रेक्ष्य में आंदोलन को प्रस्तुत करके इसे आगे बढ़ाती रहेगी।"

उन्होंने सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कही कि :

"यदि हमने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में रामजन्मभूमि का मुद्दा न उठाया होता, तो हमने इतनी अधिक प्रगति न की होती।"

[हिन्दी]

इससे ज्यादा साफ–सुथरा बयान और कुछ नहीं हो सकता है। राम मंदिर बनाने में इनकी दिलचस्पी नहीं है। अगर राम मंदिर के इश्यू की वजह से हम लड़ाई न लड़ते, तो शायद सत्ता के अंदर नहीं आते। यह असली बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट में साफ कही है। यह आडवाणी जी का स्टेटमेंट है जो 21 अक्टूबर के इकनॉमिक टाइम्स में छपा है और जिससे स्पष्ट होता है कि इनकी कितनी दिलचस्पी मंदिर में है और कितनी सत्ता में। मेरा विश्वास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को यह यकीन हो जाए कि राम मंदिर से उन्हें सत्ता नहीं मिलेगी, बल्कि बाबरी मस्जिद से मिलेगी, तो वे आज राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ देंगे और बाबरी मस्जिद के मुद्दे को शुरू कर देंगे। उन्हें तो सिर्फ सत्ता चाहिए।

सभापति जी, पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ी जा रही थी कि सत्ता में आएंगे, तो राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन जिस दिन सत्ता में आए, उसी दिन, पहले ही दिन, ऐलान कर दिया कि राम मंदिर हमारे एजेंडे में नहीं है। विश्व हिन्दू परिषद बाहर कुछ बयान देती है, बी.जे.पी. के सांसद बाहर कुछ बयान देते हैं, यहां कुछ और बयान देते हैं।

संसद के अंदर सरकारी लोग कुछ और बयान देते हैं। खूब पर्दा है कि चिल्मन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कहिए ईमानदारी के साथ कि सत्ता रहेगी तो हम राम का मंदिर बनाएंगे, इस देश की अक्लियत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। अगर खिलवाड़ करोगे तो देश मजबूत नहीं रह सकता। आज टैरिज्म के लिए कानून लाना चाहते हैं। यह आतंकवाद का मामला है। आतंकवाद का यही मतलब है जो आतंकवाद फैलाए। टैररिज्म का यही मतलब है जो देश के अंदर टैरर पैदा करे। क्या इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद तोड़कर आतंकवाद पैदा नहीं हुआ था, टैरर पैदा नहीं हुआ था और क्या इससे देश का माहौल खराब नहीं हुआ था ? देश के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवाद फैलाने के लिए बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद और भाजपा जिम्मेदार है।

बाबरी मस्जिद तोड़ने की घटना दस साल पहले की बात है। मैं इस सदन में तीन बार इस मुद्दे को उठा चुका हूं। उत्तर प्रदेश में आज यह स्थिति है कि वहां के मुख्य मंत्री राजनाथ सिंह जी वह हर काम करना चाहते हैं, जिससे वहां साम्प्रदायिकता पैदा हो, देश के अंदर सेक्यूलरिज्म फैबरिक खत्म हो। उन्होंने कहा कि जो बिन लादेन का नाम लेगा, हम उसको उठाकर बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश में हर मुसलमान को बिन लादेन के साथ जोड़ा जा रहा है। तमाम मदरसों को आई.एस.आई. का अड्डा बना चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। नेपाल के बोर्डर पर कई मदरसें हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि यहां आतंकवादी बसते हैं। मेरे क्षेत्र में दो जगह ऐसी हैं, जहां के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि संसद का एक डेलीगेशन वहां जाकर देखे कि क्या सही है और क्या गलत है। मुरादाबाद में 15 किलो मीटर की दूरी पर विलायत नगर है और दस किलो मीटर की दूरी पर फतेहपुर विश्नोई है, वहां पर सरकार क्या कर रही है, यह संसद का डेलीगेशन जाकर देखे। कांग्रेस के राज में एक मस्जिद तोड़ी गई, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद की चर्चा केवल इसलिए की जाती है कि इससे वोट हासिल हों। आप किसी भी पार्टी के सांसद को वहां भेजें, वह देखेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन वहां पर प्रशासन ऐसा नहीं चाहता है, वहां की सरकार ऐसा नहीं चाहती है। वहां रमजान के महीने में भी मस्जिद होते हुए भी लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। रात को जब लोग वहां जाते हैं, तो पुलिस उन्हें ऐसे पकड़ने आती है जैसे डकैतों को गिरफ्तार करने के लिए जाती है कि यहां नमाज कैसे पढ़ रहे हैं। अगर रत्ती भर भी आपके दिल में सेक्यूलरिज्म की बात है तो इस बात को खत्म करने की कोशिश करें। यह देश सेक्यूलर देश है। 1947 के अंदर देश आजाद हुआ था। उस वक्त के बड़े नेताओं ने इस देश को धर्म निरपेक्ष बनाया था। अगर हिन्दू राष्ट्र बना देते, तब भी इस देश के अंदर अंगुली उठाने वाला कोई नहीं था। इसलिए बहुत सोच–समझ कर फैसला किया गया था कि यह देश धर्म निरपेक्ष देश रहेगा। मेरा मानना है कि हिन्दुइज्म एक बड़े दिमाग की बात है, बड़े दिल की बात है। यही बात है कि इस देश ने तरक्की की। वे तमाम देश जो इसके साथ आजाद हुए वे तरक्की नहीं कर पाए। आप दुनिया का नक्शा उठाकर देखें कि जो देश फंडामेंटलिस्ट देश हैं, जिन पर मजहबी लबादा चढ़ा हुआ है, वे दुनिया में कभी तरक्की नहीं कर पाए। हिन्दुस्तान ने तरक्की इसलिए की कि वह लिबरल देश है। हिन्दुस्तान ने तरक्की इसलिए की कि यहां रहने वाले लोगों के बड़े दिमाग हैं, बड़े दिल हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोगों को इस तरह से फंडामेंटलिस्ट बनाना चाहती है। इससे देश को नुकसान होगा, देश पीछे जाएगा।

[श्री राशिद अलवी]

मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस देश को बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है। इस तरीके की चीजों को लेकर यह सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से साम्प्रदायिकता फैला रही है, चाहे सिमी का मामला हो या अन्य हो, वह ठीक नहीं है। इस देश के अंदर सिमी का कोई नाम नहीं जानता था, न ही कोई उनके नेताओं के बारे में जानता था। लेकिन कानून बनाकर इस देश में गलत माहौल पैदा किया जा रहा है।

अफगानिस्तान का मामला आया। 11 सितम्बर को अमेरीका पर जो हमला हुआ, उसको लेकर हालात को और खराब करने की कोशिश की गई।

अपराह्न 5.00 बजे

जब तक इस देश के अंदर सैकुलरिज्म को मजबूत नहीं किया जाएगा, देश मजबूत नहीं होगा। मेरी अपील विश्व हिन्दू परिषद के सिंघल साहब से है जिन्होंने कानून को तोड़ा। मेरी जातीय तौर पर इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और न कोई एतराज है कि सिंघल साहब 15 फुट से या 50 फुट से दर्शन करते हैं, उनको जहां से दर्शन करने हैं, वह वहां से कर सकते हैं, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर देश का कोई कानून है और उसको कोई तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाही होनी चाहिए। एफआईआर लॉज हुई तो पुलिस के ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाही हुई। कातिल घूम रहा है, थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया और उस आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाही क्यों नहीं हुई जिसने कानून तोड़ा है और जब तक कानूनी कार्रवाही नहीं होगी, देश की जनता के अंदर यह भ्रम होगा कि इस देश में दो तरह के कानून हैं। एक कानून बड़े लोगों के लिए है और दूसरा कानून छोटे लोगों के लिए है। मैं यह भी होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा है, वे चाहे बीस लोग हैं या 25 लोग हैं, सिंघल साहब को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। मैं अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल खराब हो रहा है, उसे जिस एजेंसी के साथ चाहे, एमपीज के डेलीगेशन के जरिये उसे ठीक कराने का काम किया जाये। मैं और मेरी पार्टी पूरी तरह से इका विरोध करते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : यह राष्ट्रीय महत्त्व का विषय है लेकिन इस विषय पर बार-बार चर्चा होती है और नतीजा नहीं निकल पाता है क्योंकि हमारे माननीय सदस्य रघुनाथ झा जी चर्चा कर रहे थे और मैं इतिहास की पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय बहुत लग जाएगा। लेकिन यह सही है कि झा जी ने कहा था कि 1949 में अयोध्या में तत्कालीन डी.एम. के.के.नायर जी ने विवादित स्थल में ताला लगवाने का काम उसी समय हुआ था और गोविन्द बल्लभ पंत उस समय मुख्य मंत्री थे। पंडित नेहरू जी का यह विचार हुआ था कि इस मामले में जो तनाव है, उसका स्थायी हल निकाला जाये। हल क्या निकला, ताला लगवा दिया गया और इसके बाद फिर इसका मूल्यांकन किया गया कि इसका क्या असर किसी खास कम्युनिटी पर पड़ा और किसी दूसरी कम्युनिटी पर क्या असर हुआ और इसके बाद डी.एम. नायर ताला लगवाकर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। मैं इसमें आगे नहीं जाना चाहता। इसके बाद नायर कहां जाते हैं इसके बाद जनवरी, 1986 तक यह बंद रहता है और 1986 में तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी थे, उस समय अयोध्या में एक बड़े बहादुर डी.एम. आये, उनका नाम के.के.पांडे था। उन्होंने ताला खुलवा दिया। एक डी.एम. ताला लगवा देता है और एक डी.एम. को ऊपर से आदेश आता है तो वह ताला खुलवा देता है, आर्म फोर्सेज हट जाते हैं कि हिन्दू पूजा-प्रार्थना कर सकें, इसके लिए ताला खुलवा दिया गया। इसी बीच में कोर्ट-न्यायालय से कोई इफैक्टिव काम नहीं हो सका लेकिन ताला खोलने की प्रक्रिया क्यों हुई? मैं यह बात यहां दर्ज करना चाहता हूं। दासमुंशी जी इस बात से सहमत नहीं होंगे क्योंकि शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ, उसके बाद इस निर्णय को नलीफाइ करने के लिए कोई न कोई हरकत करनी थी चूंकि मुस्लिम भाई माइनॉरिटी में थे और उन्होंने पर्सनल लॉ में इसे हस्तक्षेप माना। परिणाम यह हुआ कि हिन्दू के हक में ताला खुला था और मुस्लिमों के हक में मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक, 1986 आया जो बाद में एक्ट भी बना। मैं इसीलिए अपनी बात को सम्पुष्ट करता हूं कि तुष्टीकरण की नीति जो है, इसका एक लम्बा इतिहास है। किस तरह से एक कम्युनिटी को तुष्टीकरण किया गया और फिर दूसरी कम्युनिटी का तुष्टीकरण किया गया। हमारे देश के संविधान का सैकुलर ढांचा है, लेकिन देश के संविधान का आदर नहीं हो सका।

सैक्युलर संविधान है, इससे कोई असहमत नहीं हो सकता है। हम आपको साफ-साफ बता देना चाहते हैं, इससे पहले भी कम्युनलिज्म की भावना के वाइडर एक्सैप्टैंस में मीनाक्षीपुरम कन्वर्जन का भी बड़ा हाथ रहा है। इसके बाद जो घटना घटी, वह 2 नवम्बर, 1990 और कारसेवा 6 दिसम्बर, 1992 को जो घटना घटी, वह देश के लिए कलंक है। सबके सामने उसकी घोर निन्दा होनी चाहिए। जो भी ढांचा था, उसको ध्वस्त किया गया। आज जो बहस सदन में हो रही है, वह 17 अक्टूबर, 2001 को वीएचपी के नेताओं ने गर्भ-गृह में प्रवेश करने से हुई उत्पन्न स्थिति पर हो रही है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुल्लम-खुल्लाह उल्लंघन है। कोई भी सरकार जो कान्स्टीचूशनली हैड है, वह कैसे इसको डिफेन्ड कर सकती है। सरकार ने कहीं डिफैंड नहीं किया है। ठीक है हमारे

समाजवादी नेता, श्री मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि वहां के मुख्यमंत्री ने निर्दोष साबित कर दिया। कोई कमेटी बनी, उन्होंने कह दिया है मैं पहले ही कह चुका हूं, तुष्टिकरण की नीति चल रही है। इतिहास की पृष्ठभूमि में जाइए, शुरू से ही तुष्टिकरण से इस देश की साम्प्रदायिक भावना मजबूत नहीं हो सकती। भाईचारे की भावना नहीं बन सकती है। आंकलन किया जा रहा है, मूल्यांकन करके देखा जाता है कि कितने हिन्दू पक्ष में हैं और कितने मुसलमान पक्ष में हैं। इससे देश नहीं बनेगा। नेशनल एजेंडा का जो ढांचा है, उस ढांचे के तहत हम समझते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने इस बात को कई बार कहा है, जो विवादित मामले हैं, चाहे वह राम मंदिर का मामला हो, मस्जिद का मामला हो, धारा 370 का मामला हो, सिविल कामन–कोड का मामला हो –ऐसे मामलों में नेशनल एजेंडा नहीं है। ऐसे माभले जब भी नेशनल एजेंडे में लाए जायेंगे, तो घटक दल के लोग उससे सहमत नहीं होंगे। उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। यह मैं साफ–साफ कह देना चाहता हूं। वैसे भी यह एजेंडे में नहीं आएगा, क्योंकि भारत सरकार ने कभी भी इन मामलों में नेशनल एजेंडे में लाने का एलान नहीं किया है। यह मैं कह चुका हूं, पहले जो पार्टी सियासत में रही हैं, उसने तुष्टिकरण किया। कट्टरपंथी विचारधारा चाहे हिन्दुओं की तरफ से हो, मुसलमानों की तरफ से हो, उसको कन्डैम करना चाहिए। यदि देश को बड़ा बनाना है, देश के सैक्लुयर ढांचे को अक्षुण रखना है, मजबूत रखना है, देश की एकता और अखण्डता को मजबूत रखना है, तो कट्टरपंथी चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो, उसकी निन्दा होनी चाहिए। इसलिए 17 अक्टूबर को सिंघल साहब या अन्य को, यह इजाजत नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट के अधीन या उत्तर प्रदेश में लखनऊ बैंच में मामले लंबित पड़े हैं, राम–जन्म भूमि के मामले लम्बित पड़े हैं, उन पर बल प्रयोग करके वहां पहुंच जायें। इसको हम लोग डिफैंड नहीं करते हैं। इस पर कार्यवाही होनी चाहिए।

यह बात सही है, जैसा कि रावत जी बोल रहे थे, राम में श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। करोड़ों लोगों को राम पर श्रद्धा है, कृष्ण पर श्रद्धा है और करोडों लोगों को मोहम्मद हजरत साहब पर श्रद्धा है। श्रद्धा और आस्था – श्रद्धा के आधार पर और आस्था के आधार पर, भावनाओं के आधार पर अगर देश को बांटने का काम होगा, तो देश मजबूत नहीं हो सकती है। कभी भी भावना के आधार पर देश को नहीं बांटना चाहिए। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो भी लोग भावना के आधार पर देश को बांटने का काम करेगा, वह ठीक नहीं है और वैसे देश इतना नाजुक भी नहीं है। संसार में हम सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश कहलाते हैं। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के बाद और धर्म–निरपेक्ष हमारा ढांचा, संविधान, इसको बांटने का काम होगा, तो हम लोग किसी भी कीमत पर सहमत नहीं होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भावना के आधार पर देश को बांटने का काम नहीं होना चाहिए।

महोदय, हमने फिजिक्स में गुड–कन्डक्टर और बैड–कन्डक्टर के बारे में पढ़ी है। गुड–कन्डक्टर में लोहे की छड़ आती है। लोहे की छड़ को एक सिरे से गरम किया जाता है, तो दूसरा छोर भी गरम हो जाता है। लोहे की छड़ में जाति धर्म और सम्प्रदाय आते हैं। इसलिए इन सवालों को उठाने से दंगे बढ़ते हैं।

जब जाति का मामला उठता है तो एक–दूसरे के बिना प्रचार के मामला पहुंच जाता है और देश भावनाओं के नाम पर बंटने लगता है, इसीलिए गुड कंडक्टर पर बहस होती है। लेकिन जो बैड कंडक्टर है – भूख, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास का मुद्दा है, ऐसे मामलों पर बहस नहीं होती। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, सदन को इसे पोजेटिव मामले में, खास तौर से भूख, बेरोजगारी और देश की जो आर्थिक माली हालत है, देश जो आर्थिक विषमता झेल रहा है, इस पर बहस होनी चाहिए। यह देश के करोड़ों लोगों की भावना और रोजी–रोटी से जुड़ा हुआ मामला है। यह धार्मिक भावना है, सब की अपनी–अपनी आस्था है। लेकिन आज का एक फैशन चल गया है कि बहस को कहीं न कहीं भावनाओं को आधार बना कर, वोट के आधार पर इस मामले को, धर्म को वोट की वस्तु बना दिया है। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है।

महोदय, डा. राम मनोहर लोहिया जी ने 1962 में कहा था कि धर्म दीर्घकालीन राजनीति है, सेवा है, लेकिन राजनीति अल्पकालीन धर्म है। अल्पकालीन धर्म वाली राजनीति का मुद्दा बराबर धर्म, मजहब और भावना हो जाता है और इस पर बहस करके जो वोट का राजनीति खेल हो रहा है, यह बहुत ही दुखद है। इसलिए मैं वेदना के साथ इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि सेक्युलर संविधान को किसी को छूने की इजाज़त नहीं है। उसके ढांचे में कोई गड़बड़ी करने का किसी को हक हासिल नहीं होना चाहिए। रावत साहब, पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी की चर्चा कर रहे थे। मिथिलांचल की राजधानी जनकपुर रही है। महोदय, आप भी इस बात को जानते हैं कि राजा जनक ने मिथिलांचल की राजधानी जनकपुर में राजा रामचंद्र का स्वयंवर रचाया, वहीं जनक नंदनी सीता से विवाह रचाया गया। रामचन्द्र जी भारत के उत्तर दिशा से चल कर श्रीलंका तक जाते हैं। अयोध्या होते हुए यात्रा होती है। राम ने देश को कभी तोड़ने का काम नहीं किया, जोड़ने का काम किया। राम के नाम पर जो लोग भी तुष्टिकरण की नीति करते हैं या देश को तोड़ना चाहते हैं, वे देश के राम की आत्मा या राम के भी खिलाफ काम कर रहे हैं, यह मेरा आरोप है। इनका नाटक वाला राम होगा, सही मायने

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हिन्दुस्तान में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक यात्रा करके अत्याचार का नाश करने का काम किया था। ..... *(व्यवधान)* कृष्ण ने पूर्व से लेकर जरासंघ से लड़ते हुए, कंस का वध करते हुए द्वारिका तक का दर्शन किया। पूर्व से पश्चिम तक हिन्दुस्तान को कृष्ण ने जोड़ने का काम किया था। मोहम्मद हज़रत साहब ने इंसानियत और जुल्म एवं अत्याचार के लिए जो पुरानी मान्यताएं थीं उनके खिलाफ काम किया। गरीबों के हमदर्द होते हुए मक्का और मदीना तक की यात्रा की। जो बड़े लोग पैगम्बर हैं, उन्होंने कभी नफरत की भावना नहीं सिखाई। हमें मज़हब कभी आपस में समाज में लड़ने की प्रेरणा नहीं देता। इसलिए हिन्दू हो या मुसलमान, सिक्ख, ईसाई या पारसी हो, सब एक हैं और एक भावना बना कर ही हम देश को मजबूत कर सकते हैं। देश की भावनाओं को धर्म के नाम पर बांटना सबसे बड़ा अपराध है, इस पर रोक लगनी चाहिए, यह हम माननीय गृह मंत्री जी से मांग करते हैं।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, आज 3 दिसंबर है और दो दिन के बाद, 6 दिसंबर को पांच सौ वर्ष पुरानी बाबरी मस्जिद की दुर्भाग्यपूर्ण 'शाहदत' को नौ वर्ष पूरे हो जाएंगे। मैं यह कहूंगा कि बाबरी मस्जिद के संबंध में आज जो स्थिति व्याप्त है, वह सरासर धोखेबाजी और अपराध का परिणाम है।

यह विधि के नियमों की अवहेलना संविधान का उपहास और न्यायपालिका की अवज्ञा का एक स्थायी सूचक है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि अयोध्या के संबंध में विद्यमान व्याप्त स्थिति एक सभ्य राष्ट्र के सभी मूल्यों के विखंडन का प्रतीक है।

बाबरी मस्जिद के संबंध में अपराधिक कार्यवाहियों की शृंखला में सबसे ताजी घटना 17 अक्टूबर को हुई। विश्व हिन्दू परिषद के शीर्ष नेता अपने अनुयायियों के साथ वर्जित क्षेत्र में जबरदस्ती घुस गए और वहां 'आरती' की। वे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा की गई घेराबंदी और मोर्चाबंदी को पार करते हुए आसानी से अंदर घुस गए। यह न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार पूर्ववत् स्थिति को बनाये रखने के लिए प्रशासनिक आदेशों की उद्दंतापूर्ण अवहेलना है। यह बड़ी चकित करने वाली बात है कि इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। निःसंदेह, राष्ट्र की ओर से किए गए अत्यधिक विरोध के कारण, बाद में एफ. आई. आर. दर्ज की गई।

पूर्ववत् स्थिति का उल्लंघन किए जाने पर सरकार की अकर्मण्यता, प्रधान मंत्री ने राष्ट्र को आश्वासन दिया। अपने चिंतन में प्रधानमंत्री जी ने यह वायदा किया था :

"मैं यह बात पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कानून अपना पूरा समय लेगा। यदि किसी संगठन ने पूर्ववत् स्थिति को भंग करने का प्रयास किया तो सरकार मूक-दर्शक बनकर बैठी नहीं रहेगी और विलंबकारी युक्तियां नहीं अपनायेगी जैसाकि दुर्भाग्य से आठ वर्ष पहले हुआ था।"

और, राष्ट्र को दिए गए इन सभी आश्वासनों के बावजूद सरकार अभी तक मूकदर्शक बनी रही।

जब यथापूर्व स्थिति का इतना घोर उल्लंघन किया गया, प्रधान मंत्री जी ने इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त की ? उन्होंने इस संपूर्ण घटना को मात्र सुरक्षा व्यवस्था में कमी कहकर हल्के ढंग से खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति का हम सामना कर रहे हैं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यथापूर्व स्थिति बनाये रखने के लिए इस सरकार में, विशेष रूप से संघ परिवार के संबंध में कोई साहस नहीं है। उच्चतम न्यायालय को इस विशेष तथ्य पर स्वतः ध्यान देना चाहिए और उचित कार्यवाही करनी चाहिए। इस सरकार की संपूर्ण विश्वसनीयता दांव पर लगी है। जब संघ परिवार की बात आती है, तो यह सरकार जड़वत हो जाती है, इसे लकवा मार जाता है और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। उदाहरण के लिए संघ परिवार के लोग हमारे देश में न्यायपालिका की परवाह किए बिना लगभग हर रोज बार-बार यही घोषणा करते हैं कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर मंदिर का निर्माण किया जायेगा और इसके लिए उन्हें कोई दंड भी नहीं मिलता। इससे सांप्रदायिक भावनाएं भड़कती हैं और सरकार की ओर से इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती।

जहां तक इस सरकार का संबंध है, संघ परिवार को खुला सामान्य लाइसेंस प्राप्त है। ऐसी निष्क्रियता के मैं और कितने उदाहरण दूं ?

5 मार्च को दिल्ली में 'कुरान' को जलाने की हृदय-विदारक अधार्मिक घटना के संबंध में भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।

महोदय, 13 अक्टूबर को संघ परिवार के लोग ताजमहल के अंदर घुस गए और उन्होंने स्मारक को जानबूझकर नष्ट किया लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी तरह, 14 मार्च को विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्त्ता नई दिल्ली में कुतुब काम्पलैक्स के भीतर कुब्बत्तुल इस्लाम मस्जिद में बलपूर्वक यज्ञ करने का प्रयास किया लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

हक संबंधी मामले नामतः 'बाबरी मस्जिद' के संबंध में दीवानी मामलों के अलावा फौजदारी के भी मुकदमे हैं। मैं यहां इस बात का उल्लेख करूंगा, कि 12 फरवरी, 2001 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि 48 अभियुक्तों में से,

आठ अभियुक्तों के संबंध में अधिसूचना दोषपूर्ण थी। इन आठ अभियुक्तों में विशिष्ट व्यक्ति और तीन केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। विद्वत न्यायाधीश ने यह विनिर्णय दिया है कि नई अधिसूचना द्वारा उस दोष को दूर किया जा सकता है, फिर भी कुछ नहीं किया गया है। वे आठ व्यक्ति, जिनके खिलाफ पिछले न्यायालयों द्वारा प्रत्यक्षतः प्रथम दृष्टया लगाए गए हैं, अभी तक अपनी हैसियत में बने हुए हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री जी.एम. बनातवाला : सभापति सहोदय, मैं बस थोड़ा समय और लूंगा।

अब जब विश्व हिन्दू परिषद ने अंतिम चेतावनी दे दी है कि यदि 12 मार्च, 2002 तक सभी रुकावटें दूर नहीं की गईं और वह जगह उन्हें सौंपी नहीं गई तो वे बलपूर्वक इसे हथिया लेंगे और मंदिर का निर्माण कर देंगे, हमारे प्रधान मंत्री ने कमजोर होकर उनके आगे समर्पण कर दिया है। यद्यपि राजग के एजेंडा में बाबरी मस्जिद का कोई उल्लेख नहीं है, तथापि प्रधान मंत्री जी ने यह वायदा किया है कि वर्ष 2002 से पहले इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। ये सब ऐसी बातें हैं जो ताकतों को प्रेरणा और प्रोत्साहन देती हैं।

महोदय, मैं सरकार से और इस सभा से अनुरोध करता हूं कि वे बाबरी मस्जिद का मुद्दा बार–बार उठाने, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के असिंद क्षेत्र में मस्जिदों को ढहाने, आई एस आई एजेंटों के नाम पर मुसलमानों को परेशान करने, राष्ट्रीय सुरक्षा पद्धति में सुधार लाने के बारे में मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप जिन से मदरसों को निशाना बनाने पर और अधिक बल मिला, देश में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक विरोधी दंगे भड़कना, बजरंग दल के अस्त्र प्रशिक्षण कैंप और त्रिशूलों के बांटे जाने आदि जैसी घटनाओं सहित उग्र सांप्रदायिक स्थिति पर विचार करें। राजस्थान के मुख्य मंत्री कहते हैं कि समूचे देश में 4 लाख से भी अधिक ऐसे त्रिशूल बांटे गए हैं और राज्य पुलिस का कहना है कि ये त्रिशूल नहीं बल्कि रामपुरी चाकू हैं जिनसे लोगों को मारा जाता है। देश में ऐसी विस्फोटक स्थिति है। हमें यह बात समझनी चाहिए और स्थिति का जायजा लेना चाहिए।

मैं समस्त सभा से, सरकार से और प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध करता हूं कि भारत की नियति सभी वर्गों के लोगों के बीच एकता में है। सरकार राष्ट्र और संविधान, दोनों के प्रति सच्ची और ईमानदार हो। सरकार ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करे जो विधि के नियमों का उल्लंघन करें अथवा न्यायालय द्वारा यथापूर्व स्थिति बनाए रखने हेतु दिए गए आदेशों की अवमानना करे। केवल तभी हमारे देश में न्याय जीवित रह सकता है।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : माननीय, सभापति महोदय, 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण और दुःखद है। उस वक्त तेलगु देशम पार्टी ने इस घटना की निंदा की थी। उस समय हमने केन्द्र में सत्तारूढ़ दल, कांग्रेस पार्टी और साथ ही उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल पर दोषारोपण किया था। संपूर्ण देश ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की थी।

1992 से हम इस सम्माननीय सभा में प्रति वर्ष इस मामले पर चर्चा करते आ रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने कई बार स्पष्ट रूप से कहा है कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और इसलिए हमें न्यायालय के निर्णय का पालन करता है या असंतुष्ट पक्षों के मध्य आपसी समझौता को मानना है या हमें सभी राजनैतिक दलों के बीच आपसी सहमति से निकले हल का पालन करना है।

अभी भी 17 अक्टूबर, 2001 को वीएचपी नेता, श्री अशोक सिंघल और श्री एस.सी.दीक्षित ने अपने समर्थकों के साथ विवादित स्थल में प्रवेश किया। तेलगु देशम पार्टी ने इस घटना की भर्त्सना की है। इस संबंध में 'द हिन्दू' में वक्तव्य भी छपा था कि वीएचपी जो कर रहा है, वह गलत है। श्री आडवाणी ने भी इस घटना के बाबत यही बात कही थी। इस देश के प्रधान मंत्री ने भी कहा कि इस घटना में सुरक्षा की खामी उजागर हुई है और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को विवादित स्थल पर घुस कर कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

पिछले बार भी मेरी पार्टी ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक वर्ष हम इस मामले पर चर्चा करते हैं। प्रत्येक वर्ष शीतकालीन सत्र के दौरान हम 6 दिसम्बर की तारीख से पहले पूरे दिसम्बर महीने में हम इस घटना की चर्चा में काफी समय गुजार देते हैं। यदि आप विश्व के अन्य देशों को देखें तो प्रत्येक देश आर्थिक क्षेत्र अथवा अन्य क्षेत्रों में अपने सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। परंतु हम उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित इस मामले पर चर्चा करने में काफी समय बिता देते हैं।

अब, भारत आतंकवाद की चुनौती का सामना कर रहा है। हमें आर्थिक क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, हमारे समक्ष गरीबी, अशिक्षा, बढ़ती हुई जनसंख्या जैसी समस्याएं भी हैं। हमारे देश के समक्ष ये महत्त्वपूर्ण मामले हैं। परंतु हमारे पास इन समस्याओं पर चर्चा के लिए समय नहीं है परंतु हमें वर्ष 1992 से बाबरी मस्जिद के मामले पर चर्चा का समय मिल रहा है। हमारे देश की एकता और अखंडता इस सिद्धांत पर टिकी है कि हमारा देश एक पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र है। धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। भारत में हम आपस में भाई बहनों की तरह रहते

[श्री के. येरननायडू]

हैं; हम मिलजुल कर रहते हैं; और हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। इसलिए, किसी को भी इस सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। हम में से प्रत्येक किसी न किसी धर्म का पालन करता है। हमारी धार्मिक मान्यताओं को राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के हमारे कार्यकलापों को नियंत्रित या प्रभावित नहीं करना चाहिए। हमने माननीय प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को नोट कर लिया है कि अयोध्या विवाद का हल अगले वर्ष मार्च तक निकाल लिया जाएगा। इसके लिए केवल तीन महीने बचे हैं। कभी यह संभव भी नहीं हो सकता है क्योंकि हम इस विवाद में निहित मामले की जटिलताओं को समझते हैं। यह मामला निश्चित रूप से नाजुक है और सभी को जिम्मेदारी से काम करना है। हालांकि हमें हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इस मामले को सुलझाने के लिए अपनाई जा रही कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी नहीं है, परंतु हम केवल आशा कर सकते हैं कि वे सभी संबंधित पार्टियों से विचार–विमर्श करेंगे क्योंकि इस मामले को सुलझाने के लिए रखी समय सीमा में मुश्किल से अब केवल तीन महीने रह गए हैं।

समय की कमी को ध्यान में रखते हुए मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधान मंत्री के प्रयत्न महत्त्वपूर्ण और निर्णायक स्तर पर पहुंच चुके होंगे; और इस सभा में अनेक सदस्यों को यह पता नहीं होगा कि सरकार के प्रतिनिधि और प्रधान मंत्री कौन सी मंत्रणा में व्यस्त हैं।

माननीय प्रधान मंत्री ने इस मामले को अगले वर्ष मार्च तक सुलझाने का वादा किया है। हमें सभी संगठनों को निर्देश देने हैं ताकि वे देश के कानूनों को पालन करें। यह मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है। यह राजद सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर ही सत्ता में आई है। भाजपा का अपना एजेंडा है इसमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी शामिल है। परंतु सरकार राजद के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर कार्य कर रही है। इस एजेंडा में, राम मंदिर के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

इसके बारे में सभी जानते हैं। उन्हें देश का संचालन न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है, यदि कोई संगठन कानून तोड़ता है और इस देश के लोगों में आस्था पैदा करने के लिए विवादित स्थान में प्रवेश करता है, तो सरकार को उस संगठन के विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि यह मामला 12 मार्च, 2002 से पहले हल कर लिया जाएगा जैसा माननीय प्रधान मंत्री का विश्वास है। यदि यह संभव नहीं हुआ चूंकि इसमें कई जटिल मामले शामिल हैं, तो सरकार को सभी राजनीतिक दलों और साथ ही प्रभावित दलों से विचार–विमर्श करना चाहिए या इसे उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर छोड़ देना चाहिए। तब तक हमें इस देश के कानून का कार्यान्वयन करना होगा।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश के एक और सांसद को पिछले दिनों अयोध्या में हुई निर्लज्ज घटना के बारे में विस्तार से बोलने का अवसर प्रदान किया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किन कारणों से बाबरी मस्जिद को छः दिसम्बर को ढहाया गया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे प्रदेश में केवल तीन–चार महीनों के अंदर विधान सभा के चुनाव होने वाले

अपराह्न 5.31 बजे

(श्री देवेन्द्र सिंह यादव *पीठासीन हुए*)

हैं और इस बात की बड़ी अच्छी तरह से जानकारी हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है, चाहे वह उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हों। सबको मालूम है कि साढ़े चार वर्षों में भाजपा ने किस तरह से हमारे प्रदेश में अपनी साख गंवाई है, चाहे वह किसानों का मोर्चा हो, चाहे वह उद्योग का मोर्चा हो, चाहे वह व्यापारियों का मोर्चा हो। हर मोर्चे पर यह सरकार बुरी तरह से फ्लाप रही है, विफल रही है।

सभापति महोदय, कानून और व्यवस्था के बारे में हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं कि आज हमारे प्रदेश में कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है जो इस बात से जाहिर होता है कि जब अक्टूबर माह में श्री अशोक सिंघल और उनके साथी उस परिसर में घुसे, जो प्रतिबंधित था, उन्हें किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। दूसरे दिन मुख्य मंत्री जी का बयान आता है कि जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, अखबारों में जो कुछ सूचनाएं दी गई हैं कि वहां विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्त्ता श्री अशोक सिंघल के नेतृत्व में दाखिल हुए थे, वे सब गलत हैं। उस परिसर में उस प्रतिबंधित जगह पर कोई भी दाखिल नहीं हुआ। उन्होंने उसी दिन एक उच्च स्तरीय अधिकारी के नेतृत्व में जांच दल भी बैठा दिया था। दुर्भाग्य से उस उच्चाधिकारी ने तीन दिन पहले ही अपनी फाइंडिंग्स की रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें उसने यह स्वीकार किया कि वास्तव में परिसर में विश्व हिन्दू परिषद के कुछ कार्यकर्त्ता घुसे थे, लेकिन उसका दोष सुरक्षा बलों का था, जिन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और उसकी इस लापरवाही के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आतंकवाद की इस घटना को छिपाने की कोशिश की। माननीय मुख्य मंत्री जी

ने उन आतंकवादियों की सूचना देने की जरूरत महसूस नहीं की। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पोटो का अध्यादेश जारी हो चुका है, देश में पोटो लागू हो चुका है और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बड़ी शान के साथ कहते हैं कि हमारे प्रदेश में पोटो लागू होकर रहेगा। मैं इस सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूं कि पोटो में यह व्यवस्था है कि जो भी आतंकवादी घटनाओं को छिपाने की कोशिश करेगा, सभापति महोदय, जो भी आतंकवादियों को सूचना देने का काम करेगा, उसके खिलाफ पोटो के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, यह क्यों नहीं स्पष्ट किया जाता। इसलिए हम पोटो का विरोध करते हैं, लेकिन इस सरकार ने पोटो के अध्यादेश को जारी कर दिया है और देश में पोटो लागू कर दिया है। क्या अयोध्या में श्री अशोक सिंघल के नेतृत्व में विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्त्ता नहीं घुसे और अगर घुसे, तो उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में कैसे कहा कि वहां कुछ कार्यकर्त्ता घुसे, लेकिन वे सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही से घुसे। आतंकवादियों के छिपने और आतंकवादियों को छिपाने की इस कार्रवाई में पोटो के अंतर्गत क्या कोई कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पर होगी ? मान्यवर हमें मालूम है कि नहीं होगी। हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है और संसद जानती है कि ये कार्य केवल चुनाव में अपनी साख को बचाने के लिए किए जाते हैं।

महोदय, बाबरी मस्जिद की घटना घटी। वह घटना केवल इसलिए घटी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता यह जानते थे कि यदि इस तरह की घटना घट जाएगी, तो हम साम्प्रदायिकता का कसैला वातावरण पूरे देश में निर्मित कर देंगे और उसकी आड़ में चुनाव जीत जाएंगे और यह सत्यता सिद्ध हुई। उत्तर प्रदेश की भोलीभाली और धर्मपरायण जनता, जिसके दिलोदिमाग में खुराफात भरी गई और उसका राजनीतिक लाभ उठाया गया। इसी तरीके से यह घटना की गई और विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शायद यह सोचा होगा कि यदि हम ऐसी कोई कार्रवाई करेंगे, तो उत्तर प्रदेश की जनता की सहानुभूति उनके साथ हो जाएगी और पूरे उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव फैलेगा, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के भोलेभाले लोगों को, जिन्होंने कभी भावनाओं में बहकर इस सरकार को जिताया, लेकिन आज वह इनके हथकंडे को अच्छी तरह से समझ चुकी है। इन लोगों ने बहुत भडकाने की कोशिश की। लेकिन उसका कोई असर उत्तर प्रदेश की जनता पर नहीं हुआ।

सभापति महोदय, आगरा के ताजमहल में जो घटनाएं हुईं, उन्हें भी पूरा देश जानता है। कितनी बेशर्मी के साथ इनके साम्प्रदायिक संगठनों में से एक संगठन के कार्यकर्त्ताओं ने ताजमहल में घुस कर ताज के सम्मान को किस तरह से चकनाचूर करने की कोशिश की। हम उसे केवल आगरा के सम्मान की संज्ञा नहीं देते हैं बल्कि हम तो उसे देश के सम्मान की संज्ञा देते हैं। जब सारी दुनिया में यह खबर गई होगी, तो जिसको देखने दुनिया के कोने–कोने से लोग आते हैं, उस ताजमहल के स्वरूप को नष्ट करने की कोशिश इसी देश के नागरिकों ने ही की। इससे हमारे देश का सम्मान कितना बढ़ा होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं।

उड़ीसा में घटना हुई जिसमें आस्ट्रेलियन पादरी की हत्या हुई, जघन्य हत्या हुई और सरसरी तौर पर यह पता लगा कि इस कुकृत्य को करने वाला बजरंग दल से संबंधित व्यक्ति था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ पता नहीं है कि वह कार्यकर्त्ता कहां है। कितने लोग गिरफ्तार किए गए, किनके खिलाफ कार्रवाई की गई, कोई जानकारी नहीं है।

माननीय सभापति जी, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि समय–समय पर राजनीतिक वोट बैंक बढ़ाने के लिए उस तरीके की हरकतें भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की आड़ में, अपने राज्यों के फायदे के लिए करती है, उससे कोई फायदा नहीं होगा।

इन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसके कितने दूरगामी गंभीर परिणाम निकलेंगे। हमारे देश का साम्प्रदायिक सद्भाव कमजोर हुआ, अगर हमारा आपसी भाईचारा कमजोर हुआ तो कौन संसद में चुनकर आएगा, कौन सरकार बनाएगा, कैसे लोकतंत्र बचेगा, कैसे सिस्टम बचेगा और कैसे संविधान की रक्षा होगी, इसकी कल्पना करके दिल कांप जाता है।

मैं आज भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं को, उत्तर प्रदेश की सरकार को केवल यही कहना चाहता हूं कि आप लाख कोशिश कर लें, आप लाख प्रयास कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता अब आपके साम्प्रदायिक जाल में फंसने वाली नहीं है। छः दिसम्बर की घटना हुई थी, उसके बाद जिन लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. लिखाई गई थी, जो अधिसूचना जारी की गई थी, लखनऊ बैंच ने फैसला दिया था कि इस अधिसूचना में कुछ तकनीकी त्रुटियां हैं। इस सरकार को उन तकनीकी त्रुटियों को दूर करने के बाद ही अधिसूचना जारी करनी चाहिए। चूंकि उसकी गिरफ्त में भारतीय जनतापार्टी के शीर्षस्थ नेता आ रहे थे, जो आज मंत्रिमंडल में भी बैठे हैं इसलिए उस अधिसूचना की त्रुटियां दूर नहीं की गईं और न ही दूसरी अधिसूचना जारी की गई। बड़े शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री कहते हैं अधिसूचना पुनः जारी नहीं की जाएगी। इससे आप उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि दो कानून यहां लागू होते हैं। एक

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

कानून उनके लिए है जो सरकार में बैठे हैं, दूसरा कानून उनके लिए है जो सरकार में नहीं बैठे। हमारे धर्म निरपेक्ष स्वरूप को जिस तरह से नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले सिमी को प्रतिबंधित किया। मुझे मालूम नहीं कि सिमी कितनी साम्प्रदायिक है। भारत सरकार ने अगर उसे प्रतिबंधित किया है तो उसकी कुछ न कुछ जानकारी इन्हें प्राप्त हुई होगी। लेकिन मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि बजरंग दल ने पिछले 40 वर्षों में क्या किया है, विश्व हिन्दू परिषद ने, दुर्गा वाहिनी ने और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने पिछले 40 वर्षों में क्या किया है ? अगर सिमी को प्रतिबंधित करना जरूरी था, तो इन चार संगठनों को प्रतिबंधित करना क्यों नहीं जरूरी समझा गया? अगर इस तरह का भेदभाव करके इस देश में सरकार चलाने की कोशिश की जाती रही, तो वह दिन दूर नहीं कि हमारे धर्म निरपेक्ष स्वरूप को, जिसके लिए हमने अपने मुल्क को आजाद कराया, जिसके लिए सैकड़ों साल तक आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वह नहीं बच नहीं पाएगा। अगर वह स्वरूप नहीं बच पाएगा, तो हमारी संसद, हमारा संविधान, हमारी सत्ता किसके पास रहेगी, कहां रहेगी, इसको कोई नहीं जानता। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश ही नहीं की जाए, बल्कि राजनीति से ऊपर उठकर दूध का दूध और पानी का पानी करने की कोशिश की जाए। जो लोग मुलजिम हैं, जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति महोदय, पता नहीं सदन में इस पर क्यों चर्चा हो रही है, जबकि वहां कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। हमारे साथी सोमनाथ चटर्जी अभी यहां नहीं हैं। वे जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ताला कांग्रेस पार्टी ने खुलवाया था।

बात ऐसी है कि मंदिर का ताला तो कोर्ट ने खुलवाया है। हिन्दुस्तान को जब आजादी मिली, उस समय 83 प्रतिशत हिन्दू थे लेकिन हिन्दुओं को मंदिर के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता है जो कितने दुर्भाग्य की बात है। स्वर्गीय तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने वहां जाकर इलेक्शन की शुरुआत की थी। 1949 में वहां ताला लगवा दिया गया। फिर भी मंदिर में जाकर पुजारी पूजा करता था और उसके बाद 1986 में ताला खुलवा दिया गया। पांडे नाम का कोई व्यक्ति था जो कोर्ट में चला गया तो ताला खुलवा दिया गया और 1993 में वर्डिक्ट दिया गया। इसके लिए कोई चैलेंज नहीं किया गया। वहां जाना गलत नहीं था। अशोक सिंघल जी ने वहां जाकर पूजा की, शिवसेना की तरफ से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मुलायम सिंह जी, मैं आपका आदर करता हूं, जैसे आप खुल्लमखुल्ला बात करते हैं, वैसे ही हमारे शिव सेना प्रमुख ठाकरे जी की बात हम रखना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* एक बात महत्त्वपूर्ण है कि सारे हिन्दुओं की भावनाओं का आदर उन्होंने अंदर जाकर किया, यह सब हिन्दुओं के लिए अशोक सिंघल जी ने गर्व की बात की है। माननीय गृह मंत्री जी ने रथयात्रा की थी। आडवाणी जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। वी.पी. सिंह ने इसे खंडित करवाया था। ....*(व्यवधान)* हमें अपनी मां को मिलने के लिए क्या किसी की इजाजत चाहिए? हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर है, इसीलिए ये लोग अंदर चले गये। मुलायम सिंह जी साफ बोलते हैं लेकिन विपक्ष के नेता शिवराज पाटील जी यहां बैठे हैं, उनको पता नहीं है और दासमुंशी जी चले गये हैं। मैं 1992 से सुनता आ रहा हूं। इतने गौर से मैं इनके भाषणों को सुनता आ रहा हूं लेकिन आज मुझे लगता है कि इनकी सारी हवा चली गई। मुलायम सिंह जी, शिवराज पाटील जी और सोमनाथ जी यहां बैठे हुए हैं। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया तो क्या आप सब लोग मानने के लिए राजी हैं ? .... *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हां राजी है। जो कोर्ट कहेगा, हम उसका फैसला मानने के लिए तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रावले जी, आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री मोहन रावले : आज कांग्रेस कोर्ट की बात कर रही है। कांग्रेस को इन्होंने समर्थन दिया था जब सोनिया गांधी जी प्रधान मंत्री बनने के लिए गई थी तो हमारे आदरणीय सोमनाथ चटर्जी जी ने समर्थन किया था। तभी शाह बानो केस का वर्डिक्ट दिया गया था। ....*(व्यवधान)* वे लोग कहते हैं कि मस्जिद हमारी है तो उनको क्या आप रोक सकेंगे? ....*(व्यवधान)* सभापति जी, आप इस समय आसन पर बैठे हुए हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैं जोर से बातें कहने वाला नहीं हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : आपका जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं, आप सुनने के लिए तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठे–बैठे किसी बात को नोटिस में मत लीजिए।

श्री मोहन रावले : उन्होंने वर्डिक्ट चेंज किया। प्रभु राम के मंदिर को ये मानेंगे। बोलेंगे कि यही लोगों की भावना थी, हम क्या करें। शाहबानो के केस में क्या हुआ ....*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : कोर्ट का फैसला सब मानने के लिए तैयार हैं। शिव सेना मानेगी या नहीं ? ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : मैं बोलता हूं, मान लेंगे, सदन मानने के लिए तैयार है। .... *(व्यवधान)* शाहबानो के केस में, वह किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की मां है, किसी की बेटी है, लेकिन

तलाक–तलाक–तलाक तीन बार कह कर उसे किस तरह से विदा किया जाता है। राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम सिविल कोड लेकर आयेंगे, लेकिन माना नहीं। कुछ चेंज किया लेकिन फिर कहा कि मानेंगे नहीं। जिसको चाहिए, बाबरी मस्जिद, वे लोग रास्ते पर उतरे। मैं बताना चाहता हूं कि तथाकथित मस्जिद में कभी नमाज़ नहीं पढ़ी गई। दुनिया में आप एक भी मस्जिद मुझे बता दीजिए, जहां हिन्दू देवताओं की पूजा की जाती हो। पूजा मस्जिद में कैसे हो सकती है। आप उसके बाजू में जाकर देखिए, सीता मां का मंदिर है, लक्ष्मण का मंदिर है और हनुमान का मंदिर है, हिन्दू देवी–देवताओं का मंदिर है, यह कैसे हो सकता है। ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। एक बार सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया था। डा॰ राजेन्द्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, कांग्रेस वालों ने उसके टुकड़े–टुकड़े किए थे। यहां भी प्रभु राम का मंदिर है और सब लोगों की भावना है। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कन्क्लूड करिए। चेयर को एड्रैस करिए।

श्री मोहन रावले : प्रियरंजन दासमुंशी जी ने और सत्यव्रत जी ने अपनी बात कही। शाही इमाम ने कहा कि मैं आईएसआई एजेंट हूं, तो उनके खिलाफ कोई नहीं बोला। बिन लादेन के बारे में कोई राजी नहीं है। ....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं खिलाफ बोला हूं। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सिर्फ रावले जी की बात प्रोसीडिंग्स में जाएगी।

श्री मोहन रावले : अफगानिस्तान में गौतम बुद्ध प्रतिमायें तोड़ी गईं। तब भी ये लोग नहीं चिल्लाए। अगर चिल्लायेंगे, तो मुस्लिम वोट चले जायेंगे। बंग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार हुआ। मदनलाल खुराना जी ने इस बात को उठाया, तो सदन में कोई भी सदस्य नहीं उठा, इस बात को कहने के लिए। सारे मौजूद थे, लेकिन किसी ने नहीं कहा। ....*(व्यवधान)* हिन्दू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनके बारे में नहीं बोला गया। हिन्दुस्तान में इतने मंदिर तोड़े गए। हजारों मंदिर तोड़े गए और बाबर कौन था, ...*(व्यवधान)** बाबर एक परदेशी था, उसके बारे में क्यों हम बता रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सदन में जब नियम 193 के तहत चर्चा हुई, तो उस समय आसन से संकेत दिया गया था कि बहस की ऊंचाई को मेंटेन किया जाए। भाषण में आपत्तिजनक बात को निकाल दिया जाए।

* कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताता हूं कि बाबर अकबर का बाप था। ....*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : बाबर का हिन्दुस्तान के साथ कोई रिश्ता, नाता नहीं था। वह परदेशी था। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सदन में गलत तथ्य दे रहे हैं, आपकी जानकारी गलत है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं है। .....*(व्यवधान)* इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कम्पलीट ही नहीं की। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : मैं आपको वह बुक सदन में लाकर दिखा सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय रावले जी की बात को छोड़ कर कोई बात प्रोसिडिंग में नहीं जाएगी।

*(व्यवधान)**

श्री मोहन रावले : राम कृष्ण परमहंस भगवा कपड़े पहनते थे। उसे आप अनुदान देते हो। ....*(व्यवधान)* क्या आपका भगवाकरण हुआ? सोमनाथ चटर्जी जी के पिता हिन्दू महासभा में दो बार चुन कर आए थे, क्या उनका भगवाकरण हुआ ? .....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : रामकृष्ण परमहंस ने कभी भगवा कपड़े पहने ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं है।

श्री मोहन रावले : मैं आपको इतिहास के बारे में बताता हूं।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिए।

श्री मोहन रावले : महोदय, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था लेकिन समय के अभाव में, अशोक सिंघल जी का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, इस सदन में सवाल उठा था कि बामियान में भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ दिया गया। जब तोड़ने का आह्वान किया तो सदन में सवाल उठा था कि इसमें गंभीर डिप्लोमेसी की जाए और उसे बचाया जाए। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि जो लोग अभी सरकार में हैं, उन लोगों ने अपने देश में पुरानी मस्ज़िद को तोड़ दिया। उनकी क्या हिम्मत, हैसियत और मोरेलिटी थी कि किसी दूसरे देश के कट्टरपंथी को कहें कि भगवान बुद्ध की मूर्ति को न तोड़ा जाए। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं तोड़ा जाए? दुनिया के कट्टरपंथी का मन–मिज़ाज एक होता है जैसे अफगानिस्तान में तालिबान, ओसामा, मुल्ला उमर ने

* कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

भगवान बुद्ध की मूर्ति को ध्वस्त करवाया, इसी तरह ये लोग जो बैठे हैं, जिनके नेतृत्व में इन लोगों ने यहां मस्ज़िद तुड़वाई, इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

महोदय, हम लोग एक कहानी जानते हैं। एक महात्मा को कहा गया कि आप किसी के बच्चे को कहिए कि गुड़ न खाओ। उसने कहा कि एक महीने के बाद आइए। वह एक महीने के बाद गया तो उन्होंने बच्चे को कहा कि गुड़ मत खाओ, इससे बीमारी होगी। उस पर उसने महात्मा से पूछा कि उस समय आपने एक महीने का समय क्यों लिया तो उन्होंने कहा कि मैं उस समय गुड़ खा रहा था तो मैं उसे कैसे गुड़ न खाने के लिए कहता, उस समय उस पर असर न पड़ता। सरकार में साम्प्रदायिक ताकत है, इसलिए हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिकता फुफकार रही है। ये क्या करेंगे? ये कहते हैं कि साहस नहीं रहा। ये लोग ऐसे कांड करवाते हैं और अब भी करवा रहे हैं। मैं सरकार का उत्तर पढ़ कर सुनाता हूं – उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अशोक सिंघल और एस सी दीक्षित ने 20 अन्य व्यक्तियों के साथ 17-10-2001 को अयोध्या से विवादित स्थल के परिसर में प्रवेश किया। स्थानीय अधिकारियों के समझाने पर वे विवादित स्थल से हट गए थे। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि इन व्यक्तियों के इस कार्य से उस स्थान पर यथास्थिति बनाए रखने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है। वहां राज्य सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ, यह सरकार का जवाब है। अयोध्या में कतिपय क्षेत्र का अधिग्रहण अधिनियम, 1993 और उच्चतम न्यायालय के 24-10-1994 के आदेश के अनुसार केन्द्र सरकार को विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने की जिम्मेवारी दी गई है।

सांय 6.00 बजे

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को जिम्मेदारी दी है कि यथास्थिति बनाए रखे। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसमें भीड़ पर नियंत्रण और लोक व्यवस्था बनाए रखने का मामला शामिल है। इसलिए विवादित स्थल की सुरक्षा का काम राज्य सरकार को सौंपा गया, तथापि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को राज्य सरकार की सहायता के लिए तैनात किया गया है। यह सरकार का उत्तर है। यह एक सैंसिटिव मामला है और मस्जिद गिरने पर देश के विभिन्न स्थानों पर आग लगी। यह बात बोलचाल में ये लोग भी बोलते हैं और कहते हैं कि बहुत खराब हुआ।

सभापति महोदय : 6 बज गये हैं और अभी तीन–चार माननीय सदस्यों को और बोलना है और सरकार का भी उत्तर आना है। अगर सदन की अनुमति हो तो सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए और बढ़ाई जा सकती है।

श्री मुलायम सिंह यादव : उत्तर कल दिलवाएं, तो उचित रहेगा।

सभापति महोदय : सरकार का उत्तर आने तक सदन की कार्यवाही बढ़ाई जाती है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : माननीय आडवाणी जी का अखबार में जो बयान आया वह पढ़कर मैंने सुनाया। गृहमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने विवादित स्थल पर बने अस्थाई मंदिर में विहिप नेताओं द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए घुसने को अनुचित ठहराया है। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज कहा कि गर्भ–गृह की सुरक्षा हर हालत में सुनिश्चित की जाएगी। यह उनका अखबार में बयान है। लेकिन माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपने बयान में कहा कि उन्हें यही मालूम कि विहिप ने गर्भ–गृह में रामलला के दर्शन करके किस कानून का उल्लंघन किया है। ताजमहल में युवा–मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा मचाए गये उपद्रव पर पूछे गये प्रश्न के उत्तर में उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वह कोई चरमपंथी धार्मिक प्रतिक्रिया नहीं थी। इस तरह का बयान सरकार द्वारा देना कि उन्हें नहीं पता कि यह कानून का उल्लंघन है या नहीं है ठीक नहीं है। राज्य सरकार कहती है कि कानून का उल्लंघन नहीं हुआ जबकि केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी दी थी कि सरकार यथास्थिति को बनाए रखे। लगता है कि इनके बयानों से जो साम्प्रदायिक ताकतें हैं वे फुंफकार रही हैं और जब देश में ऐसी ताकतें अशांति पैदा करवाएंगी तो ये उनको रोकने में कामयाब नहीं होंगे क्योंकि इससे इनको चुनावों में लाभ होने की आशा है।

अब विश्व–हिंदू–परिषद का भी बयान सुन लीजिए। उनके अध्यक्ष विष्णु हरि डालमिया ने ऐलान किया है कि मार्च में राम मंदिर का निर्माण आरंभ हो जाएगा और अगर सरकार ने अड़ंगा लगाने की कोशिश कि तो संघर्ष होगा। उन्होंने कहा है 11 सितम्बर को अमरीका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों द्वारा प्रभु श्रीराम ने हमले करवाए थे। यह राम के भक्त हैं या दुश्मन हैं। श्रीकृष्ण जन्म स्थान संस्थान द्वारा ग्राम नगला क्षेत्र प्रकल्प के उद्घाटन अवसर पर पत्रकारों से वे वार्ता कर रहे थे। ये राममक्त लोगों का बयान है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भगवान राम ने तुड़वा दिया। इन लोगों के मापदंड के हिसाब से तो राम आतंकवाद समर्थक हो गये। यह एक खतरनाक बात है। मुझे कहानी याद आ रही है। रामचरित मानस में कहानी है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तो रास्ते में कालनेमी राक्षस था जो राम–राम कह रहा था। हनुमान जी ने देखा कि यह राम भक्त है, राम नाम ले रहा है और रामनामा पहने है ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह पार्लियामैंटरी क्वैश्चन नहीं है लेकिन अनपार्लियामैंटरी एफर्ट भी नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : वह तालाब में नहाने के लिए जा रहे थे तो एक देवी ने उन्हें सूचित किया कि यह छद्म भेष में है, राम का पुजारी नहीं है। इस पर हनुमान जी सजग हो गए। जब वह नहाने गए तो कालनेमी ने उन पर हमला किया लेकिन कालनेमी को हनुमान जी ने ध्वस्त कर दिया क्योंकि देवी जी ने उनको बता दिया था। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी बात खत्म हो गई है। कोई बात प्रोसिडिंग्स में नहीं आएगी।

*(व्यवधान)**

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : माननीय सभापति महोदय, अयोध्या मुद्दे पर इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। इस मुद्दे पर आज से नहीं पिछले सात–साठ साल से लगातार चर्चा होती रही है। इस मुद्दे के हर पहलुओं को छुआ गया है। एक ही बात निष्कर्ष में निकल कर आती है कि हर राजनीतिक दल इसमें अपना राजनीतिक स्वार्थ देखता है। यह देश धर्मनिरपेक्ष है। देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए हर सम्प्रदाय, हर धर्म, हर जाति के लोग अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। यह बाल्मिकी और वेद व्यास का देश है। यह तुलसी और रसखान का देश है, यह राम और श्याम का है। मुझे नहीं लगता कि देश के वंशज सिर्फ मंदिर निर्माण के लिए इस बात पर लड़ें कि अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए या वहां मस्जिद बननी चाहिए। अगर हम राम के जीवन को देखें तो श्रीराम किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक जाति विशेष से संबंधित नहीं है। राम एक आदर्श हैं। वह एक कल्याणकारी व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। अगर उनसे शिक्षा लें या भाई–भाई के रिश्ते की बात करें तो उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर पति–पत्नी के रिश्ते की बात करें तो श्रीराम को आदर्श मान कर देखा जा सकता है। वह राम राज्य के रूप मे उभर कर सामने आए। यह भी एक आदर्श है। उन्हें सदा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जाना जाता है। आज की परिस्थितियों में बात करें, अगर कोई राजनीतिक दल या उसका कोई वरिष्ठ नेता यह कहे कि वह साम्प्रदायिकता की सीढ़ी चढ़ कर वह यहां तक पहुंचा है तो वह गलत बात होगी। किसी राजनैतिक दल को ऊपर उभरने या किसी राजनीतिक नेता को ऊपर उठाने में केवल किसी सम्प्रदाय या जाति का विशेष भाग नहीं होता। उसमें इस देश का किसान और मजदूर जुड़ा हुआ है। उस व्यक्तित्व को उठाने में इस देश के मजदूर और किसान का पसीना लगा होता है। सब से बड़ी बात यह है कि उसमें आम आदमी की भावनायें छिपी हुई हैं। इस देश की जनता विशेष रूप से देखती है कि मुझे किस नेतृत्व को चुनना चाहिये जो मेरी रोज़मर्रा की जरूरतें पूरी कर सके, मेरी देखभाल कर सके और इस देश को एक सही दिशा दे सके।

सभापति महोदय, जिस तरह से बार–बार यहां चर्चा में आया कि 17 अक्टूबर को जो लोग गये और कहा कि विवादास्पद स्थल नहीं है, तो वहां सी.आर.पी.एफ. लगाने की क्या जरूरत थी? आम आदमी सीधे रूप से जा सकता था, अपनी भावनायें व्यक्त कर सकता था, अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकता था। हम इस बात की निन्दा करते हैं कि अगर नियमों का उल्लंघन करते हुये चाहे किसी दल या संघ का वरिष्ठ नेता वहां जाता है और जिस तरह से हिन्दू विश्व परिषद के श्री अशोक सिंघल और आचार्य गिरिराज किशोर वहां गये, उसकी चर्चा अखबारों में आई कि एफ.आई.आर. दर्ज की गई। हमारे संविधान की इज्जत न करने की जिस किसी भी व्यक्ति ने गलती की है, उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मेरा इस विषय पर नोटिस दिया हुआ है, मुझे भी कुछ ज्यादा समय मिलना चाहिये। इसलिये हमारी पार्टी साम्प्रदायिता से परे हटकर इस देश के हर व्यक्ति को जोड़ते हुये प्रेम और भाईचारे का प्रतीक रही है। इसके लिये स्व. चौ. देवी लाल ने हरसंभव प्रयास किया कि भारत की एकता और अखंडता बनी रहे, उससे किसान–मजदूर जुड़ा रहे।

सभापति महोदय, ताजमहल हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। हो सकता है कि किन्हीं असामाजिक तत्त्वों ने ऐसा किया हो। ताजमहल में हुड़दंग किया और उसे खराब करने की कोशिश की, हमारी पार्टी उसके लिये निन्दा करती है।

सभापति जी, हमारे प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिये बातचीत चल रही है। हमें इस बात की खुशी है कि इस देश की आम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस मसले को सुलझाने की कोशिश की गई है। लेकिन इस मुद्दे के जन्मदाता विश्व हिन्दू परिषद् और मुस्लिम लॉ बोर्ड इस बात से इन्कार करते हैं कि इन दोनों के अंदर कोई बातचीत चल रही है। ऐसी स्थिति सब को भ्रमित करती है। मैं जानना चाहता हूं कि आज क्या पोज़ीशन है। इसे सही रूप से देखिये। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि आज देशहित में सदन के सामने बात रखने की नहीं है लेकिन वक्त आयेगा तो वे सदन के सामने सही बात कहें। हम चाहेंगे कि सही बात स्पष्ट रूप से सदन के सामने पेश की जाये। सही स्थिति जनता के सामने पेश की जाए।

* कार्यवाही–वृत्तान्त मे सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. सुशील कुमार इंदौरा]

मान्यवर, जो राजनीतिक बयानबाजी है, जो कि राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए की जाती है, जिस तरह से विश्व हिन्दू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय जनरल सैक्रेटरी श्री प्रवीण भाई तगोदिया ने घोषणा की थी कि 17 फरवरी, 2002 को बसन्त पंचमी के पहले–पहले करोड़ों लोग जो विश्व हिन्दू परिषद से जुड़े हैं, वे अयोध्या में जायेंगे और मंदिर का निर्माण करेंगे। उससे पूरे देश में एक सामाजिक तनाव और भय का वातावरण पैदा होता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि अगर ऐसे लोग बयानबाजी करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का विचार किया जाना चाहिए। अगर कोई संगठन ऐसी बात कहता है जो सरकार से जुड़ा हुआ है। चूंकि आज एन.डी.ए. की सरकार है वह किसी एक सम्प्रदाय, किसी एक धर्म की हो सकती है। किसी एक पार्टी का अपना एक एजेन्डा हो सकता है। लेकिन एन.डी.ए. का अपना एक एजेन्डा, जो स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखा गया है।

सभापति महोदय, आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से विवाद न्यायालय में चल रहा है, हम इस बात को मानते हैं कि विवाद न्यायालय में सुलझाया जाए। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाएगा तो न्यायालय का फैसला एक के पक्ष में होता है और दूसरे के विपक्ष में होता है। उस वक्त उस हालात में अगर हम देखें तो अगर न्यायालय का फैसला एक के पक्ष में गया तो क्या दूसरे पक्ष के लोग उस फैसले को मानने के लिए राजी होंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि बातचीत से इस मसले को सुलझाया जाए। जो समाजिक लोग देश हित की बात सोचते हैं, जो किसी एक धर्म के प्रति अपनी धारणा नहीं रखते हैं, जो देश के आम नागरिकों के बारे में सोचते हैं, उन लोगों की एक कमेटी बना दी जाए जो इस मुद्दे को सही तरीके से सुलझा सके और अंत में मेरा सुझाव है कि जो विवादास्पद ढांचा या स्थल है, उस ढांचे को राष्ट्रीय सम्पदा बना दिया जाए और उसके एक तरफ हिन्दू धर्म के लोग और दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म के लोग अपने धर्म की अर्चना या जो भी विश्वास रखते हैं, वह उन्हें करने दिया जाए। उसे एक राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दे दिया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं और हम सदा इस देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए लोगों की भावनाओं का सम्मान करें।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : महोदय, मुझे समय की कमी का ज्ञान है। इसके बावजूद, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे कुछ समय और बोलने दीजिए ताकि मैं अपने और मेरी पार्टी के भी विचार व्यक्त कर सकूं।

हम अयोध्या समस्या से निपट रहे हैं। जहां तक मैं जानता हूं, रामायण में, यह उल्लेख है कि अयोध्या, श्री राम का जन्मस्थान है। मेरे विचार से राम ही अकेले भगवान नहीं हैं। जहां तक हिन्दू पुराण का सवाल है, इसमें 33,000 करोड़ देवताओं का उल्लेख है। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय गृह मंत्री शायद सभी 33,000 करोड़ देवताओं के जन्मस्थान जानते होंगे। यदि वे 33,000 करोड़ देवी देवताओं के जन्मस्थानों की सूची उपलब्ध कराएं तो उनकी बड़ी कृपा होगी।

सभापति महोदय : कृपया मुद्दे की बात करें।

श्री प्रबोध पण्डा : मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूं।

सभापति महोदय : आपको इस की पृष्ठभूमि पर चर्चा नहीं करनी चाहिए।

श्री प्रबोध पण्डा : यह बात प्रासंगिक है। कृपया मुझे बोलने दीजिए। मैं नया सदस्य हूं ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इतिहास की पृष्ठभूमि में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रबोध पण्डा : प्रभु राम महाकाव्य के महान व्यक्तित्व हैं। वे ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं। माननीय सदस्य, श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने रवीन्द्रनाथ टैगोर को उद्धृत किया है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। टैगोर ने कहा है कि श्री राम का जन्मस्थान कवि बाल्मिकी की कल्पना है। अयोध्या में कई घटनाएं घटी हैं। बाबरी मस्जिद का विध्वंस और अन्य मुद्दे यहां उठाए जा चुके हैं। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। परंतु मेरा मुद्दा किए गये कानून के उल्लंघन से संबंधित है, और यह स्पष्ट है ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था रखिए।

श्री प्रबोध पण्डा : पहले उन्हें उन व्यक्तियों को सजा देने के मुद्दे पर बात करनी चाहिए जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है।

यह बात सामने आई है कि जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है उन्हें अभी तक सज़ा नहीं मिली है, अभी तक पकड़े नहीं गये हैं और न ही उन्हें अभी तक जेल भेजा गया है। बल्कि माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया है। मुद्दा यह है कि इन पर आपराधिक रूप से उस विवादास्पद क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश का अभियोग लगना चाहिए जिसके स्वामित्व का मामला अभी तय नहीं हुआ है। उन्होंने न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन कर और पूजा करके न्यायालय की अवमानना की है। मैं जानता चाहता हूं कि उनको क्या सजा दी गई है। उन अपराधियों को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया है और उन्हें जेल में अभी बंद क्यों नहीं किया गया है।

मेरे हिसाब से सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हिन्दुत्व परिवार के कई संगठनों ने अपने कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपने कार्यक्रमों की यह कहते हुए घोषणा की है कि परिणाम चाहे जो भी हों वे उसका सामना करेंगे। वे अपने कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आरएसएस ने लोगों से हथियार उठाने के लिए कहा है, उन्होंने हथियारों को जुटाने का आह्वान किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृहमंत्री से यह जानना चाहता हूं कि ये उनके खिलाफ क्या कदम उठाने का विचार कर रहे हैं। उन्हें इस माननीय सभा को आश्वासन देना होगा कि वे उन अपराधियों को विवादित क्षेत्र में जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यह बात हमारे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय भावनाओं और राष्ट्रीय संस्कृति के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। हमारी संस्कृति क्या है? क्या हम कहते हैं कि हिन्दू संस्कृति ही हमारी संस्कृति है ? क्या हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति इस्लामी संस्कृति है? हमें गर्व है कि हमारी संस्कृति मिली–जुली है। भारतीय संस्कृति एक मिली–जुली संस्कृति है। मैं इस संबंध में श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर को उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने बंगाली में 'भारत तिरथो' नाम एक कविता लिखी है। उस कविता में उन्होंने लिखा है, किसी को नहीं पता कि इतने लोग यहां कहां से आए और किसके बुलाने पर आए। वे एक तेज धारा के रूप में आए और इस समुद्र में समा गये। किसी को नहीं पता कि विभिन्न पहचान वाली मानव प्राणियों की कितनी धाराएं इस जमीन पर आईं और किसके बुलाने पर आईं, इसी कविता में उन्होंने यह भी लिखा है कि, 'यहां आर्य आए, अनार्य आए, शाक आए, हूण आए, पठान आए, मुगल आए और इन सभी ने स्वयं को एक में ही समाहित कर लिया। भारत की यह भूमि आर्यों के लिए, अनार्यों के लिए, द्रविडों के लिए, हूणों के लिए, मुगलों के लिए और पठानों सभी के लिए है। भारत सभी मानव जातियों के लिए है। इसलिए, हमारे यहां अनेकता में एकता है। वे अब इस संस्कृति को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह बात बहुत गंभीर है और इसलिए हम बहुत चिन्तित हैं।

जब हमें अपनी स्वतंत्रता मिली, उस समय, ब्रिटिश हाऊस ऑफ कामन्स में तत्कालीन प्रधानमंत्री विन्सटन चर्चिल ने यह टिप्पणी की थी कि भारत एक नहीं रह सकता और यह कई टुकड़ों में बंट जाएगा क्योंकि यहां अनेक भाषाएं, अनेक मत और अनेक धर्म हैं परंतु फिर भी भारत एक है। हमारे देश की महान जनता राष्ट्र के रूप में एक रही है। इसका श्रेय हमारे देश की जनता को जाना चाहिए। इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे दृढ़ संकल्प और मजबूत रहें। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि किसी छुपे हुए एजेंडा का कार्यान्वयन न करें। मैं यह जानना चाहता हूं कि तथाकथित "न्यूनतम साझा कार्यक्रम" के राष्ट्रीय एजेंडे का क्या हुआ।

वे अपने वायदे से पीछे हट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है उन्होंने यह कार्य जानबूझ कर किया है। यह उनकी रणनीति है ताकि उनका छुपा एजेंडा कार्यान्वित हो और उनका घोषित और खुला एजेण्डा नजरअंदाज हो जाए। इसलिए यह बहुत महत्त्वपूर्ण है।

महोदय, इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आभारी हूं। मैं बहुत व्यथित होकर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आदिम जाति का हूं। मेरे पूर्वज आदिम जाति के थे और पहले आदिम थे। बजरंग हमारे पुराने आदमी हैं। बजरंग ने प्रभु राम को हृदय में देखा, मंदिर में नहीं। उनकी इतनी भक्ति थी। लेकिन राजकरण के लिए प्रभु के पांव पर ये लोग पड़ रहे हैं।

नासिक में राम मंदिर है। जब प्रभु वनवास गए थे, तब की वहां मूर्ति है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति उस मंदिर में नहीं गया। मैं वहां दर्शन के लिए जाता हूं। अभी रावले साहब बोल रहे थे कि मस्जिद गिरनी चाहिए थी। मैं कहना चाहता हूं कि उसके गिरने से हमारा संविधान तोड़ दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिन लोगों ने ऐसा किया, उन्होंने दंडात्मक काम किया है। जो सत्ताधारी पक्ष है, उसको तो ऐसा काम कतई नहीं करना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि जिन्होंने ऐसा किया, उनको दंडित करना चाहिए।

श्री प्रकाश वी. पाटील (सांगली) : सभापति महोदय, मैं अयोध्या इश्यू पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस मामले को क्यों इतना तूल दिया जा रहा है। आज दुनिया में ऐसे बहुत से मुल्कों में इश्यू हैं, लेकिन वहां से क्या साम्प्रदायिकता को वे हटा पाए हैं, नहीं हटा पाए हैं। येरूशलम में यहूदियों और अरब में लड़ाई हो रही है। क्या वहां युद्ध से शांति स्थापित नहीं हुई है, नहीं हुई है। हमारे यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो हिन्दू विश्व धर्म को स्थापित करने वाला है, आज भाजपा के कारण वह गलत दिशा में जा रहा है और ये लोग हिन्दुओं को बहका रहे हैं। राजीव गांधी जी ने मंदिर खुलवाया, यह बात कही जाती है। लेकिन राजीव गांधी के साथ उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी भी थे। आज उनका लड़का भारतीय जनता पार्टी में है। इसी तरह से तब के गृह राज्य मंत्री अरूण नेहरू इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं। अब तो हिन्दू धर्म में भी परिवर्तन हो रहा है। कई

[श्री प्रकाश वी. पाटील]

हिन्दू बुद्धिस्ट हो गए हैं। आज बौद्ध धर्म हिन्दू धर्म से भी अच्छा हो गया है। लगता है हिन्दू संकुचित विचारधारा के हो गए हैं।

रावले जी कह रहे थे कि हम 83 प्रतिशत हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि बहुत से हिन्दू बौद्ध धर्म अपना कर बुद्धिस्ट हो गए हैं। उसका कारण यह है कि हमने उन लोगों पर अत्याचार किया। इसलिए हम अब केवल 33 प्रतिशत रह गए हैं। जो सवर्ण हैं, उनके सिवा दूसरा कोई हिन्दू नहीं है। राजीव गांधी जी ने जो किया था, उसका कारण था। वे चाहते थे कि जैसा सम्राट अकबर ने किया वैसा ही अब हो। अकबर ने मुस्लिम धर्म में क्रांति ला दी थी। उसने उस समय दीन–ए–इलाही की स्थापना की। उसने हिन्दुओं को साथ लेकर 52 साल तक राज किया। राजीव गांधी जी चाहते थे कि जैसे आगरा का ताजमहल एक यादगार के रूप में माना जाता है, वैसे ही अयोध्या में भी हो। इसलिए हमें दीन–ए–इलाही की बात करनी चाहिए और उसका गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए। आज देश में इस सवाल के अलावा और भी कई सवाल हैं। जैसे अर्थव्यवस्था है। उस पर हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अयोध्या की घटना के लिए जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : सभापति महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया और लगभग 9-10 वर्षों से हम प्रतिवर्ष अयोध्या के विषय पर चर्चा करते हैं तथा अयोध्या के विषय पर उस तरफ बैठे हुए लोगों का बहुत पुराना संबंध होगा, मेरा इतना संबंध नहीं है। मेरा ज्यादा संबंध तो 1987-88 से हुआ है लेकिन फिर भी जितना समय आया, उसके कारण इस प्रकार की चर्चा सुनने के बाद मन में आता है कि जो कुछ भी मेरे मन में है, मैं बोलूं। चूंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि अयोध्या के आंदोलन ने भारत की राजनीति को, भारत के चिंतन को, भारत की मानसिकता को इस प्रकार से प्रभावित किया है, जैसा बहुत कम स्वतंत्रता बाद के आंदोलनों ने प्रभावित किया है।

सायं 6.32 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

गांधी जी ने जिस प्रकार से अगर दांडी मार्च की तो दांडी मार्च स्वयं में छोटी बात थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी लेकिन उसके द्वारा अंग्रेज किस प्रकार से छोटी–छोटी चीजों के द्वारा भारत पर अत्याचार कर रहे हैं, उसको उन्होंने उजागर किया। लेकिन आज की चर्चा और अच्छी होती अगर वह सीमित होती। जिस प्रकार का प्रस्ताव हमारे दासमुंशी जी ने दिया था, इसक केन्द्र बिन्दु था कि 17 अक्टूबर को अयोध्या में विश्व हिन्दू परिषद के लोगों ने जो कुछ किया, इसके बारे में सरकार का क्या मत है लेकिन यह बहुत व्यापक हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत सारे लोगों ने और रघुनाथ झा ने या देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने यहां एक नया इंटरप्रिटेशन कि राजीव गांधी जी ने वहां सब कुछ क्यों करवाया, उसका पाटील जी ने दिया। मुझे नहीं पता कि दासमुंशी जी या कांग्रेस पार्टी इससे सहमत है कि नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जब से लेकर 1998 में यह सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है। और इसने घोषणा की कि हमने इस कोएलिशन को, क्योंकि उसमें कई अलग–अलग विचारधाराओं के लोग हैं, उनके लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर उसके आधार पर शासन करेंगे तो इसलिए जब यह कार्यक्रम बना तो उसके बाद मैंने राम जन्मभूमि के इश्यू को उठाकर कहीं पर भी सामान्यतः कुछ नहीं किया सिवाए लिब्रहान आयोग ने बुलाकर मुझसे सारे सवाल पूछे तो 6 दिन तक मैंने विस्तार से जो मेरा दृष्टिकोण है, मैंने उसका उल्लेख किया, मैंने उसका विवेचन किया कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं। अभी–अभी जिसका जिक्र भी कई लोगों ने किया कि जब देश का गृह मंत्री कहता है कि मैं सत्ता पर यहां इसलिए बैठा हूं कि क्योंकि अयोध्या में आंदोलन के कारण बैठा हूं और उन्होंने उनको भी कहा कि आप भी इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपने अयोध्या में आंदोलन किया तो मैं इस बात को साफ–साफ करना चाहता हूं कि अयोध्या के आंदोलन को मैं बहुत महत्त्वपूर्ण मानता हूं और जैसा मैंने कहा कि मैं इसे श्रेष्ठ मानता हूं और उसमें साम्प्रदायिकता को तनिक भी, अगर कुछ लोगों ने उसमें साम्प्रदायिकता लाई है तो उसमें उनका दोष है लेकिन आंदोलन मूलतः वह सर्वथा असाम्प्रदायिक था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को तुष्ट करने वाला था। लेकिन मैं इस मत का भी हूं। मेरी बात सुनिये। लेकिन मैं इस मत का हूं .... *(व्यवधान)* प्रियरंजन दासमुंशी जी मैंने आपकी बात को सुना है। आप मेरी बात सुनिए। आपकी बात का जवाब तो चिन्मयानन्द जी ने दे दिया है, मुझे उत्तर देने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि पचास साल का इतिहास 1951 से लेकर, जनसंघ काल से लेकर, आज तक यदि पार्टी का सम्मेलन, होता है और पूरे का पूरा विवेचन करना पड़ता है, सोमनाथ जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, तो मैं कहूंगा कि मेरी ताकत के दो स्रोत हैं। मेरी ताकत का पहला स्रोत है, कश्मीर के एकीकरण का आन्दोलन, जिसके नेता डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और सोमनाथ जी के पूज्य पिता जी, श्री एनसी चटर्जी थे। दूसरा स्रोत जयप्रकाश नारायण द्वारा इमरजेंसी के खिलाफ लोकतंत्र के लिए था। देश में लोकतंत्र पुनः स्थापित करने के लिए जो आंदोलन चला, वह मेरा दूसरा स्रोत था।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : इमरजेंसी से पहले लोकप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हो गया था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं पूरे समय को गिनता हूं। जो भी जयप्रकाश जी और लोहिया जी के संपर्क में आए, चाहे श्री रघुनाथ

झा या श्री देवेन्द्र यादव, वे जब भी अयोध्या के बारे में बोलते हैं, तो संतुलित बोलते हैं। सब बातें बोलते हैं। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है, जिसको बहुत से लोग मस्जिद कहते हैं, लेकिन अधिकारी सरकारी दस्तावेज में कहीं मस्जिद का नाम नहीं लेते हैं। उसका नाम हमेशा रामजन्म भूमि–बाबरी मोस्क डिस्प्युटेड साइट कहते हैं। कोई मस्जिद नहीं कहता है। लेकिन हम ही बार–बार मस्जिद कहकर दुनिया में प्रचार करते हैं कि मस्जिद ढाह दी। मस्जिद केवल 1949 से लेकर कोर्ट के आदेश का इन्जक्शन है कि हटाई न जाए। ....*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : 1947 से 1949 तक वह मस्जिद थी, पांचों वक्त नमाज होती थी। आजाद हिन्दुस्तान के अंदर वह डिस्प्युटेड लैंड बनीं, उससे पहले नहीं थी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इसका भी प्रतिवाद कर सकता हूं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं इस समय गृह मंत्री के नाते जवाब दे रहा हूं। इस वक्त मैं अक्टूबर माह में हुई घटना के बारे में जवाब दूंगा। इस परिप्रेक्ष्य में मेरे सारे के सारे जो भी विचार हैं, उनको मैंने लिब्राहन आयोग के सामने बड़े विस्तार से रखा है। मैं उनमें से नहीं हूं, आज सरकार बनानी है, इसलिए अयोध्या की बात मत करो। सरकार बनानी है, इसलिए आते ही मैंने रामजन्म भूमि का मुद्दा छोड़ दिया। किसने कहा? क्या किसी ने कहा कि छोड़ दिया। आज मैं युनिफार्म सिविल कोड की बात नहीं कहता हूं। यद्यपि युनिफार्म सिविल कोड पर अपनी राय है, संविधान का हिस्सा है, लेकिन मैं इस सरकार में बैठकर युनिफार्म सिविल कोड का आग्रह नहीं करता हूं, क्योंकि हमारा कामन प्रोग्राम नहीं है। कामन प्रोग्राम न होना एक चीज है और उसकी मर्यादा दूसरी चीज है, जिस मर्यादा का मैं पालन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, 17 अक्टूर को मैं पत्रकार सम्मेलन में था, जब मुझे सूचना मिली। यहां कुछ लोगों ने कहा कि यह मिली–भगत है। सब एक है, अगर एक होता, तो सार्वजनिक रूप से बिना और जानकारी किए हुए, मुझे उनकी भर्त्सना करने की जरूरत नहीं थी। मैंने की और शायद पहली बार की।

/अनुवाद/

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपने बड़ी ही ईमानदारी के साथ यह कहा कि अयोध्या आंदोलन में सांप्रदायिकता जैसी कोई बात नहीं थी बल्कि वह राष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलन था। एक गृहमंत्री के रूप में आप अभी भी यही मानते हैं कि अयोध्या आंदोलन एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलन था। मेरे ख्याल से, आप यही समझ रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह ठीक है। इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो मैंने लिब्राहन आयोग के सामने भी कही है। मैं कह चुका हूं कि

[हिन्दी]

6 दिसम्बर, 1992, मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन था।

[अनुवाद]

यह मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन था। ऐसा मैंने आज ही नहीं कहा है। यह बात मैंने आज ही नहीं बल्कि इस घटना के मात्र पंद्रह दिनों के बाद मैंने 'द इंडियन एक्सप्रैस' में एक लेख में भी यही कहा था।

[हिन्दी]

इसलिए इन दोनों बातों को मैं उसमें जोड़ूंगा, अगर बात आई है तो मैं मानता हूं कि 6 दिसम्बर, 1992 को वहां जो कुछ हुआ, उसमें इस सारे आंदोलन को, जिसे मैंने श्रेष्ठ आंदोलन कहा, उसे धक्का और नुकसान पहुंचाया। इसलिए मैं उनसे सहमत नहीं हूं, जो समझते हैं कि 6 दिसम्बर को जो कुछ हुआ वह बहुत अच्छा हुआ। हो सकता है कि विश्व हिन्दू परिषद में कुछ लोग ऐसे हों। मेरे अपने सहयोगियों में भी कोई हो सकता है, लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण है, मैं मानता हूं कि वह सरकार और प्रधान मंत्री जी का दृष्टिकोण है और वह यह है कि 6 दिसम्बर को जो कुछ हुआ वह देश की प्रतिष्ठा के लिए नुकसानकारक था। मैंने अयोध्या के आंदोलन को श्रेष्ठ कहा, उसके लिए भी धक्का पहुंचा। इस तथ्य को रखने के बाद मेरा यह कहना है कि जैसे महात्मा जी जन आंदोलन के नेता थे, उसके कारण चौरी–चोरा हो गया और चौरी–चोरा होते ही उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। बहुत सारे लोग इस मत के थे कि हो गया तो क्या हो गया, ऐसे हो जाता है, लेकिन उन्होंने उसकी निन्दा की। अगर कोई यह कहे कि आजादी का आंदोलन, मतलब चौरी–चोरा, यह तो गलत बात है। उसी प्रकार कोई कहे कि अयोध्या का आंदोलन 6 दिसम्बर, यह नहीं है। इन तथ्यों को पहचान करके मुझे 17 अक्टूबर के बारे में यह कहना है कि मेरी संविधान और लोकतंत्र के प्रति जवाबदारी है और इस बात की मेरी जवाबदारी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में रिसीवर है, जिसका दायित्व है, हमारा कोई और दायित्व वहां की सरकार चलाने का नहीं है। वहां अयोध्या का जो साधारण प्रशासन है, वह हम नहीं चलाते।

[अनुवाद]

'विवादास्पद क्षेत्र में 7.1.93 की यथास्थिति बनाए रखने का दायित्व केन्द्र सरकार का है। विवादास्पद क्षेत्र में 7.1.93 की

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

यथास्थिति बनाए रखने का अर्थ उच्चतम न्यायालय ने अपने 6.8.93 के आदेश में स्पष्ट किया है जिसके अनुसार, विवादास्पद क्षेत्र में स्थित अस्थाई ढांचे में कोई भी परिवर्तन–परिवर्धन या कोई और ढांचागत परिवर्तन नहीं किया जाएगा किंतु वहां रखरखाव का सामान्य कार्य किया जा सकता है।

[हिन्दी]

यह हमारी जवाबदेही है और उस जवाबदारी को निभाने में यह सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। अगर उसे काई चुनौती देता है कि स्टेटसको को हम बदलेंगे तो सरकार आवश्यक कदम उठाएगी, यह आश्वासन मैं संसद को देना चाहता हूं। इस बार जब घटना हुई तो घटना के तुरंत बाद मैंने सार्वजनिक रूप से उसकी भर्त्सना की। यू.पी. को तुरंत आदेश दिया कि जिन्होंने इस प्रकार से किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। .....*(व्यवधान)* कौन सी कार्यवाही की जाएगी, यह तो देखना था। ....*(व्यवधान)* क्योंकि मुझे पता था कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर केवल स्टेटसको होता है और इसका अर्थ यह होता है, मैंने कहा कि उन्होंने वहां जो व्यवस्था की, जो अरेंजमेंट था, वहां उस अरेंजमेंट को क्या वायोलेट किया है, किस प्रकार से किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही क्या की जा सकती है। इसका निर्णय तो वही लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने कार्यवाही की, उन्हें लगा कि इस स्थिति में उनके खिलाफ यह एक्शन लिया जा सकता है, ड्यूटी पर जो गर्वनमेंट आफिसर्स थे उन्हें ऑब्स्ट्रेक्ट किया, काम नहीं करने दिया, उसके आधार पर उन्होंने काम नहीं करने दिया। लेकिन मैंने कहा कि इतना ही पर्याप्त नहीं है, आप आगे के लिए भी अधिक सुरक्षा हो, मजबूत हो, उसके लिए आप मीटिंग करिए तो 31 अक्टूबर को मीटिंग हुई। ....*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : छोटे अधिकारियों को मुअत्तिल कर दिया गया, लेकिन बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। .....*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अधिकारियों को मुअत्तिल किया गया, क्योंकि सिक्युरिटी लेप्स था। .....*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जब ये कहते हैं कि वहां कुछ हुआ ही नहीं तो राज्य सरकार कार्यवाही क्या करेगी। ....*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अगर कुछ नहीं हुआ तो ऐसे क्यों किया होता। .....*(व्यवधान)* जो बातें कही जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का इस प्रकार से उल्लंघन हुआ, उसके बारे में कहा होगा कि नहीं हुआ। लेकिन कार्यवाही हुई और मैंने सार्वजनिक रूप से उसकी भर्त्सना की। उसके बाद आगे चलकर दफा 144 लगाई गयी।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : भर्त्सना एक अलग चीज है। कानून के अधीन कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? इसे असंज्ञेय अपराध क्यों माना गया ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : प्रश्न यह है कि इसका निर्णय किया जाए ....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अशोक सिंघल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। उनका उत्तर समाप्त होने के पश्चात् आप उनसे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : प्रियरंजन दास जी, मैं तो यह सुनकर मन में संतुष्ट हुआ था कि माननीय सोमनाथ जी अच्छे सांसद और श्रेष्ठ वकील हैं, बैरिस्टर हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार और केन्द्रीय सरकार से शिकायत है कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मुझे तो इससे भी शिकायत है कि सुप्रीम–कोर्ट की जो अवहेलना हुई, उसके बाद उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। उनको तो तीनों से शिकायत है। उसको सुनकर मुझे लगा कि शायद उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। इस प्रकार से बैरीकेड्स में से घुस करके वे वहां चले जाएंगे, इससे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का उल्लंघन होता है या नहीं होता है यह तो हम या आप लोग फैसला नहीं कर सकते हैं। यह तो वहां जो मौजूद है वही फैसला कर सकता है। इसलिए जब मुझसे पहले दिन पूछा गया था तो मैंने कहा था कि मैं इसकी भर्त्सना करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मुझसे किसी ने यह कहा कि अचानक उनको क्या यह ख्याल आया? यह तो लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से जो कुछ वे आगे करना चाहते हैं उसी को दृष्टि में रखकर उन्होंने यह किया है।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, माननीय गृह मंत्री दोषियों को बचा रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं किसी दोषी को नहीं बचा रहा हूं। यदि कोई अपराध हुआ भी है तो राज्य सरकार उस पर कार्यवाही कर रही है। यदि कहीं पर केन्द्र सरकार जिम्मेदार है तो उस मामले में हम कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : जब बार–बार विश्व–हिंदू परिषद और बजरंग दल धमकी दे रहे हैं कि हम 5 करोड़ लेकर जाएंगे और मंदिर बनाएंगे। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संकट है और आपने यह स्वीकार भी किया है कि अफगानिस्तान के लोग यहां आ सकते हैं और खतरनाक घटना कर सकते हैं तो इनको आप बयान देने से रोक नहीं सकते, क्या आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। क्या आपको मुस्लिम लड़के ही मिले थे जिनको सिमि लगाकर जेलों में डाल दिया गया है। अगर वे लोग देशद्रोही काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये लोग भी देशद्रोही काम कर रहे हैं और इस संकट की घड़ी में पूरे देश में एक होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। अगर वे ऐसे लोग हैं तो ये भी देशद्रोह की गतिविधियों में संलग्न हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : बाकी सब लोगों ने जब सिमि का जिक्र किया था तो मैं इग्नोर करने के लिए तैयार था, लेकिन आज माननीय मुलायम सिंह जी ने जो देश के रक्षा मंत्री रहे हैं सिमि और जो कुछ 17 अक्टूबर को अयोध्या में हुआ या ये बजरंग दल का नाम लेकर तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि किस जमाने में आप रह रहे हैं। आपको पता है कि अभी–अभी जो घटना अमरीका में हुई है, उस अमरीका की घटना के साथ एक प्रकार से यहां भी लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की गयी और जिन लोगों को आस्ट्रेलिया या इंग्लैंड हवाई–जहाज की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और वहां कार्रवाई करने वाले कौन लोग थे। सिमि का नाम लेकर जब आप पक्ष में बोलते हैं तो मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है।

श्री मुलायम सिंह यादव : पक्ष में मैं नहीं बोलता हूं। मैंने कहा कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइये। आपने लखनऊ में कहा कि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। ..... *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मुलायम सिंह जी, मैं सब प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। आप प्रमुख पार्टी के नेता हैं और मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें सार्वजनिक रूप से .....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप सिद्ध कीजिए कि वे आईएसआई के एजेंट थे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपको पर्सनली बताने के लिए तैयार हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव : सिमि के बारे में प्रमाण दो तो हम उसके विरोध में हो जाएंगे। आपने लखनऊ में कहा कि उनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है। आप प्रमाण देंगे तो हम आपके साथ हो जाएंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उसे जुडिशियल ट्रिब्यूनल को देना है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सदन के किसी भी सदस्य को यह नहीं भूलना चाहिए। .....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : क्या मेरा भाई सिमि में है? उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इसके लिए हाई कोर्ट से स्टे लेना पड़ा। आप क्या बात कर रहे हैं ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने आपके भाई पर आरोप नहीं लगाया है। मैंने सिमी पर आरोप लगाया है। मैं समझता हूं कि सिमी एक राष्ट्र विरोधी संस्था है जो हमारे दुश्मनों के आधार पर सारे काम करती है। देश में आतंकवाद और आईएसआई का काम बढ़ाने में वह एक यंत्र का काम करती है। यह बात भी किसी को भूलनी नहीं चाहिए।

यहां बजरंग दल के बारे में कही गई। मैं बजरंग दल की बहुत सी कार्रवाइयों से सहमत नहीं हूं। मैं उन्हें नापसंद करता हूं। मैं कभी–कभी उनकी आलोचना भी करता हूं। बजरंग दल पर 1992-93 में पाबंदी लगाई गई। उनका मामला जब ट्रिब्यूनल के सामने गया तो उस समय आशंका थी कि बजरंग दल ने इस ढांचे को 6 दिसम्बर 1992 को ढहाने में योगदान दिया। उसके सामने जब सरकार प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी तो बजरंग दल से बैन हट गया। हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम चाहते हैं कि आप निष्पक्ष रहिए। मेरे भाई के खिलाफ संगीन केस चलाया गया और हमें हाई कोर्ट से स्टे लेना पड़ा। उसे सिमी के साथ जोड़ा गया है। यह सिंघल कौन हैं, गिरिराज किशोर कौन हैं? आपकी निष्पक्षता पर उंगली उठ रही है। आप निष्पक्ष रहिए। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। .... *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप अपने भाई का केस बताएं। जो न्यायपूर्ण होगा, जरूर करूंगा। जहां तक सिमी का सवाल है उसके बारे में मैं सारे सदन को कहना चाहता हूं कि सिमी के बारे में जो जानकारी सरकार के पास है, उसके कारण उसे राष्ट्र विरोधी संस्था कहना, आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाली संस्था कहने में तनिक भर भी दोष नहीं है।

मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि विश्व हिन्दू परिषद के लोग वहां गए और उन्होंने निकट जाने की कोशिश की। उसका थोड़ा बहुत उल्लेख चिन्मयानन्द जी ने अपने भाषण में किया। सामान्यतः जो राम भक्त वहां जाते हैं, उन्हें जूता पहन कर लंबा–चौड़ा

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

चलना पड़ता है। वहां काफी समय से व्यवस्था ऐसी बनी है। उस व्यवस्था के विरुद्ध लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, वह बहुत लंबा है।

[अनुवाद]

मैं कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि :

"यह शिकायत मिलने पर कि दर्शन करने की जगह और ईश्वर की स्थापित मूर्ति के बीच 15 मीटर से भी अधिक की दूरी है जिससे मूर्ति का आकार छोटा होने के कारण वह ठीक से दिखाई नहीं देती। हमारा यह स्पष्ट विचार है कि यह दूरी अधिक नहीं तो आधी आसानी से की जा सकती है ताकि सुरक्षा पहलुओं का उल्लंघन किए बिना भक्तगण ठीक से दर्शन कर सकें। क्योंकि उस स्थान तक पहुंचने में उसे कम से कम एक या दो जांच स्थलों से गुजरना होगा।"

[हिन्दी]

मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि विश्व हिन्दू परिषद के लोगों में इसे लेकर असंतोष है। वह असंतोष इस कारण है कि हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद स्थिति ज्यों की त्यों बनी है। मैंने उन्हें कहा कि देखिए, ज्यों की त्यों इसलिए बनी है कि इसके खिलाफ अपील हुई है। अपील में निर्णय नहीं हुआ। अपील में यह कहा गया कि हम निर्णय करेंगे कि यह हाई कोर्ट का निर्णय उचित है या नहीं? उसके बाद से निर्णय हुए बिना उन्होंने कहा कि जब तक हम निर्णय न करें तब तक स्टैटस को रहना चाहिए। यह चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आपने जो कुछ किया, उसके कारण लगता है कि आपने उसकी प्रतीक्षा किए बिना और अवहेलना करके कुछ वहां अपने ढंग से करने की कोशिश की, इसलिए ये सब हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आर्डर नहीं दिया लेकिन इतना जरूर कहा कि जब तक निर्णय नहीं देते तब तक इस निर्णय को, स्टेटस को मानना चाहिए। मैं यह समझने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि मैं मानता हूं कि संविधान के प्रति प्रतिज्ञा लेने वालों का यह काम है चाहे वह सांसद हों, मंत्री हों, सरकार हो या कोई और हो, उसका काम है कि वह कोर्ट के आदेशों का पालन करे। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन न हो। इस बात की व्यवस्था हमें करनी है। इसलिये मैंने कहा कि आपका असंतोष मेरी समझ में आता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में दुबारा कहें कि वहां जाने वाले कितने लोग हैं, उन्हें असुविधा होती है, मेरी समझ में आता है कि यह तर्क नहीं है और वहां पर आप लोग हैं, उनकी अवहेलना करके घुसपैठ करने की कोशिश करें। इसे मामले में हमारी तरफ से सतर्कता है और तब भी सतर्क थे। अगर 1992 में कोर्ट ने परमिट नहीं किया होता तो बी.जे.पी. या कोई व्यक्ति वहां नहीं जाता। कार सेवकों ने यह अपेक्षा की थी कि कार सेवा सिम्बौलिक होगी। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जहां तक इस सरकार का सवाल है, उसका यह परम दायित्व होगा कि वह कोर्ट के आदेश का पालन करवाये और इस मामले में हमने सभी को जो भी संबंधित लोग हैं, उन्हें बता दिया है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं मात्र दो बातों पर स्पष्टीकरण चाहता हूं .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : बार–बार ऐसा नहीं होता।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : बार–बार क्या है, यह हमारा राइट है।

[अनुवाद]

प्रश्न यह था कि क्या गृहमंत्री ने मामले की जांच की, कि राज्य सरकार ने इस प्रकार के उल्लंघनों को संज्ञेय अपराध क्यों नहीं माना। दूसरे, मैंने गृहमंत्री से एक और बात पूछी किंतु उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा कि वे बार–बार भारत सरकार और प्रधान मंत्री को धमकी दे रहे हैं कि यदि 12 मार्च से पहले उनके पक्ष में निर्णय न हुआ तो वे कानून तोड़ेंगे। यदि 12 मार्च तक प्रधान मंत्री इसका कोई हल नहीं निकालते और यदि वे इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन से कदम उठाएगी, कि जब तक मामले का निपटारा न्यायालय द्वारा नहीं कर दिया जाता, तब तक वह क्षेत्र सुरक्षित रहे। इस मुद्दे पर गृह मंत्री ने उत्तर नहीं दिया।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं कोई घोषणा नहीं करना चाहता लेकिन मैंने जो कुछ कहा है, उसका अर्थ साफ है, मुझे और कुछ नहीं कहना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.57 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मंगलवार, 4 दिसम्बर, 2001/13 अग्रहायण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।